ఆంధ్రా బ్యాంక్
आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
భారతీయుల బ్యాంక్ देशवासियों का बैंक Where India Banks

हमारी विकास यात्रा का अनुपम मोड़
Our growth story takes a new turn

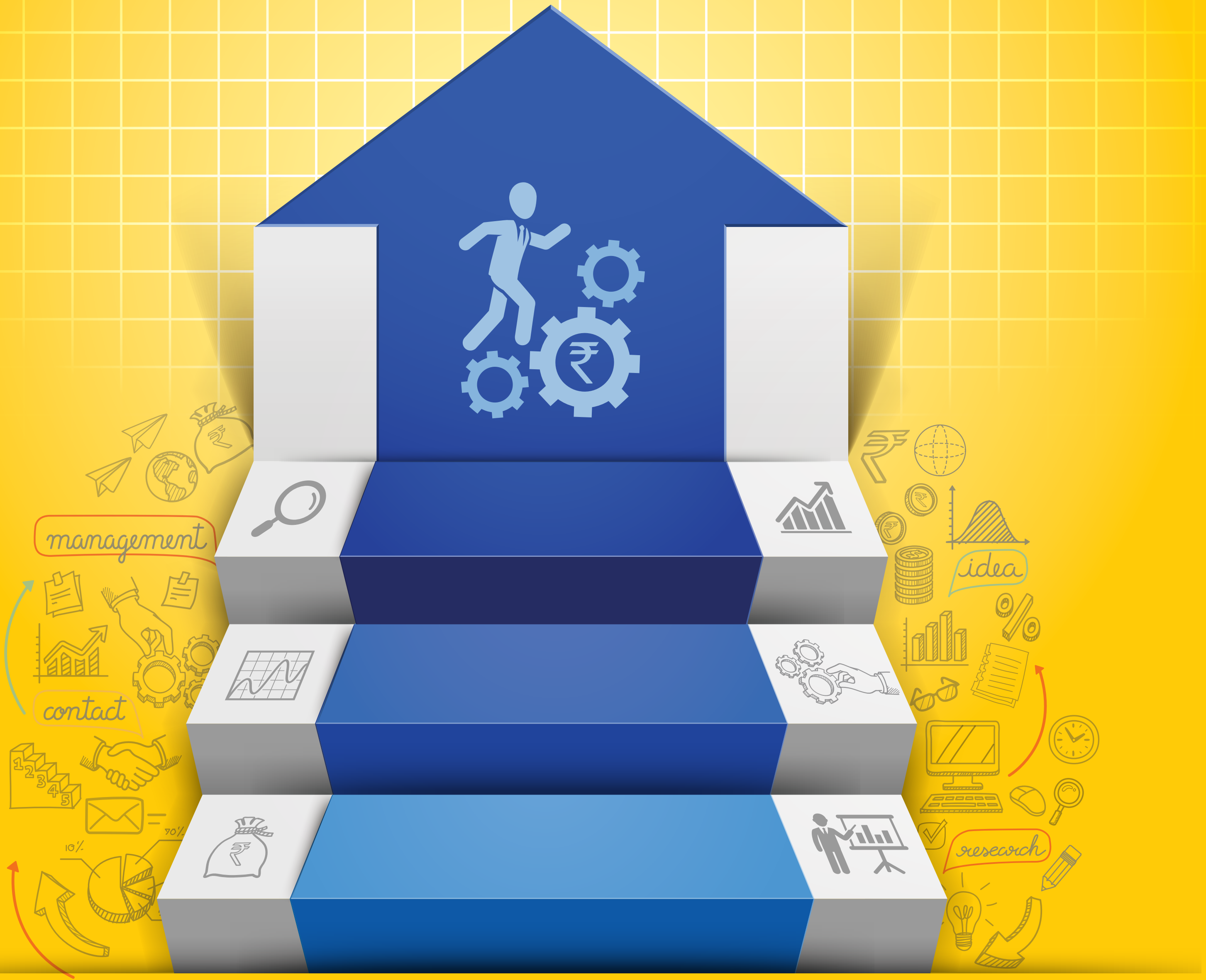

वार्षिक रिपोर्ट | Annual Report 2019-20

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

जे पक्किरिसामी
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
J Packirisamy
Managing Director & Chief Executive Officer

कुल भूषण जैन
कार्यपालक निदेशक
Kul Bhushan Jain
Executive Director

अंजना दूबे
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
Anjana Dube
Govt. of India
Nominee Director

पी जे थामस
भा रि बैं द्वारा नामित निदेशक
PJ Thomas
RBI Nominee Director

बालगोपाल महापात्र
निदेशक
Balgopal Mahapatra
Director

ए कृष्ण कुमार
निदेशक
A Krishna Kumar
Director

जी शिव कुमार
निदेशक
G Siva Kumar
Director

ఆంధ్రా బ్యాంక్
आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
భారతీయుల బ్యాంక్ देशवासियों का बैंक Where India Banks

विषय सूची

हमारी प्रगति - एक नजर में	2
प्रमुख कार्य-निष्पादन अनुपात	4
शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या समूह वार	6
निदेशकों की रिपोर्ट	8
साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	23
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	26
तुलन पत्र	56
लाभ व हानि खाता	57
तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां	58
महत्व पूर्ण लेखा नीतियाँ	65
लेखों पर टिप्पणियां	72
नकदी प्रवाह विवरणी	102
स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	104
समेकित तुलन पत्र	112
समेकित लाभ व हानि खाता	113
समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां	114
समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	120
समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखों पर टिप्पणियां	128
समेकित नकदी प्रवाह विवरणी	139
समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	141
जोखिम प्रबंधन	149
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2019-20	150

CONTENTS

Our Progress at a Glance	3
Key Performance Ratios	5
Classification of Branches - Population Group Wise	7
Directors' Report	161
Secretarial Audit Report	176
Corporate Governance Report	179
Balance Sheet	210
Profit and Loss Account	211
Schedules Forming Part of Balance Sheet	212
Significant Accounting Policies	220
Notes on Accounts	227
Cash Flow Statement	257
Independent Auditor's Report	259
Consolidated Balance Sheet	266
Consolidated Profit and Loss Account	267
Schedules Forming Part of Consolidated Balance Sheet	268
Significant Accounting Policies of Consolidated	274
Notes on Accounts to Consolidated Financial Statements	282
Consolidated Cash Flow Statement	293
Independent Auditor's Report on Consolidated Financial Statements	295
Risk Management	304
Business Responsibility Report 2019-20	305

लेखा परीक्षक / AUDITORS

अगरवाल एण्ड सक्सेना / AGARWAL & SAXENA

राय एण्ड कंपनी / RAY & CO.

संतोष गुप्ता व कंपनी / SANTOSH GUPTA & CO.

जी.एस. माधव राव व कंपनी / G.S. MADHAVA RAO & CO.

साचिविक / SECRETARIAL AUDITORS

डी. हनुमंत राजु एंड कंपनी / D. HANUMANTA RAJU & CO.

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट

REGISTAR & SHARE TRANSFER AGENTS

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.

मैसर्ज एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड (ईकाई: आन्ध्रा बैंक)

सी विंग, 209-ए, 2रा तल, गोकुल औद्योगिक इस्टेट
सगबौग, मरोल सहकारी औद्योगिक क्षेत्र बी/एच टाइमस स्केवयर
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059

M/s. MCS share Transfer Agent Limited

Unit: Andhra Bank A-209, 'C' Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate,
Sagbaug, Marol Co-Op. Industrial Area, B/H Times Square,
Andheri (E), Mumbai - 400 059
Ph. No.: 022-28516020/23, Fax No.: 022-4020 6021

हमारी प्रगति - एक नजर में

(₹ करोड़ में)

वर्ष / मापदंड	1969 *	1980 **	मार्च -15	मार्च -16	मार्च -17	मार्च -18	मार्च -19	मार्च -20
शाखाओं की संख्या	155	627	2507	2803	2908	2911	2885	2874
कारोबार सुपुर्दगी चैनलों की संख्या	155	754	4782	6477	6875	6958	6687	6671
कर्मचारी संख्या	2163	7585	18525	18656	19383	19921	20346	20364
निवल लाभ	0.06	1	638	540	174	-3412	-2786	-1324
कुल जमा	52	666	155012	174302	195441	208070	219821	212609
निवल अग्रिम #	35	356	125955	130788	136846	164534	158823	157742
निवेश $	16	170	46719	54152	60130	66162	62953	63096
पूंजी	0.5	1	603	681	681	1199	2884	3096
रिजर्व एवं अधिशेष	0.4	4.9	9461	10313	10686	9619	10281	9132
कार्यकारी निधियां	58	708	185170	199962	222126	242171	249311	243871
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	-	128	45508	54545	61690	70121	78318	76441

प्रावधानों का निवल

$ मूल्यह्रास - पूर्व

* बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वर्ष

** आन्ध्रा बैंक के राष्ट्रीयकरण का वर्ष

Our Progress at a Glance

(₹ Crore)

Year / Parameters	1969 *	1980 **	Mar-15	Mar-16	Mar-17	Mar-18	Mar-19	Mar-20
No of Branches	155	627	2507	2803	2908	2911	2885	2874
No of Business Delivery Channels	155	754	4782	6477	6875	6958	6687	6671
Staff Strength	2163	7585	18525	18656	19383	19921	20346	20364
Net Profit	0.06	1	638	540	174	-3412	-2786	-1324
Total Deposits	52	666	155012	174302	195441	208070	219821	212609
Net Advances #	35	356	125955	130788	136846	164534	158823	157742
Investments $	16	170	46719	54152	60130	66162	62953	63096
Capital	0.5	1	603	681	681	1199	2884	3096
Reserves & Surplus	0.4	4.9	9461	10313	10686	9619	10281	9132
Working Funds	58	708	185170	199962	222126	242171	249311	243871
Priority Sector Advances	-	128	45508	54545	61690	70121	78318	76441

Net of Provisions
$ Pre – Depreciation
* Year of Nationalisation of Banks
** Year of Nationalisation of Andhra Bank

प्रमुख कार्य-निष्पादन अनुपात

	मार्च 2020 (%)	मार्च 2019 (%)	मार्च 2018 (%)
पूंजी पर्याप्तता			
1. (सीआरएआर) - बासेल III	11.12	13.68	11
2. व्याप्ति अनुपात	1.88	0.33	-2.35
3. कुल निवल मालियत का निवल एनपीए	104.89	91.93	174.95
आस्ति गुणवत्ता			
1. कुल निवेश के लिए सरकारी प्रतिभूति	11.12	13.68	11
2. निवल अग्रिम से निवल एनपीए	1.88	0.33	-2.35
3. कुल परिसंपत्तियों से तुलनपत्रेतर मद	104.89	91.93	174.95
4. कुल अग्रिम से मानक अग्रिम	11.12	13.68	11
5. कुल परिसंपत्तियों से निवल एनपीए	1.88	0.33	-2.35
प्रबंधन गुणवत्ता			
1. समग्र जमाराशियों से सकल बैंक ऋण	84.03	81.29	79.1
2. कुल परिसंपत्ति में वृद्धि	-2.18	2.95	9.02
3. औसत उत्पादकता (₹ लाख)	1921	1893	1739.7
4. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख)	-7.9	-13.24	-17.13
उपार्जन			
1. कुल आय से ब्याजेतर आय	12.18	9.75	11.66
2. परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-0.5	-1.09	-1.46
3. निवल ब्याज मार्जिन	3.32	3.31	3.33
4. आय के लिये लागत का अनुपात	47.67	42.61	38.43
5. कर्मचारी लागत / (निवल ब्याज आय + अन्य आय)	31.99	25.61	21.33
6. अग्रिम पर औसत प्रतिफल	8.55	8.54	8.84
7. कूपन आधारित निवेश पर औसत प्रतिफल	7.51	7.47	7.5
8. औसत कार्यशील निधि से परिचालनगत लाभ	1.91	1.97	2.3
चलनिधि			
1. कुल परिसंपत्ति से सरकारी प्रतिभूति	23.63	23.06	24.39
2. कुल परिसंपत्ति से नकदी	0.50	0.39	0.47
3. कुल परिसंपत्ति से कुल निवेश	25.87	25.25	26.74

Key Performance Ratios

	March 2020 (%)	March 2019 (%)	March 2018 (%)
Capital Adequacy			
1. (CRAR) – Basel III	11.12	13.68	11
2. Coverage Ratio	1.88	0.33	-2.35
3. Net NPAs to Net Worth	104.89	91.93	174.95
Asset Quality			
1. Govt. Securities to Total Investments	11.12	13.68	11
2. Net NPAs to Net Advances	1.88	0.33	-2.35
3. Off Balance Sheet Items to Total Assets	104.89	91.93	174.95
4. Standard Advances to Total Advances	11.12	13.68	11
5. Net NPAs to Total Assets	1.88	0.33	-2.35
Management Quality			
1. Gross Bank Credit to Aggregate Deposit	84.03	81.29	79.1
2. Growth in Total Assets	-2.18	2.95	9.02
3. Average Productivity (Rs Lakhs)	1921	1893	1739.7
4. Profit per Employee (Rs Lakhs)	-7.9	-13.24	-17.13
Earnings			
1. Non Interest Income to Total Income	12.18	9.75	11.66
2. Return on Assets	-0.5	-1.09	-1.46
3. Net Interest Margin	3.32	3.31	3.33
4. Ratio of Cost to Income	47.67	42.61	38.43
5. Staff Cost / (Net Interest Income + Other Income)	31.99	25.61	21.33
6. Average Yield on Advances	8.55	8.54	8.84
7. Average Yield on Coupon Based Investments	7.51	7.47	7.5
8. Operating Profit to Average Working Funds	1.91	1.97	2.3
Liquidity			
1. Govt. Securities to Total Assets	23.63	23.06	24.39
2. Cash to Total Assets	0.50	0.39	0.47
3. Total Investments to Total Assets	25.87	25.25	26.74

शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या समूह वार

क्र. सं.	क्षेत्र / राज्य / के.प्र.	मार्च 19 के अंत तक शाखाएं	2019-20 के दौरान खुली शाखाएं	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	नगरीय	मार्च 20 के अंत में शाखाएं
(क)	**उत्तरी क्षेत्र**	**312**	**0**	**47**	**76**	**96**	**93**	**312**
1	हरियाणा	88	0	13	25	45	5	88
2	हिमाचल प्रदेश	5	0	0	4	1	0	5
3	पंजाब	73	0	20	27	17	9	73
4	राजस्थान	68	0	13	19	23	13	68
5	चंडीगढ़ (केप्र)	9	0	1	0	8	0	9
6	नई दिल्ली	66	0	0	0	0	66	66
7	जम्मू व कश्मीर	3	0	0	1	2	0	3
(ख)	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	**11**	**0**	**1**	**1**	**9**	**0**	**11**
1	असम	9	0	1	1	7	0	9
2	मेघालय	1	0	0	0	1	0	1
3	त्रिपुरा	1	0	0	0	1	0	1
(ग)	**पूर्वी क्षेत्र**	**316**	**0**	**101**	**83**	**93**	**38**	**315**
1	बिहार	47	0	9	6	18	13	46
2	झारखंड	26	0	5	7	8	6	26
3	ओडिशा	181	0	77	62	42	0	181
4	सिक्किम	1	0	0	0	1	0	1
5	पश्चिम बंगाल	61	0	10	8	24	19	61
(घ)	**मध्य क्षेत्र**	**205**	**0**	**20**	**33**	**77**	**75**	**205**
1	छत्तीसगढ़	30	0	2	11	11	6	30
2	मध्य प्रदेश	45	0	2	6	15	22	45
3	उत्तर प्रदेश	115	0	15	12	41	47	115
4	उत्तराखंड	15	0	1	4	10	0	15
(ङ)	**पश्चिमी क्षेत्र**	**199**	**0**	**9**	**32**	**44**	**114**	**199**
1	गोआ	4	0	0	4	0	0	4
2	गुजरात	67	0	5	7	21	34	67
3	महाराष्ट्र	127	0	4	20	23	80	127
4	दादरा नगर	1	0	0	1	0	0	1
5	हवेली(केप्र)	0	0	0	0	0	0	0
(च)	**दक्षिणी क्षेत्र**	**1842**	**0**	**569**	**538**	**333**	**392**	**1832**
1	आन्ध्र प्रदेश	921	0	356	282	191	85	914
2	तेलंगाना	577	0	177	157	59	182	575
3	करनाटक	121	0	12	14	29	65	120
4	केरल	39	0	0	19	20	0	39
5	तमिलनाडु	180	0	24	63	33	60	180
6	पुदुचेरी (केप्र)	4	0	0	3	1	0	4
	कुल	**2885(4)**	**0**	**747**	**763**	**652**	**712**	**2874**

* कोष्ठक में निहित आँकड़ों का तात्पर्य विस्तार काउंटर से है

Classification of Branches - Population Group Wise

Sl No	Region/State/U.T	Brs as at the end on Mar'19	Branches Opened during 2019-20	Rural	Sumi-urban	Urban	Metro	Brs at the end of Mar'20
(A)	**Northern Region**	**312**	**0**	**47**	**76**	**96**	**93**	**312**
1	Haryana	88	0	13	25	45	5	88
2	Himachal Pradesh	5	0	0	4	1	0	5
3	Punjab	73	0	20	27	17	9	73
4	Rajasthan	68	0	13	19	23	13	68
5	Chandigarh(UT)	9	0	1	0	8	0	9
6	New Delhi	66	0	0	0	0	66	66
7	Jammu & Kashmir	3	0	0	1	2	0	3
(B)	**North Eastern Region**	**11**	**0**	**1**	**1**	**9**	**0**	**11**
1	Assam	9	0	1	1	7	0	9
2	Meghalaya	1	0	0	0	1	0	1
3	Tripura	1	0	0	0	1	0	1
(C)	**Eastern Region**	**316**	**0**	**101**	**83**	**93**	**38**	**315**
1	Bihar	47	0	9	6	18	13	46
2	Jharkhand	26	0	5	7	8	6	26
3	Odisha	181	0	77	62	42	0	181
4	Sikkim	1	0	0	0	1	0	1
5	West Bengal	61	0	10	8	24	19	61
(D)	**Central Region**	**205**	**0**	**20**	**33**	**77**	**75**	**205**
1	Chattisgarh	30	0	2	11	11	6	30
2	Madhya Pradesh	45	0	2	6	15	22	45
3	Uttar Pradesh	115	0	15	12	41	47	115
4	uttarkhand	15	0	1	4	10	0	15
(E)	**Western Region**	**199**	**0**	**9**	**32**	**44**	**114**	**199**
1	Goa	4	0	0	4	0	0	4
2	Gujarat	67	0	5	7	21	34	67
3	Maharashtra	127	0	4	20	23	80	127
4	Dadra Nagar	1	0	0	1	0	0	1
5	Haveli(UT)	0	0	0	0	0	0	0
(F)	**Southern Region**	**1842**	**0**	**569**	**538**	**333**	**392**	**1832**
1	Andhra Pradesh	921	0	356	282	191	85	914
2	Telangana	577	0	177	157	59	182	575
3	Karnataka	121	0	12	14	29	65	120
4	Kerala	39	0	0	19	20	0	39
5	Tamilnadu	180	0	24	63	33	60	180
6	Puducherry (UT)	4	0	0	3	1	0	4
	Total	**2885(4)**	**0**	**747**	**763**	**652**	**712**	**2874**

* Figures in Bracket Indicates Extension Counters

निदेशकों की रिपोर्ट :

हम 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक के निदेशकों की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ।

प्रबन्धन की चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक अवलोकन

वर्ष 2019-20 में, एक दशक पहले वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक विकास ने सबसे कमजोर गति दर्ज की, जोकि पिछले वर्ष 3.6% की तुलना में वर्ष 2019 में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। व्यापार बाधाओं में वृद्धि और संबंधित अनिश्चितता से व्यापार की भावना और विश्व स्तर पर गतिविधि पर भार पड़ा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ उभरती और विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाएं, दोनों ही धीमी हो गईं।

वित्तीय वर्ष के अंत में, कोविड -19 के कारण उभरी गहरी निराशा से वैश्विक विकास पर असर पड़ा है। महामारी के कारण लॉकडाउन से देशों में आपूर्ति-पक्ष विघटन में रिकॉर्ड गिरावट के कारण विनिर्माण और सेवाओं के प्रमुख सूचकांक में गिरावट देखे गए। मार्च 2020 में वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में गिरावट, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अचानक बेची गई इक्विटी और डेब्ट, जो बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों में गिरावट और बांड प्रतिफल में दबाव का कारण बना। सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अभूतपूर्व राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2020 में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था उभरते बाजार तथा विकाशसील अर्थव्यवस्था से अधिक सिकुड़ जाने के साथ वैश्विक उत्पादन 3 प्रतिशत तक सीमित हो जाने की संभावना जताई है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर देखें तो कोविड -19 महामारी की शुरुआत से पहले भी, देश को मंदी का सामना करना पड़ रहा था। वित्त वर्ष 2020 में देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4.2% है जोकि वित्त वर्ष 19 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.1% की तुलना में कम था। कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के कारण वित्तीय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार और आरबीआई द्वारा क्रमश: कई राजकोषीय और मौद्रिक कार्रवाई की शुरुआत की गई।

नीतिगत मोर्चे पर, इस वर्ष में सरकार और नियामक द्वारा कई उपाय किए गए। सरकार की ओर से, मेगा समामेलन का कार्य किया गया और 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को 4 बड़ी संस्थाओं में समामेलित किया गया, और दि. 01.04.2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के साथ आपके बैंक का देश के 5 वें सबसे बड़े बैंक के रूप में पदार्पण हुआ । इसी तरह, नियामक मोर्चे पर, सभी खुदरा क्षेत्र में बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड दरों (ईबीएलआर) की शुरूआत से मौद्रिक हस्तांतरण में वृहत सुधार हुआ।

समामेलन :

पीएसबी में प्रमुख सुधार की शुरुआत करते हुए, वित्त वर्ष 2020 में मेगा समामेलन किया गया। तदनुसार, 10 पीएसबी को 4 बैंकों में समामेलित किया गया। इस पहल के अंश के रूप में, आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित किया गया तथा दिनांक 01.04.2020 से, समामेलित इकाई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में देश का 5 वाँ सबसे बड़ा बैंक बन गया। समामेलन अभ्यास का उद्देश्य लागत युक्तिकरण और तकनीकी आत्मसात के आधार पर बढ़े हुए शाखा नेटवर्क, ग्राहक आधार और तालमेल से पैमाने और दायरे को अर्थव्यवस्थाओं के साथ फिर से जोड़ना है। समामेलन के बाद, बैंक 9500 से अधिक शाखाओं, 13300 से अधिक एटीएम, 75,000 से अधिक कर्मचारी और 120 मिलियन से अधिक ग्राहक आधार के साथ और अधिक मजबूत हो जाएगा। समामेलन ग्राहक सेवा, उत्पादकता में सुधार के लिए बैंकों के बीच सर्वोत्तम कार्य-प्रणाली को अपनाने के लिए भी प्रेरणा प्रदान करेगा, जिससे उच्च लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें

व्यापार : 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 3,91,264 करोड़ रहा जोकि दि. 31.03.2019 को ₹ 3,98,511 करोड़ था।

जमाराशि : बैंक की कुल जमाराशि दि. 31.03.2020 को ₹ 2,12,609 करोड़ रही, जोकि दि. 31.03.2019 को ₹ 2,19,821 करोड़ थी। कुल जमाराशियों में कासा जमा (चालू और बचत) का अंश 34.55% रहा।

- 10.78% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए दि. 31.03.2019 को ₹ 10,230 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2020 को चालू जमा ₹ 11,333 करोड़ रहा ।
- बचत बैंक जमा दि. 31.03.2019 को ₹ 58,768 करोड़ था जो 5.71% की दर से बढ़कर दि. 31.03.2020 को ₹ 62,121 करोड़ रहा ।
- मीयादी जमा दि.31.03.2019 को ₹ 1,50,823 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2020 को ₹ 1,39,155 करोड़ रहा।

अग्रिम : सकल बैंक ऋण दि. 31.03.2019 को रु 1,78,690 करोड़ की तुलना में दि.31.03.2020 को ₹ 1,78,655 करोड़ रहा।

- कृषि क्षेत्र को ऋण (आरआईडीएफ व गैर-प्राथमिकता शामिल) दि. 31.03.2019 को ₹ 36,961 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2020 को ₹ 37,673 करोड़ रहा।
- एमएसएमई पोर्टफोलियो दि. 31.03.2019 को ₹ 32,876 करोड़ की तुलना में दि.31.03.2020 को ₹ 29,834 करोड़ रहा।
- खुदरा ऋण पोर्टफोलियो दि. 31.03.2019 को ₹ 40,985 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2020 को ₹ 43,614 करोड़ रहा।

अग्रिम पोर्टफोलियो वर्गीकरण

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	31.03.19	31.03.20	अंतर
1. खाद्य ऋण	834	1046	25.42%
2. गैर खाद्य ऋण (2.1 से 2.4)	177856	177609	-0.14%
2.1 कृषि अग्रिम	36961	37673	1.93%
2.2 एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम	32876	29834	-9.25%
2.3 खुदरा ऋण (डीएल सहित)	40985	43614	6.41%
2.4 बड़े उद्योग तथा अन्य अग्रिम	67034	67533	0.75%
सकल बैंक जमा (1+2)	**178690**	**178655**	**-0.02%**
इसमें से प्राथमिक क्षेत्र को ऋण	78318	76441	-2.40%

निम्न सारणी में दि. 31.03.2020 को कुल जमाराशि तथा अग्रिमों का क्षेत्र-वार वितरण दर्शाया गया है (रुपए करोड़ों में)

क्र सं	शाखाओं की श्रेणी	जमाराशि 31.03.20	कुल का %	अग्रिम 31.03.20	कुल का %
1	ग्रामीण	16815	7.91%	22540	12.62%
2	अर्ध-शहरी	31133	14.65%	28004	15.68%
3	शहरी	47551	22.37%	29722	16.64%
4	मेट्रो	117045	55.07%	98338	55.06%
5	**कुल (1+2+3+4)**	**212545**	**100.00%**	**178605**	**100.00%**

लाभप्रदता :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की कुल आय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 20,977 करोड़ की तुलना में ₹ 22,527 करोड़ रहा। बैंक की गैर-ब्याज आय ₹ 2743 करोड़ रहा । परिचालन लाभ पिछले वर्ष ₹ 5023 करोड़ की तुलना में ₹ 5093 करोड़ रहा। तथापि पुराने हो गए/एनपीए के काल प्रभाव में एनपीए के प्रति उच्चतर प्रावधान के कारण बैंक की वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 2786 करोड़ की निवल हानि की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 हेतु निवल हानि ₹ 1324 करोड़ रही। बैंक की कुल ब्याज आय पिछले वर्ष के दौरान ₹ 18932 करोड़ की तुलना में ₹ 19,784 करोड़ रही। इनमें से अग्रिमों से ब्याज आय वर्ष 2018-19 में ₹ 14,173 करोड़ थी जो 7.43% की दर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 15,226 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 में निवेश से ब्याज आय ₹ 4,396 करोड़ रहा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय ₹ 17,435 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹ 15,954 करोड़ था। ब्याज व्यय 2018-19 में ₹ 12,224 करोड़ था जो 4.68 % की दर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 12,795 करोड़ हुआ। परिचालन व्यय ₹ 4,639 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष से 24.37% अधिक दर्ज किया गया ।

राजस्व, व्यय और लाभप्रदता की प्रमुख बातें -

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	समग्र वृद्धि	% वृद्धि
कुल ब्याज आय	18932.22	19784.18	851.96	4.50%
कुल ब्याज व्यय	12223.99	12795.49	571.5	4.68%
निवल ब्याज आय	6708.23	6988.69	280.46	4.18%
अन्य आय	2045.04	2742.94	697.90	34.13%
निवेश की बिक्री पर लाभ	83.72	730.75	647.03	772.85 %
मूल अन्य आय	1961.32	2012.19	50.87	2.59%
परिचालनिक व्यय	3730.15	4639.03	908.88	24.37%
परिचालनिक लाभ	5023.12	5092.60	69.48	1.38%
प्रावधान और आकस्मिकताएं	7809.24	6416.73	-1392.51	-17.83%
निवल लाभ	**-2786.12**	**-1324.13**	**1461.99**	**-52.47%**

विनियोजन : विभिन्न प्रावधान के बाद, वर्ष 2019-20 के लिए निवल हानि का आकलन ₹1,324.13 करोड़ पर किया गया। लाभ हानि खाते में आगे लाया गया शेष ₹-6,253.12 करोड़ है। विनियोजन निम्नानुसार है ।

(₹ करोड़ में)

विनियोजन	2018-19	2019-20
निवल लाभ से विनियोजन	**-2786.12**	**-1324.13**
आगे लाया गया शेष	**-3463.08**	**-6253.12**
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण	0.98	96.53
पूंजीगत आरक्षित निधियों में अंतरण	2.94	289.58
राजस्व आरक्षित निधियों में अंतरण	0	0
विशेष आरक्षित निधियों में अंतरण	0	0
प्रस्तावित लाभांश में अंतरण (लाभांश कर सहित)	0	0
तुलन पत्र को आगे ले जाया गया लाभ	-6253.12	-7963.36

प्रमुख वित्तीय अनुपात : निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम) पिछले वर्ष 3.31% की तुलना में 3.32% रहा। आय के प्रति लागत अनुपात पिछले वर्ष 42.61% की तुलना में 47.67% रहा। प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) - ₹ 4.43 और प्रति शेयर बही मूल्य (बीपीएस) ₹ 23.92 रहा। दि. 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सकल अग्रिम के प्रति सकल अनर्जक आस्ति 16.07% रहा और निवल अग्रिम के प्रति निवल अनर्जक आस्ति 4.92% रहा।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

मापदंड	31.03.2019	31.03.2020
अग्रिम पर प्रतिफल (%)	8.54%	8.55%
जमा की लागत (%)	5.53%	5.59%
निवल ब्याज मार्जिन (%)	3.31%	3.32%
निधि पर प्रतिफल (%)	7.44%	7.43%
निधियों की लागत (%)	4.80%	4.81%
लागत-से-आय अनुपात (%)	42.61%	47.67%
सीआरएआर - बेसल III (%)	13.68%	11.12%
संपत्ति पर प्रतिलाभ (%)	-1.09%	-0.50%
प्रति शेयर आय (₹)	-19.01	-4.43
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	34.29	23.92
निवल एनपीए (%)	5.73%	4.92%
सकल एनपीए (%)	16.21%	16.07%

पूंजी और निवल मालियत

(करोड़ ₹ में)

मानदंड	31.03.2019	31.03.2020
इक्विटी पूंजी	2884.49	3,095.54
अधिशेष प्रारक्षिती	10280.64	9,132.36
बैंक का निवल मालियत (मूर्त)	9889.48	7403.14

मालियत पर प्रतिलाभ : मालियत पर प्रतिलाभ में दिनांक 31.03.2019 को -0.28 की तुलना में दिनांक 31.03.2020 को -0.18 का सुधार हुआ है। परिवर्तनों के कारण निम्नानुसार हैं:

क.) वर्ष दर वर्ष हानि में वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 2,786.13 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2019-20 में ₹ 1,324.13 करोड़ की गिरावट।

ख) दि. 04.03.2020 को भारत सरकार द्वारा ₹ 200 करोड़ और दि. 24.04.2019 को ईएसपीएस के माध्यम से ₹ 256.80 करोड़ की पूंजी का अंत: प्रवाह ।

ग) दि. 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त टियर-I स्थायी बेसल III अनुपालन बॉण्ड के लिए ₹ 70.64 करोड़ ब्याज हेतु सांविधिक आरक्षित से आहरण द्वारा कमी ।

परिचालन लाभ मार्जिन (%) : तत्काल विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में परिचालन लाभ मार्जिन (%) में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं।

निवल लाभ मार्जिन (%) : निवल लाभ मार्जिन (%) दि. 31.03.2019 को -13.28% की तुलना में सुधार होकर दि. 31.03.2020 को संशोधित होकर -5.88% हो गया। लाभप्रदता में सुधार के कारण इस प्रकार हैं:

1) एनपीए के लिए प्रावधान वित्त वर्ष 2019-20 में ₹1,218 करोड़ की कमी।

2) वित्त वर्ष 2019-20 में निवेश पर मूल्यह्रास में रू.100 करोड़ की कमी आई।

3) वित्त वर्ष 2019-20 में अग्रिमों पर ब्याज में ₹ 1,054 करोड़ की वृद्धि हुई।

पूंजी पर्याप्तता :भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में बेसल III दिशानिर्देशों को 1 अप्रैल, 2013 से लागू करना है। तदनुसार, बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता का आकलन बेसल III के विनिर्दिष्टियों के अनुरूप कर रहा है।बैंक की कुल पूंजीगत निधि 31 मार्च, 2020 को ₹14,688.49 करोड़ और पूँजी पर्याप्तता अनुपात 11.12% पर है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंड 10.875% से अधिक है।

सीआरएआर की स्थिति	31 मार्च 2020 (बेसल III)
सीईटी 1	6.49%
एटी I	1.67%
कुल टियर- I	8.16%
टियर II	2.96%
कुल सीआरएआर	11.12%

प्राथमिकता क्षेत्र उधार: दि.31.03.2020 कोबैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 76441 करोड रहा, 2.40% (वर्षानुवर्ष) नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की।मार्च 2019 में समग्र कमी ₹ 1877 करोड़ रही। पीएसएलसी(प्राथमिक क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र) घटाने के बाद प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम ₹ 64931 करोड़ रही। बैंक ने वि.वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से पीएसएलसी सामान्य / एसएफ एमएफ का ₹15310 करोड़ निवल बिक्री की है और पीएसएलसी / आईबीपीसी से ₹152.74 करोड़ प्रीमियम / कमीशन अर्जित किया है।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

(करोड़ ₹)

श्रेणी	2019-20
1. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (2 से 7)	76441
2. कृषि-प्राथमिकता (2.1 + 2.2)	34925
2.1 कृषि ऋण-प्राथमिकता	34140
2.2 पात्र निवेश (आरआईडीएफ)	785
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	29834
3.1 सिडबी एवं मुद्रा में योग्य निवेश	281
4. शिक्षा ऋण	1576
5. आवास ऋण (एनएचबी में अप्रत्यक्ष वित्त और निवेश शामिल है)	10072
5.1 एनएचबी में पात्र निवेश	148
6. सामाजिक अवसंरचना	8
7. नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य	26
8. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (पीएसएलसी घटाने के बाद)	64931
8.1 पीएसएलसी बिक्री (सामान्य + एसएफ / एमएफ)	15310
8.2 सूक्ष्म उद्यमों की खरीद	1800
8.3 समान्य खरीद	2000
9. कृषि-प्राथमिकता (पीएसएलसी घटाने के बाद)	28525
9.1 पीएसएलसी बिक्री (एसएफ / एमएफ) / कृषि	6400

सांविधिक प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य उप लक्ष्य और उपलब्धियां 2019-20 (वार्षिक- तिमाही औसत आधार पर)	लक्ष्य	उपलब्धियां
I. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (एएनबीसी का %)	40.00	40.09%
II. कृषि ऋण (एएनबीसी का %)	18.00	18.19%
III. लघु और सीमांत किसान (एएनबीसी का %)	8.00	11.28%
IV. सूक्ष्म उद्योग (एएनबीसी का %)	7.50	7.51%
V. गैर-कॉरपोरेट किसानों को प्रत्यक्ष उधार (एएनबीसी का %)	12.11	14.25%
VI. कमजोर वर्ग अग्रिम (एएनबीसी का %)	10.00	14.11%

कृषि-प्राथमिकता को ऋण

- मार्च, 2020 के अंत में बैंक का कृषि अग्रिम (कृषि-प्राथमिकता) ₹ 34925 करोड़ रहा और 3.56 % (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि दर दर्ज हुई है । मार्च 2019 पर समग्र वृद्धि ₹ 1200 करोड़ रहा। कृषि प्राथमिकता अग्रिम (₹ 6400 करोड़ की पीएसएलसी एसएफ/ एमएफ और पीएसएलसी-कृषि की निवल बिक्री के बाद) ₹ 28525 करोड़ है।
- लघु और सीमांत किसानों को ऋण दि. 31.03.2020 को ₹ 1,8033 करोड़ रहा (पीएसएलसी एसएफ / एमएफ के तहत ₹ 6400 करोड़ की निवल बिक्री के बाद)
- बैंक नेदि. 31.03.2020 को ₹ 8092 करोड़ केकुल एक्सपोजर के साथ256435स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)को वित्तीय सहायता दी है।
- निवल बैंक क्रेडिट के 5% के मानदंड के प्रति दि. 31.03.2020 को महिला हिताधिकारियों को दिया गया कुल ऋण ₹ 29075 करोड़ है यानी 16.27% ।
- कमजोर वर्गों को अग्रिम (पीएसएलसी एसएफ/एमएफ के तहत ₹ 6400 करोड़ की निवल बिक्री के बाद) ₹ 22722 करोड़ रहा।

➢ दि. 31.03.2020 को, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बैंक की 335 शाखाएँ हैं। देश भर में बैंक के कुल नेटवर्क में से, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शाखाओं का प्रतिशत दि. 31.03.2020 तक 8.33% (यानी 6309 करोड़ रुपये) था।

➢ दि. 31.03.2020 को कुल कृषि अग्रिम ₹ 37673 करोड़ में से कृषि के अंतर्गत एनपीए ₹ 1879 करोड़ है जो समग्र कृषि अग्रिम का 4.99 % है, पिछले वर्ष के दौरान 4.65% था ।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

मापदंड (करोड़ रुपये में)	31.03.19	31.03.2020	वर्षानुवर्ष वृद्धि %
सूक्ष्म	11958.68	10487.05	- 1471.63
सूक्ष्म और लघु उद्यम	24628.83	22348.14	- 2280.69
कुल एमएसएमई	**32876.40**	**29834.01**	**- 3042.39**

➢ मार्च 2020 समाप्त वर्ष हेतु अति लघु अद्योगों को ऋण बैंक के कुल एएनबीसी में 7.51% (औसत) है जोकि आरबीआई द्वारा निर्धारित 7.50% के सांविधिक उप लक्ष्य से अधिक है।

➢ वर्ष 2019-20 के दौरान,शाखाओं ने 2,76,430 (2,12,054 प्र.मं.ज.ध.यो-ओवरड्राफ्ट सहित) मुद्रा ऋण मंजूर किए है, जिनकी कुल स्वीकृति सीमा 2009.78 ₹ करोड़ है और ₹ 1914.10 राशि के रूप में दि. 31.03.2020 तक संवितरित की गई है।

➢ एमएसएमई को अपने प्राप्य की विलंबित प्राप्ति की समस्या को दूर करने में सक्षम बनाने के लिए टीआरईडीएस के तहत लेन-देन बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने एमएसएमई प्र.का. विभाग के तहत विशेष टीआरईडीएस सेल की स्थापना की है।

➢ दि. 31.03.2020 तक, बैंक ने टीआरईडीएस सेल प्र.का. के माध्यम से ₹ 5.22 करोड़ की आय के साथ ₹ 259 करोड़ की राशि के 786 बिलों को भुनाया गया ।

खुदरा ऋण:बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो दि. 31.03.2019 को ₹ 40,985 करोड़ की तुलना में ₹2,628 करोड़ की वार्षिक वृद्धि के साथ दि. 31.03.2020 को ₹ 43,614 करोड़ था ।इस खंड ने वर्षानुवर्ष आधार पर 6.41% की वृद्धि दर्ज की है जिसमें जमा ऋण और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।

➢ आवास ऋण पोर्टफोलियो दि. 31.03.2019 को ₹ 20,105 करोड़ से ₹847 करोड़ की समग्र वृद्धि के साथ बढ़कर दि. 31.03.20120 को ₹ 20,951 करोड़ पर पहुंचा और 4.21% की वृद्धि दर दर्ज हुई।

➢ गैर-कृषि स्वर्ण ऋण (एनएजीएल) पोर्टफोलियो दि. 31.03.2019 को ₹ 3,062 करोड़ से बढ़कर दि. 31.03.2020 को ₹ 3,870 करोड़ रहा, ₹ 808 करोड़ की समग्र वृद्धि के साथ वर्षानुवर्ष आधार पर 26.40% वृद्धि दर्ज हुई।

➢ अन्य खुदरा ऋण पोर्टफोलियो दि. 31.03.2019 को ₹ 5,698 करोड़ से बढ़कर दि. 31.03.2020 को ₹ 7,022 करोड़ की रहा, ₹ 1,324 करोड़ की कुल वृद्धि के साथ वर्षानुसार आधार पर 23.23% वृद्धि दर्ज हुई।

अग्रिम : उद्योग वार एक्सपोजर - बैंक के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवास ऋण, एनबीएफसी, ऊर्जा, लौह एवं इस्पात, वस्त्र, आदि में ऋण एक्सपोजर हैं। शीर्ष 10 उद्योगों का एक्सपोजर दि. 31.03.2020 को पिछली तिमाही में निधि आधारित एक्सपोजर का 48.53% है, जो एक विविध ऋण पोर्टफोलियो दर्शाता है।

उद्योग वार एक्सपोजर

(करोड़ ₹ में)

क्र.	उद्योग	पिछली तिमाही के कुल अग्रिम का % के रूप में सीमा	दि. 31.03.2020 को वास्तविक निधि आधारित एक्सपोजर (ऋण + निवेश + डेरिवेटिव)	पिछली तिमाही अर्थात 31.12.2019 के कुल एक्सपोजर (ऋण + निवेश + डेरिवेटिव) का निधि आधारित एक्सपोजर
1	आवास ऋण (प्रत्यक्ष+परोक्ष)	18.00%	27797.26	14.34%
2	एनबीएफसी (एचएफसी सहित)	12.00%	19769.84	10.20%
3	ऊर्जा	12.00%	13949.06	7.20%
4	विनिर्माण और ठेकेदार	5.00%	8278.24	4.27%
5	लौह एवं इस्पात	7.00%	5766.77	2.98%
6	वस्त्र	6.00%	4693.25	2.42%
7	धान मिल	3.00%	4416.09	2.28%
8	पेट्रोलियम उत्पाद	5.00%	4020.67	2.07%
9	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	4.00%	2708.79	1.40%
10	इंजीनियरिंग	3.00%	2659.28	1.37%
	कुल		**94059.25**	**48.53%**

निवेश: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को एसएलआर प्रतिभूतियों में एनडीटीएल के 18.25% की सीमा तक निवेश करना आवश्यक है। बैंक के निवेश निर्णय जोखिम-प्रतिफल तालमेल पर आधारित होते हैं और बैंक विनियामक तथा आंतरिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है । आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) से संबंधित सांविधिक विनिर्दिष्टियों का अनुपालन और निरंतर आधार पर निगरानी की जा रही है। त्रैमासिक अंतराल पर दबाव परीक्षण और निवेश संवर्ग के प्रतिफल परीक्षण के अलावा राजकोषीय संचालन में जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया गया है, इसके अलावा दैनिक अवधि और मूल्य-पर-जोखिम (वीएआर) की दैनिक निगरानी भी की जाती है। बाँड और डिबेंचर संवर्ग के बाहरी रेटिंग परिवर्तन पर भी तिमाही आधार पर नजर रखी जा रही है।

दि. 31.03.2020 को, निवेश (मूल्यह्रास को घटाकर) में 2.58% की कमी आई और दि. 31.03.2019 को ₹ 62853.09 करोड़ से घटकर ₹ 61331.17 करोड़ हुआ। दि. 31.03.2020 को एसएलआर ₹ 44238.66 करोड़ था, जो कि निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 19.41% है। निवेश से ब्याज आय 2018-19 में ₹ 4558.053 करोड़ की तुलना में 2019-20 में घटकर ₹ 4358.10 करोड़ रहा। निवेश की बिक्री पर लाभ 2019-20 के दौरान ₹ 730.75 करोड़ रहा जबकि 2018-19 के दौरान यह ₹ 83.72 करोड़ था।

निवेश का वर्गीकरण

(₹ करोड़)

ब्यौरा		वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	अंतर (%)
1.	सरकारी प्रतिभूति	57479.76	57620.02	0.24
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	0.00	0.00	0.00
3.	शेयर	515.17	346.30	-32.78
4.	डिबेंचर और बॉंड	2512.22	2280.76	-9.21
5.	सहायक तथा/अथवा संयुक्त उद्यम	359.16	360.18	0.28
6.	अन्य (एमएफ़/वीसीएफ़/एसआर)	2086.78	723.91	-65.31
कुल (1 से 6)		62953.09	61331.17	-2.58

कार्यनीतिक निवेश

- **बीमा में संयुक्त उद्यम:** इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 19.06.2008 बैंक ऑफ बड़ौदा, आन्ध्रा बैंक और यूके के लीगल एंड जनरल इनश्योरेंस द्वारा क्रमशः 44%, 30% तथा 26% की हिस्सेदारी से साथ निगमित किया गया। कार्मल पॉइंट इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूके के लीगल एंड जनरल इनश्योरेंस ("एल एवं जी'') से 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। जीवन बीमा उद्यम में हमारा निवेश ₹ 187.50 करोड़ है। संयुक्त उद्यम ने दि. 16.11.2009 को कारोबार प्रारंभ किया ।
- **मलेशिया में बैंकिंग सहायक संस्था :** मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) को मलेशिया में दि. 13.08.2010 को बैंक ऑफ बड़ौदा, आन्ध्रा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा क्रमशः 40%, 25% और 35% की हिस्सेदारी के साथ निगमित किया गया। उद्यम में बैंक की हिस्सेदारी 25% है, जो आरएम की कुल अभिदत्त पूंजी 330 मिलियन (दि. 31.03.2020 को लगभग ₹ 578.00 करोड़ @ 1 आरएम = ₹ 17.5150) में आरएम 82.50 मिलियन (बही मूल्य 143.28 करोड़ रुपये) है । संयुक्त उद्यम ने दि. 11.07.2012 को कारोबार शुरू किया।

राजकोष तथा विदेशी मुद्रा व्यवसाय : बैंक एक ञअधिकृत डीलरट है, जो बैंक की 57 नामित ञ्बीट श्रेणी शाखाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार करता है। देश जोखिम, विनिमय जोखिम और अन्य विदेशी विनिमय जोखिमों के प्रबंधन के लिए आवश्यवक व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जोखिम श्रेणी में एकल देश जोखिम सीमा और देशों के समूह के लिए समग्र जोखिम सीमा तय है और दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

- बैंक ने विदेशी मुद्रा मेंवित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 37,733 करोड़ की तुलना मेंवित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 31,982 करोड़ व्यापारी कारोबार दर्ज किया।
- विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 308.19 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 270.97 करोड़ है ।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 11,44,818 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 10,72,145 करोड़ अंतर-बैंक कारोबार दर्ज किया।
- बैंक का निर्यात वित्त दि. 31.03.2019 को ₹ 3,742 करोड़ रुपये की तुलना में दि. 31.03.2020 को ₹ 3,434 करोड़ रहा।

क्रेडिट कार्ड व्यवसाय: हमारा बैंक सन् 1981 से जारीकर्ता और अधिकरणकर्ता (व्यापारी व्यवसाय) दोनों में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में अग्रणी है। मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में हमारा कार्ड 3,01,234 आधार से बढ़कर 3,03,962 कार्ड आधार हो गया है। क्रेडिट कार्ड की कुल देय राशि 31 मार्च 2019 को ₹ 443.64 करोड़ से बढ़ कर मार्च 31.03.2020 को ₹ 462.91 करोड़ हो गयी है। क्रेडिट कार्ड का कारोबार मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में ₹ 1,690.34 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में ₹ 1,774.75 रहा। मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में ₹ 62.43 करोड़ की तुलना में 5.91% की वृद्धि दर से मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में प्रभाग का निवल लाभ ₹ 66.12 करोड़ रहा।

व्यापार बैंकिंग सेवाएं

बैंक का सेबी के साथ निम्नलिखित दो पंजीकरण है:

डिबेंचर ट्रस्टी

निर्गम के लिए बैंकर

बैंक श्रेणी -I व्यापारी बैंकर या डिबेंचर न्यास के रूप में कोई भी कार्यकलाप नहीं कर रहा है और मर्चेंट बैंकिंग पंजीकरण सन् 2017-18 में अभ्यर्पित कर दिया था।बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, मुंबई के साथ समन्वय कर बैंक, इक्विटी और लाभांश संबंधित बैंक के शेयरधारकों का अनुरोध एवं शिकायतों का निवारण कर रहा है।

बैंक के लिए इक्विटी पूंजी में वृद्धि: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार से इक्विटी पूंजी के तहत 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक ने दस करोड़ इक्विटी शेयरों को पात्र कर्मचारियों को आन्ध्रा बैंक कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के तहत ₹ 19.60 रियायती कीमत प्रति शेयर की दर से आबंटन के माध्यम से ₹192.60 करोड़ भी जुटाए हैं। उक्त शेयर 24.04.2019 को आबंटित किए गए है।

बैंक की ऋण पूंजी में वृद्धि:वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने कोई ऋण बॉण्ड जारी नहीं किया है।

बैंक की ऋण बॉण्डों और जमा राशि प्रमाण पत्र की रेटिंग : बैंक द्वारा जारी ऋण बॉण्ड और सीडी की रेटिंग हेतु बैंक, मैसर्स केअर रेटिंग्स इंडिया लिमिटेड, मैसर्स केयर रेटिंग्स इंडिया लिमिटेड और मैसर्स क्रिसिल लिमिटेड की सेवाओं का लाभ उठा रहा है।

बैंक द्वारा जुटाई गई ऋण पूंजी पर वार्षिक ब्याज का भुगतान:विभाग संबंधित नियत तारीखों पर बॉण्डधारकों को वार्षिक ब्याज का भुगतान कर रहा है।

इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान:शून्य

साधारण बैठकों आयोजित करना :बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 29.07.2019 को आयोजित की गई थी और दि. 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बैंक के वार्षिक खातों को अपनाने के लिए उनकी अनुमोदन प्राप्त की गई। रू.200 करोड़ की टून के अधिमानी आधार पर भारत सरकार को शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों की अनुमेदन हेतु विभाग ने दि. 26.02.2020 को असाधारण साधारण बैठकों का आयोजन किया था।

सेबी विनियमों/दिशानिर्देशों और सूचीबद्ध विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन: बैंक ने समय-समय पर जारी सेबी विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। बैंक ने सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का अनुपालन किया है।

अदत्त/अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना : बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (जो दि. 16.10.2006 से लागू हुआ है) के संदर्भ में कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्तक या अदावी या गैर-नकदीकृत लाभांश की राशि को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया जाता है। 2019-20 के दौरान, बैंक ने 2011-12 से संबंधित अदावी/अदत्ति लाभांश राशि को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया है।

साचिविक लेखा-परीक्षा: सेबी की विनियम 24ए (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमावली, 2015 और सेबी परिपत्र दिनांक 08.02.2019 के अनुसार मैसर्स डी. हनुमंता राजू एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचीव को वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए बैंक के साचिविक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त परिपत्र में निर्धारित मामलों के अनुसार बैंक का साचिविक लेखा परीक्षा पूरे वर्ष के लिए आयोजित किया गया था और इस रिपोर्ट में अनुलग्नक के रूप में प्रदान किए गए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सचिवीय लेखा परिक्षा रिपोर्ट में इसे दिखाया गया था।

साचिविक लेखा परीक्षा फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं दी है, परंतु बैंक द्वारा पालन की जाने वाली कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धति में सुधार हेतु कुछ अवलोकन/सुझाव दिए है।

जिसका सारांश निम्नलिखित है:

- अधिनियम की धारा 9(3)(छ) के अनुसार मंडल में चार पद रिक्त हैं, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) की धारा 9(3)(ङ) और धारा 9(3)(च) के अंतर्गत एक-एक रिक्त पद है जिनका नामांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है।
- भारिबैंक और वित्त मंत्रालय के क्रमश: परिपत्रों के आधार पर बैंक की नियुक्ति समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाता है।
- वर्ष 2019-2020 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) तथा 51(1) साथ पढ़े जाने वाली धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग कर, भारिबैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों और चालू खाते खोलने हेतु जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए बैंक पर 25 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

प्रबंधन, सर्व प्रथम साचिविक लेखा-परीक्षा टीम द्वारा दिए गए टिप्पणियों, अवलोकन और सुझावों हेतु उनका आभार प्रकट करता है। राष्ट्रीयकृत बैंक होने के कारण, बोर्ड की संरचना बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा संचालित है और संबंधित अपेक्षित रिक्त पदों को केंद्र सरकार द्वारा भरा जाना है। रिक्त पदों की स्थिति भारत सरकार को नियमित आधार पर सूचित की गई थी।

बैंक-बीमा एवं शुल्क-आधारित उत्पाद : बैंक लगातार जीवन और गैर-जीवन बीमा उत्पादों, म्यूचुअल फंड उत्पादों, निक्षेपागार सेवा, प्रत्यक्ष कर, वाणिज्यिक कर, नगरपालिका कर, उपयोगिता भुगतान, भुगतान गेटवे सेवाएं, ऑटो-डेबिट सुविधाएं आदि का विपणन करके आय प्रवाह के विविधीकरण के माध्यम से गैर-ब्याज आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- **जीवन बीमा:** बैंक ऑफ बड़ौदा और यूके के लीगल एंड जनरल ग्रुप पीएलसी के साथ मिलकर इंडिया फर्स्ट लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी बनाई गई है और इसे औपचारिक रूप से मार्च 2010 में प्रारंभ किया गया था। अब मैसर्स कारमेल पाइंट इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने 2018-19 में लीगल एंड जनरल ग्रुप की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹210.89 करोड़ का कुल नया व्यवसाय प्रीमियम (खुदरा और समूह व्यवसाय सहित) जुटाया गया था। दि. 31.03.2020 को नवीकरण प्रीमियम ₹381.95 करोड़ एकत्र किया गया। बैंक ने जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री से ₹ 24.32 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।
- **गैर-जीवन बीमा:** बैंक ने समान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा के लिए मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लिमिटेड और समान्य बीमा के लिए मेसर्स रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड के साथ और स्वास्थ्य बीमा हेतु मैसर्स मनीपालसिगना इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ भी गठबंधन किया है।वर्ष के दौरान बैंक ने ₹242.94 करोड़ का प्रीमियम जुटाया है और सामान्य बीमा के तहत ₹36.48 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।
- **पेमेंट गेटवे और म्यूचुअल फंड:**बैंक 12 पेमेंट गेटवे और 11 म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ गठबंधन किया है।बैंक ने ₹1.61 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।
- **शुल्क आधारित आय:** बैंक ने ₹ 237.14 करोड़ शुल्क आधारित आय अर्जित की है।
- **निक्षेपागार सेवा:** बैंक 'एबी डीमैट' के ब्रांड नाम के अंतर्गत जनता को निक्षेपागार सेवा दे रहा है। बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ निक्षेपागार सहभागी (डीपी) है। बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में 190 डीमैट खाते खोले हैं और ₹ 42.28 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

आईटी पहल:वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार के लिए निम्नलिखित आईटी पहल की हैं:

- एफईबीए - फिनैकल ई बैंकिंग एप्लीकेशन - नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं: खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों हेतु आधार मैपर स्थिति सुविधा सक्षम किया गया है। यह सुविधा एनपीसीआई से मैप किए आधार संख्या के साथ बैंक का नाम उपलब्ध करती है । इसके लिए पूर्व-आवश्यक है कि, मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ग्राहकों के आधार संख्या को ग्राहक मास्टर में फीड किया जाना चाहिए। परिवर्धन को पंजीकृत मोबाइल के द्वारा ओटीपी के साथ सत्यापित किया जाता है।
- मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन (यूपीआई): गिफ्ट कार्ड, कूपन और रिचार्ज की खरीद के लिए है आन्ध्रा बैंक वन यूपीआई एंड्रॉइड ऐप्लिकेशन मैसर्स एमएसईडब्ल्यूए एपीआई के साथ एकीकृत है। यह ऐप्लिकेशन दि. 19 मार्च 2020 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।
- केसीसीएफआई (मत्स्य पालन) और केसीसीएएच (पशुपालन) योजनाओं और संबंधित रिपोर्टिंग प्रारूपों के लिए ब्याज अनुदान प्रदान करना : वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने मत्स्य और पशुपालन किसानों के लिए ब्याज अनुदान में प्रदान किया है (2 लाख तक)। डीआईटी ने मत्सय और

पशुपालन में केसीसी खातों को समिल्लित कर व्याज अनुदान प्रक्रिया प्रवाह तैयार किया है।

➢ एसएमएस अलर्ट के माध्यम से आवेदन जमा करने पर उधारकर्ता को आवेदन की स्थिति का ज्ञान: डीआईटी ने आवेदन प्राप्ति तिथि, उधारकर्ता का नाम, ऋण राशि, आवेदन की स्थति आदि क्षेत्रों को ग्रहण करने हेतु सीबीएस में नवीन मेनू LOANMIS तैयार किया। ऋण आवेदन में दिए गए उधारकर्ता के मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। आवेदन की प्रविष्टि प्रक्रिया पूर्ण होने तथा आवेदन के अनुमोदन/अस्वीकृति चरण में एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा।

➢ एनपीसीआई एपीआई सेवाएं जैसे खाता सूचना निकालना, पैन कार्ड सीडिंग जांच, एनपीसीआई मैपर में आधार सीडिंग : एनएसीएच संबंधित कार्यकलापों के संदर्भ में बैंक/शाखा स्तर पर बेहतर ग्राहक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एपीआई के रूप में एनपीसीआई ने बैंक को कुछ मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान की हैं। एनपीसीआई द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित एपीआई ई-एबी द्वारा लागू किया गया है:

- निविष्ट के रूप में दिए गए खाता संख्या द्वारा "पैन" प्राप्त करना
- खाता स्थिति प्राप्त करना (अन्य बैंक खाते के लिए)
- खाताधारक के नाम के लिए अनुरोध (अन्य बैंक खाते के लिए)
- एनपीसीआई मैपर में आधार सीडिंग/डिसीडिंग।

नेटवर्क विस्तार: दि. 31.03.2020 को बैंक के 6671 डिलीवरी चैनल रहे, जिनमें 2874 शाखाएं, 4 विस्तार पटल और 3793 एटीएम शामिल है, जिनमें बीएनए/सीआर 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं।ग्राहक के विशिष्ट वर्गो की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की 44 विशिष्ट शाखाएं हैं।

शाखाओं की जनसंख्या समूह वार वर्गीकरण

क्र सं	वर्ग	संख्या	कुल का %
1	मेट्रो	712	24.77
2	शहरी	652	22.68
3	अर्ध शहरी	763	26.55
4	ग्रामीण	747	26.00
	कुल	**2874**	**100**

बैंक की 44 विशिष्ट शाखाएं निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विशिष्ट शाखाओं की श्रेणी	शाखाओं की संख्या।
1	विशेषीकृत एसएमई शाखाएं	17
2	विशेषीकृत कृषि वित्त शाखाएं	1
3	विशेषीकृत कृषि - हाईटेक शाखाएं	6
4	विशेषीकृत आवास वित्त शाखाएं	4
5	विशेषीकृत कार्मिक बैंकिंग शाखाएं	4
6	विशेषीकृत एनआरआई शाखाएं	1
7	कॉर्पोरेट वित्त शाखाएं	2
8	ऑटो-टेक वित्त शाखा	1
9	विदेशी शाखा	1
10	आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाएं	6
11	छोटी बी शाखा	1
	कुल	**44**

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में उपस्थिति: दि.31.03.2020 को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हमारी 335 शाखाएं हैं। दि. 31.03.2020 को देश भर में बैंक के कुल नेटवर्क में से, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शाखाओं का प्रतिशत 11.60% था।

आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास न्यास: आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास न्यास एपी (9), तेलंगाना (2), ओडिशा (2), और केरल (1) राज्यों में 14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है और किसानों, एसएचजी महिलाओं, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण, उद्यमशीलता विकास और ज्ञान का प्रसार के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। एबीआरडीटी रंगरेड्डी जिले में एक कौशल विकास संस्थान भी चला रहा है। स्थापना के बाद से, संस्थानों द्वारा 6649 कार्यक्रमों के माध्यम से 190412 उम्मीद्वारों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 78.59% प्रशिक्षित उम्मीदवार लाभकारी उपक्रमों में लगे हुए हैं। 55.08% स्थायी उम्मीदवार बैंक शाखाओं से जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, संस्थानों ने 351 कार्यक्रमों के माध्यम से 9115 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया। एमओआरडी की आरएसईटीआई योजना के तहत सभी 12 आरएसईटीआई 2018-19 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्चतम रेटिंग "एए/ए'' के साथ सम्मानित किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के लिए आन्धा बैंक को आरएसईटीआई (2रा स्थान) के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यनिषादक बैंक का पुरस्कार मिला है। दि. 19.12.2019 को एनएसीएस, पीयूएसए, नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भव्य राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री कुल भूषण जैन ने श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, भारत सरकार के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त किया। एनआईआरईडी राजम, आन्धा बैंक द्वारा प्रायोजित आरएसईटीआई में से एक जो कि श्रीकाकुलम जिला, आन्ध्र प्रदेश में स्थित है को दि. 19.12.2019 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्यनिषादक आरएसईटीआई पुरस्कार दिया गया।

गुणवत्तापरक पहलू :

जोखिम प्रबंधन: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन नोट/दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक के पास व्यापक "एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति'' है। विभाग वार्षिक आधार पर निम्नलिखित नीतियों की तैयारी और समीक्षा कर रहा है।

i. ऋण जोखिम रेटिंग पॉलिसी
ii. मॉडल जोखिम नीति
iii. ऋण जोखिम डेटा प्रबंधन पॉलिसी
iv. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
v. ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति
vi. जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण और प्रदर्शन प्रबंधन नीति।
vii. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति
viii. बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
ix. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पॉलिसी
x. एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति
xi. एकीकृत निवेश और विदेशी मुद्रा नीति

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभाग द्वारा निम्नलिखित नीतियां भी बनाई गई हैं:

1. दवाव परीक्षण नीति
2. आईसीएएपी नीति
3. प्रकटीकरण नीति
4. आउटसोर्सिंग नीति - गैर-आईटी गतिविधियाँ
5. उधारकर्ताओं की विदेशी मुद्रा जोखिमों के बचाव पर नीति।

सभी नीतियों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड और आरएमसी द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। बैंक ने सुपरिभाषित ऋण नीतिट अपनायी है, जिसे बोर्ड ने विधिवत् अनुमोदित किया है और इसमें क्रेडिट प्रस्ताव, वित्तीय प्रसंविदाएं, रेटिंग मानक और बेंचमार्क, ऋण अनुमोदन शक्तियों का प्रत्यायोजनट बड़े ऋण एक्सपोज़र पर विवेकपूर्ण सीमा, आस्ति संकेंद्रीकरण, ऋण संपार्श्विक के लिए मानक, संवर्ग प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम संकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन, ऋण का मूल्य निर्धारण, प्रावधान, नियामक/अनुपालन आदि की प्रस्तुति के लिए मानकों को निर्धारित किया है।

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम रेटिंग नीति, ऋण वसूली और एनपीए प्रबंधन नीति भी है। एक्सपोजर की विभिन्न श्रेणियों के लिए बैंक ने व्यापक जोखिम रेटिंग प्रणाली अपनायी है। बैंक ने 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी एक्सपोजर हेतु आंतरिक रेटिंग निर्धारित करने के लिए रेटिंग कक्ष की स्थापना की है। रेटिंग कक्ष शाखा/आंचलिक कार्यालय/सर्कल कार्यालय द्वारा दी गई आंतरिक रेटिंग को जाँच करता है और अंतिम रेटिंग निर्धारित करता है। रेटिंग सेल व्यापक रेटिंग कवरेज, रेटिंग प्रक्रिया की अखंडता और उचित डेटा रखरखाव सुनिश्चित करता है। बैंक क्रिसिल से उद्योग रिपोर्ट और क्रिसिल अनुसंधान से उद्योग जोखिम स्कोर सेवा का उपयोग करता है। ऋण जोखिम कक्ष मासिक आधार पर एमसीएलआर की गणना करता है।

बाजार जोखिम: बाजार जोखिम बाजार की निर्धारित दरों और कीमतों के प्रतिकूल संचलानों से होने वाले नुकसान की संभावना को दर्शाता है।बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बैंक की कमाई और इक्विटी का इस तरह के नुकसानों से बचाव और वित्तीय साधनों जैसे कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा अनुबंध, इक्विटी और व्युत्पन्न उपकरण, साथ ही तुलन पत्र या संरचनात्मक स्थिति में निहित अस्थिरता से बैंक को अत्यधिक जोखिम से बचाना है। बैंक ने सुपरिभाषित 'बाजार जोखिम प्रबंधन नीति' और बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए संगठनात्मक संरचना अपनायी है।बैंक आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) पॉलिसी और 'निवेश/ विदेशी मुद्रा नीति' के माध्यम से बाजार के जोखिम का प्रबंधन करता है।

एक उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति अर्थात आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) बैंक में एएलएम की देखरेख करती है और बाजार में चलनिधि और ब्याज दर परिदृश्य पर विचार-विमर्श करती है और विभिन्न उत्पादों के मूल्य निर्धारण का निर्णय लेती है। एएलसीओ नियमित रूप से चलनिधि, ब्याज दरों, इक्विटी और विदेशी मुद्रा क्षेत्रों में बाजार जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और शमन की निगरानी करता है।

अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर परिपक्वता बेमेल के लिए 'चलनिधि जोखिम' को 'अंतराल विश्लेषण' द्वारा मापा और प्रबंधित किया जाता है। गैर-परिपक्वता प्रकृति के आस्ति और देयताएं हेतु बैंक व्यवहार संबंधी अध्ययन कर रहा है और अवलोकन को अंतर विश्लेषण में फैक्टरिंग कर रहा है। व्यवहार अध्ययन निष्कर्ष वापस परीक्षण के अधीन है और इसे नियमित रूप से विधिमान्य किया जाता है। निवल अंतराल के लिए तथा एक वर्ष तक संचयी अंतराल के लिए भी विवेकपूर्ण सीमाएं तय की जाती है तथा इन सीमाओं को नियमित रूप से मापा और निगरानी की जाती है। बैंक की चलनिधि प्रोफ़ाइल भी विभिन्न चलनिधि अनुपातों के माध्यम से नियमित रूप से मापी जाती है और उस पर आधारित आंतरिक सीमा की मदद से निगरानी की जाती है।

'परिपक्वता अंतराल विश्लेषण' एवं 'अवधि अंतराल विश्लेषण' के माध्यम से ब्याज दर जोखिमट की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। ब्याज दरों में प्रतिकूल बदलाव के कारण निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव के लिए सहन सीमाएं तय की गई हैं। बैंक की इक्विटी पर ब्याज दर में बदलाव के प्रभाव को मापने के लिए, अवधि अंतराल विश्लेषण किया जाता है और इक्विटी की संशोधित अवधि के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की जाती है। इक्विटी की संशोधित अवधि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर है। वीएआर और अवधि विश्लेषण का उपयोग राजकोष संचालन सहित बाजार के जोखिम को मापने के लिए किया जाता है। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम का भी मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

बाजार से जुड़े अन्य जोखिम जिनमें बैंक एक्सपोज होता है, वे है विदेशी मुद्रा स्थिति पर विदेशी मुद्रा जोखिम, चलनिधि या निधीयन जोखिम और ट्रेडिंग संविभाग पर मूल्य जोखिम। बैंक ने अपनी राजकोषीय कार्यों को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए नीतियों को सुस्पष्ट किया है। इन नीतियों में प्रबंधन प्रथाओं, प्रक्रियाओं, विवेकपूर्ण जोखिम सीमा, समीक्षा तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल हैं।इन नीतियों को नियमित अंतराल पर वित्तीय और बाजार की स्थितियों में बदलाव के अनुरूप नियमित रूप से संशोधित किया जाता है।

परिचालन जोखिम: परिचालन जोखिम का प्रबंधन 'एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति' का एक हिस्सा है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के दृष्टिगत बैंक का परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित है। परिचालन जोखिम प्रबंधन कक्ष बैंक के सभी परिचालन जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है और इनमें जोखिम प्रोफ़ाइल की समझ का निर्माण, परिचालन जोखिम प्रबंधन से संबंधित उपकरण को लागू करना और बेहतर नियंत्रण और कम जोखिम के लक्ष्यों की दिशा में काम करना शामिल है। परिचालन जोखिम प्रबंधन कमेटी [ओआरएमसी] परिचालन जोखिम नीतियों के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करता है और बोर्ड/जोखिम प्रबंधन कमेटी [आरएमसी] को रिपोर्ट करता है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण' (बीआईए) को अपनाते हुए परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना कर रहा है ।

भारित आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण : भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क' के तहत भारत के सभी वाणिज्यिक बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और संचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का पालन करेंगे।

ऋण जोखिम: बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं के

आकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है जिसमें निवेश के एचटीएम संवर्ग भी शामिल हैं। ऋण जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों पर आगे बढ़ने के लिए बैंक खुद को तैयार कर रहा है। इस संबंध में, बैंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे के परामर्श सहायता के साथ ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल (सीआरआरएम) विकसित किया है। इस मॉडल को आंतरिक रूप से मजबूत बनाकर इसे डब्ल्यूएएन (वाइड एरिया नेटवर्क) आधारित सीआरआरएम मॉडल बनाया गया है ताकि यह बैंक के किसी भी स्थान से एक्सिबल हो सके। यह मॉडल ट्रांज़िशन मैट्रिसेस एंड डिफ़ॉल्ट पासिबिलिटीस (चूक की संभावना) प्रदान करने में सक्षम है और भविष्य में बैंक को उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने में मदद करेगा ।

बाजार जोखिम: भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार जोखिम (एचएफटी और एएफएस श्रेणियों में निवेश) हेतु बैंक कंप्यूटिंग पूजीगत प्रभार के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग कर रहा है।

परिचालनिक जोखिम: बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अनुसार परिचालनिक जोखिम के लिए पूंजी प्रदान कर रहा है।

उन्नत दृष्टिकोण पर आगे बढ़ने की तैयारी: बैंक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयन के माध्यम से उन्नत दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है।

बेसल आवश्यकताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के लिए बैंक का अनुपालन:

पिलर - I (न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं): भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने बेसल III दिशानिर्देशों में निम्नलिखित बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकताओं के बारे में बताया है और इन आवश्यकताओं को दि. 30 सितंबर, 2020 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था भी निर्धारित की है ।

विनियामक पूंजी	आरडब्ल्यूए के % के रूप में
न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टीयर1 अनुपात	5.5
पूंजी संरक्षण बफर (सामान्यक ईक्विटी से बना)	2.5
न्यूनतम सामान्यअ ईक्विटी टीयर 1 अनुपात और पूंजी संरक्षण बफर का जोड़ (i) + (ii)	8.0
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	1.5
न्यूभनतम टीयर 1 पूंजी अनुपात (i) + (iv)	7.0
टीयर 2 पूंजी	2.0
न्यूभनतम कुल पूंजी अनुपात (एमटीसी) (v) + (vi)	9.0
न्यूभनतम कुल पूंजी अनुपात और पूंजी संरक्षण बफर (vii) + (ii)	11.5

*भारिबैंक आपने अधिसूचना दिनांक 27.03.2020 के माध्यम से दि. 31.3.2020 से 30.9.2020 तक के पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) का 0.625% का गत अंश का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया है।

बैंक बेसल II और बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी की पर्याप्तता की गणना कर रहा है।वर्तमान में बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेसल III के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतरणकालीन व्यवस्था के अनुरूप है।तथापि, बढ़ती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक को अपने पूंजी कोषों को, विशेष रूप से भविष्य में आम इक्विटी में वृद्धि करके, पूरक करना पड़ सकता है।

स्तंभ - II (पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया): बेसल III ढांचे के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पिलर- II दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने एक्सपोज हो सकने वाली विभिन्न जोखिमों के संबंध में आंतरिक पूंजी का आकलन करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) की नीति तैयार की है। असाधारण परंतु संभाव्यि परिस्थितियों में प्रभावी रूप से काम करने के लिए बैंक की वित्तीय और प्रबंधन क्षमता का आकलन करने के लिए दवाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। बैंक क्षेत्रवार, भौगोलिक और उधारकर्ता वार संकेंद्रीकरण के आधार पर संवर्ग स्तर के जोखिमों का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर संकेंद्रीकरण जोखिम का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक क्रेडिट संकेंद्रीकरण जोखिम का निर्धारण करने के लिए हरफिंडाल-हिर्षमैन सूचकांक (एचएचआई), गिनी गुणांक और रोसेनब्लाट्ट सूचकांक जैसे सांख्यिकीय मापदंडों का उपयोग कर रहा है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित दवाव परीक्षण नीति है जिसमें अपने संभाव्यता सुभेद्यता को मापने हेतु विभिन्न तकनीकों का वर्णन और ऐसे सुभेद्यता को बनाए रखने की इसकी क्षमता भी हो।

स्तंभ - III (बाज़ार अनुशासन): बेसल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र में निहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार बैंक के पास प्रकटीकरण नीति है। इसमें दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है तथा अनुपालन सक्षम अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाता है। बेसल III के स्तंभ- III (बाजार अनुशासन) का उद्देश्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं के एक समूह को विकसित कर बाजार सहभागियों को अनुप्रयोग, पूंजी, जोखिम एक्सपोजर, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं और इस प्रकार बैंक की पूंजी पर्याप्तता के दायरे पर जानकारी के प्रमुख मदों को एक्सेस उपलब्ध कराते हुए है बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। पिलर- III प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर प्रकाशित होते हैं, साथ ही प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में वर्ष की समाप्ति पर प्रकटीकरण किया जाता है। पिलर- III वर्षांत प्रकटीकरण बैंक के वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रकाशित होने के अलावा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज और चलनिधि मानकों के कई अन्य उपाय प्रारंभ किए हैं। जो इस प्रकार हैं:-

- दो अनुपातों यथा चलनिधि लिवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के द्वारा बैंक की तुलन पत्र के अत्याधिक लिवरेज और चलनिधि मानकों को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम लीवरेज अनुपात 4.00% (डीएसआईबी) तथा 3.5% (अन्य बैंक)।

एलसीआर हेतु आवश्यक है कि बैंक 30 दिनों की अपने कुल तनवाग्रस्त निवल नकदी बहिर्गम कवर के लिए पर्याप्त उच्च-गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां अपने पास बनाए रखे। एनएसएफआर हेतु आवश्यक है कि बैंक प्रदत्त दवाव की एक वर्ष की अवधि की स्थिर निधीयन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि बनाए रखे। एलसीआर और एनएसएफआर हेतु जारी भारिबैंक दिशानिर्देशों के संदर्भ लेते हुए बैंक नियमित रूप से चलनिधि अनुपात की गणना और निगरानी कर रहा है।बैंक तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात की गणना और निगरानी भी कर रहा है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन: दि. 31.03.2020 को बैंक का सकल एनपीए ₹28708.54 करोड़ रहा। सकल अग्रिमों में प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए 16.07% रहा जबकि निवल अग्रिमों में प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए 4.92% रहा। दि.31.03.2020 को एनपीए का प्रावधान कवरेज 72.95% रहा।एनपीए खातों में कुल गिरावट ₹ 6165 करोड़ रहा।

अनर्जक आस्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष की प्रंभ में सकल एनपीए	17669.98	28124.36	28973.97
वर्ष के दौरान वृद्धि	13864.23	5274.94	5899.84
वर्ष के दौरान गिरावट	3409.85	4425.33	6165.27
वर्ष के अंत में सकल एनपीए	28124.36	28973.97	28708.54
निवल एन.पी.ए.	12636.87	9091.40	7764.52

दि. 31.03.2020 को एनपीए का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार है

क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

खंड	राशि	अग्रिम में एनपीए % *
I. कृषि	1878.68	4.99%
II.एमएसएमई	5562.77	18.65%
III.खुदरा ऋण	1730.33	3.97%
IV.बड़े और मध्य कॉर्पोरेट	19536.76	28.93%
कुल	**28708.54**	**16.07%**

* अग्रिमों में एनपीए % उस क्षेत्र का अग्रिमों को दर्शाता करता है।

एनपीए के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:(13 करोड़ रुपये के अस्थायी प्रावधान को छोड़कर।)

(₹ करोड़ में)

आस्ति की प्रकृति	बकाया	किया गया प्रावधान
अवमानक आस्तियां	4386.66	906.12
संदिग्ध आस्तियां	20260.49	15919.77
हानि आस्तियां	4061.39	4061.39
कुल	**28708.54**	**20887.28**

पुनर्रचना तंत्र: मार्च 2020 के अंत तक पुनर्रचित खातों (एमएसएमई पुनर्रचना सहित) में कुल शेष रु 1611.03 करोड़ रहा।

उधार देने की प्रथाएँ: बैंक ने बोर्ड की स्वीकृति के साथ सुपरिभाषित ऋण नीति दिशानिर्देश तैयार किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक की द्विमासिक नीति विवरण, बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में परिकल्पित ऋण विकास, त्वरित विकास के लिए परिकल्पित नए उत्पादों का विपणन और विकास, क्षेत्र स्तर के अधिकारियों और प्रधान कार्यालय के ऋण विभागों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाती है। ऋण प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए प्रधान कार्यालय, सर्कल कार्यालय और आंचलिक कार्यालय स्तर पर बैंक में ऋण समितियों का गठन किया गया है और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के संदर्भ में उपयुक्त समितियों को उचित मंजूरी शक्तियां प्रत्यायोजत की गई है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र स्तर के अधिकारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर, ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन में लगने वाले समय को कम करने के लिए विभिन्न अनुमोदन अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की जाती है और संशोधित किया जाता है। अगली उच्च समितियों/सक्षम अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों द्वारा की गई मंजूरी की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक में ऋण समीक्षा तंत्र को और मजबूत किया गया है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली: बैंक ने एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है जो जोखिम प्रबंधन और योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक डेटा को कैप्चर करती है और निर्णय लेने में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है।इससे त्वरित निर्णय लेने में सुविधा हुई है।बैंक उपलब्ध सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए दैनिक आधार पर भी प्रमुख मापदंडों में प्रदर्शन का विश्लेषण करने की स्थिति में है।बैंक के सीबीएस मंच का लाभ उठाते हुए, एमआईएस ने त्वरित निर्णय लेने और इसके कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है।

निरीक्षण और लेखा परीक्षा : लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 के दौरान, विभाग ने लेखा परीक्षा योजना में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल और संपन्न किया है:

- ➢ वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए 1784 के निर्धारित लक्ष्य के प्रति आर बी आई ए के तहत 1939 शाखाओं की लेखा परीक्षा पूरी की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.06.2020 तक 1932 रिपोर्ट को बंद किया गया।
- ➢ सभी 6 सर्कल / 36 आंचलिक कार्यालयों और 33 प्रधान कार्यालय के चयनित विभागों को मिलाकर कुल 75 प्रबंधन के लेखापरीक्षा किए गए।
- ➢ 69 अन्य प्रशासनिक कार्यालयों, यथा., आरएलई, एसएमई, मुद्रा तिजोरी, एफ़एससी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वार्षिक निरीक्षण किया गया।
- ➢ 1117 राजस्व रिसाव की सीमित लेखापरीक्षा समीक्षा आयोजित हुए।
- ➢ 902 शाखाओं का लेखापरिशा अनुपालन किए गए।
- ➢ पिछले वर्ष के 72.74 की तुलना में निरीक्षण रिपोर्ट को बंद करने में औसतन मानव दिनों में सुधार हुआ है और अब यह 63.92 है।
- ➢ वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 41 आईएस लेखा परीक्षा आयोजित किए गए, जिनमें आईटी प्रतिष्ठान, सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षा, आउटसोर्सिंग गतिविधियों की लेखा परीक्षा और पंजीकरण प्राधिकरण (आरए) शामिल है।
- ➢ दैनिक आधार पर आंतरिक आईएस लेखापरीक्षक द्वारा डाटा सेंटर से समवर्ती आईएस लेखापरीक्षा का आयोजन किया जाता है।
- ➢ समन्वित और बाह्य लेखा परीक्षक मेसर्स डिजिटलएज के साथ 75 से अधिक क्षेत्रों के सीबीएस और आसपास के अनुप्रयोगों और 500 से अधिक सर्वरों और यूआरएल के लिए वीएपीटी के लेखा परीक्षा के लिए।

समवर्ती लेखापरीक्षा : भारि बैंक और वि.से.वि के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 666 लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए, जिन्होंने 655 शाखाओं, 3 सीटीएस ग्रिड और 7 प्रधान कार्यालयों के विभागो हेतु समवर्ती लेखापरीक्षा आयोजित करते हुए 70% बैंक के व्यवसाय को कवर किया है।

ऑफ साइट मॉनिटरिंग कक्ष (ओएसएम सेल) : श्री बसंत सेठ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गठित **ऑफ साइट मॉनिटरिंग कक्ष (ओएसएम कक्ष)** पिछले दिन शाखाओं में हुए उच्च मूल्य / महत्वपूर्ण लेनदेन की रिपोर्ट तैयार करता है, उनकी जांच करता है और जहां कहीं भी कमियां होती हैं, वहां सुधार कार्य करने के लिए नियंत्रण कार्यालयों / शाखाओं को संवेदनशील बनाता है। निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करने पर ध्यान दिया जाता है। अलर्ट भेजने के अलावा, ओएसएम कक्ष विभिन्न मापदंडों के आधार पर लेनदेन की समीक्षा करता है और शाखाओं से उन सूचनाओं / स्पष्टीकरणों की तलाश करता है जो उन्हें महत्वपूर्ण या संदिग्ध लगते हैं।

विभाग दैनिक / साप्ताहिक / मासिक आधार पर 97 अलर्ट को तैयार एवं समीक्षा कर रहा है, जिसमें से 81 बसंत सेठ समिति की सिफारिशों के अनुसार हैं और शेष 16 आंतरिक समितियों और प्रधान कार्यालय वर्टिकल द्वारा अनुशंसित हैं। विभाग 10 करोड़ और उससे अधिक के लेन-देन की भी हर 2 घंटे में निगरानी कर रहा है।

अनुपालन नीति:बैंक में एक व्यापक अनुपालन नीति है। उप महाप्रबंधक के पद पर बैंक के एक कार्यकारी को ञ्मुख्य अनुपालन अधिकारीट के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों और शाखाओं में विभिन्न विभागों के अनुपालन अधिकारियों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना रखी गई है। वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन बैंक में अनुपालन संचालन का दायरा है। बैंक में अनुपालन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली रखी गयी है।

विधि

- **सरफेसी अधिनियम:** वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 370 प्रतिभूति संपत्ति बेची गई और सरफेसी कार्यवाही के तहत सुरक्षित संपत्तियों को बेचकर ₹282.81 करोड़ वसूला गया।सरफेसी कार्यवाही के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक द्वारा कुल नकद वसूली ₹934.31 करोड़ रहा।
- **लोक अदालत:** वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 551 खातों में रु 2.85 करोड़ की राशि की वसूली की गई ।
- **आरटीआई अधिनियम:** वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत 1440 अनुरोध और 308 अपील प्राप्त हुई।सभी अनुरोध और अपील का समय पर निपटारा किया गया।

ग्राहक सेवा: बैंक को विभिन्न चैनलों के माध्यम से 95,810 शिकायतें मिलीं यथा., सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पोर्टल), बैंकिंग लोकपाल और विभाग जैसे एनईएफटी कक्ष, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, सीपीपीसी, खुदरा ऋण, एमएसएमई, एमबीडी, प्राथमिकता क्षेत्र, एटीएम कक्ष, विपणन और मानव संसाधन (आउटसोर्स शिकायतें)। वर्ष 2019-20 के दौरान 95,667 (99.85%) शिकायतों का समाधान किया गया, सभी लंबित शिकायतों का आज तक समाधान कर दिया गया है।

- लोक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों को 21 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अनुसार 7.11 दिनों की औसत समय अवधि में हल किया गया है।
- वर्ष 2019-20 में बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों द्वारा कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया।
- हमारे बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य आकार के बैंकों में आईबीए से प्रतिष्ठित बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार -2020रु तकनीकी का प्रयोग करने वाले ग्राहक-केंद्रित बैंकररु के लिए प्राप्त हुआ है।
- एटीएम विफल लेनदेन के विलंबित निपटान के लिए कार्डधारकों को कोई दंड नहीं दिया गया है।
- शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाए के लिए लोक शिकायत निवारण पोर्टल (पीजीआरएस) में दर्ज शिकायतों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और मूल कारण विश्लेषण एवं शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की और ग्राहक सुरक्षा, ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण ढांचे के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की।
- आईबीए के निर्देशों के अनुसार जन जागरूकता संबंधी संदेश(आरबीआई कहता है) जैसे लिंक को जनता को सावधानी रखने के लिए बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन

श्रम शक्ति आयोजना: मौजूदा श्रम शक्ति को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1250 लिपिक को भर्ती किया गया है।

कैरियर प्रगति: बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए सभी संवर्गों में 1220 कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई।

कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण: बैंक का आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित हैदराबाद का एपेक्स कॉलेज भारत के सभी क्षेत्रों के अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है, केवल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय जिलों के 12 अंचलों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण विशाखापत्तनम में स्थित स्टाफ कॉलेज द्वारा दिया जाता है।

ऋण मूल्यांकन/मॉनिटरिंग, वसूली प्रबंधन, फॉरेक्स, उत्पाद जागरूकता, व्यवहार कुशलता विकास, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, राजभाषा, पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण, लेखापरीक्षा/ निरीक्षण अधिकारी और अन्य विभिन्न विषयों पर वर्ष के दौरान कॉलेज द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गयी। कॉलेजों द्वारा नए भर्ती हुए स्टाफ सदस्यों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एपेक्स कॉलेज हैदराबाद और स्टाफ कॉलेज, विशाखापट्टणम में 487 आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं 11949 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

अधिकारियों के ज्ञान और उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से, एपेक्स कॉलेज हैदराबाद और एसटीसी विशाखापटनम में आयोजित नियमित प्रशिक्षणों के अलावा, एनआईबीएम, आरबीआई-सीएबी, आईडीबीआरडीटी और एफईडीएआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित बाहरी प्रशिक्षणों के लिए 542 अधिकारियों को नामित किया गया है। इसके अलावा, 6 अधिकारियों/कार्यपालकों को विदेश में आयोजित बाहरी कार्यक्रमों में भी भेजा गया ।

ई-लर्निंग - आंध्रा बैंक द्वारा स्टाफ सदस्यों की ऑनलाइन ई-लर्निंग प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवशक्ति ई-ज्ञान पोर्टल विकसित किया गया है। ई-ज्ञान पोर्टल में, कई ई-पाठ/ संक्षिप्त ई-पाठ अपलोड किए जाते हैं, जिन्हें कर्मचारी सदस्यों द्वारा कभी भी, कहीं भी और किसी भी उपकरण पर अभिगम किया जा सकता है। मार्च 2020 तक, सभी एपीएआर जुड़े सामान्य

बैंकिंग, भूमिका आधारित और कार्यकारी ऑनलाइन परीक्षा अनुमोदित अंतराल पर आयोजित किए गए थे।

वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, ऽइजी एक्सेस सर्विस एक्सीलेंसरु (EASE) दस्तावेज़ के माध्यम से, स्केल- I से स्केल- V के अधिकारियों के लिए 12 सामान्य बैंकिंग टेस्ट और स्केल- II से स्केल- IV के लिए 4 भूमिका आधारित, 10 जॉब आधारित एव 8 परीक्षण उच्चाधिकारियों के लिए आयोजित किए गए।

औद्योगिक संबंध: बैंक में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए और काम की परिस्थितियों के साथ-साथ ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए मुद्दों को सुलझाने के लिए, मान्यता प्राप्त अधिकारियों के संघ और पंचाट कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक बैठकें आयोजित करता है।

उत्तराधिकार योजना: उत्तराधिकार आयोजना पहल के हिस्से के रूप में, बैंक ने विभिन्न ग्रेडों में एक प्रतिभा पूल बनाया है और इन अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके, आने वाले वर्षों में शीर्ष प्रमुख पदों पर कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

एचआर डिजिटाइजेशन: हमारे बैंक ने अन्य बैंकों के समान कर्मचारियों के विभिन्न ऑनलाइन संबंधित मॉड्यूल को लागू करने की पहल की है यथा अधिकारियों की आस्ति-देयता विवरण का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, अधिकारियों से संबंधित अपार, छुट्टी के आवेदन प्रस्तुत करना, कर्मचारी प्रोफ़ाइल दृश्य, जॉब फैमिली आदि ।

31.03.2020 को कर्मचारियों की संख्या

वर्ग	शक्ति	कुल का %
अधिकारी	11027	54%
लिपिक	6435	32%
अधीनस्थ कर्मचारी *	2902	14%
कुल	**20364**	**100%**

* पार्ट टाइम स्वीपर को छोड़कर।

अ.जा/अ.ज.जा/ ओबीसी प्रोफाईल :

हमारा बैंक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अ.जा और अ.ज.जा के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वियन करता रहा है। 31 मार्च 2020 को बैंक में के कुल कार्मिकों 21433 में से अ.जा और अ.ज.जा का प्रतिनिधित्व क्रमश: 4250 और 1833 रहा। कुल 11027 अधिकारियों में से 1929 अ.जा कोटि के हैं और 1005 अ.ज.जा कोटि के हैं। बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक महाप्रबंधक को अ.जा और अ.ज.जा के मुख्य1 संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया है ताकि बैंक में आरक्षण नीति पर सरकार के दिशा-निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बैंक ने अ.जा और अ.ज.जा कर्मचारियों की शिकायतें, यदि हो, के समाधान हेतु आंचलिक स्तर पर सभी आंचलिक प्रबंधकों को अ.जा और अ.ज. जा के संपर्क अधिकारियों के रुप में नामित किया है। बैंक 'आन्ध्रा बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्यापण संघ' के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक संयुक्तब बैठकों का आयोजन करता रहा है। हमारा बैंक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 08.09.1993 से अन्यऔ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। 31 मार्च 2020 को 21433 (पार्ट टाइम स्वीपर को मिलाकर) कुल कार्मिकों में से अन्यआ पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्वि 6360 है। बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक महाप्रबंधक को अन्यो पिछड़े वर्ग के मुख्य्‍ संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया है ताकि बैंक में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अन्य कल्याण संबंधित कार्य देखा जा सके। बैंक ने अन्यक पिछड़े वर्ग कर्मचारियों की शिकायतें, यदि हो, के समाधान हेतु आंचलिक स्तनर पर सभी द्वितीय स्तर अधिकारियों को अन्यक पिछड़े वर्ग के संपर्क अधिकारियों के रुप में नामित किया है। बैंक 'ऑल आन्ध्रा बैंक बीसी कर्मचारी कल्याण संघ' के प्रतिनिधियों के साथ अर्धवार्षिक बैठकों का आयोजन करता रहा है।

दिव्यांग व्यक्ति :

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने सभी समूह के पदों पर सीधी भर्ती में दिव्यां गों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसमें से 18.04.2017 तक समस्तर आधार पर प्रत्येक स्तर के लिए चिह्नित पदों में (i) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (ii) बधिरता (iii) चलन अक्षमता या सेरिब्रल पालसी प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत आरक्षित है। नए अधिनियम 'दिव्यांग व्यतक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' जो 19.04.2017 से लागू हुआ है, के अनुसार और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निदेशों के अनुसार, बैंक सभी वर्गों में चिह्नित कुल रिक्तियों में से 4% की दर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर रहा है, जिसमें से एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा जिन्हें खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत मानक अक्षमता है और एक प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के अंतर्गत मानक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए है यथा :

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि

(ख) बधिरता और कम सुनाई देना

(ग) लाकोमोटर अक्षमता, इसमें सेरेब्रल पॉलिसी, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, तेजाब हमले के शिकार और मांसपेशीय दुर्विकास

(घ) ऑटिसम, बौधिक अक्षमता, विशिष्ट अध्ययन अक्षमता और मानसिक रुग्णता

(ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत प्रत्येक अक्षमता के लिए चिह्नित में से बहुल अक्षमताएं, इसमें बदिरता ॐ दृष्टिहीनता शामिल है।

31 मार्च 2020 को के कुल कार्मिकों 21433 में से अक्षमता वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 689(3.21%) रहा।

राजभाषा : एबी स्टाफ पोर्टल में राजभाषा लिंक का पुनरुत्थान किया गया है। 'राजभाषा मिशन', बैंकिंग शब्दावली, प्रशासनिक वाक्यांश, राजभाषा मार्गदर्शिका, विभिन्न फार्मेट, महत्वपूर्ण परिपत्र, अन्य संबंधित सूचना, हिंदी गृह पत्रिका, मासिक हिंदी ई-बुलेटिन, वार्षिक कार्य योजना, दैनिक हिंदी शब्द, सप्ताह का विचार और हिंदी कार्यशाला सामग्री आदि भी हमारे पोर्टल में उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक को ग क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार और हिंदी अकादमी, नई दिल्ली ने प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है।

सतर्कता :

❖ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीवीओ ने 11 अंचलों का दौरा किया और आंचलिक कार्यालय के कार्यपालक और स्टाफ के साथ-साथ बड़ी शाखाओं के प्रमुखों के साथ मिले और कतिपय प्रमुख मानकों के संबंध में चर्चा की ताकि बैंक में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित किया

जा सके।

- ❖ वर्तमान वित्तीय वर्ष में, एपेक्स कॉलेज- हैदराबाद, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज - विशाखपट्टणम और आंचलिक कार्यालयों में आयोजित 455 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम / सत्रों में निवारात्मक सतर्कता पहलुओं से संबंधित जानकारी 11539 कर्मचारियों को प्रदान की गई।
- ❖ सतर्कता संस्कृति बढ़ने के लिए सभी कर्मचारियों को नैतिकता, आचार और सतर्कता से संबंधित एसएमएस भेजे जाते हैं।
- ❖ मुख्य सतर्कता अधिकारी ने स्टाफ कॉलेज के विभिन्न कार्यक्रमों में सतर्कता अनुपालन और सतर्कता संबंधित मामलों में विभिन्न कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के साथ चर्चा की।
- ❖ सतर्कता विभाग और नियंत्रक कार्यालय तथा शाखाओं के स्टाफ को सतर्कता संबंधित मामलों में बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें - परिचालन

- ❖ विभाग ने अधिकारियों द्वारा आस्ति देयता विवरणी की समीक्षा करने का लक्ष्य प्राप्त किया है।
- ❖ विभाग ने वर्ष के दौरान 168 शिकायतें प्राप्त की है जिनमें से 157 शिकायतें निपटाई गई है।
- ❖ वित्तीय वर्ष के आरंभ में 94 सतर्कता मामले लंबित थे। वर्ष के दौरान 152 मामले दर्ज हुए और 158 मामले निपटाए गए हैं।
- ❖ विभाग ने गैर- सतर्कता के अंतर्गत मानव संसाधन ॐ औद्योगिक संबंध को 246 मामले संदर्भित किए हैं जिनमें 317 स्टाफ सदस्यों की जवाबदेही पाई गई।
- ❖ बैंक की सभी शाखाओं में निवारात्मक सतर्कता निरीक्षण किया गया ताकि पद्धति और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 756 आईएएस रिपोर्ट/ एफआरएमजी नोट/ विशेष रिपोर्ट प्राप्त किए हैं जिनमें से 595 रिपोर्ट निपटाए गए हैं।
- ❖ कर्मचारियों के लाभार्थ हेतु समय-समय पर धोखाधड़ी / सतर्कता मामलों के संचालन और निवारक युक्तियां निवारक उपाय के रूप में परिपत्र जारी किए गए।
- ❖ बैंक और इसकी कार्य प्रणाली में होने वाली धोखाधड़ी की समीक्षा के लिए हर तिमाही में धोखाधड़ी समीक्षा परिषद (एफआरसी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रणालीगत सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव और धोखाधड़ी के होने के लिए सुधारात्मक उपाय आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को सलाह दी जाती है और उनका पालन किया जाता है।
- ❖ **अनुपालन कार्य:** सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आयोग को प्रस्तुत की गयी।
- ❖ निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के नोट्स आदि की जांच।
- ❖ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 (अक्तूबर 28, 2019 से नवंबर 02, 2019 तक) 'ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीतित विषय पर देशभर में 4766 जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया जिनमें 116428 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। विद्यालय और महाविद्यालयों में निबंध लेखन / वाक् / वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हैदराबाद और अन्य स्थानों में वाकैथन और सैक्लोथन का आयोजन किया गया। हैदराबाद में एक उचित चिकित्सा-शिबिर का भी आयोजन किया गया। निवारात्मक सतर्कता उपायों के बारे में ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन किया गया, 4627 स्टाफ सदस्यों ने इस परीक्षा में भाग लिया।

प्रकाशन

त्रैमासिक आधार पर 'सावधान' और "द राइट डायरेकश्न -ए की नोट फ्राम सीवीओ डेस्क'' समाचार बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है ताकि स्टाफ को धोखाधडी और निवारात्मक उपायों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान की जा सके और वे स्वयं और बैंक के हितों की सुरक्षा कर सकें।

अग्रणी बैंक योजना - आन्ध्रा बैंक पंद्रह जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी संभाल रहा है यथा आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर; ओडिशा राज्य में गंजाम, गजपति और तेलंगाना राज्य में सिद्धिपेट, सिरसिल्ला, राजन्ना, जगत्याल, पेद्दपल्ली, मंचीरियाल, वनपर्ति, नागरकर्नूल, जोगुलांबा गद्वाल, वरंगल ग्रामीण। बैंक इन सभी जिलों में अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारियों को निभा रहा है।

वर्ष 1984 में भारतीय स्टेट बैंक से एसएलबीसी के संयोजन दायित्व अधिग्रहण करने के पश्चात आन्धा बैंक ही राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक बैंक है। दिनांक 2 जून, 2014 से तेलंगाना और शेष आन्ध्र प्रदेश के रूप में आन्ध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद शेष आन्ध्र प्रदेश के एसएलबीसी के संयोजक का कार्य आन्ध्रा बैंक के पास बना रहा। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ आंधा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के बाद, जोकि 1 अप्रैल, 2020 को लागू हुआ, आरबीआई ने अधिसूचना एफ़आईडीडी?सीओ.एलबीएस.बीसी.संख्या.22 / 02.01.001 / 199 -20 मार्च 30, 2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एसएलबीसी संयोजक जिम्मा सौंपा।

अब तक आन्ध्र प्रदेश राज्य में 210 एसएलबीसी बैठकों का आयोजन किया गया। चालू वर्ष के दौरान एसएलबीसी ने आरबीआई, नाबार्ड, बैंकर और सरकारी एजेंसियों को शामिल करते हुए विभिन्न बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों के अलावा, संयोजक, एसएलबीसी ने विभिन्न बैठकों में भाग लिया जिनका आयोजन भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

18.06.2019 को 207 वीं एसएलबीसी बैठक के दौरान आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा आन्ध्र प्रदेश के लिए राज्य ऋण योजना का शुभारंभ किया गया। एसएलबीसी सभी पणधारकों से समन्वयन कर रहा है और वार्षिक ऋण योजना तथा केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पहल के कार्यान्वयन में सक्रिय भाग ले रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान, आरबीआई के डिजिटल जिला पहल के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से आंध्र प्रदेश का एसएलबीसी शामिल है। एसएलबीसी ने आंध्र प्रदेश राज्य में बैंकों के लंबे समय से लंबित वीएलआर / पीवी लाभ राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की।

एपीएसएलबीसी कॉल सेंटर : एसएलबीसी ने राज्य के सभी बैंकों की ओर से एक कॉल सेंटर स्थापित किया है यथा 'एपीएसएलबीसी कॉल सेंटर' जिसका

नि:शुल्क टेलीफोन नंबर 18004258525 है और मुद्रा के लिए विशेष नि:शुल्क टेलीफोन नंबर 18004251525 स्थापित किया है। वेबसाइट : सभी पणधारकों और सामान्य जनता की सूचना के लिए एसएलबीसी आन्ध्र प्रदेश के लिए विशेष वेबसाइट की स्थापना की गई है, जिसका यूआरएल www.slbcap.nic.in है। इस वेबसाइट को नियमित अंतराल पर अद्यतन डाटा और सूचना के साथ अद्यतन किया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन : आधार सीडिंग : बैंक ने सक्रिय कासा खातों में 78.21% आधार सीडिंग और 70.58% आधार प्रमाणीकरण हासिल किया है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) : बैंक ने 60 खाते प्रति बैंक के औसत पर 1,73,220 के लक्ष्य की तुलना में वर्ष के दौरान 64 खाते प्रति बैंक के औसत पर 1,82,812 एपीवाई खातों का पंजीकरण किया है। बैंक ने ₹4.54 करोड़ का प्रोत्साहन प्राप्त किया है जिसमें से ₹2.31 करोड़ नए पंजीकरण के लिए हैं, ₹0.18 करोड़ मात्रा आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन और ₹2.13 करोड़ सतत प्रयास प्रोत्साहन है।

आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करना : बैंक ने यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 290 एईसी की स्थापना की है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र : बैंक के एलडीएम कार्यालयों में कुल 9 एफएलसीसी कार्य कर रहा है और अपने केंद्रों में वित्तीय साक्षरता गतिविधियाँ प्रदान कर रहे है।

बैंक मित्र सुलभकर्ता : चूंकि बैंक मित्र गतिविधियां दिन पर दिन बढ़ रही हैं, दिनांक 31.03.2020 तक बैंक ने आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा राज्य के 12 जिलों में बैंक मित्र सुलभकर्ताओं की नियुक्ति की है।

सहायक संस्थाएं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : बैंक की एक सहायक संस्था है यथा, आन्ध्रा बैंक फाईनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (एबीएफएसएल), जो पूणत: बैंक द्वारा स्वाधिकृत संस्था है। दिनांक 31.03.2020 वर्ष के अंत तक कंपनी ने आयकर से पूर्व ₹126.66 लाख लाभ और आयकर के बाद ₹91.42 लाख निवल लाभ अर्जित किया है, इससे कंपनी की अर्जित हानि दिनांक 31.03.2020 को ₹480.56 लाख से घट कर ₹389.14 लाख हुई है। बैंक का एक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यथा चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक जो गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित है और गुंटूर, पूर्व गोदवरी तथा पश्चिम गोदावरी में 220 शाखाओं के साथ व्याप्त है। 31.03.2020 को कुल व्यवसाय ₹10416.39 करोड़ रहा और कर के बाद निवल लाभ ₹70.64 करोड़ रहा। औसत अग्रिम के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत 1.12% है।

सुरक्षा व्यवस्था : बैंक ने शाखाओं, मुद्रा तिजोरियों और एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था का उन्नयन किया है। बैंक की सभी शाखाओं में वीडियो पर्यवेक्षण हेतु सीसीटीवी प्रणाली है। 99% शाखाओं में परंपरागत अलार्म व्यवस्था को एकीकृत घुसपैठ बर्गलर अलार्म प्रणाली (आईआईबीएएस) में उन्नयन किया गया है। केंद्रीयकृत अलार्म निगरानी स्टेशन की स्थापना प्रधान कार्यालय में स्थापित की गई है ताकि शाखाओं में स्थापित एकीकृत घुसपैठ सेंधमार अलार्म प्रणाली की 24 x 7 निगरानी की जा सके। 58% शाखाओं को प्रधान कार्यालय के कैम्स को एकीकृत किया गया है और निरंतर रूप से निगरानी की जा रही है। शेष शाखाओं का एकीकरण प्रगति में है। 89% एटीएम साईट पर अद्यतन एकीकृत ई-पर्यवेक्षण प्रणाली की व्यवस्था की गई है । शेष स्थानों में ई-पर्यवेक्षण प्रणाली की स्थापना की व्यवस्था की जा रही है। सभी सुरक्षा उपकरणों का सभी समयों पर कार्यचालन स्थिति में होना और बैंक के विरुद्ध अपराध की घटनाओं को कम करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

ब्रैंडिंग और संचार : बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचार और ब्रैंडिंग कार्य प्रारंभ किया है ताकि बैंक के लिए अच्छी गति और छवि हासिल की जा सके। प्रमुख प्रचार गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- वित्त मंत्री के संदेश पर स्थानीय समाचार पत्रों में एमएसएमई-ग्राहक आउटरीच अभियान के विज्ञापन का टीवी चैनलों में सरकार की पहर का प्रचार करने के लिए स्क्रॉलिंग विज्ञापन का प्रसारण
- एसएचजी उत्पाद शोकेस में प्रदर्शनी स्टाल।
- डिजिटल बैंकिंग पर सह-वित्तपोषण एनपीसीआई का जागरूकता अभियान।
- एयरपोर्ट ट्रॉली पर प्रदर्शन

कार्पोरेट सामाजिक बाध्यता (सीएसआर) : चूंकि बैंक ने मार्च 2019 वर्षांत को हानि रिपोर्ट की है, वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु दान के लिए कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है, इसमें सीएसआर गतिविधियां भी शामिल हैं।

बैंक वेबसाईट : बैंक अपनी वेबसाईट www.andhrabank.in तीन भाषाओं में रखता है यथा अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु और इसमें बैंक अपनी सेवाएं और उत्पादों की सूचना प्रदान करता है। बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी डब्यूसीएजी (वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी दिशा-निर्देश) वेबसाईटी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाया है। बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति, आन्ध्र प्रदेश का संयोजक होने के नाते अलग वेबसाईट www.slbcap.nic.in बनाए रखता है। यह वेबसाईट एसएलबीसी बैठकों की कार्यवाही, राज्य सरकार के निदेश, बैंकर और जनता को अनुदेश की सूचना प्रदान करता है। बैंक वेबसाईट को सुरक्षित रुप से बनाए रखने के संबंध में समय-समय पर जारी सेर्ट-इन (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करता है।

पुरस्कार एवं इनाम : बैंको वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :

- **आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार - 2020 -**
  - उत्तम वित्तीय समावेशन पहल ॐ मध्य आकार बैंक में (विजेता)
  - प्रौद्योगिकी के उपयोग में सबसे अधिक ग्राहक केंद्रित बैंक ॐ मध्य आकार बैंक में (विजेता)
  - उत्तम भुगतान पहल - मध्य आकार बैंक में (विजेता)
- सर्वश्रेष्ठ डिजिटल माध्यम कार्यान्वयन - एबीतेज के लिए इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवाड्र्स 2019
- **फिनेकल ग्राहक नवीकरण पुरस्कार - 2020 : ग्राहक यात्रा पुन:** विचार - मध्य आकार बैंक में (विजेता)
- **एपीवाई के अंतर्गत पुरस्कार :** बैंक ने पीएफआरडीए द्वारा घोषित अभियानों में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं ।
  - 'एपीवाई फोरमेशन डे' - विजेताओं में से एक के रूप में बैंक को सम्मानित किया गया।
  - 'एपीवाई मिशन पोसिबल' - शीर्ष स्थान के लिए बैंक विजेता के रूप में

पुरस्कार के लिए योग्य था।

- o ‘एपीवाई-सिटिजन चवाइस अभियान’ - एसएलबीसी, आंधा प्रदेश को 1 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019 तक अभियान के लिए उपयुक्त प्रशंसा पुरस्कार।
- o ‘राइस एबव द रेस्ट’ - ओंगोल, संबलपुर, श्रीकाकुलम, कुरनूल और एलुरु क्षेत्रों के साथ बैंक को पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त जो पुरस्कारों के लिए भी योग्य थे।
- o ‘एपीवाई चैलेंजस कप’ : ‘प्रशंसा के प्रमाण पत्र’ के लिए बैंक योग्य।
- o सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के कार्यपालक निदेशक के लिए मेकर्स ऑफ एक्सेलेंस - बैंक पुरस्कार के लिए योग्य।
- o बेहतरीन प्रदर्शन हेतु: बैंक पुरस्कार के लिए योग्य।
- o सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के कार्यपालक निदेशक के लिए लीडरशीप कैपिटल 2.0 : बैंक पुरस्कार के लिए योग्य।

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) - प्रगति : भारतीय लेखांकन मानक (इंड ए एस) को परिपत्र सं.डीबीआर. बीपी. बीसी. नं. 29/21.07.001/ 2018-19 दि.मार्च 22, 2019 के अंतर्गत आगे सूचना दिए जाने तक स्थगित किया गया है। हालाँकि, भारि बैंक के मेल दिनांक 20 जुलाई 2020 के माध्यम से बैंकों को दिए गए सलाह में भारि बैंक ने 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से वित्तीय विवरणों के रूप में (इंड ए एस) का अनुपालन प्रस्तुत करने की सलाह दी। उपरोक्त के अनुपालन में, हमारा बैंक आरबीआई को विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन : वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की संरचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए :

- ➢ श्री अजीत कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक ने 29.07.2019 को एसबीआई में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में तैनात होने पर बोर्ड से बाहर हो गए।
- ➢ श्री ईई कार्तक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामांकित निदेशक ने 25.04.2019 को कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के रूप में पदोन्नत होने पर बोर्ड से बाहर हो गए।
- ➢ श्री पी. जे थॉमस को बोर्ड में 26.04.2019 को भारि बैंक नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण : निदेशक मंडल एतदद्वारा बताता है कि

- ➢ वार्षिक लेखा की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और तात्विक विचलन से संबंधित उचित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।
- ➢ लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर, युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान किए गए हैं ताकि दिनांक 31.03.2020 को बैंक की स्थिति और दि;31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की लाभ हानि की सही और उचित स्थिति दर्शायी जा सके।
- ➢ बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधडी और अन्य विनियमितताओं के निवारण और पहचान हेतु संबंधित विनियामक प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- ➢ कार्यशील संस्था के रूप में वार्षिक लेखा तैयार किए गए हैं।
- ➢ बैंक द्वारा अपनाए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्दिष्ट किए गए हैं और इसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।
- ➢ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित प्रणालियों को तैयार किया गया है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

अभिस्वीकृति: आन्धा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, नाबार्ड और अन्य प्राधिकारियों / एजेंसियों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिनिधि बैंकों के प्रति अपने मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन हेतु आभारी है। निदेश बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों के प्रति अपनी समर्पित सेवा, उत्कृष्ट व्यावसायिकता और सतत वृद्धि हेतु बैंक के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता हेतु प्रशंसा व्यक्त करते हैं। अंतत:, निदेशक सभी ग्राहकों, शेयरधारकों और अन्य पणधारकों को अपने मूल्यवान समर्थन हेतु हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

बोर्ड के लिए और की ओर से

स्थान: मुंबई **(राजकिरण रै जी)**

दिनांक: 31.07.2020 प्रबंध निदेशक

प्रपत्र सं. एमआर-3

साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी 2019 के साथ पढ़े जाने वाले
[सेबी एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के 24ए विनियमन के अनुसार]

सेवा में

सदस्य,
पूर्व आन्ध्रा बैंक**,**
प्रधान कार्यालय
डॉ. पट्टाभि भवन
5-9-11, सैफाबाद,
हैदराबाद - 500 004.

हमने पूर्व **आन्ध्रा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक** (एतद पश्चात बैंक) द्वारा लागू वैधानिक उपबंधों के अनुपालन तथा उत्तम कॉर्पोरेट कार्यप्रणाली के अनुवर्तन की साचिविक लेखा परीक्षा का आयोजन किया। साचिविक लेखा परीक्षा का आयोजन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के दिशानिर्देश नोट के तहत इस पद्धति से किया गया कि जिसने हमें कॉर्पोरेट संहिता की समीक्षा/वैधानिक अनुपालन तथा उस पर हमारी राय व्यक्त करने का एक सर्वमान्य आधार प्रदान किया।

कोविड - 19 महामारी के कारण, हम बैंक के प्रधान कार्यालय में भौतिक यात्रा नहीं कर पाए हैं तथा ई-मेल के माध्यम से हमारे साथ साझा किए गए बैंक के कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिका, रजिस्टर तथा बैंक द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों के सत्यापन तथा साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान बैंक के अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न सूचीबद्ध वैधानिक उपबंधों का अनुपालन किया है। साथ ही बैंक में उचित मंडल कार्यविधियाँ तथा विस्तृत अनुपालन तंत्र हैं। इस संबंध में बनाई गई रिपोर्ट इस प्रकार है:

निम्न उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक द्वारा ई-मेल के माध्यम से हमारे साथ साझा किए गए कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिका तथा अन्य अभिलेखों की हमने जाँच कर ली है,:

i. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949;

ii. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980; (अधिनियम)

iii. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980; (योजना);

iv. आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 यथा संशोधित;

v. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956(‘एससीआरए’) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

vi. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उनके अंतर्गत निर्मित विनियमन एवं उपविधियाँ;

vii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (‘सेबी अधिनियम’) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियमन एवं दिशानिर्देश ॐ

- क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और भार-ग्रहण) विनियमन, 2011;
- ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015;
- ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन की आवश्यकता) विनियमन, 2018;
- घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014;
- ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्ज प्रतिभूति निर्गम और सूचिबद्धता) विनियमन, 2008;
- च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के पंजीयनकर्ता) विनियमन, 1993;
- छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं) और
- ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियमन, 1998; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
- झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियमन, 2018;
- ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिये बैंकर) विनियमन, 1994;

ट. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासधारी) विनियमन, 1993;

ठ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताओं की सूचिबद्धता) विनियमन, 2015 (सेबी (एलओडीआर));

viii. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो बैंक पर लागू हो।

हमने नीचे दिये गए लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की:

i. बीएसई लिमिटेड (बीएसी) और भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड (एनएसई) के साथ बैंक द्वारा निष्पादित किये गए सूचीबद्धता समझौते;

समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक द्वारा ऊपर दिये गए अधिनियमों, नियमों, विनियमनों, दिशानिर्देशों इत्यादि का अनुपालन किया गया। निम्नलिखित उनमें शामिल नहीं है:

- यदि बैंक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक हैं तो बोर्ड के कम-से-कम आधे अधिकारी स्वतंत्र निदेशक होने चाहिये। आन्ध्रा बैंक के बोर्ड में दिनांक 31.03.2020 तक 3 स्वतंत्र निदेशकों सहित कुल 8 निदेशक हैं। यह पाया गया कि आन्ध्रा बैंक के निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) की धारा 9(3) के (क) से (ज) खंडों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किये जाते हैं। सनदी लेखाकार निदेशक का नामांकन अधिनियम की धारा 9(3)(छ) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से विचार-विमर्श के बाद स्वतंत्र निदेशक के रूप में किया जाता है। शेयरधारक निदेशक का चुनाव अधिनियम की धारा 9(3)(झ) के अनुसार शेयरधारकों द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 9(3)(छ) के अनुसार मंडल के स्वतंत्र निदेशकों के 4 पद हैं, अधिनियम की धारा 9(3)(ङ) के अनुसार एक कर्मकार निदेशक तथा धारा 9(3)(च) के अनुसार एक अधिकारी निदेशक जिन्हें केद्र सरकार द्वारा भरा जाना है।
- यह अवलोकन किया गया है कि, सूचीबद्ध संस्था के मंडल में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- बैंक की लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में तीन निदेशक होंगे और सदस्यों में से 2/3 सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और बैंक की लेखा परीक्षा समिति में 4 (चार) सदस्य हैं, जिनमें से केवल एक सदस्य स्वतंत्र निदेशक है जो कि लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं।
- बैंक की नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन अलग से किया गया है और यह सेबी के विनियमन 19 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार नहीं है। यद्यपि, उक्त समितियाँ का गठन क्रमश: भारिबैंक और वित्त मंत्रालय के परिपत्रों के आधार पर की गई है।
- वर्ष 2019-2020 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) तथा 51(1) साथ पढ़े जाने वाली धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग कर, भारिबैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों और चालू खाते खोलने हेतु जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए बैंक पर 25 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

अधिनियम की धारा 9(3)(छ) के अनुसार मंडल के स्वतंत्र निदेशकों के चार पद रिक्त हैं, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) की धारा 9(3)(ङ) और धारा 9(3)(च) के अंतर्गत एक-एक रिक्त पद है जिन्हें केद्र सरकार द्वारा भरा जाना है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की रचना में हुए बदलावों का अधिनियम के उपबंधों के साथ अनुपालन किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक आयोजन हेतु पर्याप्त सूचना दी गई है, कार्यसूची तथा उस पर विस्तृत जानकारी पहले ही भेज दी गई थी, बैठक में कार्यसूची के मदों पर सूचना मांगने और अधिक स्पष्टीकरण और अर्थपूर्ण प्रतिभागिता की प्रणाली उपलब्ध है।

बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाता है और असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को, यदि कोई हो तो, ध्यान में रखा जाता है ऐसे विचारों को ग्रहण कर के उसका रिकॉर्ड कार्यवृत्त के भाग के रूप में रख लिया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार और परिचालन की दृष्टि से लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये बैंक में पर्याप्त प्रणालियाँ उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर संदर्भित कानून, नियम, विनियम, दिशानिर्देश मानदंड, आदि के अनुसरण में बैंक के मामलों पर प्रमुख व्यवहार के रूप में बैंक के पास निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/ क्रियाएं हैं:

1. दि. 13 सितंबर, 2019 को हुई बोर्ड की बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने आन्ध्रा बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। तत् पश्चात, भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग कर राजपत्र अधिसूचना दि. 04 मार्च, 2020 के माध्यम से आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का समामेलन दि. 1 अप्रैल से प्रभावी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया योजना, 2020 में अधिसूचित कर दिया।
2. भा.स एफएन.7/23/2019-बीओए-I-दिनांक 26.12.2019 के अनुसार, दि. 04.03.2020 को निदेशक मंडल ने बैंक के शेयरधारक होने के नाते भारत सरकार को 10/- ₹ प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ₹ 18.01पैसा (रु.8.01पैसा की प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर अधिमानी निर्गम के रूप में 11,10,49,416 (ग्यारह

करोड़ दस लाख उनचास हजार चार सौ सोलह) इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटित किए थे। इस आवंटन के पश्चात भारत सरकार की धारिता 262,06,34,630 (87.81%) से बढ़कर 273,16,84,046 (88.25%) इक्विटी शेयर हो गई है।

3. दि. 24.04.2019 को बैंक ने आन्ध्रा बैंक कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को 10/- रु. प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 19.26/- प्रति इक्विटी शेयर निर्गम भाव पर 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयर आवंटित किया है।

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 22.07.2020

कृते डी. हनुमंत राजू और कं
कंपनी सचिव

कंपनी सचिव डी. हनुमंत राजू
साझेदार
एफसीएस: 4044 सीपी सं.: 1709
यूडीआईएन:F004044B000489309

यह रिपोर्ट हमारे उस तारीख के पत्र से पढ़ी जानी है जो **अनुबंध क** के रूप में अनुबंधित है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध क'

सेवा में

सदस्य,
पूर्व आन्ध्रा बैंक,
प्रधान कार्यालय
डॉ. पट्टाभि भवन
5-9-11, सैफाबाद,
हैदराबाद - 500 004.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए:

1. साचिविक रिपोर्ट का अनुरक्षण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित इन साचिविक अभिलेखों पर विचार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली और कार्यविधियों का पालन किया है जो साचिविक अभिलेखों में निहित विषयवस्तु की शुद्धता के लिये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये उपयुक्त है। यह सुनिश्चित करने के लिये की सही आँकड़े प्रस्तुत किये गए हैं, उनका सत्यापन परीक्षण द्वारा किया गया। हमें विश्वास है कि जिन कार्यविधियों और कार्यप्रणालियों का हम पालन कर रहे हैं, वे हमारी राय के लिये उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेख और खाता पुस्तिका की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ भी आवश्यकता हुई, हमने कानून, नियम, और विनियम तथा हो रहे आयोजनों इत्यादि के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियम, विनियम, मानदंडों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच परीक्षण आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन तक सीमित है।

6. यह साचिविक अभिलेख न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 22.07.2020

कृते डी. हनुमंत राजू और कं
कंपनी सचिव

कंपनी सचिव डी. हनुमंत राजू
साझेदार
एफसीएस: 4044 सीपी सं.: 1709
यूडीआईएन:F004044B000489309

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस - दर्शन

आन्ध्रा बैंक का दर्शन ग्राहकों की निरन्तर बदलती आवश्यकताओं के प्रति सदैव जागरूक रहना है । बैंक का विश्वास है कि उपयुक्त कार्पोरेट गवर्नेंस से व्यवसाय के प्रभावी प्रबन्धन एवं नियन्त्रण में मदद मिलती है । इससे बैंक अपनी व्यावसायिक नीति के स्तर को बनाये रखता है और अपने सभी पणधारियों के लिए मूल्य में वृद्धि करता है । कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धान्त हेतु उच्चस्तरीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पणधारियों में मूल्यों के निर्माण के साथ वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता आवश्यक है । संक्षेप में उद्देश्य निम्न प्रकार है ।

- नैतिक सिद्धान्तों एवं देश के कानूनी ढांचे के अन्दर पणधारियों के मूल्य को कायम रखना ।
- ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज सहित शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हित की रक्षा करना ।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और एकीकरण को सुनिश्चित करना और सभी सम्बन्धितों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना ।

2. निदेशक मडंल

2.1 आन्धा बैंक का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम 1980 के तहत तदनुरूप नए बैंक के रूप में किया गया है ।

2.2 बोर्ड का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है ।

2.3 बोर्ड के प्रमुख प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ हैं जिनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है । प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1), खण्ड 6, और खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के तहत की जाती है ।

2.4 प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ के अतिरिक्त बैंक के दो पूर्णकालिक निदेशकों (कार्यपालक निदेशक) की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है जो बोर्ड के भी सदस्य हैं । बैंक के कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) तथा खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के तहत की जाती है ।

2.5 31 मार्च 2020 को बोर्ड में 07 निदेशक हैं जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक) हैं, एक निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नामित केन्द्र सरकार के अधिकारी हैं, एक निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी हैं, सीए श्रेणी के अन्तर्गत धारा 9 (3) (जी) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (i) और धारा 9 (3 ए) जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 3 के उप खण्ड (1) के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों के बीच दो निदेशक चुने गए हैं ।

2.6 बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों का आयोजन आवर्ती अन्तराल में किया जाता है और वे उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा, नीतिपरक कार्य और बैंक के व्यावसायिक प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंक का मार्गदर्शन करती हैं ।

2.7 नीति निर्धारण, कार्यनिष्पादन की समीक्षा और विश्लेषण जैसे दायित्व बोर्ड द्वारा निभाए जाते हैं । बोर्ड ने बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप कार्यपालकों और बैंक के कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकार सौंपे हैं । बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित अधिकारों की समीक्षा की जाती है और बैंक के प्रभावी कार्यचालन के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं ।

2.8 वार्षिक आधार पर बैंक की नीतियों की समीक्षा की जाती है और बदलते परिदृश्य तथा बाजार की मांगों के अनुरूप आवश्यक संशोधन किये जाते हैं ।

2.9 बोर्ड के अध्यक्ष पूर्ण कालिक निदेशक हैं तथा इसलिए बोर्ड के कम से कम 1/2 में स्वतंत्र निदेशकों का समावेश होता है। तदनुसार 31 मार्च, 2020 तक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है :

निदेशकों के प्रकार	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक	02
गैर- कार्यपालक	05 (जिनमें से 3 स्वतंत्र निदेशक हैं)
कुल	**07**

2.10 वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड के निदेशकों का प्रोफाइल

1. श्री जे पक्किरिसामी

इन्होंने दिनांक 21 सितम्बर, 2018 को आन्ध्रा बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया । आन्ध्रा बैंक में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, वे देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबन्ध निदेशक थे ।

इनका जन्म दिनांक 28 फरवरी, 1961 को हुआ, इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बी.एससी तथा एमबीए (वित्त) एवं आईआईबीएफ से सीएआईआईबी किया है ।

इन्होंने वर्ष 1984 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा प्रशासनिक एवं प्रबन्धन स्तरीय क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है । इन्होंने वर्ष 2004-2009 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की फ्रैंकफर्ट, शाखा जर्मनी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप

में भी कार्य किया है । ये अपने साथ बैंकिंग व्यवसाय में विशेषकर ऋण संविभाग, विशलेषणात्मक कौशल, अंतर्वैयक्तिक गुण आदि में समृद्ध एवं वृहद अनुभव लेकर आए हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोज़र, आस्ति प्रबन्धन, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान तथा अन्य मुख्य प्रबन्ध क्षेत्रों के ज्ञान को सम्मिलित करते हुए ये एक बहुमुखी व्यक्तित्व के कार्यपालक हैं । इन्होंने बहु-क्षेत्रों यथा कॉर्पोरेट बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग का सफलतापूर्वक प्रबन्धन किया एवं सभी स्तरों पर परिचालन स्टाफ के कौशल विकास में गहनता से जुड़े रहें हैं ।

2. श्री अजित कुमार रथ

इन्होंने दि.13.03.2015 को बैंक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, हेतु कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । वे इन्सटिट्युशन ऑफ इंजीनियर (एएमआईई) के सम्बद्ध सदस्य हैं, इन्होंने वेतनमान IV में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वर्ष 2001 में जुआइन किया तथा दिनांक 12 मार्च 2015 तक कार्य किया । यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने कैरियर के दौरान वे महा प्रबन्धक संवर्ग तक पदोन्नत हुए । यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वे स्विफ्ट इंडिया डोमस्टिक सर्विसेस् प्रा.लि. के बोर्ड में निदेशक थे । वे एनपीसीआई/स्विफ्ट इंडिया व स्टार यूनियन दाईची बीमा कम्पनी की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य थे । वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.01.2018 के अनुसार, उन्हें प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने तथा समस्त प्रशासनिक शक्तियां प्रयोग में लेने के लिए प्राधिकृत किया है जब तक कि सरकार द्वारा बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है ।

3. श्री कुल भूषण जैन

इन्होंने दिनांक 09.10.2017 को बैंक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, हेतु कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । वे सीएआईआईबी के साथ विज्ञान तथा विधि में दोहरे स्नातक हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 1985 में एक अधिकारी के रूप में अपना बैंकिंग करियर आरम्भ किया तथा दिनांक 08 अक्तूबर, 2017 तक कार्य किया । बैंक ऑफ इंडिया में अपने करियर के दौरान वे महा प्रबन्धक संवर्ग तक पदोन्नत हुए । इन्हें ऋण, राजकोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग का अत्यधिक अनुभव है । वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.01.2018 के अनुसार, इन्हें प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने तथा समस्त प्रशासनिक शक्तियां प्रयोग में लेने के लिए प्राधिकृत किया है जब तक कि सरकार द्वारा बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है।

4. सुश्री अंजना दुबे

इन्होंने भारत सरकार के नामित के रूप में दिनांक 28.04.2017 को आन्ध्रा बैंक के निदेशक मण्डल में जुआइन किया । उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विज्ञान में स्नात्कोत्तर पूर्ण करने के पश्चात 1987 में भारतीय सांख्यिकी सेवाएं जुआइन किया । इन्हें भारतीय प्रबन्धन संस्था बेंगलूरू (फेलो आईआईएमबी) द्वारा सार्वजनिक नीति में डॉक्टर की उपाधी मिली है । इन्हें सूक्ष्म-वित्त तथा वित्तीय समावेशन में शोध में रूचि है । इनके पास ली कुआन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, द्वारा सार्वजनिक प्रबन्धन में स्नातकोत्तर की डिग्री भी है, जिसमें हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एक्सपोज़र सम्मिलित है ।

वित्तीय सेवाएं विभाग में इनकी तैनाती से पूर्व इन्होंने अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों यथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रयालय में कार्य किया ।

5. श्री पी जे थॉमस

भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक श्री पी जे थॉमस को दिनांक 26.04.2019 को आन्ध्रा बैंक के निदेशक मण्डल के लिए नामित किया गया है। वह बीएससी (ऑनर्स) के साथ विज्ञान में स्नातक हैं और बैंकिंग और वित्त में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर हैं। वह भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सहायक भी है।

इन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक में जाने से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बैंक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और भारि बैंक, बेंगलुरु में क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर विभिन्न क्षमताओं के साथ सेवा की। भारतीय रिजर्व बैंक में 36 से अधिक वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान, केंद्रीय कार्यालय में बैंकिंग विनियमन और क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग पर्यवेक्षण में उनका लंबा एक्सपोजर था। उन्होंने कुआलालंपुर, मनीला, फ्रेंकफर्ट और बेसेल जैसे अन्य स्थानों के अलावा, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में फेडरल रिजर्व के साथ विनियमन और पर्यवेक्षण में विदेशी प्रशिक्षणों में भाग लिया है। वह पूर्व में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में थे।

6. श्री बालगोपाल महापात्र

इन्होंने आन्ध्रा बैंक के निदेशक मडंल के निदेशक के रूप में दिनांक 27.12.2017 को बोर्ड में जुआइन किया । वे भारतीय चार्टड एकाउंटेंट संस्था के सदस्य रहने के साथ-साथ वाणिज्य तथा एलएलबी में स्नातक हैं । वे वर्ष 1989 से सनदी लेखाकार का कार्य कर रहे हैं ।

इन्होंने सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक, राजस्व लेखा-परीक्षक, स्टॉक लेखा-परीक्षक, समवर्ती लेखा-परीक्षक तथा आन्तरिक लेखा-परीक्षक के रूप में कई राष्ट्रीकृत बैंकों का लेखा-परीक्षा किया । ओडिशा सरकार, केन्द्र सरकार का उपक्रम, बीमा कम्पनियों, कोयला क्षेत्र, विद्यालय, कॉलेज, एनजीओ आदि के एपेक्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का लेखा-परीक्षा भी किया, ग्राहकों की ओर से आयकर तथा अपील प्राधिकारियों/अधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व भी किया ।

वे वर्ष 2000 से 2003 तक ओडिशा के राज्य टेलीकॉम सलाहकार समिति के सदस्य रहें तथा वर्ष 2002 में भुवनेश्वर के क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे । वे वर्ष 2003 से 2004 तक ओडिशा ग्रामीण आवास विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे । वे विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे ।

7. श्री ए कृष्ण कुमार

उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दि.14.03.2015 से दि.13.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक चुना गया था

। उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दि.14.03.2018 से दि.13.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुन: निदेशक चुना गया है । वे दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थ शास्त्र में आर्टस स्नातक (ऑनर्स) हैं । उन्होंने अपना करियर 1975 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रारम्भ किया था । भारतीय स्टेट बैंक में 15 वर्ष के दौरान, उन्होंने अह्मदाबाद में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रभारी उप महा प्रबन्धक तथा इसके पश्चात बैंक के हैदराबाद सर्कल के सर्कल वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य किया । तत्पश्चात् महा प्रबन्धक के रूप में वे बैंक के कार्पोरेट केन्द्र में मानव संसाधन विभाग में अध्ययन एवं विकास के प्रभारी रहे । सितम्बर, 2004 में वे बैंक के चंडीगढ सर्कल में महा प्रबन्धक के रूप में तैनात किए गए, अगली पदोन्नति पर उन्होंने मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में बैंक के मध्यम कार्पोरेट समूह को सम्भाला । अक्तूबर 2007 में वे मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में बैंक के पटना सर्कल में तैनात किए गए । उप प्रबन्ध निदेशक के रूप में वे बैंक के कार्पोरेट केन्द्र में जुलाई 2009 से अप्रैल 2011 तक बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख रहे ।

उन्हें अप्रैल 2011 में प्रबन्ध निदेशक व ग्रूप कार्यपालक के रूप में पदोन्नति मिली और राष्ट्रीय बैंकिंग का कार्यभार सौंपा गया । इस कार्य के दौरान वे लगभग 16000 शाखाओं में फैले संपूर्ण खुदरा जमा, वाणिज्यिक ऋण, कृषि ऋण, आवास ऋण, आटो ऋण और अन्य खुदरा ऋण सहित एसबीआई के संपूर्ण खुदरा व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे । उन्हें अप्रैल 2014 में 36 देशों में एसबीआई के 190 कार्यालयों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों की निगरानी का कार्य सौंपा गया । वे भारतीय स्टेट बैंक के तीन अनुषंगी कार्यालयों, एसबीआई जीवन बीमा, एसबीआई सामान्य बीमा और एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बोर्ड में भी रहे । नवम्बर 2014 में अधिवर्षिता तक वे बैंक के लिए नीति बनाने तथा रणनीति तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे ।

8. श्री जी शिवकुमार

उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दि.14.03.2015 से दि.13.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक चुना गया है । उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दि.14.03.2018 से दि.13.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुन: निदेशक चुना गया । वे आईआईटी, मद्रास के बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग), इलिनोयस् विश्वविद्यालय, अरबनाकैम्पेन, युएसए से पीएचडी (कम्प्यूटर विज्ञान) हैं । वे सितम्बर 1988 से अगस्त 1991 तक दिलावेर विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफसर थे । अगस्त 1991 से वे कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रोफसर के रूप में आईआईटी, मुम्बई में कार्यरत हैं ।

उन्हें फोर्मल स्पेसिफिकेशन व वेरिफिकेशन, थियोरम प्रूविंग, नेटवर्क सुरक्षा व प्रबन्धन के शोध में रूचि है । टर्म री-राईटिंग पर आईएफआईपी कार्यकारी ग्रूप (डब्ल्यु जी 1.6) के एक स्थापक सदस्य हैं । वे स्थाई समिति, कंप्यूटिंग विज्ञान शोध हेतु भारतीय संघ (आईएआरसीएस) के सदस्य हैं । वे आईआईटी मुम्बई के गवर्नरों के बोर्ड (2006-2007) में सीनेट नामित, आईडीआरबीटी (2005 से) के शासकीय कॉउनसिल के सदस्य, आरबीआई, सीसीआईएल, एनएसडीएल, एसईबीआई के आईटी सलाहकार समिति के सदस्य, ओपन सोर्स साफ्टवेयर रिसोर्स सेंटर (ओएसएसआरसी) के संस्थापक सदस्य, ई-गवर्नेंश में मुक्त मानकों के लिए इंटरओपरेबिलिटी फ्रेमवर्क समिति के अध्यक्ष थे ।

2.11 वर्ष 2019-2020 के दौरान निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम :

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री पी जे थॉमस	26.04.2019

2.12 वर्ष 2019-2020 के दौरान निदेशक के रूप में अवधि समाप्त व्यक्तियों के नाम :

निदेशक का नाम	अवधि-समाप्ति तिथि
श्री अजीत कुमार रथ	29.07.2019

2.13 वर्ष 2019-2020 के दौरान, निम्नलिखित तिथियों को निदेशक मण्डल की 12 (बारह) बैठकें हुईं:-

13.05.19	13.09.19	20.12.19	05.03.20
24.06.19	21.10.19	30.01.20	17.03.20
02.08.19	07.11.19	05.02.20	30.03.20

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित बोर्ड की बैठकों एवं अन्य समिति बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम एवं प्रकार	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति
श्री जे पक्किरिसामी, अध्यक्ष	01.04.2019 से 31.03.2020	12	12
श्री अजीत कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	01.04.2019 से 29.07.2019	2	2
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	12	12
सुश्री अंजना दुबे भारत सरकार के नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	12	11
श्री पी जे थॉमस भारिबैंक नामित निदेशक	26.04.2019 से 31.03.2020	12	12
श्री बालगोपाल महापात्र अंशकालिक अशासकीय निदेशक (सीए श्रेणी के अन्तर्गत)	01.04.2019 से 31.03.2020	12	12
श्री ए कृष्णकुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	12	12
श्री जी शिवकुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	12	12

2.14 बोर्ड ने निम्नलिखित विभिन्न समितियों का गठन किया है, जो बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों की गवर्नेंस और बैंक के मामलों के नियंत्रण पर विशेष ध्यान देतीं हैं:

- प्रबंधन समिति
- लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- अनुशासनिक कार्रवाई समिति
- उच्च मूल्य की धोखाधयों पर निगरानी हेतु विशेष समिति
- शेयरधारक संबंध समिति
- शेयर अन्तरण समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
- ऋण अनुमोदन समिति
- मानव संसाधन प्रबन्धन पर संचालन समिति
- एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- निर्वाचन विवाद समिति
- ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक
- स्वतंत्र निदेशकों की बैठक
- इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
- गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति
- डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी हेतु समिति

2.15 निदेशकों के विवरण तथा समितियों में उनकी सदस्यता

निदेशक का नाम एवं प्रकार	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/ समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
श्री जे पक्किरिसामी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ		1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 3. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 4. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 5. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 6. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 7. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 8. ग्राहक सेवा समिति 9. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 10. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 11. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति	1) बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2) बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 3) उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 4) बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 5) बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 6) मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 7) एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 8) ग्राहक सेवा समिति 9) इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 10) ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 11) गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति	01.04.2019 से 31.03.2020
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड ॐ नामित निदेशक	1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 9. ग्राहक सेवा समिति 10. शेयर अन्तरण समिति 11. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति 12. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 13. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 14. शेयरधारक संबंध समिति 15. डिजिटल लेनदेन में प्रगति की निगरानी समिति	शेयर अन्तरण समिति	01.04.2019 से 29.07.2019

निदेशक का नाम एवं प्रकार	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/ समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक	कोई नहीं	1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 9. ग्राहक सेवा समिति 10. शेयर अन्तरण समिति 11. सूचना प्रौद्यौगिकी कार्यनीति समिति 12. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 13. शेयरधारक संबंध समिति 14. डिजिटल लेनदेन में प्रगति की निगरानी समिति 15. निर्वाचन विवाद समिति		01.04.2019 से 31.03.2020
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामित निदेशक	कोई नहीं	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 2. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 3. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 6. बोर्ड की नामांकन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 9. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 10. डिजिटल लेनदेन की प्रगति पर निगरानी समिति 11. निर्वाचन विवाद समिति 12. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	1. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 2. बोर्ड की नामांकन समिति	01.04.2019 से 31.03.2020
श्री पी जे थॉमस भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक	कोई नहीं	1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 5. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 6. निर्वाचन विवाद समिति	कोई नहीं	26.04.2019 से 31.03.2020

निदेशक का नाम एवं प्रकार	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/ समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
श्री बालगोपाल महापात्र सीए श्रेणी के अन्तर्गत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक	कोई नहीं	1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 3. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 4. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 5. ग्राहक-सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 6. बोर्ड की नामांकन समिति 7. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 8. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति 9. शेयरधारक संबंध संमिति 10. ग्राहक सेवा समिति 11. शेयर अन्तरण समिति	कोई नहीं	01.04.2019 से 31.03.2020
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित निदेशक	1. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2. टीवीएस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड 3. ईकोजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 4. इकोफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 5. सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड 6. सतगुरु कैटेलियर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड - बोर्ड सदस्य।	1. प्रबन्धन समिति 2. उच्च मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति 3. ग्राहक सेवा की समीक्षा के लिए बोर्ड की विशेष बैठक 4. शेयर अन्तरण समिति 5. पारिश्रमिक समिति 6. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. एनपीए वसूली की निगरानी के लिए समिति 9. इरादतन चूक-कर्ता पर समीक्षा समिति 10. डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए समिति	कोई नहीं	01.04.2019 से 31.03.2020
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक	1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - बोर्ड सदस्य 2. राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड - बोर्ड सदस्य 3. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	1. प्रबन्धन समिति 2. शेयरधारक सम्बन्ध समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. ग्राहक सेवा की समीक्षा के लिए बोर्ड की विशेष बैठक 6. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 7. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति 8. असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति	1. शेयरधारक सम्बन्ध समिति 2. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3. डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए समिति	01.04.2019 से 31.03.2020

निदेशक का नाम एवं प्रकार	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/ समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
	4. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान 5. भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ - बोर्ड सदस्य	9. डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए समिति		

- **निदेशकों का विवरण और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में उनका निर्देशन**

निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशन	निदेशन की श्रेणी
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामित निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री यूजीइन ई कर्थक भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री बालगोपाल महापात्र सीए श्रेणी के अन्तर्गत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित निदेशक	1. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2. टीवीएस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड 3. ईकोजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 4. इकोफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 5. सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड 6. सतगुरु कैटेलियर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड - बोर्ड सदस्य।	बोर्ड सदस्य
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक	1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - बोर्ड सदस्य 2. राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड ॐ ग्झडं सदस्य 3. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड 4. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान 5. भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ - बोर्ड सदस्य	बोर्ड सदस्य

2.16 हमारे बैंक के स्वतंत्र निदेशकों आदि सहित निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/भारत सरकार के प्रावधानों के अंतर्गत शासित है ।

2.17 किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्याग-पत्र नहीं दिया है और इसलिए, पैरा सी का खंड 2(जे), अनुसूची V लागू नहीं है ।

2.18 हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं ।

2.19 निर्देशकों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं हैं ।

3. निदेशक मण्डल की समिति

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों/निर्देशों के सन्दर्भ में निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन शीघ्र निर्णय लेने तथा उचित निगरानी तथा उनके सन्दर्भ में आने वाली विभिन्न गतिविधियों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए किया गया है ।

बोर्ड की समितियां निम्नानुसार हैं: -

3.1 बोर्ड की प्रबन्धन समिति

वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, बोर्ड की प्रबन्धन समिति का गठन विभिन्न प्रस्तावों यथा ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देना, ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्ताव के लिए, पूंजी के अनुमोदन तथा राजस्व व्यय मंजूरी, अधिग्रहण और परिसर किराए पर लेने, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करने के लिए निदेशक मण्डल द्वारा गठन किया गया है ।

वर्तमान में, समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दो कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक और दो स्वतन्त्र निदेशक शामिल हैं ।

वर्ष के दौरान समिति की सभी 15 बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

13.05.19	09.08.19	30.11.19	15.02.20
19.06.19	09.09.19	10.12.19	13.03.20
28.06.19	27.09.19	20.12.19	24.03.20
22.07.19	18.11.19	30.01.20	--

उक्त अवधि के दौरान आयोजित बैठकों में प्रबन्धन समिति (एमसी) बैठक की सदस्यों की उपस्थिति के साथ बैठकों की संख्या निम्नानुसार दी गई है:

निदेशक का नाम एवं प्रकार	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित प्रबन्धन समिति बैठकों की संख्या	प्रतिभागिता की गई प्रबन्धन समिति की बैठकों की संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष	01.04.2019 से 31.03.2020	15	15
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	01.04.2019 से 29.07.2019	4	3
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	15	14
श्री पी जे थॉमस भारि बैंक नामित निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020	15	15
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित निदेशक	01.04.2019 से 11.08.2019	5	5
	21.10.2019 से 31.03.2020	8	7
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक	01.04.2019 से 31.05.2020	1	1
	02.08.2019 से 01.02.2020	11	10

3.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन में, बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन पाँच निदेशकों के साथ किया गया यथा दो कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक और सीए श्रेणी के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक । बोर्ड में सीए श्रेणी के निदेशक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति दिशा-निर्देश प्रदान करती है और बैंक के कुल लेखा-परीक्षा कार्यों के संचालन की निगरानी भी करती है जिसमें आन्तरिक लेखा-परीक्षा और निरीक्षण प्रणाली का संगठन, परिचालन और गुणवत्ता नियन्त्रण की आन्तरिक लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण तन्त्र तथा बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा-परीक्षा के लिए अनुवर्ती कार्यवाही तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण सम्मिलित है ।

समिति आन्तरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है, जो लोंग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में इंगित सभी विषयों की अनुवर्ती कार्यवाही तथा एलएफएआर के सम्बन्ध में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करती है । समिति रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में अनुपालन के मामले में लेखांकन मानकों के अनुपालन की भी समीक्षा करती है ।

समिति विशेषीकृत तथा अतिरिक्त बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करती है । यह अन्तर-

शाखा समायोजन खातों की समीक्षा के अलावा अंतर बैंक खातों में असंगत लंबी बकाया प्रविष्टियां, हाउसकीपिंग की स्थिति की समीक्षा भी करती है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर दस (10) बार बैठकें की:

13.05.19	02.08.19	30.11.19	30.03.20
24.06.19	11.10.19	05.02.20	--
22.07.19	07.11.19	05.03.20	--

लेखा-परीक्षा समिति की उक्त अवधि के दौरान आयोजित बैठकों में बैठकों की संख्या के साथ-साथ सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान आयोजित लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री बालगोपाल महापात्र (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सीए श्रेणी के तहत **अध्यक्ष** / अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	10	10
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 29.07.2019 तक)	सदस्य	3	3
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य	10	10
सुश्री अंजना दुबे भारत सरकार नामित निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य / गैर-कार्यपालक	10	9
श्री पी जे थॉमस भारि बैंक नामित निदेशक (26.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य / गैर कार्यपालक	10	10

3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)

बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन बैंक ने 28.06.2001 को किया है बैंक के सर्वोत्तम हित में इसका प्राथमिक उद्देश्य एक समूह को बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करने और जोखिम के स्तर का निर्धारण करने की पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है ।

वर्तमान में, समिति के गठन में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, भारत सरकार के नामित निदेशक और दो अन्य निदेशक के साथ किया गया है।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबन्धन समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर तीन बैठकें की :

25-06-2019	30-11-2019	30-03-2020

जोखिम प्रबन्धन समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है:

Name of the Director	निदेशक का प्रकार	उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान आयोजित जोखिम प्रबन्धन समिति की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ	01.04.2019 से to 31.03.2020	3	3
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक	01.04.2019 से 26.04.2019	1	1
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य (01.04.2019 से 31.03.2020)	3	3
सुश्री अंजना दुबे भारत सरकार नामित निदेशक	सदस्य (01.04.2019 से 31.03.2020)	3	3
श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक	सदस्य (01.04.2019 से 31.03.2020)	3	3

3.4 बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति :

बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति भारत सरकार के विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के निपटान और बैंक में विभागीय पूछताछ के निपटारे की स्थिति की विशेष रूप से समीक्षा करने के लिए गठित की गई है ।

समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दो कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार नामित निदेशक तथा आरबीआई नामित निदेशक सम्मिलित होते हैं: -

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर तीन बैठकें की:

22.07.2019	30.11.2019	05.03.2020

अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ 01.04.2019 से 31.03.2020	अध्यक्ष	3	3
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 29.07.2019 तक)	सदस्य	1	1
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य	3	3
सुश्री अंजना दूबे, भारत सरकार नामित निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य	3	2
श्री पी जे थॉमस भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य	3	3

3.5 उच्च मूल्य धोखाधड़ी निगरानी के लिए विशेष समिति:

उच्च मूल्य धोखाधड़ी निगरानी के लिए विशेष समिति, निदेशक मण्डल स्तरीय समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, विशेष रूप से रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए किया गया है ।

समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दो कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार नामित निदेशक, सीए श्रेणी के अंतर्गत तथा केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निर्वाचित निदेशक सम्मिलित होते हैं: -

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर तीन बैठकें की:

25.06.2019	29.11.2019	30.03.2020

उच्च मूल्य धोखाधड़ी निगरानी के लिए विशेष समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	इस अवधि के दौरान आयोजित बड़े मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ 01.04.2019 से 31.03.2020	अध्यक्ष	3	3
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक 01.04.2019 से 29.07.2019	सदस्य	1	1
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य	2	2
सुश्री अंजना दूबे भारत सरकार नामित निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य सदस्य	3	2
श्री बलगोपाल महापात्र सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य	3	3
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	सदस्य	3	3

3.6 शेयरधारकों से सम्बन्ध समिति

3.6.1 बैंक ने शेयरधारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण को विशेष रूप से देखने के लिए -रुशेयरधारकों की सम्बन्ध समितिरु-बोर्ड की एक समिति का गठन किया है ।

वर्तमान में समिति में 4 निदेशकों शामिल हैं यथा:

1. श्री जी शिवकुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से चुने गए निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
2. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 29.07.2019 तक)
3. कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020

तक)

4. श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

शेयरधारकों की सम्बन्ध समिति ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथि को तीन बार बैठकें कीः

25-06-2019	11-10-2019	05-03-2020

निदेशक का नाम एवं प्रकार	**शेयरधारकों की सम्बन्ध समिति की बैठकों की संख्या**	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	**उपस्थिति की संख्या**
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित समिति के अध्यक्ष/निदेशक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक	3	3
श्री अजित कुमार रथ सदस्य/कार्यपालक निदेशक 01.04.2019 से 29.07.2019 तक	1	1
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	3	3
श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	3	3

- **वर्ष के दौरान शेयरधारकों द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा शिकायतों के निराकरण का विवरण :**

दिनांक 01 अप्रैल 2019 को शेयरधारकों की लम्बित शिकायत / अनुरोध	शून्य
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायत / अनुरोध	2315
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाए गए शेयरधारकों की शिकायत / अनुरोध	2315
दिनांक 31 मार्च 2020 को लम्बित शेयरधारकों की शिकायत / अनुरोध	शून्य

3.7 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

दो कार्यपालक निदेशक, सीए श्रेणी के अंतर्गत एक निदेशक तथा केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक को सम्मिलित करते हुए समय-समय पर शेयर अंतरण समिति गठित की जाती रही हैः

वर्तमान में समिति में 4 निदेशक सम्मिलित हैं :

1. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक एवं समिति अध्यक्ष, (01.04.2019 से 29.07.2019 तक)
2. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
3. श्री बलगोपाल महापात्र, निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
4. श्री ए कृष्ण कुमार, निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

शेयर अंतरण समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथि को तीन बैठकें कीः

25.06.2019	29.11.2019	05.03.2020

वर्ष के दौरान समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न अनुसार हैंः

निदेशक का नाम एवं प्रकार	**शेयर ट्रांसफर समिति की बैठकों की संख्या**	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	**प्रतिभागिता संख्या**
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष/ कार्यपालक निदेशक 01.04.2019 से 29.07.2019 तक	1	----
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	3	3
श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	3	3
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक/ सदस्य (01.04.2019 से 31.03.2020)	3	3

3.8 बोर्ड की पारिश्रमिक समिति:

बैंक के वित्त मन्त्रालय (एमओएफ) के पत्र संख्या एफ20/1/2005-बीओआई दिनांकित 09.03.2007 के निर्देशानुसार दि. 24.03.2007 को बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की । एमओएफ पत्र के सन्दर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन सम्बद्ध लाभांश के पात्र होंगे जो कि निर्धारित विस्तृत संख्यात्मक श्रेणी के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स आधारित Sलक्ष्य अर्जन विवरणरु और गुणात्मक मानकों के अन्तर्गत तथा गत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्ट पर आधारित अंक आधारित कार्य-निष्पादन का विषय होंगे । संख्यात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन का आधार सम्बन्धित वर्ष का 31 मार्च का बैंक का लेखा परीक्षित वित्तीय डेटा होगा । वित्त मन्त्रालय पत्र सं. फाइल सं 12/1/2014 ऊॅग्ङ्ब्र्- दिनांकित 18.08.2015 के अनुसार, पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन सचिव (वित्तीय सेवाएं) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी ।

पारिश्रमिक समिति पूर्णकालिक निदेशकों यथा प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक के निष्पादन सम्बद्ध लाभांश का निर्णय करनेके लिए बैंक/पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करेगी ।

वर्तमान में, समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :

1. सुश्री अंजना दूबे, भारत सरकार की नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष) (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
2. श्री पी जे थॉमस, आरबीआई नामित निदेशक (26.04.2019 से

31.03.2020 तक)

3. श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

4. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई ।

3.9 बोर्ड की नामांकन समिति

बोर्ड की नामांकन समिति दि. 30.11.2007 को गठित की गई और दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर पुनर्गठित की गई तथा वर्तमान में निम्नलिखित निदेशक हैं:

1. सुश्री अंजना दूबे, भारत सरकार के नामित निदेशक (समिति अध्यक्ष) (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
2. श्री पी जे थॉमस, आरबीआई नामित निदेशक (26.04.2019 से 31.03.2020 तक)
3. श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
4. श्री ए कृष्ण कुमार, निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
5. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई ।

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति भारि बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र संख्या भारि बैंक/2010-11/494डीबीएस.सीओ.आइटीसी. बीसी.नं.6/31.02.2008/2010-11 में वर्णित दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 09 व्यापक क्षेत्रों यथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, सूचना सुरक्षा, आईएस लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा आउटसोर्सिंग, साइबर धोखाधड़ी, व्यापार निरन्तरता योजना, ग्राहक जागरूकता में जारी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम और कानूनी पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए गठित की गई है ।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथि को समिति ने दो बार बैठकें की :

19.06.2019	21.10.2019

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न अनुसार दी गई हैं :

निदेशक का नाम एवं प्रकार	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठक की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	प्रतिभागिता संख्या
श्री जी शिवकुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक समिति के अध्यक्ष (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	2	2
सुश्री अंजना दूबे, भारत सरकार की नामित निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	2	1
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 29.07.2019 तक)	1	1
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (30.07.2019 से 31.03.2020 तक)	1	1
श्री ए कृष्णा कुमार, निदेशक केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	2	2

3.11 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति दिनांक 02.02.2012 को भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में गठित की गई । समिति ऋण प्रस्तावों के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करती है:-

- तीन लाख करोड़ रुपये या इससे अधिक के व्यापार की 'क' श्रेणी के बैंकों के मामले में चार सौ करोड़ रुपए तक या
- अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में दो सौ पचास करोड़ रुपये तक ।
- ₹ 60 करोड़ से अधिक तथा ₹ 400 करोड़ तक (समूह: ₹ 800 करोड़) के ऋण प्रस्तावों पर बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाता है ।

समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान निम्न तिथियों को 23 बार बैठकें आयोजित की :

12.04.2019	12.06.2019	28.08.2019	06.11.2019	15.02.2020
17.04.2019	28.06.2019	17.09.2019	28.11.2019	29.02.2020
02.05.2019	05.7.2019	26.09.2019	05.12.2019	27.03.2020
08.05.2019	23.07.2019	01.10.2019	26.12.2019	--
29.05.2019	31.07.2019	29.10.2019	14.01.2020	--

ऋण अनुमोदन समिति की बोर्ड बैठकों की वर्ष के दौरान उनकी कार्यवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न अनुसार दिया गया है:

निदेशक का नाम एवं प्रकार	ऋण अनुमोदन समिति की बैठक की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	प्रतिभागिता संख्या
श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ 01.04.2019 से 31.03.2020 समिति अध्यक्ष	23	23

निदेशक का नाम एवं प्रकार	ऋण अनुमोदन समिति की बैठक की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	प्रतिभागिता संख्या
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2019 से 29.07.2019 तक)	9	7
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	23	20

3.12 मानव संसाधन प्रबन्धन पर बोर्ड की संचालन समिति :

बोर्ड ने दि. 05.06.2012 को भारत सरकार के सन्दर्भ में दीर्घकालिक जनशक्ति नियोजन अभ्यास, नई दक्षताओं के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास की समीक्षा के लिए खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के निर्देश उपर्युक्त समिति गठित की ।

वर्तमान निदेशक निम्नानुसार है:

1. श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ (समिति अध्यक्ष) (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
2. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (दि.01.04.2019 से 29.07.2019 तक)
3. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
4. सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
5. श्री ए कृष्णकुमार , निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
6. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई ।

3.13 एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए समिति:

वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के सन्दर्भ में दि. 28.11.2012 को नियमित आधार पर एनपीए में वसूली की प्रगति पर निगरानी के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय समिति गठित की ।

समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर दो बार बैठकें की: -

25.06.2019	29.**11.2019**

वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल की अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या के साथ एनपीए बैठकों में वसूली की निगरानी समिति में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम एवं प्रकार	एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए समिति की बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	में भाग लिया
श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 समिति अध्यक्ष	2	2
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक सदस्य (दि.01.04.2019 से 29.07.2019 तक)	1	1
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020)	2	2
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020)	2	2
श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अन्तर्गत निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020)	2	2
श्री ए. कृष्णकुमार, निदेशक सदस्य (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020)	2	2

3.14 ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत, ग्राहक सेवा पर बोर्ड की समिति बैंक में गठित की गई है ।

वर्तमान निदेशक निम्नानुसार है:

1. श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ (समिति अध्यक्ष) (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
2. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (दि.01.04.2019 से 29.07.2019 तक)
3. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
4. श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
5. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

ग्राहक सेवा पर समीक्षा और विचार-विमर्श करने के लिए समिति ने दि. 30.11.2019 को बैठक की । सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था ।

3.15 ग्राहक सेवा की समीक्षा के लिए विशेष बोर्ड बैठक:

ग्राहक सेवा की समीक्षा पर भारिबैंक मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत, ग्राहक सेवा पर समीक्षा और विचार-विमर्श के लिए दि. 18.09.2018 और

दि.16.03.2019 को विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई ।

वर्तमान निदेशकनिम्नानुसार है:

1. श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ (समिति अध्यक्ष) (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
2. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (दि.01.04.2019 से 29.07.2019 तक)
3. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
4. सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020)
5. श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
6. श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)
7. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई ।

3.16 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

सेबी (बाध्यता सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 25 (3) और (4) के अनुसार, बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की वर्ष में न्यूनतम एक बैठक अलग से आयोजित की जाएगी, प्रबन्धन के गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सदस्यों की उपस्थिति के बिना । कम्पनी के सभी स्वतंत्र निदेशक इस तरह की बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे ।

बैठक पूर्ण रूप से गैर-स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेगी, बैंक के कार्यपालक निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, बैंक के एमडी एवं सीईओ के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करें, गुणवत्ता, मात्रा और बोर्ड प्रबन्धन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की समयबद्धता जो बोर्ड के लिए प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है उसका आकलन करें।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई ।

3.17 इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ताओं पर भारिबैंक के मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत, बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति गठित की गई है ।

वर्तमान में, समिति में श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अन्तर्गत निदेशक तथा श्री कृष्ण कुमार, शेयरधारक निदेशक सम्मिलित हैं ।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान तीन बार दि. 25.06.2019, 29.11.2019, और 30.03.2020 को बैठकें की ।

वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल की अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या के साथ इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम एवं प्रकार	एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए समिति की बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	उपस्थिति
श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, समिति अध्यक्ष (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	3	3
श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अन्तर्गत निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	3	3
श्री ए. कृष्णकुमार, निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	3	3

3.18 गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति:

गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं पर भारिबैंक के मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत, बैंक द्वारा गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति गठित की गई है ।

वर्तमान में, समिति में श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक, श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अन्तर्गत निदेशक तथा श्री जी शिवकुमार, शेयरधारक निदेशक सम्मिलित हैं ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान समिति ने कोई बैठक नहीं हुई ।

3.19 डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए समिति

अपनी बैठक दि. 20.07.2017 में सचिवों की समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार बैंक द्वारा डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय उप-समिति गठित की गई है ।

निम्नलिखित निदेशक समिति के सदस्य हैं: -

1. श्री जी. शिवकुमार, निदेशक, अध्यक्ष (दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)
2. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2019 से दि. 29.07.2019 तक)
3. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)
4. सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2019 से दि.31.03.2020)
5. श्री ए. कृष्ण कुमार, निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एक बार दिनांक 26.06.2019 को बैठक की ।

निदेशक का नाम एवं प्रकार	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठक की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	उपस्थिति
श्री जी. शिवकुमार सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक (दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)	1	1
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामित निदेशक (दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)	1	---
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि.01.04.2019 से दि. 29.07.2019 तक)	1	1
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)	1	1
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक (दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)	1	1

3.20 चुनाव विवाद समिति

आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के अनुसार, उपर्युक्त समिति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत कार्यपालक निदेशक और किसी भी दो नामित निदेशकों यानि हमारे बैंक के बोर्ड में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक से संबंधित होगी ।

निम्नलिखित निदेशक समिति के सदस्य हैं: -

1. श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष (दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)
2. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, समिति के अध्यक्ष (दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)
3. सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामित निदेशक, सदस्य (दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)
4. श्री पी जे थॉमस, भारिबैंक नामित निदेशक, सदस्य (दि. 26.04.2019 से दि.31.03.2020 तक)

समिति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई बैठक नहीं की गई थी ।

अन्य प्रकटीकरण:

क) स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों के विवरण बैंक की वेबसाइट: www.andhrabank.in पर ऽनिदेशक मण्डलरु टैब के अन्तर्गत उपलब्ध हैं ।

ख) निष्पक्ष प्रथाओं का कोड बैंक की वेबसाइट: www.andhrabank.in पर टैब ऽनिवेशक संबंधरु के अन्तर्गत उपलब्ध है ।

3.21 अन्य समितियां:

प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकों, महा प्रबन्धकों और विभागीय अधिकारियों समेत अन्य कार्यकारी समितियां हैं जिन्हें व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के प्रतिदिन की कार्यप्रणाली, समीक्षा और निगरानी के लिए गठित किया गया है । कुछ महत्वपूर्ण कार्यकारी समितियां निम्नानुसार हैं:

1. संपत्ति देयता समिति (एएलसीओ)
2. परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरएमसी)
3. निवेश समिति (आईसी)
4. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति (आरबीएससी)
5. क्रेडिट जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी)
6. आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन समिति (आईसीएएपी)

क. संपत्ति देयता समिति (एएलसीओ)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक एएलसीओ के प्रमुख हैं । एएलसीओ के सदस्य हैं:

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. महा प्रबन्धक (आईआईबी)
4. महा प्रबन्धक (सी एवं आईएफडी)
5. महा प्रबन्धक (आयोजना)
6. महा प्रबंधक (लेखा/सीएफओ)
7. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

सहायक महा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) - समिति के संयोजक हैं ।

समिति के मुख्य कार्य:

1. एएलसीओ के कार्य तीन प्रकार के हैं - (i) कार्यनीति आयोजना (ii) उत्पाद मूल्य निर्धारण और (iii) जोखिम प्रबन्धन ।
2. एएलसीओ ब्याज दर और चलनिधि जोखिम के रणनीतिक प्रबन्धन सहित जोखिम रिटर्न परिप्रेक्ष्य से तुलन-पत्र आयोजना के लिए जिम्मेदार निर्णय लेने वाली इकाई है ।
3. एएलसीओ बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं / मानकों के भीतर संचालन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
4. एएलसीओ बैंक के वर्तमान ब्याज दर के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है और तदनुसार भविष्य की व्यावसायिक कार्यनीतियों के लिए अपने निर्णय का आधार बनाता है ।

ख. परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन समिति [ओआरएमसी]

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक ओआरएमसी के प्रमुख

हैं । ओआरएमसी के सदस्य हैं:

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. प्रधान कार्यालय के सभी महा प्रबन्धक
4. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)
5. मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)
6. मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)

सहायक महा प्रबन्धक /मुख्य प्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) समिति के संयोजक हैं ।

समिति के मुख्य कार्य:

1. समय-समय पर आरंभ किए गए परिचालनात्मक जोखिम घटकों सहित नीतियों, उत्पादों / प्रक्रियाओं / प्रणालियों और प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा और अनुमोदन ।
2. आकलन, रिपोर्टिंग, पूँजी और डेटाबेस की हानि घटना सहित परिचालनात्मक जोखिम पद्धतियों और उपकरणों के विकास और कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुमोदन ।
3. निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि उपर्युक्त परिचालन जोखिम प्रबन्धन रूप-रेखा का सही से पालन किया जा रहा है ।
4. सुनिश्चित करना कि ओआरएमसी में रिपोर्ट के कैलेंडर पर चर्चा की गई है और आवश्यकतानुसार आरएमसी को सूचित किया गया है ।
5. परिचालनात्मक जोखिम के प्रबन्धन के लिए उपर्युक्त नियन्त्रण / न्यूनता पर चर्चा करना और सलाह देना ।
6. सभी व्यावसायिक इकाइयों में जोखिम जागरूकता बनाएं और बढ़ावा देना ।
7. व्यावसायिक क्षेत्रों और कर्मचारियों के घटकों से परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन का महत्व सूचित करना ।

ग. निवेश समिति (आईसी)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक आईसी के प्रमुख हैं । आईसी के सदस्य हैं:

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. महा प्रबन्धक (कार्पोरेट आयोजना)
4. महा प्रबंधक (सी एवं आईएफडी)
5. महा प्रबंधक (लेखा)
6. महा प्रबन्धक (निवेश और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/उप महा प्रबंधक आईआईबी)
7. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

सहायक महा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) समिति के संयोजक हैं ।

समिति के मुख्य कार्य:

1. निवेश समिति वित्तीय बाजारों यानि बैंक के निवेश-सूची में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है;
2. यह आईआईबी की प्रति दिन की गतिविधियों की निगरानी करती है और निवेश-सूची में निवेश की सलाह / अनुमोदन देती है;
3. यह अभिनियोजित निधि पर वापसी को अधिकतम करने के लिए सुविधा प्रदान करती है ।

घ. जोखिम आधारित पर्यवेक्षी समिति (आरबीएससी)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक आरबीएससी के प्रमुख हैं । आरबीएससी के सदस्य हैं -

1. प्रबन्ध निदेशक एव सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. प्रधान कार्यालय में सभी महा प्रबन्धक
4. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)
5. मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)

सहायक महा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) समिति के संयोजक हैं ।

सहायक महा प्रबंधक (सतर्कता) तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) को उनके क्षेत्र से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए ।

समिति के मुख्य कार्य :

1. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए कार्य-बिन्दुओं के कार्यान्वयन की प्रगति के निरीक्षण का कार्य समिति द्वारा किया जाएगा ।
2. तिमाही अन्तराल पर बोर्ड के समक्ष प्रगति रिपोर्ट समीक्षा के लिए रखी जाएगी ॐद्रह्व जोखिम आधारित आन्तरिक मूल्यांकन अधीन जोखिम रेटिंग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीएस डाटा प्रस्तुतीकरण/अपलोड करना।

ड़. ऋण जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी) :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक सीआरएमसी के प्रमुख हैं । सीआरएमसी के सदस्य हैं -

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. महा प्रबन्धक (सीआरएमडी)
4. महा प्रबन्धक (सी एवं आईएफडी)
5. महा प्रबन्धक (एमएसएमई)
6. महा प्रबन्धक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)
7. महा प्रबन्धक (खुदरा ऋण)
8. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

सहायक महा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) समिति के संयोजक हैं ।

समिति के मुख्य कार्य :

1. समिति बोर्ड/जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीतियों/कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है ।
2. समिति व्यापक रूप से बैंक की ऋण जोखिम की निगरानी करती है तथा बैंक अनुमोदित जोखिम पैरामीटर/विवेकपूर्ण मानदंड़ सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है तथा जोखिम सकेंद्रण की निगरानी करती है । समिति बैंक की ऋण प्रस्तावों, वित्तीय औचित्य की प्रस्तुति हेतु मानकों तथा बड़े ऋण प्रस्तावों, ऋण संपार्श्विक हेतु मानकों, लक्षित विशिष्ट ग्राहक समूहों के लिए विकसित विभिन्न ऋण योजनाओं के अनुमोदन सहित रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण के अनुमोदन, नीति निर्माण हेतु आरएमसी/बोर्ड को सिफारिश करती है।
3. समिति ऋण अनुमोदन शक्तियों, ऋण एक्सपोजर पर विवेकाधीन सीमा, संपार्श्विक ऋण हेतु मानक, पोर्टफोलियो प्रबन्धन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम संकेन्द्रण, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन, ऋण का कीमत निर्धारण, प्रावधान, नियामक/कानूनी अनुपालन इत्यादि के प्रतिनिधिमण्डल पर भी निर्णय लेती है ।

च. आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन समिति (आईसीएएपी)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक आईसीएएपी की कार्यपाकल स्तरीय समिति के प्रमुख हैं। आईसीएएपी के सदस्य हैं:

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. प्रधान कार्यालय के सभी महा प्रबन्धक
4. मुख्य जोखिम अधिकारी (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग)
5. सहायक महा प्रबन्धक/मुख्य प्रबंधक (आईआरएमडी) संयोजक

समिति के कार्य:

1. आईसीएएपी की कार्यपालक स्तरीय समिति आईसीएएपी दस्तावेज़ में किए गए आकलन की जांच करती है और दस्तावेज़ के लिए संशोधनों / परिवर्तन, यदि कोई हो, तो सुझाव देती है तथा
2. समिति आईसीएएपी दस्तावेज को प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश करती है और इसके बाद बोर्ड के समक्ष् मंजूरी के लिए प्रस्तुत करती है ।

4. सामान्य निकाय बैठकें :

4.1 वार्षिक साधारण बैठक

सामान्य निकाय बैठक	तिथि	समय	स्थान
सत्रहवीं एजीएम	21.07.2017	प्रात: 10.00 बजे	ज्पट्टाभि भवनालयट, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद , हैदराबाद - 500004
अठारहवीं एजीएम	09.07.2018	12.00 बजे दोपहर	श्री सत्य साई निगमगमम, 8-3-987/2, श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद -500 073
उन्नीसवीं एजीएम	09.07.2018	प्रात: 11.00 बजे	वसवि कल्यान मंतपम #6-1-91, पोट्टी श्रीरामुलु मार्ग, संसेशन थेयटर के विपरीत, खैरताबाद, हैदराबाद ॐ 500004

अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठकों में, नीचे दिए गए विशेष संकल्प दि. 09.07.2018 को हुई एजीएम पर शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए थे:

- योग्य संस्थागत नियोजन, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, इत्यादि द्वारा पूँजी जुटाना ।

  सत्रहवीं और उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में, कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था ।

  पिछले तीन वर्षो के दौरान डाक मतपत्र द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था ।

4.2 असाधारण सामान्य बैठक

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक का विवरण निम्नानुसार है :

तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
06.05.2017	प्रातः 11.00 बजे	ज्पट्टाभि भवनालयट, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद , हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 19,16,37,630 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए । योग्य संस्थागत नियोजन, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, इत्यादि द्वारा पूँजी जुटाना (विशेष संकल्प)
12.03.2018	प्रातः 11.00 बजे	ज्पट्टाभि भवनालयट, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 32,60,30,705 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए । (विशेष संकल्प)
19.09.2018	प्रातः 11.00 बजे	ज्पट्टाभि भवनालयट, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद , हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को कुल राशि रुपये 2019 करोड़ के 53,99,83,952 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए । (विशेष संकल्प)
22.03.2019	प्रातः 11.00 बजे	ज्पट्टाभि भवनालयट, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद , हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को कुल राशि रुपये 3256 करोड़ के 114,56,72,061 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए । (विशेष संकल्प)

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान हुई शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
26.02.2020	प्रातः 11.00 बजे	ज्पट्टाभि भवनालयट, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को कुल राशि रु. 200 करोड़ के 11,10,49,416 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए। (विशेष संकल्प)

4.3 घोषणाएं और प्रमाण पत्र

1. बैंक ने निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबन्धन से आचार संहिता अपनाई है, जिसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.andhrabank.in पर उपलब्ध है । सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबन्धन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंत में अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र दिया गया है ।
2. बैंक ने बैंक प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता भी तैयार की है।

4.4 प्रकटीकरण

1. बैंक ने शेयरों की पूँजी के बाद से पूँजी बाजार से संबंधित मामलों के बारे में सभी आवश्यकताओं का पालन किया था और पिछले तीन वर्षों में स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी अथवा पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले का अनुपालन करने के लिए किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना लगाना अथवा निन्दा नहीं किया गया ।
2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी लेखा मानक -18 के अनुसार दि.31.03.2020 को बैंकों के संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए लेखानुदान, तुलन-पत्र की अनुसूची में प्रकटीकरण किया गया है । इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी लेन-देन नहीं है जो कि बैंक हित के विरूद्ध है ।
3. निदेशक और वरिष्ठ प्रबन्धन कर्मियों को बैंक द्वारा तैयार आदर्श आचार संहिता द्वारा पुष्टि की जाती है और यह बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है ।
4. सेबी की (पूँजी दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार बैंक के कार्यपालक निदेशकों और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा निष्पादित अनुपालन प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।
5. दि.31.03.2020 को गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा आयोजित शेयरों की संख्या नीचे दी गई है:

1. श्री ए. कृष्णकुमार 200 शेयर

2. श्री जी. शिवकुमार 100 शेयर

अन्य सभी गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास बैंक के इक्विटी शेयर नहीं हैं ।

6. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 के अनुसार निदेशकों अथवा कोई फर्म जिसके प्रति निदेशकों की रुचि हो अथवा कोई कम्पनी जिसमें बैंकिंग कम्पनी का कोई निदेशक निदेशक, प्रबन्धक, कर्मचारी अथवा गारंटर अथवा जिसमें उसकी काफी रुचि हो, के लिए बैंक द्वारा ऋण और अग्रिमों में निषेध है । अत:, बैंक को अपने निदेशक, प्रबन्धन और/अथवा रिश्तेदारों के साथ प्रमुख रूप से संबंधित लेन-देन नहीं हैं, जो विस्तृत रूप से बैंक हित पर संभाव्य संघर्ष करेंगे ।

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर 1 / टियर 2 पूँजी जुटाने के लिए निम्नलिखित लिखत जारी किए हैं:

उपकरण विवरण	जारी तिथि (आबंटन)	जारी मूल्य	वर्द्धित राशि (राशि करोड़ में)
भारत सरकार को प्रत्येक 10/- रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन	04.03.2020	प्रति शेयर 18.01/- रु.	200

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने कोई भी टीयर - II पूंजी का उपयोग नहीं किया है ।

बेसल III पूँजी विनियमों के सन्दर्भ में बैंक की पूँजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए टियर-1 और टियर 2 पूँजी बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से राशि में वृद्धि हुई थी । वर्द्धित पूँजी का उपयोग पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था ।

8. बोर्ड की उप-समितियों का संविधान और दायरा मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार और अन्य लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार है ।

9. पण्य कीमत जोखिमों और पण्य बचाव-व्यवस्था गतिविधियों का प्रकटीकरण : लागू नहीं ।

10. बैंक ने अन्य सभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का पालन किया है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 से 27 और 46 (2) (बी) से (आई) अथवा उसमें कोई संशोधन में निर्दिष्ट है ।

11. बैंक ने सेबी पूँजी विनियमों की अनुसूची V के उप-अनुच्छेद (2) से (10) की कॉर्पोरेट गवर्नेस रिपोर्ट की आवश्यकता का पालन किया है ।

12. अधिमान आबंटन के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई निधियों का पूर्ण उपयोग किया गया तथा बैंक ने क्यूआईपी के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है ।

13. सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नेटवर्क संस्था/नेटवर्क इकाई में सभी इकाईयां जिनका सांविधिक लेखा परीक्षक भाग हैं, हेतु समेकित आधार पर बैंक तथा इसके अनुषंगियों द्वारा सभी सेवाओं हेतु प्रदत्त कुल शुल्क :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों हेतु प्रदत्त शुल्क संबंधित विवरण बैंक के स्टैंडएलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 16 में प्रकट किया गया है ।

14. सूचीकरण विनियमन की विनियम 16 की अपेक्षता के संदर्भ में, कंपनी बैंक की कार्यात्मक वेबसाईट का रखरखाव करती है तथा बैंक की वेबसाईट पता www.andhrabank.in है ।

15. निम्नलिखित नीतियां 'निवेशक संबंध' टैब के अंतर्गत बैंक की वेबसाईट : www.andhrabank.in पर उपलब्ध हैं :

- 'तात्विक अनुषंगियों' के परिकलन के लिए नीति
- संबंधित पार्टी लेन-देन से संबंधित नीति
- लाभांश वितरण नीति

16. बैंक से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं :

क.	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज शिकायत की संख्या	1
ख.	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाए गए शिकायत की संख्या	1
ग.	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लंबित शिकायत की संख्या	0

अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सन्दर्भ में बैंक ने सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया है ।

- **व्हिसल ब्लोअर नीति**

  बैंक ने "सार्वजनिक ब्याज प्रकटीकरण और सूचना के संरक्षण" (पीआईडीपीआई) और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 पर भारत सरकार के संकल्प के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है । इसके अन्तर्गत, एक कर्मचारी को इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र शामिल किया गया है कि कर्मचारी कैसे अनैतिक व्यवहार, यदि कोई हो, तो वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण या नैतिकता का उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है । यह पुष्टि की जाती है कि यह तंत्र अनुचित समाप्ति और अन्य अनुचित रोजगार अभ्यास से कर्मचारी के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है जिन्होंने इस तंत्र का उपयोग किया है और किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति में प्रवेश के लिए मना नहीं किया गया है ।

  बैंक द्वारा बनाई गई व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट: www.andhrabank.in पर उप टैब: ञ्नीतियांट के अन्तर्गत टैब ञनिवेशक संबंधट के अन्तर्गत उपलब्ध है ।

- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग ई में उल्लिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य आवश्यकता	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	**बोर्ड** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हो सकता है और उसे अपने कर्तव्यों के निषादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दी जा सकती है।	बोर्ड बैंकिंग कम्पनी (अधिग्रहण और उपक्रम के अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा (9) (3) के अनुसार गठित किया गया है । अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं है ।
2.	**शेयरधारक अधिकार** गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों के घर पर भेजी जानी चाहिए ।	बैंक ने सभी शेयरधारकों को वर्ष 2018-19 के दौरान महत्वपूर्ण विकास के सारांश के साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम भेजे हैं ।
3.	**लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत** सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखा-परीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण दे सकती है ।	सांविधिक लेखा परीक्षकों ने दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई पात्रता जारी नहीं की है ।
4.	**अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग पद** सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद हेतु अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है ।	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ.सं.4/2/2018-बीओ.आई दिनांक 21 सितम्बर, 2018 के माध्यम से बैंक के प्रबन्ध निदेशक और सीईओ को नियुक्त किया, चूंकि बैंक का बोर्ड बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा (9) (3) के अनुसार गठित किया गया है ।
5.	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं ।	महा प्रबन्धक, निरीक्षण विंग (आंतरिक लेखा-परीक्षा) तथा उनके द्वारा नामित अधिकारियों के पास सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यों तथा कर्मियों हेतु अप्रतिबंधित एक्सेस है एवं बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबन्धन की लेखा-परीक्षा समिति तक पूर्ण एवं नि: शुल्क पहूँच है ।

4.5 वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक* का विवरण

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है । वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के पूर्ण-कालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ में)

निदेशक	वेतन	बैठक शुल्क	कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि	
			वित्तीय वर्ष अवधि	राशि
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	2943684.00	--	--	--
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (दि. 01.04.2019 से दि. 29.07.2019 तक)	668640.00	--	--	--
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (दि. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	2631763.00	--	--	--

* पारिश्रमिक में वेतन, लाभ, परिलब्धियाँ आदि सम्मिलित हैं ।

गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क, यात्रा एवं ठहरने हेतु व्यय के अलावा, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु, कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जा रहा है । भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है ।

5. संचार के माध्यम

तिमाही वित्तीय परिणाम शेयर बाजारों जहां निर्धारित समय-सीमा के अन्दर बैंक के शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, में प्रस्तुत किए जाते हैं ।

बैंक का मानना है कि सभी शेयरधारकों को विभिन्न गतिविधियों, कार्य-निष्पादन तथा उत्पाद पहलों की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए । वर्ष 2019-20 हेतु बैंक के वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए । परिणाम बैंक की वेबसाइट www.andhrabank.in पर भी उपलब्ध कराए गए । वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है । प्रत्येक वर्ष वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा तिमाही परिणामों की घोषणा के पश्चात, उसी दिन मुम्बई में विश्लेषकों की मीटिंग आयोजित की जाती है जिसमें प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं ।

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 वित्तीय परिणाम तथा अन्य संवेदनशील सूचनाएं शेयर बाजार को प्रस्तुत की जाती है । बैंक अपनी वेबसाइट में आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी प्रदर्शित करता है ।

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक तथा अन्य उच्च कार्यपालक भारत के अन्य स्थानों पर तथा विदेशों में दौरे के दौरान, निधि प्रबन्धकों एवं प्रेस के साथ व्यक्तिगत रूप से आपसी बैठक करते हैं तथा उन्हें बैंक के कार्य-निष्पादन की जानकारी देते हैं । बैंक ने वित्तीय परिणामों पर संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण दिया, ये प्रस्तुतियां शेयर बाजारों को प्रस्तुत की गई हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई हैं । निम्नलिखित समाचार पत्र मुख्य रूप से वित्तीय परिणाम तथा नोटिस को कवर करते हैं :

अंग्रेज़ी	फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन (दैनिक)
तेलुगू	इनाडु, शाक्षी, आन्ध ज्योति, विशालान्ध्रा, मना तेलंगाना (दैनिक)
हिन्दी	हिन्दी मिलाप (दैनिक)

6. शेयरधारकों की जानकारी

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है । दिनांक 31.03.2020 तक बैंक की 2874 शाखाएं, 36 आंचलिक कार्यालय और 06 सर्कल कार्यालय हैं ।

बैंक के शेयर निम्नलिखित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं :

क. बीएसई लिमिटेड
25 वां तल, फिरोज़ जीजीभाई टावर्स
दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001

प्रतीक : 532418
स्टॉक कोड/सिस्टम: ANDBKDM

ख. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
एक्सचेंज प्लाजा,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051

स्टॉक कोड/प्रतीक : ANDHRABANK

दिनांक 31.03.2020 तक वार्षिक सूचीकरण शूल्क का भुगतान किया गया है ।

6.2 साख श्रेणी निर्धारण : दि. 31.03.2020 को अशोधित बॉण्ड/जमा कार्यक्रम के साथ उनकी साख रेटिंग निम्न अनुसार हैं :

क्र. सं.	बॉण्ड के प्रकार	जारी आकार (₹ करोड़ में)	कूपन दर % (प्रति वर्ष)	साख श्रेणी निर्धारण
1	अतिरिक्त टीयर I	800.00	9.55	केयर ए+(विकासशील परिणाम सहित साख श्रेणी की निगरानी)
2	अतिरिक्त टीयर I	900.00	10.95	क्रिसिल एए-/ नकारात्मक, केयर ए+(विकासशील परिणाम सहित साख श्रेणी की निगरानी)
3	अतिरिक्त टीयर I	500.00	10.99	क्रिसिल एए-/ नकारात्मक, केयर ए+(विकासशील परिणाम सहित साख श्रेणी की निगरानी)
4	टीयर II	500.00	8.58	क्रिसिल एए+/ नकारात्मक, केयर एए (विकासशील परिणाम सहित साख श्रेणी की निगरानी)
5	टीयर II	1000.00	8.63	
6	टीयर II	1000.00	8.65	
7	टीयर II	500.00	7.98	
8	इन्फ्रा बॉण्ड	500.00	9.35	केयर एए (विकासशील परिणाम सहित साख श्रेणी की निगरानी) क्रिसिल एए+/ नकारात्मक
9	जमा रसीद	15235.00	परिपक्वता तथा बाजार में प्रचलित ब्याज दर के आधार पर	केयर ए1+ (विकासशील परिणाम सहित साख श्रेणी की निगरानी)

वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान साख रेटिंग में कोई संशोधन नहीं है ।

7. प्रतिभूतियों का अमूर्तिकरण

बैंकों के शेयर सेबी की अनिवार्य अमूर्त सूची के अन्तर्गत है एवं बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण हेतु एक निर्गमी कम्पनी के रूप में बैंक नैशनल सिक्योरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के डिपाजिटरी सेवाओं का सदस्य है। शेयरधारक अपने शेयरों का एनएसडीएल या सीडीएसएल में अमूर्तिकरण कर सकते हैं। डिपॉजिटरी सेवाओं ने बैंक को निम्नलिखित आईएसआईएन संख्या नंबर आबंटित किया है।

एनएसडीएल - INE434A01013

सीडीएसएल - INE434A01013

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक, बैंक के 2,40,874 शेयरधारकों में से 28656 शेयरधारकों के शेयर मूर्त रूप में है और 2,12,218 शेयरधारक के शेयर अमूर्त रूप में हैं। बैंक के कुल 3,09,55,37,256 इक्विटी शेयरों में से 2,73,16,84,046 इक्विटी शेयर भारत सरकार के पास हैं तथा शेष 36,38,53,210 आम जनता को निर्गमित किए गए हैं। दिनांक मार्च 31, 2020 को मूर्त शेयर 0.42% तथा अमूर्त शेयर 99.58% रहा।

7.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है।

7.2 शेयर अन्तरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी अन्तरण उनके प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दर प्रभावी हों। बोर्ड ने अन्तरणों की पुष्टि हेतु एक शेयर अन्तरण समिति गठित की है, जिसकी नियमित अन्तराल पर बैठक होती है।

रजिस्ट्रार तथा शेयर अन्तरण एजेंट निर्धारित सांविधिक अवधि के अन्दर अन्तरण की प्रक्रिया करते हैं, जिसकी पुष्टि शेयर अन्तरण समिति द्वारा की जाती है।

शेयर अन्तरण, लाभांश का भुगतान तथा निवेशकों से सम्बन्धित अन्य सभी क्रियाकलापों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेंट, मैसर्स एमसीएस शेयर अन्तरण एजेंट लिमिटेड, मुंबई के कार्यालय में की जाती है।

शेयरधारक अन्तरण विलेख एवं अन्य कोई दस्तावेज तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट के निम्नलिखित पते पर भेज हैं :

मैसर्स एमसीएस शेयर अन्तरण एजेंट लिमिटेड
यूनिट : आन्ध्रा बैंक
ए-2019, 'सी' विंग, द्वीतिय तल
गोकुल औद्योगिक एस्टेट, सागबौग
मरोल को-ऑपरेटिव ईंडस्ट्रीयल एरिया, बी/एच टाइम्स स्क्वार
अंधेरी (ई), मुंबई - 400 059
फोन नं. 022-28516020/23
फैक्स नं. 022-40206021
संपर्क व्यक्ति : श्री सुबोध विचारे
ई-मेल आईडी : mcssta.mumbai@gmail.com;
subodh@mcsregistrars.com

बैंक प्रधान कार्यालय के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग में निवेशक सेवाओं से सम्बन्धित कार्य भी करता है। कोई भी संसूचना/पत्राचार/अनुरोध/शिकायत को निवारण हेतु निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:

कम्पनी सचिव
शेयरधारकों/निवेशक संबंध अनुभाग
आन्ध्रा बैंक,
डॉ पट्टाभि भवन, प्रधान कार्यालय
5-9-11, सैफाबाद
हैदराबाद - 500 004
टेलीफोन : 040-23252371 फ़ैक्स 040-23230883;
ई-मेल पता : mbd@andhrabank.co.in

7.3 एस्क्रो खाता खोलना

सेबी ने अपने परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा इक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार, किसी पब्लिक इश्यू अथवा अन्य इश्यू के कारण मूर्त रूप में जारी शेयरों हेतु, जो अदावे रूप में रह जाते हैं, जारीकर्ता कम्पनी को उसमें

निहित प्रक्रिया का पालन करना है ।

बैंक ने आन्ध्रा बैंक केन्द्रीकृत डीपी शाखा, कोटी, हैदराबाद में एस्क्रो खाता खोला है तथा दिनांक 25.03.2010 को हमारे फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर में भाग लेने वाले शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को अंतरित किया है । बैंक ने 183 शेयरधारकों से संबंधित 27,279 अदावाकृत शेयरों को उपर्युक्त एस्क्रो खाते में अन्तरित किया ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, खाते से शेयरधारकों के डीमैट खातों में इक्विटी शेयर के अंतरण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । उचंत खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या 18,947 शेयर हैं ।

इन अदावी शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि ऐसे शेयरों के न्यायसम्मत मालिक शेयरों का दावा नहीं करते हैं ।

निम्नलिखित अदावी लाभांश राशि का शेष बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 बी के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अन्तरित किया जाएगा तथा इसके पश्चात शेयरधारकों द्वारा बैंक अथवा आईईपीएफ को भुगतान हेतु कोई दावा नहीं होगा:

क्र. सं.	अदत्त लाभांश खातों के विवरण	लाभांश भुगतान तिथि	दिनांक 31.03.2020 को शेष राशि (रुपये में)	आईईपीएफ में अन्तरण करने की देय तिथि
1	अदत्त लाभांश खाता 2012-13	29.07.2013	2,87,11,340.00	05.11.2020
2	अदत्त लाभांश खाता 2013-14	31.01.2014	83,81,586.90	07.04.2021
3	अदत्त लाभांश खाता 2014-15	17.07.2015	1,52,45,362.00	24.10.2022
4	अदत्त लाभांश खाता 2015-16	26.07.2016	6008429.50	02.11.2023

वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया था ।

8. वित्तीय कैलेंडर

8.1 शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक:

बैंक के शेयरधारकों की उन्नीसवीं वार्षिक साधारण बैठक का विवरण :

वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय एवं स्थान	सोमवार, 29 जुलाई, 2019 प्रात: 11.00 बजे वसवी कल्याण मंतपम, # 6-1-91,पोट्टी श्रीरामुलु मार्ग, सेंसेशन थेयटर के विपरीत, खैरताबाद, हैदराबाद -500004

8.2 वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

अवधि की समाप्ति पर तिमाही परिणामों का अनुमोदन :
दिनांक 30 जून, 2020 - जुलाई, 2020 के अंत तक
दिनांक 30 सितंबर, 2020 - अक्टूबर, 2020 के अंततक
दिनांक 31 दिसंबर, 2020 - जनवरी, 2021 के अंततक
दिनांक 31 मार्च, 2021 - लेखा परीक्षित वार्षिक खाते - अप्रैल, 2021

8.3 वार्षिक सामान्य बैठक हेतु लेखा बन्दी की तिथि

दिनांक 23.07.2019 से 29.07.2019 (दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक बही बन्दी ।

8.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है ।

8.5 दिनांक 31.03.2020 को शेयरधारिता का स्वरूप

क्र. सं.	वर्ग	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों का %
01	भारत सरकार	1	2731684046	88.2459
02	आम जनता	238116	231793753	7.4880
03	एनआरआई/ओसीबी	1683	3356321	0.1084
04	निजी कॉर्पोरेट निकाय	973	11347768	0.3666
05	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	5	3247	0.0001
06	बैंक/ वित्तीय संस्थान/बीमा कम्पनी	32	97837231	3.1606
07	विदेशी संस्थागत निवेशक	38	19032037	0.6148
08	अन्य	26	482853	0.0156
	कुल	240874	3095537256	100.0000

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक कुल विदेशी शेयरधारिता 0.7232% ((दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 1.1019%) रही, जो बैंक की प्रदत्त पूंजी के 20% के निर्धारित स्तर के अन्दर है :

क्र. सं.	वर्ग	दिनांक 31.03.2019 तक		दिनांक 31.03.2020 तक	
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	46	28789798	38	19032037
2.	एनआरआई/ओसीबी	1706	2995069	1683	3356321
	कुल	**1780**	**31784867**	**1721**	**22388358**

8.6 बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए हैं।

8.7 दिनांक 31.03.2020 को बैंक के शीर्ष 5 शेयरधारक

आन्ध्रा बैंक - दिनांक 31.03.2020 को शीर्ष 5 शेयरधारक			
क्र. सं.	**धारक का नाम**	**धारिता**	**कुल धारिता का %**
1	भारत सरकार	2731684046	88.2459
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	95003910	3.0691
3	वेंगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	3410876	0.1102
4	इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो कोर इक्वीटी	3046243	0.0984
5	भारतीय सामान्य बीमा निगम	2454500	0.0793

9. दिनांक 31-03-2020 तक श्रेणी-वार शेयरधारकों का वितरण

अंकित मूल्य	शेयरधारक		शेयर राशि	
	धारक	%	राशि	%
5000 तक	184650	76.6583	310620420	1.0034
5001 - 10000	24789	10.2913	207610570	0.6707
10001 - 20000	12087	5.018	182063080	0.5881
20001 - 30000	4664	1.9363	119555160	0.3862
30001 - 40000	1661	0.6896	59762750	0.1931
40001 - 50000	3376	1.4016	163678450	0.5288
50001 - 100000	5568	2.3116	451835350	1.4596
100001 तथा अधिक	4079	1.6933	29460246780	95.1701
कुल	**240874**	**100**	**30955372560**	**100**

(*) मुंबई में प्रतिनिधि कार्यालय वाले एफआईआई/एनआरआई शेयरधारक सम्मिलित हैं ।

दिनांक 31/03/2020 को आन्ध्रा बैंक राज्य वार नियंत्रण			
राज्य का नाम	**धारकों की संख्या**	**कुल धारिता**	**%**
अंडमान निकोबार	12	1521	0.0000
आन्ध्र प्रदेश	55362	65027538	2.1007
अरुणाचल प्रदेश	5	1019	0.0000
असम	647	817153	0.0264
बिहार	2224	3807338	0.1230
चंडीगढ़	393	351208	0.0113
छत्तीसगढ	928	726884	0.0235
दिल्ली	9350	2743402111	88.6244
गोवा	483	500765	0.0162
गुजरात	12067	9914233	0.3203
हरियाणा	2474	2567335	0.0829
हिमाचल प्रदेश	251	171077	0.0055
जम्मू कश्मीर	260	161322	0.0052
झारखण्ड	1696	2353982	0.0760
कर्नाटक	13397	9885025	0.3193
केरल	4358	3234253	0.1045
मध्य प्रदेश	3180	2560020	0.0827
महाराष्ट्र	24943	140154579	4.5276
मणिपुर	13	17099	0.0006
मेधालय	33	26213	0.0008
मिजोरम	1	500	0.0000
नागालैंड	22	19973	0.0006
ओडीशा	5429	5504454	0.1778
पौंडिचेरी	337	259133	0.0084
पंजाब	1888	1490057	0.0481
राजस्थान	4746	3853199	0.1245
सिक्किम	20	129860	0.0042
तमिलनाडु	16853	12885065	0.4162

दिनांक 31/03/2020 को आन्ध्रा बैंक राज्य वार नियंत्रण			
राज्य का नाम	धारकों की संख्या	कुल धारिता	%
तेलंगाना	39041	49238339	1.5906
त्रिपुरा	60	22896	0.0007
उत्तर प्रदेश	8143	6374172	0.2059
उत्तरांचल	691	491097	0.0159
पश्चिम बंगाल	8689	7413858	0.2395
अन्य	22878	22173978	0.7163

10 शेयर मूल्य, शेयर बाजार में व्यापार किए गए शेयरों की मात्रा

अवधि	भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड			बीएसई लिमिटेड, मुंबई		
माह	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा
अप्रैल, 2019	33.65	24.55	47855725	33.30	24.00	12354159
मई, 2019	26.35	22.75	24520511	26.15	23.10	11723544
जून, 2019	25.20	22.70	15619031	25.20	22.25	15212456
जुलाई, 2019	24.20	18.50	14772101	24.25	18.65	15098246
अगस्त, 2019	20.60	17.10	12556762	20.55	17.20	58454899
सितंबर, 2019	20.70	16.55	13264883	20.80	16.90	19230730
अक्टूबर, 2019	19.35	15.00	12406489	19.35	15.10	16834026
नवंबर, 2019	19.85	17.00	35146510	20.90	16.80	19937664
दिसंबर, 2019	18.95	16.60	15453139	19.20	16.60	19800907
जनवरी, 2020	17.90	15.90	14193545	17.90	15.90	17516222
फरवरी, 2020	16.95	12.65	9919275	16.90	12.65	38411774
मार्च, 2020	13.90	07.65	15200780	13.84	07.95	138816986

बैंक निफ्टी, एनएसई तथा बीएसई के संचालन की तुलना में बैंक के शेयर का निष्पादन निम्न प्रस्तुत है :

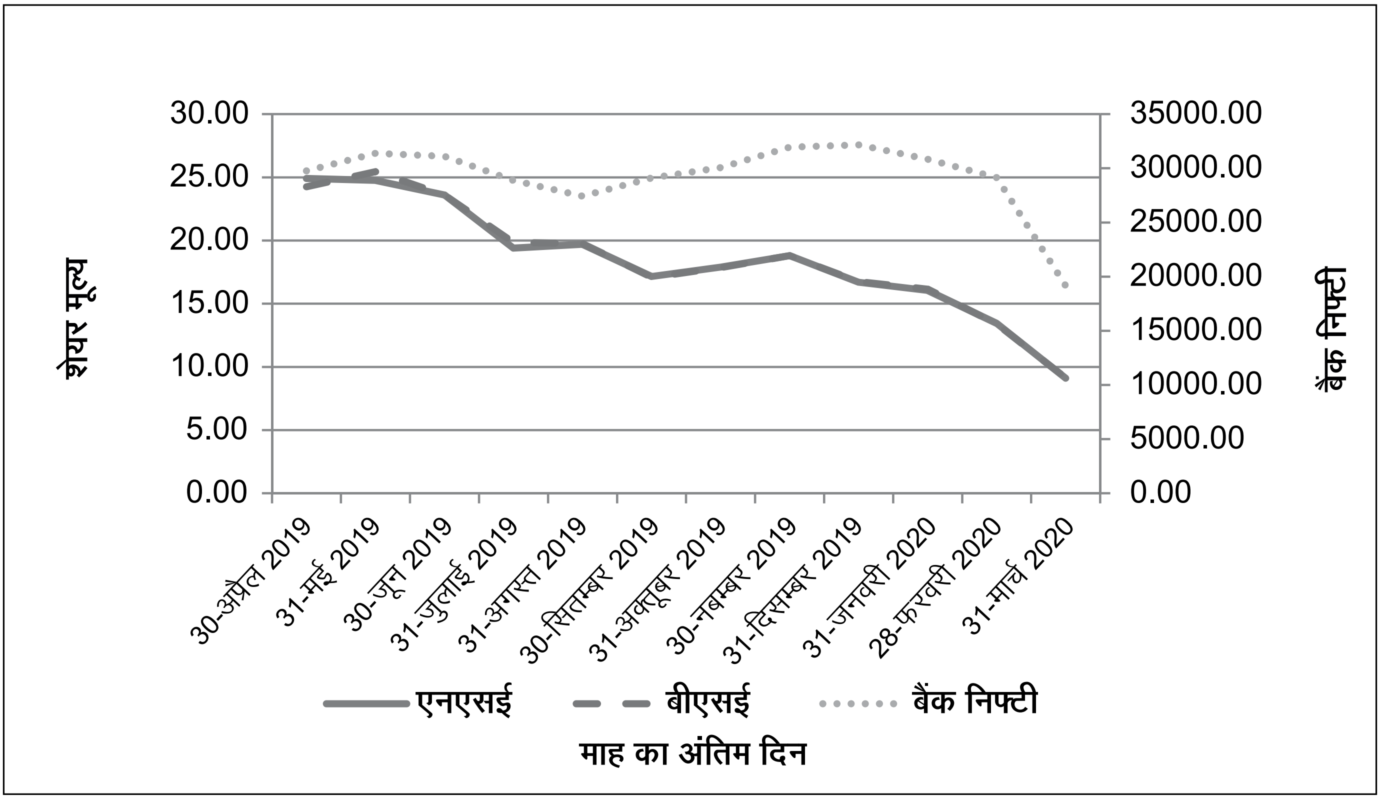

वित्तीय वर्ष **2019-20** के प्रत्येक माह के दौरान बाजार मूल्य डाटा-उच्च, न्यून निम्नानुसार प्रस्तुत है:

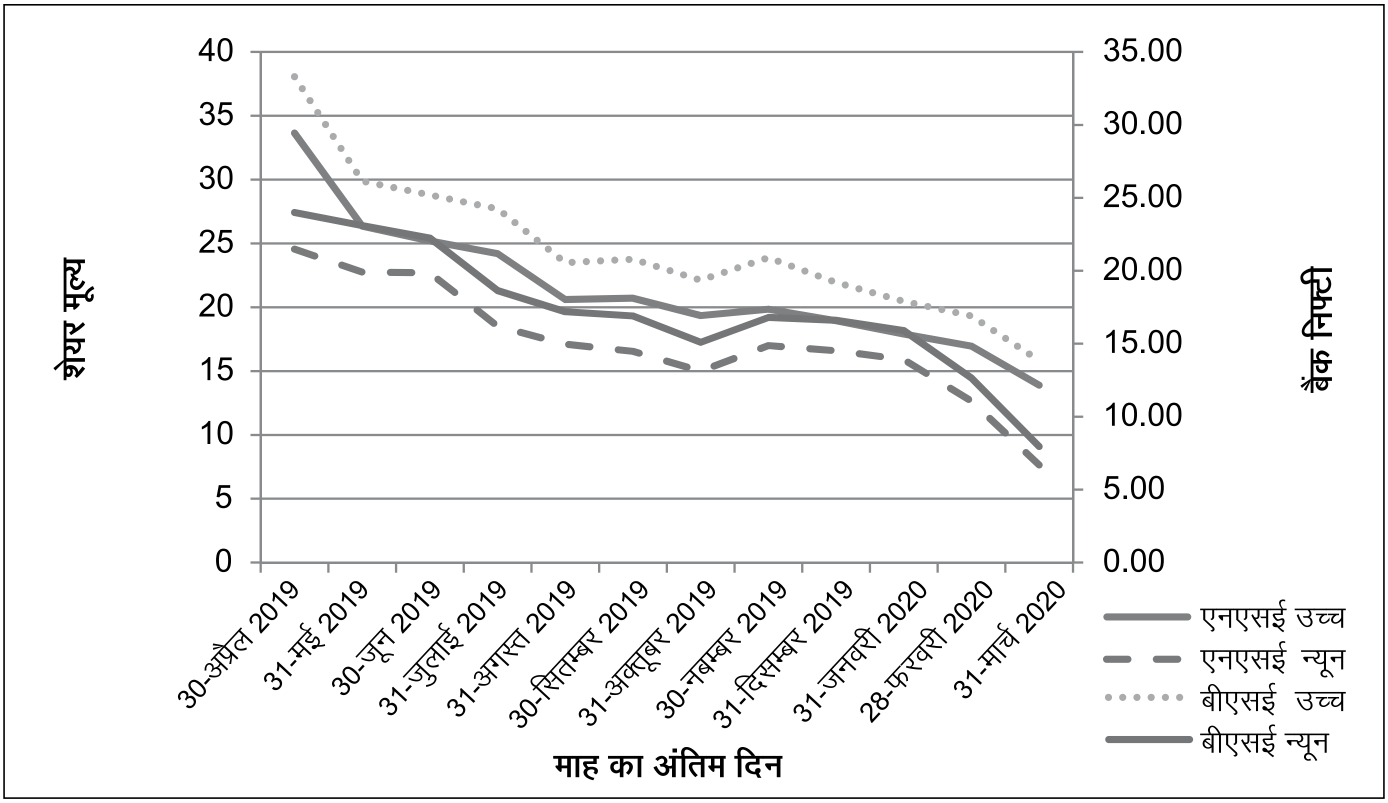

11 प्रति शेयर डाटा

	2017-18	2018-19	2019-20
अंकित मूल्य (रु.)	10/-	10/-	10/-
दिनांक 31 मार्च तक बाजार भाव - एनएसई (रु.)	41.60	28.05	09.10
प्रति शेयर आय (रु.)	(38.94)	(19.01)	(4.43)
प्रति शेयर लाभांश (रु.)	--	--	--
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	60.25	34.29	23.92
लाभांश भुगतान (निवल लाभ का %)	--	--	--

12. चलनिधि

आन्ध्रा बैंक का शेयर बी.एस.ई. में समूह/सूची ए/एस एवं पी बीएसई 500 एवं एनएसई के एनआईएफटीवाई 500 में सम्मिलित है । व्यापार की पर्याप्त मात्रा शेयरधारकों को प्रवेश/निकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है ।

13. दिनांक 31.03.2020 तक बैंक के बाँड के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता निम्नानुसार है:

आईडीबीआई ट्रस्टीशीप सर्विसेज लिमिटेड

एशियन भवन
17, भू-तल, आर कामनी मार्ग
बलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001
फोन नं. 022-40807037

आचार संहिता पर घोषणा

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के सदस्यों ने दिनांक 31.03.2020 को निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है ।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31.07.2020

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

(सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 का विनियम 34(3) तथा अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्य,

पूर्व आंध्रा बैंक

हमने, पूर्व आंध्रा बैंक जिसका डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद- 500 004 (एतदपश्चात ₹बैंक' के रूप में संदर्भित) में प्रधान कार्यालय है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, प्रलेखों, फार्मों, रिटर्न, प्रसंविदाएं तथा प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दात्यित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 का विनियम 34(3) जिसे अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार, प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से कोविड-19 महामारी के कारण ई-मेल के माध्यम से बैंक द्वारा हमारे समक्ष भेजा गया ।

हमारी राय तथा उत्तम जानकारी तथा आवश्यक सत्यापन तथा बैंक एवं इनके अधिकारियों के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कोई भी निदेशक, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अथवा ऐसा कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त अथवा जारी रखा गया है, को विवर्जित अथवा अयोग्य नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री जे पक्किरिसामी	प्र.नि. एवं सीईओ	21.09.2018
2.	श्री कुल भूषण जैन	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017
3.	सुश्री अंजना दूबे	भारत सरकार नामित निदेशक	28.04.2017
4.	श्री पी जे थॉमस	भारिबैंक नामित निदेशक	26.04.2017
5.	श्री बालगोपाल महापात्र	सनदी लेखाकार निदेशक	27.12.2017
6.	श्री अरावमुदन कृष्णकुमार	शेयर धारक निदेशक	14.03.2018
7.	श्री गोपालन शिवकुमार	शेयर धारक निदेशक	14.03.2018

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/को जारी रखने हेतु पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी सत्यापन के आधार पर, इस पर राय जाहिर करना है । यह प्रमाण-पत्र न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही दक्षता और प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के काम-काज का निष्पादन किया है ।

कृते डी. हनुमंता राजु एंड कंपनी
कंपनी सचिव

सीएस डाटला हनुमंता राजु
साझेदार

स्थान: हैदराबाद
तिथि : 22.07.2020

एफसीएस : 4044 सीपी नं. 1709
यूडीआईएन: एफ004044बी000489342

प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियमन 2015 के विनियम 17 (8) के के अनुसरण में]

निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-आन्ध्रा बैंक)

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह की समीक्षा कर ली गई है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं धारणा के अनुसार:

i. इन कथनों में कोई तात्विक असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी सामग्री तथ्य या ऐसे विवरण को छोड़ा या शामिल नहीं किया गया है जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. ये सभी विवरण एक साथ बैंक के मामलों का सही और निषक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों के अनुपालन में हैं;

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा धारणा के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा धोखाघड़ी, ग़ैर-क़ानूनी अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई लेनदेन नहीं किये गये हैं।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हों जिसके बारे में हम जागरूक हैं और जिसे दूर करने के लिये हम ने जो कदम उढाए हैं अथवा प्रस्तावित हैं, की जानकारी लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को प्रदान की है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के विषय में इंगित किया है:

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा जिनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; तथा

iii. धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जो हमारी जानकारी में आई, तथा प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो।

स्थान: मुंबई	**एस वी एस सुंदर प्रसाद**	**राजकिरण रै जी.**
दिनांक: 23.06.2020	मुख्य महाप्रबंधक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

31 मार्च 2020 के अनुसार तुलन पत्र

(₹ '000 में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	**3095,53,73**	2884,48,78
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	**9132,36,38**	10280,63,74
जमा	3	**212609,37,68**	219821,00,00
उधार	4	**14129,58,04**	10278,10,90
अन्य देयताएं व प्रावधान	5	**4904,20,34**	6047,18,12
कुल		**243871,06,17**	249311,41,54
आस्तियाँ			
भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और शेष	6	**7729,30,05**	10126,77,33
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	**3382,75,39**	4907,06,56
निवेश	8	**61331,16,60**	62953,09,14
अग्रिम	9	**157742,33,33**	158822,68,73
अचल आस्तियां	10	**1482,51,26**	1558,08,48
अन्य आस्तियां	11	**12202,99,54**	10943,71,30
कुल		**243871,06,17**	249311,41,54
आकस्मिक देयताएं	12	**139050,89,28**	203677,32,29
वसूली हेतु बिल		**13464,75,53**	9801,11,35
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
लेखा पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भ अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

(एस वी एस सुन्दर प्रसाद)
मुख्य महा प्रबंधक

(बिरुपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाई)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के केदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम)
निदेशक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)

(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)
यूडीआईएन

कृते राय एवं कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)

(सीए सुब्रत राय)
साझेदार (एम सं 051205)
यूडीआईएन

कृते संतोष गुप्ता एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)
यूडीआईएन

कृते जी एस माधव राव एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)

(सीए जी मानिक्य प्रसाद)
साझेदार (एम सं 020105)
यूडीआईएन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता

(₹ '000 में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
आय			
अर्जित ब्याज	13	**19784,17,91**	18932,22,05
अन्य आय	14	**2742,94,20**	2045,04,03
कुल आय		**22527,12,11**	20977,26,08
व्यय			
व्यय ब्याज	15	**12795,48,85**	12223,99,15
परिचालन व्यय	16	**4639,03,76**	3730,14,89
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		**6416,72,71**	7809,24,76
कुल व्यय		**23851,25,32**	23763,38,80
वर्ष हेतु निवल लाभ/ (हानि)		**(1324,13,21)**	(2786,12,72)
आगे लाया गया लाभ/ (हानि)		**(6253,12,91)**	(3463,08,53)
कुल		**(7577,26,12)**	(6249,21,25)
विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित को अंतरण		**96,52,76**	97,91
आरक्षित पूंजी को अंतरण		**289,58,27**	2,93,75
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि को अंतरण		**-**	-
विशेष आरक्षित निधि को अंतरण		**-**	-
प्रस्तावित लाभांश		**-**	-
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष		**(7963,37,15)**	(6253,12,91)
कुल		**(7577,26,12)**	(6249,21,25)
प्रति शेयर आय: मूल एवं अवमिश्रित ₹		**(4.43)**	(19.01)

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं।

(एस वी एस सुन्दर प्रसाद)
मुख्य महा प्रबंधक

(बिरुपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के केदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम)
निदेशक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)

कृते राय एवं कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)

कृते संतोष गुप्ता एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)

कृते जी एस माधव राव एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)

(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)
यूडीआईएन

(सीए सुब्रत राय)
साझेदार (एम सं 051205)
यूडीआईएन

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)
यूडीआईएन

(सीए जी मानिक्य प्रसाद)
साझेदार (एम सं 020105)
यूडीआईएन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अनुसूची - 1 पूंजी:		
I. अधिकृत पूंजी:		
10/- ₹ प्रत्येक के 600,00,00,000 ईक्विटी शेयर	**6,00,00,000**	6,00,00,000
II. जारी,अभिदत्त, मांगे गए तथा प्रदत्त		
10/- ₹ प्रत्येक के 309,55,37,256 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष 288,44,87,840 ईक्विटी शेयर) [केन्द्रीय सरकार द्वारा रखें 273,16,84,046 ईक्विटी शेयर सहित (गत वर्ष 262,06,34,630 इक्विटी शेयर]	**3,9,55,373**	2,88,44,878
कुल अनुसूची - 1	**3,09,55,373**	2,88,44,878
अनुसूची - 2 प्रारक्षिती एवं अधिशेष:		
I. संविधिक आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**2528,98,56**	2808,53,73
वर्ष के दौरान जमा	**96,52,76**	97,91
घटाएं: कटौतियां	**70,63,40**	280,53,08
कुल - I	**2554,87,92**	2528,98,56
II. आरक्षित पूंजी		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**959,76,57**	835,49,61
वर्ष के दौरान जमा	**74,19**	138,49,65
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन भाग पर संचित मूल्यह्रास)	**16,35,77**	14,22,69
कुल-II क	**944,14,99**	959,76,57
ख. अन्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**646,58,38**	643,64,63
वर्ष के दौरान जमा	**289,58,27**	2,93,75
कुल-II ख	**936,16,65**	646,58,38
कुल-II क+ख	**1880,31,64**	1606,34,95
III. शेयर प्रीमियम		
प्रारंभिक शेष	**8552,98,78**	4963,64,38
वर्ष के दौरान जमा	**245,75,06**	3589,34,40
कुल-III	**8798,73,84**	8552,98,78
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि		
क. राजस्व आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**2390,44,36**	2376,21,67
वर्ष के दौरान जमा	**16,35,77**	14,22,69
घटाएं: कटौतियां	**-**	-
कुल-IV क	**2406,80,13**	2390,44,36
ख. आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**1455,00,00**	1455,00,00
वर्ष के दौरान जमा	**-**	-
घटाएं: कटौतीयां	**-**	-
कुल-IV ख	**1455,00,00**	1455,00,00
कुल-IV (क+ख)	**3861,80,13**	3845,44,36
V. लाभ एवं हानि खाता में शेष	**(7963,37,15)**	(6253,12,91)
कुल अनुसूची- 2	**9132,36,38**	10280,63,74

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अनुसूची - 3 जमा:		
I- क. मांग जमा		
i) बैंको से	**47,86,14**	47,48,44
ii) अन्य से	**11285,20,57**	10183,09,67
कुल I-क	**11333,06,71**	10230,58,11
I-ख. बचत बैंक जमा		
i) बैंको से	**-**	-
ii) अन्य से	**62121,46,31**	58767,69,90
कुल I ख	**62121,46,31**	58767,69,90
I- ग मीयादी जमा		
i) बैंको से	**5,70,34**	5,36,92
ii) अन्य से	**139149,14,32**	150817,35,07
कुल I-ग	**139154,84,66**	150822,71,99
कुल-I	**212609,37,68**	219821,00,00
II-क. भारत की शाखाओं मे जमा	**212609,37,68**	219821,00,00
II-ख. भारत के बाहर की शाखाओं में जमा	**-**	-
कुल-II.	**212609,37,68**	219821,00,00
कुल अनुसूची - 3	**212609,37,68**	219821,00,00
अनुसूची - 4 उधार:		
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से	**4443,00,00**	500,00,00
ii) अन्य बैंकों से	**3825,00,00**	-
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	**161,48,04**	1939,34,65
iv) गौण कर्ज: 8.55%प्रतिशत 120 माह बांड	**-**	320,00,00
v) अप्पर टायर II बांड	**-**	800,00,00
vi) 7वर्ष इनफ्रा बांड	**500,10,00**	500,10,00
vii) अतिरिक्त टायर-1 पेरपच्युअल ऋण बांड	**2200,00,00**	2700,00,00
viii) टायर-II बांड बेसल-III	**3000,00,00**	3000,00,00
उप-कुल I	**14129,58,04**	9759,44,65
II. भारत के बाहर उधार	**-**	518,66,25
कुल अनुसूची - 4	**14129,58,04**	10278,10,90
अनुसूची - 5 :: अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
I. देय बिल	**681,07,45**	772,63,85
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	**113,81,78**	927,52,39
III. उपचित ब्याज	**348,68,44**	368,66,16
IV. मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	**916,44,63**	731,44,63
V. आस्थगित कर देयता - निवल	**-**	-
VI. अन्य (प्रावधान सहित)	**2844,18,04**	3246,91,09
कुल अनुसूची - 5	**4904,20,34**	6047,18,12

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अनुसूची - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी तथा शेष:		
I. हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	**1213,50,88**	984,61,05
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
i) चालू खातों में	**6515,79,17**	9142,16,28
ii) अन्य खातों में	**-**	-
कुल अनुसूची - 6	**7729,30,05**	10126,77,33
अनुसूची-7 बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि:		
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	**17,00,84**	47,98,18
ख) अन्य खातों में	**-**	-
कुल-i	**17,00,84**	47,98,18
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि		
क) बैंकों में	**-**	4800,00,00
ख) अन्य संस्थाओं में	**-**	-
कुल-ii	**-**	4800,00,00
कुल-I (i+ii)	**17,00,84**	4847,98,18
II. भारत से बाहर		
i) चालू खातों म	**119,71,70**	59,08,38
ii) अन्य जमा खातों में	**3246,02,85**	-
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**-**	-
कुल- II	**3365,74,55**	59,08,38
कुल अनुसूची - 7	**3382,75,39**	4907,06,56
अनुसूची - 8 निवेश ::		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	**57620,02,85**	57479,76,26
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**-**	-
iii) शेयर	**346,29,73**	515,16,60
iv) डिबेंचर तथा बांड	**2280,75,96**	2512,21,93
v) अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम	**218,50,47**	218,50,48
vi) अन्य	**723,90,51**	2086,78,57
कुल-I	**61189,49,52**	62812,43,84
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	**-**	-
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**-**	-
iii) शेयर	**-**	-
iv) डिबेंचर तथा बांड	**-**	-
v) अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम	**141,67,08**	140,65,30
vi) अन्य	**-**	-
कुल-II	**141,67,08**	140,65,30
कुल (I+II)	**61331,16,60**	62953,09,14

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
भारत में सकल निवेश	**64022,95,37**	65475,18,02
घटायें : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**2833,45,85**	2662,74,18
भारत में निवल निवेश	**61189,49,52**	62812,43,84
भारत के बाहर सकल निवेश	**143,28,08**	143,28,07
घटायें : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**1,61,00**	2,62,77
भारत के बाहर कुल निवेश	**141,67,08**	140,65,30
कुल अनुसूची - 8	**61331,16,60**	62953,09,14
अनुसूची - 9 अग्रिम:		
I-क खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**1144,57,65**	1384,26,63
I-ख. नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर देय ऋण	**88992,07,25**	90069,31,03
I-ग. मीयादी ऋण	**67605,68,43**	67369,11,07
कुल -1	**157742,33,33**	158822,68,73
II. अग्रिमों का ब्यौरा:		
II-क. मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋणों के विरूद्ध अग्रिमों सहित)	**139486,33,29**	144242,59,59
II-ख. बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर किया गया	**13136,77,88**	9771,20,04
II-ग. अरक्षित अग्रिम	**5119,22,16**	4808,89,10
कुल - II	**157742,33,33**	158822,68,73
III. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण:		
III-क. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	**70467,34,88**	75160,34,54
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**14497,08,50**	12002,36,50
iii) बैंक	**-**	-
iv) अन्य	**72777,89,95**	71659,97,69
कुल	**157742,33,33**	158822,68,73
III-ख. भारत से बाहर अग्रिम	**-**	-
कुल-III	**157742,33,33**	158822,68,73
कुल अनुसूची - 9	**157742,33,33**	158822,68,73
अनुसूची - 10 अचल आस्तियां:		
क. मूर्त आस्तियां		
I. परिसर		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर	**2043,95,09**	1812,03,73
वर्ष के दौरान वृद्धि	**3,09,44**	9,40,61
मूल लागत का पूनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि	**-**	222,50,75
वर्ष के दौरान कटौती	**-**	-
तिथि को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन पर संचित मूल्यह्रास सहित)	**958,26,99**	939,36,51
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयु डी वी	**1088,77,54**	1104,58,58

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर	**1599,95,61**	1578,81,20
वर्ष के दौरान वृद्धि	**58,87,13**	70,40,84
वर्ष के दौरान कटौती	**23,90,48**	49,26,43
तिथि को मूल्यह्रास	**1255,35,53**	1172,25,58
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयू डी वी	**379,56,73**	427,70,03
III. प्रगति में पूंजीगत कार्य		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर	**6,62,83**	7,95,38
वर्ष के दौरान वृद्धि	**6,00,76**	15,17,07
वर्ष के दौरान कटौती	**8,38,05**	16,49,62
वर्ष की समाप्ति पर मूल्य	**4,25,54**	6,62,83
ख. अमूर्त आस्तियां		
I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर	**213,09,67**	212,25,21
वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**	88,87
वर्ष के दौरान कटौती	**29**	4,41
तिथि को मूल्यह्रास/परिशोधन	**203,17,93**	193,92,63
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयू डी वी	**9,91,45**	19,17,04
कुल अनुसूची - 10	**1482,51,26**	1558,08,48
अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां :		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	**-**	-
II. उपचित ब्याज	**1689,37,11**	1677,93,95
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल)	**3586,90,89**	3969,32,80
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	**13,02,16**	13,84,35
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल)	**3870,71,04**	2296,71,04
VI. अन्य	**3042,98,34**	2985,89,16
कुल अनुसूची - 11	**12202,99,54**	10943,71,30
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं :		
I. बैंकों के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता	**1916,75,91**	1918,54,91
II. आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर निवेश हेतु देयता	**-**	-
III. पूंजी प्रतिबद्धता	**17,05,50**	30,20,24
IV. विकल्प एवं व्युतपन्न	**-**	-

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
V.	बकाया वायदा विनिमय करार	**109599,61,69**	172560,46,86
VI.	घटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
	क) भारत में	**15914,71,65**	16040,29,13
	ख) भारत से बाहर	**-**	-
VII.	स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	**3958,61,85**	4870,95,66
VIII.	लैटर ऑफ कम्फर्ट	**131,09,76**	7,53,64
IX.	ब्याज-दर स्वैप	**-**	-
X.	विवादग्रस्त कर देयता	**3316,29,00**	2750,29,00
XI.	अन्य मदें जिन हेतु बैंक आकस्मिक रूप से बाध्य है	**4196,73,92**	5499,02,85
	कुल अनुसूची - 12	**139050,89,28**	203677,32,29

(₹ '000 में)

	विवरण	31.03.2020 वर्ष की समाप्ति पर	31.03.2019 वर्ष की समाप्ति पर
	अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज:		
I.	अग्रिम पर ब्याज/बिल की भुनाई	**15226,30,60**	14172,55,03
II.	निवेश पर आय	**4396,17,64**	4558,12,22
III.	भारिबैंक में शेष पर ब्याज तथा अन्य अंतर-बैंक निधि पर ब्याज	**88,87,14**	88,24,41
IV.	अन्य आय	**72,82,53**	113,30,39
	कुल अनुसूची - 13	**19784,17,91**	18932,22,05

(₹ '000 में)

	विवरण			31.03.2020 वर्ष की समाप्ति पर	31.03.2019 वर्ष की समाप्ति पर
	अनुसूची - 14 अन्य आय:				
I.	कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज			**582,82,87**	611,73,31
II.	निवेश की बिक्री पर लाभ	3060,08,05	126,46,11		
	निवेश की बिक्री पर हानि घटाकर	2329,33,13	42,74,26	**730,74,92**	83,71,85
III.	निवेश के प्रतिदान पर लाभ / (हानि) (निवल)			**-**	-
IV.	भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ	21,71	1,75,73		
	भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि: घटाकर	10,66	1,29,70	**11,05**	46,03
V.	विनिमय लेनदेन पर लाभ	187,70,69	173,89,52		
	विनिमय लेनदेन पर हानि: घटाकर	73,40,71	156,55,70	**114,29,98**	17,33,82
VI.	अनुषंगी/कम्पनियों/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि से आय			**5,82,36**	7,33,03
VII.	विविध आय			**1309,13,02**	1324,45,99
	कुल अनुसूची - 14			**2742,94,20**	2045,04,03

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण		31.03.2020 वर्ष की समाप्ति पर	31.03.2019 वर्ष की समाप्ति पर
अनुसूची - 15 व्यय ब्याज:			
I.	जमा पर ब्याज	**12164,46,13**	11476,02,44
II.	भारि बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	**82,19,13**	270,38,71
III.	अन्य	**548,83,59**	477,58,00
	कुल अनुसूची - 15	**12795,48,85**	12223,99,15
अनुसूची - 16 परिचालन व्यय :			
I.	कर्मचारियों हेतु प्रावधान तथा भुगतान	**3112,59,54**	2241,49,55
II.	किराया, कर तथा प्रकाश व्यवस्था	**317,55,29**	308,20,69
III.	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	**28,06,83**	29,56,15
IV.	विज्ञापन तथा प्रचार	**6,61,50**	9,91,43
V.	बैंक सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	**134,02,34**	131,37,64
VI.	निदेशक की फीस, भत्ते एवं व्यय	**68,38**	43,69
VII.	लेखा परीक्षक की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	**28,68,89**	32,05,19
VIII.	विधि प्रभार	**4,53,24**	3,24,62
IX.	डाक, तार एवं दूरभाष आदि	**47,74,24**	53,57,07
X.	मरम्मत तथा रख-रखाव	**138,16,07**	126,84,60
XI.	बीमा	**220,87,58**	217,99,78
XII	अन्य व्यय	**599,49,86**	575,44,48
	कुल अनुसूची - 16	**4639,03,76**	3730,14,89

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

अनुसूची -17 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

सामान्य :

1.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, अन्यथा उल्लिखित न होने पर, लेखांकन के विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी शर्तों/दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों, मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं ।

1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तिथि को आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) के संबंध में रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट किए गए आय और व्यय के संबंध में प्राक्कलन और अनुमान का उपयोग किया जाता है । प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त प्राक्कलन उचित और युक्ति संगत हैं । भविष्य के परिणाम इन प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं । लेखांकन प्राक्कलन में किसी प्रकार के परिशोधन को चालू और भविष्य की अवधि में भविष्यगामी मान्यता दी जाती है ।

राजस्व की पहचान :

2.1 निम्नलिखित को छोडकर, आय और व्यय की पहचान सामान्यत : संचयी आधार पर की जाती है ।

i. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों (एनपीआई) एवं अनर्जक निवेशों पर ब्याज का निर्धारण वसूली के आधार पर किया जाता है । इस वर्ष के दौरान एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के संबंध में हिसाब किया गया पूर्ववर्ती वर्ष की आय और अप्राप्त शेष को अस्वीकार किया गया है।

ii. कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क, अतिदेय बिलों पर ब्याज, एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

iii. लाभांश उसकी प्राप्ति का अधिकार सुनिश्चित होने पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

iv. वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय प्रभारित किया गया है तथा वसूली पर उन्हें आय के रूप में परिकलित किया जाता है ।

v. आर्जक आस्तियों के विक्रय को वर्तमान भारिबैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखांकित किया गया है।

2.2 निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि :

i. निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को भारित औसत लागत के आधार पर मूल्य तिथियों को मान्यता प्राप्त है । डेबेंचर/बॉण्ड की मोचन पर प्रीमियम मोचन की तिथि को मान्यता प्राप्त है ।

ii. 'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'ब्ड्डद्रङ्खख्ड्ड हेतु रखे ट्टरस्रु श्रेणियों में निवेश की बिक्री पर लाभ, लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है ।

iii. 'परिपक्वता हेतु रखे हुए' श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और लाभ की बराबर राशि पूंजी रिज़र्व (करों का निवल और संवैधानिक रिज़र्व में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि) में विनियोजित किया जाता है ।

iv. सभी तीन श्रेणियों में निवेश की बिक्री पर हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है ।

2.3 अनर्जक अग्रिमों में आंशिक वसूली को निम्नानुसार प्राथमिकता आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

i. वसूली हेतु व्यय/कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय ।

ii. ब्याज अनियमितताएं/संचित ब्याज ।

iii. मूल अनियमितताएं यथा खाते में बकाया मूल राशि ।

2.4 अनर्जक अग्रिमों में समझौता निपटान वाले मामलों में वसूलियाँ पहले मूल राशि के लिए समायोजित की जाती हैं ।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

3.1 आय एवं व्यय की मदें लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं ।

3.2 ***मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय-दर पर पुन: मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामत: लाभ/हानि के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है ।***

3.3 ***डेरिवेटिव-उत्पाद (वायदा संविदा (व्यापारी और अंतरबैंक दोनों)/भविष्य मुद्रा/विदेशी विनिम मुद्रा आदि) आरम्भ में संविदा की बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय-दर पर रिकार्ड किया जाता है । इन्हें फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्त तिमाही दरों पर पुन: मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामत: लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है । वर्तमान मूल्य एमटीएम तक पहुंचने के लिए एफआईएमएमडीए-जेडसीवाईसी दरों (छ: माह) उपयोग कर परिणामत: बाजार भाव (एमटीएम) लाभ/हानि को छूट दी जाती है और परिणामत: लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है ।***

3.4 विदेशी साख पत्रों/लैटर ऑफ कम्फर्ट तथा गारंटी पत्रों को, ऐसी प्रतिबद्धता की तिथि पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है । वित्त वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित-दर पर बकाया मदों का पुन: वर्णन किया जाता है ।

3.5 ***बैक-टू-बैक आधार पर लिये गये डेरिवेटिव-उत्पाद जैसे ब्याज दर स्वैप/वायदा दर करार/विकल्प आदि अथवा बैंक को अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की हैजिंग हेतु संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर किये***

जाते हैं एवं तुलनपत्र की तिथि को, अंतिम तिथि को रिपोर्ट किये जाते हैं । इन लेन-देन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक समानुपातिक अवधि हेतु किया जाता है । बैक-टू-बैक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित की जाती है ।

4. निवेश :

4.1 तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं :

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर एवं बाँड

v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस में निवेश

vi) अन्य

4.2 निवेश निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं ।

i) परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

iii) व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

4.3 वर्गीकरण का आधार :

i. निवेश की खरीद के समय इसे एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तत्पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन श्रेणियों में अंतरित किया जाता है ।

ii. 'परिपक्वता तक रखे गये' श्रेणी में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती हैं ।

iii. 'व्यापार के लिए रखे गये' श्रेणी में व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं ।

iv. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं ।

v. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्था में निवेश ₹परिपक्वता तक रखे गएट निवेश के रूप में वर्गीकृत हैं ।

4.4 मूल्यांकन :

निवेश की प्राप्ति लागत निर्धारित करने हेतु

i. अंशदान पर प्राप्त ब्रोकरेज/कमीशन निवेश की लागत से घटा दिए जाते हैं । प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन लाभ एवं हानि खाते में जमा किए जाते हैं ।

ii. निवेश की प्राप्ति हेतु खर्च किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर और स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है ।

iii. ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना जाता है और लागत/बिक्री प्रतिफल से घटाया जाता है ।

iv. लागत, निवेश की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत आधार पर निर्धारित की जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश का मूल्यन निम्न आधार पर किया जाता है :

i. परिपक्वता तिथि तक रखे गए :

क. इस वर्ग में रखे गये निवेश, परिशोधन की अर्जन लागत, परिशोधन का निवल, यदि कोई हो, तो उस पर दर्शाए जाते हैं । अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक हो तो शेष, परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है । इस प्रकार प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समाशोधित किया जाता है ।

ख. अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट (भारत में और विदेशी दोनों) में निवेश का मूल्यांकन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश, जिनका निर्धरण रखाव लागत पर किया जाता है (यथा बही मूल्य), उनके अलावा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है ।

ग. अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा उद्यमों के निवेश मूल्यों का अलग निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है ।

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का निम्नानुसार मूल्यांकन किया गया है ।

सरकारी/प्राधिकृत प्रतिभूतियाँ	*वाईटीएम (परिपक्वता पर मूल्य) के आधार पर*
इक्विटि शेयर	*अध्यतन तुलना पत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं), रू 1 प्रति कम्पनी के अलावा, बजार मूल्य पर उद्धृत भाव वाले शेयर और विश्लेषित मूल्य पर गैर-उद्धृत भाव वाले शेयर (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व पर विचार किए बिना, यदि कोई हो)*
अधिमान्य शेयर	*वाईटीएम आधार पर*
डेबेंचर/बांड	*वाईटीएम आधार पर*
म्यूचुअल फंड इकाईयँ	*प्रत्येक योजना के सम्बंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्क्रय मूल्य/एनएवी।*

व्यापार पूंजी निधि	*लेखा-परीक्षित तुलना पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विश्लेषित एनएवी, जो 18 माह से अधिक पुराना नहीं है । यदि एनएवी/लेखा-परीक्षित वित्तीय 18 माह से अधिक पुराना उपलब्ध नहीं ,है तो प्रति वीसीएफ ₹ 1/- होता है ।*
प्रतिभूति प्राप्तियां	*एनएवी पर आस्ति पुनर्निमाण कम्पनी द्वारा घोषित किए गए अनुसार ।*
टी-बिल एवं वाणिज्यिक पत्र	*रखाव लागत पर ।*

पांच शीर्ष में से प्रत्येक के अन्तर्गत निवल मूल्यह्रास (सहायक कम्पनियों/संयुक्त व्यापार/एसोसिएट्स में निवेश के अलावा) पूरी तरह से प्रदान किया जाता है, जबकि निवल वृध्दि, यदि कोई हो, तो उपेक्षा की जाती है । व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य बाजार भाव के पश्चात किसी भी परिवर्तन से नहीं गुजरता है ।

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश :

प्रतिभूतिकरण कम्पनी (एससी)/आस्ति पुनर्निमाण कम्पनी (एआरसी) को प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के जारी के विरूद्ध एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में, एसआर में निवेश को (i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) (यथा बही मूल्य घटाव किए गए प्रावधान) तथा (ii) एसआर के उन्मोचन मूल्य से कम पर मान्यता दी जाती है । एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों हेतु लागू दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया जाता है । तद्नुसार, जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी किया गया एसआर संबंधित योजना में लिखतों हेतु सौंपे गए वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित है, वहां एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को ऐसे निवेश के मूल्यानिर्धारण हेतु माना जाता है ।

iii. व्यापारार्थ रखे गये :

क. इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक महीने के अंत में **फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिडेट (एफबीआईएल)** द्वारा घोषित मूल्य/प्रतिफल, बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है ।

ख. प्रत्येक पाँच शीर्ष (अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस् में निवेश के अलावा) में निवल मूल्यह्रास का पूर्ण प्रावधान है जबकि निवल वृद्धि, यदि हो, की उपेक्षा की जाती है । अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य में बाजार भाव करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ।

4.5 विवेकपूर्ण मानदंड :

i. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अर्जक और अनर्जक निवेशों की पहचान की गयी है ।

ii. गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के सम्बंध में, आय को मान्यता नहीं दी गयी है और भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

4.6 रेपो/रिवर्स रेपो लेन-देन के लिए लेखांकन :

रेपो/रिवर्स रेपो (भारिबैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत संवैधानिक सुविधा (एमएसएफ) के अन्तर्गत रेपो/रिवर्स रेपो सहित) के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का लेखांकन संपार्श्विकयुक्त ऋण और उधार लेनदेन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य सीधी बिक्री/खरीद लेनदेन के रूप में ही किया जाता है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचलन का रिपो/रिवर्स रिपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए किया जाता है । उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया जाता है । लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । रिपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) और रिवर्स रिपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प-सूचना पर राशि) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

4.7 सामान्य :

i. सरकार तथा सरकारी प्रतिभिूतियों के अलावा खरीद एवं बिक्री लेनदेन निपटान-तिथि पर दर्ज किए जाते हैं ।

ii. (क) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण : अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है । अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से कम है, वृद्धि की उपेक्षा की जाती है तथा प्रतिभूति बही-मूल्य पर अंतरित की जाती है । ऐसे मामलों में जहां बाजार मूल्य बही-मूल्य से कम है, उस प्रतिभूति के विरूद्ध पहले ही रखे गए मूल्यह्रास के विरूद्ध प्रावधान और बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाता है तथा अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, को मान्यता दी जाती है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है ।

(ख) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में :

यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत हो -

- बट्टे पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में बही मूल्य/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है ।

- प्रीमियम पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है ।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुन: मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामत: मूल्य-ह्रास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है ।

(ग) प्रतिभूतियों के एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्यह्रास, यदि हो, तो उस हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्य-ह्रास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है ।

5. ब्याज दर स्वाप

5.1. ब्याज दर का स्वाप : (हेजिंग)

i. सतत स्वाप लेनदेनों पर आय उस स्वाप को छोडकर, जो आस्ति या देयता से संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत पर की गई है, का निर्धारण संचयी आधार पर किया गया है । उस मामले में स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं ।

ii. जब समायोजित लाभ/हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वाप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है । इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वाप पर लाभ या हानि, स्वाप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं ।

5.2. ब्याज दर स्वाप (व्यापार)

i. व्यापार स्वाप के बाजार मूल्य को परिवर्तनों के साथ लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है ।

ii. इन स्वापों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तिथि में निर्धारित किया गया है ।

iii. शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है ।

iv. स्वाप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज की गई हैं ।

6. अग्रिम

6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋण और अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

6.2 अग्रिमों का वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियां ऋण-वार किया गया है ।

6.3 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए भारिबैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए तथा अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं तथा नीचे दिए गए अनुसार न्यूनतम प्रावधानों के अधीन किये गये अतिरिक्त प्रावधान का आकलन निम्नानुसार है।

अवमानक आस्तियां:	i. कुल बकाया का 15% सामान्य ii. एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो कि गैर-जमानती एबी-इनिशिओ iii. बुनियादी ढांचा ऋण खातों के संबंध में गैर-जमानती एक्सपोजर जहां असंदिग्ध रक्षोपाय यथा निलंब खाते ॐ 20% उपलब्ध है।
संदिग्ध-जमानती भाग	i. 25% - एक वर्ष तक ii. 40% - एक से तीन वर्ष iii. 100% - तीन वर्ष से अधिक
संदिग्ध - गैर-जमानती भाग	100%
हानि आस्ति	100%

6.4 तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधान का निवल है, और विविध से प्राप्त अप्राप्य ब्याज/ गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएफ)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे ।

6.5 पुन: संरचित/पुनर्निधारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिनके अनुसार पुनर्निर्धारण से पूर्व और इसके बाद ऋण के उचित मूल्य में अंतर हेतु प्रावधान किया गया है। उचित मूल्य में कमी (डीएफवी) हेतु प्रावधान अग्रिम से घटाया जाता है ।

6.6 अनर्जक के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो ।

6.7 गत वर्ष बट्टे खाते डाला गया ऋणों में वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में माना जाता है ।

6.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किया जाता है । इन प्रावधानों को तुलन पत्र की अनुसूची 5 में ऽ॒क्डद्र देयताएं और ख्ब्राड्डद्द ड्डक्रु के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिनपर निवल अनर्जक आस्तियों के आकलन के समय विचार नहीं किया जाता है ।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास तथा परिशोधन :

7.1 *भूमि और परिसर के अलावा अन्य निश्चित परिसंपत्तियों को लागत, कम संचित मूल्यह्रास के रूप में हानि, यदि कोई हो, के लिए समायोजित के रूप में बताया गया है । लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने के लिए तैयार होने से पहले परिसंपत्ति पर लगाए गए अन्य शुल्क शामिल हैं । उपयोग करने के लिए लगाई गई संपत्ति पर बाद में किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब यह संपत्ति से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है ।*

7.2 *भूमि/परिसर, जिन का पुनर्मूल्यन किया गया है, को पुनर्मूल्यन राशि में घोषित किया गया है । लेखांकन मानक एएस-10- (संशोधित) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार पुनर्मूल्यन की तिथि में, संचित मूल्यह्रास की गणना सकल रखाव राशि में परिवर्तन के साथ आनुपातिक रूप से दोहराकर की जाती है ताकि पुनर्मूल्यन के पश्चात रखाव राशि अपने पुनर्मूल्यन किए गए राशि के समान हो। पुनर्मूल्यन की मूल्यवृद्धि को आरक्षित पुनर्मूल्यन में जमा किया जाता है, तथा पुनर्मूल्यन किए गए राशि में स्रोतजन्य वृद्धिशील मूल्यह्रास को इससे घटाया जाता है।*

7.3 पट्टा पर दिया और पूर्ण स्वामित्व वाले दोनों परिसर का लागत भूमि लागत शामिल हैं ।

7.4 मूल्य-ह्रास

i) एक सीधी रेखा के आधार पर अचल संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास का प्रभार लगाया जाता है । प्रबंधन का मानना है कि बैंक द्वारा मूल्यांकन की गई संपत्ति का उपयोगी जीवन, पर्यावरण में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और उपयोग में संपत्ति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है । अचल संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नांकित है ।

विवरण	अवशिष्ट मूल्य	बैंक द्वारा निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन
परिसर - पूर्ण स्वामित्व (फ्रिहोल्ड)	मूल लागत का 5%	60 वर्ष
अन्य अचल सम्पत्ति :		
सुरक्षित जमा लॉकर, सुरक्षित कक्ष दरवाजे, तिजोरी	₹1/-	30 वर्ष
फर्नीचर,फिक्स्चर,विद्युत फिटिंग, वातानुकूल संयंत्र और उपकरण	₹1/-	10 वर्ष
स्वचलित टेल्लर मशीन/नकद जमा मशीन/कॉइन डिस्पेनसर/ कॉइन वेंडिंग मशीन	₹1/-	7 वर्ष
कार्यालय उपकरण	₹1/-	5 वर्ष
मोटर कार,वैन एवं मोटर साईकल	मूल लागत का 5%	5 वर्ष
कम्प्यूटर और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अभिन्न अंग	₹1/-	3 वर्ष

ii. जिन आस्तियों की मूल लागत ₹ 10,000/- तक अथवा इससे कम है, उनपर ₹ 1/- का अवशिष्ट मूल्य छोड़ कर, 100% मूल्यह्रास लगाया जाता है ।

7.5 परिशोधन

i. पट्टागत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत के साथ ऐसे प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया गया है या 60 वर्ष, जो भी पहले हो ।

ii. सॉफ्टवेयर की अधिग्रहण लागत को अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है ।

क. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के तहत अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर को पांच वर्ष के अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक परिशोधित किया जाता है ।

ख. अधिग्रहण किए गए अन्य सॉफ़्टवेयर को अधिग्रहण के वर्ष में बंद कर दिया जाता है ।

iii. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन के नामे समायोजित किया जाता है ।

iv. शेष प्राथमिक अवधि पर परिसर में सुधार पट्टे को प्रभार रहित किया जाता है ।

v. वर्ष के दौरान खरीदी और बेची गई आस्तियों के लिए, बैंक द्वारा यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है ।

vi. जब भी आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का पुनरीक्षण होता है, तो उक्त संपत्ति के संशोधित शेष उपयोगी जीवन पर असंबद्ध मूल्यह्रास राशि का प्रभार लिया जाता है ।

vii. अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ, करों का निवल और वैधानिक रिजर्व में स्थानांतरण, पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित किया जाता है ।

8. कर्मचारी लाभ

8.1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

कर्मचारियों द्वारा सेवा के बारह माह के अंदर पूर्ण रूप से देय अल्पावधि कर्मचारी लाभकारी गैर-भुनायी गयी राशि को लघु-अवधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन्हें उस अवधि के दौरान माना जाता है, जिसमें कर्मचारी सेवारत हो ।

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

i. परिभाषित अंशदान योजनाएं :

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को देय अंशदान को अंशदान योजना परिभाषित कर लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है ।

बैंक में दिनांक 1 अप्रैल 2010 के बाद बैंक में भर्ती सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालन में है, जो परिभाषित योजना है । ऐसे नए भर्ती वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने हेतु पात्र नहीं हैं । योजना के अनुसार कवर प्राप्त कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और बैंक से तदनुरूपी राशि का अंशदान देते हैं । पंजीकरण प्रक्रिया की पूर्ति तक संबंधित कर्मचारियों

के अंशदान बैंक में रखे जाते हैं । बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को संबंधित वर्ष में गणना में लेता है । स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस न्यास को अंतरित की जाती है ।

ii. परिभाषित सुविधा योजनाएं :

कर्मचारी की ग्रैच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण परिभाषित सुविधा योजना है ।

क. ग्रेच्युटी

कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग योजना द्वारा जीवन बीमा निगम/बैंक द्वारा प्रबंधित है । ग्रेचुइटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से घटाया गया है ।

ख. पेंशन

कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है । पेंशन के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से घटाया गया है ।

ग. अवकाश नकदीकरण :

साधिकार अवकाश को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' से स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर माना जाता है ।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

क. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति, रजत जयंती पुरस्कार, अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति पुरस्कार और रीसेटलमेंट भत्ते के लिए पात्र हैं । कर्मचारी की ऐसी दीर्घावधि लाभ का बैंक द्वारा आंतरिक निधीकरण किया जाता है ।

ख. अन्य दीर्घावधि लाभ प्रदान करने की लागत का पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को बीमांकक मूल्यांकन करते हुए निर्धारित किया जाता है । पिछली सेवा लागत की गणना लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल गणना में लिया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता ।

9. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल और मंदित आय एएस 20 ऽप्रति शेयर आयरु के अनुसार रिपोर्ट की गई है । अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके निवल आय प्रति इक्विटी शेयर की गणना की जाती है ।

अवधि के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और पतला संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या का उपयोग करके प्रति इक्विटी शेयर की आय अर्जित की जाती है ।

10. आय पर कर

10.1. आयकर व्यय निम्नलिखित की कुल राशि है ।

i. वर्तमान कर प्रावधान और

ii. आस्थगित कर प्रभार

10.2. वर्तमान कर प्रावधान, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में निर्धारित अवधि हेतु कर राशि है ।

10.3. आस्थगित कर प्रभार का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 'आय पर कर हेतु लेखांकन' के अनुसरण में किया गया है और यह वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयता का निवल अंतर है । आस्थगित आय कर में वर्तमान वर्ष के दौरान करादेय आय और लेखांकन आय के बीच के समय अंतर और पिछले वर्ष के समय अंतर के प्रतिवर्तन का प्रभाव दर्शाता है ।

10.4. आस्थगित कर आकलन तुलन-पत्र की तिथि को कर दरें और पारित या पर्याप्त रूप से पारित कर विधि के आधार पर किया जाता है ।

10.5. आस्थगित कर आस्तियों को गणना में तब तक नहीं लिया जाता है जब तक कि युक्तिपूर्ण निश्चितता न हो कि भविष्य में ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के प्रति पर्याप्त कर-योग्य आय की वसूली होगी ।

10.6 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की युक्तिपूर्ण/निश्चितता के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर गणना में लिया जाता है और पुन: मूल्यांकन किया जाता है ।

10.7. विशेष रिज़र्व

राजस्व और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व शामिल हैं । बैंक के निदेशक मंडल ने रिज़र्व के सृजन को अनुमोदित करते हुए और विशेष रिज़र्व से आहरण करने का उद्देश्य न होने के संबंध में पुष्टि करते हुए संकल्प पारित किया है ।

11. अपसामान्य आस्तियाँ

बैंक प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण करता है कि क्या आस्ति की हानि होने का कोई संकेत है । हानि, यदि कोई हो, तो उनके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक आस्ति की रखवा राशि में विस्तार हेतु लाभ एवं हानि खाते की विवरणी में प्रदान किया जाता है ।

12. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक आस्तियां

12.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29 'प्रावधान, प्रासंगिक

देयताएं और संपार्श्विक आस्तियों' के अनुपालन में, बैंक प्रावधानों को निम्नलिखित स्थिति में ही गणना में लेता है :

i. पूर्व घटना के कारण वर्तमान बाध्यता है ।

ii. बाध्यता के निपटान हेतु आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना है और

iii. बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सके ।

12.2 निम्नलिखित हेतु प्रावधान को गणना में नहीं लिया जाता है :

i. पूर्व घटना के कारण बाध्यता के उत्पन्न होने की संभावना जो भविष्य में एकाधिक घटनाओं, जो पूर्णत: बैंक के नियंत्रण में न हों, के घटित होने या न होने पर आधारित हो । या

ii. पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी वर्तमान बाध्यता पर जो मान्य नहीं है क्योंकि

क. यह संभाव्य नहीं है कि बाध्यता का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बर्हिगमन की आवश्यकता होगी।

ख. बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है ।

ऐसी बाध्यताओं को प्रासंगिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है । नियमित अंतराल पर इनका आकलन किया जाता है और आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना वाले अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों को छोडकर, जहाँ कोई विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है ।

12.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है ।

12.4 देश एक्सपोजर का प्रावधान: आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुसार रखे गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, व्यक्तिगत देश एक्सपोजर (स्वदेश के अतिरिक्त) के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे, नगण्य, निम्न, मध्यम, अधिक, अत्याधिक, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया प्रावधान। प्रत्येक देश के सापेक्ष में यदि बैंक का देश एक्सपोजर (निवल) कुल निधिक आस्ति का 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश के एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है।

13. निवल लाभ

लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है :

i. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान

ii. कराधान हेतु प्रावधान

iii. ऋण हानियों हेतु प्रावधान

iv. मानक आस्तियों पर प्रावधान

v. अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान

vi. अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान

14. नकद और नकद के समतुल्य

नकद और नकद के समतुल्य में निम्न सम्मिलित है - हाथ में नगदी, भारिबैंक के साथ शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि ।

15. सेगमेंट की रिपोर्ट

भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक कारोबार सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में मान्यता देता है। भारतीय सनदी लेखाकार संसथान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 17 ''सेगमेंट रिपोर्टिंग'' के अनुपालन में कारोबार सेगमेंट को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

i) खजाना

ii) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग

iii) खुदरा बैंकिंग

iv) अन्य बैंकिंग परिचालन

अनुसूची 18 - लेखों पर टिप्पणियां

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैंक) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के निबन्धनों के अनुसार निम्न प्रकटीकरण किए जा रहे हैं :

1.1. पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
		बेसल -III	बेसल -III
i)	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	6.49%	8.42%
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	1.67%	1.96%
iii)	टीयर- I पूंजी अनुपात (%)	8.16%	10.38%
iv)	टीयर II पूंजी अनुपात (%)	2.96%	3.30%
v)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.12%	13.68%
vi)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	88.25	90.85
vii)	जुटाई गयी ईक्विटी पूंजी राशि	192.6# + 200** = ₹ 392.60 करोड़	2019* + 3256$ = ₹ 5,275.00 करोड़
viii)	जुटाई गयी अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी, जिसमें	शून्य	शून्य
ix)	स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
x)	निरंतर ऋण लिखत (पीडीआई)	शून्य	शून्य
xi)	जुटाई गयी टीयर -II पूंजी राशि, जिसमें	शून्य	शून्य
xii)	ऋण पूंजी लिखत	शून्य	शून्य
xiii)	स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)	शून्य	शून्य
xiv)	प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
xv)	प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)	शून्य	शून्य

(#) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने ईएसपीएस (कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए इस योजना को स्वीकृति दी, जिसमें 25% से अधिक छूट नहीं देने पर इक्विटी शेयरों के 10 करोड़ नए निर्गम हैं। यह योजना 11.03.2019 से 20.03.2019 तक रियायती मूल्य पर ₹19.26 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से समेकित मूल्य ₹192.60 करोड़ के लिए खोली गई थी। उक्त शेयर चालू वित्त वर्ष दिनांक 24.04.2019 को आवंटित किए गए हैं।

(**) बैंक ने नकदी के ₹ 10/- मूल्य के 11,10,49,416 इक्विटी शेयर ₹18.01/- प्रति शेयर ₹ 8.01/- प्रति शेयर की प्रीमियम राशि सहित (गत वर्ष नकदी के ₹10/- मूल्य के दिनांक 11.10.2018 को ₹37.39 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित ₹27.39 मूल्य के 53,99,83,952 इक्विटी शेयर, जिसका कुल मूल्य ₹2018,99,99,965.20/- और नकदी के ₹10/- मूल्य के 114,56,72,061 इक्विटी शेयर ₹28.42/- प्रति शेयर ₹18.42/- प्रति शेयर की प्रीमियम राशि सहित दिनांक 28.03.2019 को जिसका कुल मूल्य ₹3255,99,99,973.60पै है,) दिनांक 04.03.2020 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर आबंटित किए जिसका कुल मूल्य ₹199,99,99,982.16पै हैं ।

(*) बैंक ने नकदी के रू10/- मूल्य के 53,99,83,952 इक्विटी शेयर ₹37.39/- प्रति शेयर ₹27.39/- प्रति शेयर की प्रीमियम राशि सहित (गत वर्ष दिनांक 05.08.2017 को ₹57.40 प्रति शेयर ₹57.97/- की प्रीमियम राशि सहित, जिसका कुल मूल्य ₹1099,99,99,962/- है) जिसका कुल मूल्य ₹2018,99,99,965.20 है, दिनांक 11.10.2018 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर आबंटित किए हैं ।

($)बैंक ने नकदी के रू10/- मूल्य के 114,56,72,061 इक्विटी शेयर ₹28.42/- प्रति शेयर (₹18.42/- प्रति शेयर की प्रीमियम राशि सहित) (गत वर्ष दिनांक 28.03.2018 को ₹57.97 प्रति शेयर ₹47.97/- प्रति शेयर की प्रीमियम राशि सहित, जिसका कुल मूल्य ₹1889,99,99,968.85 पैसा) जिसका कुल मूल्य ₹3255,99,99,973.60पैसा है, दिनांक 28.03.2019 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर आबंटित किए हैं ।

1.2 निवेश

(₹ करोड़ में)

Items		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(1)	**निवेश का मूल्य**		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	63095.69	64617.17
	(क) भारत में	#62952.41	#64473.89
	(ख) भारत के बाहर,	*143.28	*143.28
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1764.52	1664.08
	(क) भारत में	1762.91	1661.45
	(ख) भारत के बाहर,	1.61	2.63
(iii)	निवेश का निवल मूल्य	61331.17	62953.09
	(क) भारत में	#61189.50	#62812.44
	(ख) भारत के बाहर,	*141.67	*140.65
(2)	**निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति रखे गए प्रावधान में संचलन**		
i)	प्रारम्भिक शेष	1664.08	1391.56
ii)	जोडें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	479.11	651.51
iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए/ (राइट बैक) किये गये अधिशेष प्रावधान	378.67	378.99
iv)	अन्तिम शेष	1764.52	1664.08

निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा शेयर पूंजी जमा में रू.2.60 (रू.2.60) करोड़ के 10/- (रू10) प्रति शेयर की दर से 26,04,770 (26,04,770)

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

शेयर में निवेश शामिल है जिसकी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना के अनुसार जमा राशि ₹शून्य (₹शून्य) है ।

* निम्न सम्मिलित है :

क) मास्टर कार्ड इंक के ₹1 (₹1) बही मूल्य के 1620 (1620) (क्लास बी) शेयर में निवेश

ख) स्विफ्ट के ₹1 (₹1) बही मूल्य के 8 (8) शेयर में निवेश

ग) ₹143.28 करोड़ (₹143.28 करोड़) की राशि के 10/- मलेशियन रिंगिट के 8250000 (8250000) शेयरों में इन्डिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में निवेश ।

मास्टर कार्ड इंक के शेयर वस्तु के रूप में, नि:शुल्क इन इकाईयों के साथ विगत व्यवसाय सम्बन्ध के दृष्टिगत प्रोत्साहन स्वरूप आबंटित किए गए हैं ।

स्विफ्ट शेयरों में आरम्भिक सदस्यता में आबंटित शेयर तथा पुनराबंटन पर उपचित शेयर सम्मिलित हैं । शेयरों का पुनराबंटन बैंक द्वारा स्विफ्ट नेटवर्क आधारित वित्तीय सेवाओं के उपयोग पर आधारित है ।

प्रतिभूति निपटान हेतु क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., आईसीसीएल, बीएसई, एनएसई, भारिबैंक और एमएसईआई में मार्जिन के रूप में ₹11190.86 करोड़ (₹17507.57 करोड़) की प्रतिभूतियाँ मार्जिन के रूप में रखी गई हैं ।

1.2.1 रिपो लेनदेन : (मुद्रित मूल्य रूप में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	दि.31 मार्च 2020 को शेष
रिपो के अन्तर्गत विक्रय की गई प्रतिभूतियां	101.89 (111.14)	3749.64 (7436.50)	311.72 (1776.40)	3749.64 (532.95)
i) सरकार प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रिपो के अन्तर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	44.83 (94.44)	4564.95 (9251.23)	1181.71 (739.42)	0.00 (4564.95)
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				

1.2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) गैर एस.एल.आर. निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रमांक (1)	निर्गमकर्ता (इश्यूअर) (2)	राशि (3)	प्राइवेट प्लेसमेंट की मात्रा (4)	निवेश श्रेणी से कम की प्रतिभूतियों की मात्रा (5)*	गैर श्रेणीकृत प्रतिभूतियों की मात्रा (6)*	असूचीगत प्रतिभूतियों की मात्रा (7)*
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	1362.62 (2688.83)	604.99 (1911.14)	0.50 (1.59)	- (-)	9.61 (9.61)
2	वित्तीय संस्थान	925.07 (979.89)	925.07 (979.89)	121.92 (19.99)	- (-)	4.99 (4.99)
3	बैंक	315.83 (338.21)	286.92 (306.97)	5.00 (5.00)	- (-)	- (-)
4	प्राइवेट कॉर्पोरेट	1842.32 (1747.30)	1842.06 (1747.04)	185.17 (87.34)	- (-)	84.53 (84.53)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	366.79 (366.79)	366.79 (366.79)	- (-)	- (-)	- (-)
6	अन्य	8977.07** (8940.74)	7372.37 (7274.11)	- (-)	- (-)	7.36 (7.36)
	कुल	**13789.70 (15061.76)**	**11398.20 (12585.94)**	**312.59 (113.92)**	**- (-)**	**106.49 (106.49)**
7	घटाए : मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान	1764.52 (1490.89)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	शेष	12025.18 (13570.87)	11398.20 (12585.94)	312.59 (113.92)	- (-)	106.49 (106.49)

नोट: गत वर्ष के अंक पुन: समूहीकृत/पुन: वर्गीकृत/पुन: क्रमित किए गए हैं जहां भी वर्तमान वर्ष के अंकों को पुष्ट करने के लिए आवश्यक समझा गया है । कोष्ठक के अंक गत वर्ष के अंकों का संकेत करते हैं ।

* सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सीधी जारी की गई प्रतिभूतियां, जो कि एस.एल.आर. उद्देश्य से गणना नहीं की गई है), इक्विटी शेयरों, उन्मुख म्यूचुअल फण्डों, उद्यम पूंजी निधि, सुरक्षा रसीद इत्यादि इस श्रेणी में अलग नहीं की गई हैं क्योंकि इन्हें रेटिंग/लिस्टिंग दिशा-निर्देशों से छूट प्राप्त है ।

** ₹7365 करोड़ (₹7165 करोड़) की राशि के पनर्पूंजीकरण बॉण्ड का संकेत करते हैं ।

कॉलम 4,5,6 तथा 7 के अन्तर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं हैं ।

कॉलम 3 में कुल के अन्तर्गत तुलन-पत्र की अनुसूची-8 में विनिर्दिष्ट निवेश की निम्न श्रेणियाँ सम्मिलित है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल मूल्य	
	दि. 31 मार्च, 2020	दि. 31 मार्च, 2019
शेयर	346.30	515.16
डिबेंचर तथा बॉण्ड	2280.76	2512.22
अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	360.18	359.16
अन्य	9037.94	10184.33
कुल	**12025.18**	**13570.87**

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
प्रारंभिक शेष	1015.25	1343.06
वर्ष के दौरान जोड़ी गई	342.96	127.28
वर्ष के दौरान घटाई गई	153.39	455.09
अंतिम शेष	1204.82	1015.25
किए गए कुल प्रावधान	**1078.48**	**896.07**

1.2.3 प्रतिभूतियों में परिवर्तन

क) वर्ष के दौरान, बैंक ने केन्द्र/राज्य सरकार की समेकित ₹6889.55 करोड़ (₹7321.06 करोड़) की प्रतिभूतियों को ज्बिक्री हेतु उपलब्धट (एएफएस) श्रेणी/व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) श्रेणी से परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य/ बाजार मूल्य के कुल के निम्नतर पर किया तथा लाभ एवं हानि खाते में ₹158.91 करोड़ (₹312.28 करोड़) की अंतरण हानि दर्ज की । बैंक ने केन्द्र/राज्य सरकार की समेकित ₹4711.61 करोड़ (₹ 7313.60 करोड़) की प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारण (एचटीएम) श्रेणी से ज्बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में दर्ज करते हुए ₹0.00 करोड़ (₹0.00 करोड़) की हानि दर्ज की । बैंक ने ₹34.56 करोड़ (₹ 27.16 करोड़) का निवेश परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से ज्बिक्री हेतु उपलब्धट (एएफएस) श्रेणी में अन्तरित करते हुए ₹1.48 करोड़ (₹ 0.41 करोड़) का मूल्य ह्रास दर्ज किया ।

ख) बैंक ने एचटीएम श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से कुल ₹593.30 करोड़ (₹ 5.53 करोड़) का लाभ अर्जित किया जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ₹289.48 करोड़ (₹ 2.70 करोड़) कर की निवल राशि जिसे सांविधिक निक्षेप (रिजर्व) में अंतरित करना अपेक्षित है, को पूंजी निक्षेप (रिजर्व) खाते में समायोजित किया गया है ।

ग) **एचटीएम श्रेणी को/से विक्रय तथा अन्तरण :**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, विक्रय किए गए निवेश के समेकित बही मूल्य से, तथा एचटीएम श्रेणी से/को अंतरित किया गया निवेश का कुल बही मूल्य एचटीएम श्रेणी में रखे गये निवेश के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक था । 31 मार्च, 2020 को एचटीएम श्रेणी में रखे गये निवेश का बाजार मूल्य 51662.15 करोड़ ₹ या उस दिनांक को उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा था। भारिबैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी से/को अंतरित किया गया या बेचा गया शामिल नही है|

- लेखा वर्ष के प्रारम्भ में निदेशक मण्डल के अनुमोदन से बैंकों को प्रतिभूतियों के एक बार हस्तांतरण की अनुमति दे गई है|
- पूर्व घोषित खुले बाजार संचालन नीलामी के तहत आरबीआई को बिक्री

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, विक्रय किए गए निवेश के समेकित बही मूल्य से, तथा एचटीएम श्रेणी से/को अंतरित किया गया निवेश का कुल बही मूल्य एचटीएम श्रेणी में रखे गये निवेश के मूल्य के 5 प्रतिशत के भीतर है ।

1.2.4 एमटीएम नुकसान का प्रसार

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने भारिबैंक दिशा-निर्देशों की शर्तों में अपेक्षित अनुसार निवेश पर कुल मूल्यह्रास प्रदान किया है और अगली तिमाही हेतु शून्य मूल्यह्रास अग्रेषित की गई ।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने भारिबैंक दिशा-निर्देशों की शर्तों में अपेक्षित अनुसार निवेश पर कुल मूल्यह्रास प्रदान किया है और अगली तिमाही हेतु शून्य मूल्यह्रास अग्रेषित की गई ।

1.3 डेरिवेटिव

1.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
स्वैप करार का अनुमानित मूल	शून्य	Nil
समझौते के अधीन प्रतिपक्षीयों द्वारा बाध्यता पूरा नहीं करने से होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
स्वैप में प्रविष्ट होने के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

1.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	राशि	
		2019-20	2018-19
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि क) भविष्य की ब्याज दर	2689.98	480.68
(ii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि	शून्य	शून्य
(iii)	'अत्यधिक प्रभावी' नहीं तथा बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर की अनुमानित मूल राशि	शून्य	शून्य
(iv)	'अत्याधिक प्रभावी' नहीं तथा बाजार भाव पर अंकित विनिमय व्यापार ब्याज दर की बकाया	शून्य	शून्य

1.3.3 डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) डेरिवेटिव व्यापार में जोखिम प्रबंधन हेतु संरचना और संगठन :

i) ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) एवं अग्रिम दर करार (एफआरए) पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ब्याज दर स्वैप के लिए एक नीति एवं प्रक्रिया, काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखांकन नीति, मूल्यांकन के लिए नीति, आईएसडीए प्रलेखन, कट लॉस, रिपोर्टिंग इत्यादि का अनुमोदन किया है, ब्याज दर स्वैप के लिए तथा ब्याज दर स्वैप के लिए (ट्रेडिंग बही के लिए ₹500 करोड़ की उप सीमा) निर्धारित करते हुए ₹1500 करोड़ की सीमा का निर्धारण किया गया है। बैंक ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के समग्र ढाँचे के अन्तर्गत डेरिवेटिव आपरेशन का संचालन किया है।

ii) बैंक ने विभिन्न प्रकार के मुद्रा स्वैप में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेने के लिए नीति एवं प्रकियाओं, काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखांकन नीति, आईएसडीए प्रलेखन, रिपार्टो इत्यादि का अनुमोदन किया है जो विभिन्न प्रकार के विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के विभिन्न प्रारूपों तथा विभिन्न प्रकार के ब्याज दर स्वैप जो कार्पोरेट ऋण ग्राहकों, अन्य बैंकों तथा गैर ऋणीं ग्राहकों के साथ दुतरफा आधार पर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव परिवर्तित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है। बैंक की नीति दुतरफा आधार पर अपने अग्रिम एक्सपोजर के लिए बचाव-व्यवस्था/कीमत निर्धारण के लिए बैंक ग्राहकों के साथ प्लेन वनीला यूरोपियन स्टाइल विकल्प में प्रविष्टि के लिए भी अनुमोदन देती है।

iii) दुतरफा आधार पर लिए गए डेरिवेटिव करारों या स्वयं हेतु विदेशी मुद्रा एक्सपोजर बचाव व्यवस्था के लिए संविदा की तारीख को विद्यमान दर पर रिकार्ड किया गया है और तुलन पत्र की समाप्ति तिथि को बन्द होने वाली दरों पर रिपोर्ट किया गया है। इन लेन-देनों से सम्बन्धित राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक आनुपातिक अवधि के लिए किया गया है। दुतरफा आधार पर की गई संविदाओं के सम्बन्ध में संविदा के जल्दी समाप्त किए जाने पर राजस्व का निर्धारण संविदा समाप्ति पर किया गया है।

ख) जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रक्रिया का क्षेत्र एवं प्रकृति :

सभी बकाया स्वैप, नए स्वैप में प्रवेश, स्वैप से निर्गमन, बाजार मूल्य पर स्वैप अंकित किए जाने इत्यादि की स्थिति की समीक्षा बैंक की निवेश समिति तथा बोर्ड द्वारा मासिक अन्तराल पर किया जाता है। आईआरएस के अन्तर्गत किए गए लेन-देनों का विवरण भी भारतीय रिजर्व बैंक को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाता है।

ग) बचाव व्यवस्था एवं/या न्यूनीकरण नीति एवं बचाव व्यवस्था बचाव कार्य के प्रभाव को जारी रखने की निगरानी हेतु रणनीति एवं प्रक्रिया :

बाजार में उपलब्ध अवसरों के अनुसार ब्याज दर के उत्तर चढ़ाव पर निर्णय लिया जाता है तथा उस पर कार्रवाई की जाती है। यद्यपि स्वैप की शर्तों के अनुसार, नियत तिथि/तिथियों को स्वैपों का निपटान होता है, स्वैप बुक पर बाजार में परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए दैनिक आधार पर मूल्य की निगरानी की जाती है। जब बाजार नकारात्मक गति की दिशा में हो, तो हानि घटाने के लिए स्वैप से निर्गमन (एक्जिट) किया जाता है। हानि घटाने की सीमा, निर्गमन (एक्जिट) अधिकार, समीक्षा प्राधिकारी इत्यादि निर्धारित हैं।

घ) बचाव व्यवस्था एवं गैर बचाव व्यवस्था लेनदेन को रिकार्ड, आय की पहचान, प्रीमियम एवं छूट, बकाया संविदा का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम मिटिगेशन हेतु लेखांकन नीति :

बोर्ड द्वारा विस्तृत लेखा नीति एवं मूल्यांकन नीति अनुमोदित की जाती है। बचाव-व्यवस्था के प्रयोजन के लिए लेन-देन को उपचय आधार पर उस स्वैप के अलावा जो उस आस्ति/देयता के रूप में माना जाता हो जो निम्नतर कीमत अथवा बाजार मूल्य पर हो, हिसाब में लिया जाता है। ऐसे मामले में, निर्धारित आस्ति या देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में परिणामी लाभ या हानि के साथ स्वैप को बाजार भाव पर दर्शाया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि निर्धारित की जाती है जब निर्धारित आस्ति एवं देयता पर ऑफसेटिंग लाभ एवं हानि निर्धारित की जाती है। समाप्त स्वैप पर निर्धारित लाभ या हानि आस्थगित किया जाता है और स्वैप के शेष करार समय या आस्ति/देयता के शेष समय में जो भी कम हो के दौरान मान्यता दी जाती है।

आय विवरण में प्रभार रिकार्ड करते हुए व्यापार संबंधी लेन देन बाजार को अंकित किया जाता है। आय, व्यय, शुल्क, स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि सभी को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याज दर डेरिवेटिव	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
i	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्यवस्था के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बाजार भाव पर दर्शाने की स्थिति				
	क) बचाव व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	ऋण एक्सपोजर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्यवस्था डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 पर देखे गये अधिकतम व न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बैंक अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर बचाव व्यवस्था में प्रविष्टि के लिए डेरिवेटिव सौदा ₹ 0.00 करोड़ (0.00 करोड़) बाजार भाव पर दर्शाता है। बैंक के लिए इस लेन-देन हेतु निवल बाजार भाव प्रभाव शून्य (शून्य) है।

1.4 एमएसएमई से संबंधित प्रकटीकरण :

'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर भा.रि.बै. के परिपत्र सं डीबीआर.सं..बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी 2019 और भा.रि.बै. के परिपत्र सं आरबीआई /2019-20/160- डीओआर.सं..बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020 के अनुपालन में दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक द्वारा पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (रू करोड़ में)
25390	1358.61

1.5 आस्ति गुणवत्ता

1.5.1 अनर्जक आस्तियां :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(i) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए (%)	4.92%	5.73%
(ii) एनपीए का उतार चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	28973.97	28124.36
(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा गया	5899.84	5274.94
(ग) वर्ष के दौरान घटाया गया	6165.27	4425.33
(घ) अंतिम शेष	28708.54	28973.97
(iii) निवल एनपीए का उतार चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	9091.40	12636.87
(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा गया (निवल)	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान घटाया गया	1326.88	3545.47
(घ) अंतिम शेष	7764.52	9091.40
(iv) एनपीए के लिए प्रावधान का उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान के अलावा)		
(क) प्रारंभिक शेष	19848.22	15456.77
(ख) वर्ष के दौरान रखे गए प्रावधान	5456.39	6684.90
(ग) अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते में प्रस्ताव/राइट बैक	4404.33	2293.46
(घ) अंतिम शेष	20900.28	19848.22

1.5.2 आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन हेतु अनुबंध :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	28973.97
2	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	29521.97
3	सकल एनपीए (2-1) में विचलन	548.00
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को निवल एनपीए	9091.40
5	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को निवल एनपीए	9454.40
6	निवल एनपीए (5-4) में विचलन	363.00
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान	19882.57
8	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान	20067.57
9	प्रावधान (8-7) में विचलन	185.00
10	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कर के पश्चात रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीएटी)	-2786.00
11	प्रावधान में विचलन को सम्मिलित करने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कर के पश्चात समायोजित (अनुमानित) निवल लाभ	-2969.00

विचलन के मूल्यांकन के संदर्भ में 31 मार्च 2019 की अवधि संदर्भित है| 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैक द्वारा इसके कार्य परिणामों पर उपरोक्त के प्रभाव को रिकॉर्ड किया था | 1.5.3 पुनर्संरचित खातों का विवरण

1.5.3 पुनर्संरचित खातों का वितरण:

पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण : दिनांक 31.03.2020 को

(₹ करोड़ में)

क्र	पुनर्संरचना का प्रकार →		सीडीआर तंत्र के अन्तर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना तन्त्र के अन्तर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
1	वित्तीय वर्ष अप्रैल 1 को पुनर्संरचित खाते (आरम्भिक आंकड़े)* -दि.31.03.2019 को	उधारकर्ताकी सं.	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	9	0	3	0	12	9	2	5	0	16
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42	7.84	0.00	40.26	454.63	0.00	236.42	0.00	691.05	454.63	32.42	244.26	0	731.31
		इन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	0.00	10.14	0.00	32.87	22.73	0	10.14	0	32.87
2	वर्ष 2019-20 के दौरान नई पुनर्संरचना/संवितरण	उधारकर्ताकी सं.	0	0	0	0	0	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.42	32.42	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	-32.42	32.42	0	2.77
		इन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35	4.35	0	0	0	4.35
3	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में कोटि उन्नयन	उधारकर्ताकी सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		इन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/ या अतिरिक्त जोखिम भार लागू नहीं है और इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है ।	उधारकर्ताकी सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.73	0.00	0.00	0.00	225.73	225.73	0	0	0	225.73
		इन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00		10.68	10.68	0	0	0	10.68
5	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ग्रेड घटाए गए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताकी सं.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	2	1	0	3	0	4
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	0.00	20.82	108.44	0.00	1.68	0.00	110.12	108.44	0	22.50	0	130.94
		इन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
6	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / वसूली / प्रकटीकरण	उधारकर्ताकी सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	2.64	0.00	121.76	0.00	124.40	2.64	0	122.35	0	124.99
7	दि.31.03.2020 को पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताकी सं.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	2	0	5	3	0	4	0	7
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00	18.85	120.59	0.00	112.98	0.00	233.57	120.59	0.00	131.83	0	252.42
		इन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	6.03	0.00	3.89	0.00	9.92	6.03	0	4.30	0	10.33

*इसमें मानक पुनर्संरचित अग्रिम, जिन पर जोखिम भार हेतु उच्चतर प्रावधानीकरण लागू नहीं है, (यदि लागू हो) के आंकडे शामिल नहीं हैं ।

फुटनोट :

1. क्रम सं. 2 में वर्तमान पुनर्संरचित खातों में नया/जोड़ शामिल करते हुए योग ₹2.77 करोड़ (2 खाते) के आंकड़ें शामिल है ।
2. क्रम सं. 6 में वसूली के माध्यम से वर्तमान पुर्संरचित खातों में कमी की ओर ₹124.99 करोड़ (5 वर्तमान खाते) सम्मिलित हैं ।

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

1.5.4 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	अर्जक	अनर्जक	अर्जक	अनर्जक
(i) खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	10
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	शून्य	शून्य	शून्य	197.94
(iii) कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	216.51
(iv) पूर्व वर्षों में अन्तरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	4.93
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	23.50

1.5.5 दिनांक 31.03.2020 को मानक पुनर्संरचित आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	लागू विशेष प्रावधान	बकाया राशि	एफआईटीएल राशि	एफआईटीएल तथा ऋण को छोडकर बकाया शेष राशि	प्रावधान राशि
1	दो वर्ष से कम के मानक खाते (मोरटोरियम खाते सहित) दिनांक 31.03.2020 तक पुनर्संरचित	5.00% (5.00%)	120.59 (454.63)	0.00 (0.00)	120.59 (454.63)	6.03 (22.73)

1.5.6 दिनांक 31.03.2020 को घाटे का प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	श्रेणी	आस्ति स्थिति	खातों की संख्या	बकाया राशि	घाटे की राशि
1	₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक की देयता के साथ खाते	मानक	3 (9)	120.59 (454.63)	0.00 (0.00)
2	₹ 1.00 करोड़ से कम देयता खाता	मानक	0 (0)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3	₹1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की देयता खाते	एनपीए	4 (7)	131.83 (276.68)	4.31 (10.14)
4	₹ 1.00 करोड़ से कम देयता खाता	एनपीए	0 (0)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	उप जोड़		**7** **(16)**	**252.42** **(731.31)**	**4.31** **(10.14)**
5	जोड़ : दिनांक 31.03.2020 तक मोरटोरियम तथा दो वर्ष पूर्ण किए गए मानक खातों पर घाटा (प्रकटीकरण नियम से निर्गमित खाते)	मानक	804 (1302)	2130.99 (931.45)	7.92 (8.52)
	कुल		**811** **(1318)**	**2383.41** **(1662.76)**	**12.23** **(18.66)**

1.5.7 विक्रय की गयी/क्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण - बैंक

i) क्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2019-20	2018-19
1	क. वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	Nil	Nil
	ख. कुल बकाया शेष	Nil	Nil
2	क. इनमें से, वर्ष के दौरान पुरर्संरचित खातों की संख्या	Nil	Nil
	ख. कुल बकाया शेष	Nil	Nil

ii) विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	विक्रय किये गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	सकल विचारणीय प्राप्तियां	शून्य	शून्य

iii) प्रतिभूति रसीद के निवेश के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय आधारित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय आधारित		कुल	
	31 मार्च 20	31 मार्च 19	31 मार्च 20	31 मार्च 19	31 मार्च 20	31 मार्च 19
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	534.16	665.34	0.00	0.00	534.16	665.34

(₹ करोड़ में)

	विवरण	गत 5 वर्षों में जारी की गई एसआर	5 वर्ष से अधिक तथा 8 वर्ष के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से अधिक के पूर्व जारी एसआर
(i)	बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय पर आधारित एसआर का बही मूल्य	1537.10 (1649.13)	67.61 (17.50)	0.00 (0.00)
	के विरूद्ध किये गये प्रावधान (i)	1058.07 (988.81)	12.48 (12.48)	0.00 (0.00)
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा विक्रित अनर्जक आस्तियों(एनपीए) की बिक्री द्वारा एसआर आधारित का बुक मूल्य ।	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	के विरूद्ध किये गये प्रावधान (ii)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
कुल (i) + (ii)		**1537.10 (1649.13)**	**67.61 (17.50)**	**0.00 (0.00)**

1.5.8 मानक आस्तियों पर प्रावधान :

(₹ in crore)

विवरण	दिनांक 31 मार्च-2020	दिनांक 31 मार्च -2019
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान *	928.68	750.11

* पुनर्सरचित मानक आस्तियों के सम्बन्ध में रू12.23 करोड़(रू18.66 करोड़)राशि की हानि के प्रावधान भी शामिलहैं ।

1.5.9 कोविड 19 नियामक पैकेज ॐ आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान (आरबीआई परिपत्र डीओआर सं बीपी.बीसी.47/21/.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020)

कोविड 19 नियामक पैकेज (संशोधित) पर अधिसूचना सं आरबीआई/2019-20/186 डीओआर सं बीपी.बीसी.47/21/.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च 2020 द्वारा आरबीआई ने कोविड -19 महामारी के कारण व्यवधान तथा व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऋण देने के वोझ को कम करने की घोषणा की गई| उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

भुगतान का पुनर्निर्धारण- सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी सुविधाएं
कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की आसानता
विशेष उल्लिखित खाते (एसएमए) का वर्गीकरण
अनार्जक आस्तियां

इससे आगे बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा विश्व स्तर पर समन्वित कार्यवाही के अनुरूप भारत में व्यवसाय और वित्तीय संस्थानों पर कोविद-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से आरबीआई ने कोविड 19 नियामक पैकेज - आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान पर जारी अधिसूचना सं आरबीआई/2019-20/186 डीओआर सं बीपी. बीसी.47/21/.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 द्वारा कुछ अतिरिक्त विनियामक उपायों की घोषणा की है|

उक्त अधिसूचना के नियमानुसार ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में जहाँ या तो अधिस्थगन/ स्थगन बढ़ाया गया था या आस्ति वर्गीकरण के लाभों को बढ़ाया गया था, निम्नलिखित नियामक प्रकटीकरण किए गए है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबन्धित राशि जहाँ अधिस्थगन/ स्थगन बढ़ाया गया था	17425.61
संबन्धित राशि जहाँ आस्ति वर्गीकरण के लाभों को बढ़ाया गया था	2724.43
मार्च 31, 2020 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	136.22
स्लिपेज और शेष प्रावधान के प्रतिकूल संबन्धित लेखा वर्ष के दौरान समायोजित प्रावधान	लागू नही
शेष प्रावधान	136.22

उपरोक्त के आगे 27 मार्च 2020 को जारी आरबीआई अधिसूचना के नियमानुसार परिचालन लाभ में सकल ब्याज आय में ₹ 107.30 करोड़ को मान्यता दी गई है|

1.5.10 दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राईवेट लि. को दी गई परियोजना सुविधाओं का आस्ति वर्गीकरण (डीएएमईपीएल) 31.03.2020 को स्थिति

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और रिजर्व बैंक द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशानुसार बैंक ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राईवेट लि. को मानक श्रेणी में रखा है| यद्यपि आईआरएसी के मापदण्डानुसार आवश्यक

प्रावधान किए गए हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

इराक के मापदण्डानुसार एनपीए नही की गई राशि (1)	इराक के मापदण्डानुसार किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान (2)	वास्तव में किए गए प्रावधान (3)
71.62	10.74	12.55

1.5.11 अस्थिर तथा अतिरिक्तप्रावधान :

क) बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित के ऊपर तथा सकल गैर निष्पादन अग्रिमों हेतु दिनांक 31.03.2020 को रू13.00 करोड़ (गत वर्ष दिनांक 31.03.2019 को ₹13.00करोड़)का अस्थायी प्रावधान ।

ख) उपरोक्त अस्थायी प्रावधान अग्रिमों से अलग रखा गया है ।

i) दिनांक 31मार्च, 2020 को, दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की सतत संरचना योजना के लिये प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है	खातों की संख्या	कुल राशि बकाया	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	1	55.77 #	50.86	78.00	32.15

गैर-निधि आधारित सीमा सम्मिलित है जो भाग ए अथवा भाग बी ऋण के भाग निर्मित नहीं करते हैं और निवेश एक्सपोजर से अलग है ।

ii) वर्तमान ऋण हेतु लचीली संरचना पर प्रकटीकरण

(₹ करोड़में)

अवधि	लचीली संरचना के लिये लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना के लिये लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना के लिये लिए गए ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने से पहले	लचीली संरचना लागू करने के बाद
गत वित्तीय वर्ष	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

iii) कार्यनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिनमें एसडीआर लागू की गई है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		ऋण के इक्विटी में रूपान्तरण के लिये लम्बित खातों के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		ऋण के इक्विटी में रूपान्तरित खातों के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

(iv) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं ।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिन पर बैंकों ने प्रभाव डालने का निर्णय किया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		कर्ज के इक्विटी/ इक्विटी शेयरों के गिरवी को प्रभावी करने के रूपान्तरण के लम्बित होने से सम्बन्धित खाते में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		कर्ज के इक्विटी/ इक्विटी शेयरों के गिरवी को प्रभावी करने के रूपान्तरण किये जा चुके सम्बन्धित खाते में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन से सम्बन्धित खातों में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

(v) कार्यान्वयन अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन परप्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं ।)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय बैंकों द्वारा लिया गया है	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		
	मानक वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचना में वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

1.5.12

क) दिवालियापन के प्रावधानों तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) 2016 के अंतर्गत कवर किए गए 19 पहचाने गए एनपीए खाते (22 खाते) के संबंध में ''दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान'' पर भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून 2017 तथा भारिबैंक पत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.1842/21.04.048/2017-18 दिनांक 28 अगस्त 2017 के माध्यम से जारी दिवालियापन प्रक्रिया ॐ प्रावधान नियम प्रारंभ करने हेतु अनुदेशों के अनुसार बैंक ने वर्तमान वर्ष 2019-20 के दौरान ₹167.68 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान किए हैं ।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने पत्र सं. डीबीआर.सं.8756/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के अनुसार बैंक को शेष के प्रतिभूत भाग का 50% और गैर-प्रतिभूत भाग का 100% अथवा आईआरएसी नियम के अनुसार रखा जाने वाला अपेक्षित प्रावधानों, जो भी अधिक हो, उसका अनुरक्षण करना है । बैंक ने इसका अनुपालन किया है । इन खातों में बनाए गए प्रावधान आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ₹5119.78 करोड़ के विरूद्ध भारिबैंक मानदंडों के अनुसार ₹4955.86 करोड़ हैं ।

1.5.13 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की शेष राशि के अनुसार तथा न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षाएं (एमआरआर) की अनुपालना में तुलन पत्र की तिथि को बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि शून्य है ।

1.6 व्यवसाय अनुपात

	विवरण	31-03-2020	31-03-2019
(i)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय [ऋ]	7.43	7.44
(ii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय [ऋ]	1.03	0.80
(iii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनिक लाभ [ऋ]	1.91	1.97
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल (%) [ए]	(0.50)	(1.09)
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय * (जमाराशि तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में)*	19.21	19.58
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) [#]	(0.07)	(0.14)

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

[ऋ] बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को फार्म X में रिपोर्ट किए अनुसार कार्यशील निधियों को कुल आस्तियों के औसत (संचित हानि, यदि हो, को छोड़ते हुए) के रूप में माना गया है ।

[ए] बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को फार्म X में रिपोर्ट किए अनुसार आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों के (संचित हानि, यदि हो, को छोडकर कुल आस्तियां) संदर्भ में है ।

* प्रति कर्मचारी व्यवसाय के आकलन के प्रयोजन के लिए (जमा और सकल अग्रिम), अंतर बैंक जमा शामिल नहीं है ।

वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पर आधारित

1.7 आस्ति देयता प्रबंधन :

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.2020 को आस्ति एवं देयताओं की निश्चित मदों का परिपक्वता ढाँचा												
आस्ति तथा देयता	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15 - 30 दिन	31 दिन से 2 महीने	2 महीने से अधिक एवं 3 महीने तक	3 महीने से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	1756.45	5583.67	2588.81	8126.60	12535.31	12180.61	34849.24	49636.47	20720.47	2485.17	62146.58	212609.38
	(967.62)	(4762.57)	(3505.88)	(6541.97)	(12065.10)	(12705.98)	(32439.93)	(65752.28)	(19580.01)	(2284.43)	(59215.23)	(219821.00)
ऋण/ अग्रिम	230.08	611.73	452.60	735.75	698.41	1382.20	14851.58	14121.23	72791.85	17120.49	34746.41	157742.33
	(357.36)	(1053.41)	(1577.67)	(2158.77)	(5357.69)	(5693.61)	(8705.58)	(12554.27)	(71479.69)	(13180.39)	(36704.25)	(158822.69)
निवेश	151.94	64.61	3.19	40.69	112.62	1334.64	263.04	581.49	6043.89	3028.10	49706.95	61331.17
	(0.00)	(1085.97)	(4.90)	(358.34)	(1011.91)	(250.15)	(830.11)	(1285.29)	(2380.85)	(5145.71)	(50599.86)	(62953.09)
उधार	0.00	4345.00	0.00	0.00	0.00	5.43	520.74	2047.62	7193.85	16.82	0.12	14129.58
	(0.00)	(2132.24)	(0.00)	(0.00)	(69.16)	(527.03)	(535.53)	(1141.92)	(4334.75)	(1533.97)	(3.51)	(10278.11)
विदेशी मुद्रा आस्ति	210.15	35.61	51.34	1467.77	2238.41	220.06	1028.45	20.01	0.00	0.00	0.00	5271.79
	(200.98)	(68.05)	(70.71)	(234.56)	(260.23)	(352.36)	(623.58)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1810.46)
विदेशी मुद्रा देयता	82.21	1.85	2.86	19.03	19.83	16.67	129.83	295.78	185.92	22.32	0.00	776.30
	(60.96)	(44.00)	(6.27)	(16.94)	(90.09)	(24.56)	(594.02)	(320.95)	(171.76)	(37.62)	(0.00)	(1367.17)

प्रबंधन द्वारा संग्रहित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुसार

कोष्ठक के आंकड़े दि. 31.03.2019 के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं

1.8 एक्सपोज़र

1.8.1 भू-सम्पदा क्षेत्र में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर i) आवासीय बंधक ॐ आवासीय संपत्ति पर बंधन से ऋण प्रतिभूत रहता है सम्पत्ति में ऋणकर्ता निवास करता है या करेगा या किराए पर दी गई है:	21244.12	20094.60
इसमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं ।	10203.05	10333.28
(ii) वाणिज्यिक भू-सम्पदा ॐ वाणिज्यिक भू-सम्पदा पर बंधन से ऋण प्रतिभूत रहता है (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं । निधि आधारित : ₹ 2672.45 करोड़ (गत वर्ष ₹3147.12 करोड़) + गैर निधि आधारित ₹ 299.58 करोड़ (गत वर्ष 199.03 करोड़) + निवेश ₹36.34 (गत वर्ष ₹55.19 करोड़)	2938.37	3396.34

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

श्रेणी	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति एक्सपोजर	0.00	0.00
क. आवासीय	0.00	0.00
ख. वाणिज्यिक भू-सम्पदा	0.00	0.00
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा हाउसिंग फाईनेन्स कम्पनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर निधि आधारित रू 6370.68 करोड़ (गत वर्ष रू 5276.60 करोड़) + गैर-निधि आधारित ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹0.25 करोड़) + निवेश रू 281.65 करोड़ (गत वर्ष ₹362.11 करोड़)	6652.33	6088.96
भू-सम्पदा क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**30834.82**	**29579.90**

1.8.2 पूंजी बाजार में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फण्ड बॉण्ड तथा यूनिट, में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी संचित निधि कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है ।	404.27	421.02
ii)	शेयर/बॉण्ड/डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियों या व्यक्तियों के लिये बेजमानती आधार पर शेयर में निवेश के लिये अग्रिम (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड इकाइयो को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है ।	0.00	0.00
iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिर्वतनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है ।	0.00	0.05
iv)	शेयर की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत या परिर्वतनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड इकाई द्वारा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये अग्रिम यथा जहां प्रारंभिक प्रतिभूति शेयर/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेन्चर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्ड द्वारा पूर्ण रूप से कवर नही किये जाने वाले अग्रिम ।	0.00	0.00
v)	स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं गैर-प्रतिभूत अग्रिम एवं स्टाक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर के पक्ष की ओर से जारी की गई गारंटियां ।	0.00	0.00
vi)	कॉरपोरेट को स्वीकृत ऋण शेयर/बॉण्ड/डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियों या नई कम्पनियों में संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में हुई बैठक में प्रायोजकों के अंशदान पर आधारित बेजमानती आधार की प्रतिभूति पर ।	0.00	0.00
vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण।	0.00	0.00
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिर्वतनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर यां इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड के सन्दर्भ में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धता ।	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यापार के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्त पोषण।	0.00	0.00
x)	जोखिम पूंजी निधियों के सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों)	171.94	196.38
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र		**576.21**	**617.45**

(*) पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष एक्सपोज़र दिनांक 31.03.2020 को बैंक के निवल मूल्य के 20.00% की सीमा के भीतर है ।

उक्त संदर्भित पूंजी बाजार के कुल एक्सपोज़र में ₹1460.70 करोड़ (₹ 1530.51 करोड़) की वरीयता शेयर तथा इक्विटी में निवेश सम्मिलित नहीं है, जिसे भारिबैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में रिपोर्टिंग से छूट प्राप्त है ।

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

1.8.3 जोखिम श्रेणी वार राष्ट्रीय एक्सपोज़र*

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	एक्सपोज़र (निवल)	रखा गया प्रावधान	एक्सपोज़र (निवल)	एक्सपोज़र (निवल)
गैर-महत्वपूर्ण	2899.39	NIL	947.06	NIL
कम	1688.39	NIL	484.81	NIL
मध्यम कम	4.91	NIL	11.26	NIL
मध्यम	13.91	NIL	18.19	NIL
उच्च	NIL	NIL	NIL	NIL
अति उच्च	NIL	NIL	NIL	NIL
प्रतिबंधित	NIL	NIL	NIL	NIL
ऑफ-क्रेडिट	NIL	NIL	NIL	NIL
कुल	**4606.60**	**NIL**	**1,461.32**	**NIL**

* भारतीय निर्यात एवं ऋण गारंटी निगम लि. के अनुक्रमण में श्रेणीवार आधारित

प्रत्येक देश से विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित निवल एक्सपोज़र निधि बैंक की कुल आस्ति के 1% के भीतर है ।अतएव, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं है ।

1.8.4 बैंक द्वारा एकल उधार सीमा (एसबीएल), समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण का विवरण:

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता/समूह का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृति सीमा	अवधि जिसके दौरान सीमा का अतिक्रमण हुआ	अवधि के दौरान अधिकतम बकाया राशि
शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

बैंक ने किसी भी समूह खाते में किसी एकल ऋणी अथवा समूह ऋणी की एक्सपोज़र सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है ।

1.8.5 गैर-जमानती अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
अमूर्त प्रतिभूतियां यथा अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स, प्रधिकरण इत्यादि हेतु प्रभार के विरूद्ध बकाया अग्रिम की कुल राशि	7141.36	5607.92
ऐसे अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अनुमानित मूल्य	7141.36	5607.92

1.8.6 6 वर्ष के लिए आय-कर के प्रावधान हेतु राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
आयकर के लिए प्रावधान	1724.61*	132.00
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	-1574.00	243.00

नोट:

* यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक के समामेलन के कारण अपनाई गई प्रथाओं के सामंजस्य के लिए, खातों की पुस्तकों में निम्नलिखित प्रावधान प्रदान किए गए थे। हार्मोनाइजेशन कार्य वित्त वर्ष 2012-13 (निर्धारण वर्ष 2013-14) से वित्त वर्ष 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2019-20) तक किया गया है।

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

विवरण	वित्त वर्ष	निर्धारण वर्ष	पिछले वर्षो के लिये आयकर के लिये कम प्रावधान
पिछले वर्षो के लिये आयकर के लिये प्रावधान	2012-13 to 2018-19	2013-14 to 2019-20	1066.67
वर्तमान वर्ष के लिये आयकर के लिये प्रावधान	2019-20	2020-21	657.93
कुल			**1724.61**

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभारित दण्ड :

अपने ग्राहक को जानिये, (केवाईसी) मानकय धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक और चालू खातों को खोले जाने पर भारिबैंक द्वारा जारी कुछ निदेशों के गैर-अनुपालन हेतु बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) और धारा 51(1) के साथ पढ़े गये धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक दंड के रूप में रू 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये मात्र) का दण्ड प्रभारित किया है ।

2.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) जहां भारिबैंक ने प्रकटीकरण मदों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, के अनुसार प्रकटीकरण

2.2. एएस-3 के अनुपालना में, नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुत नकदी तथा नकदी समान घटकों के तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई सम्बन्धित समान मदों से समंजन के लिये निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है:

(₹ करोड़ में)

एएस-3 के अनुसार नकदी प्रवाह प्रकटीकरण	2019-20	2018-19
वर्ष के आरम्भ में नकदी तथा नकदी सम घटक	15033.84	15944.31
भारिबैंक के पास नकदी तथा शेष	10126.77	9911.05
बैंकों के साथ शेष तथा माँग पर मुद्रा तथा लघु नोटिस	4907.07	6033.26
वर्ष के अन्त में नकदी तथा नकदी सम घटक	11112.05	15033.84
भारिबैंक के पास नकदी तथा शेष	7729.30	10126.77
बैंकों के साथ शेष तथा माँग पर मुद्रा तथा लघु नोटिस	3382.75	4907.07
नकदी तथा नकदी सम घटकों में निवल बढ़ोत्तरी/घटाव	(3921.79)	(910.47)

2.3 लेखा मानक 9 राजस्व मान्यता

जैसा कि अनुसूची 17 की लेखाकरण नीति (2) में वर्णित है, कुछ मदों की गणना नकद के आधार पर सांविधिक/विनियामक आवश्यकता एवं महत्ता के अनुसार की जाती है ।

2.4 लेखा मानक (परिशोधित)-10 संपत्ति, प्लांट तथा उपस्कर

परिशोधित लेखा मानक 10, संपत्ति, प्लांट तथा उपस्कर के अनुसार, ₹ 16.35 करोड़ की राशि पिछले वर्ष लाभ एवं हानि खाते में जमा करने के बजाए अचल आस्ति की पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से फ्री आरक्षिति में अंतरित किया गया है ।

2.5 लेखा मानक 15 कर्मचारी लाभ

बैंक ने दिनांक 01.04.2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखांकन मानक-15 (संशोधित) अपनाया है ।

2.5.1 ग्रेच्युटि

बैंक उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटि प्रदान करता है जो नियमानुसार बैंक से सेवानिवृत्त/पदत्याग करते हैं । बैंक प्रतिवर्ष देय, ग्रेच्युटि के निधियन हेतु, न्यास में योगदान करता है । ग्रेच्युटि निधि के नियमों के अनुसार, प्रतिवर्ष ग्रेच्युटि का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है । ऋण बीमांकन पद्धति ईकाई के अनुमान के अनुसार ग्रेच्युटि देयता के बीमांक मूल्यांकन की आकलन छूट दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर तथा स्टाफ ह्रास दर से संबंधित कुछ धारणाओं के आधार पर किया जाता है ।

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटि का आकलन दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है, यथा ग्रेच्युटि भुगतान अधिनियम, 1972 तथा सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी अत्यधिक लाभदायक राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

2.5.2 पेंशन

बैंक द्वारा एक निश्चित योजना के अनुसार उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है तथा उन्हें भी जो 29.09.1995 को अथवा उसके बाद किंतु 01.04.2010 से पहले बैंक की सेवा में आए । आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार योजना के तहत बैंक से उनकी सेवाओं की समाप्ति पर इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन दी जाती है । पेंशन निधि का प्रबंध आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन न्यास द्वारा किया जाता है ।

दि. 01.04.2010 को अथवा उसके बाद कार्यरत होने वाले कर्मचारी निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के पात्र होंगे, जिसके अंतर्गत कर्मचारी आय एवं पात्र भत्ते का 10% देगा तथा इतनी ही राशि बैंक द्वारा दी जाएगी और इसका रखरखाव पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर किया जाएगा ।

2.5.3 भविष्य निधि

बैंक सांविधानिक आवश्यकता के अनुसार अपने कर्मचारियों, जिन्होंने दि. 31.03.2010 को अथवा उसके पहले बैंक सेवा कार्यभार ग्रहण किया है, हेतु सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत भविष्य निधि का प्रावधान रखता है । निधि का प्रबंधन न्यास द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन बैंक के द्वारा किया जाता है । प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा पात्र भत्ते का 10% योगदान करता है तथा बैंक इतनी ही राशि गैर-पेंशन विकल्प वाले कर्मचारियों हेतु फंड में योगदान देता है । फंड में निवेश भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश प्रक्रिया के अनुसार होता है ।

2.5.4 अवकाश नकदीकरण

प्रत्येक कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निधन पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश अधिकतम 240 दिनों तक के नकदीकरण के लिए पात्र हैं तथा त्याग-पत्र पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश में से उक्त का 50% याने 120 दिनों के साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होंगें ।

प्रति वर्ष अवकाश नकदीकरण का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार बैंक न्यास फंड में योगदान देता है ।

2.5.5 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते में नियोजनोत्तर लाभ एवं दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

(क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)
जोडें- ब्याज लागत	415.15 (388.52)	63.28 (64.86)	43.62 (42.00)
जोडें- चालू सेवा लागत	84.90 (240.63)	53.12 (91.48)	55.75 (33.24)
घटाएं- प्रदत्त लाभ	423.00 (390.87)	131.22 (126.19)	86.21 (83.44)
जोडें- बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	1250.02 (207.49)	21.96 (-42.03)	42.59 (41.44)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	6753.81 (5426.74)	834.32 (827.18)	625.92 (570.17)

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य *	5320.86 (4971.92)	855.29 (652.30)	601.69 (503.15)
विगत वर्ष समायोजन	106.00 (9.05)	0.00 (186.76)	0.00 (33.78)
अधिग्रहण समायोजन	- (-)	- (-)	- (-)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित/वास्तविक प्रतिफल	430.00 (407.00)	62.33 (57.42)	43.20 (43.20)
नियोक्ता का योगदान	1319.95 (429.76)	47.92 (57.00)	67.24 (74.00)
प्रदत्त लाभ	423.00 (390.87)	131.22 (126.19)	86.21 (83.44)
बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	6753.81 (5426.86)	834.32 (827.29)	625.92 (570.69)

* प्रतिभूतियों के बही मूल्य को उचित मूल्य के रूप में माना गया है ।

(ग) तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशि :

(₹ करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	6753.81 (5426.74)	834.32 (827.18)	625.92 (570.17)
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6753.81 (5426.86)	834.32 (827.29)	625.92 (570.69)
तुलनपत्र में निवल देयता	0.00 (0.12)	0.00 (-0.11)	0.00 (-0.52)

(घ) लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय :

(₹ करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्तमान सेवा लागत	84.90 (240.63)	53.12 (91.48)	55.75 (33.24)
ब्याज लागत	415.15 (388.52)	63.28 (64.86)	43.62 (42.00)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित/वास्तविक प्रतिफल	430.00 (407.00)	62.33 (57.42)	43.20 (43.20)
वर्ष में मान्यता दी गई निवल बीमांक (लाभ)/हानि	1250.02 (207.49)	21.96 (-42.03)	42.59 (41.44)
पिछली सेवा लागत ॐ मान्यता प्राप्त	(-106.00) (-9.05)	0.00) (-186.76)	(0.00) (-33.78)
निधियों को योगदान/लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	1243.77 (420.59)	74.13 (129.87)	98.76 (39.70)

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

(ङ) पेंशन निधि न्यास के निवेश का विवरण :

(₹करोड़ों में)

निवेश का प्रकार	राशि	निवेश का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	359.42 (359.42)	5.32 (6.60)
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	129.88 (132.69)	1.92 (2.43)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	84.37 (139.37)	1.25 (2.57)
अन्य निवेश - भा जी बी नि - 5034.72 करोड़ आईएफ़एलआईसी - 452.69 करोड़ एचडीएफ़सी लाइफ- 67.14 करोड़ अन्य - 622.72 करोड़	6177.27 (4703.99)	91.46 (84.40)
बैंक शेष	2.87 (3.91)	0.05 (4.00)
कुल	**6753.81** **(5339.38)**	**100.00** **(100.00)**

(च) तुलनपत्र की तिथि को मूल बीमांकिक अनुमान (अधिभारित औसत के रूप में उल्लिखित):

बीमांक अनुमान	पेंशन (निधियुक्त) %	ग्रेच्युटि (निधियुक्त) %	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त) %
बट्टा दर	6.85 (7.65)	6.80 (7.65)	6.90 (7.65)
योजना आस्ति पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)
वेतनवृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
प्रयोग की गई पद्धति	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई

मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमा आकलनकर्ता द्वारा किया गया है ।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, भविष्य में वेतनवृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों जैसे कर्मचारी बाजार में होने वाली आपूर्ति एवं मांग पर किया जाता है ।

(छ) परिकलन के लिए निम्न प्रकार वित्तीय अनुमान पर विचार किया जाता है :

बट्टा दर - बट्टा दर रिपोर्टिंग की तिथि को सरकारी बॉण्डों पर बाजार आय को देखकर चुनी गई है ।

प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर : पेंशन के मामले में, प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर सरकारी बॉण्डों पर आय के आधार पर ली गई है । ग्रेच्युटि और छुट्टी नकदीकरण के मामले में, वास्तविक प्रतिफल लिया गया है ।

वेतन वृद्धि : विगत डाटा के आधार पर ।

(ज) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर-निधियुक्त) :

(₹ करोड़ों में)

	एलटीसी/ एलएफसी नकदीकरण	रजत जयंती पुरस्कार	बीमारी अवकाश	अनुग्रह राशि	पुनर्स्थापन व्यय
दि.01.04.2020 को देयता दि.01.04.2020 को देयता	31.02 24.64	0.86 0.67	76.15 74.11	0.42 0.43	4.62 3.26
परिवर्ती देयता	- -	- -	- -	- -	- -
लाभ एवं हानि को नामे की गई राशि	6.38 (3.68)	0.19 (0.09)	2.04 (11.36)	-0.01 (-0.04)	1.36 (-0.02)

(झ) कर्मचारी के अल्पावधि लाभ :

अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति : ₹ 1.04 करोड़ (रु 1.04 करोड़)

(ञ) भविष्य निधि को अंशदान : शून्य (₹ 0.36 करोड़ 2018-19)

2.6 लेखा मानक 17 खण्ड रिपोर्टिंग

खंड परिणामों पर टिप्पणी

(i) लेखा मानक एएस-17 के अनुपालन हेतु भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने ''राजकोष परिचालन'', ''कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग'', ''खुदरा बैंकिंग'' एवं ''अन्य बैंकिंग परिचालन'' प्राथमिक व्यापार खंड के रुप में एवं ''देशी'' खंड को गौण/भौगोलिक खंड के रुप में चुना है ।

(ii) खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है ।

(iii) संबंधित क्षेत्र के राजस्व के अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों के परिणामों का आकलन किया जाता है ।

भौगोलिक खंड :-

बैंक की भारत के बाहर कोई शाखा नहीं है, रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड केवल देशी परिचालन है, इसलिए अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया ।

व्यवसाय खण्ड

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	व्यवसाय खंड	2019-20	2018-19
1	**खंड राजस्व**		
	(क) राजकोष	5,348.97	4,763.49
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	5,680.50	5,450.19
	(ग) खुदरा बैंकिंग	8,981.49	8,208.15
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	2,516.16	2,555.43
	कुल	**22,527.12**	**20,977.26**
	कम: अंतर-खंड राजस्व	-	-
	परिचालन से आय	22,527.12	20,977.26
2	**खंड परिणाम**		
	(क) राजकोष	1,209.22	1,140.64
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	1,284.16	1,305.08
	(ग) खुदरा बैंकिंग	2,030.40	1,965.49
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	568.82	611.91
	कुल	**5,092.60**	**5,023.12**
	कम: अन्य-अनाबंटित व्यय	6,266.12	7,434.25
	कर पूर्व कुल लाभ	(1,173.52)	(2,411.13)
	आयकर एवं अन्य प्रदत्त कर	150.61	375.00
	निवल लाभ	(1,324.13)	(2,786.13)
3	**खंड आस्तियां**		
	(क) राजकोष	69,268.83	72,446.52
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	73,491.46	72,982.86
	(ग) खुदरा बैंकिंग	78,852.43	77,491.11
	(घ) अन्य बैंकिंग व्यापार	17,188.92	20,863.52
	(ङ) अनाबंटित आस्तियां	5,069.42	5,527.41
	कुल आस्तियां	**2,43,871.06**	**2,49,311.42**

तुलन पत्र के अंतर्गत अनुसूचियां

क्र. सं.	व्यवसाय खंड	2019-20	2018-19
4	**खंड देयताएँ**		
	(क) राजकोष	67,943.74	71,227.45
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	72,082.00	71,271.65
	(ग) खुदरा बैंकिंग	75,438.54	73,878.48
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	16,076.93	19,634.64
	(ड) अनाबंटित देयताएं	101.95	134.07
	कुल	**2,31,643.16**	**2,36,146.29**
	पूंजी एवं प्रारक्षितियां	12,227.90	13,165.13
	कुल देयताएँ	**2,43,871.06**	**2,49,311.42**

2.7 लेखा मानक 18 से संबंधित पार्टी प्रकटन

संबंधित पार्टी के नाम एवं बैंक से उनका संबंध

(क) बैंक ने लेखा मानकों के अनुसार निम्न व्यक्तियों को मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रूरुप में मान्यता दी है:

i) श्री जे. पक्किरिसामी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

ii) श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (09.10.2017 से)

iii) श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (31.07.2019 तक)

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन :

(₹ में)

क्र. सं.	नाम	संबंध	लेन-देन की प्रकृति	2019-20	2018-19
1	श्री जे. पक्किरिसामी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दि.21-09-2018 से)	पारिश्रमिक	29,43,684	14,35,061
2	श्री कुल भूषण जैन	कार्यपालक निदेशक (दि. 09.10.2017 से)	पारिश्रमिक	26,31,763	23,80,926
3	श्री अजित कुमार रथ	कार्यपालक निदेशक (दि. 31.07.2019 तक)	पारिश्रमिक	8,91,520	25,63,932

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण पर एएस-18 के अनुच्छेद 9 के दृष्टिगत जहां राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य पार्टियों से अपने लेनदेन के प्रकटीकरण से छूट है जो राज्य द्वारा नियंत्रित है, बैंक की अनुषंगी एवं सहयोगी बैंकों के साथ लेनदेन प्रकट नहीं किया गया है ।

(iv) संयुक्त उद्यम में निवेश की गई पूँजी -

क) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी - ₹ 143.28 करोड़ (₹ 143.28 करोड़)

ख) असरेक इंडिया (प्रा) लिमिटेड ₹ 28.40 करोड़ (₹ 28.40 करोड़)

ग) इंडिया फर्स्ट जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड ₹ 187.50 करोड़ (₹187.50 करोड़)

2.8 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर उपार्जन

विवरण	2019-20	2018-19
मूल ई.पी.एस / डाइल्यूटेड रु	(4.43)	(19.01)
मूल ई.पी.एस. का परिकलन		
निवल लाभ (₹ करोड़ में) (असाधारण मदों व कुल करों को छोडकर)	(1324.13)	(2786.13)
शेयरों की औसत अधिभारिता सं. (यूनिट करोड़ में)	298.67	146.58
प्रति शेयर मूल / डाइल्यूटेड उपार्जन ₹	(4.43)	(19.01)
रुपये में शेयर का सांकेतिक मूल्य	10.00	10.00

2.9 लेखा मानक 22 - आय पर कर हेतु लेखा

दि.31.03.2030 को प्रमुख घटक निम्न अनुसार है :-

(₹ करोड़ों में)

समय अंतर	मार्च 31, 2020		मार्च 31, 2019	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
(1) बहियों के अनुसार एनपीए हेतु प्रावधान तथा धारा 36 (1) (viiए) के अंतर्गत दावा कटौती	5037.16		2797.06	-
(2) अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व के कारण	-	508.44	-	508.29
(3) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार किया गया अधिक/कम मूल्यह्रास दावे	12.76		7.94	-
(4) निवेश पर मूल्यह्रास	-	670.77	-	-
कुल	**5049.92**	**1179.21**	**2805.00**	**508.29**

2.10 लेखा मानक 24 - परिचालन बंद करना

वित वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बन्द नहीं किया है जिससे देयता अथवा आस्तियों की वसूली पर प्रभाव पड़े तथा उक्त प्रभाव पड़ने वाले किसी परिचालन को बंद करने हेतु निर्णय नहीं लिया गया है ।

2.11 लेखा मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

लेखा मानक 28 के पैरा 8 से 10 में दर्शाए गए सूचक - अनर्जक आस्तियों (आइसीएआइ द्वारा जारी) की जाँच में यह पाया गया कि बैंक के मामले में कोई सूचक नहीं हैं। वसूली-योग्य राशि का अनुमान नहीं लगाया गया है तथा किसी संभावित अनर्जक हानि का कोई संकेत नहीं है ।

2.12 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

अनुसूची 12 में वर्णित आकस्मिक देयताएँ न्यायालय के निर्णय/विवाचन/न्यायालय के बाहर समझौते, अपील के निपटान, माँगी गई राशि, संविदात्मक दायित्व की शर्तें, संबंधित पार्टियों द्वारा न्यागमन तथा माँग, जैसा मामला हो, पर निर्भर हैं ।

देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य हेतु प्रावधान छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/ आकस्मिकताएं	
	2019-20	2018-19
आरंभिक शेष	5.87	5.86
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00	0.03
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(0.56)	-0.02
अंतिम शेष	5.31	5.87
बहिर्गमन/आकस्मिकताओं का समय	शून्य	निपटान / क्रिस्टलीकरण के कारण बहिर्गमन

3. अतिरिक्त प्रकटन

3.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (रु करोड़ों में)

(₹ करोड़ों में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय के अंतर्गत दर्शाई ऽप्रावधान एवं आकस्मिकताएँरु का ब्रेक-अप	2019-20	2018-19
(i) निवेश के मूल्य में ह्रास	388.48	488.28
(ii) अनर्जक आस्तियाँ	5456.39	6674.26
(iii) मानक आस्तियाँ	185.00	-38.00
(iv) आय-कर	1724.61	132.00
(v) आस्थगित कर	-1574.00	243.00
(vi) अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकतांए :		
क) पुनर्गठित अग्रिम	-6.43	5.05
ख) अन्य प्रावधान	242.68	304.66
कुल	**6416.73**	**7809.25**

3.2 अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रीय प्रोविज़निंग भंडार)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2019-20	2018-19
प्रारंभिक शेष	13.00	13.00
वर्ष के दौरान जमा	--	--
वर्ष के दौरान कटौती (ड्रॉडाउन का उद्देश्य एवं राशि)	--	--
अंतिम शेष	13.00	13.00

3.3 प्रारक्षिती में गिरावट :

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. भारिबैंक/2015-16/376, डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/ 21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के दृष्टिगत बैंक ने धोखाधड़ी प्रकट किए गए खाते के प्रावधान का गैर-परिशोधित भाग के प्रति राजस्व रिज़र्व से रु शून्य करोड़ (रु शून्य करोड़) नामे किया है ।

'मास्टर परिपत्र - बेसल III पूँजी विनियम - स्पष्टीकरण' पर भारिबैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.बीसी. 71/21.06.201/2015-16 दि. 14 जनवरी, 2016 के साथ पठित 'बेसल III पूँजी विनियम - अतिरिक्त टियर 1 पूँजी' पर भारिबैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 दि. 2 फरवरी, 2017 के अनुसार, बैंक ने 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही में ₹ 47.08 करोड़ की राशि आहरित की और 31 दिसम्बर 2019 को ₹ 23.56 करोड़ भुगतान किए गए कूपन की संबंध में 30 सितंबर, 2019 और 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान संवैधानिक रूप से कुल ब्याज अतिरिक्त टियर- I स्थाई बेसेल III शिकायत बॉण्ड के ब्याज हेतु राजस्व रिज़र्व से दिनांक 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 98.64 करोड़ और दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 93.75 करोड़ आहरित की है ।

3.4 शिकायतों का प्रकटन तथा बैंकिंग लोकपाल के अधिनिर्णय जो कार्यान्वित नहीं किए गये

बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के तेजी से निपटान के लिए ग्राहक शिकायत निवारण मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। ग्राहकों की शिकायतों निवारण करने के लिए प्रधान कार्यालय में अलग से एक विभाग है।

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम लेनदेन से संबंधित शिकायतें सहित)

		2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की सं.	74	1571
(ख)	**वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. (#)**	95810	101883
(ग)	वर्ष के दौरान निपटान किये गए शिकायतों की सं.	95741	103380
(घ)	**वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की सं.(*)**	143	74

ख. एटीएम शिकायतें

		2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की सं.	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. (#)	81915	90788
(ग)	वर्ष के दौरान निपटान किये गए शिकायतों की सं.	81915	90788
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की सं.	शून्य	शून्य

ग. लोकपाल के द्वारा पारित अधिनिर्णय

		2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के प्रारंभ में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान लोकपाल के द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य	1
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं .	शून्य	शून्य

अगले कार्य दिवस के भीतर निवारण किए गये शिकायतें शामिल नहीं है।

नोट: *सभी लंबित शिकायतों का निपटान कर लिया गया है।

3.5 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण (एलओसी)/ बैंक द्वारा जारी वचन-पत्र:

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा 59 वचन-पत्र (एलओयू) जारी किए गए जिसकी राशि ₹150.15 करोड़ थी। यद्यपि, 31.03.2020 को समाप्त वर्ष में वचन-पत्र (पूंजीगत वस्तुओं के लिए) की बकाया राशि ₹ 131.10 करोड़ थी।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) / वचन-पत्र जारी किए गए थे, यद्यपि, 31.03.2019 को समाप्त वर्ष में वचन-पत्र (पूंजीगत वस्तुओं के लिए) की बकाया राशि ₹ 7.54 करोड़ थी ।

3.6 प्रावधान कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
	विवरण	दि. 31.03.2020* को सकल एनपीए@ जमा तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	रखे गए विशिष्ट प्रावधान @	(घ) से (ग) अनुपात	दि. 31.03.2019* को सकल एनपीए@ जमा तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	रखे गए विशिष्ट प्रावधान @	(घ) से (ग) अनुपात
1	अवमानक अग्रिम	4386.66	906.12	20.66%	4015.89	685.59	17.07%
2	संदिग्ध अग्रिम (क+ख+ग)	20260.49	15919.77	78.58%	22339.28	16530.83	74.00%
	क < 1 वर्ष	4406.64	1891.82	42.93%	4757.28	2385.13	50.14%
	ख 1-3 वर्ष	7893.94	6071.66	76.92%	11203.15	7766.85	69.33%
	ग >3 वर्ष.@	7959.91	7956.29	99.95%	6378.85	6378.85	100.00%
3	हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत अग्रिम (4061.39) + तकनीकी रुप से बट्टे खाते (8744.25)	12805.64	12805.64	100.00%	8395.50	8395.50	100.00%
4	**कुल**	**37452.79**	**29631.53**	**79.12%**	**34750.67**	**25611.92**	**73.70%**
5	अस्थिर प्रावधान	XX	13.00	XX	XX	13.00	XX
6	प्राप्त डीआईसीजीसी/ ईसीजीसी दावे तथा समायोजन तक बकाया रखे गए।	XX	43.73	XX	XX	34.35	XX
7	प्राप्त आंशिक भुगतान तथा उचंत खाते अथवा किसी अन्य वैसे ही खाते में रखा गया।	XX	XX	XX	XX	XX	XX
8	**कुल**	**37452.79**	**29688.26**	**79.27%**	**34750.67**	**25659.27**	**73.84%**
9	प्रावधान कवरेज अनुपात #			**79.27%**			**73.84%**

* तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बट्टे-खाते अनर्जक ऋणों की राशि है जो शाखा स्तर पर बट्टे-खाते तथा शाखाओं की बहियों में बकाया है किंतु प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे-खाते डाले गए (पूर्ण रुप से अथवा आंशिक) ।

@ विशिष्ट प्रावधानों में तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते जमा एनपीए वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान सम्मिलित है ।

एनपीए पर कुल प्रावधान + अस्थिर प्रावधान + एनपीए परिकलन के लिए विचार की गयी डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावा राशि + तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गयी / सकल एनपीए राशि + तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गयी राशि ।

3.7 बैंक-बीमा व्यवसाय

बैंक ने बैंक-बीमा से शुल्क के रुप में ₹ 60.80 करोड़ (₹ 65.08 करोड़) प्राप्त किए हैं। इसमें बैंक-बीमा जीवन से शुल्क के रूप में ₹ 24.32 करोड़ (₹ 34.70 करोड़) तथा गैर-जीवन से शुल्क के रूप में ₹ 36.48 करोड़ (₹ 30.38 करोड़) सम्मिलित हैं।

3.8 जमा, अग्रिम, एक्सपोजर तथा एनपीए का संकेंद्रण :

3.8.1 जमा का संकेंद्रण: *

(₹ करोडों में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
बीस बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा	19,630.10	30,217.02
बैंक के कुल जमा के प्रति बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत (%)	9.24	13.75

* ग्राहक व्यक्तिगत आईडी के आधार पर प्रबंधन द्वारा संग्रहित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुसार

3.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण*

(₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बीस बडे उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	26070.48	29903.43
बैंक के कुल अग्रिम का बीस बड़े उधारकर्ताओं का अग्रिम प्रतिशत (₹ 178694.84 करोड़ (2019) ₹ 178654.85 करोड़ (2020)	14.59%	16.73%

*ऋण जोखिम की परिभाषा के अनुसार अग्रिमों की गणना की गई है जोखिम मानदंड पर भा रि बैं का मास्टर परिपत्र में दी गई डेरिवेटिव्स शामिल हैं

3.8.3 जोखिमों का संकेंद्रण **

(₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बीस बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	33837.71	29973.34
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का एक्सपोजर का प्रतिशत (एफबी+एनएफबी+निवेश) = 217813.92+28971.24 +15056.72 = 261841.88 करोड़ (2019) =217359.82+27012.43+13789.70=258161.96 करोड़ (2020)	13.11%	11.45%

** एक्सपोजर मानदंडों पर भारिबैंक मास्टर परिपत्र में निर्धारित ऋण एवं निवेश एक्सपोजर के आधार पर एक्सपोजर की गणना की गयी है।

3.8.4 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोडों में)

दिनांक 31.03.2020 को सर्वोच्च चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	3672.78 (3743.26)

3.9 क्षेत्र-वार अग्रिम/ अनर्जक आस्तियों :

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	वर्तमान वर्ष 2019-20			गत वर्ष 2018-19		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	34925	1879	5.38%	33725	1719	5.10%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों हेतु अग्रिम	18295	3947	21.58%	17542	3696	21.07%
3	सेवाएं	11574	1618	13.98%	15334	1196	7.80%
4	वैयक्तिक ऋण	11647	455	3.91%	12292	265	2.16%
	उप-जोड़ (क)	**76441**	**7899**	10.33%	**78894**	**6876**	**8.72%**
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2748	0	0.00	3326	0	0.00%
2	उद्योग	44509	19412	43.61%	42475	20803	48.98%
	उर्जा @	11374	3362	29.55%	15093	5385	35.68%
3	सेवाएं	11615	120	1.03%	10088	656	6.50%
4	वैयक्तिक ऋण	31967	1278	4.00%	28814	639	2.22%
	उप-जोड़ (ख)	**102214**	**20809**	20.36%	**99796**	**22098**	**22.14%**
	कुल (क+ख)	**178655**	**28709**	16.07%	**178690**	**28974**	**16.21%**

@ संबंद्ध क्षेत्र के उप-क्षेत्र का 10% से अधिक शामिल करते हुए।

3.10 एन.पी.ए. का संचलन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के प्रारंभ में सकल एनपीए	28973.97	28124.36
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	5899.84	5274.94
उप-जोड़ (क)	**34873.81**	**33399.30**
घटाएं :-		
(i) कोटि उन्नयन	352.21	440.33
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	1618.48	1704.82
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	3126.15	1775.58
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते	1068.43	504.60
उप-जोड़ (ख)	**6165.27**	**4425.33**
वर्ष के अंत में सकल एनपीए (क-ख)	**28708.54**	**28973.97**

तकनीकी बट्टे-खाता के स्टॉक तथा उसमें की गयी वसूलियाँ :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष	5776.70	4195.45
जोड़ : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	**3126.15**	**1775.58**
उप-जोड़ (क)	**8902.85**	**5971.03**
घटाएं : वर्ष के दौरान विगत तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में की गयी वसूली (ख)*	158.60	194.33
अंतिम शेष (क-ख)	**8744.25**	**5776.70**

* दो खातो में तकनीकी बट्टे खाते में समझौते निपटानों के अंतर्गत सम्मिलित आनुमानिक बट्टे खाते सहित ।

3.11 ओवरसीज़ आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व (31.03.2020 तक)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
कुल आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल एनपीए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

3.12 प्रायोजित ऑफ-तुलन पत्र एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है) :

वर्ष	प्रायोजित एसपीवी का नाम	
	देशी	विदेशी
2019-20	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य

3.13 शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों, सर्कल कार्यालयों, आईआईबी (ट्रेजरी), अन्य विभागों और प्रधान कार्यालय के बीच अंतर कार्यालय खातों का सतत आधार पर सामंजस्य किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई ठोस प्रभाव अपेक्षित नहीं है।

3.14 आय कर हेतु प्रावधान लागू नियमों एवं उपलब्ध विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं के आधार पर किया गया है ।

अधिसूचना स. जीएसआर 154 (ई) दिनांक 04 मार्च 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन करने के परिणाम स्वरुप, जिसमें ''आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का समामेलन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया योजना 2020'' नामक एक योजना को अधिसूचित किया गया। उक्त समामेलन में 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के अंतर्गत कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। इस संबंध में, सामंजस्य प्रभाव के कारण और ऐंकर बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा अपनाई गई न्यायिक व्याख्या के अनुसार, आन्ध्रा बैंक के मैसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, चेन्नई, के आयकर स्थिति पर रिपोर्ट के आधार पर मू.व. 2013-14 से मू.व. 2019-20 तक 31.03.2020 को लाभ और हानि खाते पर (डीटीए)/डीटीएल विचार करने के बाद राशि ₹ 471.03 करोड़ (आयकर के लिए प्रावधान हेतु ₹1066.67 - डीटीए के लिए ₹ 1266.42 करोड़ + डीटीए के लिए ₹ 670.77) अतिरिक्त शुद्ध प्रभाव था।

उक्त परामर्शदाता रिपोर्ट के अनुपालन में, खाते की बही में प्रदान किए गए अतिरिक्त प्रावधान पर भी विचार किया गया है, जो कि मू. वर्ष 13-14 से मू. वर्ष 19-20 के लिए विवादित कर की मांग पर आता है।

अतएव, उपरोक्त मामलों पर विचार करने के बाद, मूल्यांकन वर्ष 2019-20 (वर्ष 2020-21) हेतु तथा आकलन वर्ष 2017-18 तक जिसके लिए मूल्यांकन समाप्त/अपील की गई है, ₹ 3,316.29 करोड़ (₹ 2,750.29 करोड़) की विवादित कर माँग की गणना की गई है । उक्त विवादित कर माँग के प्रति बैंक द्वारा भुगतान किया गया/विभाग द्वारा समंजित राशि को प्रदत्त अग्रिम/स्रोत पर कर कटौती में सम्मिलित किया गया है । (अनुसूची 11 की मद III - अन्य आस्तियां)

3.15 ऋण चूक स्वैप : बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण चूक स्वैप नहीं किया है (गत वर्ष शून्य)।

3.16 इंट्रा-समूह :

3.16.1 इंट्रा-समूह संस्थाएं

संस्था का नाम	संबंध का प्रकार
आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड,	अनुषंगी
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	सहयोगी
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
इंडिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	संयुक्त उद्यम
असरेक इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

3.16.2 इंट्रा समूह एक्सपोजर की कुल राशि

विवरण	वर्ष 2019-20 हेतु	वर्ष 2018-19 हेतु
इंट्रा समूह एक्सपोजर की कुल राशि	520.00	250.25
श्रेष्ठ 20 इंट्रा समूह एक्सपोजर की कुल राशि	520.00	250.25
उधारकर्ता/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर का इंट्रा समूह एक्सपोजर प्रतिशत (₹ 261841.88 करोड़-2019 तथा ₹ 258161.96 करोड़-2020)	0.20%	0.10%
इंट्रा समूह एक्सपोजर तथा उस पर नियंत्रण कार्रवाई, यदि हो, तो सीमाओं के भंग का विवरण	शून्य	शून्य

3.17 जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण :

अदावी देयताओं का विवरण, जहाँ देय राशि डीईएएफ में ऽआकस्मिक देयता ॐ अन्य मद जिसके लिए बैंक आकस्मिक जिम्मेदार है ऽके रूप में तुलन पत्र की अनुसूची 12 के अंतर्गत अंतरण की जा चुकी है :

(₹ करोडों में)

विवरण	31-मार्च-2020	31-मार्च-2019
डीईएएफ को अंतरण की गयी राशि का प्रारंभिक शेष	399.29	274.00
योग : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरण की गयी राशि	50.03	131.50
घटाएं : दावे हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी राशि	3.21	6.21
डीईएएफ को अंतरण की गयी राशि का अंतिम शेष	446.11	399.29

3.18 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

बैंक के पास बोर्ड द्वारा ''उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की प्रतिरक्षा'' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गयी अनुमोदित नीति है । नीति उधारकर्ताओं की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी, रिपोर्टिंग, समीक्षा एवं मूल्य पद्धति कवर करती है ।

उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा ऋण/उधार के समस्त विदेशी एक्सपोजर की गणना हेतु, विदेशी मुद्रा में कार्यशील पूंजी मांग ऋण/मीयादी ऋण, बाहरी वाणिज्यिक उधार, उपक्रमों को विदेशी वचन पत्र (एलओयू)/क्रेता ऋण सहित चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी), आयात ऋण पत्र, विदेशी गारंटी पत्र/विदेशी स्टैंड बाई ऋण पत्र/विदेशी मुद्रा में जारी आस्थगित भुगतान गारंटी पर विचार किया जाता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं की संभाव्य हानि एवं ईबीआईडी पर विचार करते हुए वृद्धिशील प्रावधानों/पूँजीगत अपेक्षा की गणना की जाती है ।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2020 तक के बैंक द्वारा प्रदान किए गए वृद्धिशील प्रावधान/पूंजीगत अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

(₹ करोडों में)

विवरण	2019-20	2018-19
वृद्धिशील प्रावधान (मानक आस्ति प्रावधान से अधिक)	1.85	1.92
उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर हेतु वृद्धिशील पूंजीगत अपेक्षा	6.94	5.07

3.19 चल निधि कवरेज अनुपात :

3.19.1 प्रकटीकरण फार्मेट :

(₹ करोड़ों में)

		31-मार्च-2020#		31-मार्च-2019*	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियां (एचक्यूएलए)		45571.18		41310.70
नकद बहिर्गमन					
2	खुदरा जमाएं तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों की जमाएं, जिनमें :	**108867.31**	**10411.22**	**104753.21**	**10055.53**
	(i) स्थिर जमाएं	**9510.19**	**475.51**	**8395.94**	**419.80**
	(ii) कम स्थिर जमाएं	**99357.12**	**9935.71**	**96357.27**	**9635.73**
3	असुरक्षित थोक निधिकरण, जिसमें	**74657.63**	**26049.95**	**79952.87**	**28600.57**
	(i) परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	(ii) गैर-परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	74657.63	26049.95	79820.11	28467.81
	(iii) अरक्षित ऋण	**0.00**	**0.00**	**132.76**	**132.76**
4	सुरक्षित थोक निधीकरण		0.00		**0.00**
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिनमें	**24765.81**	**2411.90**	**17445.74**	**1666.06**
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्गमन	**8.15**	**8.15**	**10.69**	**10.69**
(ii)	ऋण उत्पाद पर निधीकरण हानि से संबंधित बहिर्गमन	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(iii)	ऋण एवं चल सुविधाएं	**24757.66**	**2403.75**	**17435.05**	**1655.37**
6	अन्य निधिकरण करार दायित्व	**1632.04**	**1632.04**	**1240.69**	**1240.69**
7	अन्य आकस्मिक निधीकरण दायित्व	**20441.64**	**613.25**	**21336.46**	**640.10**
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**		**41118.36**		**42202.95**
नकद अंतर्वाह					
9	रक्षित उधार (उदा : रिवर्स रेपो)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	पूर्ण रूप से कार्य-निष्पादित एक्सपोज़रों से अंतर्वाह	6018.30	**3009.15**	**3243.30**	**1621.65**
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	**1390.59**	**1390.59**	**1054.70**	**1054.70**
12	कुल नकदी अंतर्वाह	**7408.89**	**4399.74**	**4298.00**	**2676.35**
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	**कुल एचक्यूएलए**		45571.18		41310.70
22	**कुल निवल नकदी बहिर्गमन**		36718.62		39526.60
23	**चल कवरेज अनुपात (%)**		124.11%		104.51%

गत वर्ष के दैनिक अवलोकन पर आधारित ।

* गत तिमाही के दैनिक अवलोकन पर आधारित ।

3.20 एलसीआर के प्रति गुणवत्ता प्रकटीकरण :

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ने भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा जिसे काफी गम्भीर चल दवाब परिदृश्य के अन्तर्गम 30 कैलेंडर दिवस हेतु चल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नकद में परिवर्तित किया जा सकता है ।

क. एलसीआर के मुख्य चालक

एलसीआर के दो घटक हैं :

(i) दवाबग्रस्त स्थिति में उच्च-गुणवत्ता की चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य ।

(ii) कुल निवल नकद बहिर्गमन : ''कुल निवल नकद बहिर्गमन'' शब्द को 30 कैलेंडर दिवस (दवाबग्रस्त अवधि) हेतु विनिर्दिष्ट दवाब परिदृश्य में ''कुल अपेक्षित नकद बहिर्गमन'' घटाएं ''कुल अपेक्षित नकद अंतर्वाह'' के रूप में परिभाषित किया गया है ।

एलसीआर = अगले 30 कैलेंडर दिवस के दौरान उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियों के स्टॉक/कुल निवल नकद बहिर्गमन >=100%

भारिबैंक ने दिनांक 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60% से आरम्भ करते हुए तथा 1 जनवरी, 2019 से न्यूनतम 100% बनाए रखने हेतु चरणबद्ध रूप में एलसीआर का शुभारंभ किया ।

ख. एलसीआर का इंट्रा-डे संचलन

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु न्यूनतम 100% सांकेतिक बेंचमार्क के मुक़ाबले मासिक एलसीआर का संचलन निम्नानुसार है :

समाप्त माह	एलआरसी
अप्रैल-19	112.55%
मई-19	114.12%
जून-19	111.99%
जुलाई-19	125.18%
अगस्त-19	125.88%
सितम्बर-19	125.22%
अक्तूबर-19	124.98%
नवम्बर-19	130.50%
दिसम्बर-19	123.97%
जनवरी-20	140.38%
फरवरी-20	128.02%
मार्च-20	126.68%

31 मार्च, 2020 तक एलसीआर (दैनिक औसत), पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दैनिक अवलोकन के आधार पर 124.11% रही । एलसीआर, न्यूनतम अपेक्षा 100% के प्रति जनवरी-20, फरवरी-20 तथा मार्च-20 माह के अंत तक क्रमश: 140.38%, 128.02%, 126.68% रही।

ग. एचक्यूएलए की संरचना

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु दैनिक औसत के आधार पर एचक्यूएलए की संरचना निम्न अनुसार प्रस्तुत है:

उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)	एचक्यूएलए के अंशदान का औसत प्रतिशत
हाथ में नकदी	2.55%
अधिक सीआरआर शेष	0.18%
न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	12.22%
एमएसएफ तथा एफएएलएलसीआर के अंतर्गत भारिबै द्वारा अनुमत अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां	80.54%
सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, कार्पोरेट बांड, वाणिज्यिक पत्र, ईक्विटी शेयरों पर दावे अथवा इनके द्वारा गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां (भारिबैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार हेयरकट/समायोजन किए गए स्तर 2ए तथा 2बीआस्तियों के रूप में वर्गीकृत आस्तियां)	4.51%

घ. **निधिकरण स्रोत का संकेंद्रण**

कुल जमाओं में श्रेष्ठ 20 जमाकर्ताओं के अनुपात के आधार पर बैंक द्वारा 20% की आन्तरिक सीमा निर्धारित की गई थी। बैंक के श्रेष्ठ 20 जमाकर्ताएं मुख्य रूप से सरकारी खाते, अर्ध सरकारी एजेंसियाँ, नगरपालिकाएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं।

ङ. बैंक की अपनी चलनिधि स्थिति पर नगण्य प्रभाव वाले डेरिवेटिव में कम एक्सपोजर है।

च. बैंक का विदेशी मुद्रा में कोई महत्वपूर्ण एक्सपोजर नहीं है।

बैंक विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार नियमित आधार पर न्यूनतम एलसीआर अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों की पर्याप्त मात्रा का अनुरक्षण करता है।

3.22 धोखाधड़ी खातों के प्रावधान संबंधी प्रकटीकरण:

विवरण	31-मार्च-2020	31-मार्च-2019
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	115	83
इन धोखाधड़ी में सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में) (₹ 3431.57 करोड़ के वास्तविक खाते की शेष राशि के प्रावधान)	3467.40	1039.19
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा (₹ करोड़ में)	3431.57	1039.19
''अन्य निधि'' से नामे प्रावधानों की गैर-परिशोधित मात्रा (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. भारिबैंक/2015-16/376, डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार, बैंक ने धोखाधडी हेतु रिपोर्ट किए गए खातों के प्रावधान के गैर-परिशोधित भाग के प्रति राजस्व रिज़र्व से ₹ शून्य करोड़ (₹ शून्य) नामे किया है।

3.23 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र :

(₹ करोड में)

क्र. सं.	पीएसएलसी का प्रकार	31-मार्च-2020		31-मार्च-2019	
		विक्रय	क्रय	विक्रय	क्रय
1.	पीएसएलसी - कृषि (पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ के अलावा)	0	0	500	--
2.	पीएसएलसी ॐ एसएफ/एमएफ	6400	0	7375	--
3.	पीएसएलसी - सूक्ष्म उद्यम	0	1800	--	1900
4.	पीएसएलसी ॐ साधारण (कृषि एवं सूक्ष्म उद्यम के अलावा)	8910	2000	9600	-

3.24 अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यण :

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है।

3.25 समामेलन तथा एकरूपता

भारत सरकार की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 जीएसआर 154(ई) दिनांक 4 मार्च, 2020 के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का समामेलन दि. 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद दि. 04 मार्च, 2020 को योजना अधिसूचित किया, जिसे आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में समामेलन योजना, 2020 के नाम से जाना जाता है।

यह योजना अप्रैल, 2020 के पहले दिन से लागू है। इस योजना के प्रारंभ होने पर, हस्तांतरक बैंक के उपक्रमों को हस्तांतरी बैंक में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। हस्तांतरी बैंक में हस्तांतरक बैंक 1 और हस्तांतरक बैंक 2 के समामेलन पर विद्यमान हस्तांतरी बैंक इकाई को 'यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया' के नाम से जाना जाएगा।

हस्तांतरक बैंकों के उपक्रमों के सभी व्यवसाय, परिसंपत्तियाँ (मूर्त और अमूर्त सहित), देनदारियाँ, आरक्षित और अधिशेष, वर्तमान या आकस्मिक और ऐसी संपत्ति से उत्पन्न सभी अधिकार और ब्याज शामिल करना समझा जाएगा जो इस योजना के शुरू होने से तुरंत पहले थे। हस्तांतरक बैंकों के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक में भविष्य निर्माण के तनाव को कम करने के उद्देश्य से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में

सलाह दी कि इसके प्रभाव के संबंध में दि. 31 मार्च, 2020 तक एक सामंजस्यपूर्ण प्रावधान सुनिश्चित करने के साथ मौजूदा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार तीनों बैंकों में परिसंपत्ति वर्गीकरण में परिवर्तन किया जा सके।

तदनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई सामंजस्य प्रक्रिया के आधार पर, परिसंपत्ति वर्गीकरण में वर्ष के अंत में किए गए बदलावों और मौजूदा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार एनपीए प्रावधान में वृद्धि के कारण रु 945.05 करोड़ की वृद्धि हुई ।

3.26 उपर्युक्त के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी कर्मचारी लाभ के संबंध में कर्मचारी लाभ प्रावधान का एकीकृत व्यवहार प्रस्तावित किया है, कर्मचारी लाभ पर कर मानक 15 और लेखा मानक 22 के अनुसार कर प्रावधान को जीवनांकक और कर सलाहकार की रिपोर्ट अनुसार वर्ष के अंत में आय पर लेखांकन हो। जिसके फलस्वरूप, वर्ष के अंत में ₹471.03 करोड़ की कर प्रावधान में कमीऔर ₹270.11 करोड़ की पेंशन दायित्व के संबंध में गणना की गई है ।

3.27 कोविड महामारी के कारण प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) ने नए कोरोनावायरस ("कोविड-19") के तनाव के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की और इसके प्रकोप को 11 मार्च, 2020 से महामारी के रूप में वर्गीकृत किया। भारत सहित दुनिया भर की सरकारों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए घोषित किए गए परिणामी लॉकडाउन ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े व्यवधान पैदा किए, जिससे अधिकांश उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक मंदी आई।

आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मंदी कम मांग, कम परिचालन, विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र, निचले स्तर के लोगों पर दबाव और नकदी प्रवाह में कमी के संदर्भ में चुनौतियां प्रस्तुत करती है। बैंक की तरफ से निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है और उन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहा है जो आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव में वृद्धि पेश कर रहे हैं। बैंक प्रबंधन का मत है कि उक्त चुनौतियों के बावजूद, बैंक की तरलता या लाभप्रदता पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके लिए वर्ष के अंत तक कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

3.28 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

3.29 भारतीय रिजर्व बैंक का ''स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क'' दिनांक 07 जून, 2019 का परिपत्र आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर. स.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार उक्त परिपत्र के संदर्भ में, उक्त उधारकर्ता के संबंध में व्यवहार्य संकल्प योजना समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों के भीतर लागू नहीं की गई थी, वर्ष के दौरान कुल बकाया ₹ 1337.14 करोड़ में 7 खातों के लिए ₹ 207.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि कुल बकाया का 20% अतिरिक्त प्रावधान है और उधारकर्ता की संपत्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान हेतु उक्त प्रावधान अपेक्षित है।

3.30 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनर्संरचित / पुनर्निर्मित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है। कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ो को दर्शाते हैं।

(एस वी एस सुन्दर प्रसाद)
मुख्य महा प्रबंधक

(बिरुपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के केदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम)
निदेशक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)

कृते राय एवं कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)

कृते संतोष गुप्ता एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)

कृते जी एस माधव राव एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)

(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)
यूडीआईएन

(सीए सुब्रत राय)
साझेदार (एम सं 051205)
यूडीआईएन

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)
यूडीआईएन

(सीए जी मानिक्य प्रसाद)
साझेदार (एम सं 020105)
यूडीआईएन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2020	समाप्त वर्ष 31.03.2019
नकदी और नकदी तुल्य का आरंभिक शेष	**15033,83,89**	15944,30,77
नकदी और नकदी तुल्य का अंतिम शेष	**11112,05,44**	15033,83,89
अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)	**(3921,78,45)**	**(910,46,88)**
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह :		
कर से पूर्व निवल लाभ / (हानि)	**(1173,52,21)**	(2411,12,72)
के लिए समायोजन		
निवेश पर परिशोधन/मूल्यह्रास	**506,96,68**	602,03,71
एनपीए हेतु प्रावधान	**5456,39,08**	6674,25,46
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	**185,00,00**	(38,00,00)
अन्य आस्तियों (निवल) हेतु प्रावधान	**236,24,35**	309,71,04
उधार पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान	**631,02,72**	12494,37,86
अचल आस्तियों पर मूलह्रास	**134,02,34**	131,37,64
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	**11,05**	(46,04)
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन :		
जमा में वृद्धि / (कमी)	**(7211,62,31)**	11750,52,14
निवेश में वृद्धि / (कमी)	**1173,35,39**	700,65,31
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	**34,71,97**	(14155,05,80)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	**(251,82,20)**	592,73,50
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	**(5981,25,26)**	(998,14,62)
परिचालन जनित नकदी	**(6260,38,40)**	15652,87,48
प्रदत्त कर	**(1210,19,09)**	(995,28,60)
परिचलनगत कार्यों से नकदी प्रवाह (क)	**(7470,57,49)**	14657,58,88
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह:		
अचल आस्तियों की (खरीदी) / बिक्री	**(57,81,98)**	(77,20,86)
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह (ख)	**(57,81,98)**	(77,20,86)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

विवरण	**समाप्त वर्ष 31.03.2020**	समाप्त वर्ष 31.03.2019
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	**456,80,00**	5275,00,00
लंबित आबंटन, भारत सरकार से प्राप्त आवेदन राशि	**-**	-
उधार में वृद्धि / (कमी)	**3851,47,14**	(7990,93,96)
उधार पर प्रदत्त/देय ब्याज	**(701,66,12)**	(12774,90,94)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	**-**	-
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह (ग)	**3606,61,02**	(15490,84,90)
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि (+)/ कमी(-) (क)+(ख)+ (ग)	**(3921,78,45)**	(910,46,88)

(एस वी एस सुन्दर प्रसाद)
मुख्य महा प्रबंधक

(विरुपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाई)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के केदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम)
निदेशक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)

कृते राय एवं कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)

कृते संतोष गुप्ता एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)

कृते जी एस माधव राव एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)

(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)
यूडीआईएन

(सीए सुब्रत राय)
साझेदार (एम सं 051205)
यूडीआईएन

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)
यूडीआईएन

(सीए जी मानिक्य प्रसाद)
साझेदार (एम सं 020105)
यूडीआईएन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति / पूर्व आन्ध्रा बैंक के सदस्यों के लिए

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट:

राय

1. हमने पूर्व आन्ध्रा बैंक ('बैंक') के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरणी और इसके पश्चात समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों के सारांश के साथ वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी सम्मिलित है, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु 20 शाखाओं, हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग और सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 1930 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बैंक द्वारा किया गया है । तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरणी और नकदी प्रवाह विवरणी में 924 शाखाओं की विवरणी भी सम्मिलित है, जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं हैं । ये गैर-लेखा-परीक्षित शाखाएं 5.38 प्रतिशत सकल अग्रिम, 11.94 प्रतिशत जमा, 4.31 प्रतिशत, ब्याज आय तथा 9.85 प्रतिशत ब्याज व्यय हेतु उत्तरदायी हैं ।

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना बैंक हेतु अपेक्षित रूप में प्रदान करती है तथा साधारणतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप है और:

   क. तुलन-पत्र , उसमें लिखे टिप्पणी के साथ एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमे शामिल सभी आवश्यक विवरण, ठीक से तैयार किया गया ताकि दिनांक 31 मार्च 2020 तक बैंक के व्यावसायिक मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके;

   ख. लाभ एवं हानि खाते इस पर दिये गये टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर शेष और

   ग. उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की विवरणी वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राय का आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों ('एसए') के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है । उन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी अनुभाग में लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है।हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता साथ ही नैतिक अपेक्षाओं जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं, उनके अनुपालन में बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा आचार संहिता के अनुपालन में अपने अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है । हमारा मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिएपर्याप्तऔर उपयुक्त हैं।

कार्यशील संस्था

3. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) दिनांक 04 मार्च 2020 के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ "आन्ध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक का समामेलन 2020'' नामक योजना के अनुरूप आन्ध्रा बैंक का समामेलन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गया जो दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी है । उक्त योजना के संदर्भ में, दिनांक 01 अप्रैल 2020 से पूर्व आन्ध्रा बैंक के उपक्रम को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरित एवं निहित कर दिया गया है । तदनुसार, प्रबन्धन ने वर्तमान लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्था के वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

मामले का महत्व

4. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट क्र 3.26 के अनुसार कोविड-19 महामारी के प्रभाव और चुनौतियों की और ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों मे मंदी आई हैं। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक के सामने आ रही चुनौतियों के संबंध मे स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है।

   इस संबंध मे हमारी राय संशोधित नहीं की गई है ।

मुख्य लेखा-परीक्षा विषय

5. मुख्य लेखा-परीक्षा विषय हमारे व्यवसायिक निर्णय में वे विषय हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे स्टैंडअलोन लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे।इन विषयों को समग्र स्टैण्डअलोन वित्तीयविवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा और हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया थाऔर हम इन विषयों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों को मुख्य लेखापरीक्षा के रूप मे निर्धारित किया है :

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
1.	**गैर-निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) की पहचान एवं वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान** *(महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के लिए अनुसूची 17 नोट 6, विभिन्न प्रकटीकरण हेतु अनुसूची 9 और अनुसूची 18 का संदर्भ ले)* अग्रिमों में बैंक के तुलन पत्र में संपत्ति की ओर से सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें वर्ष के अंत तक अर्थात 31 मार्च 2020 तक कुल अग्रिम (प्रावधानों का निवल) ₹ 1,57,742.33 करोड़, सकल एनपीए ₹ 28,708.54 करोड़ तथा एनपीए का प्रावधान रु 20,900,.28 करोड़ है। कुल अग्रिम बैंक की कुल संपत्ति का 64.68 प्रतिशत हैं। आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम (आईआरएसीपी) के संबंध में प्रावधानीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वाराजारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर बैंक संचालित होते है तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर निष्पादित व गैर निष्पादित अग्रिमों के संदर्भ मे वर्गीकरण तथा एनपीए के संदर्भ मे प्रावधान के संदर्भ मे जारी अन्य परिपत्र, अधिसूचनाओं के आधार पर होता है । भारिबैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, बैंकों को समय-सीमा से संबंधित निर्धारित नियमों के आधार पर अग्रिमों को ''अनर्जक आस्तियां'' (अवमानक, संदिग्ध तथा हानी) के रूप में वर्गीकृत करने और ऐसे अग्रिमों को उस अवधि तक अनर्जक आस्तियां बने रहने तक निर्दिष्ट प्रतिशत (15%, 25%, 40% और 100%) पर अपनी अपचारिता का प्रावधान करने की आवश्यकता है। परिचालन में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), समाधान सॉफ्टवेयर अर्थात् फिनेकल द्वारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से बैंक में ऐसे अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान की जाती है। विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, सॉफ्टवेयर में विभिन्न नियंत्रण और अंतर्निहित होते हैं। यद्यपि, एनपीए की पहचान नियम आधारित तथा प्रणाली चालित है, तथापि प्राथमिक प्रतिभूति के वास्तविक और वसूली योग्य मूल्य का आकलन करते समय प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय लेता है जो एनपीए के संबंध में प्रत्येक के लिए और सामूहिक प्रावधान के प्रभावित करता है। यदि आरबीआई दवारा निर्धारित आईआरएसीपी के किसी या समस्त मानदंडो का अनुपालन न किया जाए तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) तात्विक गलत विवरण हो सकता है। चूंकि एनपीए की पहचान एवं इस तरह के अग्रिमों के प्रावधान / प्राथमिक प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्य के आकलन तथा आरबीआई द्वारा समग्र लेखापरीक्षा के साथ संभावित निगरानी मे प्रबन्धन महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, जिसके फलस्वरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों और विनियामक दिशा-निर्देशों का प्रकटीकरण है अत: हम इसे प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में माना है।	अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में हमने निर्णयों और अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित तक सीमित न रहते हुए जो तात्विक गलत बयानी का कारण हो सकते हैं या प्रबंधन पूर्वाग्रह के संभाव्य पात्र हो सकते हैं को शामिल किया है: क) प्रतिभूति मूल्य में नि:शेषण निर्धारण की पूर्णता और समय और ख) प्रत्येक निर्धारित प्रावधान का पैमाना, जो प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियां, माल-सूची का वास्तविक मूल्य, व्यापार, प्राप्य राशि, परिसमापन पर प्राप्य मूल्य, विधि स्थिति, एनसीएलटी संदर्भित मामले के दिवालियेपन प्रक्रिया आदि पर निर्भर है। पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में हम: क) ऋण निष्पादन निगरानी,कार्यशील पूंजी सीमाओं के संबंध में आहरण शक्ति,उपलब्ध प्रतिभूति, आदि के मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता को समझा और इसकी समीक्षा की; ख) प्रतिभूतियों और आस्ति वर्गीकरण के मूल्य में नि:शेषण के आकलन में प्रबंधन द्वारा अंगीकृत की गई प्रमुख अवधारणाएं तथा निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया; ग) प्रतिभूति तथा अन्य मापदंडों के वास्तविक मूल्य के आधार पर किए गए प्रावधान की पुनर्गणना के माध्यम से सामूहिक ह्रास की गणना प्रक्रिया की सटीकता पर चुकौति आश्वासन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया है; और घ) महत्वपूर्ण गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु, हमने पहचाने गये प्रत्येक प्रावधान हानि की पर्याप्तता का निर्धारण किया है; हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं का भी निष्पादन किया है: क) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा सुझाए गए सभी परिवर्तनों में सुधार किया है। ख) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और लंबी फॉर्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) की समीक्षा की गई एवं उसपर पर भरोसा किया गया। ग) शाखाओं में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान सत्यता की समीक्षा और सत्यापन किया गया। घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुपालन की जांच की गई।

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
		ङ) चयनित नमूनों में गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान की पहचान करने के उद्देश्य से सॉफ़्टवेयर में तार्किक नियंत्रण, दर्ज की गई आंकड़े की सत्यता की जांच की गई। किसी भी नियंत्रण कमी की पहचान करने के लिए आईटी लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की भी समीक्षा की गई। च) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान के संबंध में हमारी परीक्षण प्रक्रिया के दौरान हमारे दृष्टि में पायी गई सभी तात्विक गलत विवरणियों में सुधार सुनिश्चित किया गया। छ) तात्विक नियंत्रण खामियों की पहचान के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट (सीफा), स्टॉक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, न्यायिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, भारिबैंक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि की समीक्षा की गई। ज) हमारी मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट में बताए अनुसार अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता का निष्पादन किया गया।
2.	**निवेश - मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं पहचान तथा गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान** *(महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के लिए अनुसूची 17 के नोट 4 का,अनुसूची 8 औरअनुसूची 18के नोट 1.2 का संदर्भ लें)* निवेश मे बैंक के तुलन पत्र की परिसंपत्तियों पर एक महत्वपूर्ण वस्तु निहित हैं जिसमें 31 मार्च 2020 तक कुल निवेश (प्रावधानों का निवल) रु 61,331.16 करोड़, सकल एनपीआई रु 1204.82 करोड़ तथा एनपीआई का प्रावधान रु 1078.48 करोड़ हैं। निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 25.15% है। बैंक की निवेश श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियां, बांड्स, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति प्राप्तियों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, परिपक्वता तक धारित, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार के लिए धारित। निवेश की वैधता, गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) की पहचान एवं इसी प्रकार आय और प्रावधान की पहचान न होना, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संबंधित परिपत्रों / दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त प्रतिभूति के प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / जानकारी का संग्रह जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें एनएसई, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड और सुरक्षा प्राप्तियों के मामले में एनएवी आदि शामिल है। यदि अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से, आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्यांकन और वर्गीकरण मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाय तो इन निवेशों का वर्गीकरण और वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) तात्विक रूप से गलत हो सकता है।	निवेश की हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)के परिपत्रों / निर्देशों जिसमें रचना की समीक्षा और परीक्षण सहित, कार्यान्वयन, भारिबैंक के दिशा निर्देशानुसार निवेश से संबंधित मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण का प्रभावशाली परिचालन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश,प्रावधानीकरण है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल थीं लेकिन इन तक सीमित नहीं थीं: क) निवेश के वर्गीकरण और मूल्यांकन में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रमुख मान्यताओं और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण; ख) सामूहिक ह्रास की गणना प्रक्रिया की सटीकता की सुविधा पाने के लिये आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर प्रावधानों की पुनर्गणना करना ग) बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन का परीक्षण घ) निवेश के उचित मूल्य निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन व आकलन ङ) आय की पहचान निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण,मूल्यांकन और निवेश के प्रावधान के संबंध में हमारी परीक्षण प्रक्रिया के दौरान हमारे द्वारा देखी गई सभी तात्विक गलत विवरणियों में सुधार सुनिश्चित किया गया;

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
	चूंकि निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, एनपीआई की पहचान और इस तरह के निवेश के लिए प्रावधान करने के लिए प्रबंधन स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता हैं/ उनके मूल्यांकन का आकलन किये जाने की तथा समग्र लेखापरीक्षा में इसका महत्व,लेन-देन की मात्रा और नियामक दिशानिर्देशों के लिए इसका महत्व दिया गया है,हम इसे प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप मे मानते है। इन निवेशों के मूल्यांकन को उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिसे लेखापरीक्षक के प्रमुख ध्यान आकर्षण की आवश्यकता थी और यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए निवेश की तुलना तात्विक कुल के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण मामलों मे से एक था।	च) बैंक के नीतियों के संबंध में तात्विक नियंत्रण खामियों की पहचान के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट (सिफ़ा) आरबीआई वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि की समीक्षा की गई। छ) हमारी मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट में बताए अनुसार निवेश पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता।
3.	**प्रत्यक्ष कर(डीटीए/डीटीएल) सहित अन्य पक्षों द्वारा दाखिल विभिन्न दावों को जिन्हें ऋण नहीं माना जाता, के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देयता का मूल्यांकन** *(स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण के अनुसूची 18 के नोट 2.12 को अनुसूची 12 के साथ पढ़ें)* प्रत्यक्ष कर (डीटीए/डीटीएल) सहित अन्य पक्षों द्वारा दाखिल विभिन्न दावों को जिन्हें ऋण नहीं माना जाता, के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देयता का मूल्यांकन क्योंकि मूल्यांकन में प्रबंधन स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय और इनके आकलन के निर्धारण की आवश्यकता होती है: जैसा कि भारत के सनदी लेखकर संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्ति पर लेखा मानक (एएस) 29प्रावधान में भी परिभाषित किया गया है, sप्रावधान एक देयता है जिसका उपाय केवल पर्याप्त परिमाण में आकलन का उपयोग करके किया जा सकता हैरु । किसी प्रावधान का एवं आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकरण का प्रबंधन का आकलन प्रत्येक घटना के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित हैं,घटना/ लेन-देन के बारे में उनका अपना निर्णय ऐसी घटनाओं/ लेन-देन के पूर्व अनुभव एवं जहां भी आवश्यक हो,कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह के आधार पर आधारित है । प्रबंधन का अनुमान कुछ मामलों में, स्वतंत्र वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और कर सलाहकारों से प्राप्त सलाह के आधार पर भी है। चूंकि अनुमान उनकी राय पर आधारित है, इसलिए कानून की व्याख्या में इन मामलों के निर्णय और परिणाम में अनिश्चितता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक की बताई गई हानि और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को काफी प्रभावित कर सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्र जहाँ इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर जिनमें कानून की व्याख्या में निर्णय के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है हमने एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है। फलस्वरूप, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबंधित निर्णय / कानून की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया गया था।	पर्याप्तलेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु हमने निम्नलिखित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई: क) हमने पिछले अनिर्णित कर मामलों के प्रत्यक्ष कर निर्धारण आदेशों के विवरण के साथ कर निर्धारण अधिकारियों और समुचित अपीलीय कर अधिकारियों के साथ लंबित मामलों पर लेखा के उनके प्रभाव की एवं आयकर आदेशों आदि के अनुसार आगे ले जाये जाने योग्य स्वीकार्य हानि की समीक्षा की ख) हमने अपनी समझ के आधार पर विवाद के मामलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की एवं विवादों के अधीन मामलों के संभावित परिणाम, और संभावित बहिर्गमन, यदि कोई हो, की समीक्षा की; ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त थी, घ) विभिन्न कर अधिकारियों / न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और / या प्राप्त सूचना की जांच और इनपर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जाँच की गई; ङ) उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह और हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय सहित उसमें प्रस्तुत किए गए आधार के संदर्भ में विचाराधीन विषय की योग्यता का मूल्यांकन; च) चर्चा, विचाराधीन विषय वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और इसके फलस्वरूप इन विषयों पर परिणामी बहिर्गमन के द्वारा बैंक के विवादों का मूल्यांकन; तथा छ) महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित खुलासों का सत्यापन।

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
4.	**कोरोना वायरस (''कोविड-19'') महामारी के प्रकाश में संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस (''COVID-19'') की समस्या के कारण 11 मार्च 2020 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की और एक महामारी के रूप में इसके प्रकोप को वर्गीकृत किया। जब हमारे द्वारा लेखापरीक्षण किया जाना था तब केंद्र सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय अधिकारियों द्वारा यात्रा के प्रतिबंधों (वायु, रेल, एवं सड़क) के साथ बाद के महीनों की अवधि तक राष्ट्रव्यापी तालाबंदी लगाए जाने के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षण हेतु हम पहले की भांति शाखाओं, अंचलो, सर्कल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय का दौरा करने में असमर्थ थे। सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक भी कोविड-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों / लॉकडाउन के कारण 212 शाखाओं का दौरा नहीं कर सके। इस मामले में आरबीआई ने सभी बैंकों की शाखाओं एवं अन्य कार्यालयों को जहां कोविड-19 संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के कारण भौतिक पहुंच संभव नहीं थी वहाँ दूरस्थ / दूरी / ऑनलाइन आधार के माध्यम से लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया है । तदनुसार, इस तरह के यात्रा प्रतिबंधों के कारण हम में से कोई भी सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक बैंक की शीर्ष 20 शाखाओं, 36 आंचलिक कार्यालयों, 6 सर्कल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय मे से किसी का भी दौरा नहीं कर सके और इन सभी शाखाओं और कार्यालयों का लेखा परीक्षण कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर से खातों के एक्सेस करते हुए और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक की स्थानीय शाखा / आंचलिक कार्यालयों में किया गया। हमारे द्वारा शाखा / कार्यालय के रिकॉर्ड, दस्तावेजों आदि की समीक्षा के लिए भौतिक रूप से दौरा करने में सक्षम होने के अभाव में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानकों पर निर्धारित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन के संदर्भ में ऑफ-साइट दूरस्थ लेखा परीक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता सीमित थी और पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए हमें इस बारे में उचित आश्वासन मिलता है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूरी तरह से सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त थे, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, हमने पहचान की थी हम इस तरह की संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में माना है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को दूरस्थ लेखापरीक्षा के रूप में करने के लिए संशोधित किया गया था।	कोरोना वायरस (''कोविड-19'') के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा देश भर में एक सख्त तालाबंदी की घोषणा के कारण हवाई, रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करने पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा टीम के सदस्यों के लिए पहले के भांति, लेखा परीक्षा के लिए शाखाओं / आंचलिक कार्यालयों / सर्कल कार्यालयों / प्रधान कार्यालय का दौरा करना यह संभव नहीं था। तदनुसार, हमने ऑफ साइट रिमोट ऑडिटिंग प्रक्रिया को अपनाया, जिसके आधार पर हमने शाखाओं / आंचलिक कार्यालयों / सर्कल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में बिना भौतिक उपस्थिति के स्थानीय शाखा मे उपास्थित अधिकारियों के साथ बातचीत कर एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को जोड़कर और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के एक्सेस से पूर्व आन्ध्रा बैंक की स्थानीय शाखाओं / आंचलिक कार्यालयों मे स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संग्रहण कर फिनकले सॉफ्टवेर द्वारा इसकी सटीकता का आकलन कर लेखापरीक्षण किया। दूरवर्ती / दूरस्थ / ऑनलाइन ऑडिट के ऐसे सभी मामलों में, बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल और फिनकल में रिमोट एक्सेस (सीबीएस) आदि माध्यमों द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। इस हद तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर किया गया जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जिसे लेखापरीक्षा के लिए साक्ष्य के रूप मे वर्तमानकालिक अवधि के लिए रिपोर्टिंग पर विश्वास किया। उपरोक्त सीमाओं को देखते हुए, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को निम्नानुसार संशोधित किया: क) लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के लिए बैंक की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) फिनेकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से शाखाओं / आंचलिक कार्यालयों / सर्कल कार्यालयों / प्रशासनिक कार्यालयों / प्रधान कार्यालय के लेनदेन की समीक्षा की। ख) उधारकर्ताओं और अन्य खातों से संबन्धित आवश्यक अभिलेख / दस्तावेजों की समीक्षा और सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से शाखा / आंचलिक कार्यालयों / सर्कल कार्यालयों / प्रधान कार्यालयों और बैंक के अन्य कार्यालयों के संबंध में किया गया। ग) बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेख, कार्य विवरण, प्रमाण पत्रों और संबंधित रिकॉर्ड्स की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया गया। घ) फोन कॉल / कॉन्फ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार माध्यमों पर चर्चा एवं पूछताछ द्वारा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाए। ङ) हमारे सभी ऑडिट टिप्पणियों का संकल्प पदनामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने बातचीत के बजाय टेलीफोन द्वारा / ईमेल के माध्यम से किया गया।

वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचना

6. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) दिनांक 04 मार्च 2020 के अनुसार ''यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आन्ध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक का समामेलन 2020'' नामक योजना के अनुरूप आन्ध्रा बैंक का समामेलन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गया जो दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। उक्त योजना के संदर्भ में, दिनांक 01 अप्रैल 2020 से तत्कालीन आन्ध्रा बैंक के उपक्रम को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरित एवं निहित कर दिया गया है एवं उक्त तिथि से आन्ध्रा बैंक का निदेशक मण्डल भंग हो गया। जैसा कि बताया गया है, निदेशकों की रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट से संबंधित अन्य जानकारी उपरोक्त के मद्देनजर जारी नहीं की गई है।

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणी पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उनके बारे में आश्वासन निष्कर्ष किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेगें ।

वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचना वस्तुत: असंगत है, या तात्विक रूप से गलत बयान प्रतीत होता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन और अधिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

7. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों, आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत जिनका अनुपालन किया जाता है, की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निषादन और बैंक के नकदी प्रवाह के प्रति सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्ति की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का अनुमान लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना एवं लागू करना, निर्णय लेना और यह अनुमान लगाना कि वे प्रासंगिक और विवेकपूर्ण हैं, और, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिज़ाइन करना और इसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन-रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक है जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तात्विक गलत विवरण से सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं, सम्मिलित हैं।

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता के आकलन के लिये, प्रकटीकरण, यथा लागू, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों के लिये और कार्यशील संस्था लेखांकन आधार को प्रयोग जबतक कि या तो बैंक का परिसमापन अथवा परिचालन बन्द करने हेतु या किसी वास्तविक विकल्प के न होने पर भी ऐसा करने प्रबंधन का अभिप्राय हो, के लिये प्रबंधन उत्तरदायी है।

बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मण्डल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणी की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

8. समग्र स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी तत्विक गलत वर्णन से मुक्त है या नहीं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, इसके संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो, जारी करना हमारा उद्देश्य है । उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है किन्तु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा, जब भी किया जाए हमेशा तात्विक गलत वर्णन का पता लगाए । गलत वर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उन्हें तात्विक माना जाएगा यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने हेतु इन्हें उचित रूप से स्वीकार किया जाए ।

एसए के अनुपालन में लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और लेखा-परीक्षा के दौरान व्यवसायिक संदेहवाद का अनुरक्षण करते हैं । हम निम्न भी करते हैं :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के तात्विक गलत वर्णन चाहे धोखधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उनके जोखिम की पहचान एवं मूल्यांकन करना, उन जोखिमों हेतु उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया डिजाइन और पूर्ण करना, और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना कि यह हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है । धोखाधड़ी से होने वाले तात्विक गलत वर्णन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाली जोखिम से उच्चतम है क्योंकि धोखाधड़ी में अभिसंधि, जालसाजी, इरादतन चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना सम्मिलित हो सकती है ।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और अनुमानित लेखांकन की प्रासंगिकता तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन
- लेखांकन के वर्तमान विचार के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटना या स्थितियों से संबंधित तात्विक अनिश्चितता है जो बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकती है ।यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तात्विक अनिश्चितता है, अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण से संबंधित अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होगा । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां बैंक को कार्यशील संस्था के रूप

में जारी रखने का कारण बन सकती है ।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन तथा घटनाओं को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं ।

  तात्विकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में गलत वर्णन का परिमाण है, जिससे यह संभावना बनती है कि यह व्यक्तिगत या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकती है । हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के क्षेत्र में तथा हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन की योजना बनाने (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान किए गए गलत वर्णन के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तात्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचारकरते हैं।

  हम अन्य विषयों के अलावा, लेखा-परीक्षा की योजनाबद्ध क्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं, जिसकी पहचान लेखा-परीक्षा के दौरान की गई है, इसके संबंध में जिन पर शासन का दायित्व है, उन्हें सूचित करते हैं।

  उन्हें जिन पर शासन का दायित्व है, को भी हम एक बयान के साथ कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन्हें सभी संबंधित और अन्य विषयों के साथ सूचित करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता का वहन करने हेतु उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं ।

  जिन पर शासन का दायित्व है, उनके साथ सूचित विषयों से, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा विषय हैं । हम अपने लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि अथवा विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय की सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इसके प्रतिकूल परिणाम संचार के सार्वजनिक हित लाभ को प्रभावित करने की सम्भावना होगी ।

अन्य विषय:

9. हमने बैंक की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित 1930 शाखाओं के वित्तीय विवरणियों /सूचना की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2020 को रू 1,04,072.50 करोड़ की कुल अग्रिम और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु रू 11,328.61 करोड़ की कुल ब्याज दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है। वित्तीय विवरणियों/इन शाखाओं की में सूचना, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में चुंकि यह शाखाओं के संबंध में सम्मिलित राशि तथा प्रकटीकरण से संबंधित है, यह केवल ऐसी शाखा के लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है ।

   इस विषय के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हुई है ।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता का आहरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुपालन में की गई है ।

11. उक्त पैरा 5 से 8 में दर्शाई गई लेखा-परीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा इनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 30 की उपधारा (3) की आवश्यकताओं के अनुसार भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि

    क) हमने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास में, हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया गया।

    ख) बैंक के लेन-देन, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकार के अन्दर हैं, और

    ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा-परीक्षा उद्देश्य हेतु पर्याप्त है।

12. इसके अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    क) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार खाते की उचित बहियों को बैंक द्वारा रखा गया है क्योंकि ये बहियां हमारी जांच से सामने आई हैं और हमारे लेखा-परीक्षा उद्देश्य पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया किया ।

    ख) इस रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरणियां खाते की बहियों तथा उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया किया, के साथ करार में हैं ।

    ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अन्तर्गत बैंक के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को बनाने में हमारे द्वारा उचित रूप से अनुसरण किया गया है, और

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरणियां के साथ लागू लेखांकन मानक का, उस सीमा तक, जो भारिबैंक द्वारा उल्लिखित लेखांकन नीतियों का उल्लंघन नहीं करती है, अनुपालन करती हैं ।

13. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी क्र.6270 / 08.91.001 / 2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुसार ''सार्वजनिक क्षेत्रके बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग की आवश्यकता'', आरबीआई द्वारा 19 मई 2020 को जारी संचार के साथ पढ़ें, उपरोक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट इस प्रकार है:

क) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का इस हद तक अनुपालन करते हैं, कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं;

ख) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों जिससे बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है;

ग) हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना CG-DL-E-04032020-216535 दिनांक 04 मार्च 2020 के अनुसार पूर्व आन्ध्रा बैंक के साथ कार्पोरेशन बैंक का समामेलन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गया है जो दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी है एवं इस अधिसूचना के अनुच्छेद 5 के अनुसार उस तिथि से पूर्व आन्ध्रा बैंक के बोर्ड के समस्त निदेशकों का आन्ध्रा बैंक के निदेशक के रूप मे पदभार समाप्त हो गया है और निदेशक मंडल दिनांक 01 अप्रैल 2020 से भंग हो गया है।

घ) खातों के रखरखाव और अन्य संबन्धित मामलों के योग्यता या संदेह के संदर्भ में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है; तथा

ङ) बैंक ने चालू वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा दिनांक 19 मई 2020 के अनुमति के अनुसार "वित्तीय विवरणों के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों'' को लागू नहीं करने के विकल्प का प्रयोग किया है। हम तदनुसार इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं।

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.002405सी)

(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार
एम. सं.071600
यूडीआईएन : 20071600AAAAAK6945
स्थान : कानपुर

कृते राय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.313124ई)

(सीए सुब्रत रॉय)
साझेदार
एम. सं.051205
यूडीआईएन : 20051205AAAAAS1903
स्थान : कोलकाता

कृते संतोष गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.009713एन)

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार
एम. सं.108603
यूडीआईएन : 20108603AAAABU9628
स्थान : मुंबई

कृते जी.एस. माधव राव एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.0019075)

(जी मणिक्य प्रसाद)
साझेदार
एम. सं.020105
यूडीआईएन : 20020105AAAABP9700
स्थान : हैदराबाद

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून 2020

31 मार्च 2020 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ '000 में)

विवरण	अनुसूची	**31.03.2020 के अनुसार**	31.03.2019 के अनुसार
पूँजी और देयताएं			
पूंजी	1	**3095,53,73**	2884,48,78
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	**9344,99,86**	10447,23,69
जमा	3	**212691,51,65**	219852,93,27
उधार	4	**14171,17,11**	10314,58,94
अन्य देयताएं व प्रावधान	5	**9288,77,42**	10544,73,43
कुल		**248591,99,77**	254043,98,11
आस्तियाँ			
ह्मारतङ्गय रिङ्गार्व ङ्गाम्क में नकदङ्ग और शेSSI	6	**7730,28,94**	10127,13,69
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	**3872,07,50**	5420,83,42
निवेश	8	**65286,12,80**	66914,82,57
अग्रिम	9	**157766,37,39**	158847,91,03
अचल आस्तियां	10	**1500,83,99**	1572,28,67
अन्य आस्तियां	11	**12436,29,15**	11160,98,73
कुल		**248591,99,77**	254043,98,11
आकस्मिक देयताएं	12	**139105,81,04**	203733,03,22
वसूली हेतु बिल		**13468,96,92**	9801,11,35
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
लेखा पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भ अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

(एस वी एस सुन्दर प्रसाद)
मुख्य महा प्रबंधक

(विरुपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के केदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम)
निदेशक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)

कृते राय एवं कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)

कृते संतोष गुप्ता एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)

कृते जी एस माधव राव एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)

(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)
यूडीआईएन

(सीए सुब्रत राय)
साझेदार (एम सं 051205)
यूडीआईएन

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)
यूडीआईएन

(सीए जी मानिक्य प्रसाद)
साझेदार (एम सं 020105)
यूडीआईएन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता

(₹ '000 में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
आय			
अर्जित ब्याज	13	**20073,75,65**	19202,87,80
अन्य आय	14	**3498,96,34**	3088,09,54
कुल आय		**23572,71,99**	22290,97,34
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	**12796,80,63**	12224,28,26
परिचालन व्यय	16	**5658,53,52**	5005,77,90
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		**6466,80,46**	7828,00,83
कुल व्यय		**24922,14,61**	25058,06,99
आसाधारण मदों से पूर्व लाभ/ (हानि) या एसोसिएट में लाभ का हिस्सा		**(1349,42,62)**	(2767,09,65)
असाधारण मदें		**-**	**-**
एसोसिएट में लाभ का हिस्सा		**25,73,05**	25,09,84
वर्ष हेतु समेकित निवल लाभ /(हानि)		**(1323,69,57)**	(2741,99,81)
आगे लाया गया समेकित निवल लाभ /(हानि)		**(6255,67,23)**	(3508,25,76)
कुल		**(7579,36,80)**	(6250,25,57)
विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित को अंतरण		**106,13,16**	97,91
आरक्षित पूंजी को अंतरण		**289,58,27**	4,43,75
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि को अंतरण		**41,22,15**	-
आई.टी आधिनियम के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि को अंतरण		**-**	-
प्रस्तावित लाभांश		**-**	-
लाभांश कर		**-**	-
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष		**(8016,30,38)**	(6255,67,23)
कुल		**(7579,36,80)**	(6250,25,57)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां लेखा पर टिप्पणियां		**(4.43)**	(18.71)
प्रति शेयर आय: मूल एवं अवमिश्रित ₹		**(4.43)**	(18.71)

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं।

(एस वी एस सुन्दर प्रसाद)
मुख्य महा प्रबंधक

(बिरुपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के केदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम)
निदेशक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)

कृते राय एवं कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)

कृते संतोष गुप्ता एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)

कृते जी एस माधव राव एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)

(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)
यूडीआईएन

(सीए सुब्रत राय)
साझेदार (एम सं 051205)
यूडीआईएन

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)
यूडीआईएन

(सीए जी मानिक्य प्रसाद)
साझेदार (एम सं 020105)
यूडीआईएन

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23.06.2020

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अनुसूची- 1 पूंजी:		
I. अधिकृत पूंजी		
10/- ₹ प्रत्येक के 600,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- ₹ प्रत्येक के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	**6,00,00,000**	6,00,00,000
II. जारी,अभिदत्त, मांगे गए तथा प्रदत्त		
10/- ₹ प्रत्येक के 309,55,37,256 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष 288,44,87,840 ईक्विटी शेयर) [केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 273,16,84,046 ईक्विटी शेयर सहित (गत वर्ष 262,06,34,630 ईक्विटी शेयर]	**3095,53,73**	2884,48,78
कुल अनुसूची - 1	**3095,53,73**	2884,48,78
अनुसूची - 2 आरक्षित एवं अधिशेष:		
I. सांविधिक आरक्षित निधि:		
प्रारंभिक शेष	**2554,20,50**	2833,75,67
वर्ष के दौरान जमा	**106,13,16**	97,91
घटाएं: कटौतियां	**70,63,40**	280,53,08
कुल - I	**2589,70,26**	2554,20,50
II. आरक्षित पूंजी		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**959,76,57**	835,49,61
वर्ष के दौरान जमा	**74,19**	138,49,65
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन भाग पर संचित मूल्यह्रास)	**16,35,77**	14,22,69
कुल-II क	**944,14,99**	959,76,57
ख. अन्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**655,42,38**	650,98,63
वर्ष के दौरान जमा	**289,58,27**	4,43,75
कुल-II ख	**945,00,65**	655,42,38
कुल-II क+ख	**1889,15,64**	1615,18,95
III. शेयर प्रीमियम		
प्रारंभिक शेष	**8591,98,78**	5002,64,38
वर्ष के दौरान जमा	**287,75,06**	3589,34,40
कुल-III	**8879,73,84**	8591,98,78
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि		
क. राजस्व आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**2487,64,61**	2476,24,91
वर्ष के दौरान जमा	**53,44,92**	14,22,69
घटाएं: कटौतियां/ समायोजन	**-**	2,82,99
कुल-IV क	**2541,09,53**	2487,64,61
ख. विदेशी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**(1,11,92)**	(8,37,90)
वर्ष के दौरान जमा	**3,66,26**	8,92,35
घटाएं: कटौतियां	**6,37**	1,66,37
कुल-IV ख	**2,47,97**	**(1,11,92)**
ग. आई.टी अधिनियम की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**1455,00,00**	1455,00,00
वर्ष के दौरान जमा	**-**	-
घटाएं: कटौतियां	**-**	-
कुल-IV ग	**1455,00,00**	1455,00,00
घ. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	**-**	-
वर्ष के दौरान जमा	**4,13,00**	-
घटाएं: कटौतियां	**-**	-
कुल-IV घ	**4,13,00**	-
कुल-IV क+ख+ग	**4002,70,50**	3941,52,69
V. लाभ एवं हानि खाता में शेष	**(8016,30,38)**	(6255,67,23)
कुल अनुसूची- 2	**9344,99,86**	10447,23,69

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अनुसूची - 3: जमा		
I-क. मांग जमा		
i) बैंकों से	**47,86,14**	47,48,44
ii) अन्य से	**11294,20,51**	10190,02,60
कुल I-क	**11342,06,65**	10237,51,04
I-ख. बचत बैंक जमा		
i) बैंकों से	**-**	-
ii) अन्य से	**62121,71,49**	58768,01,18
कुल I-ख	**62121,71,49**	58768,01,18
I-ग. मीयादी जमा		
i) बैंकों से	**5,70,34**	5,36,92
ii) अन्य से	**139222,03,17**	150842,04,13
Total I-C	**139227,73,51**	150847,41,05
TOTAL-I	**212691,51,65**	219852,93,27
II-क.भारत की शाखाओं में जमा	**212581,96,02**	219794,91,41
II-ख.भारत के बाहर की शाखाओं में जमा	**109,55,63**	58,01,86
कुल-II	**212691,51,65**	219852,93,27
कुल अनुसूची -3	**212691,51,65**	219852,93,27
अनुसूची - 4: उधार		
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से	**4443,00,00**	500,00,00
ii) अन्य बैंकों से	**3836,59,07**	6,48,04
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां (गौण/एआपीडीआई/अप्पर-टायर-II ऋण/बांड	**5891,58,04**	9289,44,65
II. भारत के बाहर उधार	**-**	518,66,25
कुल अनुसूची - 4	**14171,17,11**	10314,58,94
अनुसूची - 5: अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
I. देय बिल	**681,07,45**	772,64,15
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	**113,81,78**	927,52,39
III. उपचित ब्याज	**348,68,44**	368,66,16
IV. मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	**916,76,83**	731,44,63
V. आस्थगित कर देयता (निवल)	**-**	-
VI. अन्य (प्रावधान सहित)	**7228,42,92**	7744,46,10
कुल अनुसूची-5	**9288,77,42**	10544,73,43
अनुसूची - 6: भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी तथा शेष		
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	**1214,49,77**	984,97,41
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
i) चालू खातों में	**6515,79,17**	9142,16,28
ii) अन्य खातों में जमा	**-**	-
कुल अनुसूची-6	**7730,28,94**	10127,13,69

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अनुसूची -7::बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि			
I.	भारत में		
i)	**बैंकों में शेष**		
	क) चालू खातों में	**58,90,69**	90,67,72
	ख) अन्य खातों में	**254,65,50**	339,56,02
	कुल	**313,56,19**	430,23,74
ii)	**मांग एवं अल्प सूचना पर राशि**		
	क) बैंकों में	**48,91,28**	4800,00,00
	ख) अन्य संस्थाओं में	**-**	-
	कुल	**48,91,28**	4800,00,00
	कुल-I	**362,47,47**	5230,23,74
II.	भारत से बाहर		
	i) चालू खातों में	**125,93,80**	81,96,59
	ii) अन्य जमा खातों में	**3247,74,36**	1,13,55
	iii) मांग तथा अल्प सूचना पर राशि	**135,91,87**	107,49,54
	कुल - II	**3509,60,03**	190,59,68
	कुल अनुसूची - 7	**3872,07,50**	5420,83,42
अनुसूची - 8: निवेश			
I.	भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां	**58660,55,85**	58521,45,31
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**913,28,40**	758,31,71
	iii) शेयर	**1002,60,92**	1268,20,35
	iv) डिबेंचर तथा बांड	**2601,32,39**	2740,91,52
	v) अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम	**173,69,56**	150,96,52
	vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, वीसीएफ व प्रतिभूति रसीद आदि)	**1897,07,24**	3436,42,10
	कुल	**65248,54,36**	66876,27,51
II.	**भारत से बाहर**		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्रधिकारियों सहित)	**8,78,12**	12,75,66
	ii) अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम	**-**	-
	iii) अन्य निवेश	**28,80,32**	25,79,40
	कुल	**37,58,44**	38,55,06
	कुल योग (I और II)	**65286,12,80**	66914,82,57
भारत में सकल निवेश		**68088,62,64**	69545,65,19
घटाएं : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		**2840,08,28**	2669,37,67
भारत में निवल निवेश		**65248,54,36**	66876,27,52
भारत से बाहर कुल निवेश		**37,58,44**	38,55,05
घटाएं : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		**-**	-
भारत के बाहर सकल निवेश		**37,58,44**	38,55,05
	कुल अनुसूची -8	**65286,12,80**	66914,82,57

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अनुसूची - 9: अग्रिम		
I-क खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**1148,59,01**	1390,68,55
I-ख. नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं ऋण (मांग पर चुकौती योग्य)	**89008,27,04**	90083,73,29
I-ग. मीयादी ऋण	**67609,51,34**	67373,49,19
कुल	**157766,37,39**	158847,91,03
II. अग्रिम के ब्यौरे:		
II-क. मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋणों के विरूद्ध अग्रिमों सहित)	**139493,80,71**	144259,68,83
II-ख. बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर किया गया	**13153,18,20**	9779,33,10
II-ग. अरक्षित अग्रिम	**5119,38,48**	4808,89,10
कुल	**157766,37,39**	158847,91,03
III. अग्रिम का क्षेत्र-वार वर्गीकरण :		
III-क. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	**70467,34,88**	75160,34,54
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**14497,08,50**	12002,36,50
iii) बैंक	**-**	-
iv) अन्य	**72780,49,62**	71662,02,02
कुल	**157744,93,00**	158824,73,06
III-ख. भारत के बाहर अग्रिम	**21,44,39**	23,17,97
कुल	**157766,37,39**	158847,91,03
कुल अनुसूची-9	**157766,37,39**	158847,91,03
अनुसूची - 10: मूर्त आस्तियां		
क. मूर्त आस्तियां		
I. परिसर		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के अनुसार	**2052,24,19**	1820,37,35
वर्ष के दौरान वृद्धि	**6,59,63**	9,52,88
मूल लागत का पूनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि	**-**	222,50,75
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती	**2,95,56**	16,79
तिथि को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन के खाते पर संचित मूल्यह्रास सहित)	**960,94,57**	944,34,54
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयु डी वी	**1094,93,69**	1107,89,65
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के अनुसार	**1623,77,98**	1598,34,00
वर्ष के दौरान वृद्धि	**63,72,55**	75,14,09
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती	**27,13,21**	49,70,11
तिथि को मूल्यह्रास	**1275,22,82**	1192,14,47
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयु डी वी	**385,14,50**	431,63,51

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
III. पूंजीगत कार्य - प्रगति पर		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के अनुसार	**7,37,47**	9,75,93
वर्ष के दौरान वृद्धि	**16,68,46**	21,55,68
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती	**19,01,12**	23,94,14
वर्ष की समाप्ति पर मूल्य	**5,04,81**	7,37,47
ख. अमूर्त आस्तियां		
I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के अनुसार	**226,15,82**	224,99,42
वर्ष के दौरान वृद्धि	**2,57,35**	4,15,10
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती	**29**	2,98,70
तिथि को मूल्यह्रास/परिशोधन	**215,91,93**	203,67,82
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयु डी वी	**12,80,95**	22,48,00
II. सुनाम / गुडविल	**2,90,04**	2,90,04
कुल अनुसूची-10	**1500,83,99**	1572,28,67
अनुसूची - 11: अन्य आस्तियां		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	**-**	-
II. उपचित ब्याज	**1781,69,04**	1762,75,66
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल)	**3598,57,40**	3980,14,14
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	**13,02,16**	13,84,35
V. दावे चुकाए जाने में प्राप्त गैर बैंकिंग आस्तियां	**-**	-
VI. आस्थगित कर आस्ति (निवल)	**3872,79,13**	2298,31,19
VII. अन्य	**3170,21,42**	3105,93,39
कुल अनुसूची -11	**12436,29,15**	11160,98,73
अनुसूची - 12: आकस्मिक देयताएं		
I. बैंकों के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता	**1916,75,91**	1918,54,91
II. पूंजी प्रतिबद्धता	**17,05,50**	30,20,24
III. विकल्प एवं व्युतपन्न	**-**	-
IV. बकाया वायदा विनिमय करार	**109601,42,15**	172561,83,46
V. घटकों (बीजी) की ओर से दी गई गारंटियां	**109599,61,69**	172560,46,86
क) भारत में	**15920,02,96**	16040,29,13
ख) भारत से बाहर	**1,86,70**	5,26,60
VI. स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	**3959,16,39**	4872,19,51
VII. लैटर ऑफ कम्फर्ट	**131,09,76**	7,53,64
VIII. ब्याज-दर स्वैप	**-**	-
IX. विवादग्रस्त कर देयता (निवल)	**3335,69,17**	2771,43,30
X. अन्य मदें जिन हेतु बैंक आकस्मिक रूप से बाध्य है	**4222,72,50**	5525,72,43
कुल अनुसूची - 12	**139105,81,04**	203733,03,22

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अनुसूची - 13: अर्जित ब्याज		
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/भुनाई	**15227,85,17**	14173,83,95
II. निवेश पर आय	**4678,10,44**	4822,74,62
III. भा रि बैं में शेष पर ब्याज तथा अन्य अंतर-बैंक निधियां	**94,91,73**	92,86,84
IV. अन्य	**72,88,31**	113,42,39
कुल अनुसूची - 13	**20073,75,65**	19202,87,80
अनुसूची - 14: अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज	**554,82,07**	569,13,38
II. निवेश (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि)	**537,23,77**	186,19,86
III. निवेश (निवल) के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि)	**(1,24)**	-
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ	**11,05**	46,03
V. विनिमय लेनदेन (निवल) पर लाभ (हानि)	**114,63,66**	50,33,37
VI. लाभांश से आय	**5,82,36**	6,05,89
VII. बीमा प्रीमियम	**973,58,89**	947,32,70
VIII. विविध आय	**1312,75,78**	1328,58,31
कुल अनुसूची - 14	**3498,96,34**	3088,09,54
अनुसूची - 15: व्यय ब्याज		
I. जमा पर ब्याज	**12165,35,77**	11475,85,96
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	**82,20,23**	270,43,75
III. अन्य	**549,24,63**	477,98,55
कुल अनुसूची - 15	**12796,80,63**	12224,28,26
अनुसूची - 16: परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों हेतु भुगतान तथा प्रावधान	**3187,90,26**	2301,45,88
II. किराया, कर तथा बिजली	**322,65,84**	312,42,83
III. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	**28,63,51**	30,11,30
IV. विज्ञापन तथा प्रचार	**35,60,05**	23,67,40
V. बैंक सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	**140,47,34**	135,84,62
VI. निदेशक की फीस, भत्ते एवं व्यय	**79,54**	56,11
VII. लेखा परीक्षक की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों के व्यय और शुल्क सहित)	**28,94,04**	32,26,27
VIII. विधि प्रभार	**7,16,57**	5,25,21
IX. डाक, दूरभाष आदि	**50,45,05**	55,88,08
X. मरम्मत तथा रख-रखाव	**140,62,82**	129,15,14
XI. बीमा	**220,99,67**	218,11,94
XII. बीमा गतिविधि से संबंधित प्रदत्त लाभ	**832,36,76**	1125,72,91
XIII. अन्य व्यय	**661,92,07**	635,30,21
कुल अनुसूची-16	**5658,53,52**	5005,77,90

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

अनुसूची -17 : वर्ष 2019-20 हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य:

1.1 तैयारी का आधार:

बैंक (मूल), अनुषंगी तथा संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत अभिसमय तथा अन्यथा उल्लिखित न होने पर, लेखांकन के विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी शर्तों/दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों, मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं ।

1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) के संबंध में रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट किए गए आय और व्यय के संबंध में प्राक्कलन और अनुमान का उपयोग किया जाता है । प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त प्राक्कलन उचित और युक्ति संगत हैं । भविष्य के परिणाम इन प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं । लेखांकन प्राक्कलन में किसी प्रकार के परिशोधन का चालू और भविष्य की अवधि में भविष्यगामी मान्यता दी जाती है ।

2. समेकन का आधार

2.1 समूह (एक अनुषंगी, एक सहयोगी और तीन संयुक्त उद्यमों) के वित्तीय विवरण को निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है -

i. आन्ध्रा बैंक (मूल) के लेखा परीक्षित खाते ।

ii. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार अनुषंगी की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद की मूल संस्था के संबंधित मदों के एकत्रीकरण और अंत:समूह सभी भौतिक शेष, लेन-देन, बकाया लाभ/हानि के समापन के द्वारा ।

iii. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 23 ''सहयोगी में निवेश की लेखा में समेकित वित्तीय विवरणी'' के अनुसार ''इक्विटी पद्धति'' के अंतर्गत सहयोगी में निवेश का लेखा ।

iv. संयुक्त उद्यमों का समेकन- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 27 ऽ संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग रु के अनुसार 'समानुपाती समेकन'।

v. इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाड के वित्तीय विवरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (''आईएफआरएस'') का अनुपालन करता है तथा समेकन के उद्देश्य हेतु मलेशिया के कंपनी अधिनियम 1965 की अपेक्षता भारतीय जीएएपी के समतुल्य है ।

vi. लेखा नितियों में भिन्नता के मामले में, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों को मूल के वित्तीय विवरणियों की पुष्टि हेतु जहाँ भी आवश्यक तथा व्यवहार्य हो, समायोजित किया जाता है ।

2.2 संयुक्त उद्यमों में समूह के निवेश और संयुक्त उद्यमों में समूह की इक्वीटी हिस्सेदारी के अंतर की पहचान वित्तीय अलग-अलग मामलों में वित्तीय विवरणियों में गुडविल अथवा पूंजी निधि के अनुसार की गई है ।

3. राजस्व की पहचान :

3.1 निम्नलिखित को छोडकर, आय और व्यय की पहचान सामान्यत: संचयी आधार पर की जाती है।

i. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) एवं अनर्जक निवेशों (एनपीआई) पर ब्याज का निर्धारण वसूली के आधार पर किया जाता है । पूर्ववर्ती वर्ष में परिकलित आय और अप्राप्त शेष को वर्ष के दौरान एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है ।

ii. कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क, अतिदेय बिलों पर ब्याज, एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

iii. लाभांश उसकी प्राप्ति का अधिकार सुनिश्चित होने पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

iv. वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय प्रभारित किया गया है तथा वसूली पर उन्हें आय के रूप में परिकलित किया जाता है ।

v. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की बिक्री को परिकलित किया जाता है।

3.2 निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि:

i. निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। डिबेंचर/बाँडों के मोचन पर प्रीमियम की पहचान, मोचन की तारीख पर की गयी है ।

ii. ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' और ''व्यापारार्थ रखे गये'' श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना लाभ एवं हानि लेखा में किया गया है ।

iii. ''परिपक्वता तक रखे गये'' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और लाभ की समान राशि पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित की गयी है । (कर तथा राशि का निवल सांविधिक आरक्षित को अंतरण अपेक्षित है)

iv. इन तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हुई हानि की गणना लाभ एवं हानि लेखा में किया गया है।

3.3 अनर्जक अग्रिमों में आंशिक वसूली को निम्नानुसार प्राथमिकता आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

i. वसूली हेतु व्यय/कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय ।

ii. ब्याज अनियमितताएं/संचित ब्याज ।

iii. मूल राशि अनियमितताएं अर्थात खाते में बकाया मूल राशि ।

3.4 अनर्जक अग्रिमों में समझौता निपटान वाले मामलों में वसूलियाँ पहले मूल राशि के लिए समायोजित की जाती हैं ।

3.5 जीवन बीमा

क. प्रीमियम आय :

पॉलिसीधारक से प्रीमियम बकाया होने पर इसे आय की मान्यता दी गई है । यूनिट लिंक्ड व्यापार के मामलों में प्रीमियम आय को मान्यता संबंधित यूनिट के बनाये जाने पर दी गई है । गैर-लिंक्ड परिवर्ती बीमा व्यापार हेतु, प्राप्ति तिथि पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी जाती है । कालातीत पॉलिसी के संबंध में प्रीमियम को आय की मान्यता तब दी गई है जब तक ऐसी पॉलिसी पुन: चालू नहीं कर दी जाती है । प्रीमियम की गणना प्रभारों पर लागू जीएसटी के साथ की जाती है । यूनिट लिंकड व्यापार के मामले में, पॉलिसी धारकों द्वारा भुगतान किया गया टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना जाता है ।

ख. पुनर्बीमा प्रीमियम :

दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखा-जोखा के समय पुनर्बीमा कंपनी के साथ किये समझौते के अनुरूप दिये गये नियमों और शर्तों के अतंर्गत प्रीमीयम से आय के रूप में मान्यता दी गई है । प्रीमियम पर आगामी संशोधन या रद्दीकरण के प्रभाव को इसे संबंधित वर्ष में मान्यता दी गई है जिस वर्ष में प्रभावी होते हैं ।

ग. लिंक्ड पॉलिसी से आय :

लिंक्ड पॉलिसी से आय, जिसमें आस्ति प्रबंधन शुल्क तथा अन्य प्रभार, यदि कोई हो तो, सम्मिलित हैं, पॉलिसियों के नियम एवं शर्तों के अनुरूप लिंक्ड निधियों से वसूली जाती है तथा देयता के समय मान्यता दी जाती है ।

घ. भुगतान किया गया लाभ (दावे सहित) :

परिपक्वता लाभ की गणना भुगतान हेतु देयता के समय की जाती है । मृत्यु तथा अन्य दावे की गणना सूचना की प्राप्ति पर की जाती है । गैर-लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण/आहरण की गणना अनुरोध की प्राप्ति पर की जाती है । लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण/आहरण की गणना संबंधित योजना में संबंधित यूनिट की निरस्तिकरण पर की जाती है ।

उत्तरजीविता लाभ दावे तथा परिपक्वता दावे की गणना देयता के समय की जाती है ।

देय दावे में निपटान की सीधी लागत सम्मिलित है । उसपर वसूली योग्य पुनर्बीमा की गणना संबंधित दावे के अनुसार समान अवधि हेतु की जाती है । न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित नामंजूर दावे का निपटान तथ्यों पर ध्यान देते हुए प्रबंधन विवेक तथा ऐसे दावे से संबधित उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है ।

ङ. अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत जिस अवधि में व्यय किये जाते हैं उसी अवधि में वहन किये जाते हैं। अधिग्रहण लागत में प्रमुख रूप से बीमा मध्यस्थतों को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी मुद्रण व्यय, स्टॉम्प शुल्क और पॉलिसी जुटाने से लेकर जारी करने तक के अन्य सभी खर्च शामिल हैं।

3.6 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी :

क. वित्तीय आस्तियों (एफए) में निवेश से आय :

एफए के समाधान/वसूली पर संग्रहित राशि एफए के मूल्य के शून्य होने तक संबंधित एफए में जमा होगी । एफए मूल्य शून्य के बाद एफए के समाधान से प्राप्त राशि लाभ एवं हानि विवरण में जमा किया जाता है । उसी प्रकार एफए के समाधान से प्राप्त की गई कुल राशि इनकी लागत से कम हो तो कमी को हानि के रूप में लिया जाता है तथा लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है । ''पुनर्सरचना हेतु परक्रामित वित्तीय आस्तियों'' के अधिग्रहण हेतु नीति के अंतर्गत समाधान किया गया/अधिग्रहित वित्तीय आस्ति के मामले में निधिक राशि पर ब्याज वास्तविक वसूली के रूप में माना जाता है ।

ख. न्यास की प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश से आय :

एसआर में निवेश से आय की गणना न्यास द्वारा सभी एसआर के प्रतिदेय के बाद की जाती है । सभी एसआर के प्रतिदेय के बाद गैर-समाधान आस्ति की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त आय की गणना, संबंधित न्यास द्वारा संवितरण पर की जाती है ।

ग. अन्य आय:

सभी अन्य आय की गणना उपचय के आधार पर की जाती है । राजस्व की गणना अर्जन पर की जाती है तथा इसकी वसूली अथवा संग्रहण पर कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं रहती है । प्रबंधन शुल्क की गणना के मामले में, प्रबंधन शुल्क की वास्तविक प्राप्ति पर ही माना जाएगा ।

घ. वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण हेतु किए गए व्यय:

वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण हेतु समुचित सावधानी, मूल्यांकन तथा नीलामी शुल्क आदि के रूप में पूर्व-अधिग्रहण स्तर पर अधिग्रहण व्यय को वर्तमान वर्ष व्यय के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है ।

4. विदेशी मुद्रा लेनदेन:

4.1 आय एवं व्यय की मदें लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं ।

4.2 ***मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित***

विनिमय-दर पर पुन: मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामत: लाभ/हानि की निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) लाभ/हानि खाते में दर्ज किया जाता है ।

4.3 *डेरिवेटिव उत्पाद (वायदा संविदा (व्यापार एवं अंतर-बैंक दोनों)/ मुद्रा फ्यूचर्स/ विदेशी मुद्रा स्वैप आदि) को प्रारम्भ में संविदा की बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय-दर पर रिकार्ड किया जाता है । इनका फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्त-तिमाही के अंत में दरों पर पुन: मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा परिणामत: लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में सम्मिलित किया जाता है । परिणामत: बाजार भाव पर दर्शाए गए (एमटूएम) लाभ/हानि को वर्तमान मूल्य एमटूएम की ग़णना के लिए एफआईएमएमडीए - जेडसीवाईसी दरें (6माह) का उपयोग करते हुए बट्टागत किया जाता है तथा परिणामत: लाभ/हानि को लाभ तथा हानि खाता में दर्ज किया जाता है ।*

4.4 विदेशी साख पत्रों, लैटर ऑफ कम्फर्ट तथा गारंटी पत्रों को, ऐसी प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है । वित्त वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित-दर पर बकाया मदों का पुन: वर्णन किया जाता है ।

4.5 *बैक-टू-बैक आधार पर लिये गये अन्य डेरिवेटिव उत्पाद जैसे ब्याज दर स्वैप/ वायदा दर करार/ ऑप्शंस आदि अथवा बैंक को अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की हैजिंग हेतु संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर दर्ज किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तारीख को, अंतिम तिथि को रिपोर्ट किये जाते हैं । इन लेनदेन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक समानुपातिक अवधि हेतु किया जाता है । बैक-टू-बैक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित की जाती है ।*

5. निवेश:

5.1 तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छ: भागों में वर्गीकृत किये गये हैं।

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
iii) शेयर
iv) डिबेंचर एवं बाँड
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम/ एसोशिएटस तथा
vi) अन्य

5.2 निवेश निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं ।

i) परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)
ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
iii) व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

5.3 वर्गीकरण का आधार

i. निवेश के खरीद के समय इसे एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तत्पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन श्रेणियों में रखा जाता है ।

ii. ''पपिक्वता तक रखे गये'' श्रेणी के अंतर्गत परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती है ।

iii. ''व्यपार के लिए रखे गये'' श्रेणी के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं ।

iv. ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं ।

v. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्था में निवेश परिपक्वता तक रखे गए निवेश के रूप में वर्गीकृत है ।

5.4 मूल्यांकन :

निवेश की प्राप्ति लागत निर्धारित करने हेतु

i. अंशदान पर प्राप्त ब्रोकरेज/कमीशन निवेश की लागत से घटा दिए जाते हैं । प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन लाभ एवं हानि खाते में जमा किए जाते हैं ।

ii. निवेश की प्राप्ति हेतु खर्च किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर और स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है ।

iii. ऋण लिखतों पर प्रदत्त/ प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना जाता है और लागत/ बिक्री प्रतिफल से घटाया जाता है ।

iv. निवेश की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत आधार पर निर्धारित की जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश का मूल्यन निम्न आधार पर किया जाता है:-

i) परिपक्वता तक रखे गए:

क. इस वर्ग के अंतर्गत श्रेणीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत, निवल परिशोधन, यदि कोई हो तो, पर दर्शाया जाता है । यदि अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत अधिक हो तो, शेष परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है । इस प्रकार प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समाशोधित किया जाता है ।

ख. अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम (भारत और विदेश दोनों में) का मूल्यांकन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका मूल्यन रखाव लागत (अर्थात बही मूल्य) पर किया जाता है, में निवेश को छोड़कर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है ।

ग. अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा, निवेश मूल्यों में किसी ह्रास का निर्धारण किया जाता है और ऐसे प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है ।

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध:

इस वर्ग के अंतर्गत रखे गये निवेश का निम्न अनुसार मूल्यन किया जाता है :

श्रेणी	*मूल्यांकन की विधि*
सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां	*वाईटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) आधार पर*
इक्वीटी शेयर	*नवीनतम तुलन पत्र (12 माह पहले के बाद का न हो) के अनुसार बाजार भाव पर उद्धृत भाव वाले शेयर तथा अलग-अलग मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि कोई हो तो, पर विचार किए बिना) पर गैर-उद्धृत भाव वाले शेयर, अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी*
अधिमानी शेयर	*वाईटीएम आधार पर*
डिबेंचर/बॉण्ड	*वाईटीएम आधार पर*
म्यूचुअल फंड का यूनिट	*प्रत्येक योजना के संबंध में फंड द्वारा घोषित एनएवी/ नवीनतम पुन: क्रय कीमत पर*
जोखिम पूंजी निधियां	*लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, जो 18 माह पहले से अधिक का न हो, के अनुसार घोषित एनएवी अथवा विश्लेषित एनएवी । यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति 18 माह के बाद का उपलब्ध न हो, तो प्रति वीसीएफ ₹ 1/- पर ।*
प्रतिभूति रसीद	*आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी पर*
टी-बिल एवं वाणिज्यिक पत्र	*रखाव लागत पर*

पांच समूहों में से (अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस् में निवेश को छोडकर) प्रत्येक के अंतर्गत निवल मूल्यह्रास का पूर्णतया प्रावधान किया जाता है जबकि उपर्युक्त किसी भी समूह के अन्तर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि की उपेक्षा की जाती है । अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य बाजार भाव पर दर्शाने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ।

प्रतिभूति रसीद में निवेश :

प्रतिभूति रसीद (एसआर) जारी करने के विरुद्ध प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में, एसआर में निवेश (i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) (याने बही मूल्य के लिए कम प्रावधान); और (ii) एसआर के मोचन मूल्य के न्यूनतर में मान्य है । एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के क्रम में मूल्यांकित हैं । इस क्रम में, एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर के मामलों में, संबंधित योजना के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों को दिए गए उपकरणों की वास्तविक वसूली में सीमित हैं, एससी/एआरसी से प्राप्त, निवल आस्ति मूल्य, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है।

iii) व्यापारार्थ रखे गये:

क. इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक महीने के अंत में फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमत/प्रतिफल, बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है ।

ख. प्रत्येक 5 शीर्ष (अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी में निवेश को छोडकर) में निवल मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है जबकि निवल वृद्धि, यदि हो तो, उसकी उपेक्षा की जाती है । अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य में मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

5.5 विवेकपूर्ण मानदंड :

i. निवेश का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अर्जक तथा अनर्जक के अनुसार किया गया है ।

ii. अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के संबंध में, आय को मान्यता नहीं दी जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों हेतु मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान गए हैं ।

iii. रेपो/प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन हेतु लेखांकन

रेपो/प्रतिवर्ती रेपो (भारिबैंक के चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटि (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो/प्रतिवर्ती रेपो लेन-देन सहित) के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का लेखांकन संपार्श्विकयुक्त ऋण और उधार लेनदेन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य सीधे बिक्री/खरीद लेनदेन के रूप में ही किया जाता है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचलन का रिपो/प्रतिवर्ती रिपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए किया जाता है । उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया जाता है । लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । रिपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) और प्रतिवर्ती रिपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों के पास शेष और कॉल और अल्प सूचना राशि) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है ।

5.6 सामान्य:

i. बैंक सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद एवं बिक्री के रिकार्ड निपटान तिथि को कर रहा है ।

ii. (क) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण:

अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है । अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से

अधिक है, वृद्धि की उपेक्षा की जाती है तथा प्रतिभूति बही-मूल्य पर अंतरित की जाती है । ऐसे मामलों में जहां बाजार मूल्य बही-मूल्य से कम है, उस प्रतिभूति के विरूद्ध पहले ही रखे गए मूल्यह्रास के विरूद्ध प्रावधान और बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाता है तथा अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, को मान्यता दी जाती है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है ।

(ख) **एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में :**

यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई थी-

- क्या बट्टे पर, क्या उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में बही मूल्य/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है ।
- क्या प्रीमियम पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है ।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के मामलों में, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुन: मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामत: मूल्य-ह्रास, यदि हो, तो उसका प्रावधान किया जाता है ।

(ग) प्रतिभूतियों के एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्य-हास, यदि हो, हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्य-ह्रास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है।

6. ब्याज दर स्वैप

6.1. ब्याज दर का स्वैप : (हेजिंग)

i. सतत स्वैप लेनदेनों पर आय उस स्वैप को छोडकर, जो आस्ति या देयता से संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत पर की गई है, का निर्धारण संचयी आधार पर किया गया है। उस मामले में स्वैप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं ।

ii. जब समायोजित लाभ/ हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वैप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है । इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वैप पर लाभ या हानि, स्वैप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं ।

6.2. ब्याज दर स्वैप (व्यापार)

i. व्यापार स्वैप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है ।

ii. ऐसे स्वैपों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तिथि में निर्धारित किया गया है ।

iii. शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है ।

iv. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज की गई हैं ।

7. अग्रिम

7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋण और अग्रिमों का उल्लेख अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है ।

7.2 अग्रिमों का वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं उधारकर्ता-वार हानि आस्तियां के रूप में किया गया है ।

7.3 भा रि बैं द्वारा निर्दिष्ट वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए गए तथा मूल्यांकन अनुसार अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, बशर्ते कि यह नीचे दिए गए अनुसार न्यूनतम प्रावधानों के अनुसार हो:

अवमानक आस्तियां	1. सामान्यत: कुल बकाया का 15% 2. एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारंभ में बिना प्रतिभूति के थे । 3. बुनियादी ढांचा ऋण खातों के संबंध में बिना प्रतिभूति के एक्सपोजर जहां एस्क्रो खाते जैसे कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं - 20%
संदिग्ध- प्रतिभूति सहित भाग	1. एक वर्ष तक - 25% 2. एक से तीन साल - 40% 3. तीन साल से अधिक - 100%
संदिग्ध - बिना प्रतिभूति	100%
हानि संपत्ति	100%

7.4 तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधान तथा अनर्जक आस्तियों से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीएफटी) / एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) से प्राप्त किए गए दावे / विविध खाते में बिना वसूली किए गए ब्याज का निवल है ।

7.5 पुन:संरचित/पुनर्निधारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिनके अनुसार पुनर्निर्धारण से पूर्व और इसके बाद ऋण के उचित मूल्य में अंतर हेतु प्रावधान किया गा है । उचित मूल्य में कमी (डीएफवी) हेतु प्रावधान अग्रिम से कम किया जाता है ।

7.6 अनर्जक के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

7.7 पिछले वर्ष अपलिखित ऋणों में वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में माना जाता है ।

7.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किया जाता है । इन प्रावधानों को तुलन पत्र के अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिन्हें निवल अनर्जक आस्तियों के आकलन के समय ध्यान में नहीं लिया जाता है।

8 अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास तथा ऋण परिशोधन:

8.1 भूमि तथा परिसर के अतिरिक्त अचल आस्ति को लागत के रूप में लिया जाता है, क्षति यदि हो तो, मूल्यह्रास के रूप में समायोजित किया जाता है । लागत में क्रय मूल्य तथा सभी व्यय जैसे तैयारी, प्रतिष्ठापन लागत तथा उपयोग के पहले आस्ति पर किया गया अन्य प्रभार सम्मिलित हैं । बाद में उपयोग हेतु आस्ति पर उपगत अन्य प्रभार केवल आस्ति से भविष्य लाभ में वृद्धि से पूंजीगत किया जाता है ।

8.2 भूमि/परिसर, जिनका पुन: मूल्यांकन किया गया है, को पुनर्मूल्यांकन राशि के रूप में लिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन तिथि पर संचित मूल्यह्रास सकल वहन राशि में परिवर्तन के अनुपातिक रूप से पुनर्कथन द्वारा गणना की जाती है ताकि पुनर्मूल्यांकन पश्चात वहन राशि, लेखा मानक एएएस-10 (परिशोधित) सम्पत्ति, प्लांट तथा संयंत्र के अनुसार अपनी पुनर्मूल्यांकित राशि के समतुल्य हो । पुन: मूल्यांकन पर मूल्य-वर्धन को पुन: मूल्यांकन रिज़र्व को जमा किया जाता है और वृद्धिशील मूल्यह्रास, यदि पुन: मूल्यांकित राशि से संबंधित हो, को इससे घटाया जाता है ।

8.3 परिसर लागत में भूमि, पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टा स्वामित्व सम्मिलित हैं ।

8.4 मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास स्ट्रेट लाईन आधार पर चल आस्ति की अनुमानित उपयोगी आयु पर लगाया जाता है । प्रबंधन का मानना है कि बैंक द्वारा मूल्यांकित आस्ति की उपयोगी आयु वातावरण, तकनीकी में परिवर्तन तथा उपयोग में आस्ति की उपयोगिता, संबंधित आस्ति की उपयोगी आयु का प्रतिनिधित्व करता है । चल आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु निम्न अनुसार है :

विवरण	अवशिष्ट आयु	बैंक द्वारा निर्धारित अनुमानित उपयोगी आयु
परिसर - फ्रीहोल्ड	मूल लागत का 5%	60 वर्ष
अन्य अचल आस्तियां:		
सेफ़ डिपॉजिट लॉकर, स्ट्रॉंग रूम दरवाजा, आलमारी	₹ 1/-	30 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वातानुकूलन प्लांट तथा उपकरण	₹ 1/-	10 वर्ष
स्वचालित टेलर मशीन/नकद जमा मशीन/सिक्का डिस्पेंशर/सिक्के वेंडिंग मशीन	₹ 1/-	7 वर्ष
कार्यालयीन उपस्कर	₹ 1/-	5 वर्ष
मोटर वाहन, वैन तथा मोटर साईकिल	मूल लागत का 5%	5 वर्ष
कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का एकीकृत भाग के रूप में है	₹ 1/-	3 वर्ष

ii. ₹ **10,000/-** के समतुल्य तथा कम मूल लागत वाली आस्तियों का 100% मूल्यह्रास किया जाता है जिसका अवशिष्ट मूल्य ₹ 1/- माना जाता है ।

8.5 ऋण परिशोधन

i) पट्टागत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि अथवा 60 वर्ष, जो भी पहले हो, में किया गया है।

ii) साफ्टवेयर के परिशोधित मूल्य को अमूर्त आस्ति माना गया है ।

क. कोर बैंकिंग सोलूशन (सीबीएस) के अंतर्गत प्राप्त सॉफ्टवेयर को पाँच वर्ष के उपयोगी अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है ।

ख. अन्य सॉफ्टवेयर को अधिप्राप्ति के वर्ष में प्रभारित किया जाता है ।

iii) पुनर्मूल्यांकित आंकडे पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में समायोजित की जाती है ।

iv) पट्टा स्वामित्व परिसर में सुधार को पट्टा की शेष प्राथमिक अवधि पर प्रभारित किया जाता है ।

v) वर्ष के दौरान खरीदे एवं बेचे गए आस्तियों हेतु, मूल्यह्रास बैंक द्वारा यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है ।

vi) जहाँ भी आस्ति की अनुमानित उपयोगी आयु में संशोधन हो तो, गैर-परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि कथित परिशोधित शेष उपयोगी आयु के उपर प्रभारित किया जाता है ।

vii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ, निवल कर तथा सांविधिक आरक्षिति के अंतरण को पूंजी आरक्षिति खाता में अंतरित किया जाता है ।

8.6 समनुषंगी

8.6.1 अचल परिसंपत्तियॉं -

पट्टे पर दिये गये परिसंपत्तियों को जिन्हें रूपये 1/- पर मूल्यांकित किया गया है इनके अलावा सभी स्थायी परिसंपत्तियों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

8.6.2 मूल्यह्रास

8.6.2.1स्वयं के प्रयोग की परिसंपत्तियाँ -

मूल्यह्रास प्रावधान नहीं किया गया चूँकि आस्तियों के मूल्य दि. 31.03.2020 को आस्तियों के शेष हैं ।

8.6.2.2 पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ -

मेसर्स इनकैब इंडस्ट्रीज लि. को पट्टेपर दिये गये मशीनरी के शेष मूल्य को रूपये 1/- निर्धारित किया गया है । पट्टे पर दिये गये परिसंपत्तियों के लिये कोई प्रावधानीकरण नहीं किया गया है ।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा सेवा के दौरान 12 माह के अंदर देय अल्पावधि कर्मचारी लाभ की राशि को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा कर्मचारी द्वारा दी गयी संबंधित सेवाएं की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है ।

9.2 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i. परिभाषित योगदान योजनाएं :

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) हेतु देय अंशदान परिभाषित योगदान योजना है तथा इसे लाभ एवं हानि खाता में प्रभारित किया जाता है ।

बैंक में 1 अप्रैल 2010 के बाद बैंक में जुआइन हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेशन योजना (एनपीएस) परिचालन में है, जो परिभाषित योजना है । ऐसे नए जुआइनी वर्तमान पेंशन योजना के भागी बनने हेतु पात्र नहीं है । योजना के अनुसार कवर प्राप्त कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और बैंक से तदनुरूपी राशि का अंशदान देते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया की पूर्ति तक संबंधित कर्मचारियों के अंशदान बैंक में रख लिए जाते हैं । बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को संबंधित वर्ष में गणना में लेता है । स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर (प्रान) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस न्यास को अंतरित किया जाता है ।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं :

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएं हैं ।

क) ग्रेच्युटी

कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग योजना के जरिए जीवन बीमा निगम/बैंक द्वारा प्रबंधित है । ग्रेच्युटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है ।

ख) पेंशन

कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है । पेंशन के अंतर्गत बैक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है ।

ग) छुट्टी नकदी करण -

साधिकार अवकाश को दीर्घावधि सुविधा माना गया है और प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को ''प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट प्रणाली'' पर बीमांकिक के आधार पर मान्यता दी गई है ।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी सुविधाएं :

क) बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति, रजत जयंती पुरस्कार, छुट्टी यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति पुरस्कार और रीसेटलमेंट भत्ते के लिए पात्र हैं । कर्मचारी की ऐसी दीर्घावधि सुविधाओं का बैंक द्वारा आंतरिक निधीकरण किया जाता है ।

ख) अन्य दीर्घावधि सुविधाएं प्रदान करने की लागत का पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को बीमांकक मूल्यांकन करते हुए निर्धारित किया जाता है । पिछली सेवा लागत की गणना लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल गणना में लिया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता ।

10. प्रति शेयर अर्जन :

क) प्रति शेयर मूल तथा डाईलूटेड अर्जन एएस-20 ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुसार रिपोर्ट की जाती है । प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन उस अवधि के दौरान शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर पश्चात निवल लाभ के विभाजन द्वारा गणना की जाती है ।

ख) प्रति ईक्विटी शेयर डाईलुटेड अर्जन ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा उस अवधि के अंत में शेष डाईलुटेड संभावित ईक्विटी शेयरों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है ।

11. आय पर कर

11.1 आयकर व्यय निम्नलिखित की कुल राशि है ।

i. चालू कर प्रावधान और

ii. आस्थगित कर प्रभार

11.2 चालू कर प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में निर्धारित अवधि हेतु कर राशि है ।

11.3 आस्थगित कर प्रभार का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 'आय पर कर हेतु लेखांकन' के अनुसरण में किया गया है और यह वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयता का निवल अंतर है । आस्थगित आय कर में वर्तमान वर्ष के दौरान करादेय आय और लेखांकन आय के बीच के समय अंतर और पिछले वर्ष के समय अंतर के प्रतिवर्तन का प्रभाव प्रतीत होता है ।

11.4 आस्थगित कर आकलन तुलन-पत्र की तिथि को कर दरें और पारित या पर्याप्त रूप से पारित कर विधि के आधार पर किया जाता है।

11.5 आस्थगित कर आस्तियों को गणना में तब तक नहीं लिया जाता है जब तक की युक्तिपूर्ण निश्चितता न हो कि भविष्य में ऐसे आस्थगित कर आस्तियों के प्रति पर्याप्त करादेय आय की वसूली होगी ।

11.6 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली के युक्तिपूर्ण/आभासी निश्चितता के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर गणना में लिया जाता और पुन: मूल्यांकन किया जाता है।

11.7 विशेष रिज़र्व

राजस्व और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व शामिल है । बोर्ड के निदेशक मंडल ने रिज़र्व के सृजन को अनुमोदित करते हुए और विशेष रिज़र्व से आहरण करने का उद्देश्य न होने के संबंध में पुष्टि करते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने संकल्प पारित किया है ।

12. आस्तियों का ह्रास :

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण किया जाता है कि क्या किसी प्रकार की आस्ति की हानि हुई है, यदि इस प्रकार की कोई हानि हुई है तो उनकी अनुमानित वसूली योग्य राशि का आस्ति के आधिक्य तक लाभ एवं हानि विवरणी में प्रावधान किया गया है ।

13. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29 "प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और प्रासंगिक आस्तियाँ" के अनुपालन में, बैंक प्रावधानों को निम्नलिखित स्थिति में ही गणना में लेता है:

1. पूर्व घटना के कारण वर्तमान बाध्यता है ।
2. बाध्यता के निपटान हेतु आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना है और
3. बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सके ।

13.1 निम्नलिखित हेतु प्रावधान को गणना में नहीं लिया जाता है:

i. पूर्व घटना के कारण बाध्यता के उत्पन्न होने की संभावना जो भविष्य में एकाधिक घटनाओं, जो पूर्णत: बैंक के नियंत्रण में न हो, के घटित होने या न होने पर आधारित हो; अथवा

ii. पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी वर्तमान बाध्यता पर जो मान्य नहीं है क्योंकि

क) बाध्यता का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना नहीं है ।

ख) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है । ऐसी बाध्यताओं को प्रासंगिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है । नियमित अंतराल पर इनका आकलन किया जाता है और आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना वाले अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों को छोडकर, जहाँ कोई विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है ।

13.2 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है ।

13.3 देशीय एक्सपोजर का प्रावधान: संपत्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार रखे गए विशिष्ट प्रावधानों के अलावा, विशेष देश हेतु एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा अन्य) का भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं । यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का देशीय एक्सपोजर (निवल) कुल वित्त पोषित संपत्ति के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशीय एक्सपोजर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

14. निवल लाभ

लाभ एवं हानि खाता में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात प्रकट किया जाता है:

i. निवेशों पर मूल्यह्रास का प्रावधान
ii. कराधान हेतु प्रावधान
iii. ऋण हानियों के लिए प्रावधान
iv. मानक आस्तियों पर प्रावधान
v. अनर्जक निवेशों पर प्रावधान
vi. अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान।

15. नकद और नकदी तुल्य

हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर मुद्रा सहित नकद तथा नकदी तुल्य सम्मिलित हैं।

16. खंड रिपोर्टिंग

बैंक बिजनेस सेगमेंट को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र को सेकेंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है। इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 17 ऽखंड रिपोर्टिंगरु के अनुपालन में जारी किया गया है ।

व्यावसायिक क्षेत्रों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:-

i) राजकोष
ii) कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
iii) खुदरा बैंकिंग
iv) अन्य बैंकिंग परिचालन

अनुसूची- 18: वित्त वर्ष 2019 - 20 के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखों पर टिप्पणियां

क. अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यमों की सूची, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु ध्यान में रखा गया है :

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु ध्यान में रखी गई 1 अनुषंगी, 1 सहयोगी तथा 3 संयुक्त उद्यम (जो आन्ध्रा बैंक, मूल संस्था, सहित समूह बनते हैं) निम्नानुसार हैं :

क्र. सं	संस्था	निगमित देश	समूह का हिस्सा (%)	
			31.03.2020	31.03.2019
क)	**अनुषंगी :**			
1	आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
ख)	**सहयोगी :**			
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
ग)	**संयुक्त उद्यम :**			
1	इंडिया फस्ट लाईफ इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड	भारत	30.00	30.00
2	एएसआरईसी (भारत) लिमिटेड	भारत	26.02	26.02
3	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय बैंक (मलेशिया) बरहाद	मलेशिया	25.00	25.00

ख. समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का आधार

मूल बैंक तथा इसकी अनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय विवरणियों (सीएफएस) की तैयारी, जब तक अन्यथा निर्देशित न किया जाए, लागू सांविधिक/विनियामक प्रावधानों, लेखा मानकों, भारत साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं, के सभी तात्विक पहलुओं के अनुपालन में की गई है । भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक (मलेशिया) बरहाद कम्पनी की वित्तीय विवरणियां मलेशियाई वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एमएफआरएस), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) तथा मलेशिया में कम्पनी अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

ग. समेकन प्रक्रिया :

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी लेखा मानक (एएस-21), 'समेकित वित्तीय विवरण (एएस-23)', 'समेकित वित्तीय विवरणियों (एएस-27) में एसोसिएटों में निवेश हेतु लेख तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' तथा समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है । बैंक तथा इसके अनुषंगी की वित्तीय विवरणियों को, इंट्रा-ग्रुप शेष/लेन-देन तथा परिणामी अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के पश्चात्, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी कुल राशियों को जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित किया गया है ।

घ. अनुषंगी की वित्तीय विवरणियों को, जहाँ आवश्यक हो, बैंक की लेखा नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है ।

ङ. अनुषंगी, सहयोगी तथा 3 संयुक्त उद्यम प्रचलित विधि तथा प्रक्रियाओं के अनुसार लेखा नीतियों का निरंतर पालन कर रहे हैं, जो संबंधित व्यवसाय आवश्यकताओं के दृष्टिगत कुछ मामलों में मूल बैंक से भिन्न हैं । प्रबंधन की राय में इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी समेकित वित्तीय विवरणियों में समायोजन की आवश्यकता पड़े ।

च. आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड (एबीएफएसएल) में आन्ध्रा बैंक के निवेश को बही मूल्य को निवेशों पर मूल्यह्रास के कारण ''शून्य'' (पिछले वर्ष ''शून्य'') कर दिया गया है । अत: आन्ध्रा बैंक द्वारा धारित एबीएफएसएल की शेयर पूँजी ₹ 5 करोड़ (पिछले वर्ष ''5 करोड़'') को समेकित वित्तीय विवरणों में पूँजी आरक्षण के रूप में दर्शाया गया है ।

छ. आर.आर.बी. में निवेश हेतु लेखा :

भारतीय सनदी लेखाकारगण संस्था द्वारा जारी लेखा मानक 23 के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) नामत: चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में शेयर पूंजी में 35% तक के निवेश का पिछले वर्ष अपनाई गई पद्धति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'ईक्विटी पद्धति' के अनुसार मूल्यांकन किया गया है । एसोसियेटों की निवल आस्तियों में ₹ 174.09 करोड़ (₹ 148.36 करोड़) की वृद्धि के कारण सहयोगियों के निवेश के मूल्यों में समायोजित किया गया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी) वित्तीय लेखा परीक्षा के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणियों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु तैयार करने के लिए विचार किया गया है ।

ज. संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु लेखा :

(i) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद कंपनियों के संबंध में संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा मानक 27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति के अंतर्गत लेखबद्ध किया गया है । निवेश राशि और कंपनी के इक्विटी में निवेश के नाम-मात्र मूल्य में अंतर को सुनाम /आरक्षित पूंजी के रूप में पहचाना गया है ।

(ii) एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड को छोड़कर, संयुक्त उद्यमों की विधिवत लेखा परीक्षा उनके सम्बन्धित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, यहाँ पर समेकन हेतु गैर-लेखा परीक्षा वित्त का ध्यान रखा गया है ।

(iii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद की 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियां निगमन हेतु विचार की गई हैं जिस पर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) के निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त है ।

(iv) विदेशी संयुक्त उद्यमों में निवेश के बही मूल्य में अंतरण से उत्पन्न अंतर, आगे लाई गई हानि तथा अचल आस्तियों का आरंभिक शेष को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित करने को 'विदेशी मुद्रा अंतर प्रारक्षिती' के रूप में माना गया है ।

(v) 31 मार्च 2020 को इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद, की

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

निम्न मदे समेकित वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित की गई है, जो भिन्न लेखांकन नीति अर्थात मलेशियाई वित्तीय रिपोर्टिंग मानक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आधारित है ।

विवरण	अनुसूची	₹ करोड़ में	
		31.03.2020	31.03.2019
जमा	3	109.56	58.02
उधार	4	---	---
अन्य देयता	5	0.76	0.38
नकद	6	0.18	0.19
बैंक में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	192.84	131.51
अग्रिम	9	21.44	23.18
अचल आस्तियां	10	0.13	0.19
अन्य आस्तियां	11	0.48	1.08
आकस्मिक देयता	12	16.72	22.15
अर्जित ब्याज	13	9.03	7.38
अन्य आय	14	0.64	0.71
खर्चा गया ब्याज	15	2.55	1.51
परिचालन व्यय	16	5.23	5.42
लाभ /(हानि)		1.42	1.41

झ. संयुक्त उद्यमों के अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली सुनाम का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2020	31.03.2019
एएसआरईसी (इन्डिया) लिमिटेड	2.90	2.90
निवल सुनाम	2.90	2.90

ञ. समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है

क. बेसल -III के अधीन पूंजी से जोखिम पर्याप्तता अनुपात	2019-20	2018-19
(i) सामान्य इक्विटी टियर ॐ। पूंजी अनुपात (%)	6.65	8.55
(ii) अतिरिक्त टियर -I पूंजी अनुपात (%)	1.67	1.97
(iii) टियर -I पूंजी अनुपात (%)	8.32	10.52
(iv) टियर -II पूंजी अनुपात (%)	2.97	3.30
(v) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.28	13.82
(vi) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	88.25	90.85
(vii) जारी इक्विटी पूंजी की राशि (₹ करोड़ में)	192.60# 200.00** 392.60	2019* 3256$ 5275
(viii) अतिरिक्त टीयर 1 की पूंजी राशि (₹ करोड़ में) :	शून्य	शून्य
जिनमें से :		
स्थाई असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
स्थाई ऋण लिखत (पीडीआई)	शून्य	शून्य
(ix) टीयर 2 की पूंजी राशि (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य
जिनमें से :		
ऋण पूँजी लिखत :	शून्य	शून्य
अधिमानी शेयर पूँजी लिखत :	शून्य	शून्य
स्थाई संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)	शून्य	शून्य
प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)	शून्य	शून्य
ख. अर्जन प्रति शेयर (प्रति ₹ 10/- का अंकित मूल्य)		
अर्जन प्रति शेयर (मूल एवं विघटित)	(4.43)	(18.71)
मूल तथा विघटित ईपीएस का परिकलन		
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1323.70	(2742.00)
भारित औसत शेयर की संख्या (₹ करोड़ में)	298.67	146.58
प्रति शेयर मूल तथा विघटित अर्जन (₹)	(4.43)	(18.71)

(#) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने ईएसपीएस (कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के माध्यम से पूंजी जुटाने की एक योजना का अनुमोदन किया है, जिसमें अधिकतम 25% की छूट देते हुए 10 करोड़ ताज़ा इक्विटी शेयरों को जारी किया गया हैं। यह योजना सदस्यता हेतु 11.03.2019 से 20.03.2019 तक के लिए प्रति शेयर 19.26 के रियायती मूल्य पर 192.60 करोड़ एकत्रीकरण के लिए खोली गई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान 24.04.2019 को उक्त शेयरों को आवंटित किया गया है।

(**) बैंक ने ₹ 10/- प्रति शेयर मूल्य के 11,10,49,416 इक्विटी शेयरों का आवंटन ₹ 8.01 का प्रीमियम सम्मिलित करते हुए ₹ 18.01 प्रति शेयर पर नकदी हेतु (गत वर्ष 11.10.2018 को ₹ 10/- प्रति शेयर मूल्य के 53,99,83,952 इक्विटी शेयरों को ₹ 27.39 का प्रीमियम सम्मिलित करते हुए ₹ 37.39 प्रति शेयर पर नगदी हेतु सकल कीमत ₹ 2018,99,99,965.20 एवं 28.03.2019 को ₹ 10/- प्रति शेयर मूल्य के 114,56,72,061 इक्विटी शेयरों को ₹ 18.42 का प्रीमियम सम्मिलित करते हुए ₹ 28.42 प्रति शेयर पर नगदी हेतु सकल कीमत 3255,99,99,973.60) अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 04.03.2020 को आवंटित किया है जिसकी सकल कीमत ₹ 199,99,99,982.16 है।

(*) बैंक ने 10/- ₹ प्रति शेयर मूल्य के 53,99,83,952 इक्विटी शेयरों का आवंटन ₹ 37.39/- प्रति शेयर पर नकदी में (इसमें प्रति शेयर

27.39/- ₹ का प्रीमियम शामिल) है को अधिमानी आधार पर भारत सरकार को दिनांक 11.10.2018 को आवंटित किया है जिसकी सकल कीमत ₹ 2018,99,99,965.20/- है । (गत वर्ष 05.08.2017 को 1099,99,99,962.00 ₹ के 19,16,37,630 इक्विटी शेयर, 57.40/- ₹ प्रति शेयर जिसमें 47.70/- ₹ प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल है ।)

($)बैंक ने 10/- ₹ प्रति शेयर मूल्य के 114,56,72,061 इक्विटी शेयरों का आवंटन ₹ 28.42/- प्रति शेयर पर नकदी में (इसमें प्रति शेयर 18.42/- ₹ का प्रीमियम शामिल) है को अधिमानी आधार पर भारत सरकार को दिनांक 28.03.2019 को आवंटित किया है जिसकी सकल कीमत ₹ 3255.99.99.973.60/- है । (गत वर्ष 28.03.2018 को 1889,99,99,968.85 ₹ के 32,60,30,705 इक्विटी शेयर, 57.97/- ₹ प्रति शेयर जिसमें 47.97/- ₹ प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल है।

ट. कर्मचारी लाभ (लेखा मानक 15) (मूल)

बैंक ने 01.04.2007 से प्रभावी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-15 (संशोधित) को अपनाया है ।

i) उपदान

बैंक उन कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है जो नियमानुसार बैंक से सेवानिवृत्त/पदत्याग करते हैं । बैंक प्रतिवर्ष देय, उपदान के निधियन हेतु, न्यास में योगदान करता है । उपदान निधि के नियमों के अनुसार, प्रतिवर्ष उपदान का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है । ऋण बीमांकन पद्धति इकाई के अनुमान के अनुसार उपदान देयता के बीमांक मूल्यांकन की आकलन छूट दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर तथा स्टाफ ह्रास दर से संबंधित कुछ धारणाओं के आधार पर किया जाता है ।

कर्मचारियों को देय उपदान का आकलन दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है, यानि, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 तथा सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी अत्यधिक लाभदायक राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

ii) पेंशन

बैंक द्वारा एक निश्चित योजना के अनुसार उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है तथा उन्हें भी जो 29.09.1995 को अथवा उसके बाद किंतु 01.04.2010 से पहले बैंक की सेवा में आए । आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार योजना के तहत बैंक से उनकी सेवाओं की समाप्ति पर इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन दी जाती है । पेंशन निधि का प्रबंध आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन न्यास द्वारा किया जाता है ।

दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद कार्यरत होने वाले कर्मचारी निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के पात्र होंगे, जिसके अंतर्गत कर्मचारी आय एवं पात्र भत्ते का 10% देगा तथा इतनी ही राशि बैंक द्वारा दी जाएगी और इसका प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समय समय पर किया जाएगा ।

iii) भविष्य निधि

बैंक सांविधानिक आवश्यकता के अनुसार अपने कर्मचारियों जिन्होंने दिनांक 31.03.2010 को या उसके पहले बैंक सेवा कार्यभार ग्रहण किया है, हेतु सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत भविष्य निधि का प्रावधान रखता है । निधि का संचालन एक न्यास द्वारा किया जाता है । प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा पात्र भत्ते का 10% योगदान करता है तथा बैंक इतनी ही राशि गैर-पेंशन विकल्प वाले कर्मचारियों हेतु फंड में योगदान देता है । फंड में निवेश भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश प्रक्रिया के अनुसार होता है ।

iv) अवकाश नकदीकरण:

प्रत्येक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निधन पर अपने पास बकाया साधिकार अवकाश का अधिकतम 240 दिनों तक के नकदीकरण के लिए पात्र हैं तथा त्याग-पत्र पर बकाया साधिकार अवकाश में से उक्त का 50% यानि अधिकतम 120 दिन के साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होंगे ।

प्रति वर्ष अवकाश नकदीकरण का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार बैंक न्यास फंड में योगदान देता है ।

v) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते में नियोजनोत्तर लाभ एवं दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी परिलाभ	पेन्शन (निधि युक्त)	उपदान (निधि युक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधि युक्त)
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)
जोड़ें - ब्याज लागत	415.15 (388.52)	63.28 (64.86)	43.62 (42.00)
जोड़ें - चालू सेवा लागत	84.90 (240.63)	53.12 (91.48)	55.75 (33.24)
घटाएं - प्रदत्त लाभ	423.00 (390.87)	131.22 (126.19)	86.21 (83.44)
जोड़ें - दायित्व पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1250.02 (207.49)	21.96 (-42.03)	42.59 (41.44)
वर्ष की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	6753.81 (5426.74)	834.32 (827.18)	625.92 (570.17)

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी परिलाभ	पेन्शन (निधि युक्त)	उपदान (निधि युक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधि युक्त)
वर्ष के प्रारम्भ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	5320.86 (4971.92)	855.29 (652.30)	601.69 (503.15)
विगत वर्ष समायोजन	106.00 (9.05)	0.00 (186.76)	0.00 (33.78)
अधिग्रहण समायोजन	- (-)	- (-)	- (-)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित/वास्तविक प्रतिफल	430.00 (407.00)	62.33 (57.42)	43.20 (43.20)
नियोक्ता का योगदान	1319.95 (429.76)	47.92 (57.00)	67.24 (74.00)
प्रदत्त लाभ	423.00 (390.87)	131.22 (126.19)	86.21 (83.44)
दायित्व पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्ति का उचित मूल्य	6753.81 (5426.86)	834.32 (827.29)	625.92 (570.69)

*प्रतिभूतियों के बही मूल्य उचित मूल्य माने गए हैं ।

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(ग) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि:

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी परिलाभ	पेन्शन (निधि युक्त)	उपदान (निधि युक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधि युक्त)
वर्ष के समाप्ति पर दायित्व का अनुमानित वर्तमान मूल्य	6753.81 (5426.74)	834.32 (827.18)	625.92 (570.17)
वर्ष के समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6753.81 (5426.86)	834.32 (827.29)	625.92 (570.69)
तुलन-पत्र में निवल देयता	0.00 (0.12)	0.00 (-0.11)	0.00 (-0.52)

(घ) लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी परिलाभ	पेन्शन (निधि युक्त)	उपदान (निधि युक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधि युक्त)
वर्तमान सेवा लागत	84.90 (240.63)	53.12 (91.48)	55.75 (33.24)
ब्याज लागत	415.15 (388.52)	63.28 (64.86)	43.62 (42.00)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित/वास्तविक प्रतिफल	430.00 (407.00)	62.33 (57.42)	43.20 (43.20)
वर्ष में मान्यता दी गई निवल बीमांक (लाभ) / हानि	1250.02 (207.49)	21.96 (-42.03)	42.59 (41.44)
पिछली सेवा लागत ऊँव्लडुक्डद्रँड्ढ प्राप्त	(-106.00) (-9.05)	0.00) (-186.76)	(0.00) (-33.78)
निधियों को योगदान / लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	1243.77 (420.59)	74.13 (129.87)	98.76 (39.70)

(ड) पेंशन निधि न्यास के निवेश का विवरण:

निवेश का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	निवेश का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	359.42 (359.42)	5.32 (6.60)
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	129.88 (132.69)	1.92 (2.43)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	84.37 (139.37)	1.25 (2.57)
अन्य निवेश- भारतीय जीवन बीमा निगम - 5034.72 करोड़ आई.एफ.एल.आई.सी. - 452.69 करोड़ एच.डी.एफ.सी.लाइफ - 67.14 करोड़ अन्य - 622.72 करोड़	6177.27 (4703.99)	91.46 (84.40)
बैंक शेष	2.87 (3.91)	0.05 (4.00)
कुल	**6753.81** **(5339.38)**	**100.00** **(100.00)**

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(च) तुलन पत्र की तारीख को मूल बीमांकिक अनुमान (अधिभारित औसत के रूप में उल्लिखित):

बीमांक अनुमान	पेंशन (निधि युक्त) %	उपदान (निधि युक्त) %	छुट्टी नकदीकरण (निधि युक्त) %
बट्टा दर	6.85 (7.65)	6.80 (7.65)	6.90 (7.65)
योजना आस्ति पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)
वेतनवृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
प्रयोग की गई पद्धति	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई

मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांक द्वारा किया गया है ।

भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान, बीमांकिक मूल्यांकन जिसमें, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों जैसे कर्मचारी बाजार में होने वाली आपूर्ति एवं मांग पर विचार किया जाता है ।

(छ) परिकलन के लिए निम्न प्रकार वित्तीय अनुमान पर विचार किया जाता है:-

बट्टा दर:- बट्टा दर रिपोर्टिंग की तारीख को सरकारी बॉण्ड पर बाजार आय को देखकर चुनी गई है ।

प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर: पेंशन के मामले में, प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर सरकारी बॉण्डों पर आय / निवेश के आधार पर ली गई है । उपदान और छुट्टी नकदीकरण के मामले में, वास्तविक प्रतिफल लिया गया है ।

वेतन वृद्धि : विगत डाटा के आधार पर ।

(ज) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर-निधि):

(₹ करोड़ में)

विवरण	एलटीसी / एलएफसी नकदीकरण	रजत जयन्ती अवार्ड	बीमारी छुट्टी	अनुग्रह राशि	पुनर्स्थापन व्यय
01.04.2020 का देयता 01.04.2019 का देयता	31.02 24.64	0.86 0.67	76.15 74.11	0.42 0.43	4.62 3.26
परिवर्ती देयता	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि को नामे की गई राशि	6.38 (3.68)	0.19 (0.09)	2.04 (11.36)	-0.01 (-0.04)	1.36 (0.02)

(i) **कर्मचारी को अल्पकालिक लाभ :** अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति ₹ 1.04 करोड़ (₹ 1.04 करोड़)

(ii) **भविष्य निधि को अंशदान :** शून्य (वित्त वर्ष 2019 ₹ 0.36 करोड़)

ठ. समेकित सेगमेंट रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

सेगमेंट परिणामों पर टिप्पणी

I. लेखांकन मानकों एएस-17 के अनुपालन हेतु भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने ''ट्रेजरी परिचालन'', ''कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग'', ''खुदरा बैंकिंग'' एवं ''अन्य बैंकिंग परिचालनों'' को प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट के रूप में और ''घरेलू'' को द्वितीयक / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।

II. सेगमेंट राजस्व बाहरी ग्राहकों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।

III. विभिन्न सेगमेंट के परिणाम संबंधित सेगमेंटो के राजस्व के अनुपात में आते हैं।

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

(₹ करोड़ में)

भाग 'क'		समाप्त वर्ष	
क्र. सं	व्यवसाय सेगमेंट	31.03.2020	31.03.2019
		लेखा परीक्षित	
1	**राजस्व सेगमेंट**		
	(क) राजकोष	5443.43	5135.22
	(ख) कॉरपोरेट /थोक बैंकिंग	5680.50	5450.19
	(ग) खुदरा बैंकिंग	8981.49	8208.15
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	3467.30	3497.42
	कुल	23572.72	22290.98
	कम: अन्तर सेगमेंट राजस्व	-	-
	परिचालन से आय	23572.72	22290.98
2	**सेगमेंट परिणाम**		
	(क) राजकोष	1187.65	1171.67
	(ख) कॉरपोरेट /थोक बैंकिंग	1239.37	1243.54
	(ग) खुदरा बैंकिंग	1959.59	1872.81
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	756.50	797.99
	कुल	**5143.11**	**5086.01**
	कम: (i) अन्य अनावंटन योग्य व्यय	6314.70	7452.20
	कर पूर्व कुल लाभ	(1171.59)	(2366.19)
	भुगतान किए गए आयकर एवं अन्य कर	152.11	375.81
	निवल लाभ	(1323.70)	(2742.00)
3	**सेगमेंट आस्तियां**		
	(क) राजकोष	73739.81	77085.79
	(ख) कॉरपोरेट /थोक बैंकिंग	73358.75	72776.25
	(ग) खुदरा बैंकिंग	78642.60	77179.97
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	17751.43	21449.54
	(ड) अनावंटन योग्य आस्तियां	5099.41	5552.43
	कुल आस्तियां	**248592.00**	**254043.98**
4	**सेगमेंट देयताएं**		
	(क) राजकोष	72514.81	75828.73
	(ख) कॉरपोरेट /थोक बैंकिंग	71974.91	71174.17
	(ग) खुदरा बैंकिंग	75358.02	73805.99
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	16113.18	19672.90
	(ङ) अनावंटन योग्य	190.54	230.47
	कुल	**236151.46**	**240712.26**
	पूंजी एवं प्रारक्षितियां	12440.54	13331.72
	कुल देयताएं	248592.00	254043.98

भाग ख: भौगोलिक खंड: यहां केवल एक सेगमेंट है - देशी सेगमेंट तथापि समेकित विवरणी में मलेशिया में निगमित संयुक्त उद्यम यथा इंडिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद के 25% तक आंकड़ें शामिल किए गए हैं ।

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

संबंधित पार्टी प्रकटन (लेखा मानक 18)

बैंक ने लेखा मानकों के अनुसार निम्न व्यक्तियों को मुख्य प्रबन्धन कार्मिकों के रूप में मान्यता दी है:

(क) मूल

(i) श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ

(ii) श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (09.10.2017 से)

(iii) श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (31.07.2019 तक)

(ख) अनुषंगी: आन्ध्रा बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड

(i) श्री कुल भूषण जैन, अध्यक्ष

(ii) श्री एम बी राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक

(iii) श्री एस वी एस सुन्दर प्रसाद, निदेशक

(iv) श्री के टी वेणुमाधव, निदेशक

(v) श्री के एस डी शिव वर प्रसाद, निदेशक

(vi) श्री बी नरसिम्हा राव, प्रबन्ध निदेशक

(ग) एसोसिएट: चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

(i) श्री वी ब्रह्मानन्द रेड्डी, अध्यक्ष (01.08.2019 तक)

(ii) श्री टी कामेश्वर राव, अध्यक्ष (02.08.2019 से प्रभावित)

(घ) संयुक्त उद्यम

1. इन्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
   i) श्री कुल भूषण जैन, निदेशक
   ii) श्री एम नागराजु, निदेशक
2. इंडिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया), बरहाद (केवल शेयरधारिता)
3. एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड,
   i) श्री के भास्कर राव, नामित निदेशक

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

(₹ में)

क्र. सं	नाम	सम्बन्ध	लेन-देन की प्रकृति	2019-20	2018-19
1	श्री जे पक्किरिसामी	प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ (दि.21.09.2018 से प्रभावी)	पारिश्रमिक	29,43,684	14,35,061
2	श्री ए.के. रथ	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	8,91,520	25,63,932
3	श्री कुल भूषण जैन	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	26,31,763	23,80,926
4	श्री एल प्रसन्ना	प्रबन्ध निदेशक (दि.31.03.2019 तक)	पारिश्रमिक	--	13,03,123
5	श्री मुरली सत्यनारायण	प्रबन्ध निदेशक (दि.01.04.2019 से प्रभावी)	पारिश्रमिक	13,55,494	--
6	श्री वी ब्रह्मानन्द रेड्डी, अध्यक्ष	अध्यक्ष (दि.01.08.2019 से तक)	पारिश्रमिक	5,74,183	17,76,566
7	श्री टी कामेश्वर राव	अध्यक्ष (दि.02.08.2019 से प्रभावी)	पारिश्रमिक	11,03,263	--

संयुक्त उद्यम में निवेश की गई पूंजी-

(क) इन्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद - ₹ 143.28 करोड़ (₹143.28 करोड़)

(ख) एएसआरईसी इंडिया लिमिटेड ₹ 28.40 करोड़ (₹ 28.40 करोड़)

(ग) इंडिया फर्स्ट जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड ₹ 187.50 करोड़ (₹ 187.50 करोड़)

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां

ढ. आय पर कर का लेखांकन (लेखा मानक 22) - प्रमुख घटक निम्न अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

समय अन्तराल विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
(1) बहियों के अनुसार एनपीए हेतु प्रावधान तथा आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viia) के अन्तर्गत किए गए दावों पर कटौती	5,037.25	-	2,797.14	-
(2) आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व का लेखांकन	-	508.44	-	508.29
(3) आयकर अधिनियम के अनुसार अचल आस्तियों के मूल्यह्रास पर किया गया दावा	12.35	-	7.52	-
(4) हानि के लिए प्रावधान	2.39		1.93	-
(5) निवेश पर मूल्यह्रास		670.77		
(6) अन्य व्यय/मदें	0.01	-	0.01	-
कुल	**5,052.00**	**1,179.21**	**2,806.60**	**508.29**
निवल आस्थिगत कर देयताएं/आस्तियां		(3,872.79)		(2,298.31)

ण. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियाँ (लेखा मानक 29)

अनुसूची 12 में वर्णित आकस्मिक देयताएं, न्यायालय के निर्णय/विवाचन/न्यायालय के बाहर समझौते, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदात्मक दायित्व, संबंधित पार्टियों द्वारा मांग, जैसा मामला हो, पर निर्भर हैं ।

देयताओं के लिए प्रावधान का संचालन (अन्य हेतु प्रावधान छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समेकित	
	2019-20	2018-19
आरम्भिक शेष	47.94	47.30
वर्ष के दौरान प्रावधान	1.36	0.66
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.56	0.02
अन्तिम शेष	48.74	47.94

बहिर्गमन /आकस्मिकताओं का समय : निपटान/क्रिस्टलीकरण के कारण बहिर्गमन

त. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय के अन्तर्गत दर्शायी ऽख्झ्रद्दद्दुक एवं ल्रूद्दडळ्डुरूँद्वस्र्रु का व्यय	2019-20	2018-19
(i) निवेश के मूल्य में ह्रास	436.90	506.45
(ii) अनर्जक आस्तियां	5456.39	6674.25
(iii) मानक आस्तियां	185.03	(38.00)
(iv) आय-कर	1726.63	133.02
(v) आस्थगित कर	(1574.52)	242.79
(vi) अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
(क) पुनर्गठित अग्रिम	(6.43)	5.05
(ख) अन्य प्रावधान	242.80	304.45
कुल	**6466.80**	**7828.01**

थ. समूह की आरक्षित समेकन मूल, अनुषंगी, सहयोगी तथा 3 संयुक्त उद्यमों के हिस्से की संचित ₹9,345 करोड़ है जिसमें से ₹ 9,132 करोड़ मूल तथा शेष ₹ 213 करोड़ अनुषंगी, सहयोगी तथा 03 संयुक्त उद्यमों की लाभ/हानि की गणना करने पर है (पिछले वर्ष में ₹ 10,447 करोड़ जिसमें से ₹ 10,281 करोड़ मूल से संबंधित हैं तथा शेष 166 करोड़ ₹ अनुषंगी, सहयोगी तथा 3 संयुक्त उद्यमों से संबंधित हैं) ।

द. मूल तथा अनुषंगी की व्यक्तिश: वित्तीय विवरणियों में अतिरिक्त सांविधिक सूंचना प्रकटीकरण का समेकित वित्तीय विवरणियों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के दृष्टिगत समेकित वित्तीय विवरणियों में उन सभी मदों से सम्बन्धित सूचना जो कि भौतिक नहीं है का प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणियों में नहीं किया गया है ।

ध. आन्ध्रा बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (एबीएफएसएल) कम्पनी, आन्ध्रा बैंक (मूल) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी का निगमन 09.01.1997 को किया गया था । इसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 56 IA के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन किया था । भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 28.01.2005 को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण के प्रमाण-पत्र के लिए कृत आवेदन अस्वीकृत कर दिया ।

इसके बाद, कम्पनी ने दि. 09.01.2008 को इसे एक गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय संस्थान के रूप में मान्यता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क किया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक दि. 05.12.2008 को नोट किया गया ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार:

1. कम्पनी ने अपनी सभी वित्तीय आस्तियां निस्तारित कर दी हैं ।
2. कम्पनी के निदेशक मण्डल ने एक संकल्प पारित किया है कि वे सामान्य जन से कोई जमा स्वीकार नहीं करते हैं ।

न. समामेलन एवं सामंजस्य

भारत सरकार के अधिसूचना CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) दिनांक 04 मार्च 2020 के अनुसार आन्ध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक का समामेलन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया जो दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी है।

बैंकिंग कंपनियों की धारा 9 (उपक्रमों का अधिग्रहण व स्थानांतरण) अधिनियम 1970 (1970 के 5) एवं बैंकिंग कंपनियों की धारा 9 (उपक्रमों का अधिग्रहण व स्थानांतरण) अधिनियम 1980 (1980 के 40) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग के संबंध में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद दिनांक 04 मार्च 2020 को अधिसूचित किया कि आन्ध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन की योजना को योजना 2020 कहा जाएगा।

यह योजना अप्रैल 2020 के प्रथम दिन से प्रभावित होगी। इस योजना के प्रारम्भ होने पर स्थानांतरणकर्ता (ट्रान्सफरर) बैंकों के उपक्रमों को स्थानांतरिती (ट्रान्सफरी) बैंक में स्थानांतरित एवं अधिकृत कर दिया जाएगा। स्थानांतरिती बैंक में स्थानांतरणकर्ता बैंक 1 एवं स्थानांतरणकर्ता बैंक 2 का समामेलन पर उत्तरजीवी संस्था स्थानांतरिती (ट्रान्सफरी) बैंक होगी एवं इसे ऽद्रूक्कुद्रक बैंक ऑफ ल्रंक्कुद्रद्दुरु के नाम से जाना जाएगा।

स्थानांतरणकर्ता बैंक के उपक्रमों में सभी व्यवसाय, आस्तियों (मूर्त व अमूर्त सहित), देयताओं, आरक्षित एवं अधिशेष, वर्तमान या आकस्मिक एवं ऐसी संपत्ति से उत्पन्न सभी अधिकार एवं ब्याज को सम्मिलित माना जाएगा जैसा कि योजना आरंभ होने के तुरंत पहले थे एवं स्थानातरणकर्ता बैंकों के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भविष्य में बैंक में तनाव को कम करने के उद्देश्य से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में 31 मार्च 2020 तक मौजूदा आई आर ए सी पी (IRACP) मानदंडों के अनुसार तीनों बैंकों में परिसंपत्ति वर्गीकरण में विचलन के प्रभाव के संबंध में एक सामंजस्य प्रावधान सुनिश्चित करने सलाह दी।

तदनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सामंजस्य की प्रक्रिया के आधार पर परिसंपत्ति वर्गीकरण में वर्ष की समाप्ति पर किए गए बदलावों और मौजूदा आई आर ए सी पी (IRACP) मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति प्रावधान में वृद्धि के कारण वर्ष की समाप्ति पर ₹ 945.05 करोड़ की वृद्धि हुई।

उपर्युक्तानुसार, बीमांकक एवं कर सलाहकार के वर्ष की समाप्ति रिपोर्ट के आधार पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारी लाभ पर लेखांकन मानक 15 के अनुसार स्टाफ लाभ के संबंध में एवं आयकर हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक 22 के अनुसार कर प्रावधान के संबंध में एक एकीकृत सुविधा का प्रस्ताव रखा। फलत:, वर्ष की समाप्ति पर पेंशन देयता के संबंध में कर प्रावधान में ₹ 471.03 करोड़ एवं ₹ 270.11 करोड़ की कमी की गयी है।

प. कोविड महामारी के कारण प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यू एच ओ) ने कोरोनावाइरस (ऽरूइद्दड्डं 19रु) के नए तनाव के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की एवं 11 मार्च 2020 को इसे महामारी के रूप में वर्गीकृत किया। भारत सहित दुनिया भर में सरकारों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के प्रयास के परिणामस्वरूप घोषित किए गए लॉकडाउन ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े व्यवधान पैदा किए जिससे अधिकांश उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं परिणामस्वरूप

वैश्विक मंदी आई।

आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मंदी कम मांग, कम परिचालन, विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र, संवृद्धि पर दबाव एवं कम नकदी प्रवाह के संदर्भ में चुनौतियों को प्रस्तुत करती है। बैंक अपनी ओर से निरंतर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है एवं स्वयं को उन चुनौतियों हेतु तैयार कर रहा है जो आर्थिक गतिविधियों में गिरावट एवं वित्तीय बाज़ार अस्थिरता में वृद्धि उत्पन्न कर रहे हैं। बैंक प्रबंधन की यह राय है कि उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद तरलता या बैंक की लाभप्रदता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं वर्ष की समाप्ति पर इस हेतु किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

फ. गत वर्ष के आंकड़े जहां भी गत वर्ष के आंकड़ों से पुष्टि के लिए आवश्यक हो, पुनसमूहीकृत/ पुनवर्गीकृत/ पुनव्यवस्थापित किए गए हैं ।

अनुसूची 01 से 18 के लिए हस्ताक्षर

(एस वी एस सुन्दर प्रसाद)
मुख्य महा प्रबंधक

(बिरुपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के केदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम)
निदेशक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)

(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)
यूडीआईएन

कृते राय एवं कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)

(सीए सुब्रत राय)
साझेदार (एम सं 051205)
यूडीआईएन

कृते संतोष गुप्ता एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)
यूडीआईएन

कृते जी एस माधव राव एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)

(सीए जी मानिक्य प्रसाद)
साझेदार (एम सं 020105)
यूडीआईएन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2020	समाप्त वर्ष 31.03.2019
नकदी और नकदी तुल्य का आरंभिक शेष	**15547,97,11**	16457,86,28
नकदी और नकदी तुल्य का अंतिम शेष	**11602,36,44**	15547,97,11
अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)	**(3945,60,67)**	(909,89,17)
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह :		
कर से पूर्व निवल लाभ / (हानि)	**(1171,58,35)**	(2366,18,61)
के लिए समायोजन		
निवेश पर परिशोधन/मूल्यह्रास	**555,38,92**	620,19,81
एनपीए हेतु प्रावधान	**5456,39,08**	6674,25,46
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	**185,03,10**	(38,00,00)
अन्य आस्तियों (निवल) हेतु प्रावधान	**236,36,54**	309,49,81
उधार पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान	**631,44,86**	12494,72,00
अचल आस्तियों पर मूलह्रास	**140,47,33**	135,84,62
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	**11,05**	(46,04)
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन :		
जमा में वृद्धि / (कमी)	**(7161,41,61)**	11760,01,42
निवेश में वृद्धि / (कमी)	**1179,11,90**	(93,67,29)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	**36,49,40**	(14158,30,90)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	**(269,16,01)**	597,10,02
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	**(6142,39,48)**	(273,02,73)
परिचालन जनित नकदी	**(6323,73,27)**	15661,97,57
प्रदत्त कर	**(1210,37,69)**	(997,62,44)
परिचलनगत कार्यों से नकदी प्रवाह (क)	**(7534,10,96)**	14664,35,13
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह:		
अचल आस्तियों की (खरीदी) / बिक्री	**(68,39,51)**	(83,73,84)
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह (ख)	**(68,39,51)**	(83,73,84)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी *(क्रमशः)*

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2020	समाप्त वर्ष 31.03.2019
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाहः		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	**498,80,00**	5275,00,00
लंबित आबंटन, भारत सरकार से प्राप्त आवेदन राशि	**-**	-
उधार में वृद्धि / (कमी)	**3856,58,17**	(7997,51,36)
उधार पर प्रदत्त/देय ब्याज	**(702,08,26)**	(12775,25,08)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	**-**	-
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह (ग)	**3653,29,91**	(15497,76,44)
ट्रांसलेशन रिजर्व पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव (घ)	**3,59,89**	7,25,98
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि (+)/ कमी(-) (क)+(ख)+ (ग) + (घ)	**(3945,60,67)**	(909,89,17)

(एस वी एस सुन्दर प्रसाद)
मुख्य महा प्रबंधक

(बिरुपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के केदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम)
निदेशक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते अग्रवाल एवं सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)
(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)
यूडीआईएन

कृते राय एवं कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)
(सीए सुब्रत राय)
साझेदार (एम सं 051205)
यूडीआईएन

कृते संतोष गुप्ता एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)
(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)
यूडीआईएन

कृते जी एस माधव राव एवं कं
सनदी लेखाकारगण
(फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)
(सीए जी मानिक्य प्रसाद)
साझेदार (एम सं 020105)
यूडीआईएन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2020

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निदेशक मंडल,
समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

1. हमने भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक (''बैंक'') की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च 2020 के समेकित तुलन पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण संलग्न हैं तथा जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त सार तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना (एतदपश्चात ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) सम्मिलित हैं:

   क) हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 30 जून 2020 के माध्यम से हमारे द्वारा लेखा परीक्षित, भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक (''बैंक'') के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ।

   ख) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित एक अनुषंगी, दो संयुक्त उद्यम और एक एसोसिएट के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ।

   ग) एक संयुक्त उद्यम के गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण; तथा

   उपर्युक्त संस्थाओं को एक साथ 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्म जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अनुषंगी, एसोसिएट और दो संयुक्त उद्यम पर पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए एक संयुक्त उद्यम की गैर लेखा-परीक्षा वित्तीय विवरणों के आधार पर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणी भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और :

   क) समेकित तुलन पत्र, इससे संबंधित टिप्पणी के साथ पठित, सभी आवश्यक विवरण सहित एक पूर्ण और उचित समेकित तुलन पत्र है तथा 31 मार्च 2020 तक बैंक के मामलों की स्थिति के संबंध में सही और उचित दृष्टिकोण प्रदर्शित हेतु इसे समुचित रुप से तैयार किया गया है;

   ख) समेकित लाभ और हानि खाता, इससे संबंधित टिप्पणी के साथ पठित, हानि का सही शेष दर्शाता है; और

   ग) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राय का आधार

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानक (एसए) के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अनुसार हमारा उत्तदायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरण खण्ड में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व के रुप में वर्णित है। भारत के समेकित वित्तीय विवरणों के अपने लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचरण संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं, तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

कार्यशील संस्थान

3. भारत सरकार की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 जीएसआर 154(ई) दि. 04 मार्च 2020 के अनुसार 'आन्ध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन योजना, 2020' नामक योजना के अनुसरण में भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का समामेलन 01 अप्रैल 2020 से हुआ है । उक्त योजना के अनुसार, भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक का कारोबार 01 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अंतरित और निहित है । तदनुसार प्रबंधन ने कार्यशील संस्थान के लेखांकन आधार पर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए है।

मामले का महत्व

4. कोविड-19 महामारी के प्रभाव और चुनौतियों के कारण आर्थिक गतिविधि की मंदि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसूची 18 के नोट नं. 'यू' की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक द्वारा सामना किए जा रहे चुनौतियों के संबंध में निरंतर आधार पर स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है।

   इस मामले में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

5. प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वेसे विषय हैं, जो हमारे व्यावसायिक विचार में, चालू अवधि के बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा-परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और इनपर हमारी राय तैयार करने के लिए इन मामलों को संबोधित किया गया था, तथा इन मामलों में हमारी अलग राय नहीं हैं। अनुषंगी तथा दो संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किसी भी प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों पर रिपोर्ट नहीं की है। हमने भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक के संबंध में हमारी रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए निम्नवर्णित मामलों को प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप निर्धारित किया है।

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
1.	**अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान और वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान** *(महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए अनुसूची 17 नोट 7 ओर अनुसूची 9 का संदर्भ लें)* बैंक के तुलन पत्र में आस्ति पक्ष में अग्रिम अत्यंत महत्वपूर्ण मद है जिसमें वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च, 2020 को रिपोर्ट किए गए कुल अग्रिम (प्रावधान का निवल) ₹1,57,742.33 करोड, सकल एनपीए ₹28,708.54 करोड़ और एनपीए पर प्रावधान ₹20,900.28 करोड़ हैं। अग्रिम बैंक की आस्ति के 64.68 % हैं। आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम के संबंध में प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंड और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्र, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देशों द्वारा बैंक शासित हैं। आरबीआई के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को समय-सीमा से संबंधित निर्धारित नियमों के आधार पर अग्रिमों को ऽअनर्जक आस्तियांरु (अवमानक, संदिग्ध तथा हानि) के रूप में वर्गीकृत करने और ऐसे अग्रिमों को उस अवधि तक अनर्जक आस्तियां बने रहने तक निर्दिष्ट प्रतिशत (15%, 25%, 40% और 100%) पर अपनी अपचारिता का प्रावधान करने की आवश्यकता है। कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), सॉफ्टवेयर अर्थात् फिनेकल के माध्यम से बैंक में अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान की जाती है। विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, सॉफ्टवेयर में विभिन्न नियंत्रण और तर्क अंतर्निहित होते हैं। यद्यपि, एनपीए की पहचान नियम आधारित तथा प्रणाली चालित है, तथापि प्राथमिक प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य का आकलन करते समय प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय लेता है फलस्वरूप एनपीए की अपचारिता के संबंध में प्रत्येक के लिए और सामूहिक प्रावधान पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रत्येक या सामूहिक रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी मानकों का पालन नहीं किया गया हो तो इन अग्रिमों की मूल कीमत (प्रावधान का निवल) में महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकता है। चूंकि एनपीए की पहचान और ऐसे अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन के निर्णय का काफी महत्व है / प्राथमिक प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आकलन का अनुमान और समग्र लेखा परीक्षा में इसका महत्व, जिसमें आरबीआई द्वारा संभाव्य प्रेक्षण, जिससे समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटन और विनियामक दिशानिर्देश भी शामिल हैं, हमने इसे प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में पहचाना है।	हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में, निम्नलिखित निर्णयों और अनुमानों पर ध्यान केंद्रित किया है, तथापि सिर्फ इन तक सीमित नहीं हैं, जो तात्विक गलत बयानी का कारण हो सकते हैं या प्रबंधन पूर्वाग्रह के पात्र हो सकते हैं: क) प्रतिभूति मूल्य में नि:शेषण निर्धारण की पूर्णता और समय; और ख) प्रत्येक निर्धारित प्रावधान का पैमाना, जो प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियां, माल-सूची का वास्तविक मूल्य, व्यापार, प्राप्य राशि, परिसमापन पर प्राप्य मूल्य, विधि स्थिति, एनसीएलटी संदर्भित मामले के दिवालियेपन प्रक्रिया आदि पर निर्भर है। पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में हमारे द्वारा : क) ऋण निषादन निगरानी, कार्यशील पूंजी सीमाओं के संबंध में आहरण शक्ति, उपलब्ध प्रतिभूति, आदि को मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गयी; ख) प्रतिभूतियों और आस्ति वर्गीकरण के मूल्य में नि:शेषण के आकलन में प्रबंधन द्वारा अंगीकृत की गई प्रमुख अवधारणाएं तथा निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया; ग) प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य तथा अन्य मापदंडों के आधार पर किए गए प्रावधान की पुनर्गणना के माध्यम से सामूहिक ह्रास की गणना प्रक्रिया की सटीकता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को अपनाया गया है; तथा घ) महत्वपूर्ण गैर-निषादित अग्रिमों के लिए, हमने पहचाने गये प्रत्येक प्रावधान हानि की पर्याप्तता का निर्धारण किया है; हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं का भी निषादन किया है: क) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा सुझाए गए सभी परिवर्तनों में सुधार किया है। ख) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और लंबी फॉर्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) की समीक्षा की गई एवं उसपर पर भरोसा किया गया। ग) शाखाओं में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान सत्यता की समीक्षा और सत्यापन किया गया। घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुपालन की जांच की गई। ङ) चयनित नमूनों में अनर्जित आस्तियों तथा प्रावधान की पहचान करने के उद्देश्य से सॉफ़्टवेयर में तार्किक नियंत्रण, दर्ज की गई आंकड़े की सत्यता की जांच की गई। किसी भी नियंत्रण कमी की पहचान करने के लिए आईटी लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की भी समीक्षा की गई।

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
		च) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान के संबंध में हमारी परीक्षण प्रक्रिया के दौरान हमारी दृष्टि में पायी गई सभी तात्विक गलत बयानी में सुधार सुनिश्चित किया गया। छ) बैंक की नीतियों ओर प्रक्रियाओं में तात्विक नियंत्रण खामियां, यदि कोई हो, की पहचान के लिए मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट (सीफा), स्टॉक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, फारेन्सिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, आरबीआइ वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि की समीक्षा की गई। ज) हमारी विषय स्थायी प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त रिपोर्ट में पहचान किए अनुसार अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशालिता।
2.	**निवेश - मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान तथा अनर्जक निवेश हेतु प्रावधानीकरण (एनपीआरइ्र)** (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए अनुसूची 17 नोट 5 और अनुसूची 8 का संदर्भ लें) बैंक के तुलन पत्र में आस्ति पक्ष में निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण मद है जिसमें वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च, 2020 को रिपोर्ट किए गए कुल निवेश (प्रावधान का निवल) ₹61331.16 करोड, सकल एनपीआई ₹1204.82 करोड़ और एनपीआई पर प्रावधान ₹ 1078.48 करोड़ हैं। अग्रिम बैंक की आस्ति के 25.15% हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बांड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति शामिल हैं जो तीन श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, परिपक्वता तक धारित, बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु धारित। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्र/ दिशा-निर्देश / निदेशों के अनुसरण में निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेश (एनपीआई) और तत्संबंधी आय की गैर-मान्यता और उन पर प्रावधान किए गए है। उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन आरबीआइ द्वारा जारी परिपत्र / निदेशों में निर्धारित पद्धति में की जानी अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोत यथा एफआईबीआईएल दर, बीएसई/ एनएसई में कोट की गई दर, गैर सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड और प्रतिभूति रसीद आदि के मामले में एनएवी से डाटा/सूचना एकत्रित करना शामिल है। यदि प्रत्येक या सामूहिक रूप से आरबीआइ द्वारा निर्धारित आरबीआइ मानकों का पालन नहीं किया गया हो तो इन निवेशों के वर्गीकरण और रखाव मूल्य (प्रावधान का निवल) में महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकता है। चूंकि निवेश के वर्गीकरण और मूल्यांकन, एनपीआई की पहचान और ऐसे निवेशों के प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन के निर्णय / उनके मूल्यांकन के अनुमान और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्व और इससे संबंधित जटिल लेनदेन की मात्रा और विनियामक दिशा-निर्देशों के कारण हमने इसे प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में पहचाना है।	भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र/ निदेशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारी लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आरबीआइ के निदेशों के अनुसार निवेशों के संबंध में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा के अभिकल्प, कार्यान्वयन, परिचालनिक प्रभावशालिता की समीक्षा और परीक्षण शामिल है। तदनुसार हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं : क) निवेश के वर्गीकरण और मूल्यांकन में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए मुख्य मान्यताएं ओर निर्णय का मूल्यांकन और परीक्षण किया गाया। ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर किए गए प्रावधान की पुनर्गणना के माध्यम से सामूहिक ह्रास की गणना प्रक्रिया की सटीकता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को अपनाया गया है; ग) बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया गया। घ) निवेशों के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और जायज़ा लिया गया। ङ) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा निवेश के मूल्यांकन और प्रावधान के संबंध में हमारी परीक्षण प्रक्रिया के दौरान हमारे दृष्टि में पायी गई सभी तात्विक गलत बयानी में सुधार सुनिश्चित किया गया।

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
	समेकित वित्तीय विवरणों की तुलना में निवेश के कुल मूल्य के महत्व के कारण इन निवेशों के मूल्यांकन को ऐसा विषय माना गया जिसके लिए लेखा परीक्षक के विशेष ध्यान की आवश्यकता है और समेकित वित्तीय विवरण में अत्यंत महत्व वाले मामलों में से एक है।	च) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं में तात्विक नियंत्रण खामियां, यदि कोई हो, की पहचान के लिए मार्च 31 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट (सीफा), आरबीआई वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि की समीक्षा की गई। और छ) हमारी विषय ॐद्भच्र्ख्ञ्ङ्ग प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार निर्धारित करने केलिए उपर्युक्त रिपोर्ट में पहचान किए अनुसार निवेशों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशालिता।
	कतिपय मुकदमे, इसमें प्रत्यक्ष कर (डीटीए/डीटीएल) और अन्य पक्षों द्वारा दायर मामले, जिन्हें ऋण के रूप में पहचाना नहीं गया है, के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन	
	(समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी 'एन', 'ओ' और 'पी' के साथ पठित अनुसूची 12) कतिपय मुकदमे, इसमें प्रत्यक्ष कर (डीटीए/डीटीएल) और अन्य पक्षों द्वारा दायर मामले, जिन्हें ऋण के रूप में पहचाना नहीं गया है, के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन के लिए काफी हद तक प्रबंधन निर्णय / मूल्यांकन में अनुमान की आवश्यकता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों पर जारी लेखांकन मानक (एएस) 29 में परिभाषा के अनुसार भी 'प्रावधान एक देयता है, जिसे मापने के लिए काफी हद तक अनुमान का ही आधार लिया जा सकता है ।' प्रावधान के लिए प्रबंधन का अनुमान और आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकरण प्रत्येक घटना के विशिष्ट तथ्य, घटना/ लेनदेन के बारे में उनका अपना निर्णय, इसी प्रकार की घटना / लेनदेन के संबंध में पूर्व अनुभव, और जहाँ आवश्यक माना गया हो कानूनी और स्वतंत्र कर परामर्शदाताओं की सलाह पर आधारित है। प्रबंधन का अनुमान भी, कतिपय मामलों में, स्वतंत्र वकील, कानूनी विशेषज्ञ और कर सलाहकारों से प्राप्त सलाह पर आधारित है । चूंकि अनुमान उनकी राय पर आधारित है, इन मामलों में परिणाम और निर्णय में कानून के निर्वचन में अनिश्चितता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों से बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई हानि और तुलन पत्र में प्रस्तुत स्थिति पर काफी प्रभाव पड सकता है। इन मामलों के परिणाम के संबंध में निर्णय में कानून के निर्वचन ध्यान में लिए जाने के कारण उत्पन्न अनिश्चितता के कारण हमने उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। तदनुसार हमारी लेखा परीक्षा में विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों के विश्लेषण और संबंधित निर्णय / कानून के निर्वचन पर ध्यान केंद्रित किया गया।	पर्याप्तलेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु हमने निम्नलिखित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई : क) हमने पिछले प्रत्यक्ष कर मूल्यांकन आदेश, अनिर्णीत कर मुद्दों के साथ उचित मूल्यांकन ओर अपीलीय कर प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों पर प्रभाव, आयकर आदेश के अनुसार आगे ले जाने हेतु अनुमेय हानि की राशि आदि के विवरणों की समीक्षा की है। ख) हमने विवादाधीन मामलों के संभाव्य परिणामों के संबंध में हमारी समझ और संभाव्य आउटफ्लो, यदि कोई हो, के आधार पर मुकदमे के अधीन मामलों के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है; ग) परिस्थितियों के अनुरूप उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं बनाने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त की। घ) विभिन्न कर प्राधिकारी/ न्यायिक फोरम से प्राप्त हाल के आदेश और /या संसूचना और इन पर कार्रवाई की जाँच की गई। ङ) विचाराधीन विषय-वस्तु के संदर्भ में प्रस्तुत आधार के संदर्भ में हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह के आधार पर इसके गुण-दोष का मूल्यांकन किया गया। च) विचाराधीन विषय-वस्तु, इन मुद्दों के संभाव्य परिणाम और परिणामस्वरूप संभाव्य आउटफ्लो के संबंध में विचार, विवरण एकत्रित करते हुए बैंक के तर्कों का मूल्यांकन किया गया; और छ) महत्वर्पूण मुकदमें और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटन का सत्यापन किया गया।
3.	**करोना वायरस (कोविड-19) महामारी के दृष्टिगत संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं**	
	विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) ने करोना वायरस (कोविड-19) के नए किस्म के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की और इसके प्रकोप को मार्च 11, 2020 को महामारी के रूप में वर्गीकरण किया।	सरकार द्वारा करोनावायरस (कोविड-19) महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए देश-भर में घोषित कड़े लॉकडाउन और इसके साथ वायु, रेल या सड़क से यात्रा पर प्रतिबंध के कारण, पूर्व की भांति

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
	इसके परिणामस्वरूप देश भर में लॉकडाउन ओर साथ ही केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती माह में लगाए गए यात्रा (वायु / रेल और सड़क) प्रतिरोध के कारण, जिस अवधि में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की जानी थी, हम पूर्व की भांति लेखा परीक्षा के लिए बैंक की शाखाओं, अंचलों, सर्कल कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय में जा नहीं पाए। कोविड-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंध / लॉकडाउन के कारण 212 शाखाओं के सांविधिक बैंक शाखा लेखा परीक्षों भी शाखाओं में जा नहीं पाए। इस मामले में आरबीआई ने भी सभी बैंकों को आवश्यक निदेश / दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि कोविड-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंध के कारण जहां भौतिक एक्सेस संभव नहीं है, रिमोट / डिस्टेंस / ऑनलाईन आधार पर शाखाओं और अन्य कार्यालयों की लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। तदनुसार ऐसे यात्रा प्रतिबंध के कारण हमारे द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में बैंक की उच्च 20 शाखाएं, 36 आंचलिक कार्यालय, 6 सर्कल कार्यालय और प्रधान कार्यालय का दौरा नहीं किया जा सका और बैंक की स्थानीय शाखा / आंचलिक कार्यालय में जा कर कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर और अन्य इलेक्ट्रानिक प्रकार से खाते एक्सेस करते हुए हमारे द्वारा इन सभी शाखाओं और कार्यालयों की लेखा परीक्षा की गई। रिकार्ड, प्रलेख आदि की समीक्षा करने के लिए हमारे द्वारा शाखाओं / कार्यालयों का भौतिक दौरा किए जाने के अभाव में और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों में निर्धारित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन में और समग्र समेकित वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, तात्विक गलत बयानी से मुक्त होने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के मामले में ऑफसाईट रिमोट लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशालिता सीमित होने के तथ्य से, हमने ऐसे संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को प्रमुख लेखा परीक्षा विषय माना है। तदनुसार हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में रिमोट आधार पर लेखा परीक्षा करने हेतु संशोधन किया गया।	लेखापरीक्षा दल के सदस्यों द्वारा लेखा परीक्षा हेतु शाखाओं/आंचलिक कार्यालय/सर्कल कार्यालय/ प्रधान कार्यालय जाना संभव नहीं था। तदनुसार हमने ऑफसाईट रिमोट लेखा परीक्षा प्रक्रिया अपनाई सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक की स्थानीय शाखाएं / आंचलिक कार्यालयों में कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) फिनैकल सॉफ्टवेयर के साथ जोड़कर, शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों, सर्कल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में भौतिक उपस्थिति के बिना ही समेकित वित्तीय विवरण की सटीकता का मूल्यांकन, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एकत्रित करना और शाखा प्राधिकारियों से वार्ता किया गया। रिमोट / डिस्टेंस / ऑनलाईन लेखा परीक्षा के ऐसे सभी मामलों में बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम, ईमेल ओर फिनैकल (सीबीएस) के रिमोट एक्सेस आदि द्वारा आवश्यक रिकार्ड/ रिपोर्ट / प्रलेख / प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए गए। इस हद तक, हमे उपलब्ध करवाए गए ऐसे प्रलेख, रिपोर्ट और रिकॉर्ड आदि, जिन पर चालू अवधि के लिए लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग करने के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में निर्भर होते हुए, इनके आधार पर लेखा परीक्षा प्रक्रिया की गई। उपर्युक्त सीमाओं के दृष्टिगत हमने निम्नानुसार हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में संशोधन किया : क) लेखापरीक्षाधीन वर्ष हेतु बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस)फिनैकल के माध्यम से शाखाओं / आंचलिक कार्यालयों / सर्कल कार्यालयों / प्रशासनिक कार्यालयों / प्रधान कार्यालय के लेनदेन की समीक्षा की। ख) बैंक की शाखाओं / आंचलिक कार्यालयों / सर्कल कार्यालयों / प्रधान कार्यालय के संबंध में रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से उधारकर्ताओं और अन्य खातों के संबंध में आवश्यक रिकार्ड / प्रलेख आदि की समीक्षा और सत्यापन किया । ग) बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए प्रलेख, विलेख, कार्यवृत्त, प्रमाणपत्र और संबंधित रिकार्ड की स्कैन की गई प्रति का सत्यापन किया गया। घ) फोन कॉल / कॉन्फरेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार की सूचना चैनलों के माध्यम से पूछताछ और चर्चा करते हुए आवश्यक लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्रित किया। ङ) पदनामित प्राधिकारी के साथ आमने- सामने चर्चा के स्थान पर हमारे सभी लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का समाधान बैंक द्वारा टेलीफोन / ईमेल के माध्यम से किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण और इनपर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचना।

6. भारत सरकार की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 जीएसआर 154(ई) दि. 04 मार्च 2020 के अनुसार ''आन्ध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन योजना, 2020'' नामक योजना के अनुसरण में भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का समामेलन 01 अप्रैल 2020 से हुआ है । उक्त योजना के अनुसार, भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक का कारोबार 01 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अंतरित और निहित है और आन्ध्रा बैंक के निदेशक मंडल को उक्त तिथि से विगठित किया गया । सूचना के अनुसार, उपर्युक्त के दृष्टिगत निदेशक रिपोर्ट और कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट युक्त अन्य सूचना जारी नहीं की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इसके बारे में आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करेगें।

समेकित वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी की समेकित वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचना वस्तुत: असंगत है, या महत्वपूर्ण गलत बयान प्रतीत होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की और अधिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुतिकरण के लिए उत्तरदायी है जो "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 21'', "समेकित वित्तीय विवरणियां'', "लेखांकन मानक 23'', "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगी में निवेश के लिए लेखांकन'', लेखांकन मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग'', बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू दिशानिर्देश और अन्य लेखांकन सिद्धांत, जो आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है, की आवश्यकताओं के अनुरूप समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिषादन और इनके सहयोगी और संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाओं सहित समूह के समेकित नकदी प्रवाह के प्रति सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। समूह का प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है जिससे समूह की आस्ति सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोक और पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा समेकित वित्तीय विवरण, जो सही और उचित स्थिति दर्शाते हो और चाहे धोखाधडी हो या त्रुटि के कारण, तात्विक गलत बयानी से मुक्त हो, की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखांकन रिकार्ड की सटीकता ओर संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रूप से कार्यचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रख-रखाव हो सके।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन समूह, कार्यशील-संस्था, प्रकटीकरण, कार्यशील-संस्था से संबंधित मामले, यथा लागू, लेखांकन की कार्यशील-संस्था आधारित मामला तथा जबतक कि प्रबंधन या तो समूह का परिसमापन या संचालन को बंद करने का उद्देश्य न हो, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो, लेखांकन की कार्यशील-संस्था आधार उपयोग के रूप में जारी रखने के लिए समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख हेतु समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणी की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

8. समग्र वित्तीय विवरणी तात्विक गलत बयानी से मुक्त है या नहीं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, इसके संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो, जारी करना हमारा उद्देश्य है । उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है किन्तु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा, जब भी किया जाए हमेशा तात्विक गलत बयानी का पता लगाए । गलत वर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उन्हें तात्विक माना जाएगा यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने हेतु इन्हें उचित रूप से स्वीकार किया जाए ।

एसए के अनुपालन में लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और लेखा-परीक्षा के दौरान व्यवसायिक संदेहवाद का अनुरक्षण करते हैं । हम निम्न भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणियों के तात्विक गलत बयानी चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उनके जोखिम की पहचान एवं मूल्यांकन करना, उन जोखिमों हेतु उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया डिजाइन और पूर्ण करना, और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना कि यह हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है । धोखाधड़ी से होने वाले तात्विक गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाली जोखिम से उच्चतम है क्योंकि धोखाधड़ी में अभिसंधि, जालसाजी, इरादतन चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना सम्मिलित हो सकती है ।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और अनुमानित लेखांकन की प्रासंगिकता तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन।
- लेखांकन के वर्तमान विचार के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटना या स्थितियों से संबंधित तात्विक अनिश्चितता है जो बैंक के वर्तमान विचार के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकती है ।यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तात्विक अनिश्चितता है, अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो हमें वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण से संबंधित अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होगा । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां बैंक को वर्तमान विचार के रूप में जारी रखने का कारण बन सकती है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन तथा घटनाओं को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं ।

तात्विकता वित्तीय विवरणियों में गलत वर्णन का परिणाम है, जिससे यह संभावना बनती है कि यह व्यक्तिगत या समग्र रूप से वित्तीय विवरणियों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकती है । हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के क्षेत्र में तथा हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन की योजना बनाने (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान किए गए गलत वर्णन के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तात्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचारकरते हैं ।

हम अन्य विषयों के अलावा, लेखा-परीक्षा की योजनाबद्ध क्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्ष, इसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण कमियां शामिल है, को सम्मिलित करते हैं, जिसकी पहचान लेखा-परीक्षा के दौरान की गई है, इसके संबंध में जिन पर शासन का दायित्व है, उन्हें सूचित करते हैं ।

हम उन्हें, जिन पर शासन का दायित्व है, को भी एक बयान के साथ कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन्हें सभी संबंधित और अन्य विषयों के साथ सूचित करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता का वहन करने हेतु उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं ।

जिन पर शासन का दायित्व है, उनके साथ सूचित विषयों से, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा विषय हैं । हम अपने लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि अथवा विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय की सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इसके प्रतिकूल परिणाम संचार के सार्वजनिक हित लाभ को प्रभावित करने की सम्भावना होगी ।

अन्य विषय

9. क) हमने बैंक के स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों शामिल 1930 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च 2020 को 1,04,072.50 करोड़ रु के कुल अग्रिम एवं समेकित वित्तीय विवरण में समाप्त वर्ष हेतु अबतक 11,328.61 करोड़ रु का कुल राजस्व प्रतिबिंबित होते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण / सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई और जिनके रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए गए हैं, और हमारी राय में जहां तक शाखाओं की राशि और प्रकटन संबंधित हैं, पूर्णत: ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ख) हमने एक अनुषंगी, तथा दो संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च 2020 तक 4521.22 करोड़ रु की कुल आस्तियों एवं समेकित वित्तीय विवरण में समाप्त वर्ष हेतु अबतक 1038.48 करोड़ रु का कुल राजस्व तथा रु (-)25.99 करोड़ की निवल नगदी प्रवाह राशि को प्रतिबिंबित करते हैं। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2019 समाप्त वर्ष हेतु समूह की हिस्सेदारी के रूप में एक सहयोगी के संबंध में रुपये 25.73 का निवल लाभ भी शामिल है जिनके वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा हमने नहीं किया है, जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। एक अनुषंगी, दो संयुक्त उद्यम और एक एसोसिएट के वित्तीय विवरण/ सूचना और एक संयुक्त उद्यम के गैर- लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और प्रबंधन द्वारा उनके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, उपर्युक्त अनुषंगी, संयुक्त नियंत्रण संस्थाएं और एसोसिएट के संबंध में राशि और प्रकटन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, यद्पि उपर्युक्त समनुषंगी, संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग) हमने एक संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च 2020 तक 25.63 करोड़ रु की कुल आस्तियों एवं समेकित वित्तीय विवरण में समाप्त वर्ष हेतु अबतक 7.14 करोड़ रु का कुल राजस्व तथा रु 2.17 करोड़ की निवल नगदी प्रवाह राशि को प्रतिबिंबित करते हैं। ये वित्तीय विवरण गैर-लेखा परीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा उनके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, उपर्युक्त और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहां तक इस संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशि और प्रकटन से संबंधित है, उपर्युक्त संयुक्त उद्यम के संबंध में हमारा रिपोर्ट ऐसे गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर पूर्णत: आधारित है। हमारी राय और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए तात्विक नहीं हैं।

किये गये कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के आधार पर उपर्युक्त मामलों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है ।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. समेकित तुलन पत्र तथा समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 में प्रावधान के अनुरूप तैयार किए गए हैं;

11. उक्त पैरा 5 से 8 में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा की परिसीमा तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रम के अंतरण एवं अधिग्रहण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटीकरण की परिसीमा की शर्तों के अनुरूप और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) में अपेक्षा अनुसार हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

क) हमने लेखा परीक्षा के उद्देश्य से सभी आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं, और इन्हें संतोषजनक पाया गया है;

ख) हमारे नोटिस में आए बैंक का लेन-देन, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए है; तथा

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

12. **इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते है:**

क) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक लेखा की यथोचित बहियाँ रखी गई हैं, जो इन बहियों की हमारी परीक्षा तथा अन्य लेखा परीक्षक/ प्रबंधन की रिपोर्ट प्रकट करते हैं।

ख) इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण की खाता-बहियाँ तथा अन्य लेखा परीक्षक/ प्रबंधन की रिपोर्ट के साथ मेल खाते हैं।

ग) अन्य लेखा परीक्षक/ प्रबंधन की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है; तथा

घ) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह निर्धारित लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं जहां तक कि वे भारिबैंक द्वारा निर्धारित लेखा नीति के विसंगत न हो ।

13. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यता'' के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी. नं.6270/08.91.001/2019-20 दि.17 मार्च 2020 और इसके साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि.19 मई 2020 को जारी संसूचना में अपेक्षा अनुसार, उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट निम्नानुसार है :

क) हमारी राय में, समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, जहां तक कि वे भारिबैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन निति के विसंगत न हो ।

ख) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई प्रेक्षण या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कामकाज पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पडता हो।

ग) भारत सरकार की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 जीएसआर 154(ई) दि. 04 मार्च 2020 के अनुसार आन्ध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक का समामेलन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ है और उक्त अधिसूचना की पैरा (5) के अनुसार भूतपूर्व आन्ध्रा बैंक का बोर्ड 01 अप्रैल 2020 से विगठित हो गया है और उक्त तिथि से सभी पूर्णकालिक निदेशक का पद-धारण समाप्त हो गया है, अत: हम इस बात पर टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 164 की उप धारा (2) के अंतर्गत क्या कोई निदेशक, निदेशक बनने के लिए अनर्हक है।

घ) खातों की रख-रखाव और अन्य मामलों के संबंध में कोई सापेक्ष, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है; और

ङ) बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 19 मई 2020 को दी गई अनुमति के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 'वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण' लागू नहीं करने के विकल्प का चयन किया है। तदनुसार हम इस संबंध में काई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.002405सी)
(सीए अनिल के. सक्सेना)
साझेदार
एम. सं.071600
यूडीआईएन : 20071600AAAAAK6945
स्थान : कानपुर

कृते राय एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.313124ई)
(सीए सुब्रत रॉय)
साझेदार
एम. सं.051205
यूडीआईएन : 20051205AAAAAS1903
स्थान : कोलकाता

कृते संतोष गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.009713एन)
(सीए मनोज कुमार)
साझेदार
एम. सं.108603
यूडीआईएन : 20108603AAAABU9628
स्थान : मुंबई

कृते जी.एस. माधव राव एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.0019075)
(जी मणिक्य प्रसाद)
साझेदार
एम. सं.020105
यूडीआईएन : 20020105AAAABQ7997
स्थान : हैदराबाद

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून 2020

जोखिम प्रबंधन

बासल III पूंजी विनियमावली एवं पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण

बासल III पूंजी विनियमावली पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दि. 1 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों को बासल III पूंजी अपेक्षाएं के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। बैंक ने उपर्युक्त प्रकटीकरण किए हैं जो बैंक के वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https ://www.andhrabank.in/english/Regulatory.aspx

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2019-20

भाग क : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2	कंपनी का नाम	आन्ध्रा बैंक
3	पंजीकृत पता	डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.
4	वेबसाईट	www.andhrabank.in
5	ई-मेल आईडी	mbd@andhrabank.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2019-20
7	कंपनी के कार्य-क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कूट-वार)	बैंकिंग
8	कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं को बताएं (तुलन-पत्र के अनुसार)	क) जमा ख) ऋण ग) निवेश
9	कुल स्थानों की संख्या जहां कंपनी के व्यापार कार्यकलाप किये जा रहे हैं	2874
i	अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 के विवरण प्रस्तुत करें)	शून्य
ii	राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	2874
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान विपणन	पैन इंडिया

भाग ख : कंपनी के वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूंजी (भारतीय रूपया)	₹ 3095.54 करोड़
2	कुल टर्न ओवर (भारतीय रूपया)	₹ 3,91,264 करोड़ (जमा ₹ 2,12,609 करोड़ तथा अग्रिम ₹ 1,78,655 करोड़)
3	कर के बाद कुल लाभ / **हानि** (भारतीय रूपया)	(₹ 1324 करोड़)
4	कर के बाद लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय	वर्ष 2019-20 हेतु अंशदान (सीएसआर) के अंतर्गत बजट का कोई आबंटन नहीं था क्योंकि बैंक मार्च, 2019 में समाप्त वर्ष हेतु हानि रिपोर्ट कर चुका था ।
5	उपर्युक्त 4 में किया गया व्यय के क्रियाकलापों की सूची	शून्य

भाग ग : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की अनुषंगी कंपनी / कंपनियाँ हैं ?	आन्ध्रा बैंक फिनांशियल सर्विसेज़ लिमिटेड
2	क्या अनुषंगी कंपनी पेरेंट कंपनी की बीआर पहलुओं में भाग लेती है ? यदि हाँ, तो उन कंपनी/कंपनियों की संख्या सूचित करें ।	जी नहीं ।
3	क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरण : आपूर्तिकर्ता, वितरणकार आदि), जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी के बीआर पहलुओं में भाग लेते हैं ? यदि हाँ, तो उस संस्था/संस्थाओं के प्रतिशत सूचित करें ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]	जी नहीं ।

भाग घ : बी आर सूचना

1. बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

क. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	07984364
नाम	कूल भुषण जैन
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख. बीआर प्रमुख के विवरण

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	08413075
2	नाम	एम बी राजेन्द्र प्रसाद
3	पदनाम	महा प्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	040-23252371
5	ई-मेल आईडी	mbd@andhrabank.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (हाँ / नहीं में उत्तर दें)

(क) अनुपालन का विवरण (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1 @	क्या आपके पास नीति/ नीतियां हैं	**हाँ** *	**हाँ** ^	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए नीति तैयार की जा रही है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है?यदि हां, तो निर्दिष्ट करें?(50 शब्द(	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या यह एमडी / स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
5	क्या पॉलिसी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/आधिकारिक कंपनी की एक विशिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का संकेत मिलता है?	**हाँ**	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों को भेजी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या पॉलिसी/नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी की आंतरिक संरचना है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9	क्या नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/ नीतियों से संबंधित कंपनी की शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के काम का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

@ बैंक द्वारा कई नीतियाँ औपचारिक रूप से स्थापित की जाती हैं जो बैंक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कार्यों का संचालन करती हैं ।यद्यपि, उसी समय, बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देश होते हैं, जो ऑपरेटिंग इकाइयों के साथ-साथ नीतियों पर औपचारिक रूप से लागू होते हैं । इसी तरह, बैंक नियामकों, संबद्ध संघों और अन्य विधियों द्वारा बैंकिंग कार्यों को पूरा करते हुए तैयार की गई नीतियों को भी कार्यान्वित करता है ।

विभिन्न दिशा-निर्देशों और नीतियों को तैयार करते समय, नीतियों को हितधारकों के विचार/प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है।

* सिद्धांत 1 के अंतर्गत, बैंक मुख्यत: सीवीसी दिशा-निर्देशों का पालन करता है, जैसा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में होता है ।(लिंक: http://cvc.nic.in/ man04.pdf)

^ सिद्धांत 2 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को बैंक की ऋण नीति द्वारा शासित किया जाता है जो कि आंतरिक उपयोग के लिए ही है और इसलिए, ऑनलाइन नहीं देखा जा सकता है ।

क्रम सं. 3: बैंक द्वारा अनुपालन की जा रही सभी नीतियां विभिन्न नियामकों और भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत के संविधान, कानूनी अधिनियम आदि जैसे वैधानिक निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं । अत:, वे राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं ।

लिंक: www.andhrabank.in

2.ख.यदि क्रम सं. 1 का जवाब किसी भी सिद्धांत के प्रति नहीं है, तो क्यों, कृपया समझाएं: ((2 विकल्प तक टिक करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई है ।	पी 7 के लिए नीति न होने का कारण								
2	कंपनी निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने तथा कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है ।	पी 7 के लिए कोई नीति नहीं है क्योंकि बैंक सार्वजनिक और विनियामक निकायों को प्रभावित करने में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है। तथापि, बैंक ऽबैंकिंग सिस्टमरु के संबंध में नीति निर्माताओं / नियामकों के साथ जुड़ा हुआ है।								
3	कंपनी के पास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
4	यह अगले 6 महीनों के अंदर किये जाने की योजना है ।									
5	यह अगले 1 वर्ष के अंदर किये जाने की योजना है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. बीआर से संबंधित गवर्नेंस

- निदेशक मंडल,बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के बी आर कार्यनिष्पादन का आकलन करनेकी अंतराल अवधि का उल्लेखकरें।3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वर्ष में एक बार, एक वर्ष से भी अधिक
  --- वर्ष में एक बार ---
- क्या कंपनी बीआर या एक वहनीय रिपोर्ट प्रकाशितकरती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है ?

  हाँ, बीआर रिपोर्ट www.andhrabank.in पर देखी जा सकती है ।

  यह वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है ।

भाग ङ: सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनीको कवर करती है ? हाँ/नही। क्या यह समूह/ संयुक्त उपक्रम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार गैर-सरकारी संगठन/अन्य के लिए विस्तारित है?

   उत्तर : "व्यवसायों को आचार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ स्वयं को शासन करना चाहिए''।

   हाँ, इसमें बैंक और संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को शामिल किया गया है ।

   बैंककारी कंपनी) उपक्रमों का अर्जन और अंतरण(अधिनियम, 1980 के तहत नए बैंक के रूप में आन्ध्रा बैंक का गठन किया गया है।

   बैंक को मजबूत नैतिक मूल्यों पर स्थापित किया गया है तथा अपने ईमानदार और विवेकपूर्ण नेतृत्व द्वारा आगे बढ़ाया गया है । वित्तीय सत्यनिष्ठा, व्यवसायिक समझदारी, सावधानी और लोगों की गाढ़ी कमाई की बचत के लिए एक स्थायी देखभाल और चिंता करते हुए बैंक सामाजिक जिम्मेदारी की एक गहरी समझ के साथ एक ग्राहक केंद्रित संगठन बनाने के लिए और विश्व स्तर के मानकों के कार्यनिष्पादन को प्राप्त करने के लिए लगातार तकनीक का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

   बैंक में "विसल ब्लोअर'' की नीति है तथा भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन और निधियों का दुर्विनियोजन की जांच हेतु सतर्कता प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

   1) सभी अधिकारियों द्वारा वार्षिक आस्तियों औरदेयताओंका विवरण प्रस्तुत करना

   2) **संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची :**

      सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची वर्ष में एक बार तैयार/समीक्षा की जाती है ।

   3) **उपर्युक्त सूचियों में सूचित अधिकारियों की तैनाती :**

      मानव संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचियों में सूचित अधिकारियों को संवेदनशील कार्य में तैनात नहीं किया जाता है । सतर्कता विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है ।

   4) **कर्मचारियों का रोटेशन :**

      बैंक में संवेदनशील पदों में कर्मचारियों के रोटेशन की निगरानी की जाती है तथा मासिक रिपोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग को जानकारी प्रस्तुत की जाती है ।

   5) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में अनुबंधों को प्रदान करते समय सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है ।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने शेयरधारक की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा किस प्रतिशत तक संतोषपूर्वक समाधान किया गया है ? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें ।

   उत्तर : वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 2315 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी शिकायतों का समाधान किया गया। शिकायतें लाभांश नहीं प्राप्त होना, भौतिक शेयरधारकों के लिए पते में परिवर्तन, शेयरधारकों की मृत्यु पर शेयरधारकों के शेयरों के अंतरण, शेयरों के अंतरण, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण-पत्र, भौतिक शेयरधारकों के लिए ईसीएस सुविधा हेतु बैंक खाते अद्यतन करना, ई-मेल (ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत) के माध्यम से प्राप्त शेयरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति ।

सिद्धान्त 2

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनकी रुपरेखा में सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिम तथा/या अवसरों को शामिल किया है ।

I. वित्तीय समावेशन (एफआई)

आधार सीडिंग: बैंक ने सक्रिय कासा खातों में आधार सीडिंग का 78.21 प्रतिशत तथा आधार अधिप्रमाणन में 70.58% प्रतिशत प्राप्त किया है ।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): 1,73,220@ 60 खाते प्रति शाखा औसत लक्ष्य के मुकाबले बैंक ने वर्ष के दौरान 64 खाते प्रति शाखा के औसत से 1,82,812 एपीवाई खाते का नामांकित किया है। बैंक को 4.54 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिला है जिसमें ₹ 2.13 करोड़ नये नामांकन के लिए, ₹ 0.18 करोड़ वॉल्यूम आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा ₹ 2.13 करोड़ दृढ़ता प्रोत्साहन के लिए है।

➢ **वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में बैंक की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं ।**

- **'एपीवाई स्थापना दिवस'** हमारे बैंक को एक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है।
- **'एपीवाई - मिशन पॉसिबल' -** हमारा बैंक उच्च श्रेणी के साथ विजेता के रूप में पुरस्कार हेतु चयन किया गया था।
- **'एपीवाई - सिटिजन च्वाइस अभियान' -** एसएलबीसी, आंध्र प्रदेश को दि. 1 अगस्त 2019 से दि. 31 अगस्त 2019 तक आयोजित इस अभियान के अंतर्गत प्रशंसा पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त हुई।
- **'वॉरियर ऑफ विनिंग वेडनेसडे' -** मासिक: हमारा बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 4 महीनों के लिए पुरस्कार के लिए पात्रता प्राप्त किया था।
- **राइज अबव द रेस्ट -** पुरस्कार हेतु पात्र ओंगोल, संबलपुर, श्रीकाकुलम, कर्नूल और एलुरु अंचलों के साथ बैंक पुरस्कार के लिए पात्रता प्राप्त किया था।
- **'एपीवाई चैलेंजर कप':** बैंक ञ्प्रशंसा प्रमाण पत्रट के लिए पात्रता प्राप्त किया था।
- **'मेकर ऑफ एक्सेलेंस फोर ईडी ऑफ पीएसबी':** बैंक पुरस्कार के लिए पात्रता प्राप्त किया था।
- **'आउट पर्फोर्मर':** बैंक पुरस्कार के लिए पात्रता प्राप्त किया था।
- **एमडी व सीईओ हेतु लीडरशिप कैपिटल 2.0:** बैंक को पुरस्कार के लिए चयन किया गया था।
- **वॉरियर ऑफ विनिंग वेन्सडेट - तिमाही:** मार्च 2020 के समाप्त तिमाही हेतु हमारा बैंक ने पुरस्कार के लिए पात्रता प्राप्त किया था।
- **बीट द बेस्ट फॉर बैंक ब्रान्चेज:** 283 शाखाओं को प्रशंसा/उत्कृष्ट/सर्वोत्कृष्ट प्रमाण पत्र के लिए पात्रता प्राप्त की गई।

आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना: यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 290 एईसी की स्थापना की है।

वित्त वर्ष 2019-20 में हमारा बैंक प्रति दिन उच्चतम औसत नामांकन के साथ सभी पीएसबी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों में से एक है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण काउंसिलिंग केंद्र: बैंक के पास 9 कार्यरत एलडीएम कार्यालय हैं जिनमें एफएलसीसी का कार्य हो रहा है और वे अपने केंद्रों पर वित्तीय साक्षरता गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं।

बैंक मित्र फैसिलिटेटर्स: बैंक मित्र गतिविधियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने के कारण, बैंक ने आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़िसा के विभिन्न जिलों में 12 बैंक मित्र फैसिलिटेटर्स नियुक्त किए हैं ।

II. ग्रामीण विकास:

प्राथमिकता प्राप्त ऋण

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	2019-20
1. प्राथमिकता-प्राप्त अग्रिम (2 से 7)	76441
2. कृषि- प्राथमिकता-प्राप्त (2.1 + 2.2)	34925
2.1 कृषि ऋण - प्राथमिकता-प्राप्त	34140
2.2 पात्र निवेश (आरआइडीएफ)	785
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	29834
3.1 सिडबी एवं मुद्रा में पात्र निवेश	281
4. शिक्षा ऋण	1576
5. आवास ऋण (एनएचबी में अप्रत्यक्ष वित्त व निवेश सहित)	10072
5.1 एनएचबी में पात्र निवेश	148
6. सामाजिक संरचना	8
7. अक्षय उर्जा व अन्य	26
8. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (पीएसएलसी का निवल)	64931
8.1 पीएसएलसी बिक्री (सामान्य +एसएफ/एमएफ)	15310
8.2 सूक्ष्म उद्यम की खरीद	1800
8.3 सामान्य खरीद	2000
9. कृषि- प्राथमिकता-प्राप्त (पीएसएलसी का निवल)	28525
9.1 पीएसएलसी बिक्री (सामान्य +एसएफ/एमएफ)/ कृषि	6400
10. कृषि ऋण के अंतर्गत एनपीए	1879
10.1 दि. 31.03.2020 को कृषि ऋण के अंतर्गत एनपीए (सकल कृषि अग्रिम %)	4.99

सांविधिक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य/उप लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियां 2019-20: (वार्षिक - तिमाही औसत के आधार पर).	लक्ष्य	उपलब्धियां
I. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (एएनबीसी का %)	40.00	40.09%
II. कृषि ऋण (एएनबीसी का %)	18.00	18.19%
III. लघु एवं सीमांत किसान (एएनबीसी का %)	8.00	11.28%
IV. सूक्ष्म उद्यम (एएनबीसी का %) (एएनबीसी का %)	7.50	7.51%
V. गैर-कॉर्पोरेट किसान को प्रत्यक्ष निवेश Direct (एएनबीसी का %)	12.11	14.25%
VI. कमजोर वर्ग को अग्रिम (एएनबीसी का %)	10.00	14.11%

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम ₹ 76441 करोड़ हैं और दि.31.03.2020 को 2.40% प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की नाकारात्मक बढ़त दर्ज की है । मार्च 2019 के बाद पूर्ण गिरावट रु. 1877 करोड़ है । पीएसएलसी (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम निवल रु. 64931 करोड़ है। बैंक ने भारिबैंक के ई-कुबेर पोर्टल द्वारा ₹ 15310 करोड़ का पीएसएलसी सामान्य/एसएफ-एमएफ निवल विक्रय किया है और पीएसएलसी/आईबीपीसी से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 152.74 करोड़ का प्रीमियम/कमीशन अर्जित किया है।

कृषि - प्राथमिकता को ऋण

मार्च 2020 की समाप्ति पर 3.56 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की दर से वृद्धि अर्जित करते हुए बैंक के कृषि अग्रिम (कृषि-प्राथमिक) ₹ 34925 करोड़ रहे । मार्च 2019 के बाद पूर्ण वृद्धि रु.1200 करोड़ है। कृषि - प्राथमिक-प्राप्त अग्रिम (₹ 6400 करोड़ के पीएसएलसी एसएफ/एमएफ और पीएसएलसी-कृषि के निवल विक्रय के पश्चात) रु. 28525 करोड़ रहे ।

लघु और सीमांत किसानों को ऋण

लघु और सीमांत किसानों को दि.31.03.2020 को ₹ 18033 करोड़ ऋण था (पीएसएलसी एसएफ/एमएफ के अंतर्गत ₹ 6400 करोड़ के निवल विक्रय के पश्चात)।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण

बैंक ने दि.31.03.2020 को कुल रु.8092 करोड़ के एक्सपोज़र के साथ 256435 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तीय सहायता का विस्तार किया है ।

दि.31.03.2020 को महिला हिताधिकारियों को कुल ₹ 29075 करोड़ यानि 5% मानदंड पर निवल बैंक ऋण का 16.27 % का ऋण प्रदान की गई।

कमज़ोर वर्गों को ऋण

कमज़ोर वर्गों (पीएसएलसी एसएफ/एमएफ के अंतर्गत ₹ 6400 करोड़ के निवल विक्रय के पश्चात) को अग्रिम ₹ 22722 करोड़ रहे ।

अल्पसंख्यकों को ऋण

दि.31.03.2020 को, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले जिलों में बैंक की 335 शाखाएं हैं । देश भर में बैंक के कुल नेटवर्क में से, दि.31.03.2020 को अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले जिलों में शाखाओं का प्रतिशत 8.33 % रहा (यानि, रु. 6309 करोड़)।

कृषि के अंतर्गत एनपीए

दि.31.03.2020 को कुल कृषि अग्रिमों ₹ 37673 करोड़ (कृषि गैर-प्राथमिक सहित) में से, कृषि के अंतर्गत एनपीए ₹ 1879 करोड़ है जो पिछले वर्ष के दौरान 4.65 प्रतिशत के प्रति सकल कृषि अग्रिमों का 4.99% है।

आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास न्यास

आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट आन्ध्र प्रदेश(9), तेलंगाना(2), उड़ीसा(2), और केरल(1) राज्यों में 14 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है तथा क्षमता निर्माण / उद्यमिता विकास और ज्ञान के प्रसार के लिए किसानों, एसएचजी महिलाओं, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं तथा कारीगरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। एबीआरडीटी रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1 कौशल विकास संस्थान भी चला रहा है।

स्थापना पश्चात, संस्थानों द्वारा 190412 उम्मीदवारों को 6649 कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है तथा लगभग 78.59 % प्रशिक्षित उम्मीदवार लाभकारी उद्यमों में कार्यरत हैं ।स्थाई उम्मीदवार में से 55.08% को बैंक शाखाओं से ऋण सहबद्ध किए गए हैं । वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, संस्थानों ने 351 कार्यक्रमों के माध्यम से 9115 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएसईटीआई योजना के अंतर्गत सभी 12 आरएसईटीआई को सर्वोच्च "एए" रेटिंग प्रदान की गई है ।

वर्ष 2018-19 के लिए आंध्रा बैंक को आरएसईटीआई (2रा स्थान) के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादक बैंक का पुरस्कार मिला है। दि. 19.12.2019 को एनएसीएस, पूसा, नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भव्य राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री कुल भूषण जैन ने श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, भारत सरकार के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त किया।

एनआईआरईडी राजम, आन्ध्रा बैंक द्वारा प्रायोजित आरएसईटीआई में से एक जो कि श्रीकाकुलम जिला, आन्ध्र प्रदेश में स्थित है को दि. 19.12.2019 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादक आरएसईटीआई पुरस्कार दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित, गुंटूर, पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी को कवर करते हुए 220 शाखाओं वाली, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया है। दि.31.03.2020, को कुल व्यवसाय रु. 10416.39 करोड़ और कर के बाद निवल लाभ रु. 70.64 करोड़ रहा। औसत अग्रिम से सकल एनपीए का प्रतिशत 1.12 है ।

III. हरित बैंकिंग - बैंक ने कई पर्यावरणीय अनुकूलक उपायों, तथा कोर बैंकिंग समाधान, इन्टरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, कैश/चैक स्वीकारकर्ता, बॉयोमीट्रिक एटीएम इत्यादि आरम्भ किए हैं।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक) :

   I. गत वर्ष के बाद से मूल्य श्रृंखला में सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी?

   लागू नहीं

   II. गत वर्ष के बाद से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कितनी कमी हासिल की गई है?

   लागू नहीं

3. क्या कम्पनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं?

नहीं

I. यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया था? इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण भी प्रदान करें। - लागू नहीं -

4. क्या कम्पनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से सामान तथा सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हों? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और उत्पादकता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 15 जून 2017 का अनुसरण किया जाता है ।

5. क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अवशिष्ट को पुन:चक्रित (रिसाइकल) करने के लिए कोई तन्त्र है? यदि हां, उत्पादों और अवशिष्ट के पुन:चक्रित (रिसाइक्लिंग) का प्रतिशत कितना है (पृथक रूप से <5%, 5-10%,> 10%) इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण भी प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धान्त 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं: **21436**
2. कृपया अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं : शून्य।
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं । 6441
4. कृपया स्थायी कर्मचारियों में दिव्यांगों की संख्या बताएं । 689
5. क्या प्रबन्धन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है । -हाँ
6. स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का सदस्य है? -98.5%
7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी और यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या सूचित करें ।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	1	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. पिछले वर्ष आपके निम्न कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा तथा कौशल अप-ग्रेडिंग प्रशिक्षण प्रदान किया गया था?

क) स्थायी कर्मचारी - 58 %

ख) स्थायी महिला कर्मचारी - उपरोक्त का 12%

ग) आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी -शून्य

घ) दिव्यांग कर्मचारी - उपरोक्त का 2%

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाहरी हितधारकों को चिह्नित(मैप) किया है?

   हाँ

2. उपरोक्त में से, क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर और सीमान्त हितधारकों की पहचान की है ।

   हाँ

3. क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर और सीमान्त हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है । यदि ऐसा है, इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण भी प्रदान करें ।

   बैंक ने वंचित, कमजोर और सीमान्त हितधारकों को कार्य में संलग्न करने तथा लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विशेष पहल की है । इनमें से कुछ निम्नानुसार है:

   अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जनजाति(एसटी)/पिछड़ा वर्ग(बीसी)/ अल्पसंख्यक कर्मचारी

   बैंक सभी कर्मचारियों के साथ बिना किसी भेदभाव, जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी पूर्वाग्रह के बिना समान व्यवहार की नीति का पालन करता है । बैंक अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जनजाति(एसटी)/पिछड़ा वर्ग(बीसी)/अल्पसंख्यक कर्मचारी को कुछ विशेष लाभ/सुविधाएं/सहायता यथा भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण, पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है ।

दिव्यांग व्यक्ति :

एक नियोक्ता के रूप में बैंक, अपने सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करता है । दिव्यांग कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य प्रदत्त लाभ अन्य कर्मचारियों के समान हैं । दिव्यांग कर्मचारियों की अपने पद पर नियुक्ति के समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपनी दिव्यांगता के बावजूद आराम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें ।

सिद्धांत 5

1. क्या मानवाधिकार पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ अन्य लोगों को भी कवर प्रदान करती है?

   - बैंककीमानव अधिकार की रक्षा करने वाली विभिन्न नीतियां, प्रत्यक्ष या परोक्ष, केवल बैंक के संचालन को कवर करती है तथा इसकी अनुषंगी यानि, एबीएफएसएल, को नहीं । इसका कारण है कि वहाँ काम करने वाला केवल एक स्टाफ सदस्य है जिसे बैंक के प्रधान कार्यालय से प्रतिनियुक्त किया गया है ।
   - बैंक इस तथ्य से भली-भाँति परिचित है कि सभी व्यक्ति स्वतन्त्र और समान हैं, और व्यक्तियों के मूल मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए ।बैंक इस प्रकार की नीतियों/प्रक्रियाओं जो कि राष्ट्रीय

उद्गम, नागरिकता,रंग,जाति, विश्वास, धर्म, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, विकलांगता, आयु, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, सामाजिक स्थिति, या किसी अन्य प्रकार से विधि द्वारा निषिद्ध है का प्रयोग नहीं करता है ।

- बैंक कार्य स्थल पर भारत के संविधान और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन मानवाधिकार घटकों को भली-भाँति समझता है । बैंक संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान करता है ।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

- बैंककार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है ।सेवा शर्तों में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशेष रूप से खण्ड हैं।तदनुसार, कार्य स्थलों पर महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट विषयों के समाधान के लिए, बैंक नेप्रधान कार्यालय मेंएकआंतरिक अनुपालन समिति नियुक्त की गई है, जिसकी अध्यक्षता सहायक महाप्रबंधकसंवर्ग के महिलाअधिकारी द्वारा की जाती है तथा इसमें प्रतिष्ठित एनजीओ से किसी महिला प्रतिनिधी को भी सम्मिलित की जाती है ।

बैंक वेबसाइट के माध्यम से आम जनता के लिए सूचना :

- बैंक, पब्लिक डोमेन में, प्रकट की जाने योग्य, आम जनता के लिए उपलब्ध अपने उत्पादों/सेवाओं/ सुविधाओं/कोई अन्य सूचना को अद्यतन रखता है । सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, बैंक अपने वित्तीय परिणामों को आम जनता की सूचना के लिए पब्लिक डोमेन में रखता है।
- आन्ध्रा बैंक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005, में जन प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार, जन प्राधिकरण है । अतएव, भारत के नागरीकों को सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है ।

  बैंक में जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) का प्रारूप निम्न अनुसार है :

- केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) : सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को सीपीआईओ के रूप में पदनामित किया गया है जो लोगों से सूचना हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने संबंधित आंचलिक कार्यालय केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित करेंगे ।
- सीपीआईओ: संवर्ग पर विचार किए बिना सभी आंचलिक प्रबंधक केंद्रीय सूचना अधिकारी रूप में पदनामित हैं । लोगों से अनुरोध की प्राप्ति पर, सीपीआईओ उस पर विचार करेगा और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय के अंदर अनुरोध अस्वीकार करेगा अथवा सूचना भेजेगा ।
- अपीलीय प्राधिकारी: अधिनियम के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात सबसे वरिष्ठ महाप्रबंधक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में पदनामित किया जाता है, और वे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के फैसले के विरुद्ध नागरिकों द्वारा दायर प्रथम अपील की जांच करेंगे।

दि.01.04.2019 से दि.31.03.2020 तक आरटीआई आवेदनों/अपीलों की स्थिति

आरटीआई आवेदन

क्रम. सं.	विवरण	
1	वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदन	197
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	1243
3	अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को अंतरित आवेदन	0
4	स्वीकृत आवेदन	784
5	अस्वीकृत आवेदन	481
6	वर्ष की समाप्ति पर लंबित आवेदन	175#

आरटीआई अपील

क्रम सं.	विवरण	
1	वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदन	57
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	251
3	अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को अंतरित आवेदन	0
4	स्वीकृत आवेदन	135
5	अस्वीकृत आवेदन	134
6	वर्ष की समाप्ति पर लंबित आवेदन	39#

#सभी लंबित आरटीआई आवेदनों/अपीलों का निवारण कर दिया गया है ।

शिकायतों का निवारण :

- बैंक ने ग्राहक शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए ग्राहक शिकायत निवारण मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं ।
- प्रधान कार्यालय में ग्राहकों की शिकायत के निवारण हेतु अलग विभाग है ।
- एक आंतरिक लोकपाल है जो प्रभावी रूप से शिकायतों के निवारण की निगरानी करता है ।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्वक निपटाए जाने का प्रतिशत क्या था ?

वर्ष 2019-20 के लिए शिकायतों का प्रकटन :

क. ग्राहक शिकायत (एटीएम लेन-देन से संबंधित शिकायतों सहित)

क्र.	विवरण	2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	74	1571
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (#)	95810	101883
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	95741	103380
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (*)	143	74

ख. एटीएम शिकायत

क्र.	विवरण	2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (#)	81915	90788
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	81915	90788
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (*)	शून्य	शून्य

3. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय

क्र.	विवरण	2019-20	2018-19
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अवार्ड की संख्या	शून्य	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अवार्ड की संख्या	शून्य	1
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या	शून्य	शून्य

अगले कार्यदिवस में निवारण की गई शिकायतें शामिल नहीं हैं ।

* सभी लंबित शिकायतों का निवारण किया गया है ।

<u>सिद्धांत 6</u>

'व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए'

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है अथवा समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ अन्य लोगों तक विस्तार किया है ।

- नीति केवल बैंक को कवर करती है ।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कार्यनीति पहल है? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

- बैंक ने निम्न अनुसार पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय आरंभ किए हैं :
  - ➢ बैंक उन उद्योगों, जो पर्यावरण को प्रभावित करता है, ओजोन क्षरण वाले वाले पदार्थों का उत्पादन करता है, को वित्त प्रदान नहीं करता है ।
  - ➢ बैंक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र जैसे वित्त, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में वित्त पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

कागज के उपभोग को घटाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए थे:

- काग़ज़ रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, "डिजिज्ञान'' बैनर के अंतर्गत डिजिटाईजेशन मोड को तेज़ी से बढ़ाया गया है ।
- अंचलों / सर्कल कार्यालयों तथा शाखाओं इत्यादि को हार्ड प्रति प्रेषित करने के स्थान पर ई-मेल भेजे जाते हैं ।
- बचत खातों में डेबिट कार्ड को बढ़ावा दिया जाता है । मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है ।
- पीओएस मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है ।
- इंटरनेट लेन-देन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है ।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है?हाँ/नहीं

हाँ

- टीईवी अध्ययन/परियोजना मूल्यांकन में, संभावित पर्यावरणीय जोखिमों के निवारण के लिए उचित महत्व दिया जाता है ।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है ?यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें, अथवा हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की जाती है ?

- बैंक ने कागज रहित निविदा को बढावा देने हेतु बैंक की ओर से ई-निविदा, ई-निलामी तथा रिवर्स नीलामी के निष्पादन के लिए मेसर्स अंतरास सिस्टम प्राइवेट लि., बैंगलोर के साथ एक समझौता किया है।
- कागज उपभोग की बचत के लिए विक्रेताओं को भुगतान (आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा हिताधिकारी खाता में ऑन-लाइन क्रेडिट) ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाता है ।
- विभिन्न केंद्रों पर बैंक के आगामी कार्यालय/आवासीय भवन को ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना के आधार पर डिज़ाइन किया गया है जिसका अर्थ है स्थल का चयन तथा निर्माण की डिजाइनिंग तथा निष्पादित परिचालन से लेकर निर्माण का प्रत्येक चरण पर्यावरण अनुकूल तथा संसाधन कुशल प्रक्रियाओं का समावेशन ।
- एटीएम के माध्यम से डेबिट कार्डों हेतु हरित पिन सृजन ।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कृपया वेब-पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

- समस्याओं की पहचान द्वारा बिजली बर्बादी को कम करना जो अधिक बिजली की खपत का कारण बनती है ।बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं । बैंक पर्यावरण अनुकूल हरित परियोजनाओं को उचित प्राथमिकता तथा महत्व देता है जो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं, जैसे पवन मिल्स/सौरउर्जा परियोजना । बैंक हरित तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए ऋण हेतु प्राथमिकता प्रदान करने की योजना है ।
- साथ ही, बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करते हुए अपने सभी परिसरों में एलईडी प्रतिस्थापित कर रहा है ।बैंक उच्चतर उर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए रेटेड एनर्जी प्रभावशाली उपकरण अर्थात एयर कंडीशनर का उपयोग करने की नीति का भी पालन कर रहा है ।

6 क्या वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा उत्सृजित उत्सर्जन/अपशिष्ट की सूचना दी जा रही है ?

- **लागू नहीं**
- पीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या, जो कि लंबित हैं (अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संतोषपूर्वक नहीं निपटाया गया है)
- शून्य

सिद्धांत 7

''व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करता हो, तो इसे जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए''

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर अथवा संघ का सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन प्रमुख नामों को दें जिनके साथ आपका व्यापार संबंधित है:

   (क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

   (ख) भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

   (ग) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)

   (घ) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई)

2. क्या आपने जनहित के सुधार अथवा लाभ हेतु उपर्युक्त संघों के माध्यम से वकालत/लॉबी किया है?हाँ: यदि हाँ तो बृहत क्षेत्र निर्दिष्ट करें :

   - देश के बैंक-रहित ग्रामीण स्थानों पर शाखाओं के नए व्यवहार्य स्वरूप के बारे में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को सुझाव दिए गए ।

     शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यवसाय सिद्धांत, अन्य
   - बैंक, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लाभों के विस्तार के सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित है । साथ ही, बैंक देश के सतत विकास में सहयोग देते हुए खाद्य सुरक्षा तथा समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा आर्थिक क्षेत्रों को समय-समय पर समग्र रूप से कवर करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी सभी नीतिगत अनुदेशों/विनियामक दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है ।
   - डिजिटल बैंकिंग प्रवेश में सुधार के लिए एईपीडीएस प्रणाली के कार्यान्वयन में बैंक अग्रणीयों में से एक ।

सिद्धांत 8

'व्यवसाय को समावेशी और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए'

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 की नीति से संबंधित कार्यक्रम/पहल/परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया है ? यदि हां, तो इसका विवरण ।

   - बैंकनेसिद्धांत 8 के अनुसरण में कई पहल/कार्यक्रम/परियोजना आरंभ की हैं । बैंक की वित्तीय समावेशन पहल उनमें से एक है :

     विवरण निम्न अनुसार हैं:

     बैंक ने ग्रामीण लोगों को वहन-योग्य लागत के साथ गैर-बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सेवा प्रदान करने की वित्तीय समावेशन परियोजना लागू की तथा उन्हें समावेशी विकास हेतु मुख्य आर्थिक धारा में कवर किया है । इस सेगमेंट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष उत्पाद जैसे कि बचत सह इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवर्ती जमा, आन्ध्रा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कम लागत प्रीमियम के साथ बीमा उत्पाद तैयार किए हैं ।पीओएस आधारित व्यवसाय संवाददाता मॉडल यूबीबीएस आदि जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉडलों को लागू किया गया है ।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजना इन-हाउस टीम/स्वयं फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संस्थान के माध्यम से किए गए हैं ?

   - इन-हाउस टीम

3. क्या आपने अपनी पहल में कोई प्रभावी आकलन किया है?

   - हाँ,संस्थानों द्वारा 6649 कार्यक्रमों के माध्यम से 190412अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 78.59% प्रशिक्षित अभ्यार्थी लाभकारी उद्यमों में कार्यरत हैं। 55.08% संपन्न अभ्यार्थियों को बैंक शाखाओं से क्रेडिट लिंक किया गया है। वित्तीय वर्ष2019-20केदौरानसंस्थानने 351 कार्यक्रमोंद्वारा 9115 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षणदिया है।
   - वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएसईटीआई योजना के अंतर्गत सभी 12 आरएसईटीआई को सर्वोच्च रेटिंग "एए'' प्रदान की गई है ।

4. समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाई गई सामुदायिक विकास पहल में प्रत्यक्ष रूप से आपका क्या योगदानहै?कृपया 50 शब्दों में स्पष्ट करें । शून्य

सिद्धांत 9

"व्यवसाय से जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को उचित महत्व तथा लाभ होना चाहिए ।"

1. वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का कितान प्रतिशत लंबित है।

   - 100% निपटान किया गया ।

2. क्या कंपनी स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद की योग्यता सम्बन्धी उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)

   - लागू नहीं।

3. क्या गत पाँच वर्षो के दौरान अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापनों तथा/अथवा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार से सम्बन्धित कम्पनी के विरूद्ध किसी भी हितधारक द्वारा कोई मुकदमा फाइल किया गया अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में लम्बित है । यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें।

   - शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों का कार्यान्वयन किया है ?

   - नहीं।

अनुबन्ध II

पर्यावरणीय, सामाजिक तथा शासकीय मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने हेतु सिद्धांत

सिद्धांत 1

व्यवसायों को आचार संहिता, पारदर्शिता तथा जिममेदारी के साथ संचालित तथा नियंत्रित करना चाहिए ।

1. व्यवसायों को प्रशासन संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा कार्य प्रणालियों को विकसित करना चाहिए जो सभी स्तरों पर आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा तथा इसकी मूल्य श्रृंखला में इस सिद्धांत को अपनाने हेतु बढ़ावा दे । व्यवसाय में पारदर्शी संवाद तथा अपने निर्णयों से सम्बन्धित जानकारी होनी चाहिए जो प्रासंगिक हितधारकों को प्रभावित करता है ।
2. व्यवसाय को अपमानजनक, भ्रष्ट अथवा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ।
3. व्यवसाय में वित्त सम्बन्धित अपनी जिम्मेदारियों तथा अन्य आवश्यक प्रकटीकरण को ईमानदारी से निभाना चाहिए ।
4. व्यवसाय में किसी अन्य व्यक्ति के उन कार्यों में सहभागिता से बचना चाहिए जिसमें इन दिशा-निर्देशों में सम्मिलित सिद्धांतों का उल्लघंन हो ।

सिद्धांत 2

व्यवसाय में ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित तथा अपने जीवन-काल के दौरान स्थिर हो ।

1. व्यवसाय में उत्पाद के जीवन-काल के दौरान प्रयोग हेतु डिजाइन से लेकर निपटान तक सुरक्षित एवं श्रेष्ठ संसाधन सुनिश्चित करना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे सम्बन्धित प्रत्येक डिजाइनर, निर्माता, मूल्य श्रृंखला के सदस्य, ग्राहक तथा रिसाइक्लर अपनी जिम्मेदारियों से अवगत हों ।
2. व्यवसाय में शिक्षा, उत्पाद लेबलिंग, उचित तथा उपयोगी विपणन संचार, सामग्री एवं संरचना का पूर्ण विवरण तथा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के सुरक्षित उपयोग एवं निपटान को बढ़ावा देने के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति ग्राहकों में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए ।
3. उत्पाद डिजाइन करने में, व्यवसाय सुनिश्चित करें कि इसके उत्पादन हेतु आवश्यक विनिर्माण प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकियों के संसाधन प्रभावी एवं टिकाऊ हैं ।
4. व्यवसाय में नई प्रौद्योगिकी के विकास, विनियोजन तथा व्यावसायीकरण, सम्मिलित सामाज, आचार संहिता तथा पर्यावरण विचार की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा तथा वृद्धि करनी चाहिए ।
5. व्यवसाय में व्यक्ति के अधिकार को समझना एवं सम्मान करना चाहिए, जो पारंपरिक ज्ञान तथा बौद्धिक संपदा के अन्य प्रारूप के स्वामी हो सकते हैं ।
6. व्यवसाय में समझना चाहिए कि अति-उपभोग हमारे संसाधनों के अरक्षणीय शोषण को प्रभावित करेगा, इसलिए संसाधनों के पुनर्चक्रीकरण सहित स्थायी खपत को बढ़ावा देना चाहिए ।

सिद्धांत 3

व्यवसाय में अच्छे कार्य हेतु सभी कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए ।

1. व्यवसाय में संघ की भागीदारी, सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए तथा उचित शिकायत निवारण तंत्र हेतु ऐक्सेस प्रदान करना चाहिए ।
2. व्यवसाय में भर्ती के समय तथा साथ ही साथ जाति, सम्प्रदाय, लिंग, प्रजाति, धर्म, अक्षमता अथवा यौन अभिविन्यास के संदर्भ में रोजगार प्रदान करने के दौरान समान अवसर प्रदान करना तथा इसे बनाए रखना चाहिए ।
3. व्यवसाय में बाल श्रम, जबरन श्रम अथवा अनैच्छिक श्रम के किसी भी रूप, वैतनिक अथवा अवैतनिक, का उपयोग नहीं करना चाहिए ।
4. व्यवसाय में अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं, के कार्य-जीवन संतुलन का संज्ञान लेना चाहिए ।
5. व्यवसाय में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों सहित अपने कर्मचारी के लाभ हेतु सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए । वे आर्थिक आवश्यकताओं तथा कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उचित वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
6. व्यवसाय में एक कार्य-स्थल का माहौल प्रदान करना चाहिए, जो सुरक्षित, स्वच्छ हो, जिससे कर्मचारियों की गरिमा बनी रहे । व्यवसाय अपने कर्मचारियों को इस प्रावधान की सूचना दे तथा उन्हें नियमित आधार पर प्रशिक्षित करे ।
7. व्यवसाय एक समान तथा गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर शिक्षा के आवश्यक अवसर हेतु ऐक्सेस प्रदान कर सभी कर्मचारियों के सतत कौशल और क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करे । वे प्रबुद्ध मानव संसाधन मध्यक्षेप द्वारा कर्मचारियों के मनोबल और कैरियर के विकास को बढ़ावा दें ।
8. व्यवसाय में उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल जहां कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सुरक्षित महसूस करें, सुनिश्चित करने हेतु सिस्टम तथा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए ।

सिद्धांत 4

व्यवसाय सभी हितधारकों विशेष रूप से जिन्हें हानि हुई हो, कमजोर तथा उपेक्षित हों, का सम्मान करे तथा उनके प्रति उत्तरदायी रहे ।

1. व्यवसाय अपने हितधारकों की पहचान करे, उनके विचारों को समझे, सम्मिलित होने के उद्देश्य तथा क्षेत्र को परिभाषित करे तथा उनके साथ सम्मिलित होने के लिए प्रतिबद्ध रहे ।
2. व्यवसाय अपनी नीतियों, निर्णयों, उत्पाद एवं सेवाओं के प्रभाव तथा हितधारकों हेतु संबद्ध कार्य-कलाप को स्वीकार करे, जिम्मेदारी संभाले तथा पारदर्शी बने ।
3. व्यवसाय में विकासशील क्षेत्रों के हितधारकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।
4. व्यवसाय में सरल, उचित तथा न्यायसंगत रूप से हितधारकों के साथ मतभेदों को दूर करना चाहिए ।

सिद्धांत 5 : व्यवसाय मानव अधिकारों का सम्मान करे तथा बढ़ावा दे ।

1. व्यवसाय भारतीय संविधान में सम्मिलित मानव अधिकारों, राष्ट्रीय कानूनों तथा नीतियों एवं मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक की विषयवस्तु को समझें । व्यवसाय को मानव अधिकारों की सराहना करनी चाहिए क्योंकि इसका स्वरूप निहित, सार्वभौमिक, अविभाज्य तथा परस्पर-निर्भर है ।
2. व्यवसाय, परिचालन पर मानव अधिकारों के प्रभाव को संचालित एवं प्रबन्ध करके तथा व्यवसाय से प्रभावित सभी व्यक्तियों हेतु शिकायत तंत्र का ऐक्सेस सुनिश्चित कर व्यक्तिगत रूप से प्रबन्धन प्रणाली में मानव अधिकारों हेतु सम्मान को एकीकृत करे ।
3. व्यवसाय अपने कार्यस्थल से परे समुदायों, उपभोक्ताओं तथा कमजोर एवं उपेक्षित समूहों सहित प्रासंगिक हितधारकों तथा समूहों के मानव अधिकारों को समझे तथा सम्मान करे ।
4. व्यवसाय, अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर, अपने मूल्य श्रृंखला में मानव अधिकारों की जागरूकता तथा वास्तविकता को बढ़ावा दे ।
5. व्यवसाय में किसी अन्य पक्ष के साथ मानवाधिकारों के दुरूपयोग में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ।

सिद्धांत 6 :

व्यवसाय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सम्मान, रक्षा तथा प्रयास करे ।

1. व्यवसाय में श्रेष्ठ तथा जिम्मेदार रूप से प्राकृतिक तथा मानव द्वारा निर्मित संसाधनों का प्रयोग करे तथा अपशिष्ट को कम कर, पुन: उपयोग कर, पुनर्चक्रण एवं नियंत्रित कर संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करे।
2. व्यवसाय प्रदूषण की जाँच करने तथा रोकने हेतु कदम उठाए । वे पर्यावरण के नुकसान का आकलन करे तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण कमी की लागत वहन करे ।
3. व्यवसाय सुनिश्चित करे कि जैविक तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायीकरण तथा संबद्ध पारंपरिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभ समान रूप से वितरित हो ।
4. व्यापार स्वच्छ उत्पादन प्रणाली अपनाकर, ऊर्जा कुशल तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर अपने पर्यावरण प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने का प्रयास करे ।
5. व्यवसाय पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा आकस्मिक योजनाओं एवं प्रक्रिया को विकसित करे जो उन पर्यावरण हानि एवं आपदाओं को रोकने तथा कम करने एवं नियंत्रण करने में उनकी सहायता करेगा, जो उनके परिचालन अथवा उनके मूल्य श्रृंखला के सदस्यों के कारण हो सकता है।
6. व्यवसाय अपने परिचालन में सम्मिलित संभावित पर्यावरण जोखिम सहित उचित एवं पारदर्शी रूप से हितधारकों हेतु अपना पर्यावरण कार्य-निष्पादन रिपोर्ट प्रदर्शित करे ।
7. व्यवसाय इस सिद्धन्त को अपनाने हेतु अपने मूल्य श्रृंखला को सक्रियता से समझाए तथा समर्थन करे ।

सिद्धांत 7 :

व्यवसाय में सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना चाहिए ।

8. व्यवसाय, जब नीति का पालन करे, तो यह सुनिश्चित करे कि उनके वकालत का स्तर इन दिशा-निर्देशों में निहित सिद्धांतों तथा मूल तत्वों के अनुरूप हो ।
9. जहां तक संभव हो, व्यवसाय ऐसी नीति आरम्भ करने हेतु व्यापार तथा उद्योग संगठनों एवं संघों तथा अन्य ऐसे सामूहिक प्लेटफार्मों का प्रयोग करे ।

सिद्धांत 8 : व्यवसाय समावेशी वृद्धि तथा समान विकास का समर्थन करे ।

1. व्यवसाय सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर अपने प्रभाव को समझे, तथा नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु उचित कार्रवाई करे ।
2. व्यवसाय उत्पादों, तकनीकों और प्रक्रियाओं में नवीनता लाए तथा निवेश करे, जिससे समाज को लाभ होगा ।
3. व्यवसाय स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर विकास की प्राथमिकताओं को पूरक तथा समर्थन करने का प्रयास करे तथा उचित पुनर्वास तथा समुदायों के पुनर्वास को आश्वस्त करे, जो अपने व्यवसाय के संचालन हेतु विस्थापित किए गए हैं ।
4. विकासशील क्षेत्रों में व्यवसाय का संचालन विशेष रूप से स्थानीय विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

सिद्धांत 9 : व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार रूप से सम्मिलित हो तथा उन्हें महत्व प्रदान करे ।

1. व्यवसाय, जब अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ग्राहकों तथा समाज की समग्र लाभ को ध्यान में रखे ।
2. व्यवसाय अपने उत्पादों की डिजाइनिंग, प्रोमोटिंग तथा बिक्री करते समय यह सुनिश्चित करे कि वे किसी भी रूप से चुनाव और मुक्त प्रतियोगिता की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर रहे हैं ।
3. व्यवसाय उत्पादों के उपयोग सम्बन्धित सभी जानकारी, व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए तथा सभी के लिए लेबलिंग तथा अन्य साधनों के माध्यम से जोखिम सहित सटीक एवं तथ्यात्मक रूप से प्रकट करे, ताकि ग्राहक जिम्मेदार रूप से उपभोग हेतु अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। आवश्यक होने पर, व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग हेतु अपने ग्राहकों को शिक्षित करे ।
4. व्यवसाय अपने उत्पादों को बढ़ावा दे तथा विज्ञापन दे ताकि उपभोक्ताओं को भ्रम अथवा समस्या न हो अथवा इन दिशा निर्देशों में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन न हो ।
5. वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रमाणन करते समय व्यवसाय उचित देखभाल और सावधानी बरते जो प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन अथवा अत्यधिक विशिष्ट उपभोग का नेतृत्व करने में सहायक होगा ।
6. व्यवसाय ग्राहक के विचार तथा प्रतिपुष्टि पर ध्यान देने हेतु पर्याप्त शिकायत निपटान तंत्र प्रदान करे।

DIRECTORS' REPORT

We place before you the directors Report of the Bank for the financial year ended March 31, 2020.

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Economy Overview:

In the year 2019-20, Global growth recorded its weakest pace since the global financial crisis a decade ago, registering a growth of 2.9% in 2019 compared to 3.6% in the previous year. Rising trade barriers and associated uncertainty weighed on business sentiment and activity globally. Both emerging and developing market economies as well as advanced economies slowed down.

Towards end of the financial year, global growth has hit unprecedented depths of despair amidst Covid-19. Global Lockdown due to the pandemic saw major indices of manufacturing and services across countries declining to record lows on the back of supply-side disruptions. Global energy prices plunged, global financial markets dramatically sold-off equity and debt in March 2020 which led to crashing of benchmark equity indices and tightening of bond yields. Governments and Central Banks have taken unprecedented fiscal and monetary policy measures to mitigate the adverse impact of Covid-19.International Monetary Fund's (IMF) projects global output in 2020 to contract by 3 per cent with output of advanced countries contracting more than emerging market and developing economies.

Turning to Indian economy, even before the onset of Covid-19 pandemic, the country was experiencing a slowdown. The country's GDP growth for FY20 at 4.2% was lower compared to growth of 6.1% in FY19. Several fiscal and monetary actions were initiated by the Government and RBI respectively, to lessen the adverse impact on financial system due to COVID-19 related disruptions.

On the policy front, the year saw many measures undertaken by the government and the regulator. On part of the government, a mega amalgamation exercise was undertaken and 10 Public Sector Banks (PSBs) were amalgamated into 4 large entities, and your Bank is poised to emerge as the 5th largest Bank in the country with amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India, with effect from 01.04.2020. Similarly, on the regulatory front, the introduction of External Benchmark Linked Lending Rates (EBLR) to all Retail Segments will go a long way in improving the monetary transmission.

Amalgamation:

Initiating major reforms in the PSBs, a mega amalgamation exercise is taken up in FY 2020. Accordingly, 10 PSBs have been amalgamated into 4 Banks. As part of this initiative, Andhra Bank and Corporation Bank have been amalgamated into Union Bank of India, w.e.f. 01.04.2020, making the amalgamated entity, the 5th largest PSB in the country.

The amalgamation exercise aims to reap the scale and scope economies from increased branch network, customer base and synergies on account of cost rationalization & technological assimilation. After amalgamation, the Bank will become stronger with more than 9500 Branches, 13300 plus ATMs, an employee strength of over 75,000 and with a customer base of over 120 million. The amalgamation will also provide impetus for adoption of the best practices among the banks to improve customer service, productivity, leading to higher profitability.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK

Business: For the financial year ended 31st March 2020, Bank's Business stood at ₹ 3,91,264 Crore as against ₹ 3,98,511 Crore as on 31.03.2019.

Deposits: Bank's Total Deposits stood at ₹ 2,12,609 Crore at as on 31.03.2020, as against ₹2,19,821 Crore as on 31.03.2019.The share of CASA deposits (Current and Savings) in Total Deposits stood at 34.55%.

- Current Deposits stood at ₹ 11,333 Crore as on 31.03.2020 as compared to ₹ 10,230 Crore as on 31.03.2019, growing at a rate of 10.78%.
- Savings Bank Deposits increased to ₹ 62121 Crore as on 31.03.2020, from ₹58, 768 Crore as on 31.03.2019, growing at a rate of 5.71%.
- Term Deposits stood at ₹1,39,155 Crore as on 31.03.2020 as against ₹150,823 Crore as on 31.03.2019.

Advances: Gross Bank Credit stood at ₹ 178655 Crore as on 31.03.2020 as against ₹178690 Crore as on 31.03.2019.

- Credit to Agriculture Sector (including RIDF & non-priority) stood at ₹ 37,673 Crore as on 31.03.2020 as against ₹ 36,691 Crore as on 31.03.2019.
- MSME portfolio stood at ₹ 29,834 Crore as on 31.03.2020 as against ₹ 32,876 Crore as on 31.03.2019.
- Retail Credit portfolio stood at ₹ 43,614 Crore as on 31.03.2020 as against ₹ 40,985 Crore as on 31.03.2019.

Classification of Advances portfolio (₹ in Crore)

Category	31.03.19	31.03.20	Variance
1. Food Credit	834	1046	25.42%
2. Non-Food Credit (2.1 to 2.4)	177856	177609	-0.14%
2.1 Agricultural Advances	36961	37673	1.93%
2.2 Advances to MSME Sector	32876	29834	-9.25%
2.3 Retail Credit (incl. DLs)	40985	43614	6.41%
2.4 Large Industries & Other Advances	67034	67533	0.75%
GROSS BANK CREDIT (1+2)	178690	178655	-0.02%
Of which, Lending to Priority sector	78318	76441	-2.40%

Area-wise distribution of Aggregate Deposits & Advances as on 31.03.2020 is set forth in the following Table.

(₹ in Crore)

Sl. No.	Category of Branches	Deposits 31.03.20	% to total	Advances 31.03.20	% to total
1	Rural	16815	7.91%	22540	12.62%
2	Semi-Urban	31133	14.65%	28004	15.68%
3	Urban	47551	22.37%	29722	16.64%
4	Metro	117045	55.07%	98338	55.06%
5	**TOTAL (1+2+3+4)**	**212545**	**100.00%**	**178605**	**100.00%**

Profitability:

Total Income for the financial year 2019-20 of the bank stood at ₹ 22,527 Cr as compared to ₹ 20,977 Cr for FY 2018-19. The Non-interest income of the bank stood at ₹ 2743 Cr. Operating Profit of the Bank stood at ₹5093 Cr compared to ₹5023 Crore in the previous year. However, on account of higher provisioning towards ageing of NPAs, the Bank incurred a Net Loss of ₹ 1324 Cr for FY 2019-20 as compared a Net Loss of ₹ 2786 Cr for FY 2018-19. The Total interest income of the Bank stood at ₹ 19,784 cr as compared to ₹ 18,932 Cr of the previous year. Of which, Interest Income from Advances registered an increase by 7.43% from ₹14173 Cr during 2018-19 to ₹ 15,226 Cr in 2019-20. Interest Income from investments stood at ₹ 4,396 Cr in 2019-20.

Total Expenses during the financial year 2019-20 is ₹ 17,435 Cr against ₹15,954 Crore registered during the previous year. The interest expenditure increased by 4.68 % from ₹12,224 Cr in 2018-19 to ₹ 12,795 Cr in 2019-20. The, Operating Expenses stood at ₹4,639 Crore, registering an increase of 24.37% over the previous year.

Highlights of Revenue, Expenditure and Profitability-

(₹ in Crore)

	2018-19	2019-20	Abs Gr	% Gr
Total Interest Income	18932.22	19784.18	851.96	4.50%
Total Interest Expenditure	12223.99	12795.49	571.5	4.68%
Net Interest Income	6708.23	6988.69	280.46	4.18%
Other Income	2045.04	2742.94	697.90	34.13%
Profit on sale of Investments	83.72	730.75	647.03	772.85 %
Core Other Income	1961.32	2012.19	50.87	2.59%
Operating Expenses	3730.15	4639.03	908.88	24.37%
Operating Profit	5023.12	5092.60	69.48	1.38%
Provisions and Contingencies	7809.24	6416.73	-1392.51	-17.83%
Net Profit	-2786.12	-1324.13	1461.99	-52.47%

APPROPRIATIONS: After making various provisions, the net loss for the year 2019-20 has been arrived at **₹1324.13 Cr**. Brought forward balance in P/L Account is **-₹6253.12 Cr.** The appropriations are given below.

Appropriations (₹ in Crore)	**2018-19**	**2019-20**
Appropriation out of Net Profit	**-2786.12**	**-1324.13**
Balance brought forward	**-3463.08**	**-6253.12**
Transfer to Statutory Reserves	0.98	96.53
Transfer to Capital Reserve	2.94	289.58
Transfer to Revenue Reserves	0	0
Transfer to Special Reserve	0	0
Transfer to proposed Dividend (incl. Dividend Tax)	0	0
Profit carried over to Balance Sheet	-6253.12	-7963.36

KEY FINANCIAL RATIOS: Net Interest Margin (NIM) stood at 3.32 % compared to 3.31% in the previous year. Cost to Income Ratio stood at 47.67% as compared to 42.61% for the previous year. Earnings per Share (EPS) stood at- ₹ 4.43 and Book Value per Share (BVPS) stood at ₹23.92. Gross Non-Performing Assets to Gross Advances stood at 16.07% and Net Non-Performing Assets to Net Advances stood at 4.92% for the financial year ended 31.03.2020.

Key Financial Ratios

Parameter	31.03.2019	31.03.2020
Yield on Advances (%)	8.54%	8.55%
Cost of Deposits (%)	5.53%	5.59%
Net Interest Margin (%)	3.31%	3.32%
Yield on Funds (%)	7.44%	7.43%
Cost of Funds (%)	4.80%	4.81%
Cost-to-income Ratio (%)	42.61%	47.67%
CRAR – Basel III (%)	13.68%	11.12%
Return on Assets (%)	-1.09%	-0.50%
Earnings Per Share (₹)	-19.01	-4.43
Book Value Per Share (₹)	34.29	23.92
Net NPA (%)	5.73%	4.92%
Gross NPAs (%)	16.21%	16.07%

CAPITAL & NET WORTH

(₹ in Crore)

Parameter	31.03.2019	31.03.2020
Equity Capital	2884.49	3,095.54
Reserves Surplus	10280.64	9,132.36
Net worth of the Bank (Tangible)	9889.48	7403.14

Return on Networth: Return on Net worth has improved to -0.18 as on 31.03.2020 from -0.28 as on 31.03.2019. Reasons for changes are as under:

a) Reduction in year on year loss from ₹ 2,786.13 crores for FY 2018-19 to ₹ 1,324.13 crores for FY 2019-20

b) Infusion of Capital of ₹ 200 cores on 04.03.2020 by Government of India and ₹ 256.80 on 24.04.2019 by way of ESPS.

c) Draw down from Statutory Reserve towards interest of Additional Tier-I Perpetual Basel III Compliant bonds by an amount of ₹ 70.64 crore during the year ended 31.03.2020.

Operating Profit Margin (%): There are no significant changes in Operating Profit Margin (%) as compared to the immediately preceding financial year.

Net Profit Margin (%): Net Profit Margin (%) has improved to -5.88% as on 31.03.2020 from -13.28% as on 31.03.2019. Reasons for improvement in profitability is as follows:

a) Provision for NPA decreased by ₹ 1,218 crores in FY 2019-20.

b) Depreciation on Investments decreased by ₹ 100 crores in FY 2019-20.

c) Interest on advances increased by ₹ 1,054 crores in FY 2019-20.

CAPITAL ADEQUACY: As per the guidelines issued by Reserve Bank of India, the start date for implementation of Basel III guidelines in India is with effect from April 1, 2013. Accordingly, the Bank has been assessing its Capital Adequacy as per Basel III prescriptions. The total Capital Funds of the Bank as on March 31, 2020 stood at ₹ 14,688.49 Crs and the Capital Adequacy Ratio at 11.12% is above the required RBI prescribed norm of 10.875%.

CRAR Position	31 March 2020 (Basel III)
CET1	6.49%
AT1	1.67%
Total Tier-I	8.16%
Tier-II	2.96%
Total CRAR	11.12%

Priority Sector Lending : Priority Sector advances of the bank stood at ₹**76441 Crore** and registered a negative growth of 2.40 **%** (Y-O-Y) as on 31.03.2020. The absolute decrease over March. 2019 is ₹ 1877 Crore. Total Priority sector advances net of PSLC (Priority Sector Lending Certificates) is ₹ **64931 Cr.** Bank has made net sale of ₹ **15310 Cr** under PSLC General / SF-MF through e-kuber portal of RBI and earned a premium / commission from PSLCs /IBPCs of ₹152.74 Cr during the FY 2019-20.

Priority Sector Lending

(₹in Crore)

Category	2019-20
1. Priority Sector Advances (2 to 7)	76441
2. Agriculture-Priority (2.1 + 2.2)	34925
2.1 Agriculture Loans-Priority	34140
2.2 Eligible Investments (RIDF)	785
3. Micro, Small and Medium Enterprises	29834
3.1 Eligible Investment in SIDBI & MUDRA	281
4. Educational Loans	1576
5. Housing Loans (includes Indirect Finance& Investment in NHB)	10072
5.1 Eligible Investment in NHB	148
6. Social Infrastructure	8
7. Renewal energy and others	26
8. Priority Sector Advances (net of PSLC)	64931
8.1 PSLC Sales (General + SF/MF)	15310
8.2 Purchase of Micro Enterprises	1800
8.3 Purchase of General	2000
9. Agriculture-Priority (net of PSLC)	28525
9.1 PSLC Sales (SF/MF) / Agri	6400

Statutory Priority Sector Targets / Sub Targets and their Achievements 2019-20: (Yearly - on quarterly average basis).	Targets	Achieve-ments
I. Priority Sector Advances (% to ANBC)	40.00	40.09%
II. Agricultural Credit (% to ANBC)	18.00	18.19%
III. Small & Marginal Farmers (% to ANBC)	8.00	11.28%
IV. Micro Enterprises (% to ANBC)	7.50	7.51%
V. Direct Lending to Non-Corporate farmers (% to ANBC)	12.11	14.25%
VI. Weaker Section Advances (% to ANBC)	10.00	14.11%

Credit to Agriculture-Priority

- **Agricultural advances (Agri-Priority)** of the bank stood at ₹ **34925 Crore** at the end of March. 2020, registering a growth rate of 3.56 **%** (Y-O-Y). The absolute increase over March 2019 is ₹ 1200 Crore. Agri. Priority advances (after net sale of PSLC SF/MF & PSLC-Agri of ₹6400 Cr) are at ₹28525 Cr.
- **Lending to Small & Marginal Farmers** Loans to **Small & Marginal Farmers** as on 31.03.2020 was ₹**18033 Cr** (after net sale of ₹6400 Crs under PSLC SF/MF)
- **Lending to Self Help Groups** Bank has extended financial assistance to 256435 **Self Help Groups (SHGs)** with total exposure of ₹**8092 Crore** as on 31.03.2020.
- Total credit extended to women beneficiaries as on 31.03.2020 was at ₹ 29075 Cr i.e., 16.27 % of Net Bank Credit as against norm of 5%.
- **Credit to Weaker Sections** Advances to **Weaker sections** (after net sale of ₹6400 Cr under PSLC SF/MF) stood at ₹**22722 Crore.**

- **Credit to Minorities i**s on 31.03.2020, bank is having 335 branches in Minority dominated Districts. Of the Bank's total network across the country, the percentage of Branches in minority dominated Districts stood at 8.33 % (i.e., Rs 6309 Crs) as on 31.03.2020.
- **NPA under Agriculture** Out of total Agricultural advances of ₹37673 Cr (including Agri-Non priority) as on 31.03.2020, NPA under Agriculture is ₹ 1879 Cr which is 4.99% of Gross Agril. Advances as against 4.65 % during previous year.

Credit to MSME Sector:

Parameter (₹ in crore)	31.03.19	31.03.2020	YoY Growth
Micro	11958.68	10487.05	- 1471.63
Micro & Small Enterprises	24628.83	22348.14	- 2280.69
Total MSME	32876.40	29834.01	- 3042.39

- Lending to Micro Enterprises is at 7.51% (average) of Bank's total ANBC for the year ended March 2020 which has surpassed the statutory sub target of 7.50% stipulated by RBI.
- During the FY 2019-20, Branches have sanctioned 2,76,430 (including 212054 PMJDY-Over Drafts) MUDRA loans with aggregate sanction limit of ₹2009.78 crore and an amount of ₹1914.10 crore is disbursed as on 31-03-2020.
- With a view to increase transactions under TReDS enabling MSMEs to overcome the problem of delayed realization of their receivables, bank has set-up an exclusive TReDS cell under MSME Department HO.
- As on 31.03.2020, Bank has discounted 786 bills amounting to Rs 259 Crs through TReDS Cell, HO with an income of ₹ 5.22 Crs.

Retail Lending: The Bank's Retail Credit portfolio stood at ₹ 40,985 crores as on 31.03.2019 as against ₹ 43,614 crores as on 31.03.2020 with year on year growth of ₹ 2,628 Crs. The segment has registered a growth of 6.41% on YOY basis including deposit loans and credit card.

- Housing loans portfolio has increased from ₹ 20,105 Crs as on 31.03.2019 to ₹ 20,951 Crs as on 31.03.2020 with an absolute growth of ₹ 847 crs registering a growth rate of 4.21% on yoy basis.
- Non – Agricultural Gold Loans (NAGL) portfolio has increased from ₹ 3,062 Crores as on 31.03.2019 to ₹ 3,870 Crores as on 31.03.2020 with an absolute growth of ₹ 808 Crores registering a growth rate of 26.40% on yoy basis.
- Other Retail Loans Portfolio has increased from ₹ 5,698 Crores as on 31.03.2019 to ₹ 7,022 Crores as on 31.03.2020 with an absolute growth of ₹ 1,324 Crores registering a growth of 23.23% on yoy basis.

Advances – Industry wise Exposure: Bank has loan exposure to various sectors like Housing Loans, NBFCs, Power, Iron & Steel, textiles, etc. Exposure to top 10 industries constitutes 48.53% of previous quarter Fund Based exposure as on 31.03.2020, signifying a diversified loan portfolio.

Industry wise Exposure of Advances

(₹ in Crore)

Sl.	Industry	Ceilings as % of Total Advances of previous Quarter	Actual Fund based Exposure (Credit+ Investment+ derivative) as on 31.03.2020	FB Exposure as % of Total Exposure (Credit + Investment + derivative) of Previous Quarter i.e. 31.12.19
1	Housing Loans (Direct+Indirect)	18.00%	27797.26	14.34%
2	NBFC (including HFCs)	12.00%	19769.84	10.20%
3	Power	12.00%	13949.06	7.20%
4	Construction& Contractors	5.00%	8278.24	4.27%
5	Iron & Steel	7.00%	5766.77	2.98%
6	Textiles	6.00%	4693.25	2.42%
7	Rice Mills	3.00%	4416.09	2.28%
8	Petroleum Products	5.00%	4020.67	2.07%
9	Commercial Real Estates	4.00%	2708.79	1.40%
10	Engineering	3.00%	2659.28	1.37%
	Total		**94059.25**	48.53%

INVESTMENTS: In terms of RBI guidelines, the Bank is required to invest in SLR securities to the extent of 18.25% of NDTL. Bank's investment decisions are based on risk-return trade-off and bank is scrupulously following the regulatory and internal guidelines. Statutory prescriptions relating to Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) are complied with and being monitored on a continuous basis. Risk Management in treasury operations has been strengthened further by undertaking stress testing and back testing of the investment portfolio at quarterly intervals, besides daily monitoring of Duration and Value-at-Risk (VaR). External rating migration of the bonds and debentures portfolio is also being monitored on quarterly basis.

As on 31.03.2020, the Investments (net of depreciation) decreased by 2.58% and stood at ₹ 61331.17 Crore, down from ₹62953.09 Crore as on 31.03.2019. SLR maintained as on 31.03.2020 was ₹ 44238.66 Crore, which constituted 19.41% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL). Interest income from investments decreased from ₹ 4558.05 Crore in FY 2018-19 to ₹ 4358.10 Crore in FY 2019-20. Profit on sale of investments stood at ₹ 730.75 Crore during FY 2019-20, while it was ₹83.72 Crore during FY 2018-19.

Classification of Investments

(₹in Crore)

PARTICULARS		FY 2018-19	FY 2019-20	Var (%)
1.	Government Securities	57479.76	57620.02	0.24
2.	Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00
3.	Shares	515.17	346.30	-32.78
4.	Debentures & Bonds	2512.22	2280.76	-9.21
5.	Subsidiaries and / or Joint Ventures	359.16	360.18	0.28
6.	Others (Mf, VCFs, SRs)	2086.78	723.91	-65.31
TOTAL (1 to 6)		**62953.09**	**61331.17**	**-2.58**

Strategic Investments:

- **Joint Venture in Insurance: India First Life Insurance Company Ltd** was incorporated on 19.06.2008 having shareholding of 44%, 30% and 26% by Bank of Baroda, Andhra Bank and Legal & General Insurance, UK respectively. Carmel Point Investments India Private Limited acquired 26% stake from Legal & General Middle East Limited ("L&G") of UK. Our investment in the life insurance venture is ₹187.50 Crore. The joint venture commenced business on 16.11.2009.
- **Banking Joint Venture in Malaysia: M/s. India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB)** was incorporated in Malaysia on 13.08.2010 with a shareholding of 40%, 25% and 35% by Bank of Baroda, Andhra Bank and Indian Overseas Bank respectively. The Bank's stake in the venture is 25%, amounting to RM 82.50 Million (book value ₹ 143.28 Crore), in a total subscribed capital of RM 330 Million (approximately ₹ 578.00 Crore @ 1 RM = ₹ 17.5150 as on 31.03.2020). The joint venture commenced business on 11.07.2012.

Treasury & Forex Business: The Bank is an 'Authorised Dealer', to deal in foreign exchange business through 57 designated 'B' category branches of the Bank. Systems have been put in place for management of country risk, exchange risk and other foreign exchange risks. The country risk exposures for single country risk limit and aggregate risk limits for the group of countries under each risk category are fixed and are being monitored on daily basis.

- During FY 2019-20, the Bank recorded a merchant turnover of ₹ 31,982 Cr in Forex, as compared to ₹ 37,733 Cr during FY 2018-19
- During the FY 2019-20, the profit on Forex transactions is ₹ 270.97 Cr, when compared to ₹ 308.19 Cr during the FY 2018-19.
- The Bank recorded Inter-Bank turnover of ₹ 10,72,145 Cr during FY 2019-20, when compared to ₹ 11,44,818 Cr during FY 2018-19.
- Export finance of the Bank stood at ₹ 3,434 Cr. as on 31.03.2020, when compared to ₹ 3,742 Cr. as on 31.03.2019.

CREDIT CARD BUSINESS: Our Bank is a Pioneer in Credit Card Business, both as Issuer and Acquirer (merchant Business) since 1981. Our Card base increased to 3,03,962 as against card base of 3,01,234 for the Year ended March 2019.The total card dues of Credit Cards has increased from ₹443.64 Crores as on 31st March 2019 to ₹ 462.91 Crores as on 31st Mach 2020.The turnover of Credit Cards has increased from ₹ 1,690.34 Crores for the Year ended March 2019 to ₹ 1,774.75 Crores for the Year ended March 2020.The Division has made a net profit of ₹ 66.12 Crores for the Year ended March 2020 showing a growth rate of 5.91% as against ₹ 62.43 Crores for the Year ended March 2019.

MERCHANT BANKING SERVICES: The Bank is having the following two Registrations with SEBI:

1. Debenture Trustees
2. Bankers to an Issue

The Bank is not undertaking any activities as Category –I Merchant Bankers or Debenture Trustees and Merchant Banking registration was surrendered in 2017-18. The Bank is attending to the requests and redressing the grievances of the shareholders of the Bank with regard to equity and dividend related issues, in coordination with the Banks' Registrars & Share Transfer Agents, M/s MCS Share Transfer Agents Limited, Mumbai.

- **Raising of equity capital for the Bank**: During the financial year 2019-20, the Bank has raised equity of Rs 200 crore from Government of India on preferential basis. The Bank has also raised ₹ 192.60 crore by way of allotment of Ten Crore Equity Shares to eligible employees of the Bank under ANDHRA BANK EMPLOYEES STOCK PURCHASE SCHEME at a discounted price of Rs 19.26p. per share. The said shares have been allotted on 24.04.2019.
- **Raising of Debt Capital of the Bank:** During the financial year 2019-20, the Bank has not issued any debt bonds.
- **Rating of Debt Bonds and Certificate of Deposits borrowings of the Bank:** The Bank is availing the services of M/s CARE Ratings India Limited and M/s CRISIL Limited for rating of the Debt Bonds and CD issues of the Bank.
- **Payment of annual interest on the debt capital raised by the Bank:** The Department is making the payment of annual interest to the bondholders as on the respective due dates.
- **Payment of dividend on the equity shares:** NIL
- **Holding of General Meetings:** The 19th Annual General Meeting of shareholders of the Bank was held on 29.07.2019 and obtained their approval for adoption of annual accounts of the Bank for the FY ended 31.03.2019. Department also conducted Extra-ordinary General Meeting on 26.02.2020 for approval of shareholders for issue of shares to Government of India on preferential basis to the tune of ₹ 200 crore
- **Compliance with SEBI Regulations/ Guidelines and Provisions of Listing Regulations:** The Bank has complied with the SEBI Regulations/ Guidelines issued from time to time. Bank is complied with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- **Transferring the Unpaid/Unclaimed Dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF):** In terms of

the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed or unencashed for a period of seven years is requested to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. During the FY 2019-20, the Bank has transferred unclaimed/unpaid dividend amount pertaining to the year 2011-12 to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Secretarial Audit: Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated 08.02.2019, M/s. D. Hanumanta Raju & Co., Practicing Company Secretaries had been appointed as the Secretarial Auditor of the Bank for the FY 2019-20. The Secretarial Audit of the Bank was conducted for the full year in respect of the matters as prescribed in the said circular and as set out in the Secretarial Audit Report for the financial year 2019-20 which is provided as an annexure to this report.

The Secretarial Audit firm has not given any qualification in their report but has given some observations / suggestions to improve the Corporate Governance practices followed by the Bank.

A gist of the same is given hereunder:

- There are four vacancies on the Board of the Bank under Section *9(3)(h)* and one vacancy each under *Section 9(3)(e) and Section 9(3)(f)* of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act) which are to be nominated by the Central Government.
- The Nomination Committee and Remuneration Committee of the Bank are constituted separately on the basis of RBI and Ministry of Finance circulars respectively.
- During the year 2019-2020, Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred under Section 47A (1) (c) read with the Sections 46(4) (i) and 51(1) of Banking Regulation Act, 1949, has imposed a monetary penalty of ₹25 lakhs on the Bank for non- compliance with certain provisions of directions issued by RBI on Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) Standards and opening of Current Accounts.

At the outset, the management is thankful for the comments, observations and suggestions of the Secretarial Audit team. Being a Nationalised Bank, the composition of the Board is governed by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and subject vacancies are required to be filled up by the Central Government. The position of vacancies was intimated on regular basis to the Government of India.

BANCASSURANCE & FEE-BASED PRODUCTS: The Bank has been constantly focusing on augmenting non-interest income through diversification of income streams by taking up marketing of life and non-life insurance products, Mutual fund products, Depository Services, Direct taxes, Commercial Taxes, Municipal Taxes, Utility payments, Payment gateway services, Auto-Debit facilities etc.

➢ **Life Insurance:** Our Bank along with Bank of Baroda and Legal & General Group Plc of UK has formed a joint venture life insurance company named India First Insurance Co Ltd and it was formally launched in the month of March 2010. Now M/s Carmel Point Investments India Private Limited has acquired the shareholding of Legal & General group in 2018-19.During the financial year 2019-20, total New Business premium (including Retail and Group business) of Rs 210.89 crore was mobilized. Renewal premium of Rs 381.95 crore was collected upto 31.03.2020. Bank earned commission of Rs 24.32 crore from sale of Life Insurance Policies.

➢ **Non-Life Insurance:**The Bank has a tie up with M/s United India Insurance Co Ltd for General Insurance and Health Insurance, M/s Reliance General Insurance Co Ltd for General Insurance and has also tied up with M/s ManipalCigna Insurance Co Ltd for Health Insurance. During the year the Bank has mobilized the premium of Rs 242.94 crore and earned a commission of Rs 36.48 crore under General and Health Insurance.

➢ **Payment Gateways and Mutual Funds:**The Bank is having a tie-up with 12 Payment Gateways and 11 Mutual Fund companies.Bank has earned a commission of Rs 1.61crore.

➢ **Fee Based Income:** Bank has earned fee based income of Rs 237.14 crore.

➢ **Depository Services:** Bank is offering Depository Services to the public under the brand name of "AB Demat". The Bank is a Depository Participant (DP) with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as well as with National Securities Depository Limited (NSDL). The Bank has opened 190 Demat a/cs in FY 2019-20 and earned a commission of ₹42.28 Lakh

IT Initiatives: During FY 2019-20 your Bank has taken the following I.T. initiatives to improve Customer Service:

➢ FEBA- Finacle E Banking Application – new features added: Aadhaar mapper status facility is enabled for retail Internet Banking custome₹ This facility provides Bank name with which the Aadhaar Number is mapped at NPCI. The pre-requisite is that, the customers Aadhaar number should be fed in the customer master under Value added services. Addition is validated with OTP through registered mobile.

➢ Mobile Banking Application (UPI):Andhra Bank ONE UPI Android application is integrated with M/s MSEWA API for purchase of gift cards, coupons and recharges. Application is available for customers from 19th Mar 2020.

➢ Extending Interest subvention for KCCFI (Fisheries) and KCCAH (Animal Husbandries) schemes and related Reporting formats: For the year 2019-20 Government extended the interest subvention to Fisheries and Animal Husbandry Farmers also (Up to 2 lakhs). DIT customized the interest subvention process flow by including KCC accounts in Fisheries and Animal Husbandry.

➢ Initiating application status to the borrower on submission of application as SMS alert:DIT customized a new menu LOANMIS for capturing the fields like Application received date, borrower name, Loan Amount, Application status etc., in CBS. SMS alert will be sent to the borrower mobile

number given in the loan application. SMS alert will be sent on completing entry process of application and at the stage of sanction/Rejection of application.

➢ NPCI API services like Account Information Fetch, PAN card seeding check, Aadhaar seeding at NPCI mapper: NPCI has provided some value added services to banks in the form of API for providing better customer services at Bank/Branch level with respect to NACH related Activities.Following API's published by NPCI has been implemented by eAB:

- Obtaining "PAN" by giving account number as input
- Getting Account status (For other bank Account)
- Request for account holder name (For other bank Account)
- Aadhar Seeding/Deseeding at NPCI mapper.

NETWORK EXPANSION: As on 31.03.2020, Bank had 6671 Delivery Channels consisting of 2874 Branches, 4 Extension Counters and 3793 ATMs including BNAs/ CRs spread over 26 States and 3 Union Territories. The Bank has 44 Specialized Branches catering to the needs of the specific segments of clientele.

Population Group Wise classification of Branches

Sl. No.	Category	Number	% to total
1	Metro	712	24.77
2	Urban	652	22.68
3	Semi Urban	763	26.55
4	Rural	747	26.00
	TOTAL	2874	100

The Bank had 44 Specialized Branches, as detailed hereunder:

S. No.	Category of Specialized Branches	No. of Brs.
1	Specialised SME Branches	17
2	Specialised Argicultural Finance Branches	1
3	Specialised Agri - Hitech Branches	6
4	Specialised Housing Finance Branches	4
5	Specialised Personnel Banking Branches	4
6	Specialised NRI Branches	1
7	Corporate Finance Branches	2
8	Auto-Tech Finanace Branch	1
9	Overseas Branch	1
10	Asset Recovery Management Branches	6
11	Small B Branch	1
	TOTAL	**44**

Presence in Minority-Dominated Districts: At the end of 31.03.2020 we are having 335 branches in Minority dominated Districts. Of the Bank's total network across the country, the percentage of Branches in minority dominated Districts stood at 11.60 % as on 31.03.2020.

Andhra Bank Rural Development Trust: Andhra Bank Rural Development Trust is running 14 Rural Self Employment Training Institutes in A.P (9), Telangana (2), Odisha (2), & Kerala (1) states and imparting need based training for capacity building/entrepreneurial development and dissemination of knowledge to farmers, SHG women, Rural unemployed youth and artisans. ABRDT also running 1 Skill Development Institute in RangaReddy Dist., Telangana. Since inception, 190412 candidates have been trained through 6649 programs by the Institutes and around 78.59% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. 55.08% of settled candidates are credit linked by the Bank branches. During the year FY 2019-20, the institutes imparted training to 9115 candidates through 351 programs. All 12 RSETIs under RSETI scheme of MoRD awarded with highest rating "AA" by Ministry of Rural Development, Govt. of India for the year 2018-19. Andhra Bank has received Best Performing Bank Award for RSETIs (2nd Rank) for the year 2018-19. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director of the Bank received the Award from Sri Narendra Singh Tomar, Hon'ble Union Minister for Agriculture & farmers Welfare, Rural Development and Panchayati Raj, Govt. of India at NASC, PUSA, New Delhi in a grand National Awards Distribution function organized by the Ministry of Rural Development, Govt. of India on 19.12.2019.NIRED Rajam, one of the RSETIs sponsored by Andhra Bank which is situated in Srikakulam District, Andhra Pradesh received Best performing RSETI award for the year 2018-19 from MoRD, Govt. of India on 19.12.2019.

QUALITATIVE ASPECTS:

Risk Management: The Bank had a comprehensive "Integrated Risk Management Policy" for the management of Credit risk, Market risk and Operational risk as per the guidance notes/ guidelines issued by the Reserve Bank of India. The Department is preparing and reviewing the following policies on annual basis.

i. Credit Risk Rating Policy
ii. Model Risk Policy
iii. Credit Risk Data Management Policy
iv. Credit Risk Management Policy
v. Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy
vi. Risk Based Pricing and Performance Management Policy.
vii. Operational Risk Management Policy
viii. Market Risk Management Policy
ix. Asset Liability Management Policy
x. Integrated Risk Management Policy
xi. Integrated Investments & Forex Policy

Apart from the above, the following policies are also framed by the department:

1. Stress Testing Policy
2. ICAAP Policy
3. Disclosure Policy
4. Outsourcing policy – Non-IT activities
5. Policy on hedging of foreign currency exposures of the borrowe₹

All the policies shall be reviewed annually.

Credit Risk:

Credit Risk Management Committee is responsible for implementation of the Credit policies approved by the Board and RMC. The Bank has a well-defined 'Loan Policy' duly approved by the Board prescribing standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance, etc.

Bank also is having in place the Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy, Credit Risk Rating Policy, Loan Recovery and NPA Management Policy. The Bank has in place comprehensive risk rating system for various categories of exposures. Bank has established a Rating cell for assigning internal ratings for all exposures of Rs 5 Crore and above. The Rating cell vets the internal rating given by the branch / Zonal office / Circle Office and assigns final rating. The Rating cell ensures comprehensive rating coverage, integrity of rating process and proper data maintenance. The Bank utilizes industry reports from CRISIL and the industry risk score service from CRISIL Research. Credit risk Cell is computing MCLR on monthly basis.

Market Risk: Market risk implies possibility of loss arising out of adverse movements of market determined rates and prices. The objective of market risk management is to avoid excessive exposure of Bank's earnings and equity to such losses and to reduce Bank's exposure to the volatility inherent in financial instruments such as securities, foreign exchange contracts, equity and derivative instruments, as well as balance sheet or structural positions. The Bank has in place a well-defined 'Market Risk Management Policy' and an organizational structure for market risk management functions. The Bank manages market risk through 'Asset-Liability Management (ALM) policy and 'Investments/Forex policy'.

A high level Executive Committee viz. Asset-liability Committee (ALCO) oversees the ALM in the Bank and deliberates on liquidity and interest rate scenario in the market and decides upon the pricing of various products. ALCO regularly monitors the identification, measurement, monitoring and mitigation of market risk in liquidity, interest rates, equity and forex areas.

The 'liquidity risk' is measured and managed through 'gap analysis' for maturity mismatches based on residual maturity. For assets and liabilities, which are of non-maturity nature, Bank is conducting behavioural studies and factoring the observations in the gap analysis. The behavioural study findings are subjected to back-testing and are validated regularly. Prudential limits are fixed for net gaps and also for cumulative gap up to one year and these limits are measured and monitored regularly. Liquidity profile of the Bank is also measured regularly through various liquidity ratios and monitoring of the same is done with the help of internal limits fixed thereon.

The 'interest rate risk' is monitored on a regular basis through 'Maturity gap analysis' and 'Duration gap analysis'. Tolerance limits have been fixed for impact on Net Interest Income (NII) due to adverse changes in interest rates. To measure the impact of interest rate changes on Bank's equity, duration gap analysis is done and prudential limit is set for modified duration of equity. Modified duration of equity is within the prudential limits set for this purpose. VaR and duration analysis are used for measuring market risk including treasury operations. The Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is also being assessed on a monthly basis.

Other market related risks to which any bank is exposed are foreign exchange risk on foreign currency positions, liquidity or funding risk and price risk on trading portfolios. The Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are revised regularly at fixed intervals in line with the changes in financial and market conditions.

Operational Risk: Management of Operational Risk is a part of the 'Integrated Risk Management Policy' and the Bank has a focused attention for management of the Operational Risk, in the light of the Reserve Bank of India guidelines. Operational Risk Management Cell is responsible for coordinating all the operational risk management activities of the bank and these include building an understanding of the risk profile, implementing tools related to operational risk management and working towards the goals of improved controls and lower risk. Operational Risk Management Committee [ORMC] ensures implementation and compliance of the Operational Risk policies and reports to the Board/Risk Management Committee [RMC]. The Bank has been computing capital charge for Operational risk by adopting 'Basic Indicator Approach' (BIA) as stipulated by the RBI.

Approaches followed for computation of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR): As per RBI guidelines, all Commercial banks in India shall follow the Standardised Approach for Credit risk, Standardized Duration Approach for Market risk and Basic Indicator Approach for Operational risk under the 'New Capital Adequacy Framework".

Credit Risk: Bank at present is following the Standardized Approach for estimation of capital requirements for Credit Risk which also includes the HTM portfolio of Investments. Bank is gearing itself to move over to Advanced approaches for Credit risk. In this regard, Bank has developed a Credit Risk Rating Model (CRRM) with the consultancy assistance of National Institute of Bank Management (NIBM), Pune. This model is further strengthened internally by making it a WAN (Wide Area

Network) based CRRM model so that it is accessible from any of the locations of the bank. This model is capable of providing transition matrices and default probabilities (Probability of default) and would help the Bank in moving over to the Advanced Approaches in future.

Market Risk: Bank is using the Standardized Duration method for computing capital charge for Market risk (investments in HFT and AFS categories) as per RBI guidelines.

Operational Risk: Bank is providing capital for Operational risk as per the Basic Indicator Approach (BIA).

Preparation for moving over to Advanced Approaches: Bank is in the process of migrating to Advanced Approaches through implementation of an Integrated Risk Management Solution.
Bank's compliance to RBI guidelines on Basel requirements:

Pillar – I (Minimum Capital requirements): RBI has introduced in its Basel III guidelines the following enhanced capital requirements and has also prescribed transitional arrangements to conform to these requirements in a phased manner by September 30, 2020.

	Regulatory Capital	As % to RWAs
(i)	Minimum common Equity Tier 1 ratio	5.5
(ii)	Capital conservation buffer (comprised of Common Equity)	2.5
(iii)	Minimum Common Equity Tier 1 ratio plus capital conservation buffer [(i)+(ii)]	8.0
(iv)	Additional Tier 1 Capital	1.5
(v)	Minimum tier 1 capital ratio [(i)+(iv)]	7.0
(vi)	Tier 2 capital	2.0
(vii)	Minimum Total Capital Ratio (MTC) [(v)+(vi)]	9.0
(viii)	Minimum Total Capital Ratio plus capital conservation buffer [(vii)+(ii)]	11.5

* RBI vide its notification dated 27.03.2020 has deferred the implementation of last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from 31.3.2020 to 30.9.2020.

The Bank is calculating its Capital Adequacy in accordance with Basel II & Basel III guidelines. The Bank's Capital Adequacy at present is in conformity with the transitional arrangements for Basel III as prescribed by RBI. However, to meet the growing business requirements, the Bank may have to supplement its Capital funds, especially by increasing Common equity in future.

Pillar – II (Supervisory Review & Evaluation Process) : In compliance with the Pillar–II guidelines of the RBI under Basel III framework, the Bank has formulated a Policy of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess internal capital in relation to various risks that it is exposed to. Stress Testing and scenario analysis are used to assess the financial and management capability of the Bank to continue to operate effectively under exceptional but plausible conditions. The bank is calculating the Concentration risk on a quarterly basis to assess the portfolio level risks based on sectorial, geographical and borrower wise concentration. Bank is using statistical parameters like Herfindahl-Hirshman Index (HHI), Gini Coefficient, and Rosenblatt Index for determining the Credit Concentration Risk. The Bank has a Board approved Stress Testing Policy describing the various techniques used to gauge its potential vulnerability and also its capacity to sustain such vulnerability.

Pillar – III (Market Discipline): The Bank has a Disclosure Policy as per the disclosure requirements contained in the circular issued by the Reserve Bank of India on the implementation of the Basel III Capital Regulations. The guidelines therein are adhered to and compliance is reported to the Competent Authorities. Pillar-III (Market discipline) of Basel III, aims to encourage Market discipline by developing a set of disclosure requirements which allows market participants to assess key pieces of information on the scope of application, capital, risk exposures, risk assessment processes and hence, the capital adequacy of the Bank. The Pillar–III Disclosures are published on a quarterly and half yearly basis on the Bank's website plus a year-end disclosure as on March of every year. The Pillar-III year-end disclosures are also published in the Bank's Annual Report apart from being available on the Bank's website.

In addition to the above, RBI has introduced several other measures of leverage and liquidity standards viz.

➢ A minimum Leverage Ratio of 4.00% (DSIB) and 3.50% (other banks) to curb the excessive leverage of a bank's balance sheet; and Liquidity standards by way of two ratios viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).

The LCR requires a bank to hold sufficient high-quality liquid assets to cover its total stressed net cash outflows over 30 days. The NSFR requires a bank to hold sufficient amount of stable funds to meet the requirement of stable funding over a one-year period of extended stress. The Bank is regularly calculating and monitoring the Liquidity ratios taking as reference the RBI guidelines issued for LCR and NSFR. The Bank is also calculating and monitoring the Leverage ratio on a quarterly basis.

Management of Asset Quality: Gross NPAs of the Bank stood at ₹28708.54 Cr as on 31.03.2020. Gross NPAs as a percentage to Gross Advances stood at 16.07% while Net NPAs as a percentage to Net Advances stood at 4.92%. The Provision Coverage of NPAs as on 31.03.2020 was 72.95%. Total reduction in NPA accounts amounted to ₹ 6165 Crore.

Position of Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

	2017-18	2018-19	2019-20
Gross NPAs at the beginning of the year	17669.98	28124.36	28973.97
Additions during the year	13864.23	5274.94	5899.84
Reduction during the year	3409.85	4425.33	6165.27
Gross NPAs at the end the year	28124.36	28973.97	28708.54
Net NPAs	12636.87	9091.40	7764.52

The segment-wise distribution of NPAs as on 31.03.2020 is as under:

Segment-wise Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

Segment	NPA Amount	NPA % to ADV*
I. Agriculture	1878.68	4.99%
II. MSME	5562.77	18.65%
III. Retail Credit	1730.33	3.97%
IV. Large & Mid Corporate	19536.76	28.93%
Total	28708.54	16.07%

*NPA% to Advances indicates NPA to Advances of that segment.

Provisions held under different classes of NPAs are as under: (Excluding floating Provisions of ₹ 13 Cr.)

(₹ in Crore)

Nature of Asset	Outstanding	Provision Held
Sub-Standard Assets	4386.66	906.12
Doubtful Assets	20260.49	15919.77
Loss Assets	4061.39	4061.39
Total	**28708.54**	**20887.28**

Restructuring mechanism: The total balances in restructured accounts (Including MSME Restructuring) as at the end of March 2020 stood at ₹1611.03 Crore

Lending Practices: The Bank had framed well defined Loan Policy Guidelines with the approval of the Board. These guidelines are reviewed by the Board at periodical intervals based on Reserve Bank of India guidelines, Bi-monthly Policy Statement of Reserve Bank of India, competitive environment prevailing among the banks, for accelerated credit growth envisaged in certain business segments, marketing & development of new products and taking into account the feedback received from the field level functionaries, credit departments at Head Office.

Credit Committees have been constituted in the Bank at Head Office, Circle Office and Zonal Office levels for exercising sanctions of credit proposals and suitable sanctioning powers have been delegated to these committees in terms of directions of Ministry of Finance. Further, based on feedback received from field level functionaries, the delegated powers of various sanctioning authorities are reviewed and revised to reduce turnaround time in the sanction of credit proposals. The loan review mechanism is further strengthened in the Bank ensuring review of sanctions made by all functionaries by the next higher committees / competent authorities as the case may be.

Management Information System: Bank has developed a robust Management Information System which captures data essential for vital functions such as risk management and planning and which serves as an effective tool for the Top Management in decision making. This has facilitated quick decision making. The Bank is in a position to analyse performance in major parameters even on a day to day basis using the information system available. Leveraging on the CBS platform of the Bank, the MIS has facilitated speedy decision making and its implementation.

Inspection & Audit: During the audit year 2019-20, department has surpassed the targets prescribed in audit plan:

- 1939 branch audits were completed under RBIA against the set target of 1784 for FY 2019-20 and 1932 reports were closed by the competent authority, as on 24.06.2020.
- 75 Management audits were conducted covering all 6 Circle / 36 Zonal offices and 33 Head office departments on selected basis.
- Annual inspection of 69 other administrative offices viz., RLE, SME, Currency chest, FSCs and Regional Rural Bank conducted.
- 1117 Limited Review of Revenue leakage audit conducted.
- Compliance audits were conducted for 902 branches.
- Average days for closure of inspection reports improved to 63.92 against 72.74 of previous year.
- 41, IS Audits were conducted during FY 2019-20, covering all IT installations, software audits, audit of outsourcing activities and Registration Authority (RA)
- Conducted Concurrent IS audit of Data Centre by internal IS Auditor on daily basis.
- Coordinated and associated with external Auditor M/s DigitalAge for conducting audit of CBS & Surround applications of 75 areas and VAPT for more than 500 servers and URLs.

Concurrent Audit: 666 auditors were appointed during 2019-20 for conducting concurrent audit covering 655 branches, 3 CTS Grids and 7 head office departments to cover 70% of business of the Bank as per RBI & DFS guidelines.

Off Site Monitoring Cell (OSM Cell): Based on the report submitted by Shri BasanthSeth committee, OSM cell generates the reports of high value/critical transactions happened at branches on previous day, scrutinize them and sensitize the controlling offices/Branches for taking corrective action wherever deficiencies are noticed in following the laid down systems and procedures. Besides sending the alerts, OSM cell reviews transactions based on different parameters and seek information/clarifications from branches regarding the transactions which they find critical or suspicious.

Department is generating and reviewing 97 alerts on daily / weekly / monthly basis, out of which 81 are as per Basanth Seth committee recommendations and remaining 16 are as recommended by internal committees and Head office verticals. Department is also monitoring the Transactions of ₹ 10 crs and above for every 2 hrs.

Compliance Policy: The Bank has in place a comprehensive Compliance Policy. An executive of the Bank in the rank of Deputy General Manager has been appointed as the 'Chief Compliance Officer'. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various departments at Head Office, Zonal Offices and Branches. Compliance of statutory and regulatory guidelines is the scope of operation of the compliance function in the Bank. Suitable reporting system is put in place to ensure effective

implementation of Compliance Policy in the bank.

Legal

- **SARFAESI Act:** During the Financial Year 2019-20, 370 secured assets were sold and an amount of ₹ 282.81 Cr was recovered by selling the secured assets under SARFAESI Proceedings. Total cash recovery effected by the bank during the FY 2019-20 under SARFAESI Proceedings is ₹ 934.31 Cr.
- **Lok Adalats:** Recovered an amount of ₹ 2.85 Cr in 551 accounts during the FY 2019-20.
- **RTI Act:** 1440 Requests and 308 Appeals were received under RTI Act during the FY 2019-20. All the Requests and Appeals were disposed off on time.

Customer Service : Bank received 95,810 complaints through various channels viz. Public Grievance Redressal System (Portal), Banking Ombudsman and Departments like NEFT Cell, RTGS, Credit Card, CPPC, Retail Credit, MSME, Priority Sector, ATM Cell, Marketing & HR during the year 2019-20 and resolved 95,667 (99.85%) complaints and as on date all the pending complaints have been since resolved.

- Complaints lodged through Public Grievance redressal System Portal have been resolved in an average time period of 7.11 days as against the prescribed time frame of 21 days.
- No Awards were passed by Offices of Banking Ombudsman for the year 2019-20.
- Our Bank has received IBA prestigious Banking Technology award 2020 - “The Most Customer-Centric Bank using Technology” as a winner in mid-sized public sector Banks.
- No penalties are paid to the cardholders towards delayed settlement of ATM failed transactions.
- To strengthen the grievance redressal mechanism, we have analysed the data of complaints lodged in Public Grievance Redressal Portal (PGRS) and conducted Root Cause Analysis and identified major areas of complaints and corrective action is taken for improving customer protection, customer service and grievance redressal framework.
- Dissemination of messages on public awareness (RBI Kehta Hai) are uploaded in Bank’s Website under caution to Public link as per the directions of IBA.

Human Resources Management

Manpower Planning: To augment the existing manpower, 1250 clerks were inducted during the financial year 2019-20.

Career Progression: Bank completed the promotion process for **1220** employees in all cadres for the year 2020-21.

Skill Up gradation & Training: The Banks ISO 9001:2015 certified Apex College in Hyderabad caters to the training needs of all its employees across all Zones in India except for the employees working in the 12 Zones of the Bank in Orissa, West Bengal and in the coastal districts of the state of Andhra Pradesh whose training is taken care of by the Staff College located in Visakhapatnam.

During the year the colleges conducted training programs and workshops on Credit Appraisal/ monitoring/recovery management, Forex, Product awareness, soft skills development, refresher course, official language, Pre-promotion training, Audit/ Inspecting Officers and various other subjects. The colleges also conducted induction training programs for the newly recruited staff members.

During the financial year 2019-20, 487 in house Training Programs were conducted at Apex College Hyderabad & Staff College, Visakhapatnam covering 11949 employees.

With an aim to enhance the knowledge and productivity levels of the officers, 542 Officers were nominated for external trainings conducted by reputed institutes like NIBM, RBI-CAB, IDBRDT & FEDAI, in addition to the regular trainings conducted at our Apex College Hyderabad and STC Visakhapatnam. In addition, 6 Officers/Executives were also sent to external programmes conducted abroad.

E-learning : The Apex College maintains Navshakti e-gyan portal for catering to the online e-learning training needs of the staff members In the e-gyan portal, a number of e-lessons/ short e-lessons are uploaded which can be accessed by the staff members anytime, anywhere and on any device. Upto March 2020, all APAR linked General Banking, Role based and Executive online tests were conducted at approved intervals.

As per the directives of the Government of India, through “Ease of Access Service Excellence “(EASE) document, during the year 2019-20, as many as 12 General Banking Tests were conducted for officers of Scale-I to Scale-V and 4 Role based tests for Scale-II to Scale-IV for a total of 10 job roles and 8 tests for Top Executives. The marks scored were considered for appraisal (APAR) on successful completion of e-lessons.

Industrial Relations : With a view to maintain cordial Industrial relations in the bank and to sort out the issues to enhance the working conditions as well as customer service, Quarterly meetings were held with the representatives of the recognized Officers’ Federation and the Award Employees’ Union.

Succession Planning: As part of succession planning initiative, Bank has created a talent pool in various grades and these officers are groomed by providing intensive training programmes on various fronts, to occupy the top key posts in the years to come.

HR Digitalisation: Our Bank has initiated implementation of various online staff related modules on par with other Banks, viz., online submission of statement of Assets & Liabilities and APAR in case of officers, submission of leave applications, employee profile view, job families etc.

Staff Strength as on 31.03.2020:

Category	Strength	% to total
Officers	11027	54%
Clerks	6435	32%
Sub Staff*	2902	14%
Total	**20364**	**100%**

*Excluding Part Time Sweepers.

SC/ST/OBC Profile: Our Bank has been implementing

reservation policy for SCs & STs as per Government of India guidelines. The representation of SCs and STs is 4250 and 1833 respectively in total workforce of 21433 working in the Bank as on 31st March 2020. Out of the total of 11027 Officers, 1929 belong to SC category and 1005 belong to ST category. Bank has nominated a General Manager as Chief Liaison Officer for SCs & STs at Head Office to ensure proper implementation of Government guidelines on reservation policy in the Bank. Bank has nominated all the Zonal Managers as Liaison Officers for SCs & STs at Zonal level to address the grievances, if any, of SC & ST employees. Bank has been conducting Quarterly Joint Meetings with the representatives of "Scheduled Castes & Scheduled Tribes Employees' Welfare Association of Andhra Bank". Our Bank has been implementing reservation policy for Other Backward Classes (OBCs) with effect from 08.09.1993 as per Government of India guidelines. The representation of OBCs is 6360 out of the total work force of 21433(inclusive of part time sweepers) working in the Bank as on 31st March, 2020. Bank has nominated a General Manager as Chief Liaison Officer for OBCs at Head Office to look after the reservation and other welfare matters related to OBCs. Bank has nominated all second line executives at Zonal Office as Liaison Officers for OBCs at Zonal level to address the grievances, if any, of OBC employees. Bank has been regularly conducting Half Yearly Joint Meetings with the representatives of "All Andhra Bank BC Employees' Welfare Association".

Differently Abled Persons : As per Government of India guidelines, our Bank has provided 3% reservation to the Persons with Disabilities in direct recruitment to all Group of posts, of which one per cent each reserved for persons suffering from (i) blindness or low vision, (ii) hearing impairment and (iii) locomotor disability or cerebral palsy in the posts identified for each disability on horizontal basis till 18.04.2017. As per the new Act "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, came into force with effect from 19.04.2017, and as per the directions received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India, New Delhi, Bank has been providing reservation for Persons with Disabilities at the rate of 4% of the total vacancies identified in all cadres, of which one per cent each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) & (c) and one per cent for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely;

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.

The representation of Persons with Disabilities is 689 (3.21%) out of the total workforce of 21433 as on 31st March, 2020.

OFFICIAL LANGUAGE: Rajbhasha Link in AB Staff Portal has been revamped. Besides 'Rajbhasha Mission', Banking Terminology, Administrative Phraseology, Rajbhasha Margdarshika, various formats, Important Circulars, other related information, Hindi House Magazine, Monthly Hindi e-bulletin, Annual Action Plan, Daily Hindi Word, Thought for the week and Hindi Workshop material etc have also been kept in our Portal. During the FY 2019-20 Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has awarded second Prize to the Bank for outstanding performance in Region C and the Bank has also received first prize from Hindi Academy, New Delhi.

VIGILANCE:

- CVO visited 11 Zones during the FY 2019-20 and interacted with Executives and staff of Zonal Office along with heads of large branches and discussed on certain critical parameters to ensure probity, fairness and transparency in the Bank.
- In the current financial year, 11539 number of employees were enlightened on Preventive Vigilance aspects in 455 different training programs/sessions held at Apex College-Hyderabad, Staff Training College – Vishakhapatnam and Zonal Offices.
- Department is broadcasting messages on Morals & Ethics and Vigilance Angle through SMS to all employees to inculcate Vigilance Culture.
- Chief Vigilance Officer interacted with the participants of various programmes at Staff College on Vigilance Compliance and Vigilance related matters.
- Officers of Vigilance Department and staff from controlling offices and branches are being deputed to External Training Programmes on Vigilance related matters.

Performance Highlights – Operations

- Department has achieved the target of reviewing Assets & Liabilities statement of officers staff.
- Department received 168 complaints out of which 157 complaints were disposed off during the year.
- At the beginning of the Financial Year 94 Vigilance Cases were outstanding. During the year 152 Vigilance Cases have been registered and 158 cases have been disposed off.
- Department referred 246 cases to HR-IR for initiating Regular Departmental Action under Non-Vigilance wherein 317 staff members were found accountable.
- Preventive Vigilance Inspection has been conducted in all the branches of the Bank to ensure implementation of Systems & Procedures.
- Department received 756 IAS Reports/FRMG Note/Special Reports during the financial year 2019-20 out of which 595 Reports were disposed off.
- Circulars on modus operandi and preventive tips of Fraud/ Vigilance Cases issued periodically for the benefit of the employees as a preventive measure.
- Fraud Review Council (FRC) meetings are being conducted every quarter to review the frauds taking place in the Bank and its modus operandi. Appropriate suggestions for systemic improvement and corrective measures to

thwart happening of fraud are advised to the concerned departments for required action and follow up.

- Compliance Functions: All the Monthly, Quarterly and Annual reports have been submitted to the Commission within the timelines stipulated.
- Scrutiny of reports of Inspection & Audit Department, Notes of Audit Committee of the Board etc.
- Department observed Vigilance Awareness Week 2019 from October 28, 2019 to November 02, 2019 with the theme "**Integrity – A way of life".** Bank has conducted 4766 Awareness Gram Sabhas across the country where more than 116428 citizens participated. Essay Writing/ Elocution/Debate competitions were organized in schools and colleges. Walkathon & cyclothon were organized at Hyderabad and other places. A free medical camp was also organized at Hyderabad. An online test on Preventive Vigilance Measures was conducted where 4627 staff members have taken the test.
- **Publications:** News Bulletin "SAVDHAN" and "The Right Direction – A Key Note from CVO's desk" are being circulated quarterly and monthly intervals respectively for updating the staff with latest and key information on Vigilance Compliance, Frauds and to ensure improving Vigilance Culture in the Bank.

LEAD BANK SCHEME: Andhra Bank is having Lead Bank responsibilities in fifteen districts, viz. Srikakulam, East Godavari, West Godavari, Guntur in the state of Andhra Pradesh; Ganjam, Gajapathi districts in Odisha state &Siddipet, SircillaRajanna, Jagtial, Peddapally, Mancherial, Wanaparty, Nagarkurnool, JogulambaGadwal, Warangal rural in Telangana State. Bank is discharging the responsibilities in implementation of Lead Bank Scheme in all these districts.

Andhra Bank took over the Convenorship of SLBC from State Bank of India in 1984. Consequent to re-organization of AP into Telangana & residual Andhra Pradesh w.e.f 2nd June, 2014, responsibility of Convenership of Telangana State is entrusted to SBH and Convenership of SLBC of residual AP continued to be with Andhra Bank. Following the amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India as per Government of India notification which came into force on April 1, 2020, RBI vide notification FIDD.CO.LBS.BC.No.22/02.01.001/2019-20 date March 30, 2020 assigned SLBC convenor ship to Union Bank of India.

So far 210 SLBC meetings have been organized in the state of Andhra Pradesh. During the current year, SLBC has conducted various meetings involving RBI, NABARD, Bankers and Govt. Agencies. Besides these meetings, the Convener, SLBC has participated in various meetings and Video Conferences that are being organized by Government of India, Government of Andhra Pradesh, RBI and NABARD.

The State Credit Plan for AP for FY 2019-20 was launched by the Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh during 207 SLBC Meeting on 18.06.2019. SLBC is coordinating with all stakeholders and has been proactive in implementing Annual Credit Plan and other initiatives of Central & State Governments. During the year 2019-20, SLBC of AP actively involved in implementation of Digital District initiative of RBI. SLBC successfully negotiated with Govt of AP to get reimbursement of long pending VLR/PV benefit amount to Banks in state of Andhra Pradesh.

APSLBC CALL CENTRE: SLBC has established a Call Centre namely 'APSLBC CALL CENTRE' on behalf of all Banks in the state with toll free telephone Number 18004258525 and an exclusive toll free number 18004251525 for MUDRA. Website: An exclusive website is set up for SLBC of Andhra Pradesh with URL www.slbcap.nic.in for information of all the stake holders and general public. The website is being updated at regular intervals with the latest data and information..

FINANCIAL INCLUSION: Aadhaar Seeding: Bank has achieved 78.21% of Aadhaar seeding and 70.58% in Aadhaar Authentication in active CASA accounts.

Atal Pension Yojana (APY): The Bank has enrolled 1,82,812 APY accounts during the year with average of 64 accounts per branch against a target of 1,73,220 @ average of 60 accounts per branch. The Bank has received an incentive of ₹ 4.54 Cr of which ₹ 2.31 Cr towards fresh enrolments, ₹ 0.18 Cr towards volume based additional incentive and ₹ 2.13 Cr. towards persistency incentive.

Establishment of Aadhaar Enrolment Centres: Bank has established 290 AECs as per UIDAI guidelines.

Financial Literacy and Credit Counselling Centers: Bank is having total of 9 FLCCs functioning at LDM offices and are providing financial literacy activities at their centres.

Bank Mitra Facilitators: As number of Bank Mitra activities are increasing on day to day basis, Bank has appointed 12 Bank Mitra Facilitators in various Districts of Andhra Pradesh, Telangana and Odisha State as on 31-03-2020.

SUBSIDIARIES & REGIONAL RURAL BANKS: The Bank has one Subsidiary, namely, Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL), which is wholly-owned by the Bank. The Company has earned a profit of Rs 126.66 Lacs before Income Tax and a Net Profit of 91.42 Lacs after Income tax during the year ending 31.3.2020, with this the accumulated losses of the company have been brought down from Rs 480.56 Lacs to ₹ 389.14 lacs as on 31.03.2020.Bank has sponsored one Regional Rural Bank namely Chaitanya Godavari Grameena Bank located in Guntur (Andhra Pradesh), covering the districts of Guntur, East Godavari and West Godavari with 220 branches. As on 31.03.2020, the total business stood at ₹10416.39 Crore, and Net profit after Tax is ₹70.64 Crore. Percentage of Gross NPA to Average Advances is 1.12.

SECURITY ARRANGEMENTS: Bank has upgraded the security arrangements at branches, currency chests and ATMs. All branches in the Bank are provided with CCTV system for video surveillance. Conventional alarm system at all branches has been upgraded to Integrated Intruder Burglar Alarm System (IIBAS). Centralized Alarm Monitoring Station has been established in Head Office for 24X7 monitoring of Integrated Intruder Burglar Alarm System installed in branches. 58 % of branches have already been integrated to CAMS at Head Office and are being monitored continuously. Integration of balance branches is in progress. State of Art integrated e-surveillance system has been provided in 89 % of the ATM Sites by replacing physical guarding

with e-surveillance at these sites. Installation of e-surveillance system at balance sites is in progress. All efforts are being made to ensure that all security gadgets are maintained in working condition at all times to minimize crime incidents against Bank.

BRANDING AND COMMUNICATIONS: The Bank has undertaken publicity & branding during the financial year to derive good mileage and visibility for the Bank. Some of the major publicity activities include,

- Advertisement released in Local Newspapers on FM's message Propagating Government's initiative to improve MSME –Customer Outreach Campaign – Scrolling in TV Channels
- Exhibition stalls in SHG product showcase
- Co-funding NPCI's awareness campaign on digital banking.
- Display on Airport Trolleys

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): As the Bank reported loss for the year ending March, 2019, there was no budget allocation for Donation which includes CSR activities for the financial year 2019-20.

BANK'S WEB SITE: The Bank maintains its website www.andhrabank.in in three languages, viz., English, Hindi and Telugu for providing information about the Bank, its services and products offered. The Bank has made its WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) website accessible to 'visually impaired persons', as per Government of India guidelines. The Bank being the Convener of State Level Bankers' Committee, Andhra Pradesh, maintains separate website www.slbcap.nic.in. This website communicates all the proceedings of SLBC Meetings, State Government directives, instructions to Bankers and public. The Bank follows meticulously CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) guidelines issued from time to time in maintaining Bank's Website securely.

AWARDS AND REWARDS: The bank received the following awards during the FY 2019-20:

- IBA Banking Technology Award 2020:
  - Best Financial Inclusion Initiatives – Mid size Bank (Winner)
  - Most Customer-Centric Bank using Technology – Mid size Bank (Winner)
  - Best Payments Initiatives – Mid size Bank (Winner)
- IBS Intelligence Global FinTech Innovation Awards 2019 for Best Digital Channel Implementation – ABTEJ
- Finacle Client Innovation Awards 2020: Customer Journey Re-Imagination – Mid Size Bank (Winner)
- Awards under APY: Bank got the following awards in campaigns announced by PFRDA
  - 'APY Formation Day' – Bank has been awarded as one of the WINNER.
  - 'APY - Mission Possible' - Bank was qualified for Award as a winner with TOP Position.
  - 'APY - Citizen Choice Campaign' - SLBC, Andhra Pradesh was qualified for Award of Appreciation under this CAMPAIGN from 1st August 2019 to 31st August 2019.
  - 'Rise above the rest': Bank was qualified for the Award along with Ongole, Sambalpur, Srikakulam, Kurnool and Eluru zones which also qualify for Awards.
  - 'APY challengers Cup': Bank was qualified for 'Certificate of Appreciation'.
  - 'Makers of Excellence for EDs of PSBs': Bank was qualified for Award.
  - 'Out Performers': Bank was qualified for Award.
  - 'LEADERSHIP CAPITAL 2.0 for MDs of PSBs': Bank was qualified for Award.

Indian Accounting Standards (Ind AS) – Progress: Indian Accounting standards (Ind As) has been deferred till further notice, vide circular No. DBR. BP. BC. No. 29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019. However, RBI vide mail dated July 20, 2018 advised Banks to submit proforma Ind AS financial statements for every quarter, starting from quarter ended June 30, 2018. In compliance of the above, our Bank have been submitting the statement to RBI .

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR: The following changes took place in the Composition of the Board during the FY 2019-20:

- Shri Ajit Kumar Rath, Executive Director exited the Board on being posted as Chief Vigilance Officer in SBI on 29.07.2019;
- Shri E E Karthak, RBI Nominee Director exited the Board on 25.04.2019 on elevation as Executive Director, RBI, Mumbai;
- Shri P J Thomas was nominated on the Board on 26.04.2019 as RBI Nominee Director.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT: *The Board of Directors hereby state that*

- *The applicable accounting standards have been followed in the preparation of the annual accounts and proper explanations have been furnished, relating to material departures.*
- *Accounting policies have been selected and applied consistently, reasonable and prudent judgments and estimates have been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31.03.2020 and of the profit and loss of the Bank for the financial year ended on 31.03.2020.*
- *Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the relevant regulatory provisions for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.*
- *The annual accounts have been prepared on a going concern basis.*
- *Internal Financial controls to be followed by the Bank have been laid down and such internal financial controls are adequate and are operating effectively.*
- *Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems*

are adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENT: Andhra Bank is grateful to the Government of India, RBI, SEBI, NABARD, and other authorities/ agencies, Financial Institutions and Correspondent Banks for their valuable support and guidance. The Directors also express their deep sense of appreciation to all the staff members of the Bank for their dedicated service, outstanding professionalism and commitment towards Bank's vision for a sustainable growth.

Finally, the Directors wish to sincerely thank all the customers, shareholders and other stakeholders for their valuable support.

For and on behalf of the Board,

Place : Mumbai **(Rajkiran Rai G)**

Date : 31.07.2020 Managing Director

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2020

[Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 8, 2019]

To

The Members,
Erstwhile ANDHRA BANK,
Head Office
Dr. Pattabhi Bhavan
5-9-11, Saifabad,

Hyderabad – 500 004.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by erstwhile **Andhra Bank, a Public Sector Bank (PSB)** (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in accordance with the guidance note issued by the Institute of Company Secretaries of India and in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

On account of COVID – 19 Pandemic, we have not been able to carry out physical visit to the Head Office of the Bank and based on our verification of the Bank's papers, minute books, registers and other records maintained by the Bank which were shared with us via e-mail and also the information provided by its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2020, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the papers, minute books and other records maintained by the Bank shared with us via e-mail, for the financial year ended on March 31, 2020, according to the provisions of:

(i) The Banking Regulation Act, 1949;

(ii) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980; (the Act)

(iii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980; (the Scheme)

(iv) Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended;

(v) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(vi) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(vii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 - (Not applicable to the Bank during the period of audit); and
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 - (Not applicable to the Bank during the period of audit).
- (i) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
- (j) Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;
- (k) Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993;

(l) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR))

(viii) There are no specific laws as such applicable to the Bank other than those which are mentioned above.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE);

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above except the following:

- *The listed entity should have atleast half of the Board as independent directors if the Chairman is an Executive Director. Andhra Bank is having 7 directors on its Board as on 31.03.2020 including 3 independent directors. It was observed that the Directors of Andhra Bank are appointed / nominated by the Central Government under clauses (a) to (h) of Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the Act). Chartered Accountant Director is nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India who contemplates to be an Independent Director as per Section 9(3)(g) of the Act. Shareholder Directors are elected by the shareholders as per Section 9 (3) (i) of the Act. There are 4 vacancies pertaining to Independent Directors on the Board as per Section 9(3)(h), One Workmen Director as per Section 9(3)(e) and One Officer Director as per Section 9(3)(f) of the Act which are to be nominated by Central Government.*
- *It is observed that, there is no Woman Independent Director on the Board of the Listed Entity.*
- *The Audit Committee of the Bank shall have minimum of three directors as members and 2/3rd of the members shall be independent directors and the Bank is having 4 (Four) members in its Audit Committee of which only one member is an Independent Director who is also the chairman of the Audit Committee.*

  The Nomination Committee and Remuneration Committee of the Bank is constituted separately and it is not as per Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. However, the said committees are constituted on the basis of RBI and Ministry of Finance circulars respectively
- *During the year 2019-2020, Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred under Section 47A (1) read with the Sections 46(4) (i) and 51(1) of Banking Regulation Act, 1949, has imposed a monetary penalty of Rs.25 lakhs on the Bank for non-compliance with certain provisions of directions issued by RBI on Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) Standards and opening of Current Accounts.*

We further report that

There are four vacancies on the Board of the Bank under Section Section 9(3)(h) and one vacancy each under Section 9(3)(e) and Section 9(3)(f) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act) which are to be nominated by the Central Government The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decisions are carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank has the following specific events / actions having a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above:

1. The Board of Directors of the Bank at their meeting held on September 13, 2019 considered and gave its in-principle approval for the amalgamation of Andhra Bank into Union Bank of India. Subsequently, the Government of India had vide Gazette Notification dated March 04, 2020 in exercise of the powers conferred by Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80 has notified the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into the Union Bank of India Scheme, 2020 w.e.f. April 01, 2020.

2. Pursuant to the GOI FNo.7/23/2019-BOA-I-dated 26.12.2019, the Board of Directors on 04.03.2020 had issued and allotted 11,10,49,416 (Eleven Crores Ten Lakhs Forty Nine Thousand Four Hundred and Sixteen) Equity Shares of face value of Rs. 10/- each at an issue price of Rs. 18.01Ps (including a premium of Rs. 8.01Ps) to the Government of India, being the shareholder of the Bank, by way of Preferential issue. After this allotment the Government of India's holding has been increased from

262,06,34,630 (87.81%) to 273,16,84,046 (88.25%) Equity Shares.

3. The Bank on 24.04.2019, has allotted 10,00,00,000 (Ten Crores) Equity Shares of face value of Rs.10/- each at an issue price of Rs. 19.26/- per Equity Share to eligible employees of the Bank under Andhra Bank Employee Stock Purchase Scheme (ANDBANKESPS)

Place: Hyderabad
Date: 22.07.2020

For D. HANUMANTA RAJU & CO
COMPANY SECRETARIES
CS DATLA HANUMANTA RAJU
PARTNER
FCS: 4044, CP NO: 1709
UDIN:F004044B000489309

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

Annexure A'

To

The Members,
Erstwhile ANDHRA BANK,
Head Office
Dr. Pattabhi Bhavan
5-9-11, Saifabad,

Hyderabad – 500 004.

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of Secretarial Records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial Records based on our Audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness and with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Place: Hyderabad
Date: 22.07.2020

For D. HANUMANTA RAJU & CO
COMPANY SECRETARIES
CS DATLA HANUMANTA RAJU
PARTNER
FCS: 4044, CP NO: 1709
UDIN:F004044B000489309

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. CG - PHILOSOPHY

The Philosophy of Andhra Bank is to continue to remain dynamic to the ever changing needs of the customers. The Bank believes that proper Corporate Governance facilitates effective management and control of business. This, in turn, enables the Bank to maintain a level of business ethics and to optimize the value for all its stakeholders. The principles of Corporate Governance require the commitment of the Bank to attain high standard of transparency, accountability, responsibility and financial stability with the ultimate objective of building up values to the stakeholders. The objectives can be summed up as under:

- Upholding the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country;
- to protect interest of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large;
- to ensure transparency and integration in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Andhra Bank has been constituted as corresponding new Bank under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980.

2.2 The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

2.3 The Board is headed by the Managing Director & CEO who is appointed by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India. The Managing Director & CEO is appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub-clause (1) of clause 3, clause 6, and sub-clause (1) of clause 8 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

2.4 In addition to the Managing Director & CEO, two Whole-time Directors (Executive Directors) of the Bank are appointed by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India, who are also members of the Board. The Executive Directors of the Bank are appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

2.5 As on 31st March, 2020 there are 07 (Seven) Directors on the Board consisting of Two Whole Time Directors (MD& CEO and Executive Director), One Director who is an official of the Central Government nominated by it, One Director who is an Officer of Reserve Bank of India nominated by the Central Government on the recommendation of RBI, one Director nominated by the Central Government under Sec 9 (3)(g) under CA category and two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government under Sec 9 (3) (i) & Sec 9(3A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub-clause (1) clause 3 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

2.6 The Board and its Committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of customer service, ethical practices and professional management of the Bank.

2.7 The responsibilities such as policy formulations, performance review and analysis are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives and Committees of Executives of the Bank in tune with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank.

2.8 The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.

2.9 The Chairman of the Board is a Whole Time Director and therefore at least 1/2 of the Board should consist of Independent Directors as per SEBI Guidelines. The composition of the Board as on 31st March, 2020 is as under:

Type of Directors	No. of Directors
Executive	02
Non-executive	05 (out of which 3 are Independent Directors)
Total	**07**

2.10 Profile of Directors on the Board during the Year 2019-20

1. **Sri J Packirisamy**

Assumed charge as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank on 21st September 2018. Prior to joining Andhra Bank, he was Deputy Managing Director in State Bank of India, the Country's largest Bank.

Born on 28th February 1961, he has done his B.Sc. and MBA (Finance) from University of Madras and CAIIB from IIBF.

He joined SBI as Probationary Officer in 1984 and served in different positions in the field as well as at administrative and management levels. He also served as Chief Executive Officer, Frankfurt, Germany Branch of SBI during 2004-2009. He has got rich and vast expertise to his credit in Banking Business particularly Credit portfolio, analytical skills, inter-personal qualities etc.

He is an Executive with a multi-faceted personality and knowledge encompassing international exposure, assets

management, resolution of stressed assets and other key management areas. Successfully managed multiple areas like Corporate Banking, Retail Banking and International Banking and engaged extensively in skill development of operating staff at all levels.

2. **Sri Ajit Kumar Rath**

He assumed charge as Executive Director of the Bank on 13.03.2015 for a period of five years with effect from the date of his assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. He is Associate Member of the Institution of Engineers (AMIE) joined Union Bank of India in Scale IV cadre in 2001 and worked till 12th March 2015. During his career in Union Bank of India was elevated upto General Manager Cadre. He was a Director on the Board of Swift India Domestic Services Pvt. Ltd., on behalf of Union Bank of India. He was a member of Technical Advisory Committee of NPCI / SWIFT India & Star Union Daichi Insurance Company. As per Ministry of Finance, Govt. of India letter dt. 12.01.2018, he has been vested with financial and administrative powers and functions of the Managing Director & Chief Executive Officer till such time the appointment to the post of the Bank's MD & CEO is made by the Government.

3. **Sri Kul Bhushan Jain**

He assumed charge as Executive Director of the Bank on 09.10.2017 for a period of three years with effect from the date of his assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. He is a double graduate in Science and Law with CAIIB, started his Banking career in Bank of India as an Officer in 1985 and worked till 08th October, 2017. During his career in Bank of India he was elevated upto General Manager Cadre. He has rich experience in the areas of Credit, Treasury and International Banking. As per Ministry of Finance, Govt. of India letter dt. 12.01.2018, he has been vested with financial and administrative powers and functions of the Managing Director & Chief Executive Officer till such time the appointment to the post of the Bank's MD & CEO is made by the Government.

4. **Ms. Anjana Dube**

She joined the Board of Directors of the Bank on 28.04.2017 as Nominee Director of Government of India. She joined Indian Statistical Services in the year 1987 after completion of Master of Science in Statistics from Lucknow University. She is a Doctorate in Public Policy from Indian Institute of Management Bangalore (Fellow IIMB). Her research interests include micro-finance and financial inclusion. She also holds degree of Master in Public Management from Lee Kuan School of Public Policy, National University of Singapore which includes exposure at Harvard Kennedy School.

Prior to her posting in the Department of Financial Services she has worked in other Ministries and organizations viz., National Sample Survey Office and National Accounts Division of Ministry of Statistics and Program Implementation, Central Vigilance Commission and Ministry of Industry and Commerce.

5. **Sri P J Thomas**

Shri P J Thomas was nominated as Director on the Board of Andhra Bank on 26.04.2019 by Government of India as Reserve Bank of India nominee Director. He is a graduate in Science with B.Sc.(Hons.) and a Master in Business Administration with specialization in Banking & Finance. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

He started his career as a bank officer with a public sector bank, before moving to Reserve Bank of India and served in different capacities, including as Regional Director, RBI, Bengaluru. During his tenure of more than 36 years in Reserve Bank of India, he had long exposure to Banking regulation at Central office and Banking supervision at Regional offices. He attended overseas trainings in Regulation and Supervision with Federal Reserve at New York and Florida, besides at other places like Kuala Lumpur, Manila, Frankfurt and Basel. He was earlier, on the Board of two Regional Rural banks and one private sector bank.

6. **Sri Balgopal Mahapatra**

Shri Balgopal Mahapatra was nominated by the Govt.of India as an Independent Director under CA category on the Board of Andhra Bank on 27.12.2017. He is a Graduate in Commerce and LLB as well as a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India. He has been a Practicing Chartered Accountant since 1989.

He audited many nationalized banks as statutory branch auditors, revenue auditors, stock auditors, concurrent auditors and internal auditors and also audited apex co-operative societies of the Govt. of Odisha, Central govt. undertakings, Insurance Companies, Coal Fields, Schools, Colleges, NGOs etc., also represented before Income Tax and other Appellate authorities / tribunals on behalf of clients.

He had been the member of State Telecom Advisory Committee of Odisha from 2000 to 2003 and also the member of the Regional Direct Taxes Advisory Committee of Bhubaneswar in the year 2002. He had been the Chairman of the Orissa Rural Housing Development Corporation during 2003-2004. He is also actively involved in various socio- cultural organizations.

7. **Sri A. Krishnakumar**

He has been elected as Director from amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2015 for a period of three years till 13.03.2018. He is re-elected as Director amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2018 for a period of three years till 13.03.2021. He is a Bachelor in Arts (Hon) in Economics from Delhi University. He had started his career in 1975 as a Probationary Officer in State Bank of India. During last 15 years in State Bank of India, he worked as Deputy General Manager in-charge of Commercial Banking at Ahmedabad and later Circle Financial Officer in the Hyderabad Circle of the Bank. Subsequently as General Manager he was in-charge of Learning and Development in the Human Resources Department at the Bank's Corporate Centre. In

September 2004, he was posted as General Manager in the Bank's Chandigarh Circle. On his next promotion, he handled the Mid Corporate Group of the Bank as its Chief General Manager. In October 2007, he was posted as the Chief General Manger of the Bank's Patna Circle. As Deputy Managing Director he headed the Bank's Information Technology Department from July 2009 tol April 2011 in the Bank's Corporate Centre.

He was elevated as Managing Director & Group Executive in April 2011 and given charge of National Banking. In this assignment, he was responsible for the entire Retail Business of SBI covering the entire gamut of Retail Deposits, Commercial Loans, Agricultural Loans, Home Loans, Auto Loans and other Retail Loans spread over nearly 16000 branches. In April 2014, he was assigned the task of overseeing the International Operations of SBI covering 190 offices in 36 countries. He was also on the Boards of SBI Life Insurance, SBI General Insurance and SBI Credit Cards, three subsidiaries of State Bank of India. He was one of the key persons in policy making and formulating the strategies for SBI till his superannuation in November 2014.

08. Sri G. Sivakumar

He has been elected as Director from amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2015 for a period of three years till 13.03.2018. He is re-elected as Director amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2018 for a period of three years till 13.03.2021. He is a B.Tech (Electrical Engineering) IIT, Madras, Ph.D. (Computer Science) from University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. He was Assistant Professor, Computer Science Department, University of Delaware from Sept 1988 to August 1991. Since August 1991, he has been working as Professor in Computer Science and Engineering, IIT Bombay.

His research interests are Formal Specification and Verification, Theorem Proving, Network Security and Management. He is one of the Founder Members of the IFIP Working Group (WG 1.6) on Term Rewriting. He is Steering Committee Member, Indian Association for Research in Computing Sciences (IARCS). He was Senate Nominee on IIT Bombay's Board of Governor's (2006-2007). Member of Governing Council of IDRBT (since 2005);Member, IT Advisory Committee of RBI, CCIL, NSDL, SEBI; Founder Member of Open Source Software Resource Centre (OSSRC); Chair, Interoperability Framework Committee for Open Standards in E-governance.

2.11 Names of persons who were appointed as Directors during the year 2019-20:

Name of the Director	Date of Appointment
Shri P J Thomas	26-04-2019

2.12 Names of persons who ceased to be Directors during the year 2019-20:

Name of the Director	Date of Cessation
Shri Ajit Kumar Rath	29.07.2019

2.13 During the year 2019-20, the Board of Directors met on 12 (Twelve) occasions on the following dates:

13.05.19	13.09.19	20.12.19	05.03.20
24.06.19	21.10.19	30.01.20	17.03.20
02.08.19	07.11.19	05.02.20	30.03.20

The details of attendance of each Director at the Board along with the number of meetings held during the period from 01.04.2019 to 31.03.2020 are as under:

Name and Type of the Director	Period	No. of Board meetings held during the period	Board Meetings attended
Shri J Packirisamy Chairman	01.04.2019 to 31-03-2020	12	12
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	01.04.2019 to 29.07.2019	2	2
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	12	12
Ms Anjana Dube Govt. of India Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	12	11
Sri P J Thomas RBI Nominee Director	26.04.2019 to 31.03.2020	12	12
Sri Balgopal Mahapatra Part-time Non-Official Director (under CA Category)	01.04.2019 to 31.03.2020	12	12
Sri A. Krishnakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2019 to 31.03.2020	12	12
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2019 to 31.03.2020	12	12

2.14 The Board has constituted various committees as under, which provide specific and focused governance in the important functional areas and control the affairs of the Bank:

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Disciplinary Proceedings Committee
- Special Committee for monitoring large value frauds
- Stakeholders Relationship Committee
- Share Transfer Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Information Technology Strategy Committee
- Credit Approval Committee
- Steering Committee on Human Resources Management
- Committee for Monitoring of Recovery in NPAs
- Customer Service Committee
- Election Dispute Committee
- Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service
- Meeting of Independent Directors
- Review Committee on Wilful Defaulters
- Review Committee on Non Cooperative Borrowers
- Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions

2.15 Particulars of Directors and their membership in Committees

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO		1. Management Committee of the Board 2. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 3. Special Committee for monitoring large value frauds 4. Risk Management Committee of the Board 5. Credit Approval Committee of the Board 6. Steering Committee of Board on Human Resources. 7. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 8. Customer Service Committee 9. Review Committee on Wilful Defaulters 10. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 11. Review Committee on Non-cooperative Borrowers	1. Management Committee of the Board 2. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 3. Special Committee for monitoring large value frauds 4. Risk Management Committee of the Board 5. Credit Approval Committee of the Board 6. Steering Committee of Board on Human Resources. 7. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 8. Customer Service Committee 9. Review Committee on Wilful Defaulters 10. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 11. Review Committee on Non-cooperative Borrowers.	01-04-2019 to 31-03-2020

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	India First Life Insurance Company Limited – Nominee Director	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Special Committee for monitoring large value frauds 5. Risk Management Committee of the Board 6. Credit Approval Committee of the Board 7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 9. Customer Service Committee 10. Share Transfer committee 11. Review Committee on Non Cooperative Borrowers 12. Information Technology Strategy Committee 13. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 14. Stakeholders' Relationship Committee 15. Committee for monitoring the progress in Digital Transactions	Share Transfer committee	01-04-2019 to 29-07-2019
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	None	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Special Committee for monitoring large value frauds 5. Risk Management Committee of the Board		01-04-2019 to 31-03-2020

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
		6. Credit Approval Committee of the Board 7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 9. Customer Service Committee 10. Share Transfer committee 11. Information Technology Strategy Committee 12. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 13. Stakeholders' Relationship Committee 14. Committee for monitoring the progress in Digital Transactions 15. Election Disputes Committee		
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director	None	1. Audit Committee of the Board 2. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 3. Risk Management Committee of the Board 4. Special Committee for Monitoring Large value Frauds 5. Remuneration Committee of the Board 6. Nomination Committee of the Board 7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 9. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service. 10. Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions 11. Election Disputes Committee 12. Information Technology Strategy Committee	1. Remuneration Committee of the Board 2. Nomination Committee of the Board	01-04-2019 to 31-03-2020

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Sri P J Thomas RBI Nominee Director	None	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Remuneration Committee of the Board 5. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 6. Election Disputes Committee	None	26-04-2019 to 31-03-2020
Sri Balgopal Mahapatra Part Time Non-Official Director under CA Category	None	1. Audit Committee of the Board 2. Special Committee for monitoring large value frauds 3. Risk Management Committee of the Board 4. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 5. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service. 6. Nomination Commitee of the Board 7. Review Committee on Wilful Defaulters 8. Review Committee on Non Cooperative Borrowers 9. Stakeholders Relationship Committee. 10. Customer Service Committee. 11. Share Transfer Committee	Audit Committee of the Board	01-04-2019 to 31-03-2020
Sri A Krishna kumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. SBI Payment Services Pvt Ltd 2. TVS Wealth PVt Ltd 3. Ecozen Solutions Pvt Ltd 4. Ecofrost Technologies Pvt Ltd 5. Suraksha Asset Recon-structions Ltd 6. Sathguru Catalyser Advisors Pvt Ltd - Board Member.	1. Management Committee 2. Special Committee for monitoring large value of frauds . 3. Special meeting of Board for review of Customer Service. 4. Share Transfer Committee 5. Remuneration Committee 6. IT Strategy Committee 7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Committee for monitoring of recovery in NPAs 9. Review Committee on Wilful Defaulters 10. Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions	None	01-04-2019 to 31-03-2020

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. National Payments Corporation of India -Board Member 2. National Securities Depository Ltd., -Board Member 3. The Clearing Corporation of India Ltd., 4. Indian Institute of Banking and Finance 5. Indian Financial Technology and Allied Services – Board Member	1. Management Committee 2. Stakeholders Relationship Committee. 3. Customer Service Committee. 4. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 5. Remuneration Committee of the Board 6. Information Technology Strategy Committee 7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Review Committee on Non-Cooperative Borrowers. 9. Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions.	1. Stakeholders Relationship Committee 2. Information Technology Strategy Committee 3. Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions	01-04-2019 to 31-03-2020

- **Particulars of Directors and their directorship in other Listed Entities**

Name of the Director	Directorship in other Listed Entities	Category of Directorship
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO	None	None
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	None	None
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	None	None
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director	None	None
Sri Eugene E Karthak RBI Nominee Director	None	None
Sri Balgopal Mahapatra Part Time Non-Official Director under CA Category	None	None

Name of the Director	Directorship in other Listed Entities	Category of Directorship
Sri A Krishna kumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. SBI Payment Services Pvt Ltd 2. TVS Wealth PVt Ltd 3. Ecozen Solutions Pvt Ltd 4. Ecofrost Technologies Pvt Ltd 5. Suraksha Asset Reconstructions Ltd 6. Sathguru Catalyser Advisors Pvt Ltd	Board Member
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. National Payments Corporation of India -Board Member 2. National Securities Depository Ltd., -Board Member 3. The Clearing Corporation of India Ltd., 4. Indian Institute of Banking and Finance 5. Indian Financial Technology and Allied Services -Board Member	Board Member

2.16 Constitution of Board of Directors including Independent Directors etc of our Bank is governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and RBI Directives/Government of India Guidelines.

2.17 No Independent Director has resigned before the expiry of his / her tenure and therefore, clause 2(j) of Para C, Schedule V is not applicable.

2.18 We confirm that, in the opinion of the Board of Directors of the Bank, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.

2.19 There are no inter-se relationships between Directors.

3. COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Various committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India guidelines / directives in order to expedite the decision making and proper monitoring and follow up of the various activities falling within their terms of reference.

The Committees of the Board are as under:-

3.1 Management Committee of the Board

Pursuant to the directive of the Government of India, Ministry of Finance, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals, loan compromise / write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations etc.

Presently, the committee consists of Managing Director & CEO, two Executive Directors, Nominee Director of Reserve Bank of India and two Independent Directors.

In all 15 Meetings of the Committee were held during the year, on the following dates:

13.05.19	09.08.19	30.11.19	15.02.20
19.06.19	09.09.19	10.12.19	13.03.20
28.06.19	27.09.19	20.12.19	24.03.20
22.07.19	18.11.19	30.01.20	--

The attendance of the Members at the Management Committee (MC) meetings along with the number of meetings held during the period is given below :

Name and Type of the Director	Period	No. of M.C. meetings held during the period	No. of M.C. Meetings attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO Chairman	01.04.2019 to 31.03.2020	15	15
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	01.04.2019 to 29.07.2019	4	3
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	01.04.2019 to 31.03.2020	15	14
Sri P J Thomas RBI Nominee Director	01.04.2019 to 31.03.2020	15	15
Sri A Krishnakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2019 to 11.08.2019	5	5
	21.10.2019 to 31.03.2020	8	7
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2019 to 31.05.2020	1	1
	02.08.2019 to 01.02.2020	11	10

3.2 Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, the Audit Committee of the Board was constituted / re-constituted with Five Directors viz. Two Executive Directors, Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India and Director appointed by Central Government under CA Category. The Director under CA Category on Board chairs the meetings of Audit Committee.

The Audit Committee of the Board provides directions and also oversees the operations of the total Audit Functions of the Bank which include organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the Statutory / External Audit of the Bank and Annual Financial Inspection by Reserve Bank of India.

The Committee reviews internal inspection / audit functions, follows up on all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with the external auditors in respect of LFAR. The committee also reviews the compliance of the Accounting Standards in terms of reporting process, disclosure of financial information and compliance in terms of other statutory requirements.

The Committee reviews inspection reports of the specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also reviews inter branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in inter bank accounts besides reviewing the position of housekeeping.

The Committee met Ten (10) times during the year under review, on the following dates:

13.05.19	02.08.19	30.11.19	30.03.20
24.06.19	11.10.19	05.02.20	--
22.07.19	07.11.19	05.03.20	--

The attendance of members at the Audit Committee meetings along with the number of meetings held during the period is given below:

Name of the Director	**Type of Director**	**Number of Audit Committee meetings held during the period of their tenure**	**Number of meetings attended**
Sri Balgopal Mahapatra (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	**Chairman** / Part Time Non-Official Director under CA Category	10	10
Sir Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)	Member	3	3
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	Member	10	10
Ms. Anjana Dube Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	Member / Non-Executive	10	9
Sri P J Thomas RBI Nominee Director (From 26.04.2019 to 31.03.2020)	Member / Non Executive	10	10

3.3 Risk Management Committee of the Board (RMC)

The Bank has constituted a Risk Management Committee of the Board on 28.06.2001 with an objective to empower one group with full responsibility of evaluating overall risks faced by the Bank and determining the level of risks, which will be in the best interest of the Bank.

Presently, the Committee is constituted with Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. of India Nominee Director and two other Directors.

The Risk Management Committee met Three (3) times during the year on the following dates:

25.06.2019	30.11.2019	30.03.2020

The attendance of the members at the Risk Management Committee meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure is given below:

Name of the Director	Type of Director	Number of Risk Management Committee meetings held during the period of their tenure	Number of meetings attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO	01.04.2019 to 31.03.2020	3	3
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director	01.04.2019 to 26.04.2019	1	1
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director	Member (01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3
Ms. Anjana Dube Govt. of India Nominee Director	Member (01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category	Member (01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3

3.4 Disciplinary Proceedings Committee of the Board:

Disciplinary Proceedings Committee of the Board is constituted in terms of Govt. of India directions to specifically look into and review the position of disposal of vigilance disciplinary cases and Departmental Enquiries in the Bank.

The Committee consists of MD & CEO, two Executive directors, GOI Nominee Director and RBI Nomine Director.

The Committee met Three times during the year on the following dates:

22.07.2019	30.11.2019	05.03.2020

The attendance of the members at the Disciplinary Proceedings Committee meetings along with the number of meetings held during the year is given below:

Name of the Director	Type of Director	Number of meetings held during the period	Number of meetings attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO 01.04.2019 to 31.03.2020	Chairman	3	3
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)	Member	1	1
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	Member	3	3
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	Member	3	2
Sri P J Thomas, RBI Nominee Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	Member	3	3

3.5 Special Committee for Monitoring Large Value Frauds:

Special Committee for Monitoring Large Value Frauds, a Board level Committee is constituted as per the directions of Reserve Bank of India to specifically look into monitoring and following up the cases of frauds involving an amount of ₹1.00 crore & above.

The Committee consists of MD& CEO, two Executive Directors, GOI Nominee Director, Director under CA Category and one Director elected from amongst shareholders other than Central Government

The Committee met Three times during the year on the following dates:

25.06.2019	29.11.2019	30.03.2020

The attendance of the members at the Meetings of Special Committee for Monitoring Large Value Frauds along with the number of meetings held during the year is given below:

Name of the Director	Type of Director	Number meetings held during the period	Number of meetings attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO 01.04.2019 to 31.03.2020	Chairman	3	3
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director 01.04.2019 to 29.07.2019	Member	1	1

Name of the Director	Type of Director	Number meetings held during the period	Number of meetings attended
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020	Member	2	2
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	Member	3	2
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	Member	3	3
Sri A. Krishnakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	Member	3	3

3.6 Stakeholders' Relationship Committee

3.6.1 The Bank has constituted a Committee of the Board - "Stakeholders' Relationship Committee" – to specifically look into the redressal of grievances of Shareholders and other security holders.

Presently the Committee consists of 4 Directors i.e.

1. Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
2. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)
3. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
4. Sri Balgopal Mahapatra, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

The Stakeholders' Relationship Committee met three times during the current year on the following dates:

25.06.2019	11.10.2019	05.03.2020

Name and Type of Director	No. of Meetings of Stakeholders' Relationship Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri G. Sivakumar Chairman of the Committee / Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3
Sri Ajit Kumar Rath Member / Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)	1	1
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3

- **Statement of Shareholders complaints / requests' received and redressed during the year**

Outstanding Shareholders Complaints / requests as on April 01, 2019	Nil
Shareholders' Complaints / requests received during the FY 2019-20	2315
Shareholders' Complaints / requests redressed during the FY 2019-20	2315
Shareholders' Complaints / requests pending on March 31, 2020	Nil

3.7 Share Transfer Committee of the Board

Share Transfer committee is being re-constituted from time to time with two Executive Directors, one Director under CA Category and one Director elected from amongst shareholders other than Central Government.

Presently the Committee consists of 4 Directors i.e.

1. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director & Chairman of the Committee (From 01.04.2019 to 29.07.2019)
2. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
3. Sri Balgopal Mahapatra, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

4. Sri A Krishnakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

The Share Transfer Committee met three times during the current year on the following dates:

25.06.2019	29.11.2019	05.03.2020

The attendance of the members at the Meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below :

Name and Type of Director	No. of Meetings of Share Transfer Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Chairman of the Committee / Executive Director (From 01.04.2019 to29.07.2019)	1	-
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3
Sri A. Krishnakumar Member / Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3

3.8 Remuneration Committee of the Board:

The Bank has in terms of Ministry of Finance (MOF) letter no. F20/1/2005-BOI, dated 09.03.2007, constituted a Remuneration Committee of the Board on 24.03.2007. In terms of MOF letter, the Whole Time Directors of Public Sector Banks would be entitled to performance linked incentives subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on the "Statement of Intent of Goals" and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last financial year. The basis of evaluation of the quantitative and qualitative parameters would be the Bank's audited financial data as on March 31st of the relevant year. In terms of MOF letter no. F.No. 12/1/2014-BOA dated 18.08.2015, the performance of the Wholetime Directors will be evaluated by a Committee chaired by Secretary (Financial Services).

The Remuneration Committee shall evaluate the performance of the Bank / full time Directors for deciding the performance linked incentives to be paid to the whole time Directors i.e., Managing Director & CEO and Executive Directors of the Bank.

Presently, the Committee consists of following members:

1. Ms. Anjana Dube, GOI Nominee Director (Chairman of the Committee) (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
2. Sri P J Thomas, RBI Nominee Director (From 26.04.2019 to 31.03.2020)
3. Sri A. Krishnakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
4. Sri G. Sivakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

No meeting was held during the financial year 2019-20.

3.9 Nomination Committee of the Board

Nomination Committee of the Board constituted on 30.11.2007 and reconstituted from time to time as per the guidelines and the following are present Directors:

1. Ms. Anjana Dube, GOI Nominee Director (Chairman of the Committee) (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
2. Sri P J Thomas, RBI Nominee Director (From 26.04.2019 to 31.03.2020)
3. Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
4. Sri A. Krishnakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
5. Sri G. Sivakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

No meeting was held during the financial year 2019-20.

3.10 Information Technology Strategy Committee

The IT Strategy Committee has been constituted in terms of guidelines issued by RBI letter no. RBI/2010-11/494DBS. CO.ITC.BC.NO. 6/31.02.2008/2010-11 for implementation of recommendations issued by Reserve Bank of India in nine broad areas such as IT governance, Information Security, IS Audit, IT Operations, IT Services Outsourcing, Cyber Fraud, Business Continuity Planning, Customer Awareness programmes and Legal aspects.

The committee met twice during the year on the following dates:

19.06.2019	21.10.2019

The attendance of the members at the meetings of Information Technology Strategy Committee along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below:

Name and Type of Director	No. of Meetings of Information Technology Strategy Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government Chairman Of the Committee (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	2	2
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	2	1

Name and Type of Director	No. of Meetings of Information Technology Strategy Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)	1	1
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 30.07.2019 to 31.03.2020)	2	1
Sri A. Krishnakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	2	2

3.11 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 02.02.2012 in terms of Gazzette notification dated 05.12.2011 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The Committee shall exercise powers of the Board with regard to credit proposals:-

- Upto four hundred crore rupees in case of the category A Banks having business of three lakh crore rupees or more or
- Upto two hundred fifty crore rupees in case of the other Nationalised Banks.
- The credit proposals above ₹ 60 crore and upto ₹ 400 crore (Group: ₹ 800 crore) are considered for sanction by the Credit Approval Committee of the Board.

The Committee met 23 times during the year 2019-20 on the following dates:

12.04.2019	12.06.2019	28.08.2019	06.11.2019	15.02.2020
17.04.2019	28.06.2019	17.09.2019	28.11.2019	29.02.2020
02.05.2019	05.7.2019	26.09.2019	05.12.2019	27.03.2020
08.05.2019	23.07.2019	01.10.2019	26.12.2019	--
29.05.2019	31.07.2019	29.10.2019	14.01.2020	--

The attendance of the Directors at the Credit Approval Committee of the Board meetings along with the number of meetings held during the year is given below:

Name and Type of Director	No. of Meetings of Credit Approval Committee	
	Held during the tenure	Attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO 01.04.2019 to 31.03.2020 Chairman of the Committee.	23	23
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)	9	7
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Member (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	23	20

3.12 Steering Committee of the Board on Human Resources Management:

Board constituted the above committee on 05.06.2012 in terms of Govt. of India directions for implementation of Khandelwal Committee recommendations for review of long term Manpower planning exercise, training arrangements for new competencies and Succession Planning and Leadership development.

The following are present Directors:

1. Shri J Packirisamy, Managing Director & CEO (Chairman of the Committee) From 01.04.2019 to 31.03.2020
2. Shri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)
3. Shri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
4. Ms. Anjana Dube, GOI Nominee Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
5. Sri A. Krishnakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
6. Sri G. Sivakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

No meeting was held during the financial year 2019-20.

3.13 Committee for Monitoring of Recovery in NPAs:

Board constituted a Board Level Committee to monitor the progress in recovery in NPAs on regular basis on 28.11.2012 in terms of Ministry of Finance directions.

The Committee met twice during the year 2019-20 on the following dates:-

25.06.2019	29.11.2019

The attendance of the members at the Committee for Monitoring of Recovery in NPAs meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below:

Name and Type of Director	No. of Meetings of Committee for Monitoring of Recovery in NPAs	
	Held during the tenure	Attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO Chairman of the Committee. 01.04.2019 to 31.03.2020	2	2
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Member (From 01.04.2019 to 29.07.2019)	1	1
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Member (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	2	2
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	2	2
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2019 to31.03.2020)	2	2
Sri A. Krishnakumar, Director Member (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	2	2

3.14 Customer Service Committee:

The Committee of the Board on Customer Service is constituted in the Bank, in terms of RBI Master Circular.

The following are present Directors:

1. Shri J Packirisamy, Managing Director & CEO (Chairman of the Committee) From 01.04.2019 to 31.03.2020
2. Shri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)
3. Shri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
4. Shri Balgopal Mahapatra, Director under CA category (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
5. Sri G. Sivakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

The Committee met on 30.11.2019 to review and deliberate on Customer Service. All members had attended the meeting.

3.15 Exclusive Board Meeting to Review Customer Service:

In terms of RBI Master Circular on Review of Customer Service, an Exclusive Board Meeting was convened on 18.09.2018 and 16.03.2019 to review and deliberate on Customer Service.

The following are present Directors:

1. Sri J Packirisamy, Managing Director & CEO (Chairman of the Committee) From 01.04.2019 to 31.03.2020
2. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)
3. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
4. Ms Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (01.04.2019 to 31.03.2020)
5. Shri Balgopal Mahapatra, Director under CA category (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
6. Sri A Krishnakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
7. Sri G. Sivakumar, Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)

No meeting was held during the financial year 2019-20.

3.16 Meeting of Independent Directors:

As per Regulation 25 (3) & (4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, separate Meetings of the Independent Directors of the Bank shall be convened at least one meeting in a year, without the attendance of non-independent directors and members of Management. All the independent directors of the Company shall strive to be present at such meeting.

The meeting shall review the Performance of non-independent directors and the Board as a whole, review the performance of the MD & CEO of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors, assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties.

No meeting during the year 2019-20 was conducted.

3.17 Review Committee on Wilful Defaulters:

In terms of RBI Master Circular on 'Wilful Defaulters', Review Committee on Wilful Defaulters has been constituted by the Bank.

Presently, the Committee consists of Shri J Packirisamy, MD & CEO, Shri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category and Shri A Krishnakumar, Share Holder Director.

The Committee met three times during the year 2019-20 on 25.06.2019, 29.11.2019 and 30.03.2020.

The attendance of the members at the meetings of Review Committee on Willful Defaulters along with the number of meetings held during year is given below:

Name and Type of Director	No. of Meetings of Committee for Monitoring of Recovery in NPAs	
	Held during the tenure	Attended
Shri J Packirisamy MD & CEO, Chairman of the Committee 01.04.2019 to 31-03-2020	3	3
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3
Sri A. Krishnakumar, Director, Member (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	3	3

3.18 Review Committee on Non-Cooperative Borrowers:

In terms of RBI Master Circular on 'Non-Cooperative Borrowers, Review Committee on Non-Cooperative Borrowers has been constituted by the Bank.

Presently, the Committee consists of Shri J Packirisamy, MD & CEO , Shri Ajit Kumar Rath, Executive Director, Shri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category and Shri G Siva Kumar, Share Holder Director.

No Committee meeting was held during the financial year 2019-20.

2.19 Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions

As per the suggestions given by the Committee of Secretaries in its meeting dt. 20.07.2017 a Board level sub-committee for monitoring the progress in Digital transactions has been constituted by the Bank.

The following Directors are the Members of the Committee:-

1. Sri G. Sivakumar, Director, Chairman (from 01.04.2019 to 31.03.2020)
2. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director, Member (From 01.04.2019 to 29.07.2019)
3. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Member (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
4. Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director, Member (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
5. Sri A. Krishnakumar, Director, Member (from 01.04.2019 to 31.03.2020)

The Committee met one time during the year 2019-20 on 26.06.2019.

Name and Type of Director	No. of Meetings of Information Technology Strategy Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government Chairman Of the Committee (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	1	1
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director	1	-
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)	1	1
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	1	1
Sri A. Krishnakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	1	1

2.20 Election Disputes Committee

As per the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the said committee shall consists of Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act i.e. Director nominated by Government of India and by Reserve Bank of India in the board of our Bank

The following Directors are the members of the Committee:-

1. Shri J Packirisamy, Managing Director & CEO, Chairman of the Committee (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
2. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Chairman of the Committee (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
3. Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director, Member (From 01.04.2019 to 31.03.2020)
4. Sri P J Thomas, RBI Nominee Director, Member (From 26.04.2019 to 31.03.2020)

No Committee meeting was held during the financial year 2019-20.

Other Disclosures:

a. Details of Familiarization programmes imparted to independent directors are available on the Bank's website: www.andhrabank.in under the tab " Board Of Directors"
b. Code of fair practices is available on the Bank's website: www www.andhrabank.in under the tab " Investor Relations"

3.21 Other Committees:

There are other Functional Committees consisting of Managing Director & CEO, Executive Directors, General Managers and Departmental Executives which have been constituted for day-to-day functioning, review and monitoring of various aspects of business. Some of the important Functional Committees are as under:

1. Asset Liability Committee (ALCO)
2. Operational Risk Management Committee (ORMC)
3. Investment Committee(IC)
4. Risk Based Supervision Committee (RBSC)
5. Credit Risk Management Committee (CRMC)
6. Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP)

a. Asset Liability Committee (ALCO):

ALCO is headed by Managing Director & CEO / Executive Directors. ALCO consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. General Manager (IIB)
4. General Manager (C & IFD)
5. General Manager (Planning)

6. General Manager (Accounts / CFO)
7. Chief Risk Officer (CRO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

Key Functions of the Committee:

1. Functions of ALCO are three fold – (i) Strategic Planning (ii) Product Pricing and (iii) Risk Management.
2. ALCO is a decision making unit responsible for Balance Sheet planning from Risk Returns perspective, including the strategic management of interest rate and liquidity risks.
3. ALCO will monitor implementation of operations within the limits / parameters set by the Board.
4. ALCO articulates the current interest rate view of the Bank and accordingly base its decisions for future business strategies.

b. Operational Risk Management Committee (ORMC):

ORMC is headed by Managing Director & CEO / Executive Directors. ORMC consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. All General Managers at Head Office
4. Chief Risk Officer (CRO)
5. Chief Compliance Officer (CCO)
6. Chief Information Security Officer (CISO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

Key Functions of the Committee:

1. Review and approve policies, products / processes / systems & procedures etc. involving Operational Risk elements introduced from time to time.
2. Review and approve the development and implementation of operational risk methodologies and tools, including assessments, reporting, capital and loss event databases.
3. Monitor and ensure that appropriate operational risk management framework is in place.
4. Ensure calendar of reports are discussed in ORMC and reported to RMC as required.
5. Discuss and recommend suitable controls/ mitigant for managing operational risk.
6. Create and promote risk awareness across all business units.
7. Communicate to business areas and staff components the importance of Operational Risk Management.

c. Investment Committee (IC):

IC is headed by Managing Director & CEO / Executive Directors. IC consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. General Manager (Corporate Planning)
4. General Manager (C & IFD)
5. General Manager (Accounts)
6. General Manager (IIB) / Deputy General Manager (IIB)
7. Chief Risk Officer (CRO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

Key Functions of the Committee:

1. Investment Committee meets regularly to take stock of the impact of significant movements in financial markets on Bank's investment portfolio;
2. It monitors the day to day activities of IIB and advises/ approves the investment made by IIB Mumbai; and
3. It facilitates for maximizing the return on funds deployed.

d. Risk based Supervisory Committee (RBSC):

RBSC is headed by Managing Director & CEO/ Executive Directors. RBSC consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. All General Managers at Head Office
4. Chief Risk Officer (CRO)
5. Chief Compliance Officer (CCO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

AGM (Vigilance) and Chief Information Security Officer (CISO) shall be invited for discussion of matters pertaining to their domains.

Key Functions of the Committee:

1. The committee shall monitor the progress in implementing the action points advised by RBI on RBS.
2. The review reports on progress shall be placed before the Board at quarterly intervals - like Risk Rating under RBIA and Submission/uploading of RBS data to RBI.

e. Credit Risk Management Committee (CRMC):

CRMC is headed by Managing Director & CEO / Executive Directors. CRMC consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. General Manager (CMRD)
4. General Manager (C & IFD)
5. General Manager (MSME)
6. General Manager (Priority Sector Policy)
7. General Manager (Retail Credit)
8. Chief Risk Officer (CRO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

Key Functions of the Committee:

1. The Committee is responsible for implementation of the credit risk policies/strategies approved by the Board/Risk Management Committee.
2. Monitor credit risks on a bank wide basis and ensure compliance with the board approved risk parameters/prudential limits and monitor risk concentrations. Recommend to the RMC/Board, for its approval, clear policies on lending to various activities including standards for presentation of credit proposals, financial covenants, and prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, rating standards and benchmarks including approval of various credit schemes developed towards targeted specific client groups.
3. The Committee also decides on the delegation of credit approving powers, prudential limits on credit exposures, standards for loan collaterals, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance, etc.

f. Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP):

The Executive level Committee of ICAAP is headed by Managing Director & CEO/ Executive Directors. ICAAP consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. All General Managers at Head Office
4. Chief Risk Officer (Integrated Risk Management Department)
5. Assistant General Manager/Chief Manager (IRMD) Convener

Functions of the Committee:

1. The Executive Level Committee of ICAAP scrutinizes the assessment made in the ICAAP document and suggest modifications/changes, if any, to the document. and
2. The Committee recommends the ICAAP document to be placed before the Managing Director & Chief Executive Officer and, thereafter to the Board for approval.

4. General Body Meetings:

4.1 Annual General Meeting

General Body Meeting	Date	Time	Venue
Seventeenth AGM	21.07.2017	10.00 AM	‘Pattabhi Bhavanalaya’, Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004
Eighteenth AGM	09.07.2018	12.00 Noon	Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad – 500073
Nineteenth AGM	29.07.2019	11.00 AM	Vasavi Kalyana Mantapam, #6-1-91, Potti Sreeramulu Marg, Opp. Sensation Theatre, Khairatabad, Hyderabad -500004

In the Eighteenth Annual General Meeting, the given below Special Resolution were passed by the shareholders at the AGM held on 09.07.2018:

- Raising of capital through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public Offer, etc.

In the Seventeenth and Nineteenth Annual General Meeting, no Special Resolution was passed.

No Special Resolution was passed through postal ballot during the previous three years.

4.2 Extraordinary General Meeting

The details of Extraordinary General Meeting of the shareholders held during the last 3 years are as follows:

Date	Time	Venue	Purpose
06.05.2017	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.	To issue and allot 19,16,37,630 equity shares to Government of India on preferential basis. Raising of Capital through Qualified Institutional Placement, Follow on Public Offer, etc. (Special Resolution)
12.03.2018	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.	To issue and allot 32,60,30,705 equity shares to Government of India on preferential basis. (Special Resolution)
19.09.2018	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.	To issue and allot 53,99,83,952 equity shares to Government of India on preferential basis amounting to Rs 2,019 Crores. (Special Resolution)
22.03.2019	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.	To issue and allot 114,56,72,061 equity shares to Government of India on preferential basis amounting to Rs 3,256 Crores. (Special Resolution)

The details of the Extra-ordinary General Meeting of the shareholders held during the financial year 2019-20, are as follows:

Date	Time	Venue	Purpose
26.02.2020	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004	To issue and allot 11,10,49,416 equity shares to Government of India on preferential basis amounting to Rs 200 Crores. (Special Resolution)

4.3 DECLARATIONS AND CERTIFICATES

1. The Bank has adopted code of conduct from the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.andhrabank.in . All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a certificate affirming compliance is given at the end of corporate governance report.
2. The Bank has also framed a Code of Conduct for prevention of insider trading in Bank Securities.

4.4. Disclosures

1. The Bank had complied with all the requirements regarding Capital Market related matters since its listing of shares and no penalties or strictures has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority for non-compliance of any matter related to capital markets during the last three years.
2. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts, Schedule of the Balance Sheet as on 31.03.2020 as per Accounting Standard-18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi. Further, during the financial year 2019-20, there are no materially significant related party transactions that may have conflict with the Banks' interest.
3. The Directors and the Senior Management personnel affirm by the Model Code of Conduct framed by the Bank and the same is posted on the Bank's website.
4. The Compliance Certificate executed by the MD & CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank in terms of Regulation 17(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 or any amendments thereto is attached to the Corporate Governance Report.
5. The number of shares held by Non- Executive Directors as on 31.03.2020 is furnished below:

   1. Sri A. Krishnakumar 200 shares

   2. Sri G. Sivakumar 100 shares

   All other Non-Executive Directors do not hold equity shares of the Bank.
6. Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 prohibits grants of loans and advances by the Bank to Directors or to any

firm in which the Directors are interested or to any company of which any of the Director of the Banking Company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest. Hence, there are no materially significant related transactions of the Bank with its Directors, Management and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large.

7. During the year under review, the Bank has issued the following instruments to raise the Tier 1/ Tier 2 capital:

Instrument Details	Date of Issue (Allotment)	Issue Price	Amount Raised (Amt in Crores)
Preferential Allotment of equity shares of face value of Rs. 10/- each to Government of India	04.03.2020	₹ 18.01p. per share	200

During the FY 2019-20, the Bank has not raised any Tier 2 capital.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-1 & Tier 2 capital for strengthening Capital Adequacy requirements of the Bank in terms of Basel III Capital regulations. The capital raised was utilised to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank.

8. The constitution and scope of the sub-committees of Board is as per the extant Reserve Bank of India/ Government of India and other applicable guidelines.

9. Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities: Not Applicable

10. The Bank has complied with all other Corporate Governance requirements as specified in Regulation 17 to 27 and 46(2) (b) to (i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 or any amendments thereto.

11. The Bank has complied with the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.

12. The funds raised by the Bank through Preferential Allotment of Shares is fully utilized and the Bank has not raised any funds through QIP.

13. Total fees for all services paid by the Bank and its subsidiaries, on a consolidated basis to the statutory auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

    Details relating to fee paid to the statutory auditors during the financial year 2019-20 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone and Consolidated Financial Statements of the Bank.

14. Pursuant to the requirement of Regulation 46 of the Listing Regulations, the Company maintains a functional website of the Bank and website address of the Bank is www.andhrabank.in.

15. The following policies are available on the Bank's website: www.andhrabank.in under the tab 'Investor Relations'.

    ➢ The policy for determining 'Material Subsidiaries'

    ➢ The policy on dealing with Related Party transactions

    ➢ Dividend Distribution Policy

16. Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 pertaining to the Bank is as follows:

a.	Number of complaints filed during the financial year 2019-20	1
b.	Number of Complaints disposed of during the financial year 2019-20	1
c.	Number of complaints pending as on end of the financial year 2019-20	0

MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

- **WHISTLE BLOWER POLICY**

The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per the Government of India Resolution on "Public Interest Disclosures & Protection of Informer" (PIDPI) and SEBI Listing Regulations, 2015. Under this, a mechanism has been incorporated as to how an employee can report about unethical behavior, if any, actual or suspected fraud or violation of conduct or ethics. It is affirmed that this mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employee from unfair termination and other unfair employment practices who have used this mechanism and no personnel has been denied access to the Audit Committee.

The Whistle Blower Policy formulated by the Bank is available on the Bank's website: www.andhrabank.in under the tab

'Investor Relations' under the sub tab: 'Policies'.

- **The extent of implementation of non-mandatory requirements as mentioned in Schedule II Part E of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is furnished hereunder:**

SL. NO.	NON MANDATORY REQUIREMENT	STATUS OF IMPLEMENTATION
1.	**The Board** A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain the Chairperson's office at the listed entity's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Board is constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980. Hence the clause is not applicable to us.
2.	**Shareholder Rights** The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six-months should be sent to each household of shareholders.	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year 2018-19, to all the shareholders.
3.	**Modified Opinion(s) in Audit Report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	Statutory Auditors have not issued any qualifications in the Auditor's Report on the Annual Accounts for the year ended 31.03.2020.
4.	**Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	Government of India vide its Notification No. F.No.4/2/2018-BO.I dated 21st September, 2018 appointed Managing Director & CEO of the Bank, since the Board of the Bank is constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.
5.	**Reporting of Internal Auditor** The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management.

4.5 Details of remuneration* paid to the Directors for the Financial year 2019-20

Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the Whole-Time Directors of the Bank, during the year 2019-20 are as under:

(Amount in Rupees)

Director	Salary	Sitting Fees	Performance based Incentive	
			Period FY	Amount
Sri J. Packirisamy Managing Director & Chief Executive Officer (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	2943684.00	--	--	--
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director (From 01.04.2019 to 29.07.2019)	668640.00	--	--	--
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director (From 01.04.2019 to 31.03.2020)	2631763.00	--	--	--

* The remuneration includes salary, benefits, perquisites etc.

The Non-Executive / Independent Directors are not being paid any remuneration, except the sitting fees, travelling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India. The sitting fees are paid as per Government of India Directives.

5. Means of Communication

Quarterly Financial Results are submitted to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed within the stipulated time frame.

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on different activities, performance and product initiatives. Annual, Half yearly and quarterly results of the Bank for the year 2019-20 were published in the leading newspapers. The results were also made available on the Bank's website www.andhrabank.in; The Annual Report is sent to all the shareholders of the Bank. Every year, after the annual, half yearly and quarterly results are declared, analyst meet is conducted at Mumbai in which the Managing Director & Chief Executive Officer answers to the queries.

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive information's are furnished to Stock Exchanges. The Bank also displays official news releases in its website.

The Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and other top functionaries, in the course of their visits to other centers in India as well as abroad, undertake one to one meeting with the Fund Managers as well as Press personally and appraise them about the performance of the Bank. The Bank made presentations on financial results to institutional investors/ analysts, these presentations are furnished to Stock Exchanges and also made available on the Bank's website. The following newspapers mainly cover the Financial Results and Notices:

English	Financial Express, Business Line (Dailies)
Telugu	Eenadu, Sakshi, Andhra Jyothi, Mana Telangana (Dailies)
Hindi	Hindi Milap (Daily)

6. Shareholders Information

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with the Head Office situated at Hyderabad. The Bank has its presence in 2874 branches, 36 Zonal Offices and 6 Circle Offices as on 31.03.2020.

The Bank's shares are listed on the following Stock Exchanges:

a. BSE Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001.

Symbol: 532418
Stock Code/System: ANDBKDM

b. The National Stock Exchange of India Ltd., Stock Code/ Symbol: ANDHRABANK
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai – 400 051
The annual listing fee has been paid till 31.03.2020.

6.1 Credit Ratings: The details of outstanding bonds / Deposit programmes along with their credit ratings as on 31.03.2020 are as under:

Sl. No.	Type of Bonds	Issue Size (₹ in crore)	Coupon rate % (p.a.)	Credit Rating
1	Additional Tier I	800.00	10.95	CARE A+ (Credit watch with developing implications)
2	Additional Tier I	900.00	10.99	CRISIL AA-/Negative, CARE A+ (Credit watch with developing implications)
3	Additional Tier I	500.00	9.20	CRISIL AA-/Negative, CARE A+ (Credit watch with developing implications)
4	Tier II	500.00	8.58	CRISIL AA+/Negative, CARE AA (Credit watch with developing implications)
5	Tier II	500.00	8.63	
6	Tier II	1000.00	8.65	
7	Tier II	1000.00	7.98	
8	Infra Bond	500.10	9.35	CARE AA (Credit watch with developing implications), CRISIL AA+/Negative
9	Certificate of Deposit	15235.00	Depends upon the maturity and the interest rates prevailing in the market	CARE A1+ (Credit watch with developing implications)

There is no revision in the credit ratings during the FY 2019-20.

7. Dematerialisation of Securities

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank is a Member of the Depository Services with National Security Depository Ltd (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL), as an issuer company for dematerialisation of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The Depository Services have allotted the following ISIN number to the Bank.

NSDL -- INE434A01013

CDSL -- INE434A01013

As on March 31, 2020, out of 2,40,874 shareholders of the Bank 28,656 shareholders hold the shares of the Bank in physical mode and 2,12,218 shareholders hold the shares in demat form. Out of the total equity shares of 3,09,55,37,256 of the Bank, 2,73,16,84,046 equity shares are held by the Government of India and the remaining 36,38,53,210 are held by the public. As on March 31, 2020 physical shares constitute 0.42% and dematerialized shares stand at 99.58%.

7.1 No Dividend is proposed during the financial year 2019-20.

7.2 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers are duly effected within the period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee for confirmation of the transfers, which meets at regular intervals.

The Registrars & Share Transfer Agents undertake the process of transfers within the stipulated statutory period which is confirmed by the Share Transfer Committee.

Share Transfers, Dividend Payments and all other Investor related activities are attended to and processed at the Office of the Registrars and Share Transfer Agents, M/S.MCS Share Transfer Agent Limited, Mumbai.

The Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at the following address of the Registrars and Share Transfer Agents:

M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED
Unit: ANDHRA BANK
A-209, 'C' WING, 2ND FLOOR
GOKUL INDUSTRIAL ESTATE, SAGBAUG
MAROL CO-OP INDUSTRIAL AREA, B/H TIMES SQUARE
ANDHERI (E), MUMBAI - 400059
PH.NO. 022-28516020/23
FAX NO. 022-40206021
Contact Person: Mr. Subodh Vichare
Email id: mcssta.mumbai@gmail.com;
subodh@mcsregistrars.com

The Bank also undertakes the investor services in Merchant Banking Division at Head Office of the Bank. Any communication / correspondence /grievances/ complaints can be sent to the following address for redressal:

The Company Secretary
Shareholders/ Investor Relation Section
Andhra Bank
Dr. Pattabhi Bhavan, Head Office
5-9-11, Saifabad
Hyderabad – 500 004.
Tel: 040-23252371Fax. 040-23230883;
E-mail id: mbd@andhrabank.co.in

7.3 Opening of an ESCROW Account

The SEBI vide its circular No. CIR/CFD/DIL/10/2010 dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure therein.

The Bank has opened an ESCROW Account with Andhra Bank Centralised DP Branch, Koti, Hyderabad and on 25.03.2010 transferred the unclaimed shares of the shareholders who have participated in our Follow-on Public Offer. 27,279 unclaimed shares pertaining to 183 shareholders were transferred to the above Escrow Account.

During the year 2019-20, no request has come for transferring of equity shares from the account to the shareholders' demat account. The number of unclaimed shares outstanding in the Suspense account are 18,947 shares.

The voting rights on these unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

The balance of the following Unclaimed Dividend amount will be transferred as per details mentioned below to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) under the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF by the shareholders:

Sl No.	Details of the Unpaid Dividend Accounts	Dividend Payment Date	Balance as on 31.03.2020 (In ₹)	Due Date to transfer to IEPF
1	Unpaid Dividend A/c 2012-13	29.07.2013	28711340.00	05.11.2020
2	Unpaid Dividend A/c 2013-14	31.01.2014	8381586.90	07.04.2021
3	Unpaid Dividend A/c 2014-15	17.07.2015	15245362.00	24.10.2022
4	Unpaid Dividend A/c 2015-16	26.07.2016	6008429.50	02.11.2023

No Dividend was proposed during the financial year 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20.

8. Financial Calendar

8.1 Annual General Meeting of the Shareholders:

Particulars of the Nineteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

Date, Time & Venue of the AGM	Monday, July 29, 2019 at 11.00 AM at Vasavi Kalyana Mantapam, #6-1-91, Potti Sreeramulu Marg, Opp. Sensation Theatre, Khairatabad, Hyderabad - 500 004

8.2 Financial Calendar (Tentative)

Approval of quarterly results for the period ending:
June 30, 2020 -- End of July, 2020
September 30, 2020 -- End of October, 2020
December 31, 2020 -- End of January, 2021
March 31, 2021 -- Audited Annual Accounts – April, 2021

8.3 Date of Book Closure for Annual General Meeting

Book Closure from 23.07.2019 to 29.07.2019 (both days inclusive).

8.4 No Dividend is proposed for the financial year 2019-20.

8.5 SHARE HOLDING PATTERN AS ON 31.03.2020

Sl. No.	Category	No. of Holders	No. of Shares	% to Shares
01	Government of India	1	2731684046	88.2459
02	General Public	238116	231793753	7.4880
03	NRIs / OCBs	1683	3356321	0.1084
04	Private Corporate Bodies	973	11347768	0.3666
05	Mutual Funds & UTI	5	3247	0.0001
06	Banks / Financial Institutions / Insurance Cos.	32	97837231	3.1606
07	Foreign Portfolio Investors	38	19032037	0.6148
08	Others	26	482853	0.0156
	TOTAL	**240874**	**3095537256**	**100.0000**

The total foreign shareholding as on 31st March, 2020 was 0.7232% (1.1019% % as on 31st March, 2019) as under, which is within the stipulated level of 20% of the paid up capital of the Bank:

Sl. No	Category	As on 31.03.2019		As on 31.03.2020	
		No. of shareholders	No. of shares	No. of shareholders	No. of shares
1.	Foreign Portfolio Investors	46	28789798	38	19032037
2.	NRIs / OCBs	1706	2995069	1683	3356321
Total		**1752**	**31784867**	**1721**	**22388358**

8.6 Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments.

8.7 Top 5 shareholders of the Bank as on 31.03.2020

ANDHRA BANK - TOP 5 SHAREHOLDERS AS ON 31/03/2020			
SRL	**NAME OF HOLDER**	**HOLDING**	**% TOTAL HOLDING**
1	GOVERNMENT OF INDIA	2731684046	88.2459
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	95003910	3.0691
3	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3410876	0.1102
4	EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO	3046243	0.0984
5	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	2454500	0.0793

9. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS RANGE-WISE AS ON 31-03-2020

Nominal Value	SHARE HOLDERS		SHARE AMOUNT	
	Holders	%	Amount	%
Upto 5000	184650	76.6583	310620420	1.0034
5001 - 10000	24789	10.2913	207610570	0.6707
10001 - 20000	12087	5.018	182063080	0.5881
20001 - 30000	4664	1.9363	119555160	0.3862
30001 - 40000	1661	0.6896	59762750	0.1931
40001 - 50000	3376	1.4016	163678450	0.5288
50001 - 100000	5568	2.3116	451835350	1.4596
100001 and above	4079	1.6933	29460246780	95.1701
Total	**240874**	**100**	**30955372560**	**100**

(*) includes FII / NRI shareholders having correspondent offices in Mumbai

ANDHRA BANK STATE WISE CONTROL AS ON 31/03/2020			
STATE NAME	**NO OF HOLDERS**	**TOTAL HOLDING**	**%**
ANDAMAN NICOBAR	12	1521	0.0000
ANDHRA PRADESH	55362	65027538	2.1007
ARUNACHAL PRADESH	5	1019	0.0000
ASSAM	647	817153	0.0264
BIHAR	2224	3807338	0.1230
CHANDIGARH	393	351208	0.0113
CHHATTISGARH	928	726884	0.0235

ANDHRA BANK STATE WISE CONTROL AS ON 31/03/2020			
STATE NAME	NO OF HOLDERS	TOTAL HOLDING	%
DELHI	9350	2743402111	88.6244
GOA	483	500765	0.0162
GUJARAT	12067	9914233	0.3203
HARYANA	2474	2567335	0.0829
HIMACHAL PRADESH	251	171077	0.0055
JAMMU KASHMIR	260	161322	0.0052
JHARKHAND	1696	2353982	0.0760
KARNATAKA	13397	9885025	0.3193
KERALA	4358	3234253	0.1045
MADHYA PRADESH	3180	2560020	0.0827
MAHARASHTRA	24943	140154579	4.5276
MANIPUR	13	17099	0.0006
MEGHAL	33	26213	0.0008
MIZORA	1	500	0.0000
NAGALAND	22	19973	0.0006
ORISSA	5429	5504454	0.1778
PONDICHERRY	337	259133	0.0084
PUNJAB	1888	1490057	0.0481
RAJASTHAN	4746	3853199	0.1245
SIKKIM	20	129860	0.0042
TAMIL NADU	16853	12885065	0.4162
TELANGANA	39041	49238339	1.5906
TRIPUR	60	22896	0.0007
UTTAR PRADESH	8143	6374172	0.2059
UTTARANCHAL	691	491097	0.0159
WEST BENGAL	8689	7413858	0.2395
OTHERS	22878	22173978	0.7163

10 SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED ON STOCK EXCHANGES

Period	National Stock Exchange of India Limited			BSE Limited, Mumbai		
Month	High	Low	Volume	High	Low	Volume
April 2019	33.65	24.55	47855725	33.30	24.00	12354159
May 2019	26.35	22.75	24520511	26.15	23.10	11723544
June 2019	25.20	22.70	15619031	25.20	22.25	15212456
July 2019	24.20	18.50	14772101	24.25	18.65	15098246
August 2019	20.60	17.10	12556762	20.55	17.20	58454899
September 2019	20.70	16.55	13264883	20.80	16.90	19230730
October 2019	19.35	15.00	12406489	19.35	15.10	16834026
November 2019	19.85	17.00	35146510	20.90	16.80	19937664
December 2019	18.95	16.60	15453139	19.20	16.60	19800907
January 2020	17.90	15.90	14193545	17.90	15.90	17516222
February 2020	16.95	12.65	9919275	16.90	12.65	38411774
March 2020	13.90	07.65	15200780	13.84	07.95	138816986

Performance of Bank's share in comparison with the movement of Bank Nifty, NSE & BSE is shown here below:

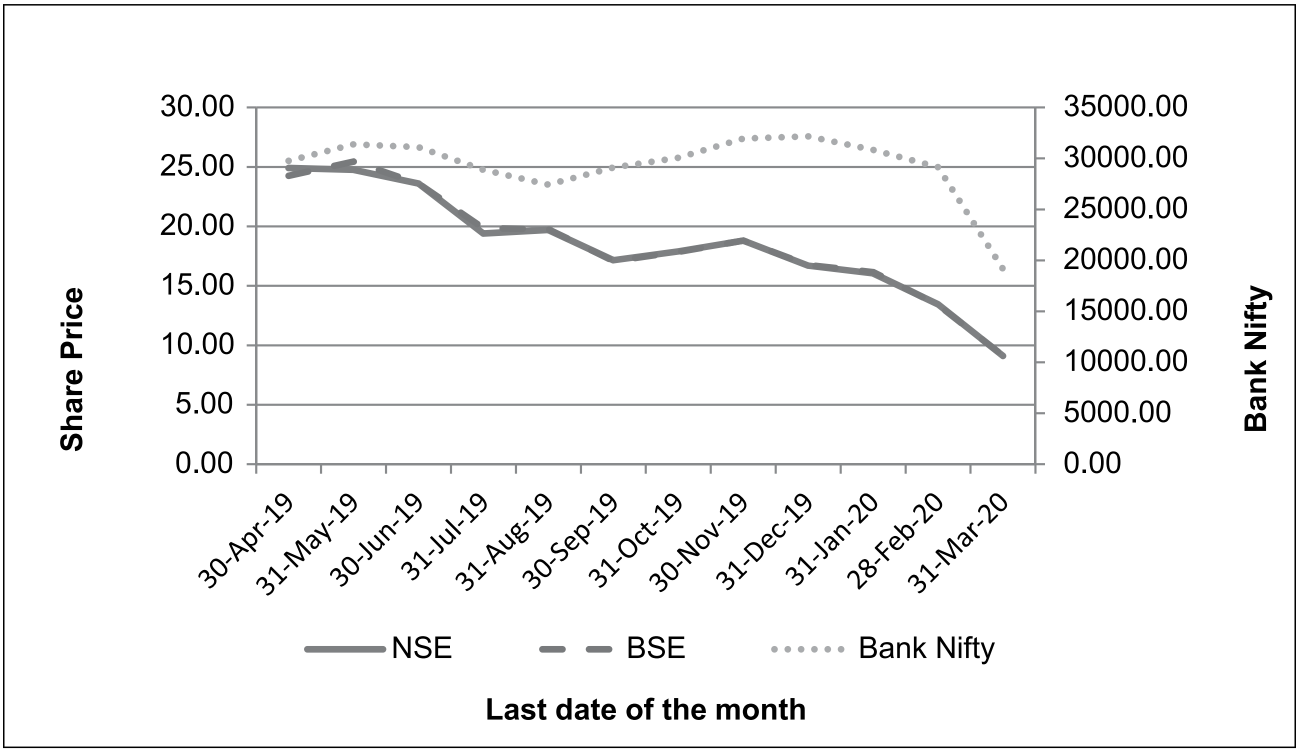

Market Price data-high, low during each month in Financial Year 2019-20 is shown under:

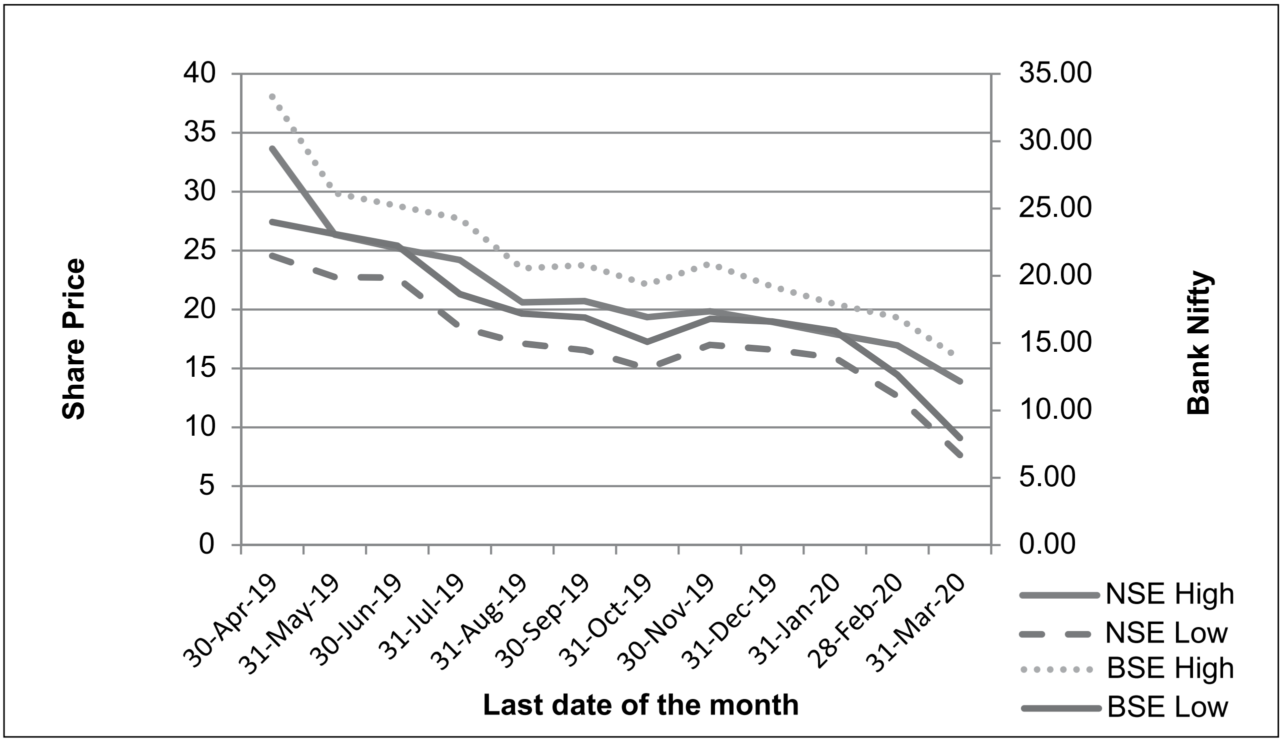

11. PER SHARE DATA

	2017-18	2018-19	2019-20
Face Value (₹)	10/-	10/-	10/-
Market Quotation as on 31st March – NSE (₹)	41.60	28.05	09.10
Earnings Per Share (₹)	(38.94)	(19.01)	(4.43)
Dividend Per Share (₹)	--	--	--
Book Value Per Share (Rs.)	60.25	34.29	23.92
Dividend payout (% of Net Profit)	--	--	--

12. LIQUIDITY

Andhra Bank scrip belongs to Group / Index ‘A/S&P BSE 500’ on BSE and ‘NIFTY 500’ on NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

13. The name and address of Debenture Trustees in respect of Bank’s Bonds as on 31.03.2020 are as follows:

IDBI Trusteeship Services Limited

Asian Building
17, Ground Floor, R. Kamani Marg
Ballard Estate
Mumbai – 400 001
Ph No. 022-40807037

DECLARATION ON CODE OF CONDUCT

The members of the Board of Directors and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of Board of Directors and SeniorManagement as on 31.03.2020.

For and on behalf of Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 31.07.2020

(Raj Kiran Rai. G)
Managing Director and CEO

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To,

the Members of

Erstwhile Andhra Bank

We have examined the relevant registers, records, forms, reruns, covenants and disclosures received from the Directors of erstwhile Andhra Bank and having its Head Office at Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004 (hereinafter referred to as ‘the Bank’), produced before us by the Bank via e-mail due to Covid-19 pandemic for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Appointment in Bank
1.	Shri J Packirisamy	MD & CEO	21.09.2018
2.	Shri Kul Bhushan Jain	Executive Director	09.10.2017
3.	Ms. Anjana Dube	Govt of India Nominee Director	28.04.2017
4.	Shri P J Thomas	RBI Nominee Director	26.04.2019
5.	Shri Balgopal Mahapatra	Chartered Accountant Director	27.12.2017
6.	Shri Aravamudan Krishnakumar	shareholder Director	14.03.2018
7.	Shri Gopalan Sivakumar	Shareholder Director	14.03.2018

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on this, on the basis of our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For D. Hanumanta Raju & Co
Company Secretaries

CS Datla Hanumantha Raju
Partner
FCS: 4044 CP No.: 1709
UDIN: F004044B000489342

Place: Hyderabad
Date: 22.07.2020

Certificate

[Pursuant to Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

The Board of Directors
Union Bank of India (e-Andhra Bank)

This is to certify that:

A. The financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2020, have been reviewed and that to the best of our knowledge and belief:

   i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with the existing accounting standards, applicable laws and regulations;

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:

   i. significant changes in internal control over financial reporting during the year;

   ii. significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

SVS Sundara Prasad
Chief General Manager

Raj Kiran Rai. G
Managing Director & CEO

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**3095,53,73**	2884,48,78
Reserves and Surplus	2	**9132,36,38**	10280,63,74
Deposits	3	**212609,37,68**	219821,00,00
Borrowings	4	**14129,58,04**	10278,10,90
Other Liabilities and Provisions	5	**4904,20,34**	6047,18,12
TOTAL		**243871,06,17**	249311,41,54
ASSETS			
Cash and Balances with RBI	6	**7729,30,05**	10126,77,33
Balances with Banks and Money at call and Short Notice	7	**3382,75,39**	4907,06,56
Investments	8	**61331,16,60**	62953,09,14
Advances	9	**157742,33,33**	158822,68,73
Fixed Assets	10	**1482,51,26**	1558,08,48
Other Assets	11	**12202,99,54**	10943,71,30
TOTAL		**243871,06,17**	249311,41,54
Contingent Liabilities	12	**139050,89,28**	203677,32,29
Bills for Collection		**13464,75,53**	9801,11,35
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

(SUNDARA PRASAD S V S)
CHIEF GENERAL MANAGER

(BIRUPAKSHA MISHRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(RAJIV KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
DIRECTOR

(K. KADIRESAN)
DIRECTOR

(JAYADEV M.)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR AGARWAL & SAXENA
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 002405C)

FOR RAY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 313124E)

FOR SANTOSH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 009713N)

FOR G S MADHAVA RAO & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 001907S)

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

(CA SUBRATO ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

(CA G. MANIKYA PRASAD)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
INCOME			
Interest Earned	13	**19784,17,91**	18932,22,05
Other Income	14	**2742,94,20**	2045,04,03
TOTAL INCOME		**22527,12,11**	20977,26,08
EXPENDITURE			
Interest Expended	15	**12795,48,85**	12223,99,15
Operating Expenses	16	**4639,03,76**	3730,14,89
Provision and Contingencies		**6416,72,71**	7809,24,76
TOTAL EXPENDITURE		**23851,25,32**	23763,38,80
NET PROFIT / (LOSS) FOR THE YEAR		**(1324,13,21)**	(2786,12,72)
PROFIT / (LOSS) BROUGHT FORWARD		**(6253,12,91)**	(3463,08,53)
TOTAL		**(7577,26,12)**	(6249,21,25)
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		**96,52,76**	97,91
Transfer to Capital Reserve		**289,58,27**	2,93,75
Transer to Revenue and Other Reserves		**-**	-
Transfer to Special Reserve		**-**	-
Proposed Dividend		**-**	-
Dividend Tax		**-**	-
Balance Carried Over to Balance Sheet		**(7963,37,15)**	(6253,12,91)
TOTAL		**(7577,26,12)**	(6249,21,25)
EARNINGS PER SHARE: BASIC & DILUTED ₹		**(4.43)**	(19.01)

The Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account

(SUNDARA PRASAD S V S)
CHIEF GENERAL MANAGER

(BIRUPAKSHA MISHRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(RAJIV KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
DIRECTOR

(K. KADIRESAN)
DIRECTOR

(JAYADEV M.)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR AGARWAL & SAXENA
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 002405C)

FOR RAY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 313124E)

FOR SANTOSH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 009713N)

FOR G S MADHAVA RAO & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 001907S)

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

(CA SUBRATO ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

(CA G. MANIKYA PRASAD)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ in 000')

Particulars	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
600,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	**6000,00,00**	6000,00,00
II. Issued, Subscribed, Called up and Paid up		
309,55,37,256 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 288,44,87,840 Equity Shares) [Including 273,16,84,046 Equity Shares (Previous year 262,06,34,630 Equity Shares) held by Central Government]	**3095,53,73**	2884,48,78
TOTAL SCHEDULE - 1	**3095,53,73**	2884,48,78
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :		
I. Statutory Reserve :		
Opening Balance	**2528,98,56**	2808,53,73
Addition during the Year	**96,52,76**	97,91
Less : Deductions	**70,63,40**	280,53,08
Total-I	**2554,87,92**	2528,98,56
II. CAPITAL RESERVE		
A. REVALUATION RESERVE		
Opening Balance	**959,76,57**	835,49,61
Addition during the Year	**74,19**	138,49,65
Deduction during the Year (Being depreciation on revalued portion of property)	**16,35,77**	14,22,69
Total-II A	**944,14,99**	959,76,57
B. OTHER RESERVES		
Opening Balance	**646,58,38**	643,64,63
Addition during the Year	**289,58,27**	2,93,75
Total-II B	**936,16,65**	646,58,38
Total-II (A+B)	**1880,31,64**	1606,34,95
III. SHARE PREMIUM		
Opening Balance	**8552,98,78**	4963,64,38
Addition during the Year	**245,75,06**	3589,34,40
Total-III	**8798,73,84**	8552,98,78
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A. REVENUE RESERVE		
Opening Balance	**2390,44,36**	2376,21,67
Addition during the Year	**16,35,77**	14,22,69
Less : Deductions	**-**	-
Total-IV A	**2406,80,13**	2390,44,36
B. SPECIAL RESERVE U/s 36 (1) (viii) of IT Act		
Opening Balance	**1455,00,00**	1455,00,00
Addition during the Year	**-**	-
Less : Deductions	**-**	-
Total-IV B	**1455,00,00**	1455,00,00
Total-IV (A+B)	**3861,80,13**	3845,44,36
V. BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	**(7963,37,15)**	(6253,12,91)
TOTAL SCHEDULE - 2	**9132,36,38**	10280,63,74

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE - 3: DEPOSITS		
I-A. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	**47,86,14**	47,48,44
ii) From Others	**11285,20,57**	10183,09,67
Total I-A	**11333,06,71**	10230,58,11
I-B. SAVING BANK DEPOSITS		
i) From Banks	**-**	-
ii) From Others	**62121,46,31**	58767,69,90
Total I-B	**62121,46,31**	58767,69,90
I-C. TERM DEPOSITS		
i) From Bank	**5,70,34**	5,36,92
ii) From Others	**139149,14,32**	150817,35,07
Total I-C	**139154,84,66**	150822,71,99
TOTAL-I	**212609,37,68**	219821,00,00
II-A. DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	**212609,37,68**	219821,00,00
II-B. DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	**-**	-
TOTAL-II	**212609,37,68**	219821,00,00
TOTAL SCHEDULE - 3	**212609,37,68**	219821,00,00
SCHEDULE - 4: BORROWINGS		
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) From Reserve Bank of India	**4443,00,00**	500,00,00
ii) From Other Banks	**3825,00,00**	-
iii) Other Institutions and Agencies	**161,48,04**	1939,34,65
iv) Subordinated Debts: 8.55% 120 Months Bonds	**-**	320,00,00
v) Upper Tier II Bonds	**-**	800,00,00
vi) 7 Years Infra Bonds	**500,10,00**	500,10,00
vii) Additional Tier-I Perpetual Debt Bonds	**2200,00,00**	2700,00,00
viii) Tier-II Bonds BASEL-III	**3000,00,00**	3000,00,00
SUB-TOTAL I	**14129,58,04**	9759,44,65
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**-**	518,66,25
TOTAL SCHEDULE - 4	**14129,58,04**	10278,10,90
SCHEDULE - 5 :: OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. Bills Payable	**681,07,45**	772,63,85
II. Inter Office Adjustments (Net)	**113,81,78**	927,52,39
III. Interest Accrued	**348,68,44**	368,66,16
IV. Contingent Provisions Against Standard Assets	**916,44,63**	731,44,63
V. Deferred Tax Liability	**-**	-
VI. Others (Including Provisions)	**2844,18,04**	3246,91,09
TOTAL SCHEDULE - 5	**4904,20,34**	6047,18,12

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS			As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE - 6: CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I.	Cash In Hand (Including Foreign Currency Notes)		**1213,50,88**	984,61,05
II.	Balance with Reserve Bank of India			
	i)	In Current Accounts	**6515,79,17**	9142,16,28
	ii)	In Other Accounts	**-**	-
		TOTAL SCHEDULE - 6	**7729,30,05**	10126,77,33
SCHEDULE - 7: BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I.	**IN INDIA**			
i)	**Balances with Banks**			
	a)	In Current Accounts	**17,00,84**	47,98,18
	b)	In Other Accounts	**-**	-
		Total-i	**17,00,84**	47,98,18
ii)	**Money at Call and Short Notice**			
	a)	With Banks	**-**	4800,00,00
	b)	With Other Institutions	**-**	-
		Total-ii	**-**	4800,00,00
		Total-I (i+ii)	**17,00,84**	4847,98,18
II.	**OUTSIDE INDIA**			
	i)	In Current Accounts	**119,71,70**	59,08,38
	ii)	In Other Deposit Accounts	**3246,02,85**	-
	iii)	Money at Call and Short Notice	**-**	-
		Total- II	**3365,74,55**	59,08,38
		TOTAL SCHEDULE - 7	**3382,75,39**	4907,06,56
SCHEDULE - 8: INVESTMENTS				
I.	**INVESTMENTS IN INDIA**			
	i)	Government Securities	**57620,02,85**	57479,76,26
	ii)	Other Approved Securities	**-**	-
	iii)	Shares	**346,29,73**	515,16,60
	iv)	Debentures and Bonds	**2280,75,96**	2512,21,93
	v)	Subsidiaries and/or Joint Ventures	**218,50,47**	218,50,48
	vi)	Others	**723,90,51**	2086,78,57
		Total-I	**61189,49,52**	62812,43,84
II.	**INVESTMENTS OUTSIDE INDIA**			
	i)	Government Securities	**-**	-
	ii)	Other Approved Securities	**-**	-
	iii)	Shares	**-**	-
	iv)	Debentures and Bonds	**-**	-
	v)	Subsidiaries and/or Joint Ventures	**141,67,08**	140,65,30
	vi)	Others	**-**	-
		Total-II	**141,67,08**	140,65,30
		Total (I+II)	**61331,16,60**	62953,09,14

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
Gross Investments in India	**64022,95,37**	65475,18,02
Less : Provision for Depreciation	**2833,45,85**	2662,74,18
Net Investments in India	**61189,49,52**	62812,43,84
Gross Investments Outside India	**143,28,08**	143,28,07
Less : Provision for Depreciation	**1,61,00**	2,62,77
Net Investments Outside India	**141,67,08**	140,65,30
TOTAL SCHEDULE - 8	**61331,16,60**	62953,09,14
SCHEDULE - 9: ADVANCES		
I-A. Bills Purchased and Discounted	**1144,57,65**	1384,26,63
I-B. Cash Credits,Overdrafts and Loans Repayable on Demand	**88992,07,25**	90069,31,03
I-C. Term Loans	**67605,68,43**	67369,11,07
Total-I	**157742,33,33**	158822,68,73
II. PARTICULARS OF ADVANCES:		
II-A. Secured By Tangible Assets (Includes Advances against Book Debts)	**139486,33,29**	144242,59,59
II-B. Covered by Bank/Government Guarantees	**13136,77,88**	9771,20,04
II-C. Unsecured Advances	**5119,22,16**	4808,89,10
Total-II	**157742,33,33**	158822,68,73
III. SECTORAL CLASSIFICATION OF ADVANCES:		
III-A. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector	**70467,34,88**	75160,34,54
ii) Public Sector	**14497,08,50**	12002,36,50
iii) Banks	**-**	-
iv) Others	**72777,89,95**	71659,97,69
Total	**157742,33,33**	158822,68,73
III-B. ADVANCES OUTSIDE INDIA	**-**	-
Total-III	**157742,33,33**	158822,68,73
TOTAL SCHEDULE - 9	**157742,33,33**	158822,68,73
SCHEDULE - 10: FIXED ASSETS		
A. TANGIBLE ASSETS		
I. PREMISES		
At cost as on 31st March of the preceding year	**2043,95,09**	1812,03,73
Addition during the year	**3,09,44**	9,40,61
Addition on account of revaluation in original cost	**-**	222,50,75
Deduction during the year	**-**	-
Depreciation to date (including accumulated depreciation on account of revaluation)	**958,26,99**	939,36,51
WDV at the end of the Year	**1088,77,54**	1104,58,58

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
II. OTHER FIXED ASSETS (INCLUDING FURNITURE AND FIXTURES)		
At cost as on 31st March of the preceding year	**1599,95,61**	1578,81,20
Addition during the year	**58,87,13**	70,40,84
Deduction during the year	**23,90,48**	49,26,43
Depreciation to date	**1255,35,53**	1172,25,58
WDV at the end of the Year	**379,56,73**	427,70,03
III. CAPITAL WORK IN PROGRESS		
At cost as on 31st March of the preceding year	**6,62,83**	7,95,38
Addition during the year	**6,00,76**	15,17,07
Deduction during the year	**8,38,05**	16,49,62
Value at the end of the Year	**4,25,54**	6,62,83
B. INTANGIBLE ASSETS		
I. COMPUTER SOFTWARE		
At cost as on 31st March of the preceding year	**213,09,67**	212,25,21
Addition during the year	**-**	88,87
Deduction during the year	**29**	4,41
Depreciation/Amortization to date	**203,17,93**	193,92,63
WDV at the end of the Year	**9,91,45**	19,17,04
TOTAL SCHEDULE - 10	**1482,51,26**	1558,08,48

SCHEDULE - 11: OTHER ASSETS

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
I. Inter Office Adjustments (Net)	**-**	-
II. Interest Accrued	**1689,37,11**	1677,93,95
III. Tax Paid in Advance/Tax Deducted at Source (Net of Provision)	**3586,90,89**	3969,32,80
IV. Stationery and Stamps	**13,02,16**	13,84,35
V. Deferred Tax Asset (Net)	**3870,71,04**	2296,71,04
VI. Others	**3042,98,34**	2985,89,16
TOTAL SCHEDULE - 11	**12202,99,54**	10943,71,30

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	**As on 31st March 2020**	As on 31st March 2019
SCHEDULE - 12: CONTINGENT LIABILITIES		
I. Claims against Bank not acknowledged as debts	**1916,75,91**	1918,54,91
II. Liability for partly paid Shares/Investments	**-**	-
III. Capital Commitments	**17,05,50**	30,20,24
IV. Options & Derivatives	**-**	-
V. Outstanding Forward Exchange Contracts	**109599,61,69**	172560,46,86
VI. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	**15914,71,65**	16040,29,13
b) Outside India	**-**	-
VII. Acceptances, Endorsements & Other Obligations	**3958,61,85**	4870,95,66
VIII. Letter of Comfort	**131,09,76**	7,53,64
IX. Interest Rate Swaps	**-**	-
X. Disputed Tax Liability	**3316,29,00**	2750,29,00
XI. Other Items for which Bank is Contingently Liable	**4196,73,92**	5499,02,85
TOTAL SCHEDULE - 12	**139050,89,28**	203677,32,29

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS			For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
SCHEDULE - 13: INTEREST EARNED				
I. Interest/Discount on Advances/ Bills			**15226,30,60**	14172,55,03
II. Income on Investments			**4396,17,64**	4558,12,22
III. Interest on balances with RBI & Other Inter Bank Funds			**88,87,14**	88,24,41
IV. Others			**72,82,53**	113,30,39
TOTAL SCHEDULE - 13			**19784,17,91**	18932,22,05
SCHEDULE - 14: OTHER INCOME				
I. Commission, Exchange and Brokerage			**582,82,87**	611,73,31
II. Profit on Sale of Investments	3060,08,05	126,46,11		
Less: Loss on Sale of Investments	2329,33,13	42,74,26	**730,74,92**	83,71,85
III. Profit/(Loss) on Revaluation of Investments (Net)			**-**	-
IV. Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	21,71	1,75,73		
Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	10,66	1,29,70	**11,05**	46,03
V. Profit on Exchange Transactions	187,70,69	173,89,52		
Less: Loss on Exchange Transactions	73,40,71	156,55,70	**114,29,98**	17,33,82
VI. Income by way of Dividend etc. from Subsidiaries/ Companies/ Joint Ventures in India			**5,82,36**	7,33,03
VII. Miscellaneous Income			**1309,13,02**	1324,45,99
TOTAL SCHEDULE - 14			**2742,94,20**	2045,04,03

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS		For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
SCHEDULE - 15: INTEREST EXPENDED			
I.	Interest on Deposits	**12164,46,13**	11476,02,44
II.	Interest on RBI/ Inter Bank Borrowings	**82,19,13**	270,38,71
III.	Others	**548,83,59**	477,58,00
	TOTAL SCHEDULE - 15	**12795,48,85**	12223,99,15
SCHEDULE - 16: OPERATING EXPENSES			
I.	Payments to and Provisions for Employees	**3112,59,54**	2241,49,55
II.	Rent, Taxes and Lighting	**317,55,29**	308,20,69
III.	Printing and Stationery	**28,06,83**	29,56,15
IV.	Advertisement and Publicity	**6,61,50**	9,91,43
V.	Depreciation on Bank's Property	**134,02,34**	131,37,64
VI.	Directors' Fees, Allowances and Expenses	**68,38**	43,69
VII.	Auditors' Fees and Expenses (Including Branch Auditors)	**28,68,89**	32,05,19
VIII.	Law Charges	**4,53,24**	3,24,62
IX.	Postages, Telephones etc.	**47,74,24**	53,57,07
X.	Repairs and Maintenance	**138,16,07**	126,84,60
XI.	Insurance	**220,87,58**	217,99,78
XII.	Other Expenditure	**599,49,86**	575,44,48
	TOTAL SCHEDULE - 16	**4639,03,76**	3730,14,89

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL:

1.1. Basis of preparation

The financial statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles in India which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/ guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

1.2. Use of estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods

2. REVENUE RECOGNITION:

2.1 Income and Expenditure are generally recognised on accrual basis, except the following;

i. Interest on non-performing advances (NPAs) and non performing investments (NPIs) is recognized based on realisation as per prudential norms laid down by Reserve Bank of India. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealised is derecognised in respect of assets classified as NPAs/ NPIs during the year

ii. Income by way of Commission, exchange, brokerage, fee, interest on overdue bills, and rent on lockers are accounted for on realisation.

iii. Dividend is accounted for on accrual basis when the right to receive the same is established.

iv. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and on recovery the same are accounted as income.

v. Sale of NPAs are accounted for in terms of the extant RBI guidelines.

2.2 Profit / Loss on Sale of Investments:

i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption of Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.

ii. Profit on sale of investments held in “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in the Profit and Loss Account.

iii. Profit on sale of investments in “Held to Maturity” category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

iv. Loss on sale of investments in all the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

2.3 Partial recoveries in non performing advances are appropriated in the following order of priority:

i. Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery.

ii. Interest irregularities/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e., Principal outstanding in the account.

2.4 In case of non performing advances involving compromise settlements, the recoveries are first adjusted towards principal.

3. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

3.1 Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

3.2 ***Monetary Assets and Liabilities are revalued at the Exchange Rates notified by FEDAI at the close of the year and the Net Present Value (NPV) of the resultant gain/loss is recognized in the Profit and Loss Account.***

3.3 ***Derivative products (forward contracts (both merchant & interbank) /currency futures /foreign currency swaps etc.) are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract. These are revalued at the Quarter-end rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss is taken to profit & loss account. The resultant Marked to market (MTM) gain/loss is discounted by using FIMMDA- ZCYC rates (6 month) to arrive at present value MTM and the resultant gain/loss is recognized in profit and loss A/c.***

3.4 Foreign Letters of Credit/Letters of Comfort and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rates notified by FEDAI as at the close of the financial year.

3.5 ***Other derivative products like interest rate swaps / forward rate agreement/options etc. which are undertaken on back-to back basis or for hedging bank’s own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of contract and are reported at the closing rates at the balance sheet***

date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back-to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

4. INVESTMENTS:

4.1 Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads:

i. Government Securities

ii. Other Approved Securities

iii. Shares

iv. Debentures and Bonds

v. Investments in Subsidiaries / Joint Ventures / Associates and

vi. Others.

4.2 Investments are further classified into the following three categories:

i. Held to Maturity (HTM)

ii. Available for Sale (AFS)

iii. Held for Trading (HFT)

4.3 Basis of classification

i. An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the guidelines issued by Reserve Bank of India.

ii. "Held to Maturity" category comprises securities acquired with the intention to hold them up to maturity.

iii. "Held for Trading" category comprises securities acquired with the intention of trading.

iv. "Available for Sale" securities are those which are not classified under either of the above two categories.

v. Investments in Subsidiaries/Joint ventures/ Associates are classified as "Held to Maturity".

4.4 Valuation:

In determining the acquisition cost of an investment

i. Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost of Investments. The incentives received after the sale of securities is credited to Profit and Loss Account.

ii. Brokerage, commission, securities transaction tax and stamp duty paid in connection with acquisition of investments is treated as revenue expenditure.

iii. Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

iv. Cost is determined on the weighted average cost method for all the categories of investments.

The Investments are valued in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India on the following basis:-

i. Held to Maturity:

a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost, net of amortization, if any. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortised over the remaining period of maturity. Such amortization of premium is adjusted against income under the head 'Interest on Investments'.

b. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investment in Regional Rural Bank, which are valued at carrying cost (i.e. Book Value)

c. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for on each such investment individually.

ii. Available for Sale:

Investments classified under this category are valued as under.

Government / Approved securities	**On YTM (Yield to Maturity) basis.**
Equity Shares	Quoted Shares at market price and unquoted shares at break-up value (without considering 'Revaluation Reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise at ₹ 1 per Company.
Preference Shares	On YTM basis.
Debentures/ Bonds	On YTM basis.
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
Venture Capital Funds	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by the Asset Reconstruction Company.
T-Bill & Commercial Paper	At Carrying Cost.

The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

Investments in Security Receipts:

In case of sale of NPA (financial asset) to Securitization Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognized at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

iii. Held for Trading:

a. Investments are classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/yields declared by Financial Benchmark India Limited (FBIL) at the end of every month.

b. The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

4.5 Prudential Norms:

i. Investments are classified as performing and non performing based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

ii. In respect of non-performing investments (NPI), income is not recognised and provision is made for depreciation in value for such securities as per RBI guidelines.

4.6 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo (including repo/ reverse repo transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and the Marginal Standing Facility (MSF) with RBI are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under Schedule 7 (Balances with Banks & Money at Call & Short Notice).

4.7 General

i. Purchase and sale transactions in Government and other than Government Securities are recorded on the date of settlement.

ii. a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category: Transfer is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation already held against that security and the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer is recognized and adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category:

If the security originally placed under HTM category:

- is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/ book value.

- is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortized cost.

After transfer in both the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and depreciation already held if any, is transferred to the provision for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

5. INTEREST RATE SWAPS:

5.1 Interest Rate Swaps: (Hedging)

i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to

market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability.

ii. Gains/ losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset/liability.

5.2 Interest Rate Swaps: (Trading)

i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss Account;

ii. Income and Expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;

iii. Fee is recognized as income or expense as the case may be;

iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

6. ADVANCES

6.1 Loans and Advances are classified as Performing and Non-Performing, based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets borrower wise.

6.3 Provisions are made for Non Performing Advances (NPAs) as per the extant guidelines prescribed by Reserve Bank of India and Additional Provisions as assessed subject to minimum provisions as prescribed below :

Sub – Standard Assets :	i. A general of 15% of the total outstanding ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available – 20%
Doubtful-Secured Portion	i. Upto one year – 25% ii. One to three years – 40% iii. More than three years – 100%
Doubtful – Unsecured Portion	100%
Loss Asset	100%

6.4 Advances stated in the Balance Sheet are net of specific loan loss provisions, and unrecovered interest held in Sundry/ claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF)/ Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non- performing assets.

6.5 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for. The Provision for Diminution in Fair Value (DFV) is reduced from advances.

6.6 In the case of loan accounts classified as NPAs, account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Reserve Bank of India.

6.7 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

6.8 General provision is also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head “Other Liabilities and Provisions” and are not considered for arriving at Net NPAs.

7. FIXED ASSETS DEPRECIATION AND AMORTISATION

7.1 *Fixed Assets other than land and premises are stated at cost, less accumulated depreciation as adjusted for impairment loss, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation cost and other charges incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit from the asset.*

7.2 Land/premises, which have been revalued are stated at revaluation amount. At the date of revaluation, accumulated depreciation is calculated by restating proportionately with the change in gross carrying amount so that the carrying amount after revaluation equals its revalued amount, as per the Accounting Standard AS-10-(Revised) Property, Plant and Equipment. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted therefrom.

7.3 *Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.*

7.4 Depreciation

i.) Depreciation is charged over the estimated useful life of the fixed asset on a straight line basis. The management believes that the useful life of assets assessed by the Bank, taking into account changes in environment, changes in technology and the utility of the asset in use, represents the

useful lives of the respective assets. The estimated useful lives of fixed assets are given below.

Particulars	Residual Value	Estimated useful life as determined by the Bank
Premises – Freehold	5% of original cost	60 Years
Other Fixed Assets:		
Safe Deposit Lockers, Strong Room Doors, Safe	₹ 1/-	30 Years
Furniture, Fixtures, Electrical fittings, Air-conditioning plants and Equipments	₹ 1/-	10 Years
Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine/ Coin Dispenser / Coin Vending Machine	₹ 1/-	7 Years
Office Equipments	₹ 1/-	5 Years
Motor cars, Vans & Motor cycles	5% of original cost	5 Years
Computers and Computer Software forming integral part of hardware	₹ 1/-	3 Years

ii) Assets having original cost less than or equal to Rs 10,000/- are being depreciated 100% leaving a residual value of ₹ 1/- only.

7.5 Amortisation

i. Premium wherever is paid for acquisition of leasehold land, such premium along with cost of the buildings constructed thereon is amortised over the period of lease or 60 years whichever is earlier.

ii. Acquisition cost of software is treated as intangible assets.

a. Software acquired under Core Banking Solution (CBS) is amortised over its estimated useful life of five years.

b. Other software acquired is charged off in the year of acquisition.

iii. Depreciation on revalued figures have been adjusted against the revaluation reserve.

iv. Improvements to leasehold premises are charged off over the remaining primary period of lease.

v. For assets purchased and sold during the year, depreciation is provided on pro-rata basis by the Bank.

vi. Whenever there is a revision of the estimated useful life of the asset, the unamortised depreciable amount is charged over the revised remaining useful life of the said asset.

vii. Profit on sale of immovable property, net of taxes and transfer to statutory reserve, are transferred to capital reserve account.

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service by employees are classified as short term, and are recognized during the period in which the employee renders the related service.

8.2 Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans:

Contributions payable to the recognized provident fund / National Pension Scheme (NPS), are defined contribution plan and charged to the profit & loss account.

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

ii. Defined Benefit Plans

Employees' gratuity, pension and leave encashment are defined benefit plans.

a. Gratuity:

The employee's Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds through approved schemes of Life Insurance Companies. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on

the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

b. Pension:

The employees Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

c. Leave Encashment:

The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each balance sheet date.

iii. Other Long Term Employee Benefits:

a. All eligible employees of the Bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

9. EARNINGS PER SHARE

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Income tax expense is the aggregate amount of

i. current tax provision and

ii. deferred tax charge.

10.2 Current tax provision is the amount of tax for the period which is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and the rules made there under.

10.3 Deferred tax charge is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 'Accounting for Taxes on Income' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and is the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income and reversal of timing differences of earlier years.

10.4 Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

10.5 Deferred tax assets are not recognized unless there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

10.6 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon the management's judgment as to whether realisation is considered as reasonably/virtually certain.

10.7 Special Reserve:

Revenue and other Reserves include Special Reserve created under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961.The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that there is no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

11. Impairment of Assets

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Statement of Profit and Loss to the extent the carrying amount of assets exceeds their estimated recoverable amount.

12. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

12.1 In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank shall recognise provisions only when :

i. it has a present obligation as a result of a past event.

ii. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

iii. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

12.2 No provision is recognized for :

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or

more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognized because

a. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

b. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that Part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

12.3 Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

12.4 Provision for Country Exposure : In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.

13. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:-

i. Provision for depreciation on Investments.

ii. Provision for Taxation.

iii. Provision on Loan losses

iv. Provision on Standard Assets.

v. Provision for Non-Performing Investments

vi. Other usual and necessary provisions.

14. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and Cash equivalents include Cash in hand, Balances with RBI, Balances with other Banks and Money at call and short notice

15. SEGMENT REPORTING

The bank recognizes the Business segment as the primary reporting segment and Geographical segment as the secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines. In compliance with the Accounting Standard – 17 “Segment Reporting” issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Business segments are classified into

i) Treasury

ii) Corporate/ Wholesale Banking

iii) Retail Banking

iv) Other Banking Operations

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. In terms of the Guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the following disclosures are made:

1.1. Capital

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31st March, 2020	31st March, 2019
		BASEL –III	BASEL-III
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	6.49%	8.42%
ii)	Additional Tier I Capital Ratio (%)	1.67%	1.96%
iii)	Tier I capital ratio (%)	8.16%	10.38%
iv)	Tier II Capital ratio (%)	2.96%	3.30%
v)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.12%	13.68%
vi)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	88.25	90.85
vii)	Amount of equity capital raised	192.6# + 200** = ₹ 392.60 Crs	2019* + 3256$ = Rs 5,275.00 Crs
viii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which:	NIL	NIL
ix)	Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL	NIL
x)	Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL
xi)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	NIL	NIL
xii)	Debt capital instrument	NIL	NIL
xiii)	Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	NIL	NIL
xiv)	Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	NIL	NIL
xv)	Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	NIL	NIL

(#)During FY 2018-19, The Bank has approved a scheme for raising of capital through ESPS (Employee Stock purchase Scheme) up to 10 Crore fresh issue of equity shares at a discount not exceeding 25%. The scheme was opened for subscription from 11.03.2019 to 20.03.2019 at a discounted price of ₹19.26 per equity share aggregating to ₹192.60 Crore. The said shares have been allotted during the current financial year on 24.04.2019.

(**)The Bank has allotted 11,10,49,416 equity shares of ₹ 10/- each for cash at ₹18.01p per share including premium of ₹8.01p per share (PY 53,99,83,952 Equity shares of ₹10 each for cash at ₹37.39p per share including premium of ₹27.39p per share on 11.10.2018 amounting to ₹ 2018,99,99,965.20/- and114,56,72,061 equity shares of ₹10/- each for cash at ₹28.42p per share including premium of ₹18.42p. per share on 28.03.2019 amounting to ₹ 3255,99,99,973.60p) on preferential basis to Government of India on 04.03.2020 amounting ₹199,99,99,982.16paise.

(*) The Bank has allotted 53,99,83,952 equity shares of ₹ 10/- each for cash at ₹37.39p per share including premium of ₹27.39p per share (PY 19,16,37,630 Equity shares at ₹57.40p per share including premium of ₹47.40p per share on 05.08.2017 amounting to ₹1099,99,99,962/-) on preferential basis to Government of India on 11.10.2018, amounting ₹2018,99,99,965.20paise.

($) The Bank has allotted 114,56,72,061 equity shares of ₹10/- each for cash at ₹28.42p per share (including premium of ₹18.42p. per share) (PY 32,60,30,705 equity shares at ₹57.97p per share including a premium of ₹47.97p per share on 28.03.2018 amounting to ₹1889,99,99,968.85p) on preferential basis to Government of India on 28.03.2019, amounting ₹3255,99,99,973.60paise.

1.2. Investments

(₹ in Crore)

	Items	31st Mar 2020	31st Mar 2019
(1)	**Value of Investments**		
(i)	Gross Value of Investments	63095.69	64617.17
	(a) In India	#62952.41	#64473.89
	(b) Outside India	*143.28	*143.28
(ii)	Provisions for Depreciation	1764.52	1664.08
	(a) In India	1762.91	1661.45
	(b) Outside India	1.61	2.63
(iii)	Net Value of Investments	61331.17	62953.09
	(a) In India	#61189.50	#62812.44
	(b) Outside India	*141.67	*140.65
(2)	**Movement of provisions held towards depreciation On investments.**		
i)	Opening balance	1664.08	1391.56
ii)	Add: Provisions made during the year	479.11	651.51
iii)	Less: Write-off/(write-back) of excess provisions during the year	378.67	378.99
iv)	Closing balance	1764.52	1664.08

Investment includes ₹ 2.60 (₹ 2.60) Crore invested in

26,04,770 (26,04,770) shares of ₹ 10 (₹ 10) each of Regional Rural Bank and Share Capital deposit amounting to ₹ Nil (₹ Nil) crore pursuant to Government of India directions.

* Includes the following

a) Investments in 1620 (1620) shares (class B) of Master card Inc with a Book value of Re. 1 (Re.1)

b) Investments in 8 (8) shares of SWIFT with a Book value of Re.1 (Re. 1)

c) Investment in 8250000 (8250000) shares of Malaysian Ringgit 10 each amounting ₹ 143.28 crore (₹ 143.28 crore) in India International Bank (Malaysia) BHD.

Shares of Master Card Inc. are allotted in kind, free of cost, as an incentive in view of the past business relations with the entity.

Shares of SWIFT include shares allotted on initial membership and accrued on re-allocation. The reallocation of share is based on the bank's utilization of SWIFT's network based financial services.

Securities amounting to ₹ 11190.86 crore (Rs 17507.57 crore) are kept as margin with Clearing Corporation of India Ltd, ICCL, BSE, NSE, RBI, and MSEI towards securities settlement.

1.2.1 Repo Transactions: (in face value terms)

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Balance as on 31st Mar 2020
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities	101.89 (111.14)	3749.64 (7436.50)	311.72 (1776.40)	3749.64 (532.95)
(ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities	44.83 (94.44)	4564.95 (9251.23)	1181.71 (739.42)	0.00 (4564.95)
(ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

1.2.2 Non S.L.R. Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR Investments (₹ in Crore)

Sr. No. (1)	Issuer (2)	Amount (3)	Extent of Private Placement (4)	Extent of 'below Investment Grade Securities' (5)*	Extent of 'unrated' securities (6)*	Extent of 'unlisted' securities (7)*
1	PSUs	1362.62 (2688.83)	604.99 (1911.14)	0.50 (1.59)	- (-)	9.61 (9.61)
2	FIs	925.07 (979.89)	925.07 (979.89)	121.92 (19.99)	- (-)	4.99 (4.99)
3	Banks	315.83 (338.21)	286.92 (306.97)	5.00 (5.00)	- (-)	- (-)
4	Private Corporates	1842.32 (1747.30)	1842.06 (1747.04)	185.17 (87.34)	- (-)	84.53 (84.53)
5	Subsidiaries/ Joint Ventures	366.79 (366.79)	366.79 (366.79)	- (-)	- (-)	- (-)
6	Others	8977.07** (8940.74)	7372.37 (7274.11)	- (-)	- (-)	7.36 (7.36)
	Total	13789.70 (15061.76)	11398.20 (12585.94)	312.59 (113.92)	- (-)	106.49 (106.49)
7	Less: Provision held towards depreciation	1764.52 (1490.89)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Balance	12025.18 (13570.87)	11398.20 (12585.94)	312.59 (113.92)	- (-)	106.49 (106.49)

Note : Previous year figures have been regrouped/ reclassified/ rearranged wherever necessary to conform to current years figures. Figures in bracket indicate figures of previous year.

*Investment in Govt. Securities (Securities directly issued by the Central and State Governments, which are not reckoned for SLR purposes), Equity Shares, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital Funds, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/ listing guidelines.

** Includes Recapitalization Bonds amounting to ₹ 7365 cr. (₹7165 cr.)

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

Total under column 3 include the following categories of investments specified in Schedule 8 to the Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	Net Value 31st March-2020	Net Value 31st March-2019
Shares	346.30	515.16
Debentures & Bonds	2280.76	2512.22
Subsidiaries / Joint Ventures	360.18	359.16
Others	9037.94	10184.33
Total	**12025.18**	**13570.87**

ii) Non Performing Non SLR Investments

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening Balance	1015.25	1343.06
Additions during the year	342.96	127.28
Reduction during the year	153.39	455.09
Closing Balance	1204.82	1015.25
Total provisions held	**1078.48**	**896.07**

1.2.3 Shifting of Securities:

a) During the year, the Bank has shifted Central/State Government securities aggregating ₹ 6889.55 crore (₹ 7321.06 crore) from 'Available for Sale' (AFS) category/ Held for Trading (HFT) category to Held to Maturity (HTM) Category at lower of acquisition cost/book value / market value and booked a shifting loss of ₹ 158.91 crore (₹ 312.28 Crore) to P&L Account. Bank also shifted Central/ State Government Securities aggregating to ₹ 4711.61 crore (₹ 7313.60 crore) from Held to Maturity (HTM) category to Available for Sale (AFS) category and booked a shifting loss of ₹ 0.00 crore (₹ 0.00 crore). Bank also shifted investment of ₹ 34.56 crore (₹ 27.16 crore) in Venture Capital funds from Held to Maturity (HTM) category to Available for Sale (AFS) category and provided a depreciation of ₹ 1.48 Crore (₹ 0.41 Crore).

(b) The Bank has earned gross amount of ₹ 593.30 crore (₹ 5.53 crore) as profit on sale of securities in HTM category out of which an amount of ₹ 289.48 crore (₹ 2.7 crore), net of tax and amount required to be transferred to Statutory Reserve, has been appropriated to capital reserve account as per RBI guidelines.

(c) **Sale and Transfers to / from HTM Category:**

During the year ended March 31, 2020, The aggregate book value of investment sold from, and transferred to/ from HTM category was in excess of 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. The Market value of the investments held in HTM category as on March 31, 2020 is ₹ 51662.15 Crore and was higher than the book value thereof as of that date. In accordance with the RBI guidelines, sale from, and transfer to/from, HTM category excludes:

- One-time transfer of securities permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year with approval of the Board of Directors and
- Sale to the RBI under pre-announced open market operation auctions.

During the year ended March 31, 2019 the aggregate book value of investments sold and transferred to/ from HTM category was within the limit of 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

1.2.4 Spreading of MTM losses.

During the year ended March 31, 2020, the Bank has provided total depreciation on investment as required in terms of RBI guidelines and 'Nil' depreciation has been carried forward for the next quarter.

During the year ended March 31, 2019, the Bank has provided total depreciation on investment as required in terms of RBI guidelines and 'Nil' depreciation has been carried forward for the next quarter.

1.3 Derivatives

1.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swaps

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
The fair value of the swap book	Nil	Nil

1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount	
		2019-20	2018-19
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year • Interest Rate Future	2689.98	480.68
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding	Nil	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil

1.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives :

A) Qualitative Disclosures:

a) Structure and organization for management of risk in derivatives trading

i) In terms of Reserve Bank of India guidelines on Interest Rate Swaps (IRS) and Forward Rate Agreements (FRA) the Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, policy for valuation, ISDA documentation, cut loss, reporting etc., for Interest Rate Swaps and fixed a cap of Rs 1500 crore for interest rate swaps (sub-limit of ₹ 500 crore for Trading Book). Bank has conducted the derivative operations within the overall framework of these guidelines.

ii) The Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, ISDA documentation, reporting etc., for undertaking forex derivatives in various forms of currency swaps & various types of interest rates swaps not specifically prohibited by Reserve Bank of India with the corporate borrower customers, other banks and non-borrower customers to be covered on back to back basis. Bank's policy also permits entering into Plain Vanilla European Style Option to Bank's customers for hedging/ pricing their forward exposures on back to back basis, or for hedging foreign currency exposures.

iii) Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till the expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

b) Scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

The position of all outstanding swaps, new swaps entered, swaps exited, mark to market value of swaps etc., is being reviewed by the bank's investment committee and Board at monthly intervals. Details of transactions undertaken in IRS are also reported to Reserve Bank of India on a fortnightly basis.

c) Policies for hedging and/ or mitigating and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

Depending on the market opportunities a view on interest rate movement is taken and acted upon. Though the settlement of swaps takes place on due date/dates as per the terms of the swaps, the value monitoring is carried out daily to know the impact of market changes on Swap Book. When unfavorable market movements are unidirectional, swaps are exited cutting loss. Cut loss limits, exit powers, reviewing authority etc., are prescribed.

d) Accounting policy for recording the hedge and non-hedge transactions, recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation:

Detailed accounting policy and valuation policy are approved by Board. Transactions for hedging purposes are accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset / liability that is carried at lower of cost or market value. In that case, the swap is marked to market, with the resultant gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability. On termination of swap, gain or loss is recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Any gain or loss on the terminated swap was deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liability.

Trading transactions have to be marked to market with charges recorded in the income statement. Income, expenditure, fee, gains or losses on termination of swaps are all recorded as immediate income or expenses.

B) Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate Derivatives	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
i	Derivatives (Notional principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) For Hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) For Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
ii	Marked to Market Positions				
	A. Hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability(-)	NIL	NIL	NIL	NIL
	B. Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset(+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability(-)	NIL	NIL	NIL	NIL
iii	Credit Exposure	NIL	NIL	NIL	NIL
iv	Likely Impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) On hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
V	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) On hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On trading	NIL	NIL	NIL	NIL

Bank is having market to market position of ₹ 0.00 crore

(Rs 0.00 crore) for a derivative deal entered for hedging its foreign currency exposure. Net marked to market effect for this transaction is NIL (NIL) for the bank.

1.4 Disclosure pertaining to MSME:

In accordance with RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019 & RBI circular No. RBI/2019-20/160-DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11th February 2020, on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector – Restructuring of Advances" the details of MSME accounts restructured by the bank as on 31st March 2020 are as under:

(₹ in Crore)

No. of Accounts Restructured	Amount (₹ in crores)
25390	1358.61

1.5 Asset Quality

1.5.1 Non-Performing Assets :

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(i) Net NPA to Net Advances (%)	4.92%	5.73%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	28973.97	28124.36
(b) Additions during the year	5899.84	5274.94
(c) Reductions during the year	6165.27	4425.33
(d) Closing Balance	28708.54	28973.97
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	9091.40	12636.87
(b) Additions during the year (Net)	0.00	0.00
(c) Reductions during the year	1326.88	3545.47
(d) Closing Balance	7764.52	9091.40
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding Provisions on Standard Assets)		
(a) Opening Balance	19848.22	15456.77
(b) Provisions made during the year	5456.39	6684.90
(c) Write Off / Write back of excess provisions	4404.33	2293.46
(d) Closing Balance	20900.28	19848.22

1.5.2 Annexure to Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

(₹ in Crore)

Sr.	Particulars	AMOUNT
1	Gross NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	28973.97
2	Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	29521.97
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	548.00
4	Net NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	9091.40
5	Net NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	9454.40
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	363.00
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	19882.57
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	20067.57
9	Divergence in provisioning (8-7)	185.00
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	-2786.00
11	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	-2969.00

* March 31, 2019 is the close of reference period in respect of which divergences were assessed.

The Bank had duly recorded the impact of the above in its working results during the Financial year ended on 31st March 2020

1.5.3 Particulars of Accounts Restructured:

Disclosure of Restructured Accounts :: AS ON 31.03.2020

(₹ in Crore)

Sr. No.	Type of Restructuring → / Asset Classification → / Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Stan dard	Sub-Stan dard	Doub tful	Los s	Tot al	Stan dard	Sub-Stan dard	Doub tful	Los s	To tal	Stan dard	Sub-Stan dard	Dou btful	Lo ss	To tal	Stan dard	Sub-Stan dard	Dou btful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY.(opening figures)* - as on 31.03.2019	No. of borrower	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	9	0	3	0	12	9	2	5	0	16
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42	7.84	0.00	40.26	454.63	0.00	236.42	0.00	691.05	454.63	32.42	244.26	0	731.31
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	0.00	10.14	0.00	32.87	22.73	0	10.14	0	32.87
2	Fresh restructuring / disbursements during the year 2019-20	No. of borrower	0	0	0	0	0	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.42	32.42	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	-32.42	32.42	0	2.77
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35	4.35	0	0	0	4.35
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2019-20	No. of borrower	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the period and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrower	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.73	0.00	0.00	0.00	225.73	225.73	0	0	0	225.73
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00		10.68	10.68	0	0	0	10.68
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2019-20	No. of borrower	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	2	1	0	3	0	4
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	0.00	20.82	108.44	0.00	1.68	0.00	110.12	108.44	0	22.50	0	130.94
		Provision there on	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
6	Write-offs / recoveries/closures in restructured accounts during the FY 2019-20	No. of borrowe rs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	2.64	0.00	121.76	0.00	124.40	2.64	0	122.35	0	124.99
7	Restructured Accounts as on 31.03.2020	No. of borrowe rs	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	2	0	5	3	0	4	0	7
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00	18.85	120.59	0.00	112.98	0.00	233.57	120.59	0.00	131.83	0	252.42
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	6.03	0.00	3.89	0.00	9.92	6.03	0	4.30	0	10.33

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

FOOT NOTE :

1. Figures under Sl no 2 include a sum of Rs 2.77 Cr (2 accounts) towards fresh/addition to exiting restructured accounts.
2. Figure under Sl. No 6, includes ₹124.99 crores (5 existing accounts) towards reduction in existing restructured acounts by way of recovery.

1.5.4 **Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:**

(₹ in crore)

Particulars	2019-20		2018-19	
	Performing	Non-performing	Performing	Non-performing
(i) No. of accounts	Nil	Nil	Nil	10
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	Nil	Nil	Nil	197.94
(iii) Aggregate consideration	Nil	Nil	Nil	216.51
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil	Nil	4.93
(v) Aggregate gain/loss over net book value	Nil	Nil	Nil	23.50

1.5.5 Provision on standard Restructured Assets as on 31.03.2020

(₹ in Crore)

Sl. No.	Category	Special Provision Applicable	Amount Outstanding	FITL Amount	Amount OS Excluding FITL & Credit Balances	Amount of Provision
1	Standard accounts of less than two years (including Accounts with Morotorium) restructured up to 31.03.2020	5.00% (5.00%)	120.59 (454.63)	0.00 (0.00)	120.59 (454.63)	6.03 (22.73)

1.5.6 Sacrifice Provision as on 31.03.2020

(₹ in Crore)

Sl. No.	Category	Asset status	No.of A/cs	Amount Outstanding	Sacrifice Amount
1	A/c with Liability of ₹1.00 Crore and above	Standard	3 (9)	120.59 (454.63)	0.00 (0.00)
2	A/cs with liability below ₹1.00 Crore	Standard	0 (0)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3	A/cs with liability of R.1.00 Cr and above	NPA	4 (7)	131.83 (276.68)	4.31 (10.14)
4	A/cs with liability below ₹1.00 Crore	NPA	0 (0)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	Sub Total		**7 (16)**	**252.42 (731.31)**	**4.31 (10.14)**
5	Add: Sacrifice on Standard Accounts which have completed Two years and morotorium up to 31.03.2020 (Accounts Exited from Disclosure Norms)	Standard	804 (1302)	2130.99 (931.45)	7.92 (8.52)
	Total		**811 (1318)**	**2383.41 (1662.76)**	**12.23 (18.66)**

1.5.7 Details of non performing financial assets sold / purchased – Banks:

i) Details of non performing financial assets purchased:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2019-20	2018-19
1	a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a) Of these, No. of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

ii) Details of non performing financial assets sold.

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2019-20	2018-19
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

iii) Details of Book value of investments of Security receipts:

(₹ in Crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	31-Mar-20	31-Mar-19	31-Mar-20	31-Mar-19	31-Mar-20	31-Mar-19
Book value of investments in security receipts	534.16	665.34	0.00	0.00	534.16	665.34

(₹ in crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying.	1537.10 (1649.13)	67.61 (17.50)	0.00 (0.00)
	Provision held against (i)	1058.07 (988.81)	12.48 (12.48)	0.00 (0.00)
(ii)	Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying.	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	Provision held against (ii)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Total (i) + (ii)		**1537.10 (1649.13)**	**67.61 (17.50)**	**0.00 (0.00)**

1.5.8 Provisions on Standard Assets :

(₹ in crore)

Particulars	31st March-2020	31st March-2019
Provisions towards Standard Assets*	928.68	750.11

* Including provision for sacrifice in respect of restructured standard assets amounting to ₹ 12.23 crores (₹18.66 crores).

1.5.9 COVID19 Regulatory Package - Asset Classification and Provisioning (Based on RBI Circular DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020)

RBI vide notification no. RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated March 27, 2020 on "Covid-19 – Regulatory Package (Revised)" announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable businesses. The measures included the following:

a) Rescheduling of Payments – Terms Loans and Working Capital Facilities

b) Easing of Working Capital Financing

c) Classification as Special Mention Account (SMA)

d) Non Performing Asset (NPA)

Further to the above, RBI vide notification no. RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/ 2019-20 dated April 17, 2020 on "COVID 19 Regulatory Package – Asset Classification and Provisioning" announced certain additional regulatory measures aimed at alleviating the lingering impact of Covid19 pandemic on the businesses and financial institutions in India, consistent with the globally coordinated action committed by the Basel Committee on Banking Supervision.

In terms of the aforesaid notifications in respect of such borrowers where either the moratorium/ deferment was extended or the asset classification benefits were extended, the following regulatory disclosures are being made:

Particulars	Amount (₹ in crores)
Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended	17425.61
Respective amount where asset classification benefits was extended	2724.43
Provisions made during the current year ended March 31, 2020	136.22
Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions	Not Applicable
Residual Provisions	136.22

Further to above, interest income aggregating to ₹ 107.30 crore has been recognised in the operating profit in terms of the RBI notification of March 27, 2020

1.5.10 Asset classification of Project Facilities granted to Delhi Airport Metro Express Pvt Ltd ("DAMEPL")Position as on 31.03.2020

In terms of Supreme Court order and necessary guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has kept Delhi Airport Metro Express Pvt. Ltd. as Standard. However,

necessary provision as per IRAC norms has been made which are detailed as under:

(₹ in crore)

Amount not treated as NPA as per IRAC norms (1)	Provisions required to be made as per IRAC norms (2)	Provisions actually held (3)
71.62	10.74	12.55

1.5.11 **Floating and additional provisions:**

a) Floating Provision of ₹13.00 Crore is held as at 31.03.2020 (PY ₹13.00 crore as on 31.03.2019) in respect of gross non performing advances over and above the minimum prescribed as per guidelines issued by Reserve Bank of India with a view to strengthening the financial position of the Bank.

b) The above floating provision is netted off from advances.

i) Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31st March, 2020

(₹ in crore)

No. of accounts where S4A has been applied	No of A/Cs	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
Classified as Standard	1	55.77 #	50.86	78.00	32.15

includes non-fund based limits which are not forming part of Part A or Part B debt and excluded investment exposure

ii) Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year	Nil	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Current Financial Year (From April 2019 to March 2020)	Nil	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

iii) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

(iv) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of accounts where banks have decided to effect	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

(v) Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):

(₹ in crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

1.5.12

(a) In terms of Directions for initiating Insolvency Process-Provisioning Norms issued by Reserve Bank of India vide letter No. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated 23rd June 2017 and RBI letter No. DBR.NO.BP.1842/21.04.048/2017-18 dated 28th August 2017 on " Resolution of Stressed Assets" in respect of certain 19 identified NPA accounts (22 accounts) covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy code (IBC) 2016 the bank has made additional provisions as at 167.68 crores during the current year 2019-20.

(b) As per Reserve Bank of India guidelines vide letter No.DBR.No.8756/21.04.048/2017-18 dated 2nd April 2018, Bank has to maintain 50.00% of secured portion of outstanding plus 100.00% on unsecured portion or provisions required to be maintained as per IRAC norms, whichever is higher. The Bank has complied with the same. The provisions kept in these accounts are ₹4955.86 Crore as per RBI norms as against ₹5119.78 Crore as per IRAC norms.

1.5.13 Disclosure relating to Securitization:

As per outstanding amount of securitized assets as per books of the SPV sponsored by the bank and total amount of exposures retained by the bank as on the date of balance sheet to comply with the Minimum Retention Requirements (MRR) is NIL

1.6 Business Ratios

	Particulars	31-03-2020	31-03-2019
(i)	Interest income as percentage to working funds†	7.43	7.44
(ii)	Non-interest income as percentage to working funds†	1.03	0.80
(iii)	Operating profit as percentage to working funds†	1.91	1.97
(iv)	Return on assets (%) ‡	(0.50)	(1.09)
(v)	Business* (deposits plus advances) per employee (₹in crores)	19.21	19.58
(vi)	Profit per employee (₹in crores)#	(0.07)	(0.14)

† Working funds reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949 during the 12 months of the financial year.

‡ Return on assets is with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any), as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949 during the 12 months of the financial year.

* For the purpose of computation of business (deposits plus gross advances) per employee, inter-bank deposits are excluded.

Based on the number of employees as at year end.

1.7 Asset Liability Management:

(₹ in Crore)

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2020												
Assets and Liabilities	Day 1	2 To 7 Days	8 to 14 Days	15 to 30 Days	31 Days to 2 Months	Over 2 Months & Upto 3 Months	Over 3 Months &Upto 6 Months	Over 6 Months & Upto 1 Year	Over 1 year & Upto 3 Years	Over 3 year & Upto 5 Years	Over 5 Years	Total
Deposits	1756.45	5583.67	2588.81	8126.60	12535.31	12180.61	34849.24	49636.47	20720.47	2485.17	62146.58	212609.38
	(967.62)	(4762.57)	(3505.88)	(6541.97)	(12065.10)	(12705.98)	(32439.93)	(65752.28)	(19580.01)	(2284.43)	(59215.23)	(219821.00)
Loans/Advances	230.08	611.73	452.60	735.75	698.41	1382.20	14851.58	14121.23	72791.85	17120.49	34746.41	157742.33
	(357.36)	(1053.41)	(1577.67)	(2158.77)	(5357.69)	(5693.61)	(8705.58)	(12554.27)	(71479.69)	(13180.39)	(36704.25)	(158822.69)
Investments	151.94	64.61	3.19	40.69	112.62	1334.64	263.04	581.49	6043.89	3028.10	49706.95	61331.17
	(0.00)	(1085.97)	(4.90)	(358.34)	(1011.91)	(250.15)	(830.11)	(1285.29)	(2380.85)	(5145.71)	(50599.86)	(62953.09)
Borrowings	0.00	4345.00	0.00	0.00	0.00	5.43	520.74	2047.62	7193.85	16.82	0.12	14129.58
	(0.00)	(2132.24)	(0.00)	(0.00)	(69.16)	(527.03)	(535.53)	(1141.92)	(4334.75)	(1533.97)	(3.51)	(10278.11)
Foreign Currency Assets	210.15	35.61	51.34	1467.77	2238.41	220.06	1028.45	20.01	0.00	0.00	0.00	5271.79
	(200.98)	(68.05)	(70.71)	(234.56)	(260.23)	(352.36)	(623.58)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1810.46)
Foreign Currency Liabilities	82.21	1.85	2.86	19.03	19.83	16.67	129.83	295.78	185.92	22.32	0.00	776.30
	(60.96)	(44.00)	(6.27)	(16.94)	(90.09)	(24.56)	(594.02)	(320.95)	(171.76)	(37.62)	(0.00)	(1367.17)

As compiled by the management and relied upon by the Auditor

Figures in bracket represent values as on 31.03.2019

1.8 Exposures

1.8.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

Category	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
a) Direct exposure i) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	21244.12	20094.60
Of which individual housing loans eligible in inclusion in priority sector	10203.05	10333.28
ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.).Exposure would also include non-fund based (NFB) limits. Fund based ₹2672.45 Crores (Previous year ₹3147.12 crores.)+ Non fund based ₹229.58 crores (Previous Year ₹199.03 crores)+ Investments ₹36.34 (Previous Year ₹50.19 Cr)	2938.37	3396.34

Category	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –	0.00	0.00
a. Residential	0.00	0.00
b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
b) Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) Fund based ₹6370.68 Cr (Previous Year ₹5726.60 Cr) + Non Fund Based ₹0.00 Cr (Previous Year ₹0.25 Cr) + Investments ₹281.65 crores(Previous Year ₹362.11 crores)	6652.33	6088.96
Total Exposure to Real Estate Sector	**30834.82**	**29579.90**

1.8.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Particulars	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
(i) Direct investments in equity shares, convertible debentures / bonds and units of equity–oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt*	404.27	421.02
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPS), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.00	0.05
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures or units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	0.00	0.00
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters' contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows /issues;	0.00	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
(ix) Financing to stock brokers for margin trading.	0.00	0.00
(x) All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	171.94	196.38
Total Exposure to Capital Market	**576.21**	**617.45**

(*) The Direct exposure to the Capital Market is within the limit of 20% of bank's Net worth as at 31.03.2020

The Total Exposure of the Capital Market referred above, is excluding the investments in preference shares

and equities to the tune of ₹1460.70 crores(₹1530.51 crores for previous year) which are exempted from reporting as Capital

Market Exposure as per RBI guidelines.

1.8.3 Risk Category wise Country Exposure*

(₹ in crore)

Risk Category	As on March 31, 2020		As on March 31, 2019	
	Exposure(net)	Provision held	Exposure (net)	Provision held
Insignificant	2899.39	NIL	947.06	NIL
Low	1688.39	NIL	484.81	NIL
Moderate low	4.91	NIL	11.26	NIL
Moderate	13.91	NIL	18.19	NIL
High	NIL	NIL	NIL	NIL
very High	NIL	NIL	NIL	NIL
Restricted	NIL	NIL	NIL	NIL
Off-credit	NIL	NIL	NIL	NIL
Total	**4606.60**	**NIL**	**1,461.32**	**NIL**

* Based on categorization followed by Export and Credit Guarantee Corporation of India Limited.

The net funded exposure of the bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required to be made as per RBI guidelines.

1.8.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank :

(₹ in crore)

Name of the borrower/Group	Exposure ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Maximum Amount outstanding during the period
NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

The bank has not exceeded the ceiling for Single Borrower or Group Borrower wise exposures in any of the Group accounts.

1.8.5 Unsecured advances:

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authority etc.,	7141.36	5607.92
Estimated value of such intangible collateral securities.	7141.36	5607.92

1.8.6 Amount of Provisions for Income-tax for the year :

(₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Provision for Income Tax	1724.61*	132.00
Provision for Deferred Tax	-1574.00	243.00

Note:

*In order to harmonise the practices followed due to the Amalgamation of Andhra bank with Union Bank of India, the following provisions were provided in the books of accounts. The Harmonization exercise has been done from FY 2012-13 (AY 2013-14)

to FY 2018-19(AY 2019-20).

Particulars	FY	AY	Short Provision for IT for earlier years
Provision for Income Tax of earlier years	2012-13 to 2018-19	2013-14 to 2019-20	1066.67
Provision for Income Tax of current year	2019-20	2020-21	657.93
Total			**1724.61**

2. Penalties imposed by Reserve Bank of India:

Penalty of ₹25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs only) was levied by Reserve Bank of India under the provisions of section 47 A (1) (c) read with section 46 (4) (i) and section 51 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 for failure of the bank for non-compliance with certain provisions of directions issued by RBI on Know Your Customer (KYC) Norms/Anti Money Laundering (AML) standards and opening of Current Accounts.

2.1 Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items.

2.2 In compliance to AS-3, the reconciliation of the components of Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow statement with the equivalent items reported in the balance sheet is furnished below.

(₹ in crore)

Cash Flow Disclosure as per AS-3	2019-20	2018-19
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	15033.84	15944.31
Cash & Balances with RBI	10126.77	9911.05
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice	4907.07	6033.26
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	11112.05	15033.84
Cash & Balances with RBI	7729.30	10126.77
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice	3382.75	4907.07
Net Increase / Decrease in Cash and Cash Equivalents	(3921.79)	(910.47)

2.3 Accounting Standard 9 Revenue Recognition

As mentioned in Accounting Policy (2) of Schedule 17 certain items are accounted on cash basis on account of statutory/ regulatory requirements and materiality.

2.4 Accounting Standard (Revised) – 10, Property, Plant and Equipment

In accordance with Revised Accounting Standard 10, Property, Plant and Equipment, depreciation on revalued amount of fixed assets amounting to ₹16.35 Crores has been transferred to free reserves from Revaluation reserve instead of crediting to Profit and Loss account as done in previous financial year.

2.5 Accounting standard 15 Employee benefits

The Bank has adopted Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India with effect from 01.04.2007

2.5.1 Gratuity

Bank pays gratuity to employees who retire/resign from Bank's service as per rules. The Bank makes contributions to the Trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity funds rules, actuarial valuation of gratuity is done every year. Actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding discount rate, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The gratuity payable to the employees is worked out by way of two methodologies i.e., as per the Payment of Gratuity Act, 1972 and other as per service rules and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

2.5.2 Pension

Bank pays pension under a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees

joining the bank's service on or after 29.09.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from the bank's service as provided for in Andhra Bank Employees' Pension Regulations, 1995. Pension Fund is managed by Andhra Bank Employees Pension Fund Trust.

Employees who joined on or after 01.04.2010 are entitled to Defined Contributory Pension scheme where under the scheme, employee will contribute 10% of pay and eligible allowance with equivalent contribution being made by the Bank and the same will be maintained as per the guidelines issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority from time to time.

2.5.3 Provident Fund

Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to the employees who joined the bank' s service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and Bank contributes an equal amount to the fund in respect of non-pension optees. The investment of the fund is made according to the investment pattern prescribed by the Government of India.

2.5.4 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation / Voluntary Retirement/death however on resignation encashment of privilege leave will be restricted to the tune of 50% of privilege leave standing to the credit of the employee subject to a maximum of 120 days.

Actuarial valuation of leave encashment liability is done every year and accordingly, Bank is contributing to the fund.

2.5.5 The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

(a) Changes in the present value of the obligations:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Present value of obligation as at the beginning of the year	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)
Add -Interest Cost	415.15 (388.52)	63.28 (64.86)	43.62 (42.00)
Add-Current Service Cost	84.90 (240.63)	53.12 (91.48)	55.75 (33.24)
Less-Benefits Paid	423.00 (390.87)	131.22 (126.19)	86.21 (83.44)
Add-Actuarial loss/ (gain) on obligations	1250.02 (207.49)	21.96 (-42.03)	42.59 (41.44)
Present value of obligation at year end	6753.81 (5426.74)	834.32 (827.18)	625.92 (570.17)

(b) Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year *	5320.86 (4971.92)	855.29 (652.30)	601.69 (503.15)
Previous Year's Adjustments	106.00 (9.05)	0.00 (186.76)	0.00 (33.78)
Acquisition Adjustments	- (-)	- (-)	- (-)
Expected/Actual Return on Plan Assets	430.00 (407.00)	62.33 (57.42)	43.20 (43.20)
Employer's contribution	1319.95 (429.76)	47.92 (57.00)	67.24 (74.00)
Benefits Paid	423.00 (390.87)	131.22 (126.19)	86.21 (83.44)
Actuarial Loss/ (gain) on Obligations	- (-)	- (-)	- (-)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6753.81 (5426.86)	834.32 (827.29)	625.92 (570.69)

*Book value of securities considered as fair value.

(c) Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Estimated Present Value of Obligations as at the end of the year	6753.81 (5426.74)	834.32 (827.18)	625.92 (570.17)
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	6753.81 (5426.86)	834.32 (827.29)	625.92 (570.69)
Net Liability recognized in Balance Sheet	0.00 (0.12)	0.00 (-0.11)	0.00 (-0.52)

(d) Expenses recognized in Profit & Loss Account:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Current Service Cost	84.90 (240.63)	53.12 (91.48)	55.75 (33.24)
Interest Cost	415.15 (388.52)	63.28 (64.86)	43.62 (42.00)
Expected/Actual return on Plan Asset	430.00 (407.00)	62.33 (57.42)	43.20 (43.20)
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	1250.02 (207.49)	21.96 (-42.03)	42.59 (41.44)
Past service cost – recognized	(-106.00) (-9.05)	0.00) (-186.76)	(0.00) (-33.78)
Total Expenses recognized in Profit & Loss Account/ contributed to funds	1243.77 (420.59)	74.13 (129.87)	98.76 (39.70)

(e) Investment details of Pension Fund Trust:

(₹ in crore)

Description of investments	Amount	% of investments
Central Government Securities	359.42 (359.42)	5.32 (6.60)
State Government Securities	129.88 (132.69)	1.92 (2.43)
Investments in PSUs	84.37 (139.37)	1.25 (2.57)
Other Investments – LIC of India - 5034.72 cr IFLIC - 452.69 cr HDFC Life - 67.14 cr Others - 622.72 cr	6177.27 (4703.99)	91.46 (84.40)
Bank Balance	2.87 (3.91)	0.05 (4.00)
Total	**6753.81 (5339.38)**	**100.00 (100.00)**

(f) Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

ACTURIAL ASSUMPTIONS	PENSION (Funded) %	GRATUITY (Funded) %	LEAVE ENCASHMENT (Funded)%
Discount Rate	6.85 (7.65)	6.80 (7.65)	6.90 (7.65)
Expected Rate of Return on Plan Assets	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)
Expected Rate of Salary Increase	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
Method Used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

Valuation has been carried out by an independent Actuary appointed by the Bank.

The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:

Discount Rate: - The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of reporting.

Expected Rate of Return: In case of pension, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds / investments. In case of gratuity and leave encashment the actual return has been taken.

Salary increase: On the basis of past data.

(h) Other long term employees' benefits (Un-Funded) :

(₹ in crore)

	LTC/LFC Encashment	Silver Jubilee Award	Sick Leaves	Ex-Gratia	Relocation Expenses
Liability as on 01.04.2020 Liability as on 01.04.2019	31.02 24.64	0.86 0.67	76.15 74.11	0.42 0.43	4.62 3.26
Transitional Liability	- -	- -	- -	- -	- -
Amount debited to Profit & Loss Account	6.38 (3.68)	0.19 (0.09)	2.04 (11.36)	-0.01 (-0.04)	1.36 (-0.02)

(i) Short term Employees'. benefits:

Short term Compensated Absences: ₹ 1.04 crore (₹1.04 crore)

(ii) Contribution to PF- NIL (₹0.36 crore)

2.6 Accounting Standard 17 Segment reporting

Note on Segment Results

(i) As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, Bank has adopted "Treasury Operations", "Corporate/Wholesale Banking", "Retail Banking" and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" Segment as secondary / geographic segment.

(ii) Segment revenue represents revenue from external customers

(iii) Results of various segments are arrived at in the proportion of revenue of respective segments.

Geographic segments:-

The Bank does not have any branches outside India, the only reportable Geographical segment is of domestic operations, and hence no separate disclosure is made.

Business segments

(₹ in crore)

S. No.	Business Segments	2019-20	2018-19
1	**Segment Revenue**		
	(a) Treasury	5,348.97	4,763.49
	(b) Corporate/Wholesale Banking	5,680.50	5,450.19
	(c) Retail Banking	8,981.49	8,208.15
	(d) Other Banking Operations	2,516.16	2,555.43
	Total	**22,527.12**	**20,977.26**
	Less: Inter Segment Revenue	-	-
	Income from Operations	22,527.12	20,977.26
2	**Segment Results**		
	(a) Treasury	1,209.22	1,140.64
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1,284.16	1,305.08
	(c) Retail Banking	2,030.40	1,965.49
	(d) Other Banking Operations	568.82	611.91
	Total	**5,092.60**	**5,023.12**
	Less : Other Un-allocable Expenditure	6,266.12	7,434.25
	Total Profit Before Tax	(1,173.52)	(2,411.13)
	Income Tax and other taxes paid	150.61	375.00
	Net Profit	(1,324.13)	(2,786.13)
3	**Segment Assets**		
	(a) Treasury	69,268.83	72,446.52
	(b) Corporate/Wholesale Banking	73,491.46	72,982.86
	(c) Retail Banking	78,852.43	77,491.11
	(d) Other Banking Business	17,188.92	20,863.52
	(e) Un-allocable Assets	5,069.42	5,527.41
	Total Assets	**2,43,871.06**	**2,49,311.42**

S. No.	Business Segments	2019-20	2018-19
4	**Segment Liabilities**		
	(a) Treasury	67,943.74	71,227.45
	(b) Corporate/Wholesale Banking	72,082.00	71,271.65
	(c) Retail Banking	75,438.54	73,878.48
	(d) Other Banking Operations	16,076.93	19,634.64
	(e) Un-allocable Liabilities	101.95	134.07
	Total	**2,31,643.16**	**2,36,146.29**
	Capital & Reserves	12,227.90	13,165.13
	Total Liabilities	**2,43,871.06**	**2,49,311.42**

2.7 Accounting Standard 18 Related party disclosures

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank

(a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per the Accounting Standard.

i) Sri J.Packirisamy, Managing Director & CEO

ii) Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 09.10.2017)

iii) Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director(Upto 31.07.2019)

Transactions with Related parties:-

(in Rupees)

Sl. No	Name	Relationship	Nature of transaction	2019-20	2018-19
1	Sri J.Packirisamy	Managing Director & CEO (from 21.09.2018)	Remuneration	29,43,684	14,35,061
2	Sri Kul Bhushan Jain	Executive Director (w.e.f 09.10.2017)	Remuneration	26,31,763	23,80,926
3	Sri Ajit Kumar Rath	Executive Director (Upto 31.07.2019)	Remuneration	8,91,520	25,63,932

The transactions with the Subsidiary and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the AS-18 on Related Party Disclosures, which exempts State Controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

iv) Capital invested in Joint Ventures-

a) India International Bank (Malaysia) Bhd ₹143.28 crore(₹143.28 crore)

b) ASREC India (P) Ltd. ₹28.40 crore (₹28.40 crore)

c) India First Life Insurance Company Limited ₹187.50 crore(₹187.50 crore)

2.8 Accounting standard 20 Earnings per share

Particulars	2019-20	2018-19
Basic EPS /Diluted ₹	(4.43)	(19.01)
Calculation of Basic E P S		
Net Profit (₹ In crore) (excluding extra ordinary items, net of taxes)	(1324.13)	(2786.13)
Weighted Average No. of Shares (units in crore)	298.67	146.58
Basic /Diluted Earnings per Share ₹	(4.43)	(19.01)
Nominal value of Share in ₹	10.00	10.00

2.9 Accounting Standard 22 Accounting for taxes on income

The major components as on 31.03.2020 are as follows:

(₹ in crore)

Timing Difference	31st March-2020		31st March-2019	
	DTA	DTL	DTA	DTL
(1) Provision for NPA as per books and deduction claimed under section 36(1)(viia)	5037.16		2797.06	-
(2) On account of Special Reserve created under section 36 (1)(viii) of the Act	-	508.44	-	508.29
(3) Excess / Lower Depreciation claimed as per Income Tax Act, 1961	12.76		7.94	-
(4) Depreciation on Investments	-	670.77	-	-
Total	**5049.92**	**1179.21**	**2805.00**	**508.29**

2.10 Accounting standard 24 Discontinuing operations:

During the financial year 2019-20, the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalized.

2.11 Accounting Standard 28 Impairment of Assets:

The indications listed in paragraphs 8 to 10 of Accounting Standard 28– Impairment of Assets. (Issued by the ICAI) have been examined and on such examination, it has been found that none of the indications are present in the case of the bank. A formal estimate of the recoverable amount has not been made, as there is no indication of a potential impairment loss.

2.12 Accounting Standard 29: Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Contingent liabilities mentioned in Schedule 12 are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties as the case may be.

Movement of provisions for liabilities (excluding provision for others)

(₹ in crore)

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2019-20	2018-19
Opening balance	5.87	5.86
Provided during the Year	0.00	0.03
Amounts used during the year	-0.56	-0.02
Closing balance	5.31	5.87
Timing of outflow/uncertainties	NIL	Outflow on Settlement/ crystallization

3. Additional disclosures

3.1 Provisions and contingencies

(₹ in crore)

Breakup of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2019-20	2018-19
(i) Depreciation in value of Investments	388.48	488.28
(ii) Non Performing Assets	5456.39	6674.26
(iii) Standard Assets	185.00	-38.00
(iv) Income Tax	1724.61	132.00
(v) Deferred Tax	-1574.00	243.00
(vi) Other provisions and contingencies:		
a) Restructured advances	-6.43	5.05
b) Other provisions	242.68	304.66
TOTAL	**6416.73**	**7809.25**

3.2 FLOATING PROVISIONS (Counter cyclical provisioning buffer)

(₹ in crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening balance	13.00	13.00
Additions during the year	--	--
Reduction during the year (Purpose and amount of drawdown made)	--	--
Closing balance	13.00	13.00

3.3 Draw Down from Reserves:

Pursuant to Reserve Bank of India Circular No. RBI/2015-16/376, DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016, Bank has debited ₹ NIL(₹NIL) from Revenue Reserve towards unamortized portion of provision on accounts reported as fraud.

Pursuant to Reserve Bank of India circular no. DBR.BP.BC.No.50/21.06.201/2016-17 dated 02nd February, 2017 on ₹Basel III Capital Regulations - Additional Tier 1 Capital' read with Reserve Bank of India circular no. DBR.No.BP.BC.71/21.06.201/2015-16 dated 14th January, 2016 on ₹Master Circular - Basel III Capital Regulations – Clarification', Bank has drawn an amount of ₹ 47.08 crore during the quarter ended 30th September, 2019 and ₹ 23.56 crore during the quarter ended 31st December, 2019 from Statutory Reserve out of the total interest repayment of ₹ 98.64 crore during the quarter ended 30th September, 2019 and ₹ 93.75 crore during the quarter ended 31st December, 2019 towards coupon paid on Additional Tier-I Perpetual Basel III Compliant bonds during the quarter ended 30th September, 2019 and 31st December, 2019.

3.4 Disclosure of complaints and unimplemented awards of Banking Ombudsman

The Bank has taken several measures to strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints. In Head office there is a separate department to attend the complaints of customers

A. Customer Complaints (including complaints relating to ATM transactions)

Sr. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	74	1571
(b)	No. of complaints received during the year **(#)**	95810	101883
(c)	No. of complaints redressed during the year	95741	103380
(d)	No. of complaints pending at the end of the year **(*)**	143	74

B. ATM Complaints

Sr. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of complaints received during the year (#)	81915	90788
(c)	No. of complaints redressed during the year	81915	90788
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	NIL	NIL

C. Awards passed by the Banking Ombudsman

Sr. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	NIL	1
(c)	No. of Awards implemented during the year	NIL	1
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	NIL	NIL

Does not include complaints redressed within the next working day.

Note: * All the pending complaints are since redressed.

3.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoC)/ Letter of Undertaking issued by bank:

During the year ended 31st March 2020, a total of 59 LOUs were issued by the bank amounting to ₹ 150.15 Crs and the outstanding amount of Letter of Undertaking (for capital goods) as on 31.03.2020 was ₹ 131.10 Crs.

During the year ended 31st March 2019, no Letter of Comfort (LOC)/ Letter of Undertaking (LOU) were issued by the bank. However, the outstanding amount of Letter of undertaking (for capital goods) as at the year ended 31st March 2019 was ₹ 7.54 crore.

3.6 Provisioning Coverage Ratio

(₹ in crore)

A	B	C	D	E	F	G	H
		Gross NPA plus Technical / Prudential Write-off * As on 31.03.2020	Specific Provisions held @	Ratio of (D) to (C)	Gross NPA plus Technical / Prudential Write-off * As on 31.03.2019	Specific Provisions held @	Ratio of (D) to (C)
1	Sub-Standard Advances	4386.66	906.12	20.66%	4015.89	685.59	17.07%
2	Doubtful Advances (a+b+c)	20260.49	15919.77	78.58%	22339.28	16530.83	74.00%
	a < 1 year	4406.64	1891.82	42.93%	4757.28	2385.13	50.14%
	b 1-3 years	7893.94	6071.66	76.92%	11203.15	7766.85	69.33%
	c >3 years .@	7959.91	7956.29	99.95%	6378.85	6378.85	100.00%
3	Advances classified as Loss Assets (4061.39) + Technically Written-off (8744.25)	12805.64	12805.64	100.00%	8395.50	8395.50	100.00%
4	**TOTAL**	**37452.79**	**29631.53**	**79.12%**	**34750.67**	**25611.92**	**73.70%**
5	Floating Provisions	XX	13.00	XX	XX	13.00	XX
6	DICGC/ECGC claims received and held pending adjustment	XX	43.73	XX	XX	34.35	XX
7	Part payments received and kept in Suspense Account	XX	XX	XX	XX	XX	XX
8	**TOTAL**	**37452.79**	**29688.26**	**79.27%**	**34750.67**	**25659.27**	**73.84%**
9	Provision Coverage Ratio #	**79.27%**			**73.84%**		

* Technical / Prudential write-off is the amount of non-performing loans which are written-off at branch level and loans which are outstanding in the books of the branches but have been written-off (fully or partially) at Head Office level.

@ Specific Provisions held including provisions for diminution in fair vale of the restructured accounts classified as NPAs plus technical/prudential write-off.

Total provisions held on NPAs +Floating provision +DICGC/ECGC claim amount considered for Calculating NPA+ amount of technically written off / Gross NPA+ amount of technically written off

3.7 Bancassurance business

The Bank has received total of ₹60.80 Crores(₹65.08 Crores) as fee from bancassurance. It includes fees from Bancassurance Life ₹24.32 Crores (₹34.70 Crores) and Non- Life ₹36.48 Crores (₹30.38 Crores).

3.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

3.8.1 Concentration of Deposits:*

(₹ in crore)

Particulars	31-March-2020	31-March-2019
Total Deposits of twenty largest depositors	19,630.10	30,217.02
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (%)	9.24	13.75

*Compiled by the management based on individual customer IDs and relied upon by the audito₹

3.8.2 Concentration of Advances*

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Advances to twenty largest borrowers	26070.48	29903.43
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank (₹178694.84 crore (2019) & (₹178654.85 crore (2020)	14.59%	16.73%

* Advances have been computed as per the definition of credit exposure including derivatives furnished in RBI Master circular on exposure norms.

3.8.3 Concentration of Exposures**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total exposure to twenty largest borrowers/customers	33837.71	29973.34
Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the bank on borrowers/customers (FB+NFB+Invt)=217813.92 +28971.24+15056.72 =261841.88 Cr (2019) =217359.82+27012.43+13789.70 =258161.96 Cr(2020)	13.11%	11.45%

* Exposure has been computed based on credit and investment exposure as prescribed in the RBI Master circular on exposure norms.

3.8.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts as on 31.03.2020	3672.78 (3743.26)

3.9 Sector-wise Advances / NPA :

(₹ in crore)

Sl. No.	Sector*	Current Year - 2019-20			Previous Year - 2018-19		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	34925	1879	5.38%	33725	1719	5.10%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	18295	3947	21.58%	17542	3696	21.07%
3	Services	11574	1618	13.98%	15334	1196	7.80%
4	Personal Loans	11647	455	3.91%	12292	265	2.16%
	Sub-total (A)	**76441**	**7899**	10.33%	**78894**	**6876**	**8.72%**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	2748	0	0.00	3326	0	0.00%
2	Industry	44509	19412	43.61%	42475	20803	48.98%
	Power @	11374	3362	29.55%	15093	5385	35.68%
3	Services	11615	120	1.03%	10088	656	6.50%
4	Personal Loans	31967	1278	4.00%	28814	639	2.22%
	Sub-total (B)	**102214**	**20809**	20.36%	**99796**	**22098**	**22.14%**
	Total (A+B)	**178655**	**28709**	16.07%	**178690**	**28974**	**16.21%**

@SUB-SECTORS EXCEEDING 10% OF THE RESPECTIVE SECTOR

3.10 Movement of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Gross NPAs at the beginning of the year	28973.97	28124.36
Additions (Fresh NPAs) during the year	5899.84	5274.94
Sub-total (A)	**34873.81**	**33399.30**
Less :-		
(i) Upgradations	352.21	440.33
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1618.48	1704.82
(iii) Technical / Prudential Write-Offs	3126.15	1775.58
(iv) Write-Offs other than those under (iii) above	1068.43	504.60
Sub-total (B)	**6165.27**	**4425.33**
Gross NPAs at the end of the year (A-B)	**28708.54**	**28973.97**

Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts	5776.70	4195.45
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	**3126.15**	**1775.58**
Sub-total (A)	**8902.85**	**5971.03**
Less: Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)*	158.60	194.33
Closing balance (A-B)	**8744.25**	**5776.70**

*Including notional write off involved under compromise settlements in two accounts

3.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue (as on 31.03.2020)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

3.12 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

Year	Name of the SPV sponsored	
	Domestic	Overseas
2019-20	Nil	Nil
2018-19	Nil	Nil

3.13 Inter office accounts between branches, Zonal Offices, Circle Offices, IIB (Treasury), Other Departments and the Head Office are being reconciled on an ongoing basis and no material effect is expected on the profit and loss account of the current year.

3.14 Provision for Income Tax has been made on the basis of applicable laws and various judicial pronouncements available.

Consequent to the notification vide no. GSR 154(E) dated 04th March 2020 published in the Gazette of India, notified a scheme called "The Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme 2020". The above amalgamation involves structural changes to ensure tax compliances under Union Bank of India with effect from 01st of April 2020.In this regard, due to harmonization impact and to fall in line with the judicial interpretation adopted by the Anchor Bank (Union Bank of India) based on the report on Income tax positions of Andhra Bank of M/s Sundaram & Srinivasan, Chartered Accountants, Chennai, an amount of ₹ 471.03 Crores (₹ 1066.67 towards Provision for income tax - ₹ 1266.42 Crores towards DTA + ₹ 670.77 towards DTL) was the additional net impact after considering (DTA)/DTL on the Profit and loss account as on 31.03.2020 for the AY 2013-14 to AY 2019-20.

Further in adherence to the report of the consultant cited above, an additional provision so provided in the books of account has also been considered while arriving at Disputed Tax Demand for the AYs 13-14 to AYs 19-20.

Therefore, after considering above, the Disputed tax Demand is arrived at ₹ 3,316.29 Crores for the FY 2019-20 (AY 2020-21) (₹ 2,750.29 Crores) and up to assessment year 2017-18 for which assessments were completed/appealed. Amounts paid by the bank/adjusted by the department on account of the said disputed tax demands have been included in tax paid in advance/tax deducted at source (item III of Schedule 11 – Other Assets).

3.15 Credit Default Swaps: Bank has not entered into Credit Default Swaps during the current Financial Year (Previous year NIL).

3.16 INTRA-GROUP

3.16.1 Intra-group entities

Name of the entity	Nature of Relationship
Andhra Bank Financial Services Ltd.,	Subsidiary
Chaitanya Godavari Grameena Bank	Associate
India First Life Insurance Company Ltd.,	Joint Venture
India International Bank (Malaysia) Bhd	Joint Venture
ASREC India (P) Ltd.,	Joint Venture

3.16.2 Total amount of intra-group exposures –

Particulars	For the year 2019-20	For the year 2018-19
Total amount of intra-group exposures	520.00	250.25
Total amount of top-20 intra-group exposures	520.00	250.25
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers (₹261841.88 Crore -2019 & ₹258161.96 Crore-2020)	0.20%	0.10%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

3.17 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) :

Details of unclaimed liabilities where the amount due has been transferred to DEAF reflected as “Contingent Liability - Other items for which the bank is contingently liable” under Schedule 12 of the Balance Sheet:

(₹ in crore)

Particulars	31-March-2020	31-March-2019
Opening balance of amounts transferred to DEAF	399.29	274.00
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	50.03	131.50
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	3.21	6.21
Closing balance of amounts transferred to DEAF	446.11	399.29

3.18 Unhedged Foreign Currency Exposure :

Bank has in place a Board approved policy on “Hedging of Forex Currency Exposures of the Borrowers” prepared in line with RBI guidelines. The policy covers monitoring, reporting, reviewing and pricing mechanism of Unhedged Forex Exposures of Borrowers.

For computing aggregate forex exposures of the borrowers Foreign currency loans/borrowings, Working capital demand loan/ term loan in foreign currency, External Commercial Borrowings, Foreign Letter of Undertaking (LoU)/Letter of Comfort (LoC) including buyers credit, import letter of credit, Foreign Letter of Guarantees/Foreign Stand by Letter of Credit/Deferred Payment Guarantees issued in Foreign currency are considered.

The incremental provisions/Capital requirement is arrived by considering likely loss & EBID of the borrowers as per RBI guidelines.

In respect of the Unhedged Foreign Currency Exposures, Incremental provisions and capital requirements that are provided by the bank as on 31st March, 2020 are given below.

(₹ in Crore)

PARTICULARLS	2019-20	2018-19
Incremental provisioning (over and above extant standard asset provisioning)	1.85	1.92
Incremental Capital held towards requirement for un hedged foreign currency exposures of borrowers	6.94	5.07

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

3.19 **Liquidity Coverage Ratio**

3.19.1 **Disclosure format:**

(₹ in crore)

S. No.	Particulars	31-March-2020#		31-March-2019*	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		45571.18		41310.70
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	**108867.31**	**10411.22**	**104753.21**	**10055.53**
	(i) Stable deposits	**9510.19**	**475.51**	**8395.94**	**419.80**
	(ii) Less stable deposits	**99357.12**	**9935.71**	**96357.27**	**9635.73**
3	Unsecured wholesale funding, of which:	**74657.63**	**26049.95**	**79952.87**	**28600.57**
	(i) Operational deposits (all counterparties)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	74657.63	26049.95	79820.11	28467.81
	(iii) Unsecured debt	**0.00**	**0.00**	**132.76**	**132.76**
4	Secured wholesale funding		0.00		**0.00**
5	Additional requirements, of which	**24765.81**	**2411.90**	**17445.74**	**1666.06**
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	**8.15**	**8.15**	**10.69**	**10.69**
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(iii)	Credit and liquidity facilities	**24757.66**	**2403.75**	**17435.05**	**1655.37**
6	Other contractual funding obligations	**1632.04**	**1632.04**	**1240.69**	**1240.69**
7	Other contingent funding obligations	**20441.64**	**613.25**	**21336.46**	**640.10**
8	**Total Cash Outflows**		**41118.36**		**42202.95**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	Inflows from fully performing exposures	6018.30	**3009.15**	**3243.30**	**1621.65**
11	Other cash inflows	**1390.59**	**1390.59**	**1054.70**	**1054.70**
12	Total Cash Inflows	**7408.89**	**4399.74**	**4298.00**	**2676.35**
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	**TOTAL HQLA**		45571.18		41310.70
14	**Total Net Cash Outflows**		36718.62		39526.60
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		124.11%		104.51%

Based on the daily observations over the previous year

*Based on daily observations of the previous quarter

3.20 **LCR Qualitative Disclosure:**

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

a. **Main drivers of LCR**

LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions

(ii) Total net cash outflows: The term “Total net cash outflows” is defined as “Total expected cash outflows” minus “Total expected cash inflows” in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

RBI introduced LCR in a phased manner starting with a minimum of 60% w.e.f January 1, 2015 and to be maintained at minimum 100% from January 1, 2019.

b. **Intraday movements of LCR**

The movement of monthly LCR during the FY 2019-20 as against the Indicative Minimum Benchmark of 100% is as follows:

As on month end of	LCR
Apr-19	112.55%
May-19	114.12%
Jun-19	111.99%
Jul-19	125.18%
Aug-19	125.88%
Sep-19	125.22%
Oct-19	124.98%
Nov-19	130.50%
Dec-19	123.97%
Jan-20	140.38%
Feb-20	128.02%
Mar-20	126.68%

LCR (Daily Average) as on 31st March 2020, based on the daily observations over the FY 2019-20 stood at 124.11%. LCR as at the end of Jan-20, Feb-20 and Mar-20 stood at 140.38%, 128.02%, 126.68% respectively as against the minimum requirement of 100%.

c. **Composition of HQLA**

Based on the Daily average for the FY 2019-20 the composition of HQLA is given below:

High Quality Liquid Assets (HQLA)	Average percentage contribution of HQLA
Cash on hand	2.55%
Excess CRR balance	0.18%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	12.22%
Government securities within the mandatory SLR requirement to the extent allowed by RBI under MSF & FALLCR	80.54%
Marketable securities representing claims on or guaranteed by Public Sector Entities, Corporate Bonds, Commercial Papers, Equity shares (Assets classified as Level 2A and 2B Assets are subject to hair-cuts / adjustments as per RBI guidelines)	4.51%

d. **Concentration of funding sources**

An internal limit of 20% was fixed by the bank based on the ratio of top 20 depositors to the total deposits. Top 20 depositors of the bank are mainly Government accounts, quasi government agencies, municipalities and Public Sector Entities..

e. The bank has low exposure in derivatives having negligible impact on its liquidity position.

f. Bank has no significant exposure in foreign currency.

Bank is maintaining sufficient quantity of High Quality Liquid Assets to meet the minimum LCR requirements on an ongoing basis as per regulatory requirements.

3.21 Disclosures related to Provisions pertaining to fraud accounts

Particulars	31-March-2020	31-March-2019
Number of frauds reported during the year	115	83
Amount involved in such frauds (₹ in Crore) #(Provisions made against the real account balances of ₹3431.57Cr)	3467.40	1039.19
Quantum of Provision made during the year (₹ in Crore)	3431.57	1039.19
Quantum of Un-amortised Provision debited to “Other Reserves” (₹ in Crore)	NIL	NIL

Pursuant to Reserve Bank of India Circular No. RBI/2015-16/376, DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016, Bank has debited ₹ NIL crore from Revenue Reserve towards unamortized portion of provision on accounts reported as fraud.

3.22 Priority Sector Lending Certificates:

(₹ in Crore)

S. No.	Type of PSLCs	31-March-2020		31-March-2019	
		Sold	Purchased	Sold	Purchased
1.	PSLC – Agriculture (Other than PSLC-SF/MF)	0	0	500	--
2.	PSLC - SF/MF	6400	0	7375	--
3.	PSLC – Micro Enterprises	0	1800	--	1900
4.	PSLC – General (Other than agriculture & micro enterprises)	8910	2000	9600	-

3.23 Revaluation of Fixed assets:

During the FY 2019-20 revaluation has not taken place.

3.24 Amalgamation and Harmonisation

The amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India has been affected with effect from April 01, 2020 in terms of GOI notification CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) dated March 4, 2020.

In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India notified on the 04th of March, 2020 the scheme called the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020.

The scheme is to come into force on the effective date i.e. the 1st day of April, 2020. On the commencement of this Scheme, the undertakings of the Transferor Banks shall be transferred to and shall vest in the Transferee Bank. Upon amalgamation of the Transferor Bank 1 and the Transferor Bank 2 into the Transferee Bank, the surviving entity being the Transferee Bank shall be known by the name “Union Bank of India”.

The undertakings of the Transferor Banks shall be deemed to include all business, assets (including tangible and intangible), liabilities, Reserves and Surplus, present or contingent and all rights and interest arising out of such property as were immediately before the commencement of the scheme, in the ownership, possession, power or control of the transferor banks shall be transferred to and vest in Union Bank of India.

In this connection, the Reserve Bank of India with a view to obviating future build-up of stresses in the bank advised the Union Bank of India as a prudential measure, to ensure a harmonisation provision as on March 31, 2020 with respect to the impact of divergence in asset classification across the three banks as per the extant IRACP norms.

Accordingly, based on the harmonisation process carried out by Union Bank of India, the changes made as at the year end in the asset classification and provisioning as per extant IRACP norms resulted in an increase in the NPA provision to the tune of ₹945.05 crore as at the year end.

3.25 Further to the aforesaid, Union Bank of India also proposed a unified treatment of provisioning in respect of Staff benefits as per Accounting Standard 15 on Employee Benefits and Tax provision as per Accounting Standard – 22 on Accounting for Taxes on Income as at the year end based on the report of the Actuary and Tax Consultant. Consequently, the shortfall in tax provision to the tune of ₹ 471.03 crore and ₹ 270.11 crore in respect of the Pension liability have been accounted for as at the year end

3.26 Impact on account of Covid pandemic

The World Health Organization (WHO) announced a global health emergency because of a new strain of coronavirus ("COVID-19") and classified its outbreak as a pandemic on March 11, 2020. The consequential lockdowns announced by the governments across the globe including India in an effort to contain the spread of the pandemic resulted in major disruptions in the global supply chain, adversely impacting most of the industries and resulting in a global slowdown.

The continued slowdown in economic activity presents challenges in terms of lower demand, reduced operations, extended working capital cycles, pressure on bottom lines and waning cash flows. The bank on its part has been evaluating the situation on an ongoing basis and gearing itself for the challenges which the decline in economic activity and increase in financial market volatility is presenting. The bank's management is of the opinion that inspite of the aforesaid challenges, there would not be any major impact on either the liquidity or the profitability of the bank and no provision towards the same is necessary as at the year end

3.27 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There has been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

3.28 As per RBI Circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 on "Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets" dated June 07, 2019,Further, in terms of the aforementioned circular, since a viable resolution plan in respect of the aforesaid borrower was not implemented within 180 days from the end of the review period, additional provision @ 20% of the total outstanding amounting to ₹ 207.12 crore has been provided for 7 accounts total outstanding ₹1337.14 crores during the year over and above the provision required to be made as per the asset classification status of the borrower.

3.29 Previous year figures have been regrouped / reclassified /rearranged wherever necessary to confirm to current year's figures. Figures in the brackets indicate figures of previous year.

(SUNDARA PRASAD S V S)
CHIEF GENERAL MANAGER

(BIRUPAKSHA MISHRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(RAJIV KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
DIRECTOR

(K. KADIRESAN)
DIRECTOR

(JAYADEV M.)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR AGARWAL & SAXENA
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 002405C)

FOR RAY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 313124E)

FOR SANTOSH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 009713N)

FOR G S MADHAVA RAO & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 001907S)

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

(CA SUBRATO ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

(CA G. MANIKYA PRASAD)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

Particulars	For the Year ended 31st March 2020	For the Year ended 31st March 2019
Opening balance of Cash and Cash equivalents	**15033,83,89**	15944,30,77
Closing balance of Cash and Cash equivalents	**11112,05,44**	15033,83,89
Net Increase(+) / Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period	**(3921,78,45)**	**(910,46,88)**
Cash Flow from Operating Activities:		
Net Profit / (Loss) before tax	**(1173,52,21)**	(2411,12,72)
Adjustment for:		
Amortisaton/Depreciation on Investments	**506,96,68**	602,03,71
Provision for NPA	**5456,39,08**	6674,25,46
Provision for Standard Assets	**185,00,00**	(38,00,00)
Provision for Other Assets (Net)	**236,24,35**	309,71,04
Payment / provision for Interest on Borrowings	**631,02,72**	12494,37,86
Depreciation on Fixed Assets	**134,02,34**	131,37,64
(Profit) / Loss on Sale of Assets	**11,05**	(46,04)
Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities:		
Increase / (Decrease) in Deposits	**(7211,62,31)**	11750,52,14
(Increase) / Decrease in Investments	**1173,35,39**	700,65,31
(Increase) / Decrease in Advances	**34,71,97**	(14155,05,80)
(Increase) / Decrease in Other Assets	**(251,82,20)**	592,73,50
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(5981,25,26)**	(998,14,62)
Cash Generated from Operations	**(6260,38,40)**	15652,87,48
Taxes Paid	**(1210,19,09)**	(995,28,60)
Cash Flow from Operating Activities (A)	**(7470,57,49)**	14657,58,88
Cash Flow from Investing Activities:		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	**(57,81,98)**	(77,20,86)
Cash Flow from Investing Activities (B)	**(57,81,98)**	(77,20,86)
Cash Flow from Financing Activities:		
Equity Capital including Premium	**456,80,00**	5275,00,00
Application money received from Government of India, pending allotment	**-**	-
Increase / (Decrease) in Borrowings	**3851,47,14**	(7990,93,96)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 *(Contd.)*

(₹ in 000')

Particulars	For the Year ended 31st March 2020	For the Year ended 31st March 2019
Interest paid / payable on Borrowings	**(701,66,12)**	(12774,90,94)
Dividend paid (including tax on dividend)	**-**	-
Cash Flow from Financing Activities (C)	**3606,61,02**	(15490,84,90)
Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)	**(3921,78,45)**	(910,46,88)

(SUNDARA PRASAD S V S)
CHIEF GENERAL MANAGER

(BIRUPAKSHA MISHRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(RAJIV KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
DIRECTOR

(K. KADIRESAN)
DIRECTOR

(JAYADEV M.)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR AGARWAL & SAXENA
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 002405C)

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

FOR RAY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 313124E)

(CA SUBRATO ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

FOR SANTOSH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 009713N)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

FOR G S MADHAVA RAO & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 001907S)

(CA G. MANIKYA PRASAD)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the President of India/ Members of erstwhile Andhra Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of erstwhile Andhra Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches, Investment and International Banking Division audited by us and 1930 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI). Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss account and Statement of Cash Flows are the returns from 924 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.38% of gross advances, 11.94% of deposits, 4.31% of interest income and 9.85% of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the act") in the manner so required for the bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

   a. the Balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2020;

   b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss; and

   c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Going Concern

3. The amalgamation of erstwhile Andhra Bank with Union Bank of India has been affected with effect from April 01, 2020 in terms of GOI notification CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) dated March 4, 2020 as per the scheme called the "Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India Scheme, 2020". In terms of the said scheme, the undertaking of erstwhile Andhra Bank has been transferred to and has been vested in the Union Bank of India with effect from April 01, 2020. Accordingly, the management has prepared the financial statements on a going concern basis of accounting.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to Note no. 3.26 of Schedule 18 of the Standalone Financial Statements regarding impact and challenges of COVID-19 pandemic resulting in a slowdown of the economic activity. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
1.	**Identification and Classification of non-performing advances (NPAs) and provisioning in respect of NPAs** *(Refer to Schedule 17 Note 6 for the Significant Accounting Policies, Schedule 9 and various disclosures contained in Schedule 18)* Advances constitute the most important line item on the assets side of the Bank's Balance Sheet with reported total advances (net of provision) to the tune of Rs.1,57,742.33 crores, gross NPAs of Rs. 28,708.54 crores and provision on NPAs of Rs. 20,900.28 crores as at the year end i.e March 31, 2020. The advances constitute 64.68 % of the Bank's total assets. Banks are governed by the prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) on Income recognition, Asset Classification and provisioning (IRACP) and other circulars, notifications and guidelines issued by RBI from time to time relating to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPAs) and provisioning norms relating to NPAs. In terms of extant RBI guidelines, Banks are required to classify Advances as "Non Performing Assets" (Sub Standard, Doubtful and Loss) based on prescribed rules involving time lines and to provide for their delinquency at specified percentages (15%, 25%, 40% and 100%) based on the period since when such advances remained in the non performing category. Identification of performing and non-performing advances are carried out in the bank by its Core Banking Solution (CBS) software namely finacle. In order to comply with the prudential guidelines, the software has various controls and logics embedded therein. Although, identification of NPAs is rule based and system driven, the management exercises significant judgement when estimating the realizable value of primary security which consequently impacts the individual and collective provision for delinquency in respect of NPAs. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms prescribed by RBI are not complied with. Since the identification of NPAs and provisioning for such advances requires considerable level of management judgement/ estimation in the assessment of the realisable value of primary securities and given its significance to the overall audit including possible observations by RBI which could result in disclosures in the standalone financial statements and regulatory guidelines, we have identified this as a key audit matter.	Our audit procedures included but were not limited to the following with respect to the judgements and estimates which could give rise to material misstatement or were possibly subject to management bias: a) The completeness and timing of recognition of depletion in the value of security; and b) The measurement of individually assessed provisions, which is dependent on the valuation of primary and collateral securities, realisable value of inventories, trade receivables, valuation of collateral securities, liquidation value, legal status, stage of insolvency proceedings in NCLT referred cases etc. In obtaining sufficient audit evidence we: a) Understood and reviewed the operating effectiveness of key controls around the process of loan performance monitoring, assessment of drawing power in respect of Working Capital limits, evaluation of available security etc; b) Evaluated and tested the key assumptions and judgements adopted by the management in assessment of depletion in the value of securities and asset classification; c) Performed procedures to obtain comfort on the accuracy of the collective impairment calculation process through recalculation of the provision made based on realisable value of security and other parameters; and d) For material non-performing advances, we assessed the adequacy of the recognised individual provisions. We also performed the following procedures: a) Corrected all changes suggested by the Statutory Branch auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning. b) Reviewed and placed reliance upon the Independent Auditors Report and Long Form Audit Reports (LFAR) of the Statutory Branch Auditors. c) Reviewed and verified the correctness of the asset classification and provisioning in respect of all material advances in the branches audited by us. d) Tested compliance with the Significant accounting policies of the bank and the extant guidelines of the Reserve Bank of India.

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
		e) Checked the correctness of data input, logical controls in the software for the purpose of identification of non-performing assets and provisioning thereon across selected samples. Also reviewed the IT Audit reports for identifying any control weakness. f) Ensured correction of all material misstatements observed by us during the course of our testing process with respect to income recognition, asset classification and provisioning. g) Reviewed the Concurrent Audit Reports, Internal Inspection Reports (SIFA), Stock Audit Reports, Forensic Audit Reports, Valuation Reports, RBI Annual Financial Inspection Report for the year ended March 31, 2019 etc. for identifying material control weaknesses, if any in terms of banks policies and procedures. h) Efficacy of various internal controls over advances as identified in the reports as above to determine the nature, timing and extent of our substantive procedures.
2.	**Investments – Valuation, Classification and Identification and Provisioning for Non-Performing Investments (NPIs)** *(Refer to Schedule 17 Note 4 for the Significant Accounting Policies, Schedule 8 and Note no. 1.2 in Schedule 18)* Investments constitute a significant line item on the assets side of the Bank's Balance Sheet with reported total investments (net of provision) to the tune of Rs. 61,331.16 crores, gross NPIs of Rs.1204.82 crores and provision on NPIs of Rs. 1078.48 crores as at the year end i.e March 31, 2020. The investments constitute 25.15% of the Bank's total assets. Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of the Reserve Bank of India (RBI). The valuation of each category (type) of aforesaid security is required to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. The classification and carrying value of these investments (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the valuation and classification norms prescribed by RBI are not complied with.	Our audit approach towards Investments with reference to the Reserve Bank of India ("RBI") circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines. Our audit procedures accordingly included but were not limited to the following: a) Evaluated and tested the key assumptions and judgements adopted by the management in the classification and valuation of investments; b) Performed procedures to obtain comfort on the accuracy of the collective impairment calculation process through recalculation of the provision made based on the RBI guidelines; c) Tested compliance with the Significant accounting policies of the bank and the extant guidelines of the Reserve Bank of India; d) Evaluated and assessed the process adopted for collection of information from various sources for determining the fair value of the investments; e) Ensured correction of all material misstatements observed by us during the course of our testing process with respect to income recognition, asset classification, valuation and provisioning of investments;

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
	Since the classification and valuation of investments, identification of NPIs and provisioning for such investments requires considerable level of management judgement/ estimation in their valuation and given its significance to the overall audit and the complexities, volume of transactions and regulatory guidelines, we have identified this as a key audit matter. The valuation of these investments was considered to be one of the areas which required significant auditor attention and was one of the matters of most significance in the standalone financial statements due to the materiality of total value of investments to the standalone financial statements.	i) Reviewed the Concurrent Audit Reports, Internal Inspection Reports (SIFA), RBI Annual Financial Inspection Report for the year ended March 31, 2019 etc. for identifying material control weaknesses, if any in terms of banks policies and procedures; and j) Efficacy of various internal controls over investments as identified in the reports as above to determine the nature, timing and extent of our substantive procedures.
3.	**Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct Taxes (DTA/ DTL) and various claims filed by other parties not acknowledged as debt** *(Schedule 12 read with Note 2.12 of Schedule 18 to the standalone financial statements)* The assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct Taxes (DTA/DTL) and various claims filed by other parties not acknowledged as debt requires considerable level of management judgement/ estimation in the assessment, thereof. As also defined in Accounting Standard (AS) 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), a *"provision is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation"*. The managements estimation of a provision and classification as a contingent liability is based on the specific facts of each event, their own judgment about the event/ transaction, past experience on similar events/ transactions, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. The managements estimation is also, in some cases, based on advice received from independent lawyers, legal experts and tax advisors. Since the estimation is based on their opinion, there is an uncertainty in the outcome of these issues and judgment in the interpretation of law. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported loss and state of affairs presented in the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.	In obtaining sufficient audit evidence we performed the following audit procedures: a) We reviewed the details of past Direct tax assessment orders, unresolved tax issues together with their impact on account of matters pending with appropriate assessing and appellate tax authorities, amount of allowable carried forward losses as per the Income Tax orders etc; b) We reviewed the current status of the issues under litigation based on our understanding of the likely outcome of the issues under dispute and the possible outflow, if any; c) Obtained an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that were appropriate in the circumstances; d) Examined recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up action thereon; e) Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of our internal tax experts; f) Evaluated the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues; and g) Verified disclosures related to significant litigations and taxation matters.

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
4.	**Modified audit procedures in light of coronavirus ("COVID-19") pandemic** The World Health Organization (WHO) announced a global health emergency because of a new strain of coronavirus ("COVID-19") and classified its outbreak as a pandemic on March 11, 2020. The consequential nation-wide lockdown coupled with travel restrictions (air, rail and road) imposed by the Central/ State Government/ Local Authorities during the subsequent months being the period when the audit had to be conducted by us resulted in our not being able to visit the branches, Zones, Circle offices and Head Office for the purpose of audit, as in the past. Statutory branch auditors in respect of 212 branches could also not visit the branches on account of the Covid-19 related travel restrictions/ lockdown. In this matter RBI also issued necessary directions/ guidelines to all Banks to facilitate audit of the branches and other offices through remote/ distance/ online basis wherever physical access was not possible on account of Covid-19 related travel restrictions. Accordingly, because of such travel restrictions none of us as Statutory Central Auditors could visit any of the top 20 branches, 36 Zonal Offices, 6 Circle Offices and Head Office under audit by us and audit of all these branches and offices was conducted by visiting a local branch/ Zonal Office of the bank for accessing the accounts through the Core Banking Solution (CBS) software and other electronic modes. In the absence of our being able to physically visit the branches/ offices for reviewing the records, documents etc and the fact that the effectiveness of the off-site remote auditing process was limited in terms of complying with the audit procedures prescribed in the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and obtaining sufficient appropriate audit evidence to help us obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole were free from material misstatement, whether due to fraud or error, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	As a consequence of the government announcing a strict lockdown across the country to contain the spread of the coronavirus ("COVID-19") pandemic with restrictions to travel by air, rail or road, it was not possible for the audit team members, as in the past, to visit the branches/ Zonal Offices/ Circle Offices/ Head Office for carrying out the audit. Accordingly, we adopted off site remote auditing process based on which we coupled information and communication technology (ICT) with access to the Core Banking Solution (CBS) finacle software at local branches/ Zonal Offices of erstwhile Andhra Bank to assess the accuracy of the standalone financial statements, gather electronic evidence and interact with the branch officials, all without the need to be physically present at the branches/ Zonal Offices/ Circle Offices and Head Office. In all such cases of remote/ distance/ online audit, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to finacle (CBS) etc. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. In view of the aforesaid limitations, we modified our audit procedures as under: a) Reviewed the transactions of the Branches/ Zonal Offices/ Circle Offices/ Administrative Offices/ Head Office through the Banks Core Banking Solution (CBS) finacle software for the year under audit. b) Reviewed and verified necessary records/ documents/ etc in respect of borrowers and other accounts electronically through remote access/ emails in respect of the Branches/ Zonal Offices/ Circle Offices/ Head Offices and other offices of the Bank. c) Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, minutes, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. d) Made enquiries and gathered necessary audit evidence through discussions over phone calls/ conference calls, emails and similar communication channels. e) Resolution of all our audit observations was made by the bank telephonically/through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The amalgamation of erstwhile Andhra Bank with Union Bank of India has been affected with effect from April 01, 2020 in terms of GOI notification CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) dated March 4, 2020 as per the scheme called the "Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India Scheme, 2020". In terms of the said scheme, the undertaking of erstwhile Andhra Bank has been transferred to and has been vested in the Union Bank of India with effect from April 01, 2020

and the Board of Directors of the erstwhile Andhra Bank has been dissolved with effect from the said date. As informed, the Other information comprising of Directors Report and Corporate Governance Report has not been issued in view of the aforesaid.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

   Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
   - Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

   Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

   We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

   We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

   From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. We did not audit the financial statements/ information of 1930 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total gross advances of ₹ 1,04,072.50 crores as at 31st March 2020

and total revenue of ₹ 11,328.61 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 we report that:
    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
12. **We further report that:**
    a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
    c) the reports on the accounts of the branches audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
    d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
13. As required vide letter number DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in public sector banks – reporting obligations for SCAs from financial year 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, the further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter are as under :
    a) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the accounting standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;
    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank;
    c) We are unable to comment on whether any of the director is disqualified from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 1956 since in terms of GOI notification CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) dated March 4, 2020 erstwhile Andhra Bank together with Corporation Bank have amalgamated with Union Bank of India with effect from April 01, 2020 and in terms of para (5) of the said notification, the Board of erstwhile Andhra Bank stands dissolved with effect from April 01, 2020 together with all the whole time Directors ceasing to hold office from the said date;

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith; and

e) The Bank has exercised the option to not implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" during the current year as permitted by RBI on May 19, 2020. We accordingly do not provide any comment in this regard.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 002405C)
(CA Anil K. Saxena)
Partner
M. No. 071600
UDIN : 20071600AAAAAK6945
Place: Kanpur

For Ray & Co
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 313124E)
(CA Subrato Roy)
Partner
M. No. 51205
UDIN : 20051205AAAAAS1903
Place : Kolkata

For Santosh Gupta & Co
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 009713N)
(CA Manoj Kumar)
Partner
M. No. 108603
UDIN : 20108603AAAABU9628
Place: Mumbai

For G.S. Madhav Rao & Co.
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 001907S)
(G Manikya Prasad)
Partner
M. No. 020105
UDIN : 20020105AAAABP9700
Place: Hyderabad

Place : Mumbai
Date : 23rd June 2020

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**3095,53,73**	2884,48,78
Reserves and Surplus	2	**9344,99,86**	10447,23,69
Deposits	3	**212691,51,65**	219852,93,27
Borrowings	4	**14171,17,11**	10314,58,94
Other Liabilities and Provisions	5	**9288,77,42**	10544,73,43
TOTAL		**248591,99,77**	254043,98,11
ASSETS			
Cash and Balances with RBI	6	**7730,28,94**	10127,13,69
Balances with Banks and Money at call and Short Notice	7	**3872,07,50**	5420,83,42
Investments	8	**65286,12,80**	66914,82,57
Advances	9	**157766,37,39**	158847,91,03
Fixed Assets	10	**1500,83,99**	1572,28,67
Other Assets	11	**12436,29,15**	11160,98,73
TOTAL		**248591,99,77**	254043,98,11
Contingent Liabilities	12	**139105,81,04**	203733,03,22
Bills for Collection		**13468,96,92**	9801,11,35
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

(SUNDARA PRASAD S V S)
CHIEF GENERAL MANAGER

(BIRUPAKSHA MISHRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(RAJIV KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
DIRECTOR

(K. KADIRESAN)
DIRECTOR

(JAYADEV M.)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR AGARWAL & SAXENA
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 002405C)

FOR RAY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 313124E)

FOR SANTOSH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 009713N)

FOR G S MADHAVA RAO & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 001907S)

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

(CA SUBRATO ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

(CA G. MANIKYA PRASAD)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
INCOME			
Interest Earned	13	**20073,75,65**	19202,87,80
Other Income	14	**3498,96,34**	3088,09,54
TOTAL INCOME		**23572,71,99**	22290,97,34
EXPENDITURE			
Interest Expended	15	**12796,80,63**	12224,28,26
Operating Expenses	16	**5658,53,52**	5005,77,90
Provision and Contingencies		**6466,80,46**	7828,00,83
TOTAL EXPENDITURE		**24922,14,61**	25058,06,99
PROFIT / (LOSS) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS AND SHARE OF PROFIT IN ASSOCIATE		**(1349,42,62)**	(2767,09,65)
Extraordinary Items		**-**	**-**
Share of Profit in the Associate		**25,73,05**	25,09,84
Consolidated Net Profit / (Loss) for the Year		**(1323,69,57)**	(2741,99,81)
CONSOLIDATED NET PROFIT / (LOSS) BROUGHT FORWARD		**(6255,67,23)**	(3508,25,76)
TOTAL		**(7579,36,80)**	(6250,25,57)
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		**106,13,16**	97,91
Transfer to Capital Reserve		**289,58,27**	4,43,75
Transfer to Revenue & Other Reserves		**41,22,15**	-
Transfer to Special Reserve Under I.T Act		**-**	-
Proposed Dividend		**-**	-
Dividend Tax		**-**	-
Balance Carried Over to Balance Sheet		**(8016,30,38)**	(6255,67,23)
TOTAL		**(7579,36,80)**	(6250,25,57)
EARNINGS PER SHARE: BASIC & DILUTED ₹		**(4.43)**	(18.71)

The Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account

(SUNDARA PRASAD S V S)
CHIEF GENERAL MANAGER

(BIRUPAKSHA MISHRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(RAJIV KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
DIRECTOR

(K. KADIRESAN)
DIRECTOR

(JAYADEV M.)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR AGARWAL & SAXENA
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 002405C)

FOR RAY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 313124E)

FOR SANTOSH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 009713N)

FOR G S MADHAVA RAO & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 001907S)

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

(CA SUBRATO ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

(CA G. MANIKYA PRASAD)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ in 000')

Particulars	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
600,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	**6000,00,00**	6000,00,00
II. Issued, Subscribed, Called up and Paid up		
309,55,37,256 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 288,44,87,840 Equity Shares) [Including 273,16,84,046 Equity Shares (Previous year 262,06,34,630 Equity Shares) held by Central Government]	**3095,53,73**	2884,48,78
TOTAL SCHEDULE - 1	**3095,53,73**	2884,48,78
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :		
I. Statutory Reserve :		
Opening Balance	**2554,20,50**	2833,75,67
Addition during the Year	**106,13,16**	97,91
Less : Deductions	**70,63,40**	280,53,08
Total-I	**2589,70,26**	2554,20,50
II. CAPITAL RESERVE		
A. REVALUATION RESERVE		
Opening Balance	**959,76,57**	835,49,61
Addition during the Year	**74,19**	138,49,65
Deduction during the Year (Being depreciation on revalued portion of property)	**16,35,77**	14,22,69
Total-II A	**944,14,99**	959,76,57
B. OTHER RESERVES		
Opening Balance	**655,42,38**	650,98,63
Addition during the Year	**289,58,27**	4,43,75
Total-II B	**945,00,65**	655,42,38
Total-II (A+B)	**1889,15,64**	1615,18,95
III. SHARE PREMIUM		
Opening Balance	**8591,98,78**	5002,64,38
Addition during the Year	**287,75,06**	3589,34,40
Total-III	**8879,73,84**	8591,98,78
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A. REVENUE RESERVE		
Opening Balance	**2487,64,61**	2476,24,91
Addition during the Year	**53,44,92**	14,22,69
Less : Deductions/Adjustments	**-**	2,82,99
Total-IV A	**2541,09,53**	2487,64,61
B. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
Opening Balance	**(1,11,92)**	(8,37,90)
Addition during the Year	**3,66,26**	8,92,35
Less : Deductions	**6,37**	1,66,37
Total-IV B	**2,47,97**	**(1,11,92)**
C. SPECIAL RESERVE U/s 36 (1) (viii) of IT ACT		
Opening Balance	**1455,00,00**	1455,00,00
Addition during the Year	**-**	-
Less : Deductions	**-**	-
Total-IV C	**1455,00,00**	1455,00,00
D. INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		
Opening Balance	**-**	-
Addition during the Year	**4,13,00**	-
Less : Deductions	**-**	-
Total-IV D	**4,13,00**	-
Total-IV A+B+C+D	**4002,70,50**	3941,52,69
V. BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	**(8016,30,38)**	(6255,67,23)
TOTAL SCHEDULE - 2	**9344,99,86**	10447,23,69

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE - 3: DEPOSITS		
I-A. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	**47,86,14**	47,48,44
ii) From Others	**11294,20,51**	10190,02,60
Total I-A	**11342,06,65**	10237,51,04
I-B. SAVING BANK DEPOSITS		
i) From Banks	**-**	-
ii) From Others	**62121,71,49**	58768,01,18
Total I-B	**62121,71,49**	58768,01,18
I-C. TERM DEPOSITS		
i) From Bank	**5,70,34**	5,36,92
ii) From Others	**139222,03,17**	150842,04,13
Total I-C	**139227,73,51**	150847,41,05
TOTAL-I	**212691,51,65**	219852,93,27
II-A. DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	**212581,96,02**	219794,91,41
II-B. DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	**109,55,63**	58,01,86
TOTAL-II	**212691,51,65**	219852,93,27
TOTAL SCHEDULE - 3	**212691,51,65**	219852,93,27
SCHEDULE - 4: BORROWINGS		
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) From Reserve Bank of India	**4443,00,00**	500,00,00
ii) From Other Banks	**3836,59,07**	6,48,04
iii) Other Institutions & Agencies	**5891,58,04**	9289,44,65
(Including Subordinated/IPDI/Upper Tier-II Debts/Bonds)		
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**-**	518,66,25
TOTAL SCHEDULE - 4	**14171,17,11**	10314,58,94
SCHEDULE - 5: OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. Bills Payable	**681,07,45**	772,64,15
II. Inter Office Adjustments (Net)	**113,81,78**	927,52,39
III. Interest Accrued	**348,68,44**	368,66,16
IV. Contingent Provisions Against Standard Assets	**916,76,83**	731,44,63
V. Deferred Tax Liability	**-**	-
VI. Others (Including Provisions)	**7228,42,92**	7744,46,10
TOTAL SCHEDULE - 5	**9288,77,42**	10544,73,43
SCHEDULE - 6: CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. Cash In Hand (Including Foreign Currency Notes)	**1214,49,77**	984,97,41
II. Balance with Reserve Bank of India		
i) In Current Accounts	**6515,79,17**	9142,16,28
ii) In Other Accounts	**-**	-
TOTAL SCHEDULE - 6	**7730,28,94**	10127,13,69

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE - 7: BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	**58,90,69**	90,67,72
b) In Other Accounts	**254,65,50**	339,56,02
Total-i	**313,56,19**	430,23,74
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With Banks	**48,91,28**	4800,00,00
b) With Other Institutions	**-**	-
Total-ii	**48,91,28**	4800,00,00
Total-I (i+ii)	**362,47,47**	5230,23,74
II. OUTSIDE INDIA		
i) In Current Accounts	**125,93,80**	81,96,59
ii) In Other Deposit Accounts	**3247,74,36**	1,13,55
iii) Money at Call and Short Notice	**135,91,87**	107,49,54
Total- II	**3509,60,03**	190,59,68
TOTAL SCHEDULE - 7	**3872,07,50**	5420,83,42

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE - 8: INVESTMENTS		
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	**58660,55,85**	58521,45,31
ii) Other Approved Securities	**913,28,40**	758,31,71
iii) Shares	**1002,60,92**	1268,20,35
iv) Debentures and Bonds	**2601,32,39**	2740,91,52
v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**173,69,56**	150,96,52
vi) Others (Commercial papers, VCF, Security Receipts, etc)	**1897,07,24**	3436,42,10
Total-I	**65248,54,36**	66876,27,51
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) Government Securities (Including local authorities)	**8,78,12**	12,75,66
ii) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**-**	-
iii) Other Investments	**28,80,32**	25,79,40
Total	**37,58,44**	38,55,06
Grand Total (I and II)	**65286,12,80**	66914,82,57
Gross Investments in India	**68088,62,64**	69545,65,19
Less : Provision for Depreciation	**2840,08,28**	2669,37,67
Net Investments in India	**65248,54,36**	66876,27,52
Gross Investments Outside India	**37,58,44**	38,55,05
Less : Provision for Depreciation	**-**	-
Net Investments Outside India	**37,58,44**	38,55,05
TOTAL SCHEDULE - 8	**65286,12,80**	66914,82,57

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE - 9: ADVANCES		
I-A. Bills Purchased and Discounted	**1148,59,01**	1390,68,55
I-B. Cash Credits,Overdrafts and Loans (repayable on demand)	**89008,27,04**	90083,73,29
I-C. Term Loans	**67609,51,34**	67373,49,19
Total	**157766,37,39**	158847,91,03
II-PARTICULARS OF ADVANCES:		
II-A. Secured By Tangible Assets (Includes Advances against Book Debts)	**139493,80,71**	144259,68,83
II-B. Covered by Bank/Government Guarantees	**13153,18,20**	9779,33,10
II-C. Unsecured Advances	**5119,38,48**	4808,89,10
Total	**157766,37,39**	158847,91,03
III. SECTORAL CLASSIFICATION OF ADVANCES:		
III-A. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector	**70467,34,88**	75160,34,54
ii) Public Sector	**14497,08,50**	12002,36,50
iii) Banks	**-**	-
iv) Others	**72780,49,62**	71662,02,02
Total	**157744,93,00**	158824,73,06
III-B. ADVANCES OUTSIDE INDIA	**21,44,39**	23,17,97
Total	**157766,37,39**	158847,91,03
TOTAL SCHEDULE-9	**157766,37,39**	158847,91,03
SCHEDULE - 10: FIXED ASSETS		
A. TANGIBLE ASSETS		
I. PREMISES		
At cost as on 31st March of the preceding year	**2052,24,19**	1820,37,35
Additions during the year	**6,59,63**	9,52,88
Addition on account of revaluation in original cost	**-**	222,50,75
Deletions/Deductions during the year	**2,95,56**	16,79
Depreciation to date (including accumulated depreciation on account of revaluation)	**960,94,57**	944,34,54
WDV at the end of the Year	**1094,93,69**	1107,89,65
II. OTHER FIXED ASSETS (INCLUDING FURNITURE AND FIXTURES)		
At cost as on 31st March of the preceding year	**1623,77,98**	1598,34,00
Additions during the year	**63,72,55**	75,14,09
Deletions/Deductions during the year	**27,13,21**	49,70,11
Depreciation to date	**1275,22,82**	1192,14,47
WDV at the end of the Year	**385,14,50**	431,63,51

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
III. CAPITAL WORK IN PROGRESS		
At cost as on 31st March of the preceding year	**7,37,47**	9,75,93
Additions during the year	**16,68,46**	21,55,68
Deletions/Deductions during the year	**19,01,12**	23,94,14
Value at the end of the Year	**5,04,81**	7,37,47
B. INTANGIBLE ASSETS		
I. COMPUTER SOFTWARE		
At cost as on 31st March of the preceding year	**226,15,82**	224,99,42
Additions during the year	**2,57,35**	4,15,10
Deletions/Deductions during the year	**29**	2,98,70
Depreciation/Amortization to date	**215,91,93**	203,67,82
WDV at the end of the Year	**12,80,95**	22,48,00
II. GOODWILL	**2,90,04**	2,90,04
TOTAL SCHEDULE-10	**1500,83,99**	1572,28,67
SCHEDULE - 11: OTHER ASSETS		
I. Inter Office Adjustments (Net)	**-**	-
II. Interest Accrued	**1781,69,04**	1762,75,66
III. Tax Paid in Advance/Tax Deducted at Source (Net of Provision)	**3598,57,40**	3980,14,14
IV. Stationery & Stamps	**13,02,16**	13,84,35
V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claim	**-**	-
VI. Deferred Tax Asset (Net)	**3872,79,13**	2298,31,19
VII. Others	**3170,21,42**	3105,93,39
TOTAL SCHEDULE-11	**12436,29,15**	11160,98,73
SCHEDULE - 12: CONTINGENT LIABILITIES		
I. Claims against Bank not acknowledged as debts	**1916,75,91**	1918,54,91
II. Capital Commitments	**17,05,50**	30,20,24
III. Options & Derivatives	**-**	-
IV. Outstanding Forward Exhange Contracts	**109601,42,15**	172561,83,46
V. Guarantees given on behalf of Constituents (BGs)		
a) In India	**15920,02,96**	16040,29,13
b) Outside India	**1,86,70**	5,26,60
VI. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**3959,16,39**	4872,19,51
VII. Letter of Comfort	**131,09,76**	7,53,64
VIII. Interest Rate Swaps	**-**	-
IX. Disputed Tax Liability (Net)	**3335,69,17**	2771,43,30
X. Other Items for which Bank is Contingently Liable	**4222,72,50**	5525,72,43
TOTAL SCHEDULE-12	**139105,81,04**	203733,03,22

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ in 000')

PARTICULARS	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
SCHEDULE - 13: INTEREST EARNED		
I. Interest/Discount on Advances/ Bills	**15227,85,17**	14173,83,95
II. Income on Investments	**4678,10,44**	4822,74,62
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and Other Inter Bank Funds	**94,91,73**	92,86,84
IV. Others	**72,88,31**	113,42,39
TOTAL SCHEDULE-13	**20073,75,65**	19202,87,80
SCHEDULE - 14: OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	**554,82,07**	569,13,38
II. Profit/(Loss) on Sale of Investments (Net)	**537,23,77**	186,19,86
III. Profit/(Loss) on Revaluation of Investments (Net)	**(1,24)**	-
IV. Profit/(Loss) on Sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)	**11,05**	46,03
V. Profit/(Loss) on Exchange Transactions (Net)	**114,63,66**	50,33,37
VI. Income by way of Dividend	**5,82,36**	6,05,89
VII. Insurance Premium	**973,58,89**	947,32,70
VIII. Miscellaneous Income	**1312,75,78**	1328,58,31
TOTAL SCHEDULE-14	**3498,96,34**	3088,09,54
SCHEDULE - 15: INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	**12165,35,77**	11475,85,96
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowings	**82,20,23**	270,43,75
III. Others	**549,24,63**	477,98,55
TOTAL SCHEDULE-15	**12796,80,63**	12224,28,26
SCHEDULE - 16: OPERATING EXPENSES		
I. Payment to and Provisions for Employees	**3187,90,26**	2301,45,88
II. Rent, Taxes and Lighting	**322,65,84**	312,42,83
III. Printing and Stationery	**28,63,51**	30,11,30
IV. Advertisement and Publicity	**35,60,05**	23,67,40
V. Depreciation on Bank's Property	**140,47,34**	135,84,62
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	**79,54**	56,11
VII. Auditors' Fees and Expenses (Including Branch Auditors fees and expenses)	**28,94,04**	32,26,27
VIII. Law Charges	**7,16,57**	5,25,21
IX. Postages, Telephones etc.	**50,45,05**	55,88,08
X. Repairs and Maintenance	**140,62,82**	129,15,14
XI. Insurance	**220,99,67**	218,11,94
XII. Benefits Paid relating to insurance activity	**832,36,76**	1125,72,91
XIII. Other Expenditure	**661,92,07**	635,30,21
TOTAL SCHEDULE-16	**5658,53,52**	5005,77,90

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2019-20

1. GENERAL

1.1 Basis of preparation:

The Consolidated financial statements of the Bank (Parent), Subsidiaries and Joint Ventures are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles in India which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/ guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

1.2 Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. BASIS OF CONSOLIDATION

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 1 subsidiary, 1 associate and 3 joint ventures) have been prepared on the basis of:

i. Audited accounts of Andhra Bank (parent).

ii. Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the subsidiary with the respective item of the parent, and after eliminating all material intra group balances / transactions, unrealized profit / loss, as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

iii. Accounting for investment in 'Associate' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

iv. Consolidation of Joint ventures – 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

v. The financial statements of India International Bank Malaysia Berhad comply with the International Financial Reporting Standards ("IFRS") and the requirements of the Companies Act, 1965 in Malaysia have been aligned with Indian GAAP for the purpose of consolidation

vi. In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.2 The difference between cost to the group of its investment in the joint venture and the group's portion of the equity of the joint venture is recognized in the financial statements as goodwill or capital reserve as the case may be.

3. REVENUE RECOGNITION:

3.1 Income and Expenditure are generally recognised on accrual basis, except the following:

i. Interest on non-performing advances (NPAs) and non performing investments (NPIs) is recognized based on realisation as per prudential norms laid down by Reserve Bank of India. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealised is derecognised in respect of assets classified as NPAs/ NPIs during the year

ii. Income by way of Commission, exchange, brokerage, fee, interest on overdue bills, and rent on lockers are accounted for on realisation.

iii. Dividend is accounted for on accrual basis when the right to receive the same is established.

iv. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and on recovery the same are accounted as income.

v. Sale of NPAs are accounted for in terms of the extant RBI guidelines.

3.2 Profit / Loss on Sale of Investments:

i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption of Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.

ii. Profit on sale of investments held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in the Profit and Loss Account.

iii. Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

iv. Loss on sale of investments in all the three categories is

recognized in Profit and Loss Account.

3.3 Partial recoveries in non performing advances are appropriated in the following order of priority:

i. Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery.

ii. Interest irregularities/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e., Principal outstanding in the account.

3.4 In case of non performing advances involving compromise settlements in which case the recoveries are first adjusted towards principal.

3.5 Life Insurance:

a. Premium Income:

Premium is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premium is inclusive of GST applicable on charges. In case of unit linked business, top up premium paid by policy holders are considered as single premium.

b. Reinsurance Premium:

Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the re-insurer. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.

c. Income from linked policies:

Income from linked policies, which include asset management fees and other charges, if any, are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of the policies and recognised when due.

d. Benefits paid (including claims):

Maturity benefits are accounted for when due for payment. Deaths and other claims are accounted for on receipt of intimation. Surrender/withdrawals under non-linked policies are accounted on the receipt of request. Surrenders/withdrawals under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due

Claims payable include the direct costs of settlement. Reinsurance recoverable thereon is accounted for in the same period as the related claim. Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.

e. Acquisition cost:

Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy.

3.6 Asset Reconstruction Company:

a. Income from Investments in Financial Assets (FAs):

Amount realised on resolution / realisation of FAs is credited to respective FAs till the value of FAs become nil. Amount realised from resolution of FAs subsequent to FA value becoming nil is credited to Profit and Loss Statement. Similarly, if the total amount realised from resolution of FAs is less than its cost, the short fall is treated as loss and debited to Profit and Loss Statement. In case of Financial Assets acquired / resolved under policy for Acquisition of “Negotiated Financial Assets for Restructuring”, interest on amount funded is recognised on actual realisation.

b. Income from Investments in Security Receipts (SR) of Trusts:

Income from Investment in SRs is recognised when all SRs are redeemed by the Trusts. Surplus arising from sale of unresolved assets subsequent to redemption of all SRs is recognised, as and when distributed by respective trusts.

c. Other Income:

All other incomes are recognised on accrual basis. Revenue is recognised when it is earned and no significant uncertainty exists as to its realisation or collection. In case of recognition of Management fee, significant certainty shall be construed when the Management fee is actually received.

d. Expenses incurred for acquiring Financial Assets:

Acquisition expenses at pre-acquisition stage towards due diligence, valuation and bidding fee etc. for acquiring financial assets are shown as current year's expenses and the same are charged to Profit and Loss Statement.

4. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

4.1 Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

4.2 ***Monetary Assets and Liabilities are revalued at the Exchange Rates notified by FEDAI at the close of the year and the Net Present value (NPV) of the resultant gain/loss is recognized in the Profit and Loss Account.***

4.3 ***Derivative products (forward contracts (both merchant & interbank) /currency futures /foreign currency swaps etc.) are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract. These are revalued at the Quarter-end rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss is taken to profit & loss account. The resultant Marked to market (MTM) gain/loss is discounted by using FIMMDA- ZCYC rates (6 month) to arrive at present value MTM and the resultant gain/loss is recognized in profit and loss A/c.***

4.4 Foreign Letters of Credit/Letters of Comfort and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rates notified by FEDAI as at the close of the financial year.

4.5 ***Other derivative products like interest rate swaps / forward rate agreement/options etc. which are undertaken on back-to back basis or for hedging bank's own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of contract and are reported at the closing rates at the balance sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back- to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.***

5. INVESTMENTS:

5.1 Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads:

i. Government Securities

ii. Other Approved Securities

iii. Shares

iv. Debentures and Bonds

v. Subsidiaries / Associates / Joint Ventures and

vi. Others.

5.2 Investments are further classified into the following three categories:

i. Held to Maturity (HTM)

ii. Available for Sale (AFS)

iii. Held for Trading (HFT)

5.3 Basis of classification

i. An investment is classified as HTM, AFS or HFT at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the guidelines issued by Reserve Bank of India.

ii. "Held to Maturity" category comprises of securities acquired with the intention to hold them up to maturity.

iii. "Held for Trading" category comprises of securities acquired with the intention of trading.

iv. "Available for Sale" securities are those which are not classified under either of the above two categories.

v. Investments in Subsidiaries/Associates/Joint ventures are classified as 'Held to Maturity'.

5.4 Valuation:

In determining the acquisition cost of an investment

i. Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost of Investments. The incentives received after the sale of securities is credited to Profit and Loss Account.

ii. Brokerage, commission, securities transaction tax and stamp duty paid in connection with acquisition of investments are treated as revenue expenditure.

iii. Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

iv. Cost is determined on the weighted average cost method for all the categories of investments.

The Investments are valued in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India on the following basis:-

i. Held to Maturity:

a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost, net of amortization, if any. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortised over the remaining period of maturity. Such amortization of premium is adjusted against income under the head "Interest on Investments".

b. Investments in subsidiaries, associates and joint ventures (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investment in Regional Rural Bank, which are valued at carrying cost (i.e. book value).

c. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for on each such investment individually.

ii. Available for Sale:

Investments classified under this category are valued as under:

Category	Method of Valuation
Government / Approved securities	On YTM (Yield to Maturity) basis.
Equity Shares	Quoted Shares at market price and unquoted shares at break-up value (without considering 'Revaluation Reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise at ₹ 1 per Company.
Preference Shares	On YTM basis.
Debentures/ Bonds	On YTM basis.
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
Venture Capital Funds	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by the Asset Reconstruction Company.
T-Bill & Commercial Paper	At Carrying Cost.

The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Associates / Joint Ventures) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

Investments in Security Receipts:

In case of sale of NPA (financial asset) to Securitization Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognized at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

iii. Held for Trading:

a. Investments classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/yields declared by Financial Benchmark India Pvt. Ltd. at the end of every month.

b. The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Associates / Joint Ventures) is fully provided for, whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

5.5 Prudential Norms:

i. Investments are classified as performing and non performing based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

ii. In respect of non-performing investments (NPI), income is not recognised and provision is made for depreciation in value for such securities as per RBI guidelines.

iii. **Accounting for Repo/Reverse Repo transactions**

The securities sold and purchased under Repo / Reverse repo (including repo / reverse repo transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and the Marginal Standing Facility (MSF) with RBI are accounted as collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale / purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo / Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balances with Banks & Money at Call & Short Notice) as per RBI Master Directions issued.

5.6 General

i. Purchase and sale transactions in Government and other than Government Securities are recorded on the date of settlement.

ii. a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category:

Transfer is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation already held against that security and the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer is recognized and adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/ HFT category:

If the security originally placed under HTM category;

- is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price / book value.

-is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortised cost.

After transfer in both the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and depreciation already held if any, is transferred to the provision for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

6. INTEREST RATE SWAPS:

6.1 Interest Rate Swaps: (Hedging)

i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value or designated asset or liability.

ii. Gains / losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset / liability.

6.2 Interest Rate Swaps: (Trading)

i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss Account;

ii. Income and Expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;

iii. Fee is recognized as income or expense as the case may be;

iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

7. ADVANCES

7.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

7.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets borrower-wise.

7.3 Provisions are made for Non Performing Advances (NPAs) as per the extant guidelines prescribed by Reserve Bank of India and Additional Provisions as assessed subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub – Standard Assets :	i. A general of 15% of the total outstanding ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available – 20%
Doubtful-Secured Portion	i. Upto one year – 25% ii. One to three years – 40% iii. More than three years – 100%
Doubtful – Unsecured Portion	100%
Loss Asset	100%

7.4 Advances stated in the Balance Sheet are net of specific loan loss provisions, and unrecovered interest held in Sundry/ claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF)/ Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non- performing assets.

7.5 For restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for. The Provision for Diminution in Fair Value (DFV) is reduced from advances.

7.6 In the case of loan accounts classified as NPAs, account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Reserve Bank of India.

7.7 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

7.8 General provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities and Provisions" and are not considered for arriving at Net NPAs.

8 FIXED ASSETS, DEPRECIATION AND AMORTISATION

8.1 Fixed Assets other than land and premises are stated at cost, less accumulated depreciation as adjusted for impairment loss, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation cost and other charges incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit from the asset.

8.2 Land/premises, which have been revalued are stated at

revaluation amount. At the date of revaluation, accumulated depreciation is calculated by restating proportionately with the change in gross carrying amount so that the carrying amount after revaluation equals its revalued amount, as per the Accounting Standard AS-10 (Revised) Property, Plant and Equipment. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted therefrom.

8.3 Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

8.4 **Depreciation:**

(i) Depreciation is charged over the estimated useful life of the fixed asset on a straight line basis. The management believes that the useful life of assets assessed by the Bank, taking into account changes in environment, changes in technology and the utility of the asset in use, represents the useful lives of the respective assets. The estimated useful lives of fixed assets are given below.

Particulars	Residual Value	Estimated useful life as determined by the Bank
Premises – Freehold	5% of original cost	60 Years
Other Fixed Assets:		
Safe Deposit Lockers, Strong Room Doors, Safe	₹ 1/-	30 Years
Furniture, Fixtures, Electrical fittings, Air-conditioning plants and Equipment	₹ 1/-	10 Years
Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine/Coin Dispenser / Coin Vending Machine	₹ 1/-	7 Years
Office Equipment's	₹ 1/-	5 Years
Motor cars, Vans & Motor cycles	5% of original cost	5 Years
Computers and Computer Software forming integral part of hardware	₹ 1/-	3 Years

(ii) Assets having original cost less than or equal to ₹ 10,000/- are being depreciated 100% leaving a residual value of ₹ 1/- only.

8.5 **Amortisation:**

i. Premium wherever is paid for acquisition of leasehold land, such premium along with cost of the buildings constructed thereon is amortised over the period of lease or 60 years whichever is earlier.

ii. Acquisition cost of software is treated as intangible assets.

a. Software acquired under Core Banking Solution (CBS) is amortised over its estimated useful life of five years.

b. Other software acquired is charged off in the year of acquisition.

iii. Depreciation on revalued figures have been adjusted against the revaluation reserve.

iv. Improvements to leasehold premises are charged off over the remaining primary period of lease.

v. For assets purchased and sold during the year, depreciation is provided on pro-rata basis by the Bank.

vi. Whenever there is a revision of the estimated useful life of the asset, the unamortised depreciable amount is charged over the revised remaining useful life of the said asset.

vii. Profit on sale of immovable property, net of taxes and transfer to statutory reserve, are transferred to capital reserve account.

8.6 SUBSIDIARY:

8.6.1 Fixed Assets:

All Fixed Assets are valued at cost except leased assets which were valued at Rs. 1/-.

8.6.2 Depreciation:

8.6.2.1 Assets for Own Use:

Depreciation has not been provided as value of the assets are residual value of the assets as at 31.03.2020.

8.6.2.2 Assets leased out:

The residual value of machinery under lease to M/s. Incab Industries Ltd is valued at ₹ 1/- no depreciation has been provided on the Assets Leased out.

9. EMPLOYEE BENEFITS

9.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service by employees are classified as short term, and are recognized during the period in which the employee renders the related service.

9.2 Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans:

Contributions payable to the recognized provident fund / National Pension Scheme (NPS), are defined contribution plan and charged to the Profit & Loss account.

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 1st

April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution for the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

ii. Defined Benefit Plans

Employees' gratuity, pension and leave encashment are defined benefit plans.

a. Gratuity:

The Employees' Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds through approved schemes of Life Insurance Companies. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

b. Pension:

The Employees' Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

c. Leave Encashment:

The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each balance sheet date.

iii. Other Long Term Employee Benefits:

a. All eligible employees of the Bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

10. EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS-20 "Earnings Per Share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

11. TAXES ON INCOME

11.1 Income tax expense is the aggregate amount of :

i. Current tax provision and

ii. Deferred tax charge.

11.2 Current tax provision is the amount of tax for the period which is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and the rules made there under.

11.3 Deferred tax charge is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 'Accounting for Taxes on Income' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and is the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income and reversal of timing differences of earlier years.

11.4 Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

11.5 Deferred tax assets are not recognized unless there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

11.6 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon the management's judgment as to whether realisation is considered as reasonably / virtually certain.

11.7 **Special Reserve:**

Revenue and other Reserves include Special Reserve created under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that there is no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Statement of Profit and Loss to the extent the carrying amount of assets exceeds their estimated recoverable amount.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

13.1 In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when :

i. It has a present obligation as a result of a past event.

ii. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

iii. When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

13.2 No provision is recognized for :

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognized because

a. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

b. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

13.3 Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13.4 Provision for Country Exposure: In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.

14. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:

i. Provision for depreciation on Investments.

ii. Provision for Taxation.

iii. Provision on Loan Losses

iv. Provision on Standard Assets.

v. Provision for Non-Performing Investments

vi. Other usual and necessary provisions.

15. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and Cash equivalents include Cash in hand, Balances with RBI, Balances with other Banks and Money at call and short notice

16. SEGMENT REPORTING

The bank recognizes the Business segment as the primary reporting segment and Geographical segment as the secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines. In compliance with the Accounting Standard – 17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Business segments are classified into

i) Treasury

ii) Corporate/ Wholesale Banking

iii) Retail Banking

iv) Other Banking Operations

SCHEDULE – 18: NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR F.Y. 2019-20

A. List of Subsidiary, Associate and Joint Ventures considered for preparation of Consolidated Financial Statements:

The 1 Subsidiary, 1 Associate and 3 Joint Ventures (which along with Andhra Bank, the parent, constitute the group) considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

S. No.	Entity	Country of Incorporation	Group's Stake (%)	
			31.03.2020	31.03.2019
a)	**Subsidiary:**			
1.	Andhra Bank Financial Services Limited	India	100.00	100.00
b)	**Associate:**			
1.	Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35.00	35.00
c)	**Joint Ventures:**			
1.	India First Life Insurance Company Limited	India	30.00	30.00
2.	ASREC (India) Limited	India	26.02	26.02
3.	India International Bank(Malaysia) Berhad	Malaysia	25.00	25.00

B. Basis of preparation of Consolidated Financial statements.

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Parent Bank and its Subsidiary, Associate and Joint Ventures are prepared to comply in all material respects with applicable statutory / regulatory provisions, accounting standards, Generally Accepted Accounting Principles and practices prevailing in India, unless otherwise stated. The financial statements of India International Bank (Malaysia) Berhad comply with the Malaysian Financial reporting Standards ('MFRS"), International Financial reporting Standards ("IFRS") and the requirements of the Companies Act, 2016 in Malaysia.

C. Consolidation Procedure:

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the Accounting Standards (AS-21) "Consolidated Financial Statements", (AS-23) "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and (AS-27) "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements. The financial statements of the Bank and its subsidiary are combined on a line by line basis by adding together like sum of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating material intra group balances / transactions and resulting unrealized profit / loss.

D. The financial statements of subsidiary, are adjusted, wherever necessary, to conform to the accounting policies of the Bank.

E. The Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures are following accounting policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent Bank in a few cases because of respective business requirements. In the opinion of the management the impact of the same is not material which requires adjustment in Consolidated Financial Statements.

F. The Book value of the investment of Andhra Bank in Andhra Bank Financial Services Ltd (ABFSL) has been reduced to ₹ Nil (Previous year ₹ Nil) due to depreciation on investments. Therefore, the share capital of ABFSL held by Andhra Bank, amounting to ₹ 5 crore (Previous year ₹ 5 crore), has been reflected as Capital Reserve in the Consolidated Financial Statements.

G. Accounting for investment in RRB:

In conformity with the guidelines issued by the Reserve Bank of India the investment in Regional Rural Bank (RRB) namely Chaitanya Godavari Grameena Bank to the extent of 35% of the share capital is valued as per "equity method" as prescribed under the Accounting Standard 23 issued by the Institute of Chartered Accountants of India in line with methods followed in previous year. The value of investment in associate has been adjusted due to increase in net assets of the associate by ₹ 174.09 crore (₹ 148.36 crore). The RRB audited financials has been considered for preparation of consolidated financial statements of the Bank for the year ended 31st March 2020.

H. Accounting for investment in Joint Ventures:

(i) The investments in joint ventures have been accounted as per Accounting Standard 27 with regard to the Companies India First Life Insurance Co. Ltd, ASREC (India) Limited and India International Bank (Malaysia) Berhad under 'Proportionate Consolidation Method'. The difference between the amount invested and the nominal value of the investment in the equity of the company has been recognized as goodwill/capital reserve.

(ii) Joint Ventures have been duly audited by their respective auditors, except ASREC (India) Limited where in unaudited financials are considered for consolidation.

(iii) Financial statements of India International Bank (Malaysia) Berhad which are considered for incorporation pertains to the year ended 31st December, 2019 is approved by the Board of Directors of India International Bank (Malaysia) Berhad.

(iv) The differences arising on account of translation of book

value of investment, brought forward loss and opening balance of fixed assets in overseas joint venture at the applicable exchange rate have been treated as 'Foreign Currency Translation Reserve'.

(v) The following Items in Consolidated Financial Statements as on 31st March, 2020 pertain to Indian International Bank (Malaysia) Berhad which are based on a different accounting policy i.e., Malaysian Financial Reporting Standards and International Financial Reporting Standards.

Particulars	Schedule	Amount in ₹ Crore	
		31.03.2020	31.03.2019
Deposits	3	109.56	58.02
Borrowings	4	---	---
Other Liabilities	5	0.76	0.38
Cash	6	0.18	0.19
Balances With Banks & Money at Call & Short Notice	7	192.84	131.51
Advances	9	21.44	23.18
Fixed Assets	10	0.13	0.19
Other Assets	11	0.48	1.08
Contingent Liability	12	16.72	22.15
Interest Earned	13	9.03	7.38
Other Income	14	0.64	0.71
Interest Expended	15	2.55	1.51
Operating Expenses	16	5.23	5.42
Profit/(Loss)		1.42	1.41

I. The breakup of Goodwill arising on the acquisition of Joint Venture is as under:

(₹ in crore)

Name of the Joint Venture	31.03.2020	31.03.2019
ASREC (India) Limited	2.90	2.90
Net Goodwill	2.90	2.90

J. Additional disclosures for consolidated financial statements are as under:

A. Capital to Risk Adequacy Ratio under BASEL-III	2019-20	2018-19
(i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	6.65	8.55
(ii) Additional Tier I capital ratio (%)	1.67	1.97
(iii) Tier I Capital Ratio (%)	8.32	10.52
(iv) Tier II Capital ratio (%)	2.97	3.30
(v) Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.28	13.82
(vi) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	88.25	90.85
(vii) Amount of equity capital raised (in ₹ crore)	192.60# 200.00** 392.60	2019* 3256$ 5275
(viii) Amount of Additional Tier 1 capital raised (in ₹ crore)	Nil	Nil
of which:		
Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)	Nil	Nil
Perpetual Debt Instruments (PDI)	Nil	Nil
(ix) Amount of Tier 2 capital raised (in ₹ crore)	Nil	Nil
of which:		
Debt capital instrument	Nil	Nil
Preference Share Capital Instruments	Nil	Nil
Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	Nil	Nil
Redeemable Non- Cumulative Preference Shares (RNCPS)	Nil	Nil
Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	Nil	Nil
B. Earnings per share (face value of ₹ 10/- each)		
Earnings per Share Basic & Diluted (₹)	(4.43)	(18.71)
Calculation of Basic & Diluted EPS:		
Net Profit (in ₹ crore)	1323.70	(2742.00)
Weighted Average No of Shares (in ₹ crore)	298.67	146.58
Basic & Diluted Earnings per Share (₹)	(4.43)	(18.71)

(#)During FY 2018-19, The Bank has approved a scheme for raising of capital through ESPS (Employee Stock purchase Scheme) up to 10 Crore fresh issue of equity shares at a discount not exceeding 25%. The scheme was opened for subscription from 11.03.2019 to 20.03.2019 at a discounted price of ₹.19.26 per equity share aggregating to ₹.192.60 Crore. The said shares have been allotted during the current financial year on 24.04.2019.

(**)The Bank has allotted 11,10,49,416 equity shares of ₹ 10/- each for cash at ₹.18.01p per share including premium of ₹.8.01p per share (PY 53,99,83,952 Equity shares of ₹.10 each for cash at ₹.37.39p per share including premium of ₹.27.39p per share on 11.10.2018 amounting to ₹ 2018,99,99,965.20/- and 114,56,72,061 equity shares of ₹.10/- each for cash at ₹.28.42p per share including premium of ₹.18.42p. per share on 28.03.2019 amounting to ₹. 3255,99,99,973.60p) on preferential basis to Government of India on 04.03.2020 amounting ₹.199,99,99,982.16paise.

(*) The Bank has allotted 53,99,83,952 equity shares of ₹. 10/- each for cash at ₹.37.39p per share including premium of ₹.27.39p per share (PY 19,16,37,630 Equity shares at ₹.57.40p per share including premium of ₹.47.40p per share on 05.08.2017 amounting to ₹.1099,99,99,962/-) on preferential basis to Government of India on 11.10.2018,

amounting ₹.2018,99,99,965.20paise.

($) The Bank has allotted 114,56,72,061 equity shares of ₹10/- each for cash at ₹.28.42p per share (including premium of ₹.18.42p. per share) (PY 32,60,30,705 equity shares at ₹.57.97p per share including a premium of ₹.47.97p per share on 28.03.2018 amounting to ₹.1889,99,99,968.85p) on preferential basis to Government of India on 28.03.2019, amounting ₹.3255,99,99,973.60paise.

K. Employee Benefits (AS 15) (Parent):

The Bank has adopted Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India with effect from 01.04.2007

i. Gratuity

Bank pays gratuity to employees who retire/resign from Bank's service as per rules. The Bank makes contributions to the Trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity funds rules, actuarial valuation of gratuity is done every year. Actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding discount rate, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The gratuity payable to the employees is worked out by way of two methodologies i.e., as per the Payment of Gratuity Act, 1972 and other as per service rules and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

ii. Pension

Bank pays pension under a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.09.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from the bank's service as provided for in Andhra Bank Employees' Pension Regulations, 1995. Pension Fund is managed by Andhra Bank Employees Pension Fund Trust.

Employees who joined on or after 01.04.2010 are entitled to Defined Contributory Pension scheme where under the scheme, employee will contribute 10% of pay and eligible allowance with equivalent contribution being made by the Bank and the same will be maintained as per the guidelines issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority from time to time.

iii. Provident Fund

Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to the employees who joined the bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and Bank contributes an equal amount to the fund in respect of non-pension optees. The investment of the fund is made according to the investment pattern prescribed by the Government of India.

iv. Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation / Voluntary Retirement/death however on resignation encashment of privilege leave will be restricted to the tune of 50% of privilege leave standing to the credit of the employee subject to a maximum of 120 days.

Actuarial valuation of leave encashment liability is done every year and accordingly, Bank is contributing to the fund.

v. The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(a) Changes in the present value of the obligations:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Present value of obligation as at the beginning of the year	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)
Add -Interest Cost	415.15 (388.52)	63.28 (64.86)	43.62 (42.00)
Add-Current Service Cost	84.90 (240.63)	53.12 (91.48)	55.75 (33.24)
Less-Benefits Paid	423.00 (390.87)	131.22 (126.19)	86.21 (83.44)
Add-Actuarial loss/ (gain) on obligations	1250.02 (207.49)	21.96 (-42.03)	42.59 (41.44)
Present value of obligation at year end	6753.81 (5426.74)	834.32 (827.18)	625.92 (570.17)

(b) Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year *	5320.86 (4971.92)	855.29 (652.30)	601.69 (503.15)
Previous Year's Adjustments	106.00 (9.05)	0.00 (186.76)	0.00 (33.78)
Acquisition Adjustments	- (-)	- (-)	- (-)
Expected/Actual Return on Plan Assets	430.00 (407.00)	62.33 (57.42)	43.20 (43.20)
Employer's contribution	1319.95 (429.76)	47.92 (57.00)	67.24 (74.00)
Benefits Paid	423.00 (390.87)	131.22 (126.19)	86.21 (83.44)
Actuarial Loss/ (gain) on Obligations	- (-)	- (-)	- (-)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6753.81 (5426.86)	834.32 (827.29)	625.92 (570.69)

*Book value of securities considered as fair value.

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(c) Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Estimated Present Value of Obligations as at the end of the year	6753.81 (5426.74)	834.32 (827.18)	625.92 (570.17)
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	6753.81 (5426.86)	834.32 (827.29)	625.92 (570.69)
Net Liability recognized in Balance Sheet	0.00 (0.12)	0.00 (-0.11)	0.00 (-0.52)

(d) Expenses recognized in Profit & Loss Account:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Current Service Cost	84.90 (240.63)	53.12 (91.48)	55.75 (33.24)
Interest Cost	415.15 (388.52)	63.28 (64.86)	43.62 (42.00)
Expected/Actual return on Plan Asset	430.00 (407.00)	62.33 (57.42)	43.20 (43.20)
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	1250.02 (207.49)	21.96 (-42.03)	42.59 (41.44)
Past service cost – recognized	(-106.00) (-9.05)	0.00) (-186.76)	(0.00) (-33.78)
Total Expenses recognized in Profit & Loss Account/ contributed to funds	1243.77 (420.59)	74.13 (129.87)	98.76 (39.70)

(e) Investment details of Pension Fund Trust:

Description of investments	Amount	% of investments
Central Government Securities	359.42 (359.42)	5.32 (6.60)
State Government Securities	129.88 (132.69)	1.92 (2.43)
Investments in PSUs	84.37 (139.37)	1.25 (2.57)
Other Investments- LIC of India - 5034.72 cr IFLIC - 452.69 cr HDFC Life - 67.14 cr Others - 622.72 cr	6177.27 (4703.99)	91.46 (84.40)
Bank Balance	2.87 (3.91)	0.05 (4.00)
Total	**6753.81** **(5339.38)**	**100.00** **(100.00)**

(f) Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

ACTURIAL ASSUMPTIONS	PENSION (Funded) %	GRATUITY (Funded) %	LEAVE ENCASHMENT (Funded)%
Discount Rate	6.85 (7.65)	6.80 (7.65)	6.90 (7.65)
Expected Rate of Return on Plan Assets	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)
Expected Rate of Salary Increase	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
Method Used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

Valuation has been carried out by an independent Actuary appointed by the Bank.

The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of reporting.

Expected Rate of Return: In case of pension, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds / investments. In case of gratuity and leave encashment the actual return has been taken.

Salary increase: On the basis of past data.

(h) Other long term employees' benefits (Un-Funded) :

(₹ in crore)

	LTC/LFC Encashment	Silver Jubilee Award	Sick Leaves	Ex-Gratia	Relocation Expenses
Liability as on 01.04.2020 Liability as on 01.04.2019	31.02 24.64	0.86 0.67	76.15 74.11	0.42 0.43	4.62 3.26
Transitional Liability	- -	- -	- -	- -	- -
Amount debited to Profit & Loss Account	6.38 (3.68)	0.19 (0.09)	2.04 (11.36)	-0.01 (-0.04)	1.36 (0.02)

(i) **Short term Employees' benefits:**

Short term Compensated Absences: ₹ 1.04 crore (₹ 1.04 crore)

(ii) Contribution to PF- NIL (₹0.36 crore FY2019)

L. Consolidated Segments Report (AS 17):

Note on Segment Results

(i) As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, Bank has adopted "Treasury Operations", "Corporate/Wholesale Banking", "Retail Banking" and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" Segment as secondary / geographic segment.

(ii) Segment revenue represents revenue from external customers.

(iii) Results of various segments are arrived at in the proportion of revenue of respective segments.

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ in crore)

Part A		Year ended	
Sl No.	**Business Segments**	**31.03.2020**	**31.03.2019**
		Audited	
1	**Segment Revenue**		
	(a) Treasury	5443.43	5135.22
	(b) Corporate/Wholesale Banking	5680.50	5450.19
	(c) Retail Banking	8981.49	8208.15
	(d) Other Banking Operations	3467.30	3497.42
	Total	**23572.72**	**22290.98**
	Less: Inter Segment Revenue	-	-
	Income from Operations	**23572.72**	**22290.98**
2	**Segment Results**		
	(a) Treasury	1187.65	1171.67
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1239.37	1243.54
	(c) Retail Banking	1959.59	1872.81
	(d) Other Banking Operations	756.50	797.99
	Total	**5143.11**	**5086.01**
	Less :(i) Other Un-allocable Expenditure	6314.70	7452.20
	Total Profit Before Tax	(1171.59)	(2366.19)
	Income tax and other taxes paid	152.11	375.81
	Net Profit	**(1323.70)**	**(2742.00)**
3	**Segment Assets**		
	(a) Treasury	73739.81	77085.79
	(b) Corporate/Wholesale Banking	73358.75	72776.25
	(c) Retail Banking	78642.60	77179.97
	(d) Other Banking Business	17751.43	21449.54
	(e) Unallocable Assets	5099.41	5552.43
	Total Assets	**248592.00**	**254043.98**
4	**Segment liabilities**		
	(a) Treasury	72514.81	75828.73
	(b) Corporate/Wholesale Banking	71974.91	71174.17
	(c) Retail Banking	75358.02	73805.99
	(d) Other Banking Operations	16113.18	19672.90
	(e) Unallocable Liabilities	190.54	230.47
	Total	**236151.46**	**240712.26**
	Capital & Reserves	12440.54	13331.72
	Total Liabilities	**248592.00**	**254043.98**

Part B: Geographic Segments: There is only one segment - Domestic Segment. However, the consolidated statement includes the figures of Joint Venture incorporated in Malaysia viz. India International Bank (Malaysia) Berhad to the extent of 25%.

M. Related Party Disclosures (AS 18):

The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per the Accounting Standard:

(a) Parent:

i) Sri J.Packirisamy, Managing Director & CEO

ii) Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 09.10.2017)

iii) Sri Ajit Kumar Rath , Executive Directore (Upto 31.07.2019)

(b) Subsidiary: Andhra Bank Financial Services Ltd.

i) Sri Kul Bhushan Jain, Chairman

ii) Sri M. B. Rajendra Prasad, Director

iii) Sri S.V.S. Sundara Prasad, Director

iv) Sri K.T. Venu Madhav, Director

v) Sri KSD Siva Vara Prasad, Director

vi) Sri B. Narasimha Rao, Managing Director

(c) Associate: Chaitanya Godavari Grameena Bank

i) Sri V Brahmananda Reddy, Chairman (till 01.08.2019)

ii) Sri T Kameswara Rao, Chairman (w.e.f. 02.08.2019)

(d) Joint Ventures:

1. India First Life Insurance Company Ltd.,
   i) Sri Kulbhushan Jain, Director
   ii) Sri M Nagaraju, Director
2. India International Bank (Malaysia) Berhad. (only Shareholding)
3. ASREC (India) Ltd.,
   i) Sri Bhaskara Rao Kare, Nominee Director

Transactions with Related parties:

(in Rupees)

Sl. No	Name	Relationship	Nature of transaction	2019-20	2018-19
1	Sri J Packirisamy	Managing Director & CEO (w.e.f.21.09.2018)	Remuneration	29,43,684	14,35,061
2	Sri A.K. Rath	Executive Director	Remuneration	8,91,520	25,63,932
3	Sri Kul Bhushan Jain	Executive Director	Remuneration	26,31,763	23,80,926
4	Sri L. Prasanna	Managing Director (till 31.03.2019)	Remuneration	--	13,03,123
5	Sri Murali Satyanarayana	Managing Director (w.e.f. 01.04.2019)	Remuneration	13,55,494	--
6	Sri V Brahmananda Reddy	Chairman (till 01.08.2019)	Remuneration	5,74,183	17,76,566
7	Sri T Kameswara Rao	Chairman (w.e.f. 02.08.2019)	Remuneration	11,03,263	--

Capital invested in Joint Ventures:

a) India International Bank (Malaysia) Berhad ₹ 143.28 crore (₹ 143.28 crore)

b) ASREC India Ltd. ₹ 28.40 crore (₹ 28.40 crore)

c) India First Life Insurance Company Ltd. ₹ 187.50 crore (₹ 187.50 crore)

N. Accounting for Taxes on Income (AS 22): The major components are as follows:

(₹ in crore)

Timing Difference particulars	31st March 2020		31st March 2019	
	DTA	DTL	DTA	DTL
(1) Provision for NPA as per books and deduction claimed under section 36(1)(viia)	5,037.25	-	2,797.14	-
(2) On account of Special Reserve created under section 36(1)(viii) of the Act	-	508.44	-	508.29
(3) Fixed Assets Depreciation claimed as per Income Tax Act	12.35	-	7.52	-
(4) Provision for Impairment	2.39		1.93	-
(5) Depreciation on Investment		670.77		
(6) Other expenses / items	0.01	-	0.01	-
Total	**5,052.00**	**1,179.21**	**2,806.60**	**508.29**
Net Deferred Tax Liability / (Asset)	**(3,872.79)**		**(2,298.31)**	

O. Provisions, contingent liabilities and contingent assets (AS 29):

Contingent liabilities mentioned in Schedule 12 are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties as the case may be.

Movement of provisions for liabilities (excluding provision for others):

Particulars	Consolidated	
	2019-20	2018-19
Opening balance	47.94	47.30
Provided during the Year	1.36	0.66
Amounts used during the year	0.56	0.02
Closing balance	48.74	47.94

Timing of outflow/uncertainties: Outflow on Settlement/crystallization

P. Provisions and Contingencies:

(₹ in crore)

Breakup of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2019-20	2018-19
(i) Depreciation in value of Investments	436.90	506.45
(ii) Non-Performing Assets	5456.39	6674.25
(iii) Standard Assets	185.03	(38.00)
(iv) Income Tax	1726.63	133.02
(v) Deferred Tax	(1574.52)	242.79
(vi) Other provisions and contingencies:		
a) Restructured advances	(6.43)	5.05
b) Other provisions	242.80	304.45
Total	**6466.80**	**7828.01**

Q. The consolidated Reserves of the group after reckoning parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures amount to ₹ 9,345 crore of which ₹ 9,132 crore relate to parent and the balance ₹ 213 crore relates to Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures (Previous year ₹ 10,447 crore of which ₹ 10,281 crore relate to the parent and the balance ₹ 166 crore relates to Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures).

R. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the parent and subsidiary having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

S. The company Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL), wholly owned subsidiary of Andhra Bank (Parent), was incorporated on 09.01.1997. It applied for obtaining registration under Section 56 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. The RBI rejected the application for certificate of registration as a Non-Banking Financial Company (NBFC) on 28.01.2005.

Thereafter, the company approached the RBI on 09.01.2008 to treat it as a Non-Banking Non-Financial Institution, which was only noted by RBI on 05.12.2008.

As per the directives of RBI :

1. The company has disposed of all its financial assets.
2. The Board of Directors of the company has passed a resolution for non-acceptance of any public deposit.

T. Amalgamation and Harmonisation

The amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India has been affected with effect from April 01, 2020 in terms of GOI notification CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) dated March 4, 2020.

In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India notified on the 04th of March, 2020 the scheme called the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020.

The scheme is to come into force on the effective date i.e. the 1st day of April, 2020. On the commencement of this Scheme, the undertakings of the Transferor Banks shall be transferred to and shall vest in the Transferee Bank. Upon amalgamation of the Transferor Bank 1 and the Transferor Bank 2 into the Transferee Bank, the surviving entity being the Transferee Bank shall be known by the name “Union Bank of India”.

The undertakings of the Transferor Banks shall be deemed to include all business, assets (including tangible and intangible), liabilities, Reserves and Surplus, present or contingent and all rights and interest arising out of such property as were immediately before the commencement of the scheme, in the ownership, possession, power or control of the transferor banks shall be transferred to and vest in Union Bank of India.

In this connection, the Reserve Bank of India with a view to obviating future build-up of stresses in the bank advised the Union Bank of India as a prudential measure, to ensure a harmonisation provision as on March 31, 2020 with respect to the impact of divergence in asset classification across the three banks as per the extant IRACP norms.

Accordingly, based on the harmonisation process carried out by Union Bank of India, the changes made as at the year end in the asset classification and provisioning as per extant IRACP norms resulted in an increase in the NPA provision to the tune of Rs.945.05 crore as at the year end.

Further to the aforesaid, Union Bank of India also proposed a unified treatment of provisioning in respect of Staff benefits as per Accounting Standard 15 on Employee Benefits and Tax provision as per Accounting Standard – 22 on Accounting for Taxes on Income as at the year end based on the report of the Actuary and Tax Consultant. Consequently, the shortfall in tax provision to the tune of Rs. 471.03 crore and Rs. 270.11 crore in respect of the Pension liability have been accounted for as at the year end.

U. Impact on account of Covid pandemic

The World Health Organization (WHO) announced a global health emergency because of a new strain of coronavirus (“COVID-19”) and classified its outbreak as a pandemic on March 11, 2020. The consequential lockdowns announced by the governments across the globe including India in an effort to contain the spread of the pandemic resulted in major disruptions in the global supply chain, adversely impacting most of the industries and resulting in a global slowdown.

The continued slowdown in economic activity presents challenges in terms of lower demand, reduced operations, extended working capital cycles, pressure on bottom lines and waning cash flows. The bank on its part has been evaluating the situation on an ongoing basis and gearing itself for the challenges which the decline in economic activity and increase in financial market volatility is presenting. The bank’s management is of the opinion that inspite of the aforesaid challenges, there would not be any major impact on either the liquidity or the profitability of the bank and no provision towards the same is necessary as at the year end.

V. Previous year's figures have been regrouped/reclassified/rearranged wherever necessary to confirm to current year's figures.

Signatures to Schedules 1 to 18

(SUNDARA PRASAD S V S)
CHIEF GENERAL MANAGER

(BIRUPAKSHA MISHRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(RAJIV KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
DIRECTOR

(K. KADIRESAN)
DIRECTOR

(JAYADEV M.)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR AGARWAL & SAXENA
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 002405C)

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

FOR RAY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 313124E)

(CA SUBRATO ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

FOR SANTOSH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 009713N)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

FOR G S MADHAVA RAO & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 001907S)

(CA G. MANIKYA PRASAD)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

Particulars	For the Year ended 31st March 2020	For the Year ended 31st March 2019
Opening balance of Cash and Cash equivalents	**15547,97,11**	16457,86,28
Closing balance of Cash and Cash equivalents	**11602,36,44**	15547,97,11
Net Increase(+) / Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period	**(3945,60,67)**	(909,89,17)
Cash Flow from Operating Activities:		
Net Profit / (Loss) before tax	**(1171,58,35)**	(2366,18,61)
Adjustment for:		
Amortisaton/Depreciation on Investments	**555,38,92**	620,19,81
Provision for NPA	**5456,39,08**	6674,25,46
Provision for Standard Assets	**185,03,10**	(38,00,00)
Provision for Other Assets (Net)	**236,36,54**	309,49,81
Payment / provision for Interest on Borrowings	**631,44,86**	12494,72,00
Depreciation on Fixed Assets	**140,47,33**	135,84,62
(Profit) / Loss on Sale of Assets	**11,05**	(46,04)
Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities:		
Increase / (Decrease) in Deposits	**(7161,41,61)**	11760,01,42
(Increase) / Decrease in Investments	**1179,11,90**	(93,67,29)
(Increase) / Decrease in Advances	**36,49,40**	(14158,30,90)
(Increase) / Decrease in Other Assets	**(269,16,01)**	597,10,02
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(6142,39,48)**	(273,02,73)
Cash Generated from Operations	**(6323,73,27)**	15661,97,57
Taxes Paid	**(1210,37,69)**	(997,62,44)
Cash Flow from Operating Activities (A)	**(7534,10,96)**	14664,35,13
Cash Flow from Investing Activities:		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	**(68,39,51)**	(83,73,84)
Cash Flow from Investing Activities (B)	**(68,39,51)**	(83,73,84)
Cash Flow from Financing Activities:		
Equity Capital including Premium	**498,80,00**	5275,00,00
Application money received from Government of India, pending allotment	**-**	-

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 *(Contd.)*

(₹ in 000')

Particulars	For the Year ended 31st March 2020	For the Year ended 31st March 2019
Increase / (Decrease) in Borrowings	**3856,58,17**	(7997,51,36)
Interest paid / payable on Borrowings	**(702,08,26)**	(12775,25,08)
Dividend paid (including tax on dividend)	**-**	-
Cash Flow from Financing Activities (C)	**3653,29,91**	(15497,76,44)
Effect of exchange fluctuation on Translation Reserve (D)	**3,59,89**	7,25,98
Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)+(D)	**(3945,60,67)**	(909,89,17)

(SUNDARA PRASAD S V S)
CHIEF GENERAL MANAGER

(BIRUPAKSHA MISHRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(MANAS RANJAN BISWAL)
EXECUTIVE DIRECTOR

(DINESH KUMAR GARG)
EXECUTIVE DIRECTOR

(GOPAL SINGH GUSAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

(ARUN KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(RAJIV KUMAR SINGH)
DIRECTOR

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
DIRECTOR

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
DIRECTOR

(K. KADIRESAN)
DIRECTOR

(JAYADEV M.)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR AGARWAL & SAXENA
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 002405C)

FOR RAY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 313124E)

FOR SANTOSH GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 009713N)

FOR G S MADHAVA RAO & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM REG. NO. 001907S)

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

(CA SUBRATO ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

(CA G. MANIKYA PRASAD)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Mumbai
Date: 23.06.2020

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To the Board of Directors of Union Bank of India

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of erstwhile Andhra Bank (the "Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2020, the Consolidated Profit and Loss, and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and notes to consolidated financial statements including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements") in which are incorporated:

   a) Audited Financial statements of erstwhile Andhra Bank (the "Bank") audited by us vide our audit report dated 30th June 2020;

   b) Audited Financial statements of one Subsidiary, two Joint Ventures and one associate audited by other auditors; and

   c) Unaudited Financial Statements of one Joint Venture.

   The above entities together with the Bank are referred to as the 'Group'

   In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of the subsidiary, associate and two joint ventures and the unaudited financial statements of one joint venture as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a. The consolidated Balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2020;

   b. the consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss; and

   c. the consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Going Concern

3. The amalgamation of erstwhile Andhra Bank with Union Bank of India has been affected with effect from April 01, 2020 in terms of GOI notification CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) dated March 4, 2020 as per the scheme called the "Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India Scheme, 2020". In terms of the said scheme, the undertaking of erstwhile Andhra Bank has been transferred to and has been vested in the Union Bank of India with effect from April 01, 2020. Accordingly, the management has prepared the consolidated financial statements on a going concern basis of accounting.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to Note No 'u' of Schedule 18 of the consolidated Financial Statements regarding impact and challenges of COVID-19 pandemic resulting in a slowdown of the economic activity. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the bank's consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the bank's consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. The auditors of the subsidiary and two joint ventures did not report upon any Key audit matter in their audit report. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report with respect to erstwhile Andhra Bank:

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
1.	**Identification and Classification of non-performing advances (NPAs) and provisioning in respect of NPAs** *(Refer to Schedule 17 Note 7 for the Significant Accounting Policies and Schedule 9)* Advances constitute the most important line item on the assets side of the Bank's Balance Sheet with reported total advances (net of provision) to the tune of Rs. 1,57,742.33 crores, gross NPAs of Rs. 28,708.54 crores and provision on NPAs of Rs. 20,900.28 crores as at the year end i.e March 31, 2020. The advances constitute 64.68 % of the bank's total assets. Banks are governed by the prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) on Income recognition, Asset Classification and provisioning (IRACP) and other circulars, notifications and guidelines issued by RBI from time to time relating to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPAs) and provisioning norms relating to NPAs. In terms of extant RBI guidelines, Banks are required to classify Advances as "Non Performing Assets" (Sub Standard, Doubtful and Loss) based on prescribed rules involving time lines and to provide for their delinquency at specified percentages (15%, 25%, 40% and 100%) based on the period since when such advances remained in the non performing category. Identification of performing and non-performing advances are carried out in the bank by its Core Banking Solution (CBS) software namely finacle. In order to comply with the prudential guidelines, the software has various controls and logics embedded therein. Although, identification of NPAs is rule based and system driven, the management exercises significant judgement when estimating the realizable value of primary security which consequently impacts the individual and collective provision for delinquency in respect of NPAs. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms prescribed by RBI are not complied with. Since the identification of NPAs and provisioning for such advances requires considerable level of management judgement/ estimation in the assessment of the realisable value of primary securities and given its significance to the overall audit including possible observations by RBI which could result in disclosures in the consolidated financial statements and regulatory guidelines, we have identified this as a key audit matter.	Our audit procedures included but were not limited to the following with respect to the judgements and estimates which could give rise to material misstatement or were possibly subject to management bias: a) The completeness and timing of recognition of depletion in the value of security; and b) The measurement of individually assessed provisions, which is dependent on the valuation of primary and collateral securities, realisable value of inventories, trade receivables, valuation of collateral securities, liquidation value, legal status, stage of insolvency proceedings in NCLT referred cases etc. In obtaining sufficient audit evidence we: a) Understood and reviewed the operating effectiveness of key controls around the process of loan performance monitoring, assessment of drawing power in respect of Working Capital limits, evaluation of available security etc; b) Evaluated and tested the key assumptions and judgements adopted by the management in assessment of depletion in the value of securities and asset classification; c) Performed procedures to obtain comfort on the accuracy of the collective impairment calculation process through recalculation of the provision made based on realisable value of security and other parameters; and d) For material non-performing advances, we assessed the adequacy of the recognised individual provisions. We also performed the following procedures: a) Corrected all changes suggested by the Statutory Branch auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning. b) Reviewed and placed reliance upon the Independent Auditors Report and Long Form Audit Reports (LFAR) of the Statutory Branch Auditors. c) Reviewed and verified the correctness of the asset classification and provisioning in respect of all material advances in the branches audited by us. d) Tested compliance with the Significant Accounting Policies of the bank and the extant guidelines of the Reserve Bank of India. e) Checked the correctness of data input, logical controls in the software for the purpose of identification of non-performing assets and provisioning thereon across selected samples. Also reviewed the IT Audit reports for identifying any control weakness.

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
		f) Ensured correction of all material misstatements observed by us during the course of our testing process with respect to income recognition, asset classification and provisioning. g) Reviewed the Concurrent Audit Reports, Internal Inspection Reports (SIFA), Stock Audit Reports, Forensic Audit Reports, Valuation Reports, RBI Annual Financial Inspection Report for the year ended March 31, 2019 etc. for identifying material control weaknesses, if any in terms of banks policies and procedures. h) Efficacy of various internal controls over advances as identified in the reports as above to determine the nature, timing and extent of our substantive procedures.
2.	**Investments – Valuation, Classification and Identification and Provisioning for Non-Performing Investments (NPIs)** *(Refer to Schedule 17 Note 5 for the Significant Accounting Policies and Schedule 8)* Investments constitute a significant line item on the assets side of the Bank's Balance Sheet with reported total investments (net of provision) to the tune of Rs. 61331.16 crores, gross NPIs of Rs. 1204.82 crores and provision on NPIs of Rs. 1078.48 crores as at the year end i.e March 31, 2020. The investments constitute 25.15% of the bank's total assets. Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of the Reserve Bank of India (RBI). The valuation of each category (type) of aforesaid security is required to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. The classification and carrying value of these investments (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the valuation and classification norms prescribed by RBI are not complied with. Since the classification and valuation of investments, identification of NPIs and provisioning for such investments requires considerable level of management judgement/ estimation in their valuation and given its significance to the overall audit and the complexities, volume of transactions and regulatory guidelines, we have identified this as a key audit matter.	Our audit approach towards Investments with reference to the Reserve Bank of India ("RBI") circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines. Our audit procedures accordingly included but were not limited to the following: a) Evaluated and tested the key assumptions and judgements adopted by the management in the classification and valuation of investments; b) Performed procedures to obtain comfort on the accuracy of the collective impairment calculation process through recalculation of the provision made based on the RBI guidelines; c) Tested compliance with the Significant Accounting Policies of the bank and the extant guidelines of the Reserve Bank of India; d) Evaluated and assessed the process adopted for collection of information from various sources for determining the fair value of the investments; e) Ensured correction of all material misstatements observed by us during the course of our testing process with respect to income recognition, asset classification, valuation and provisioning of investments; i) Reviewed the Concurrent Audit Reports, Internal Inspection Reports (SIFA), RBI Annual Financial Inspection Report for the year ended March 31, 2019 etc. for identifying material control weaknesses, if any in terms of banks policies and procedures; and j) Efficacy of various internal controls over investments as identified in the reports as above to determine the nature, timing and extent of our substantive procedures.

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
	The valuation of these investments was considered to be one of the areas which required significant auditor attention and was one of the matters of most significance in the consolidated financial statements due to the materiality of total value of investments to the consolidated financial statements.	
	Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct Taxes (DTA/ DTL) and various claims filed by other parties not acknowledged as debt *(Schedule 12 read with Note 'n', 'o' and 'p' of Schedule 18 to the consolidated financial statements)* The assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct Taxes (DTA/DTL) and various claims filed by other parties not acknowledged as debt requires considerable level of management judgement/ estimation in the assessment, thereof. As also defined in Accounting Standard (AS) 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), a *"provision is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation"*. The managements estimation of a provision and classification as a contingent liability is based on the specific facts of each event, their own judgment about the event/ transaction, past experience on similar events/ transactions, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. The managements estimation is also, in some cases, based on advice received from independent lawyers, legal experts and tax advisors. Since the estimation is based on their opinion, there is an uncertainty in the outcome of these issues and judgment in the interpretation of law. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported loss and state of affairs presented in the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.	In obtaining sufficient audit evidence we performed the following audit procedures: a) We reviewed the details of past Direct tax assessment orders, unresolved tax issues together with their impact on account of matters pending with appropriate assessing and appellate tax authorities, amount of allowable carried forward losses as per the Income Tax orders etc; b) We reviewed the current status of the issues under litigation based on our understanding of the likely outcome of the issues under dispute and the possible outflow, if any; c) Obtained an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that were appropriate in the circumstances; d) Examined recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up action thereon; e) Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of our internal tax experts; f) Evaluated the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues; and g) Verified disclosures related to significant litigations and taxation matters.
3.	**Modified audit procedures in light of coronavirus ("COVID-19") pandemic** The World Health Organization (WHO) announced a global health emergency because of a new strain of coronavirus ("COVID-19") and classified its outbreak as a pandemic on March 11, 2020. The consequential nation-wide lockdown coupled with travel restrictions (air, rail and road) imposed by the Central/ State Government/ Local Authorities during the subsequent months being the period when the audit had to be conducted by us resulted in our not being able to visit the branches, Zones, Circle offices and Head Office of the bank for the purpose of audit, as in the past. Statutory bank branch auditors in respect of 212 branches could also not visit the branches on account of the Covid-19 related travel restrictions/ lockdown.	As a consequence of the government announcing a strict lockdown across the country to contain the spread of the coronavirus ("COVID-19") pandemic with restrictions to travel by air, rail or road, it was not possible for the audit team members, as in the past, to visit the branches/ Zonal Offices/ Circle Offices/ Head Office for carrying out the audit.

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
	In this matter RBI also issued necessary directions/ guidelines to all Banks to facilitate audit of the branches and other offices through remote/ distance/ online basis wherever physical access was not possible on account of Covid-19 related travel restrictions. Accordingly, because of such travel restrictions none of us as Statutory Central Auditors could visit any of the top 20 branches, 36 Zonal Offices, 6 Circle Offices and Head Office of the Bank under audit by us and audit of all these branches and offices was conducted by visiting a local branch/ Zonal Office of the bank for accessing the accounts through the Core Banking Solution (CBS) software and other electronic modes. In the absence of our being able to physically visit the branches/ offices for reviewing the records, documents etc and the fact that the effectiveness of the off-site remote auditing process was limited in terms of complying with the audit procedures prescribed in the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and obtaining sufficient appropriate audit evidence to help us obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole were free from material misstatement, whether due to fraud or error, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Accordingly, we adopted off site remote auditing process based on which we coupled information and communication technology (ICT) with access to the Core Banking Solution (CBS) finacle software at local branches/ Zonal Offices of erstwhile Andhra Bank to assess the accuracy of the consolidated financial statements, gather electronic evidence and interact with the branch officials, all without the need to be physically present at the branches/ Zonal Offices/ Circle Offices and Head Office. In all such cases of remote/ distance/ online audit, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to finacle (CBS) etc. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. In view of the aforesaid limitations, we modified our audit procedures as under: a) Reviewed the transactions of the Branches/ Zonal Offices/ Circle Offices/ Administrative Offices/ Head Office through the Banks Core Banking Solution (CBS) finacle software for the year under audit. b) Reviewed and verified necessary records/ documents/ etc in respect of borrowers and other accounts electronically through remote access/ emails in respect of the Branches/ Zonal Offices/ Circle Offices/ Head Offices and other offices of the Bank. c) Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, minutes, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. d) Made enquiries and gathered necessary audit evidence through discussions over phone calls/ conference calls, emails and similar communication channels. e) Resolution of all our audit observations was made by the bank telephonically/through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The amalgamation of erstwhile Andhra Bank with Union Bank of India has been affected with effect from April 01, 2020 in terms of GOI notification CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) dated March 4, 2020 as per the scheme called the "Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India Scheme, 2020". In terms of the said scheme, the undertaking of erstwhile Andhra Bank has been transferred to and has been vested in the Union Bank of India with effect from April 01, 2020 and the Board of Directors of the erstwhile Andhra Bank has been dissolved with effect from the said date. As informed, the Other information comprising of Directors Report and Corporate Governance Report has not been issued in view of the aforesaid.

   Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the requirements of the Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, applicable guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time and other accounting principles generally accepted in India. The management of the Group is responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

   In preparing the consolidated financial statements, the management of the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing ,as applicable, matter relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

   The management of the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. a) We did not audit the financial statements/ information of 1930 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total advances of ₹ 1,04,072.50 crores as at 31st March 2020 and total revenue of ₹ 11,328.61 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors;

   b) We did not audit the financial statements /information of one subsidiary and two joint ventures whose financial statements /information reflect total assets of ₹ 4,521.22 crores as at 31st March, 2020, total revenues of ₹ 1,038.46 crores and net cash flows amounting to ₹ (-)25.99 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 25.73 crores for the year ended 31st March, 2020, as considered in the consolidated financial statements, in respect of one associate, whose financial statements/information have not been audited by us. These financial statements /information of one subsidiary, two joint ventures and one associate and unaudited financial statements /information of one joint venture have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the aforesaid subsidiary, jointly controlled entities and associate, and our report in so far as it relates the aforesaid subsidiary, jointly controlled entities and associate is based solely on the report of the other auditors.

   c) We did not audit the financial statements of one join venture whose financial statements/ information reflect total assets of Rs. 25.63 crores as at 31st March, 2020, total revenue of Rs. 7.14 crores and net cash flows amounting to Rs. 2.17 crores

for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, is so far, as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this joint venture, and our report relates to the aforesaid joint venture, in so far as is bases solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanation given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above mentioned matters based on our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. We further report that:

    a) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statement have been kept so far as it appears from our examination of those books and the report of other auditors/ management.

    b) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the report of other auditors/ management.

    c) the reports of other auditors/ management have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

13. As required letter vide number DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in public sector banks – reporting obligations for SCAs from financial year 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, the further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter are as under :

    a) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the accounting standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank;

    c) We are unable to comment on whether any of the director is disqualified from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 1956 since in terms of GOI notification CG-DL-E-04032020-216535 GSR 154(E) dated March 4, 2020 erstwhile Andhra Bank together with Corporation Bank have amalgamated with Union Bank of India with effect from April 01, 2020 and in terms of para (5) of the said notification, the Board of erstwhile Andhra Bank stands dissolved with effect from April 01, 2020 together with all the whole time Directors ceasing to hold office from the said date;

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith; and

e) The Bank has exercised the option to not implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" during the current year as permitted by RBI on May 19, 2020. We accordingly do not provide any comment in this regard.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 002405C)

(CA Anil K. Saxena)
Partner
M. No. 071600
UDIN : 20071600AAAAAL4860
Place: Kanpur

For Ray & Co
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 313124E)

(CA Subrato Roy)
Partner
M. No. 051205
UDIN : 20051205AAAAAT3227
Place : Kolkata

For Santosh Gupta & Co
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 009713N)

(CA Manoj Kumar)
Partner
M. No. 108603
UDIN : 20108603AAAABV3450
Place : Mumbai

For G.S. Madhav Rao & Co.
Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 001907S)

(G Manikya Prasad)
Partner
M. No. 020105
UDIN : 20020105AAAABQ7997
Place : Hyderabad

Place : Mumbai
Date : 23rd June 2020

RISK MANAGEMENT

Disclosures under Basel III Capital Regulations and Pillar III

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital regulations dated July 1, 2015, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III Capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link:

https://www.andhrabank.in/english/Regulatory.aspx

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2019-20

Section A: General Information about the Company

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	**Not applicable**
2	Name of the Company	ANDHRA BANK
3	Registered Address	DR PATTABHI BHAVAN, 5-9-11, SAIFABAD, HYDERABAD – 500 004.
4	Website	www.andhrabank.in
5	E-mail id	mbd@andhrabank.co.in
6	Financial Year reported	2019-20
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	BANKING
8	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in Balance Sheet)	A) DEPOSITS B) LOANS C) INVESTMENTS
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	2874
i	Number of International Locations (Provide details of major 5)	NIL
ii	Number of National Locations	2874
10	Markets served by the Company	PAN INDIA

Section B: Financial Details of the Company

1	Paid up Capital (INR)	₹ 3095.54 Crs
2	Total Turnover (INR)	₹ 3,91,264 Crs (Deposits ₹ 2,12,609 Crs & Advances ₹1,78,655 Crs)
3	Total profit/(**loss**) after taxes (INR)	(₹1324 Crs)
4	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%).	There was no allocation of budget under Donation (CSR) for the year 2019-20 as the Bank had reported loss for the year ended March, 2019.
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	NA

Section C: Other Details

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	ANDHRA BANK FINANCIAL SERVICES LTD
2	Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR initiatives of the Parent Company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	NO
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	NO

Section D: BR Information

1. **Details of Director/Directors responsible for BR**

   a. Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	07984364
Name	Kul Bhushan Jain
Designation	Executive Director

b. Details of the BR Head

S. No.	Particulars	Details
1	DIN Number (if applicable)	08413075
2	Name	M B Rajendra Prasad
3	Designation	General Manager
4	Telephone Number	040-23252371
5	e-mail id	mbd@andhrabank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

(a) Details of Compliance (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1@	Do you have a policy/ policies for	Y*	Y^	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3	Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
5	Does the Company have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
8	Does the Company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

@ There are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the Bank directly or indirectly. However, at the same time, there are various guidelines issued by the Bank from time to time, that are followed by the operating units as well as the policies are formally put in place. Similarly, the Bank also implements the policies framed by regulators, affiliated associations and other statutes while carrying out the banking functions.

While framing the various guidelines and policies, the views/feedback of stake holders is taken into consideration.

* Under Principle 1, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. (Link: http://cvc.nic.in/ man04.pdf)

^ Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

S. No. 3: All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, SEBI, Constitution of India, legal Acts etc. Hence, they conform to national standards.

Link: www.andhrabank.in

2.b. If answer to the question at Serial .No.1 against any principle, is ‘No’, please explain why: (Tick up to 2 options)

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Questions</th><th>P1</th><th>P2</th><th>P3</th><th>P4</th><th>P5</th><th>P6</th><th>P7</th><th>P8</th><th>P9</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>The company has not understood the Principles</td><td colspan="9" rowspan="6">Reason for not having policy for P7
There is no policy for P7 as Bank is not directly engaged in influencing public and Regulating Bodies. However Bank is associated with Policymakers / Regulators in respect of “Banking System”.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles</td></tr>
<tr><td>3</td><td>The company does not have financial or manpower resources available for the task.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>It is planned to be done within next 6 months</td></tr>
<tr><td>5</td><td>It is planned to be done within the next 1 year</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Any other reason (please specify)</td></tr>
</table>

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year. ---ANNUALLY ---

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

  YES , BR Report can be viewed at www.andhrabank.in

  It is published annually.

Section E: Principle-wise performance

Principle 1

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/ Others?

   Reply: “Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability”

   Yes, it covers the Bank and Joint Ventures/Suppliers/ Contractors.

   Andhra Bank has been constituted as corresponding new Bank under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980.

   The Bank has been founded on strong ethical values taken forward by its honest and prudent leadership. The financial integrity, business prudence, caution and an abiding care and concern for the hard earned savings of people, Bank is committed to create a customer centric organization with a deep sense of social responsibility and to continuously leverage technology to attain world class standards of performance and maximising the stake holders’ value.

   Bank does have a policy of “Whistle blower” and procedures regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds as under:

   1) Assets and Liabilities return filed by all Officers on an Annual Basis

   2) **List of Officers of Doubtful integrity :**

      As per CVC guidelines, list of Officers of Doubtful integrity is prepared/ reviewed annually.

   3) **Posting of officers appearing in the above lists** :

      It is ensured by the HR Department that the officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments. This is monitored by Vigilance Department.

   4) **Rotation of staff :**

      Rotation of staff in sensitive positions in the Bank is monitored and information is submitted to the Central Vigilance Commission in monthly reports.

   5) In case of services rendered by suppliers/ contractors, CVC guidelines are followed while awarding the contracts.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

   Reply: Total number of complaints/requests received during 2019-20 is 2315 and all the complaints are resolved. The Complaints/requests are with regard to dividend not received, change of address for physical share holders, transmission of shares in case of death of share holder, transfer of shares, duplicate share certificates, updating of Bank account details for ECS facility for physical share holders, request for physical

copy of Annual Reports by shareholders who receive through Emails (Under Green Initiative).

Principle 2

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risk and/or opportunities.

   I. Financial Inclusion (FI)

   Aadhaar Seeding: Bank has achieved 78.21% of Aadhaar seeding and 70.58% in Aadhaar Authentication in active CASA accounts.

   Atal Pension Yojana (APY): The Bank has enrolled 1,82,812 APY accounts during the year with average of 64 accounts per branch against a target of 1,73,220 @ average of 60 accounts per branch. The Bank has received an incentive of ₹ 4.54 Cr of which ₹ 2.31 Cr towards fresh enrolments, ₹ 0.18 Cr towards volume based additional incentive and ₹ 2.13 Cr. towards persistency incentive.

   ➢ **Following are the achievements of bank in various campaigns organized by PFRDA during FY 2019-20.**

   - **'APY Formation Day'** – Our bank has been awarded as one of the **WINNERS**.
   - **'APY - Mission Possible' -** Our Bank was qualified for **Award** as a winner with TOP Position.
   - **'APY - Citizen Choice Campaign' -** SLBC, Andhra Pradesh was qualified for **Award of Appreciation** under this CAMPAIGN from 1st August 2019 to 31st August 2019.
   - **'Warriors of Winning Wednesday' – Monthly:** Our Bank was qualified for the **Award** for 4 months in the FY 2019-20 up to December 2019.
   - **'Rise above the rest':** Bank was qualified for the **Award** along with **Ongole, Sambalpur, Srikakulam, Kurnool** and **Eluru** zones which also qualify for **Awards**.
   - **'APY challengers Cup':** Bank was qualified for **'Certificate of Appreciation'**.
   - **'Makers of Excellence for EDs of PSBs':** Bank was qualified for **Award**.
   - **'Out Performers':** Bank was qualified for **Award**.
   - **'LEADERSHIP CAPITAL 2.0 for MDs of PSBs':** Bank was qualified for **Award**.
   - **'Warriors of Winning Wednesday' – Quarterly:** Our Bank was qualified for the **Award** for the quarter ended March 2020.
   - **Beat the Best for Bank branches: 283 Branches** Qualified for the Certificates of Appreciation / Excellence / Par Excellence.

   Establishment of Aadhaar Enrolment Centres: Bank has established 290 AECs as per UIDAI guidelines.

   Our Bank has stood as one of the Top performing banks among all PSBs in the FY 2019-20 with highest average per day enrolments per centre.

   Financial Literacy and Credit Counselling Centers: Bank is having total of 9 FLCCs functioning at LDM offices and are providing financial literacy activities at their centres.

   Bank Mitra Facilitators: As number of Bank Mitra activities are increasing on day to day basis, Bank has appointed 12 Bank Mitra Facilitators in various Districts of Andhra Pradesh, Telangana and Odisha State as on 31-03-2020.

II. Rural Development :

Priority Sector Lending:

(₹ in Crore)

Category	2019-20
1. Priority Sector Advances (2 to 7)	76441
2. Agriculture-Priority (2.1 + 2.2)	34925
2.1 Agriculture Loans-Priority	34140
2.2 Eligible Investments (RIDF)	785
3. Micro, Small and Medium Enterprises	29834
3.1 Eligible Investment in SIDBI & MUDRA	281
4. Educational Loans	1576
5. Housing Loans (includes Indirect Finance& Investment in NHB)	10072
5.1 Eligible Investment in NHB	148
6. Social Infrastructure	8
7. Renewal energy and others	26
8. Priority Sector Advances (net of PSLC)	64931
8.1 PSLC Sales (General + SF/MF)	15310
8.2 Purchase of Micro Enterprises	1800
8.3 Purchase of General	2000
9. Agriculture-Priority (net of PSLC)	28525
9.1 PSLC Sales (SF/MF) / Agri	6400
10. NPA under Agri Credit	1879
10.1 NPA under Agriculture as on 31.03.2020 (% to Gross Agril advances)	4.99

Statutory Priority Sector Targets / Sub Targets and their Achievements 2019-20: (Yearly - on quarterly average basis).		Targets	Achieve-ments
I.	Priority Sector Advances (% to ANBC)	40.00	40.09%
II.	Agricultural Credit (% to ANBC)	18.00	18.19%
III.	Small & Marginal Farmers (% to ANBC)	8.00	11.28%
IV.	Micro Enterprises (% to ANBC)	7.50	7.51%
V.	Direct Lending to Non-Corporate farmers (% to ANBC)	12.11	14.25%
VI.	Weaker Section Advances (% to ANBC)	10.00	14.11%

Priority Sector advances of the bank stood at ₹**76441 Crore** and registered a negative growth of 2.40 **%** (Y-O-Y) as on 31.03.2020. The absolute decrease over March. 2019 is ₹ 1877 Crore. Total Priority sector advances net of PSLC (Priority Sector Lending Certificates) is ₹**64931 Cr.** Bank has made net sale of ₹ **15310 Cr** under PSLC General / SF-MF through e-kuber portal of RBI and earned a premium / commission from PSLCs /IBPCs of ₹152.74 Cr during the FY 2019-20.

Credit to Agriculture-Priority

Agricultural advances (Agri-Priority) of the bank stood at ₹ **34925 Crore** at the end of March. 2020, registering a growth rate of 3.56 **%** (Y-O-Y). The absolute increase over March 2019 is ₹ 1200 Crore. Agri. Priority advances (after net sale of PSLC SF/MF & PSLC-Agri of ₹6400 Cr) are at ₹28525 Cr.

Lending to Small & Marginal Farmers

Loans to **Small & Marginal Farmers** as on 31.03.2020 was ₹**18033 Cr** (after net sale of ₹6400 Crs under PSLC SF/MF)

Lending to Self Help Groups

Bank has extended financial assistance to 256435 **Self Help Groups (SHGs)** with total exposure of ₹ **8092 Crore** as on 31.03.2020.

Total credit extended to women beneficiaries as on 31.03.2020 was at ₹ 29075 Cr i.e., 16.27 % of Net Bank Credit as against norm of 5%.

Credit to Weaker Sections

Advances to **Weaker sections** (after net sale of ₹6400 Cr under PSLC SF/MF) stood at ₹ **22722 Crore.**

Credit to Minorities

As on 31.03.2020, bank is having 335 branches in Minority dominated Districts. Of the Bank's total network across the country, the percentage of Branches in minority dominated Districts stood at 8.33 % (i.e., Rs 6309 Crs) as on 31.03.2020.

NPA under Agriculture

Out of Total Agricultural advances of ₹37673 Cr (including Agri-Non priority) as on 31.03.2020, NPA under Agriculture is ₹ 1879 Cr which is 4.99% of Gross Agril. Advances as against 4.65 % during previous year.

Andhra Bank Rural Development Trust

Andhra Bank Rural Development Trust is running 14 Rural Self Employment Training Institutes in A.P (9), Telangana (2), Odisha (2), & Kerala (1) states and imparting need based training for capacity building/ entrepreneurial development and dissemination of knowledge to farmers, SHG women, Rural unemployed youth and artisans. ABRDT also running 1 Skill Development Institute in RangaReddy Dist., Telangana.

Since inception, 190412 candidates have been trained through 6649 programs by the Institutes and around 78.59% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. 55.08% of settled candidates are credit linked by the Bank branches. During the year FY 2019-20, the institutes imparted training to 9115 candidates through 351 programs.

All 12 RSETIs under RSETI scheme of MoRD awarded with highest rating "AA" by Ministry of Rural Development, Govt. of India for the year 2018-19.

Andhra Bank has received Best Performing Bank Award for RSETIs (2nd Rank) for the year 2018-19. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director of the Bank received the Award from Sri Narendra Singh Tomar, Hon'ble Union Minister for Agriculture & farmers Welfare, Rural Development and Panchayati Raj, Govt. of India at NASC, PUSA, New Delhi in a grand National Awards Distribution function organized by the Ministry of Rural Development, Govt. of India on 19.12.2019.

NIRED Rajam, one of the RSETIs sponsored by Andhra Bank which is situated in Srikakulam District, Andhra Pradesh received Best performing RSETI award for the year 2018-19 from MoRD, Govt. of India on 19.12.2019.

Rural Regional Banks

Bank has sponsored one Regional Rural Bank namely Chaitanya Godavari Grameena Bank located in Guntur (Andhra Pradesh), covering the districts of Guntur, East Godavari and West Godavari with 220 branches. As on 31.03.2020, the total business stood at ₹10416.39 Crore, and Net profit after Tax is ₹70.64 Crore. Percentage of Gross NPA to Average Advances is 1.12.

III. **Green Banking** – The Bank has introduced several environment friendly measures, viz, Core Banking Solution, Internet Banking, Tele banking, Mobile banking, ATMs, Cash/cheque acceptor, Biometric ATMs etc.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

   I. Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

   Not Applicable

II. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Not Applicable

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

No

I. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so. –NA-

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

The Department of Industrial policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India order no: P-45021/2/2017-B.E:-II dt 15th June, 2017 is followed.

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as < 5%, 5-10%, > 10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3

1. Please indicate the Total number of employees: **21436**
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.: **NIL**
3. Please indicate the Number of permanent women employees.:**6441**
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities:**689**
5. Do you have an employees association that is recognized by management. - **YES**
6. What percentage of your permanent employees is member of this recognized employee association? - **98.5%.**
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending , as on the end of the financial year.

No.	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1	Child labour / forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	1	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-grading training in the last year?

(a) Permanent Employees - **58%**

(b) Permanent Women Employees - **12% of the above**

(c) Casual/Temporary/Contractual Employees - **NIL**

(d) Employees with Disabilities - **2 % of the above**

Principle 4

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders?

Yes

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.

Yes

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

The Bank has taken various special initiatives to engage and extend benefits to the internal disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Few of them are us under :

SC/ST/BC/Minority Employees

The Bank practises a policy of equal treatment to all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/facilities/assistance to employees belonging to SC/ST/BC and Minority category such as pre-recruitment training /pre promotion training.

Persons with Disabilities

The Bank as an employer provides equal opportunities to all its employees. The wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably despite their disability.

Principle 5

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the group/ Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs/ Others?

- The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly, cover only the operations of the Bank and do not extend to its subsidiary i.e., ABFSL, the reason being, there is only one staff member working therein who is deputed from the head office of the Bank.
- The Bank is well conscious of the fact that all human

beings are free and equal, and that the basic human rights of individuals must be respected. The Bank follows such policies/practices of national origin, citizenship, colour, race belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age, sexual orientation, place of birth, social status, or any other basis prohibited by the Law.

- The Bank understands well the Human Rights content of the Constitution of India and other international laws on Human Rights at the work place. The Bank respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

Prevention of Sexual Harassment

- The Bank prohibits sexual harassment at the work place. In the Service conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at workplace. Accordingly, for addressing issues related specifically to women employees in work places, the Bank has appointed an Internal Compliance Committee in Head office headed by a lady officer in the rank of Asst. General Manager and also involving a lady representative from a repute NGO.

Dissemination of Information to public through the Bank's web site:

- The Bank places up-to-date information about its Products/ Services/ Facilities available to public/ any other information, which can be disclosed, in public domain. Being a listed company, the Bank displays its financial results in the public domain for information to the public.
- Andhra Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and, thus, is under obligation to provide the information to the citizens of India.

The structure of Public information officer in the Bank is as follows:

- **Central Assistant Public Information Officer (CAPIO):** Branch Managers of all branches have been designated as CAPIO who will receive the request for information from public and forward to their concerned Zonal Office Central Public Information Officer (CPIO) for necessary action.
- **CPIO:** All the Zonal Managers irrespective of their cadre are designated as Central Public Information Officers. On receipt of the request from the public, the CPIO shall consider the same and furnish the information or reject the request within the time stipulated under RTI Act.
- **Appellate Authorities**: The Senior most General Manager posted at corporate Head office is designated as First Appellate Authority (FAA) under the Act and they will examine the first appeal filed by citizens against the decision of the Central Public Information Officers.

Position of RTI Requests / Appeals from 01.04.2019 to 31.03.2020

RTI Requests

Sl. No.	Particulars	
1	Requests pending at the beginning of the year	197
2	Requests received during the year	1243
3	Requests transferred to other Public Offices	0
4	Requests accepted	784
5	Requests rejected	481
6	Requests pending at the end of the year	175 #

RTI Appeals

Sl. No.	Particulars	
1	Appeals pending at the beginning of the year	57
2	Appeals received during the year	251
3	Appeals transferred to other Public Offices	0
4	Appeals accepted	135
5	Appeals rejected	134
6	Appeals pending at the end of the year	39 #

All the pending RTI Requests / Appeals have since been redressed.

Redressal of Complaints:

- The Bank has taken several measures to strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints.
- In Head office, there is a separate department to attend the complaints of customers.
- There is an internal Ombudsman who monitors the effective grievance redressal.

2. How many stakeholders' complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

Disclosure of Complaints for 2019-20:

A. Customer Complaints (including complaints relating to ATM transactions)

Sl No	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	74	1571
(b)	No. of complaints received during the year **(#)**	95810	101883
(c)	No. of complaints redressed during the year	95741	103380
(d)	No. of complaints pending at the end of the year **(*)**	143	74

B. ATM Complaints

Sl No	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of complaints received during the year **(#)**	81915	90788
(c)	No. of complaints redressed during the year	81915	90788
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	NIL	NIL

C. Awards passed by the Banking Ombudsman

Sl No	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	NIL	1
(c)	No. of Awards implemented during the year	NIL	1
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	NIL	NIL

Does not include complaints redressed within the next working day.

* All the pending complaints have since been redressed.

Principle 6

'Business should respect, protect, and make efforts to restore the Environment"

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/joint venture/suppliers/contractors/NGOs/others.
   - The policy covers Bank only.

2. Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N If yes, please give hyperlink for webpage etc.
   - Bank has initiated certain important measures to protect environment and prevent pollution as under :
     - ➢ The Bank does not extend finance to industries which affects environment/produce ozone depleting substances.
     - ➢ Bank has committed to extend finance in Renewable energy sector viz solar, wind and other renewable energy projects.

   Following measures were adopted to reduce consumption of paper:
   - To encourage paperless transactions, digitisation mode has been taken up in an aggressive manner under the banner "Digigyan"
   - Sending emails to Zones/Circles Offices and Branches etc instead of sending hard copies.
   - Promoting use of Debit cards in SB accounts. Encouraging Mobile Banking etc.
   - Promoting use of POS machines
   - Promoting use of internet transactions.

3. Does the company identify and assess potential environmental risk? Y/N

   Yes
   - In TEV study/project appraisal, due weightage is given to the mitigation of potential environmental risks.

4. Does the company have any project related to clean Development mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also if yes, whether any environmental compliance report is filed?
   - Bank has executed an agreement with M/s Antaras System Private Ltd., Bangalore to carry out e-tendering, e-auction and reverse auction on behalf of Bank to promote paper less tendering.
   - Payments to vendors are being made through e-payment mode (RTGS/NEFT or online credit to beneficiary account) to save paper consumption.
   - Bank's upcoming Office /Residential building at different centres are designed by considering the Green Building Concept which means the incorporation of environment friendly and resource efficient processes at each stage of construction, right from site selection and designing to construction and operation followed.
   - Green Pin generation for Debit cards through ATMs.

5. Has the company undertaken any other initiatives on-clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N if yes, please give hyperlink for web page etc.
   - Minimization of electric wastage by identifying

the problems that causes more electricity consumption. Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills/ Solar power Projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

- Further, the Bank is changing over to LED in all its premises ensuring higher energy efficiency. The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances viz, Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

6. Is the Emission/waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

   - **Not Applicable**

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction as on end of Financial Year.

   - **Nil**

Principle 7

“Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy,

Should do so in a responsible manner”

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If yes, Name only those major ones that your business deals with:

   (a) Indian Banks Association (IBA)

   (b) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)

   (c) National institute of Bank Management (NIBM)

   (d) Administrative Staff College of India (ASCI)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advantage or improvement of public good? Yes : if yes specify the board areas

   - Suggested to Indian Banks Association (IBA) about the opening new viable format of Branches at unbanked rural places of the country.

   Governance and Administration, Economic Reform, Inclusive Development Policies, Energy security, water, food Security , Sustainable Business Principle, Others.

   - The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/ regulatory guidelines issued by the Government of India and Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

   - The Bank is one of the forerunners in implementation of AEPDS system to improve digital Banking penetration.

Principle 8

‘Businesses should support inclusive growth and equitable development”

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to principle 8? If yes details thereof.

   - Bank has taken several initiatives / programmes / projects in pursuit of the Principle 8. Financial inclusion initiatives of the Bank are also one of them.

   Details are as under:

   Bank has implemented Financial Inclusion project to provide banking service in un-banked rural areas with affordable cost to the rural masses and covered them in main economical stream for inclusive growth. Considering the need of the segment, Bank has devised special products such as Savings cum inbuilt Overdraft facility, Recurring Deposit, Andhra Bank Kisan credit card, credit card and Insurance product with low cost premium to cater to the needs of rural masses. Various models have been implemented for providing the banking services in rural and urban areas such as POS based Business Correspondent model UBBS etc.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?

   - In house team.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

   - Since inception, 190412 candidates have been trained through 6649 programs by the Institutes and around 78.59% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. 55.08% of settled candidates are credit linked by the Bank branches. During the year FY 2019-20, the institutes imparted training to 9115 candidates through 351 programs.

   - All 12 RSETIs under RSETI scheme of MoRD awarded with highest rating “AA” by Ministry of Rural Development, Govt. of India for the year 2018-19.

4. What is your company’s direct contribution to community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words. **NIL**

Principle 9

"Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner"

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

   100 % redressed.

2. Does the company display product information on the product lable, over and above what in mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks(additional information)

   - **Not Applicable.**

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, Provide details thereof, in about 50 words or so.

   - **Nil**

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

   No.

ANNEXURE II

PRINCIPLES TO ASSESS COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE NORMS

Principle 1

Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and accountability

1. Businesses should develop governance structures, procedures and practices that ensure ethical conduct at all levels: and promote the adoption of this principle across its value chain. Businesses should communicate transparency and assure access to information about their decisions that impact relevant stakeholders.
2. Business should not engage in practices that are abusive, corrupt, or anti competition.
3. Business should truthfully discharge their responsibility on financial and other mandatory disclosures.
4. Businesses should avoid complicity with the actions of any third party that violates any of the principles contained in these Guidelines

Principle 2

Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. Businesses should assure safety and optimal resource use over the life-cycle of the product – from design to disposal- and ensure that everyone connected with it- designers, producers , value chain members , customers and recyclers are aware of their responsibilities.
2. Businesses should raise the consumer's awareness of their rights through education, product labeling, appropriate and helpful marketing communication, full details of contents and composition and promotion of safe usage and disposal of their products and services.
3. In designing the product, business should ensure that the manufacturing processes and technologies required to produce it are resource efficient and sustainable.
4. Businesses should regularly review and improve upon the process of new technology development, deployment and commercialization, incorporating social, ethical, and environmental considerations.
5. Businesses should recognize and respect the right of people who may be owners of traditional knowledge, and other forms of intellectual property.
6. Businesses should recognize that over-consumption results in unsustainable exploitation of our plant's resources, and should therefore promote sustainable consumption, including recycle of resources.

Principle 3

Businesses should promote the well being of all employees

1. Businesses should respect the right to freedom of association participation, collective bargaining and provide access to appropriate Grievance Redressal Mechanisms.
2. Businesses should provide and maintain equal opportunities at the time of recruitment as well as during the course of employment irrespective of caste, creed, gender, race, religion, disability or sexual orientation.
3. Businesses should not use child labour, forced labour or any form of involuntary labour, paid or unpaid.
4. Businesses should take cognizance of the work-life balance of its employees, especially that of women.
5. Business should provide facilities for the wellbeing of its employee including those with special needs. They should ensure timely payment of fair living wages to meet basic needs and economic security of the employees.
6. Businesses should provide a workplace environment that is safe, hygienic humane, and which upholds the dignity of the employees. Business should communicate this provision to their employees and train them, on a regular basis.
7. Businesses should ensure continuous skill and competence upgrading of all employees by providing access to necessary learning opportunities, on an equal and non- discriminatory basis. They should promote employee morale and career development through enlightened human resource interventions.
8. Business should create systems and practices to ensure a harassment free workplace where employees feel safe and secure in discharging their responsibilities.

Principle 4

Businesses should respect the interest of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. Businesses should systematically identify their stakeholders, understand their concerns, define purpose and scope of engagement and commit to engaging with them.
2. Businesses should acknowledge, assume responsibility and be transparent about the impact of their policies, decisions, product & services and associated operations on the stakeholders.
3. Businesses should give special attention to stakeholders in areas that are underdeveloped.
4. Businesses should resolve differences with stakeholders in a just, fair and equitable manner.

Principle 5:

Businesses should respect and promote human rights

1. Businesses should understand the human rights content of the Constitution of India, national laws and policies and the content of International Bill of Human Rights. Businesses should appreciate that human rights are inherent, universal, indivisible and interdependent in nature.
2. Businesses should integrate respect for human rights in management systems, in particular through assessing and managing human rights impact of operations, and ensuring all individuals impacted by the business have access to grievance mechanisms.
3. Businesses should recognise and respect the human rights of all relevant stakeholders and groups within the beyond the workplace, including that of communities, consumers and vulnerable and marginalised groups.
4. Businesses should, within their sphere of influence, promote the awareness and realization of human rights across their value chain.
5. Businesses should not be complicit with human rights abuses by a third party.

Principle 6:

Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. Businesses should utilize natural and manmade resources in an optimal and responsible manner and ensure the sustainability of resources by reducing, reusing, recycling and managing waste.
2. Businesses should take measures to check and prevent pollution. They should assess the environmental damage and bear the cost of pollution abatement with due regard to public interest.
3. Businesses should ensure the benefits arising out of access and commercialization of biological and other natural resources and associated traditional knowledge are shared equitably.
4. Businesses should continuously seek to improve their environmental performance by adopting cleaner production methods, promoting use of energy efficient and environment friendly technologies and use of renewable energy.
5. Businesses should develop Environmental Management Systems (EMS) and contingency plans and process that help them in preventing, mitigating and controlling environmental damages and disasters, which may be caused due to their operations or that of a member of its value chain.
6. Businesses should report their environmental performance, including the assessment of potential environmental risks associated with their operations, to the stakeholders in a fair and transparent manner.
7. Businesses should proactively persuade and support its value chain to adopt this principle.

Principle 7:

Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Businesses, while pursuing policy advocacy, must ensure that their advocacy positions are consistent with the principles and Core Elements contained in these Guidelines.
2. To the extent possible, businesses should utilize the trade and industry chambers and associations and other such collective platforms to undertake such policy advocacy.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Businesses should understand their impact on social and economic development, and respond through appropriate action to minimise the negative impacts.
2. Businesses should innovate and invest in products, technologies and processes that promote the wellbeing of society.
3. Businesses should make efforts to complement and support the development priorities at local and national levels, and assure appropriate resettlement and rehabilitation of communities who have been displaced owing to their business operations.
4. Business operating in regions that are underdeveloped should be especially sensitive to local concerns.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. Businesses, while serving the needs of their customers, should take into account the overall well-being of the customers and that of society.
2. Businesses should ensure that they do not restrict the freedom of choice and free competition in any manner while designing, promoting and selling their products.
3. Businesses should disclose all information truthfully and factually, through labelling and other means, including the risks to the individual, to society and to the planet from the

use of products, so that the customers can exercise their freedom to consume in a responsible manner.

When required, businesses should educate their customers on the safe and responsible usage of their products and services.

4. Businesses should promote and advertise their products in ways that do not mislead or confuse the consumers or violate any of the principles in these Guidelines.

5. Businesses should exercise due care and caution while proving goods and services that result in over exploitation of natural resources or lead to excessive conspicuous consumption.

6. Businesses should provide adequate grievance handling mechanisms to address customer concerns and feedback.

महाप्रबंधक GENERAL MANAGERS

एम नागराजू
M Nagaraju

के टी वेणु माधव
K T Venumadhav

के एस डी शिवा वरा प्रसाद
K S D Siva Vara Prasad

एम शंकरैया
M Sankaraiah

एस वी एस सुंदरा प्रसाद
S V S Sundara Prasad

वी वेंकटेश्वर राव
V Venkateswara Rao

एम बाबु राजेंद्र प्रसाद
M Babu Rajendra Prasad

भास्करा राव कारे
Bhaksara Rao Kare

एन मल्लवाधनुलु
N Mallavadhanulu

के वी नांचारैया
K V Nancharaiah

डी चन्द्र मोहन रेड्डी
D Chandra Mohan Reddy

सी वी रघुनाथ
C V Raghunath

वी ब्रम्हानंद रेड्डी
V Brahmananda Reddy

सीएच श्रीनिवास शास्त्री
Ch Srinivasa Sastry

रमाकांत प्रधान
Ramakanta Pradhan

आर वी रमणा राव
R V Ramana Rao

डी वी धनुंजय राव
D V Dhanumjaya Rao

ఆంధ్రా బ్యాంక్
आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
భారతీయుల బ్యాంక్ देशवासियों का बैंक Where India Banks

प्रधान कार्यालयः डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004. तेलंगाना.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500004. Telangana.
www.andhrabank.in | टोल फ्री नं./Toll Free No.: 1800 425 1515